राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक :5] ग्यारहवीं विधान सभा के पांचवे सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

बुधवार

1 नवम्बर, 2000

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रो. सांवर लाल।

बीसलपुर परियोजना से पेयजल आपूर्ति

33. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बीसलपुर परियोजना से इस वर्ष पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नये नगरों/गांवों को जोड़ने की योजना सरकार ने तैयार की है ? यदि हां तो किस-किस नगर/गांव को जोड़ा जाएगा ?

(2) क्या जिला अजमेर के समस्याग्रस्त गांवों को उक्त योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना सरकार की है ? यदि हां, तो किस गांव/ढाणी/नगर को और कब तक कहां-कहां पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री रामसिंह विश्नोई) : (1) बीसलपुर बांध से अजमेर सहित 6 नगर व 61 गांवों को वर्तमान में पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा 3 अलग-अलग योजनाएं 120442 लाख रु. लागत पर स्वीकृत हो चुकी हैं जिनसे 5 नगर तथा 81 ग्राम/ढाणी को पेयजल सुविधा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इन योजनाओं से मार्च, 2001 तक 2 शहर - विजयनगर तथा गुलाबपुरा तथा 4 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा। वर्ष 2002 तथा 2003 में शेष 93 ग्राम (पूर्व में स्वीकृत 32 गांवों को मिलाकर) व ढाणियों को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार बीसलपुर बांध से 3 वर्षों के अंदर सब मिलाकर अजमेर सहित 8 शहर तथा अजमेर जिले के 158 गांवों/ढाणियों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। इसमें भीलवाड़ा ज़िले का शहर गुलाबपुरा भी शामिल है।

(2) जी हां। विवरण भाग 1 के उत्तर में दिया हुआ है। अजमेर जिले के नगर/गांवों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(श्री रामसिंह विश्नोई)

वर्तमान तक 61 गांव और 6 शहर लाभान्वित हो चुके हैं। मार्च, 2001 तक 4 गांव प्रस्तावित और 2 शहर लाभान्वित हो सकेंगे। 2002-2003 तक 93 प्रस्तावित गांव लाभान्वित हो सकेंगे। सूची लंबी होने के कारण मैंने माननीय सदस्य को उपलंब्ध करा दी है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि दो शहर- विजयनगर और गुलाबपुरा और 4 गांवों को लाभान्वित किया जाएगा, मार्च 2001 तक। मेरा निवेदन यह है कि यह पहले मार्च, 2000 तक लाभान्वित कराने की योजना थी। इस लाइन के रास्ते में कई गांव आते हैं और वे सब गांव आपके विजयनगर और गुलाबपुरा से ज्यादा समस्याग्रस्त हैं। शहरों के अंदर तो व्यक्ति के खुद के नहाने-धोने और पीने के पानी की आवश्यकता पड़ती है और आज गांवों के कुएं सूख गये, हैण्डपम्प सूख गये। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जानवरों के लिए, आदमियों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मार्ग से आप नागोलाव होकर भिनाय, भिनाय से विजयनगर, विजयनगर से गुलाबपुरा पानी दोगे उस मार्ग पर आसपास दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर या उस रोड के ऊपर जो गांव आते हैं उन गांवों को आप लाभान्वित करने की योजना रखते हैं या नहीं रखते हैं ? क्योंकि बहुत बुरी हालत है। विजयनगर और गुलाबपुरा पानी जा रहा है और रास्ते में पानी नहीं मिलेगा। वहां से ज्यादा विस्फोटक स्थिति वहां है तो वहां के लोग एग्रेसिव होंगे। इसलिए मेरी आपसें यह प्रार्थना है कि क्या आप उनको जोड़ने की मंशा रखते हैं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को यह बताने की चेष्टा की है कि बीच में चार गांव आते हैं जिसमें आपका भिनाय भी शामिल है, उन चार गांवों को तो जोड़ा ही जा रहा है और दो बड़े शहर गुलाबपुरा और विजयनगर हैं जहां पर बरसात के दिनों में भी पानी टैंकरों से सप्लाई होता था। इसके लिए इमरजेंसी स्कीम बनाकर मार्च के पहले यानि तीन-चार महीनों के अंदर आपके ये चार गांव जो इस लाइन से जुड़े हुए हैं, पास में हैं उनको प्लस दो शहर गुलाबपुरा भीलवाड़ा का और विजयनगर अजमेर का, इनको जोड़ दिया जाएगा।

इसके अलावा जो सड़क से कुछ दूरी पर हैं वे करीब 97 गांव होते हैं। 93 गांव जो शेष बचते हैं, 2001, 2002, 2003 यानि दो साल के अंदर सबको जोड़ दिया जाएगा। जहां भी ज्यादा दिक्कत होगी वहां उसको जोड़ने की चेष्टा की जाएगी।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन यह है कि इसमें चार गांव जो आपने बताये हैं उनमें कोहड़ा है वह इस लाइन में नहीं है। कोहड़ा तो अलग ही गांव है, केकड़ी के उधर जुड़ता है और बाकी इस लाइन पर। मैंने आपके सहायक अभियन्ता कार्यालय में जानकारी की थी, उसमें यह बताया कि जो 20 गांव इस लाइन के ऊपर पड़ते हैं भिनाय और विजयनगर के बीच में, उन 20 गांवों में पेयजल उपलब्ध करवा

(श्री सांवर लाल)

देंगे। पर आपके जवाब के हिसाब से केवल नागोलाव, भिनाय, शेखारानी ही आये हैं। मेरा निवेदन है कि जो 20 गांव उस स्तर पर स्कीम के अंदर थे उनको भी लाभान्वित कर दें क्योंकि ज्यादा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। कई गांव तो बिलकुल रोड पर हैं, टंकियां बनी हुई हैं। टंकियों में पानी नहीं है, सूख रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको आप कंसीडर करें तो आपकी कोई विशेष लागत भी नहीं होगी, उसी लाइन के ऊपर हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अगर कोई असुविधा नहीं होगी, सुविधा से जुड़ जाएंगे तो कहां एतराज है ? मैं तो जोड़ ही रहा हूं न। यह तो आपको भी सोचना चाहिए था। पहले जोड़ दिये होते तो हमारे को तकलीफ नहीं होती। अब आप बता रहे हैं।

श्री सांवर लाल : अगर आप यह कह रहे हो न तो...

श्री रामसिंह विश्नोई : मैं आपकी सुविधा के लिए कह रहा हूं। अगर आप जो सुझाव दे रहे हैं वह वाकई में हमारे बूते के अंदर होगा तो सबको जोड़ दिया जाएगा। उसमें कहां दिक्कत आ रही है ?

श्री सांवर लाल : वह सारा आपके बूते में है और गेंद पाले में हमने ही डाली है, यह भी आपकी जानकारी में होना चाहिए था। जो आपने योजना बनायी थी केवल शहरों के लिए बनायी थी। भूतपूर्व मंत्री महोदय विराजमान हैं, इनसे हमने रिक्वैस्ट की, पूरे अजमेर जिले के उन गांवों को जोड़ने की योजना उस टाइम की बनी हुई है।

मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है, कि आपने कहा कि 2003 तक ये-ये गांव जुड़ जाएंगे-सारे गांव अजमेर जिले के। पहले मैंने एक अतारांकित प्रश्न आपसे अर्ज किया था, उसके जवाब में आपने बताया था कि अजमेर जिले के 600 या 650 गांव जो भी समस्याग्रस्त हैं उन सबको उसमें जोड़ा जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि 3 के बाद भी अभी तो 4 तक आपका राज रहेगा तो आप उन दूसरे गांवों को भी जोड़ने का इरादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं ? यह आपने जो जवाब दिया उस पर आप कायम हैं या नहीं हैं, यह बताएं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने मान लिया बहुत अच्छा किया ।

डा. के.सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक...

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब तो आने दीजिये। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह योजना सरवाड़ से प्रारम्भ होकर नागोलाव होकर भिनाय होकर के विजयनगर होकर गुलाबपुरा पहुंचेगी। यह योजना सरवाड़ से प्रारम्भ होगी तो सरवाड़ और नागोलाव के बीच में 30-32 गांव फ्लोराइड जोन के अन्दर आते हैं। जो योजना एयरकंडीशंड कमरों में आपके उच्च स्तरीय

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

अधिकारियों के माध्यम से बनी है, इन लोगों ने मंत्री महोदय को गुमराह किया है। अगर इस योजना से वर्तमान समय के अन्दर उन 30-32 गांवों को जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि फ्लोराइड जोन से मुक्ति मिल सकेगी। इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि एक बार पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिला परिषद और एम.एल.ए. के साथ, संबंधित योजना जिन विधान सभा क्षेत्रों से गुजरेगी उनके साथ में बैठक लें और वास्तविक जो वहां की भौगोलिक स्थिति है, उससे हमको अवगत करा दें। इस योजना को वापस फाइनेन्स मिनिस्टर साहब के यहां भेजकर दुबारा स्वीकृत करवाएं।

श्री अध्यक्ष : आपने पूछ लिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : 30-32 गांव जो सरवाड़ और नागोलाव के बीच के अंदर फ्लोराइड जोन में हैं, मैं चाह रहा हूं कि उनको भी इस योजना से लाभ मिलना चाहिए। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, मैंने जो सवाल किया है...(व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : यह पूरे अजमेर जिले का सवाल है, खाली एक विधान सभा क्षेत्र का सवाल नहीं है। (व्यवधान) पूरे अजमेर जिले की लाइफ लाइन बीसलपुर पर डिपेंड है... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, गांवों में इतनी भयंकर समस्या है...(व्यवधान) भिनाय से मसूदा वाया बांदरवाड़ा होकर लाइन ले जाने की योजना थी, मंत्री महोदय, इसको तो प्राथमिकता दीजिये। बांदरवाड़ा और मसूदा, मसूदा एम.एल.ए. साहब का तो घूमना ही मुश्किल हो जाएगा इस गर्मी के अंदर।

डा. के.सी. चौधरी : एक ही एम.एल.ए. का सवाल नहीं है, पूरा अजमेर जिला इस बीसलपुर पर डिपेंड है, इसलिए इस स्कीम पर अपने को बहुत गंभीरता से विचार करना होगा। अजमेर जिले के 644 गांव फ्लोराइडग्रस्त हैं, उसमें बीसलपुर को फेज 1, फेज 2, फेज 3 में बांट रखा है, किस-किस फेज में कौन-कौनसे गांव आएंगे ? इसमें मूल प्रश्न यह बनता है कि बीसलपुर की लाइन अजमेर जिले में जहां-जहां से जा रही है, क्या वहां-वहां उन गांवों को पेयजल उपलब्ध करा देंगे ? (व्यवधान)

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। अजमेर शहर के चारों तरफ बसे हुए गांव जो पेरीफेरी सीमा में आते हैं, पाइप लाइन उन गांवों के बिलकुल सरहद में होकर जाती है, आपने फरमाया है जवाब में कि अजमेर शहर के आसपास के 61 गांवों को इस बीसलपुर योजना से जोड़ दिया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी गांव जो अजमेर शहर के चारों तरफ की पेरीफेरी सीमा में आते हैं, नहीं जोड़ा गया है। मैं निवदेन करना चाहता हूं कि इनको जोड़ने की योजना है या नहीं ? कब तक जोड़ेंगे ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में करीब 1001 गांव हैं। जो दो योजनाएं 1994 में मंजूर हुई हैं, 6 शहर और 61 गांव लाभांवित किये हुए हैं। हमने दो योजनाएं और स्वीकृत की हैं जिनमें करीब 97 गांव और दो बड़े-बड़े शहर जो बहुत ज्यादा पानी की समस्या से त्रस्त हैं, उनको जोड़ने की योजना है। इन लाइन के बीच में आसपास के जो गांव आएंगे उनको जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा वाकई पांच सौ-छह सौ गांव ऐसे हैं जो फ्लोराइड से दु:खी हैं, वे हैं, उनकी भी योजना हम तीसरे फेज में बनाएंगे। इनमें मसूदा सबसे ज्यादा प्रभावित है, सरवाड़ के आसपास के गांव हैं, उनके लिए अलग से 2003 के बाद, मसूदा के गांव जो ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर केवल हैण्डपम्प से लाभान्वित किया हुआ है...

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर (नसीराबाद) : नसीराबाद को भी ?

श्री रामसिंह विश्नोई : हां, वह भी। पूरे जिले के एक हजार गांव, सारे गांव पीने के पानी की समस्या से त्रस्त हैं, तो करीब-करीब सब गांवों की योजना बनेगी। माननीय सदस्यों को राजस्थान के अंदर अपनी फाइनेंशल पोजीशन मालूम है। फाइनेंस मिनिस्टर यहीं बैठे हुए हैं, अगर ये आज ही मंजूर कर देते हैं तो हम सारे गांव हैं इनको दो-तीन साल में जोड़ देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री कय्यूम खान।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की समस्या के लिए भारत सरकार बहुत पैसा दे रही है, आप कोई योजना बनाकर भेज दें।

श्री रामसिंह विश्नोई : 70 प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती है और 30 प्रतिशत राजस्थान सरकार को देना पड़ता है। आप क्या स्थिति छोड़कर गये हैं, वह आपसे छिपी हुई नहीं है।

श्री सांवर लाल : आप 30 प्रतिशत भी नहीं देना चाहते पीने के पानी के लिए ? मंत्री महोदय, पीने के पानी की समस्या पहली प्रायोरिटी है, इसमें 30 प्रतिशत भी कंट्रीब्यूशन आप नहीं कर सकते तो फिर पब्लिक वैलफेयर गवर्नमैंट क्या होगी ?

श्री अध्यक्ष : श्री कय्यूम खान। (व्यवधान) अजमेर जिले के लोगों को मैं पहले लेना चाहता हूं।

श्री सांवर लाल : वह तो सही है पर 30 प्रतिशत का ही सवाल है, 70 प्रतिशत हम लाकर देंगे भारत सरकार से, आप योजना बनाइए, साहब। आप हमारा फण्ड काम ले लें, आप एम.एल.ए., एम.पी. का फण्ड काम ले लें, पर आप कुछ करो तो सही।

श्री कय्यूम खान (मसूदा) : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे मसूदा...

श्री मदन दिलावर (अटरू) : गांव के लिए पैसा नहीं है, नाच-गान में करोड़ों रुपये बहा दिये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, आप बैठिये।

श्री सांवर लाल : अगर राज्य सरकार पैसा नहीं लगा सकती है तो हम क्या सवाल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी सम्मेलन के नाम पर आपने नाच-गान किया है।

श्री कय्यूम खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मेरे मसूदा के अंदर भयंकर स्थिति पीने के पानी की बनी हुई है। तीन साल से भयंकर अकाल है। इस साल के लिए मैंने आपसे अनुरोध किया है कि स्थायी रूप से खरवा, पीपलाज में आप पानी दें सकेंगे जहां टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई हो सकेगी, वरना स्थिति बहुत गम्भीर हो जाएगी ? यही मैं आपके मार्फत पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : पहले पहले पूछा है मसूदा के बारे में।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि पानी को प्रायोरिटी के हिसाब से राज्य सरकार को पैसा देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आज तक क़रीब 50 साल के अंदर जितनी योजनाएं हमने दो साल के अंदर स्वीकृत की हैं ढाई-तीन हजार करोड़ रुपये की, वे ऐसे ही थोड़े हो गई हैं । उसमें भी हमने, राजस्थान की सरकार ने, आपका इस प्रकार कहना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्रीजी, आपने घोषणा तो पिछली बार इस सदन में की थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीसलपुर...

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कहा था कि पिछले वर्ष 1100 करोड़ रुपये...

श्री रामसिंह विश्नोई : आप बीच में, मैं ज़वाब दे रहा हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करूं कि 1100 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको काल नहीं किया है, आप बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड : आपने योजना बना ली, व्यय कितना किया, यह बताइए ? खर्च कितना किया, यह बताइए ? खर्चा कितना हुआ 1100 करोड़ रुपये में से, यह बताइए ?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अजमेर जिले का मामला है, वह अलग से प्रश्न है। जयपुर जिले के टेण्डर सारे आउट हो चुके हैं और उसके ऊपर दो-तीन साल के अंदर इस राज के रहने तक, योजना पूरी कर देंगे। जयपुर का जहां तक सवाल है योजना का...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने माफी मांगी थी और यह कहा था कि विलम्ब हो गया। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि टेण्डर आमंत्रित किये गये हैं, बीसलपुर में 1100 करोड़ रुपये की योजना है, उस पैसे को हम समय पर खर्च करेंगे। और अब कह रहे हैं कि टेण्डर आउट किये हैं। मसला गम्भीर नहीं है ? भगवान के लिए पानी जैसा महकमा आपके पास है, आपके पास खेतसिंहजी जैसा महकमा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं है, कागजी घोड़े मत दौड़ाइए। आपने 1100 करोड़ रुपये की घोषणा इसी वित्तीय वर्ष में बीसलपुर में लगाने की सदन में की, अब तक एक नया पैसा नहीं लगाया। मंत्री महोदय, मेरा स्पष्ट आरोप है, आपने एक नया पैसा इस वित्तीय वर्ष में नहीं लगाया।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, आज भी इनके विभाग के पास पाइप नहीं है। मंत्री महोदय, आपके डिपार्टमैंट...

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछ चूके हैं। आपने तीन सप्लीमेंट्री तो पूछ ली हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से आरोप लगाना ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता दें खर्च किया तो ?

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको मालूम नहीं है, 15 करोड़ रुपये तो हमने रेलवे को दिये हैं, हमने टेण्डर आउट किये हैं।

श्री सांवर लाल : आपने जो पैसा दिया है उसको भारत सरकार से रिएम्बर्स करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने इसी सदन में घोषणा की थी, यह कहा था कि इस महीने सारे कार्य प्रारम्भ हो जाएंगे। कहां गया पैसा ? छह महीने बाद सदन आहूत हुआ है, छह महीने में आपने एक नया पैसा खर्च नहीं किया। क्या किया राज्य सरकार ने ?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, रेलवे का पैसा भारत सरकार से रिएम्बर्स करेंगे, यह आपका खर्चा नहीं है। आप भारत सरकार से वापस मांग रहे हैं। आज आपके डिपार्टमैंट के पास पाइप नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पानी के अभाव में लोग त्राहि-त्राहि कर मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर।

श्री सांवर लाल : मैं कह रहा हूं कि मार्च तक भी इन शहरों के अन्दर पानी नहीं पहुंचेगा। जिस गति से आपका डिपार्टमैंट काम कर रहा है, आज भी मैं आपको सावचेत करना चाहता हूं कि मार्च तक गुलाबपुरा और विजयनगर के इन गांवों में पानी पहुंचना मुश्किल है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पैसा दीजिए, आप पैसा खर्च करवाइए, उसकी गति बढ़ाइए। बाकी केवल कागजों के अन्दर योजना चलेगी और आपका कार्यकाल रह जाएगा। बाद में आप केवल यहां सदन में कहेंगे कि हम दो हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, 1500 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। खर्च करेंगे कब ? पहली गर्मी में आप पानी पहुंचाने वाले थे, दूसरी गर्मी आ गई। मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं कि इस गर्मी में भी पानी पहुंचाना बहुत मुश्किल है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, 1100 करोड़ रुपये जो इस वित्तीय वर्ष में खर्च करने थे, अक्टूबर खतम हो रहा है तो उसमें इन्होंने कितने खर्च किये ? 1100 करोड़ रुपये में से कितने खर्च किये, बताइए ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1100 करोड़ रुपयों में से कितने रुपये खर्च किये ?

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमें भी अपनी समस्या बताने दीजिए। इसका स्पष्टीकरण तो आना ही चाहिए।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल, आप तीन सप्लीमेंट्री पूछ चुके हैं, नियम 31 के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता दो सप्लीमैंट्री पूछ सकता है। आप तीन तो आलरेडी पूछ चुके हैं। श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 1100 करोड़ रुपये में से कितना पैसा खर्च किया ? ये गम्भीर ही नहीं हैं पीने के पानी के लिए।

श्री दुर्गाप्रसाद (गंगापुर) : मंत्री महोदय,कृपया ध्यान दें। अक्सर पीने का पानी शहरों में दूरदराज से भेजा जा रहा है। हमारे गंगापुर सिटी में एक पी.एन.पी. योजना चल रही है जहां पर पीने के पानी के लिए जीवत नदी में ट्यूबवैल लगाकर गंगापुर शहर को भेजा जाएगा। करीब 10 किलोमीटर दूर यह शहर पड़ता है तो कृपया...

श्री सांवर लाल : बीसलपुर में गंगापुर कहां से आ गया ? कैसे अलाउ कर रहे हैं ?

श्री दुर्गाप्रसाद : मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : 1100 करोड़ रुपये में से कितना खर्च किया, यह तो बताइए ?

श्री दुर्गाप्रसाद : करीब 10 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन बिछेगी, तो बीच के गांव जो पड़ेंगे... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : रमजान खानजी, बैठिये। (व्यवधान) आपके जिले का प्रश्न नहीं है।

श्री सांवर लाल : 31 मार्च आ रहा है और आज की तारीख तक पाइप नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री मदन दिलावर : बीसलपुर योजना के 1100 करोड़ रुपये में से कितना रुपया खर्च हुआ, यह हम जानना चाहते हैं।

डा. के.सी. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीसलपुर परियोजना से ब्यावर शहर को 20 लाख गैलन पानी मिलना था, 10 लाख गैलन आज की तारीख में मिल पा रहा है। बीच में पाइप लाइन उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ब्यावर शहर की एक लाख बीस हजार की आबादी के ऊपर जो बीसलपुर योजना बनाई गई थी, उससे उचित मात्रा में पानी हम आम जनता को दे पाएंगे कि नहीं इस गर्मी में ?

श्री दुर्गाप्रसाद : मंत्री महोदय, कृपया मेरे प्रश्न का भी उत्तर दीजिए साथ-साथ। मैं यह निवेदन कर रहा था कि... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, विनम्र शब्दों में निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मूल प्रश्न से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सरकार गम्भीर नहीं है, त्राहि-त्राहि मच रही है।

श्री सांवर लाल : राज्य सरकार राजस्थान की जनता के पीने के पानी के लिए बजट से कोई पैसा नहीं लगाना चाहती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूं कि हमारे भरतपुर जिले को बीसलपुर योजना से पानी मिल रहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : मेरे यहां भरतपुर में पानी का बहुत बड़ा संकट हो गया है। अभी तो गर्मी भी नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष : आप लोग खड़े हैं। आपने पूछ लिया सप्लीमेंट्री। (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : बिजली बगैर पीने का पानी नहीं मिल सकता। कुएं सूखे पड़े हैं, उन कुओं को या तो गहरा किया जाए या फिर कोई और व्यवस्था की जाए। सारे कुओं का पानी सूख गया। हमारे यहां बिजली से पानी मिलता है, बिजली नहीं होती है तो फिर पीने का पानी नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहां पीने के पानी का इंतजाम किया जाए। (व्यवधान) मैं मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि वह इंतजाम होगा या नहीं? (व्यवधान)

दूसरा, अभी हैण्डपम्प मैंने मांगे थे, हैण्डपम्प भी अधूरे पड़े हैं। कोई लगा है, कोई नहीं लगा है। उनके पार्ट्स नहीं दिये हैं, इस कारण से मेरे यहां हैण्डपम्प भी नहीं लग पाये हैं। पानी का बहुत संकट है हमारे भरतपुर में, खासतौर से वैर क्षेत्र में। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप क्या करेंगे, यह वित्तीय वर्ष समाप्त होने को है।

श्री सांवर लाल : बीसलपुर के पानी को सरकार क्यों नहीं लाना चाहती है? (व्यवधान) आप क्या खर्च करेंगे, अभी तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही डवलप नहीं हुआ है।

श्रीमती शांति पहाड़िया : मेरे भरतपुर में पानी का काफी संकट है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इसको अगर राजस्थान का प्रश्न मानते हैं तो उसके लिए अलग दिन आप तय कर रहे हैं, अकाल और पेयजल पर जब भी ब्रहस होगी तब बात हो जाएगी। अभी तो केवल अजमेर में जो पानी की दिक्कत है और सौभाग्य से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अभी तक कुछ नहीं किया, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) इस सदन के अंदर मंत्रीजी ने एक-दो बार नहीं, तीन बार माफी मांगी। (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, पानी का तो अकाल पड़ेगा।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। राजेन्द्र सिंह जी। गोविन्द सिंह जी।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, बात को कुछ समझें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझ रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : इस एक घण्टे की उपयोगिता है, जिसने प्रश्न लगाया उसको पूछने दीजिए, फायदा उठाने दीजिए। हर बात

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

में उठकर पूरे राजस्थान की बात करना उचित नहीं है।

श्री सांवर लाल : सवाल किया हमने पानी देने का। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पानी से ज्यादा उपयोगी क्या हो सकता है जनता के लिए ?

श्री रमजान खान : पूरे राजस्थान का आप कहते हो, अजमेर का है, अजमेर जिले का जवाब नहीं आया। मैं तो आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय आश्वासन दें। इन्होंने अकाल के टाइम में बहुत अच्छा काम संभाला है पानी का, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आश्वासन दें कि कब तक अजमेर जिला...(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : 600 करोड़ में से कितने रुपये खर्च हुए हैं, इसका जवाब चाहिए।(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : हल्ला करोगे तो जवाब कैसे आएगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : 1100 करोड़ में कितना खर्च हुआ, अक्टूबर समाप्त हो गया, एक नवम्बर शुरू हो गया, हमको इस सवाल का जवाब चाहिए।

डा. के.सी. चौधरी : इसमें राजस्थान को घसीट रहे हैं, क्या मतलब है इसका ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, वैसे चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जयपुर के बारे में जो पूछा है...(व्यवधान) आपने जो पूछा है वह अलग से प्रश्न है और मैंने यह बता दिया है कि इस पर 1100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इन्होंने इतना ही पूछा था बीसलपुर बांध का, इसलिए मैंने वह बताया है। अगर आप अलग से पूछेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।(व्यवधान) आप विराजें, मुझे बोलने दीजिए आप। आपने पूछा उसका जवाब आ जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप मिसकोट मत करिये।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप सुनना नहीं चाहते। आपका बोलना जरूरी है तो मैं बैठ जाऊंगा, आप बोलते जाइए। (व्यवधान) जयपुर का मामला अलग से है, आप पूछेंगे तो मैं डिटेल आपको बता दूंगा।

माननीय सांवर लाल जी साहब ने जो सवाल पूछा है, विजयनगर और गुलाबपुरा प्लस चार गांव जो भिनाय व तीन गांव जो बीच में आते हैं सड़क के किनारे, इसके अलावा भी आप ठीक समझते हैं कि नजदीक के कई गांव और समस्याग्रस्त हैं या फ्लोराइड युक्त हैं, उनको मार्च तक जोड़ने का मैंने आपको आश्वासन दिया है, इसमें 15-20 गांव और जुड़ सकते हैं तो मैं प्रयास करूंगा कि इन दो महीने के अंदर वे सब जुड़ जाएं।

जहां तक ब्यावर का सवाल है, ब्यावर की जितनी आबादी है उसमें 20 लाख गैलन पानी जा रहा है, लेकिन वहां कम से कम 27 ऐसी कालोनियां हैं जो सहभागिता के अन्तर्गत पैसे नहीं देते हैं तब तक कायदे से हम उनको जोड़ नहीं सकते। अगर आप सहभागिता योजना के अन्तर्गत उन योजनाओं को जोड़ते हैं, 30

(श्री रामसिंह विश्नोई)

परसेंट पैसा जमा कराते हैं तो हम आपके ब्यावर शहर में जितनी पानी की मांग है उसकी पूर्ति कर देंगे। अब बिना पैसे दिये पाइपों का खर्चा होता है, हजारों-लाखों रुपया खर्च किया जाना चाहिए, हम कैसे जोड़ सकते हैं ? जो 27 कालोनियां हैं उन पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। 4-5 करोड़ रुपया अगर हम एक्सट्रा खर्च करें...(व्यवधान) दो करोड़ तो फिर बाद में बस्ती के अंदर भी उसको पहुंचाना पड़ता है। आप दो करोड़ रुपया जमा करा दीजिए, हम आपको 15 दिन में या महीने के अंदर-अंदर सारे सिस्टम को जोड़ देंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी।

श्री रमजान खान : अजमेर शहर के चारों तरफ के गांवों के बारे में नहीं बताया, मंत्री महोदय, आपने।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य, यह अलग से प्रश्न है। अजमेर शहर के...

श्री रमजान खान : अजमेर जिले का है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अजमेर जिले के 1000 गांव हैं।

श्री संजीव कुमार (भादरा) : प्रश्न संख्या 34।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, जिसकी चर्चा हुई है...(व्यवधान) मैं मंत्रीजी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं, अभी जिस क्षेत्र की चर्चा हुई है, क्या मार्च तक आपकी आपातकाल योजना में 210 करोड़ रुपये पेयजल में हैं ? सबको ध्यान में रखते हुए जिस क्षेत्र की चर्चा हुई है उसको मार्च तक पानी देने की व्यवस्था राज्य सरकार कर देगी ? (व्यवधान) रुपये कहीं से लाएं, हमें मतलब नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, कल जब इस पर चर्चा होगी तो माननीय सदस्य जो लूणकरणसर से आते हैं, जो 200 करोड़ की या जितने भी करोड़ की है उस पर हम विस्तार से बता देंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष : जीतमल जी, आप बैठिये, यह अजमेर का प्रश्न है। संजीव कुमार। अजमेर का प्रश्न है यह। (व्यवधान) जीतमल जी खांट, बैठिये आप, यह बीसलपुर का प्रश्न है।

श्री जीतमल खांट : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, बांसवाड़ा जिले के अंदर 7-8 महीने से हैण्डपम्प खुदे पड़े हैं...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री जीतमल खांट : बांसवाड़ा जिले में 7-8 माह से हैण्डपम्प खुदे हुए पड़े हैं, पाइप लाइन और हैड नहीं होने की वजह से इस इलाके के अंदर हालात बड़े खराब हैं। माननीय

श्रीमती सुचित्रा आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने जवाब दिया है वह बिलकुल ठीक नहीं है क्योंकि वहां दानदाता अगर नहीं हों तो उस मेले के अन्दर बहुत ही परेशानियां होती हैं। न तो कोई पानी की व्यवस्था है और न ही कोई छाया की व्यवस्था है। जितनी भी रेवेन्यू आती है वह सारी की सारी देवस्थान ले जाता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि शौचालय वगैरह बना रखे हैं, शौचालय वगैरह कुछ नहीं है। बाथरूम बनाये थे वे भी इतने खराब हो गये कि वहां लोग लेट्रिन करने चले जाते हैं वे भरे पड़े हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वे बिलकुल गलत हैं, वह रेवेन्यू वहां नहीं लगती। वह रेवेन्यू वहां लगाने और श्रद्धालुओं की स्थिति सुधारने के लिए वहां पैसा खर्च किया जाना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वहां से आये हुए माननीय सदस्यों को यह बताना चाहती हूं कि जो आप फरमा रहे हैं कि शौचालय नहीं बनाये गये हैं, यह बिलकुल सही नहीं है क्योंकि वहां शौचालय बनाये गये हैं। अब अगर उनकी हालत खराब है और उनमें कोई लेट्रिन चले जाते हैं और सफाई नहीं रखते हैं तो उसका प्रबंध करना जरूरी है। यह किया जाएगा लेकिन यह कहना कि शौचालय नहीं बनाये गये हैं, यह बात सही नहीं है।
दूसरा मेरा निवेदन यह है कि वहां दो धर्मशालाओं को जन सहयोग से बनाने के लिए हमने अभी स्वीकृति प्रदान की है। यह शौचालय भी हमने आने के बाद जब देवस्थान विभाग...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह तो जन सहयोग से कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आप सुनिये तो।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो धर्मशालाएं बनाने की बात मंत्री महोदया ने कही...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : सुनेंगे जब तो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको यह बता रही थी कि वहां पर दो धर्मशालाएं जन सहयोग से बनाने के लिए हमने उनको फ्री लैंड दी है और उन धर्मशालाओं का वहां पर काम चालू है। जो शौचालय बनाये गये हैं वे बने हुए हैं उनकी हालत अच्छी नहीं है तो मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जब से हमने यह काम संभाला है उसके बाद में कम से कम 13 लाख तो शौचालय में लगाया है। पहले यह नहीं लगा था, ठीक बात है। अभी धर्मशालाओं के लिए हमने जमीन मुफ्त में दी है, निःशुल्क जमीन दी है और वहां पर दो धर्मशालाओं का काम चालू है। दिल्ली की और वहां की दो पार्टियां हैं, जन सहयोग से जो बना रही हैं उनको हमने निःशुल्क जमीन दी है।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : उसमें आपका क्या लेना-देना है ? वह तो दानदाता ही लेंगे और वे अपने आप बनाएंगे।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : आपको मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जमीन दी है। उसमें स्वीकृति दी है इस बार, पहले नहीं दी गयी थी, वह बता रही थी। पानी के लिए हमने

(श्री इन्दिरा मायाराम)

जो व्यवस्था की है वह आपको बता रही हूं। मैंने यह भी निवेदन किया कि अभी जो इस मेले की दिक्कतें मेरे सामने आयी हैं उनको जल्दी से जल्दी दूर करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी सुझाव दीजिएगा तो हम जरूर करेंगे, इस मेले की जो दिक्कतें हैं वह मुझे मालूम पड़ेंगी। उससे पहले की तो मुझे मालूम नहीं पड़ सकतीं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : इसलिए अब जो मालूम पड़ी हैं मैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया, आप बैठिये। आप नहीं, प्रश्नकर्ता।

श्री संजीव कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री महोदया ने बताया कि मेले में देवस्थान विभाग को प्राप्त आय होती है, तो क्या इसको व्यय करने के लिए देवस्थान विभाग ने कोई कमेटी बनायी हुई है ? अगर बनायी हुई है तो उस कमेटी के मैम्बर कौन-कौन हैं ? और यदि बनी हुई नहीं है तो क्या भविष्य में ऐसी कोई मेला विकास समिति बनाने का सरकार विचार रखती है, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमारी कोई स्थायी समिति वहां नहीं है। मेले के समय में जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी जाती है और वह कमेटी उस वक्त मेले का सारा प्रबंध करती है क्योंकि वह छोटा गांव है, बहुत छोटा गांव है। बड़े बड़े मन्दिरों में जैसी धर्मशालाएं होती हैं ऐसी वहां नहीं हैं। इसलिए यहां तक कि अगर थाने का भी प्रबंध होता है या जिलाधीश वहां पर जाकर रहते हैं या सरकार अधिकारी वहां रहते हैं, उनके ठहरने का प्रबंध होता है वह देवस्थान विभाग को करना पड़ता है।

श्री संजीव कुमार : कोई स्थायी समिति बनाने का विचार है क्या ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : चाहे जलदाय विभाग के कर्मचारी रहते हैं, सारा खर्च हम करते हैं वहां पर।

श्री संजीव कुमार : कोई स्थायी समिति बनाने का विचार है क्या ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : स्थायी कमेटी बनायी नहीं है पर आप कहेंगे तो बनाने का विचार कर सकते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सरकार कोई ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है क्या जिसमें जन प्रतिनिधि भी हों ?

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अभी तक कोई विचार नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : सरकार भी कोई विचार रखती है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अभी तक कोई विचार नहीं है। अगर आपके सुझाव आएंगे तो विचार कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप।

श्री नन्दलाल पूनिया : उस ग्राम के विकास के लिए देवस्थान विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ? कुछ व्यवस्था कर रहा है या नहीं कर रहा है, कृपया बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये आप।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, देवस्थान विभाग सोता नहीं है इसीलिए वर्ष 2000 में 13 लाख रुपये शौचालय पर लगाये हैं और दो धर्मशालाएं बनाने की स्वीकृति प्रदान की है।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं ददरेवा गांव की बात कर रहा हूं। मैं जन्म स्थान की बात कर रहा हूं जहां गोगाजी का जन्म हुआ है, जहां वे जन्मे हैं। उसका विकास देवस्थान विभाग नहीं करेगा तो कौन करेगा ? गोगामेड़ी है वह तो समाधि स्थल है। जहां गोगाजी का जन्म हुआ है वह राजगढ़ तहसील का ददरेवा ग्राम है, मैं उसके विकास की बात आपसे कर रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष जी, आपकी इजाजत हो तो देवस्थान विभाग से सम्बन्धित ही एक प्रश्न है। आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा। नैक्स्ट क्वेश्नचन, श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, कृपा करो, साहब, इजाजत दो थोड़ी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

राज्य सेवा के अधिकारी/कर्मचारी हेतु मुख्यालय छोड़ने पर पाबन्दी

35. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सेवा के अधिकारी/कर्मचारी को अपने कार्यस्थल से कार्यालय समय के बाद भी मुख्यालय बिना अनुमति के नहीं छोड़ने की व्यवस्था सेवा नियमों में है ? यदि हां, तो उसकी पालना किस सीमा तक होती है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर निवास नहीं करके रोजाना आना-जाना करते हैं ? यदि हां, तो नियमों में इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था है ? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि जो कर्मचारी कार्यस्थल पर निवास करते हैं उनके मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेनी आवश्यक है और जो मुख्यालय पर रहते ही नहीं उनके लिए कोई पाबन्दी नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो क्या पाबन्दी है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां। जो कर्मचारी नियमों की अवहेलना के दोषी पाये जाते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) मुख्यालय छोड़ने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है। नियमों की प्रति उपरोक्तानुसार संलग्न है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

(3) नियमानुसार सभी कर्मचारियों को अपने मुख्यालय पर निवास करना आवश्यक है तथा सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बाद ही मुख्यालय छोड़ सकते हैं।

(प्रति के लिए परिशिष्ट 2 देंखे।)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने इस प्रकार का उत्तर दिया जैसे मंत्री महोदय कहीं विदेश से आये हों और यहां के हालात का इनको मालूम नहीं हो। आप अपने क्षेत्र का बता दीजिये, किसी शहर का बता दीजिये कि 50-60 किलोमीटर तक कोई भी कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर निवास करता है क्या ? आपने कह दिया कि हम कार्यवाहीं कर रहे हैं। किसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हो ? आज जयपुर के 80 किलोमीटर में एक भी कर्मचारी रात को जाकर देख लें- मास्टर हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे कोई अधिकारी भी हो, एक भी रहता नहीं, फिर आप यह फालतू उत्तर दे रहे हो। आदेश तो इसके बाद भी कई निकाल रखे हैं। आपने यह जो नियमों की प्रति दी है उसके बाद हर साल आप आदेश निकालते हैं जो पिछली साल भी निकाला है कि हम सख्त कार्यवाही करेंगे। लेकिन करेगा कौन ? वह कार्यवाही करने वाला ही तो वहां नहीं रहता है। जिनको कार्यवाही करने का जिम्मा आपने सौंपा है, एक भी अधिकारी जिनका ग्रामीण क्षेत्र में कार्यस्थल है, वहां कोई निवास नहीं करता। इसलिए या तो आप इसको हटा दो ताकि यह फालतू का प्रपंच नहीं हो या इसकी सख्ती से पालना करो। यह कोई उत्तर हुआ, जैसे आप कोई विदेश से आये हों और यहां के बारे मे कोई जानकारी ही नहीं हो। अब आप इसमें क्या करना चाहते हैं ? आज तक तो कुछ किया नहीं सिवाय नियम बनाने और सर्कुलर निकालने के। लेकिन अब आगे कोई इसकी पालना कराने का इरादा है या इस नियम को हटाने का है ? दोनों में से एक बात आपको करनी पड़ेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : हटाने वाला काम आसान है, हटा ही दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि काफी कर्मचारियों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं कि वे अपने हैडक्वार्टर पर नहीं रहते हैं। यह प्रश्न कार्मिक मंत्रीजी से पूछा गया था, लेकिन चूंकि राजस्थान सर्विस रूल्स के तहत वित्त विभाग ने इस बारे में सर्कुलर जारी किया था इसलिए प्रश्न ट्रांसफर होकर हमारे विभाग के अन्दर आया और उसी अनुरूप मैंने उत्तर दिया। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है क्योंकि जहां एक्शन लेने का सवाल है, सैंक्शनिंग अथारिटी ही एबसेंटी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करती है। उसके बारे में तो मेरे पास कोई विस्तृत जानकारी है नहीं क्योंकि अनेक विभागों से वह सूचना प्राप्त करनी पड़ेगी कि कितने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। लेकिन इस बारे में, व्यावहारिक आदेश किस प्रकार के जारी हों, कल जब मैं इस प्रश्न का उत्तर देख रहा था तो मैंने विभाग के अधिकारियों से चर्चा की थी। खास तौर से महिला जो हमारी टीचर्स हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शिक्षा का जो फैलाव और विकास हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए रहने की सुविधा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं, यह बात भी सही है कि काफी कर्मचारियों के खिलाफ हैडक्वार्टर पर नहीं रहने के बारे में कार्यवाही नहीं होती है, जो एब्सेंटीज हैं। इस बारे में क्या पुख्ता व्यवस्था की जा सकती है, जैसा चित्तौड़गढ़ जिले से आने वाले माननीय सदस्य कटारियाजी ने कहा कि दोनों प्रकार के भत्ते प्राप्त करते हैं और दोहरी मार सरकार पर पड़ती है, इस पूरे मामले पर नये सिरे से समीक्षा करके इसमें क्या व्यावहारिक कदम उठाये जा सकते हैं इस तरफ निर्णय लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न।

विधान सभा क्षेत्र नोहर के पशु चिकित्सालयों के चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति

36. **श्रीमती सुचित्रा आर्य** (नोहर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में कुल कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां स्थित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र तथा जिला हनुमानगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर कितने चिकित्सकों को लगाया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति खतम करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) (कुम्हेर) : (1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में छह पशु चिकित्सालय क्रमशः नोहर, गोगामेड़ी, रामगढ़ उतरादा बास, फेफाना, वीरकाली, जसाना में कार्यरत हैं।

(2) नोहर विधान सभा क्षेत्र एवं हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में कोई भी पशु चिकित्सा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं है।

(3) वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में कोई भी पशु चिकित्सा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है, अतः प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : आपने यह कहा है रामगढ़ उतरादा बास के बारे में जबकि ललाना उतरादा बास के अन्दर आज भी कोई चिकित्सक नहीं है, यह आप आज दिखवा लीजिये। और जो आपने बताया है वह सब ठीक है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : वैसे मैं दिखवा लूंगा लेकिन मेरी इन्फार्मेशन के मुताबिक आपके यहां छह पशु चिकित्सालय हैं। वीरकाली में डाक्टर दिलीप बेनीवाल लगे हुए हैं, गोगामेड़ी में डाक्टर सुरेन्द्र सिंह भांभू लगे हुए हैं, फेफाना में डाक्टर विजय सिंह लगे हुए हैं और रामगढ़ में डाक्टर जयदेव सिंह लगे हुए हैं, जसाना में डाक्टर रामसिंह बेनीवाल लगे हुए हैं, उतरादा बास में राजेश सागवान लगे हुए हैं। अगर ये वहां नहीं पहुंच रहे हैं या कोई दिक्कत हो तो मैं उसको दिखवा लूंगा और जो आवश्यक कार्यवाही है वह करेंगे।

श्रीमती सुचित्रा आर्य : वह सब ठीक है।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है इस भयंकर अकाल की स्थिति में सबसें ज्यादा मार पड़ेगी पशुधन पर। पशुधन मरेगा और बीमार भी होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पशु चिकित्सकों के और पशुधन सहायकों के रिक्त पद पड़े हैं, क्या सरकार कोई कंटिंजेंसी प्लान बनाकर पशु चिकित्सकों और पशुधन सहायकों को लगाने की, पदस्थापित करने की मानसिकता रखती है ? क्योंकि पशुधन सहायक काफी लम्बे समय से इस बात को लेकर आन्दोलित भी हैं और हमें इनकी आवश्यकता भी है।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, अभी बहुत सारे पशुधन सहायक यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनको आप नौकरी देंगे या नहीं देंगे, इसका थोड़ा आप जवाब दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, दिलावर जी।

श्री रामप्रताप : प्रश्न का जवाब तो आने दो। यह कोई कम है क्या सवाल, इसका जवाब तो आने दो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट प्रश्न, श्री जगमाल सिंह यादव।

श्री रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय रेस्पोंड कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान में पशु चारे की वजह से मरेंगे, इसमें आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते ? कोई गलत चीज पूछी है क्या आपसे ?

मिस्टी मिडोज द्वारा अलवर की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

37. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मिस्टी मिडोज अथवा रूप बसंत के नाम से चेला की चोपान में कोई राजस्व भूमि है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने सड़क और खुद की भूमि के बीच की सरकारी भूमि पर पक्की चारदीवारी खींचकर अतिक्रमण कर लिया है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में राजस्व अधिकारियों द्वारा ट्रेसपासर के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने की लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी भूमि जिस पर अतिक्रमण किया गया है, गैर मुमकिन राडा किस्म दर्ज है जो वन विभाग की भूमि मानी जाती है एवं वन विभाग ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना टपूकड़ा (अलवर) में दर्ज कराई है ? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्म द्वारा रीको द्वारा बनाया गया नाला भी तोड़ दिया गया था जिस बाबत भी सरकार द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना टपूकड़ा (अलवर) में दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा रहा ?

(4) क्या इस बाबत सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्रीमती कमला) : (1) यह सही है कि मिस्टी मिडोज के नाम ग्राम चोपानकी में 68 बीघा 5 बिस्वा भूमि खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त फर्म ने सड़क और खुद की भूमि के बीच सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अब तक नहीं की गई है। अत: क्षेत्रीय तहसीलदार को चार्ज शीट दी जाकर उसके विरुद्ध 16 सी.सी.ए. की कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है तथा अतिक्रमण अविलमब हटाये जाने के भी निर्देश दे दिये गये हैं।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अतिक्रमण की भूमि की किस्म गैर मुमकिन राडा है अपितु उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला सिवाय चक दर्ज है एवं वन विभाग के नाम उक्त भूमि नहीं है। थाना टपूकड़ा में वन विभाग द्वारा कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि अतिक्रमी द्वारा रीको द्वारा बनाया गया नाला तोड़ा गया हो। रीको द्वारा उक्त फर्म के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना टपूकड़ा में दर्ज नहीं कराई गई है।

(4) जी नहीं। इस बाबत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जगमाल सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह अतिक्रमण कब हुआ ? जब से अतिक्रमण हुआ तब से कितने तहसीलदार बदले गये ? मैं यह भी जानना चाहूंगा, मंत्री महोदया, चूंकि आप अनुभवी हैं, इस पर केवल अतिक्रमण नहीं हुआ है, सड़क और मिस्टी मिडोज के बीच जो सरकारी जमीन है, उस पर बाउण्ड्री खींची गई है और बाउण्ड्री होगी लगभग 8-8 फीट, लगभग 100 बीघा जमीन, 125 बीघा जमीन पर बाउण्ड्री खींची गई, वह एक दिन में तो खींची नहीं गई ? मैं यह भी जानना चाहूंगा, मंत्री महोदया, जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, वह सरकार की जमीन किसने दबाई है ? क्या यह भी सही है कि यह जो आपकी जमीन है, चेला की चोपान जो इण्डस्ट्रियल एरिया है, भिवाड़ी एक्सटेंशन के नाम से जो औद्योगिक भूमि है, उस पर कब्जा है ? मंत्री महोदया, जो रीको ने नाला बनाया है, जैसा मैंने अभी आपसे बताया है कि यह जमीन औद्योगिक भूमि के बीच में है, तो उन्होंने नाला तोड़ा तथा नाला तोड़ने की एफ.आई.आर. कराई है रीको के अधिकारियों ने। मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। अगर विभाग आपको नहीं बता रहा हो तो अलग बात है। फोरेस्ट के पेड़ काटकर आपकी जमीन पर अतिक्रमण किया तथा फोरेस्ट ने भी एफ.आई.आर. टपूकड़ा थाने में दर्ज कराई है। यह आप जानकारी कर लें। मैं उम्मीद करता हूं, एक तो आपके विभाग ने यह नहीं बताया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कितनी जमीन पर ट्रेसपास हुआ है और कब से हुआ है ? कौन-कौन तहसीलदार इस बीच रहे और टपूकड़ा के नायब तहसीलदार जिसकी सीधी जिम्मेदारी बनती है, उसको सस्पैण्ड क्यों नहीं कर रहे हैं ?

(12.00 बजे)

यह किसकी जिम्मेदारी है ? मेरी व्यक्तिगत

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जानकारी है, चूंकि मेरा क्षेत्र है, मंत्री महोदया, यह सात साल से ट्रेसपास हो रहा है। यही नहीं है, प्रद्युम्न सिंहजी बैठे हैं, इस मिस्टी मिडोज वाले तैय्यब हुसैनजी जो आपके कृषि मंत्री हैं इनके गांव के लोग हैं और इन्होंने पांच बीघा जमीन जो साथल का भिवाड़ी का हार्ट है, जो आपका मिड-वे है, रैस्ट हाउस है, उसके पास जो जमीन सरकारी पड़ी है उस पर भी कब्जा करके दुकानें बना लीं ? यह भू-माफिया है, जहां-जहां भी राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र है, मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी शह से हुआ है लेकिन मैं यह जान रहा हूं कि कृषि मंत्रीजी आपकी जानकारी में यह बात है। कृषि मंत्रीजी इस सरकार के पार्ट हैं और यह जानते हैं कि यहां अतिक्रमण हुआ है डेढ़ सौ बीघा जमीन पर और सारी जमीन है औद्योगिक क्षेत्र के बीच में। तो यह किन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि ट्रेसपास नहीं होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : आप शार्ट कीजिये, प्रश्नकाल समाप्त।

श्री जगमाल सिंह यादव : और इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे, मेरे को यह बताएं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण 1997 से हुआ है और लगभग 18 बीघा 16 बिस्वा जमीन के ऊपर अतिक्रमण है। जैसा आपने बताया, इसमें दीवार भी खींची हुई है, तारबंदी भी हुई है। 1997 के बाद में इस बाबत में कार्यवाही तहसीलदार के स्तर पर, अतिरिक्त कलेक्टर के स्तर पर, फिर उसके बाद में आर.ए.ए. के स्तर पर, फिर रेवेन्यू बोर्ड के स्तर पर अपीलों में गई और अभी 99 में यह केस वापस रिमाण्ड होकर रेवेन्यू बोर्ड से आया है। लेकिन स्थिति यह जरूर है कि जिस तरह से इसके डवलपमेंट्स हैं, उसमें रेवेन्यू अधिकारियों को बहुत समय पहले इस अतिक्रमण को खतम कर देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने नहीं किया इसलिए तहसीलदार को तो हमने चार्ज शीट देकर कार्यवाही करने के लिए लिख ही दिया है। लेकिन आपने जैसा बताया कि नायब तहसीलदार खुद भी इसमें जिम्मेदार है, उसके खिलाफ भी हम इसकी कार्यवाही करेंगे। साथ ही यह अतिक्रमण जल्दी से हटा दिया जाए इसके भी हमने निर्देश दे दिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, प्रश्नकाल के बाद ही। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी प्रश्नकाल समाप्त।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, प्रश्नकाल समाप्त हो गया, सर, प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पंचायत समिति तिजारा (अलवर) में स्टोन क्रेशरों से प्राप्त बिक्री कर

71. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति, तिजारा (अलवर) में कुल कितने स्टोन क्रेशर कार्यरत हैं एवं कितना-कितना बिक्री कर गत चार वर्षों में किस-किस स्टोन क्रेशर ने भुगतान किया है ?

(2) उक्त स्टोन क्रेशरों में से किन-किनके पास अपनी स्वयं की खानें हैं ? उनके कच्चे माल के रवन्ने जो माल खरीद किया है, की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन स्टोन क्रेशरों के पास स्वयं की खानें नहीं हैं उनके द्वारा पत्थर कहां से आता है ? उक्त के रवन्ने की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्टोन क्रेशरों के द्वारा रिकार्ड के अनुसार गत चार वर्षों से कितना पत्थर खरीद किया तथा कितने तैयार माल की बिक्री की है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, तिजारा के क्षेत्र में 11 क्रेशर्स हैं। सभी क्रेशर्स की बिक्री कर की सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) पंचायत समिति क्षेत्र तिजारा में किसी भी क्रेशर के पास स्वयं की खान नहीं है।

(3) क्रेशरों के पास स्वयं की खान नहीं होने से उनके द्वारा पत्थर राज्य की अन्य खानों व हरियाणा से आयात किया जाता है। खनिज की खरीद के रवन्ने क्रेशर मालिकों के पास ही रहते हैं एवं खनिज विभाग द्वारा रिकार्ड देखकर अधिशुल्क निर्धारण कर लौटा दिये जाते हैं।

(4) क्रय किये गये पत्थर (कच्चा माल) व तैयार माल की बिक्री के विवरण के संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग में उपलब्ध सूचना परिशिष्ट "ख" में संलग्न है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 4 देखें।)

राज्य में राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

72. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार को किस-किस मद में किस-किस जिले से गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राजस्व प्राप्तियां हुई हैं ?

(2) किस-किस जिले में गत पांच वर्षों में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार की गत पांच वर्षों की मदवार राजस्व प्राप्तियों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। जिलेवार सूचना वित्त विभाग में संकलित नहीं की जाती है।

(2) राज्य सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में मदवार किये गये राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का विवरण पत्र परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है। जिलेवार सूचना वित्त विभाग में संकलित नहीं की जाती है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 5 देखें।)

नाबार्ड बैंक द्वारा प्राप्त ऋणों पर ब्याज

73. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नाबार्ड बैंक द्वारा राज्य को विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण दिया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1998-99 से 2000-2001 में किस-किस कार्य/योजना हेतु कितनी-कितनी राशि दी गई ?

(2) उक्त राशि पर कितना-कितना ब्याज था तथा उसके लिए क्या-क्या शर्तें रखी गई थीं ?

उत्तर

(1) जी हां। नाबार्ड से विभिन्न योजनाओं के लिए ऋण लिया जाता है। नाबार्ड से वर्ष 1998-99 से 2000-2001 में प्राप्त ऋण योजनावार विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) नाबार्ड से राज्य सरकार को प्राप्त ऋण पर ब्याज एवं अन्य शर्तों का विवरण परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 6 देखें।)

पेंशनर चिकित्सा नियमों में संशोधन की क्रियान्विति

74. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के पेंशनरों की चिकित्सा रियायत योजना में पैरा 17 कब और किस उद्देश्य से जोड़ा गया तथा उसे कब से प्रभावशील किया गया ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या न्यासी मण्डल ने उक्त पैरा 17 जोड़ने के लिए कोई निर्णय लिया था ? यदि हां, तो कब, निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त पैरा 17 के अन्तर्गत अब तक कितने पेंशनरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के मामले ध्यान में आये और कहां-कहां कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राज्यादेश क्रमांक प.1(6) वित्त/ग्रुप-2/78 दिनांक 22.6.82 द्वारा राजस्थान राज्य पेंशनर चिकित्सा रियायती योजना में पेंशनरों द्वारा योजना के प्रावधानों का दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से पैरा 17 जोड़ा गया। इस प्रावधान के तहत इस योजना का किसी पेंशनर द्वारा दुरुपयोग किया जाना पाये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। योजना के प्रारम्भ से अब तक सुविधाओं के दुरुपयोग से सम्बन्धित कोई शिकायत न्यासी मण्डल के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अत: किसी पेंशनर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट 7 देखें।)

पेंशन प्रकरणों हेतु गठित समिति की बैठकें

75. श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. किरोड़ी लाल)

श्रेणी के कौन-कौनसे आवास कब से रिक्त हैं तथा वर्तमान में कितने आवास नवनिर्मित होकर आबंटन की स्थिति में हैं ?

(4) क्या सरकार क्रम संख्या 2 में उल्लिखित राज्य कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर आवास आबंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि शासन सचिवालय जयपुर के कर्मचारियों हेतु राजकीय आवास आबंटन में पृथक से कोटा निर्धारित है। परन्तु जयपुर में स्थित कर्मचारियों हेतु राजकीय आवास की चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के लिए विभिन्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों व सचिवालय स्थित कर्मचारियों को क्रमश: 3:1 तथा 1:1 के अनुपात में आवासों का आबंटन किया जाता है। यह प्रशासनिक निर्णय के आधार पर किया जा रहा है।

(2) सम्पूर्ण प्रकरण पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में जयपुर शहर में स्थित रिक्त राजकीय आवासों की सूचना परिशिष्ट "क" पर संलग्न है तथा वर्तमान में एक भी राजकीय आवास नवीन निर्मित होकर आबंटन की स्थिति में नहीं है।

(4) उक्त प्रकरण विचाराधीन है।

(सूचना के लिए परिशिष्ट 9 देखें।)

प्रश्न संख्या 78

(स्थगित)

राजकीय आवास आबंटन के लम्बित प्रकरण

79. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996 से सितम्बर, 2000 तक विधान सभा सचिवालय, लोकायुक्त सचिवालय, एवं राज्यपाल सचिवालय के कितने कर्मियों के कब से किस-किस श्रेणी के लिए राजकीय आवास आबंटन के प्रकरण विचाराधीन हैं ? उक्त प्रकरण लंबित रहने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि शासन सचिवालय के कर्मियों को तुरन्त आओ तुरन्त पाओ की नीति के अन्तर्गत आवास आबंटित किये जाते हैं ? वर्ष व श्रेणीवार लम्बित प्रकरणों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में गांधीनगर में कितने राजकीय आवास रिक्त हैं और कितने किस-किस श्रेणी के निर्माणाधीन हैं तथा उक्त आवास कब तक पूर्ण हो जाएंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भाग एक में उल्लिखित कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर भाग दो में उल्लिखित आवासों में आवास आबंटन का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष, 1996 से सितम्बर, 2000 तक विधान सभा सचिवालय/लोकायुक्त

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय के निम्नांकित कर्मचारियों के श्रेणीवार आवास आबंटन के प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं :-

श्रेणी	विधानसभा सचिवालय	लोकायुक्त सचिवालय	राज्यपाल सचिवालय
प्रथम	-	1	-
द्वितीय	1	-	-
तृतीय	-	-	-
चतुर्थ	-	-	-
पंचम	10	2	-
एच टाइप	15	2	-

उक्त वर्णित सभी प्रार्थना पत्र वरीयता में नहीं आने से इन्हें राजकीय आवास आबंटन नहीं हो सकता है।

जी नहीं, यह सही नहीं है कि शासन सचिवालय के कर्मियों को तुरन्त आओ तुरन्त पाओ की नीति के आधार पर आबंटन किये जाते हैं।

(2) वर्तमान में गांधीनगर, जयपुर में रिक्त आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

प्रथम श्रेणी	1 (मरम्मताधीन)
द्वितीय श्रेणी	2 (मरम्मताधीन)
बजाजनगर अपार्टमेंट	13 (समस्त मरम्मताधीन)
तृतीय श्रेणी	12 (5 मरम्मताधीन)
चतुर्थ/एफ	40 (19 मरम्मताधीन)
पंचम/जी	-
एच	-
कुल	68.

गांधीनगर, जयपुर में तृतीय श्रेणी के 84, चतुर्थ श्रेणी के 88 एवं पंचम श्रेणी 92 आवास निर्माणाधीन हैं एवं ये सभी आवास अगले वित्तीय वर्ष 2001-2002 में पूर्ण हो जाएंगे।

(3) जी नहीं।

राज्य कर्मचारियों की सुविधाओं पर रोक

80. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत वर्ष सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल के पश्चात् सरकार द्वारा हड़ताली कर्मचारियों की किन-किन मांगों पर सहमति दी गई थी ?

(2) क्या सहमति अनुसार कर्मचारियों की मांगें पूरी कर दी गई हैं ?

(3) क्या सरकार द्वारा वर्षों से कर्मचारियों को दी जा रही बोनस, खाद्यान्न अग्रिम, समर्पित अवकाश के बदले नकद भुगतान आदि सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वर्षों में उक्त सुविधाएं पुन: चालू करने के बारे में कोई विचार रखती है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष सरकारी कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी में विश्वास व्यक्त करते हुए हड़ताल समाप्त की गई थी, हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर सहमति नहीं हुई थी।

(2) हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

कोई सहमति नहीं हुई थी।

(3) ज़ी हां। राज्य की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ऐसे बिन्दू पर तत्समय ही आवश्यक होने पर विचार हो सकेगा।

प्रश्न संख्या 81
(स्थगित)

राज्य की आबकारी नीति में परिर्वतन से प्राप्त राजस्व

82. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आबाकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में दिसम्बर, 1998 के बाद आबकारी नीति में कोई परिवर्तन किया गया ? यदि हां, तो क्या तथा परिवर्तन से आय में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 में कितनी वृद्धि/हानि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1999-2000 में हुई हानि की पूर्ति हेतु वर्ष 2000-2001 में विशेष प्रयास किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य में जिन जिला/तहसीलों में आबकारी ठेके नहीं उठ सके हैं वहां शराब बिक्री का कार्य किसके द्वारा व किस पद्धति से कराया गया ? क्या इससे उन जिलों/तहसीलों से प्राप्त राजस्व में गत वर्षों की तुलना में वृद्धि हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2001 के लिए राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 99 में निर्धारित आबकारी नीति मुख्य रूप से पूर्व में अपनाई गई नीति के अनरूप ही है। इस नीति में इससे पूर्व की नीति से हटकर मुख्य रूप से यह परिवर्तन किया गया कि दिनांक 1.4.99 से रेस्टोरेंट बीयर बार के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत नहीं किये जावें।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 97-98 के लिए 216 मदिरा समूहों एवं 352 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर शहरी क्षेत्रों का गठन किया गया था परन्तु बंदोबस्त में आई कठिनाइयों के कारण अधिकांश जिलों का बंदोबस्त व्यावहारिक तौर पर राजस्व जिलेवार सम्पादित हुआ था। विगत वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अवधि 1999-2001 के लिए प्रारम्भ में 67 मदिरा समूहों का गठन किया गया। तत्पश्चात् बंदोबस्त में आई कठिनाइयों के कारण अन्तत: इन दुकानों का पुनर्गठित 120 मदिरा समूहों में बंदोबस्त हुआ।

वर्ष 1999-2001 के बंदोबस्त के लिए मदिरा दुकान/समूहों के लिए आरक्षित राशि का निर्धारण पूर्व के कई वर्षों से चली आ रही नीति के अनुरूप ही किया गया, परन्तु इस आरक्षित राशि पर कई समूहों का बंदोबस्त दिनांक 1.4.99 तक नहीं हो पाया। वर्ष 1999-2000 के दौरान कई समूह कुछ अवधि के लिए पड़त रहे। इसके फलस्वरूप वर्ष 98-99 की आय रुपये 990 करोड़ के विरुद्ध 99-2000 की आय रुपये 960.81 करोड़ रही।

(आबकारी मंत्री)

(2) वर्तमान आबकारी नीति दो वर्ष की है जिसकी अवधि दिनांक 31.3.2001 को समाप्त होगी। ठेकों के संचालन की अवधि के दौरान ठेकों के अनुबंध की शर्तों में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

(3) वर्तमान में सभी मदिरा समूहों का बंदोबस्त पूर्ण हो चुका है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में किसी अन्य पद्धति से मदिरा की बिक्री नहीं कराई जा रही है। वर्ष 1999-2000 के दौरान जिन जिलों/तहसीलों में ठेके नहीं उठे, उन क्षेत्रों में देशी मदिरा की बिक्री फ्रैंचाइज आधार पर तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की बिक्री राज्य सरकार के उपक्रम राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. के माध्यम से कराई गई।

ग्राम भण्डाणा (दौसा) में स्वीकृत शराब की दुकान

83. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि शिक्षण संस्थानों/धार्मिक स्थल/अनुसूचित जाति व जनजाति की बस्तियों के आसपास भारत निर्मित देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें निर्धारित दूरी क्षेत्र में नहीं खोली जा सकतीं ? यदि हां, तो इस हेतु क्या मानदण्ड हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 11 पर ग्राम भण्डाणा (दौसा) में अनुसूचित जाति/धार्मिक स्थल के पास भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकान चल रही है ? यदि हां, तो क्यों और इस संचालित दुकान की उक्त स्थानों से कितनी दूरी है ?

(3) क्या सरकार उक्त दुकान की नियम विरुद्ध स्वीकृति में किसी कर्मी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो किसे व उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) अब उक्त दुकान कब तक अन्यत्र स्थानान्तरित कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) इस संबंध में प्रावधान राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 75(2) के रूप में है जो निम्न प्रकार है :-

"75(2) देशी मदिरा, विदेशी या भारत निर्मित विदेशी मदिरा के खुदरा विक्रय की दुकान, महाविद्यालय, शिक्षण संस्थान, सीनियर माध्यमिक विद्यालय, सभी स्तर के कन्या शिक्षण संस्थानों, अस्पताल, पूजा स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कारखाना या श्रमिक अथवा हरिजन कालोनी से 200 मीटर की दूरी के अन्दर अवस्थित नहीं होगी"।

(2) ग्राम भण्डाना में राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 11 पर विकसित बाजार में स्वीकृत देशी मदिरा दुकान (जिस पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा व बीयर बेचने की अनुमति है) से सार्वजनिक हनुमान मंदिर लगभग 250 मीटर की दूरी पर है। इस दुकान से 150 मीटर की दूरी पर श्री लालाराम पुत्र कान्हाराम रैगर द्वारा बनवाया गया पित्तरों का निजी चबूतरा तथा 170 मीटर की दूरी पर श्री घासीराम व गंगासहाय शर्मा

(आबकारी मंत्री)

द्वारा निर्मित शिवजी का चबूतरा है जो कि मुख्य रूप से निजी कार्यों हेतु है। इसके अतिरिक्त इस दुकान से 100 मीटर दूरी पर खण्डहर हो चुका भैरूंजी का चबूतरा है जहां कोई पूजा अर्चना नहीं होती। इस प्रकार इन्हें सार्वजनिक धार्मिक स्थल की श्रेणी में नहीं माना जा सकता है। अतः यह मदिरा दुकान नियम 75(2) के प्रावधान के प्रतिकूल नहीं है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न के भाग-2 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में दुकान का स्थानान्तरण अपेक्षित नहीं है।

मिस्त्रीखाना, जयपुर में मीटर रिपेयरों की नियुक्ति

84. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1984 में मिस्त्रीखाना, जयपुर में मीटर रिपेयर टेस्टर (फिटर) के पदों पर नियुक्तियां की गई थीं ? यदि हां, तो नियुक्त व्यक्तियों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही हैं कि उक्त नियुक्तियां आई.टी.आई. पास अभ्यर्थियों को ही दी गई हैं ? यदि हां, तो नियुक्त किये गये कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता एवं आई.टी.आई. के प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1984 में फिटर से मीटर रिपेयर एवं टेस्टर के पद पर नियुक्ति की गई थी। नियुक्त किये गये व्यक्तियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। नियुक्तियां आई.टी.आई. पास अभ्यर्थियों को दी गईं। जिन कर्मचारियों की नियुक्तियां दी गईं उनके वांछित प्रमाण-पत्र परिशिष्ट "ब" पर हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गईं।)

ग्राम कानरपुरा (जयपुर) में निर्मित जी.एल.आर. से आपूर्ति में अनियमितता

85. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में एक भूमिगत जलाशय (जी.एल.आर.) का निर्माण किया जाकर उसे पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जलाशय से ग्राम में ग्रामीणों में राशि की वसूली की जाकर पाइप लाइन डाली गई है ? यदि हां, तो किस-किस उपभोक्ता से कितनी-कितनी राशि वसूली गई ?

(3) उक्त राशि की वसूली किस-किस व्यक्ति से किस-किस अधिकार के तहत की

(श्री ललित भाटी)

गई है ? उक्त वसूली हेतु किस व्यक्ति को किसने अधिकृत किया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त डाली गई पाइप लाइन में 20 पाइप धिनोई ग्राम की पाइप लाइन में से बचे हुए का भी उपयोग किया गया है ?

(5) उक्त पाइप लाइन में कुल कितने पाइपों का उपयोग किया गया और उसमें से 20 पाइप जो नि:शुल्क मिले उनको बाद देकर लाइन पर कुल कितना व्यय हुआ और ग्रामीणों से कितनी राशि वसूली गई तथा शेष बची हुई राशि वर्तमान में किसके पास है ?

(6) क्या उक्त वसूली गई राशि का हिसाब ग्राम पंचायत में पेश कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई और हिसाब पंचायत के सुपुर्द नहीं किया तो क्यों ? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या उक्त पाइप लाइन डालने हेतु मजदूरी का जो ठेका दिया गया उसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं ? यदि हां, तो किस-किससे कितनी-कितनी दरें प्राप्त हुई और नहीं, तो क्या बिना निविदा आमंत्रित किये उक्त कार्य कराया जाना नियम विरुद्ध नहीं है ?

(8) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच किसी उच्चाधिकारी से कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(9) क्या यह सही है कि कई व्यक्तियों से राशि तो प्राप्त कर ली गई किन्तु उन्हें आज तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों और उन्हें अब कब तक कनेक्शन दे दिये जाएंगे ?

(10) क्या यह भी सही है कि उक्त वसूली करने वाले व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के हैं और ग्रामीणों को डरा धमका कर नियम विरुद्ध तरीके से अब भी कभी मोटर जलने के नाम पर व कभी मजदूर को (पम्प ड्राइवर) मजदूरी देने के नाम से जबरन वसूली कर रहे हैं ? क्या उक्त कार्य के लिए ग्राम पंचायत ने इनको अधिकृत कर रखा है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

(11) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण की जांच कराकर ग्रामीणों को लूट से छूट दिलाये जाने हेतु जलाशय से सम्बन्धित समस्त कार्य को पंचायत द्वारा कराये जाने हेतु सरपंच ग्राम पंचायत को पाबन्द कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 10.2.99 को जी.एल.आर. ग्राम पंचायत धिनोई को सुपुर्द कर दिया गया।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा ग्रामीणों से कोई राशि प्राप्त नहीं की गई।

(3) विभाग द्वारा कोई राशि नहीं ली गई है।

(4) जी नहीं।

(5) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 एवं 3 के अनुसार।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(6) उपरोक्त बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

(7) उपरोक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

(8) जी नहीं।

(9) विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं की गई है, न ही जल सम्बन्ध विभाग द्वारा दिये गये हैं।

(10) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार।

(11) बिन्दु संख्या 9 के अनुसार।

राज्य की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

86. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा ऐसी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जिससे नदियों व नहरों से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा ? यदि हां, तो कौन-कौनसी योजनाएं कहां-कहां पर कब-कब से और उन पर कितनी-कितनी राशि-व्यय हो चुकी तथा कितनी-कितनी और व्यय होनी है और कब पूर्ण होगी जिससे कौन-कौनसे क्षेत्र के व्यक्तियों को पीने का पानी उपलब्ध होगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकार की और कौन-कौनसी योजनाएं विभाग के पास विचाराधीन हैं, जिन पर कितनी-कितनी लागत आयेगी और वह कब तक शुरू होंगी तथा कब तक पूरी होंगी जिससे कौन-कौनसे क्षेत्रों के व्यक्तियों को पीने का पानी मिलेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विवरण प्रपत्र 'क' पर संलग्न है। यह विवरण प्रान्त में चल रही वृहद परियोजनाओं बाबत है।

(2) विभाग प्राथमिक रूप से निम्न योजनाओं बाबत विचार कर रहा है-

अ- इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जल से बाड़मेर व जैसलमेर जिले के गांव/शहरों की जल योजना का संवर्द्धन।

ब- पुनर्गठन योजना चित्तौड़गढ़ (घोसूण्डा बांध से)

स- नर्मदा प्रोजेक्ट सरदार सरोवर बांध से (जालौर एवं बाड़मेर जिला)

द- माउन्ट आबू (साल गांव बांध से)

उपरोक्त सोच प्राथमिक स्तर पर तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर की जा रही है। इसके परिणाम आने के पश्चात् तद्नुसार योजना बनाने आदि पर विचार सम्भव हो पावेगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 10 देखें।)

कस्बा मण्डावा (झुंझुनूं) में स्वीकृत उच्च जलाशय का निर्माण

87. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला झुंझुनूं के

(श्री संजीव कुमार)

कस्बा मण्डावा में पेयजल हेतु नई टंकी की स्वीकृति हुई है ? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि की ? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त टंकी का निर्माण कार्य कब शुरू होकर कब तक पूर्ण होना था और वर्तमान में उक्त कार्य की क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अभी तक भी उक्त टंकी का निर्माण कार्य चालू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों एवं अब कब तक उक्त कार्य शुरू करा दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) जी हां। लागत रुपये 15.30 लाख हेतु इसकी राज्य स्तर पर स्वीकृति दिनांक 24.3.2000 को हुई एवं भारत सरकार से तकनीकी अनुमोदन दिनांक 18.10.2000 को हुआ है। स्वीकृति प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कार्य करवाने हेतु स्वीकृति प्रक्रिया 10/2000 में पूर्ण हो चुकी है। योजना पर कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। योजना का कार्य धन व संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार 3 वर्ष में करवाया जाना प्रस्तावित है।

(3) उपरोक्तानुसार।

(प्रति के लिए परिशिष्ट 11 देखें।)

जिला नागौर में खारे पानी को मीठा करने के स्थापित संयंत्रों पर व्यय

88. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में खारे पानी को मीठा करने के कितने संयंत्र सरकार द्वारा लगाये हुए हैं और इनकी क्षमता कितनी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) तहसील डेगाना में उक्त कितने संयंत्र लगे हुए हैं और उनमें से कितने कार्यरत हैं तथा कितने बंद हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संयंत्रों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में खारे पानी को मीठा करने के कुल 20 संयंत्र लगे हुए हैं। सूची संलग्न प्रपत्र "क" के अनुसार है।

(2) तहसील डेगाना में उक्त प्रकार के तीन संयंत्र लगे हुए हैं। दो संयंत्र चालू हैं व एक संयंत्र बंद है। विवरण प्रपत्र "ख" के अनुसार है।

(3) उक्त सभी संयंत्र भारत सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये गये थे। इन संयंत्रों की स्थापना पर भारत सरकार द्वारा ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. मद में अनुमानित राशि 92.47 लाख व्यय की गई। तहसीलवार सूची संलग्न प्रपत्र "ग" के अनुसार है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 12 देखें।)

जिला झुंझुनूं के स्वीकृत हैण्डपम्प

89. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या आगामी महीनों में एवं खास तौर से गर्मी के मौसम में पीने के पानी की आने वाली विकट समस्या को ध्यान में रखते हुए झुंझुनूं जिले के लिए कोई योजना/कंटिंजेन्सी प्लान तैयार की गई है ? यदि हां, तो क्या ?

(2) उक्त जिले में स्वीकृत हैण्डपम्पों को लगाने हेतु क्या व्यवस्था की जा रही है व कुल कितने हैण्डपम्प विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत होते हुए भी अब तक लगाये नहीं गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त हैण्डपम्पों को लगाने में क्या कठिनाई आ रही है तथा उन कठिनाइयों को दूर करने की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। झुंझुनूं जिले में आगामी गर्मी के मौसम में पीने के पानी के लिए एक कंटिंजेन्सी प्लान प्रस्तावित है। जिसमें 42 नलकूप, 37 हैण्डपम्प, 140 कुओं को गहरा करने, 52.35 कि.मी. पाइप लाइन, 10 गांवों में पेयजल परिवहन, 4 कुएं किराये पर लेना इत्यादि के कार्य शामिल हैं।

(2) जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 951 हैण्डपम्प लगाने शेष हैं। इन्हें लगाने के लिए 748 हैण्डपम्पों का कार्यादेश प्राइवेट ठेकेदारों को एवं 90 हैण्डपम्पों का कार्यादेश विभागीय रिगों को दिया गया है। शेष 113 हैण्डपम्पों का कार्यादेश दिया जाना विभागीय प्रक्रिया में है। उपरोक्त 951 हैण्डपम्पों की सूची विवरण सहित परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में इन हैण्डपम्पों को लगाने में कोई कठिनाई नहीं है। परन्तु कभी-कभी सामान एवं बजट का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होना, स्थल विवाद, इत्यादि कारणों से कुछ समय के लिए कठिनाई आ जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला बाड़मेर के ग्रामों हेतु इन्दिरा गांधी नहर से पेयजलापूर्ति

90. श्री अमीन खान (शिव) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला बाड़मेर की सब तहसील गडरा रोड व तहसील रामसर के गांवों में स्थाई पेयजल हेतु इन्दिरा गांधी नहर को गडरा रोड तक बढ़ाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों के लिए ?

(2) क्या नहर की अग्रिम योजनाएं तैयार रखना जनहित में है ? यदि हां, तो उक्त कार्य को कब शुरू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) निर्माणाधीन गडरा रोड उपशाखा को बाड़मेर जिले के नौरियाला, सम का पार, धागड़ी, धनाबा, बाला की बस्ती, सरगुवाला, हिण्डार का पार, मधरानी का पार, गजरी का

(इन्दिरा गांधी नहंर परियोजना मंत्री)

पार, समद का पार, रसलानी, समिरान, पाबूसर, खदार की खारी, सहदाद का पार, बहदरानी का पार, रामसिंह की ढाणी, पणेजा एवं लिलमा के समीप से निकाला जाना प्रस्तावित है। गंडरा रोड गांव गडरा रोड वितरिका के अंतिम छोर से लगभग 20 कि.मी. बायीं और स्थित है। पेजयल की योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बनाई जाती है।

(2) जी हां। नहर निर्माण की एडवांस योजना तैयार कर रखना सदैव ही जनहित में होता है। गडरा रोड उपशाखा का निर्माण काफी पूर्व प्रारम्भ किया जा चुका है।

जिला बाड़मेर में जल योजनाओं के संचालन हेतु नियुक्त श्रमिकों का नियमितीकरण

91. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में जनता जल योजना के अन्तर्गत 500 रुपये प्रति माह की दर से ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा जल योजनाओं के संचालन कार्य हेतु श्रमिकों को नियोजित किया जाता है ? यदि हां, तो वर्ष 1995 से सितम्बर, 2000 तक रखे गये श्रमिकों की जल योजना मुख्यालय, सरपंच का नाम, पंचायत का मुख्यालय व रखे गये श्रमिक का कार्यस्थल एवं उनसे लिये गये कार्य का विवरण खण्डवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रखे गये श्रमिकों का वेतन मद क्या है ? क्या उक्त नियुक्तियों के पूर्व वित्त विभाग से इसकी अनुमति ली गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में श्रमिकों की न्यूनतम आवश्यकता 5500 से ज्यादा पदों की है एवं वर्तमान में लगभग 1000 श्रमिक ही कार्यरत हैं ?

(4) क्या सरकार वर्षों से कार्य कर रहे इन श्रमिकों को नियमित करने एवं इनके वेतन में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिले में जनता जल योजना के अन्तर्गत कोई योजना स्वीकृत नहीं है। तथापि जिले में 415 पम्प एवं टैंक तथा पाइप्ड जल योजनाओं के रखरखाव हेतु विभाग द्वारा 500 रुपये प्रति माह इन जल योजनाओं पर अंशकालीन श्रमिक कार्य के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पर संबंधित ग्राम पंचायत को पुनर्भरण किये जा रहे हैं।

(2) उक्त रखे गये श्रमिकों को बजट मद 2215 जलापूर्ति एवं सफाई के अन्तर्गत किया जा रहा है। यह श्रमिक कार्य के सन्दर्भ में पंचायत को प्रोत्साहन राशि है। नियुक्ति विभाग द्वारा कोई भी नहीं की गई है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा संचालित पेयजल योजनाओं पर 1798 श्रमिक कार्यरत हैं।

(4) जी नहीं। उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अनुसार विभाग ग्राम पंचायत द्वारा किये जा

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

रहे अंशकालीन श्रमिक के लिए मात्र एक निश्चित राशि का पुनर्भरण प्रोत्साहन राशि के रूप में कर रहा है। विभाग द्वारा किसी भी श्रमिक की नियुक्ति नहीं की गई है।

सहायक अभियन्ता महुआ (दौसा) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

92. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में सहायक अभियंता महुआ (जिला दौसा) द्वारा राजकार्य में भारी अनियमितताएं तथा अवैध कार्य किये जाने की अनेकों शिकायतें जन प्रतिनिधियों द्वारा सरकार को की गई थीं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायत की प्रति सदन की मेज पर रखें। उक्त संबंध में सरकार द्वारा क्या कोई कार्यवाही की गई ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सहायक अभियंता के विरुद्ध अब कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। शिकायत की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस शिकायत की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सतर्कता सैल द्वारा जांच करवाई गई। जांच के पश्चात् संबंधित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र 9/2000 में तैयार कर लिया गया है जो कि सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रक्रिया में है। प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। उपरोक्तानुसार।

(प्रतियों के लिए परिशिष्ट 13 देखें।)

पंचायत समिति दूदू (जयपुर) के ग्रामों हेतु शुद्ध पेयजल

93. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति दूदू (जयपुर) की ग्राम पंचायत रसीली, धमाणा, गंगाती कलां के ग्रामों में पूर्व में पेयजल व्यवस्था हेतु कोई योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब और उस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या पूर्व में उक्त योजनाओं से पेयजल आपूर्ति की गई थी ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में और शेष ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या सरकार वर्तमान में उक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु कोई व्यवस्था/योजना बना रही है ? यदि हां, तो किस-किस ग्राम हेतु कौन-कौनसी योजनाओं के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जावेगी ? ग्रामों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त जल की समस्या है जिसके कारण वहां के लोग अनेक गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त समस्या कब से है और सरकार द्वारा उक्त समस्या के

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

समाधान हेतु अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये ?

(5) उक्त समस्या का अब तक समाधान नहीं होने के क्या कारण रहे हैं और इसके लिए दोषी कौन-कौन हैं ?

(6) क्या सरकार अब उक्त ग्रामीण क्षेत्र की जनता को शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, पंचायत समिति दूदू जयपुर की ग्राम पंचायत रसीली, धमाणा, तथा गंगाती कलां के गांवों में पेयजल व्यवस्था की गई है। जिनका ब्यौरा संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(2) जी हां, उपरोक्त तीनों ग्रामों पंचायतों के सभी 15 गांवों को विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया हुआ है जिनका विवरण उपरोक्तानुसार है। वर्तमान में तीनों पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले कोई भी गांव पेयजल योजना से अलाभान्वित नहीं हैं।

(3) जी हां। पंचायत समिति दूदू की ग्राम पंचायत रसीली, धमाणा, तथा गंगाती कलां के फ्लोराइडग्रस्त 8 गांवों के स्थाई समाधान हेतु बीसलपुर बांध से योजना प्रस्तावित है। गांवों की सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त ग्राम फरियादपुरा के संवर्धन प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण में हैं। वर्ष 2001 में ग्रीष्मकाल के लिए कंटिंजेन्सी प्रस्ताव बनाये गये हैं।

(4) जी हां। उक्त तीनों पंचायतों के कुल 15 ग्रामों में से 8 गांव फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या से ग्रस्त हैं। विभाग की जानकारी में फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से इस क्षेत्र में बीमारी फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। उक्त क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा किये गये प्रयासों के अन्तर्गत ही प्रश्न में वर्णित तीनों पंचायतों के 8 गांवों को बीसलपुर से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना में शामिल किया गया है।

(5) उक्त क्षेत्र में या इसके आसपास तकनीकी रूप से एवं विभागीय मानदण्डों के अनुसार पर्याप्त एवं वांछित जल स्रोत उपलब्ध न हाने के कारण स्रोत की वैकल्पिक व्यवस्था संभव नहीं हो पाई जिसके लिये काई दोषी नहीं है।

(6) जी हां। वैकल्पिक स्रोत के रूप में बीसलपुर बांध से प्रस्तावित योजना में उक्त पंचायतों के फ्लोराइड से ग्रस्त 8 गांवों को शामिल किया गया है।

(ब्यौरे के लिए परिशिष्ट 14 देखें।)

ग्राम मुण्ड गसोई (नागौर) हेतु प्रस्तावित पेयजल योजना

94. श्री अमराराम (धोद) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री अमराराम)

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर की तहसील नावां के ग्राम मुण्ड गसोई में स्वच्छ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या उक्त ग्राम, ग्राम पंचायत मुख्यालय है ?

(2) उक्त ग्राम को पेयजल उपलब्ध कराने की क्या योजना है और अब कब तक शुरू कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम मुन्डागसोई नावां में स्थानीय कुओं से जल वितरण किया जा रहा था। पानी की गुणवत्ता में कमी के कारण उक्त कुओं का पानी ग्रामवासी काम में नहीं ले रहे हैं। यह सही है कि उक्त ग्राम, ग्राम पंचायत मुख्यालय है।

(2) नये स्रोत के चयन के लिए भूजल वैज्ञानिक की राय ली जा रही है। तद्नुसार योजना प्रस्तावित की जानी है।

ग्राम पंचायत बगड़ी (पाली) की पेयजल योजना

95. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1994-95 व 1995-96 में जिला पाली की रायपुर तहसील के ग्राम पंचायत मुख्यालय बगड़ी को पेयजल स्कीम से जोड़ने में सम्मिलित किया गया था ? यदि हां, तो उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालय को किन कारणों से स्कीम से हटाया गया ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालय को पुन: पेयजल स्कीम में सम्मिलित कर योजना हेतु राशि स्वीकृत कर गांव की जनता को लाभान्वित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम की 1991 की जनगणनानुसार आबादी 1838 है जिनमें से मुख्य ग्राम की आबादी 683 है शेष जनसंख्या विभिन्न ढाणियों में रहती है। ग्राम हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित है एवं ग्राम में 18 हैण्डपम्प कार्यरत हैं जो विभागीय नार्म्स के अनुसार है।

(2) जी नहीं।

ब्यावर शहर में पदस्थापित कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

96. श्री के.सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ब्यावर शहर में सरकार द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की क्या कोई योजना संचालित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराने की प्रशासनिक व्यवस्था क्या प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त व्यवस्था में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी के क्या कर्तव्य और

(श्री के. सी. चौधरी)

अधिकार हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) ब्यावर शहर में अराजपत्रित कर्मचारियों की कितनी संख्या किस-किस मद में है ? क्या उक्त कर्मियों के विरुद्ध कर्तव्यहीनता की शिकायतें प्राप्त होने पर उनके स्थानान्तरण किये जा सकते हैं ? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ब्यावर शहर की 1991 की जनगणनानुसार जनसंख्या 105674 है एवं वर्तमान आबादी लगभग 1.30 लाख है। ब्यावर शहर में बीसलपुर बांध से 150 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन द्वारा विभिन्न चरणों में पम्पिंग करके औसतन 81 लाख लीटर प्रतिदिन दौलतपुरा पम्पिंग स्टेशन (ब्यावर शहर) पर जल उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त जालिया II बांध के पास स्थित कुओं व सैंदड़ा गांव एवं मकरेड़ा के कुओं से क्रमशः 2.70 लाख, 4.50 लाख एवं 9.00 लाख लीटर, कुल 97.20 लाख लीटर पेयजल प्रतिदिन ब्यावर शहर को वितरण वास्ते उपलब्ध होता है। वर्तमान में शहर को 61 जोनों में बांट रखा है एवं 48 घंटे में एक बार प्रत्येक जोन में जल वितरण किया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में ब्यावर शहर के अतिरिक्त जवाजा पंचायत समिति के 195 गांव सम्मिलित हैं, 195 ग्रामों में से 11 ग्राम पाइप्ड, पनघट एवं जनता जल योजना से लाभान्वित किये हुए हैं एवं शेष 184 ग्राम हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित हैं। इन जल योजनाओं के संधारण हेतु अधिशाषी अभियंता के सुपरवीजन में शहरी जलप्रदाय योजना के लिए दो सहायक अभियंता एवं चार कनिष्ठ अभियंता कार्यरत हैं। इनमें से एक सहायक अभियंता ब्यावर शहर की योजना के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं के संधारण का कार्य भी देखते हैं, इस कार्य हेतु एक कनिष्ठ अभियंता भी अलग से कार्यरत है। हैण्डपम्प योजनाओं से लाभान्वित गांवों के हैण्डपम्प की देखरेख एवं मरम्मत का कार्य पंचायत समिति द्वारा किया जाता है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं अधिकार प्रपत्र "क" में दर्शाये गये हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत शहरी जलप्रदाय योजना ब्यावर पर सभी 229 अराजपत्रित कर्मचारी "2215 अन्य शहरी जल योजनाएं" मद में कार्यरत हैं। सामान्यतया कर्मियों के विरुद्ध कर्तव्यहीनता की शिकायत प्राप्त होने पर उसके खिलाफ जांच कर दोषी पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डित किया जाता है एवं विशेष परिस्थितियों में स्थानान्तरण भी किये जा सकते हैं। 5 कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है, उनमें से 2 की जांच रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों को प्रेषित की गई है, शेष तीन की जांच प्रगति पर है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 15 देखें।)

ग्राम पुरानी छावनी (धौलपुर) की पेयजल योजना

97. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पुरानी छावनी (धौलपुर) के वासियों ने पेयजल योजना हेतु 25000 रुपये विभाग में जमा करवाये हैं ? यदि हां, तो अब तक उक्त योजना को चालू क्यों नहीं किया गया है ?

(2) अब उक्त योजना को सरकार कब तक शुरू कराने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में किन-किन गांवों को प्रस्तावित किया गया है और उन पर कब तक कार्य शुरू करवा दिया जाएगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पुरानी छावनी योजना में संवर्धन प्रस्ताव तकनीकी परीक्षण पश्चात् स्वीकृति की जा सकेगी।

(2) योजना की क्रियान्विति तकनीकी परीक्षण पश्चात् स्वीकृति व शेष धन उपलब्धतानुसार सम्भव हो सकेगी।

(3) उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में अन्य किसी ग्राम को प्रस्तावित नहीं किया गया है।

ग्राम मण्डा भिण्डा, नौपुरा एवं हस्तेड़ा (जयपुर) में कांकड़-कांकड़ रास्ते का निर्माण

98. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील चौमूं, जिला जयपुर के ग्राम मण्डा भिण्डा, नौपुरा व हस्तेड़ा तीनों गांवों की कांकड़ सीमा (तिगड़ा) के निश्चित स्थान बेमालूम होने के कारण तथा उक्त ग्रामों में कांकड़-कांकड़ रास्ता नहीं होने के कारण यहां के कई काश्तकारों को अपने खेतों में आने-जाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है ?

(2) क्या उक्त समस्या के समाधान के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर, जयपुर व तहसीलदार चौमूं को संबंधित किसानों ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कांकड़-कांकड़ सीमा व रास्ता निकालने के सम्बन्ध में निवेदन किया है ? यदि हां, तो किस-किस काश्तकार ने कब-कब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त समस्या के समाधान बाबत ग्राम पंचायत हस्तेड़ा ने दिनांक 9.8.1999 को प्रस्ताव संख्या 1 के तहत तथा ग्राम पंचायत मण्डा भिण्डा की ग्राम सभा दिनांक 15 अगस्त, 1999 में पारित प्रस्ताव संख्या 21 के तहत भी उक्त ग्रामों के कांकड़ व रास्ता निकालने हेतु निवेदन किया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के तहत कार्य कर रास्ता निकालने हेतु सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

(श्री ललित भाटी)

(4) क्या सरकार अब भी उक्त ग्रामों की समस्या के समाधान हेतु कांकड़-कांकड़ रास्ता निकलवा कर किसानों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील चौमूं के ग्राम मण्डा भिण्डा, नौपुरा एवं हस्तेड़ा तीनों ग्रामों की कांकड़ सीमा पर किसानों को आने-जाने में किसी समस्या के होने का मामला तहसील व जिला कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) उक्त समस्या के समाधान के संबंध में किसी काश्तकार द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) ग्राम पंचायत हस्तेड़ा व मण्डा भिण्डा द्वारा उक्त समस्या के संबंध में पारित कोई प्रस्ताव तहसील अथवा जिला कार्यालय को प्राप्त नहीं हुए हैं। अत: ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(4) इस समस्या के संबंध में अब कोई प्रार्थना पत्र अथवा प्रस्ताव प्राप्त होंगे, तो नियमानुसार कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर की शक्तियां

99. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पुनर्वास अधिकारी श्रीगंगानगर की शक्तियां अब किसके पास हैं और सनद जारी करने का अधिकार कौनसे अधिकारी के पास है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जनवरी, 2000 से अक्टूबर, 2000 तक कुल कितनी सनदें जारी की गई हैं ? नाम व चक नम्बर दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) सवर्ण जाति के लोगों ने हरिजन लोगों की जमीन जो पिछले 25-30 वर्षों से खरीद रखी हैं, क्या सरकार उनके नाम इन्तकाल इन्द्राज करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(4) हरिजन जाति का व्यक्ति क्या अपनी भूमि सवर्ण जाति के व्यक्ति को बेचान कर सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला पुनर्वास अधिकारी, श्रीगंगानगर को मैनेजिंग आफिसर व पुनर्वास आफिसर की शक्तियां पूर्व में दिनांक 31.05.94 तक प्रदत्त थीं। अब केन्द्र सरकार द्वारा उप जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर को श्रीगंगानगर जिले के लिए केवल मैनेजिंग आफिसर की शक्तियां दिनांक 18.06.99 से प्रत्यायोजित की हैं। सनद जारी करने के अधिकार मैनेजिंग आफिसर (एस.डी.ओ. श्रीगंगानगर) को हैं।

(2) जनवरी, 2000 से अक्टूबर, 2000 तक कुल 12 सनदें जारी की गई हैं। परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(3) जी नहीं। ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

(4) जी नहीं। ऐसा बेचान काश्तकारी अधिनियम की धारा-42 (बी) के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 16 देखें।)

प्रश्न संख्या 100

(स्थगित)

ग्राम दौलतपुरा (जमवारामगढ़) की चरागाह भूमि का सीमाज्ञान

101. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का धर्मपुरा, तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) का खसरा नं. 127 रकबा 438 बीघा 6 बिस्वा चरागाह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त चरागाह के चारों और कौन-कौनसी तहसीलों के ग्राम बसे हुए हैं और किस-किस ग्राम की कितनी-कितनी भूमि उक्त चरागाह क्षेत्र से मिली हुई है ? मय नक्शे की प्रति विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के निवासियों के सीमाज्ञान कराने के सम्बन्ध में बार-बार निवेदन करने के बावजूद भी अभी तक उक्त चरागाह का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है एवं सरकार द्वारा अब तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या सरकार उक्त चरागाह क्षेत्र का सीमाज्ञान करवा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम दौलतपुरा पटवार हल्का धर्मपुरा के ख.नं. 127 रकबा 438 बीघा 6 बिस्वा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में गै.मु. पहाड़ दर्ज है। चरागाह दर्ज नहीं है। उक्त गै.मु. पहाड़ के चारों ओर तहसील जमवारामगढ़ के ग्राम दौलतपुरा तथा तहसील बस्सी के ग्राम चैनपुरा की सीमाएं लगती हैं। ग्राम दौलतपुरा के ख.नं. 127 गै.मु. पहाड़ की सीमा के साथ इसी ग्राम के ख.नं. 111, 125, 129, 130, 308 तथा 309 कुल रकबा 174 बीघा 05 बिस्वा की सीमाएं लगती हुई हैं तथा तहसील बस्सी के ग्राम चैनपुरा की भी सीमा लगती है। नक्शे की प्रति संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि सीमाज्ञान संबंधी कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि भू-प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व विभाग की दोनों तहसीलों की संयुक्त टीम द्वारा कई बार उक्त भूमि के मौके पर जाकर सीमाज्ञान संबंधी कार्यवाही सम्पादित कराने का प्रयास किया गया, परन्तु दोनों ग्रामों के नक्शे में सीमाओं में अन्तर एवं मिलान नहीं होने एवं ग्राम दौलतपुरा के उक्त खसरे के तीन तरफ पहाड़ होने की स्थिति में सीमाज्ञान कार्यवाही अधूरी रही है। अब पुन: पैमाइश कार्य हेतु दिनांक 31.10.2000 निश्चित की गई है। पैमाइश कार्य विचाराधीन है। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(राजस्व मंत्री)

(3) उक्त गै.मु. पहाड़ की भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु पुनः दिनांक 31.10.2000 निश्चित है।

(नक्शे की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम माचवा (कालवाड़) एवं ग्राम सुमेल (आगरा रोड) की अवाप्त भूमि

102. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत ग्राम माचवा (कालवाड़), जिला जयपुर एवं ग्राम सुमेल आगरा रोड, जिला जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें। खातेदार का नाम, खसरा नम्बर व रकबा।

(2) क्या जिनकी भूमि इस अधिनियम के तहत अवाप्त की गई उनके नाम इन ग्रामों में खुदकाश्त की भूमि भी वर्तमान में दर्ज है ? यदि हां, तो सूची संदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिनकी भूमि इस अधिनियम के तहत अवाप्त की गई है उनको खुदकाश्त के लिए भी भूमि आबंटन किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो इनमें से कितनों को खुदकाश्त के लिए भूमि आबंटित की गई है ? सूची निम्न तालिका में सदन की मेज पर रखें। खातेदार का नाम, खसरा नम्बर, ग्राम का नाम।

(4) क्या यह भी सही है कि खुदकाश्त के लिए जितनी भूमि नियमानुसार आबंटित की जानी चाहिए थी उतनी आबंटित नहीं की गई है ? यदि हां, तो शेष भूमि कब तक आबंटित कर दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण सहित विवरण संदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत ग्राम माचवा (कालवाड़) जिला जयुपर एवं सुमेल आगरा रोड, जिला जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है। सूची परिशिष्ट "क" एवं "ख" संलग्न है।

(2) जिन जागीरदारों की भूमि इस अधिनियम के तहत अवाप्त की गई है उनमें से ग्राम सुमेल के जागीरदारों के वारिसों के नाम ही वर्तमान में खुदकाश्त की भूमि दर्ज है जिसकी सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है।

(3) जी हां। जिनकी भूमि इस अधिनियम के तहत अवाप्त की गई है उनको खुदकाश्त के लिए भूमि आबंटन किये जाने का प्रावधान है। इन ग्रामों के किसी भी जागीरदार को इस कार्यालय द्वारा कोई भूमि आबंटन नहीं की गई है।

(4) जी नहीं। इन ग्रामों के किसी भी जागीरदार को इस कार्यालय द्वारा कोई भी भूमि खुदकाश्त में आबंटित ही नहीं की गई है। इसलिए शेष भूमि दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम बड़वा, बस्सी (जयपुर) के मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जे

103. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मंदिर ठाकुरजी श्री सीतारामजी बिराजमान लक्ष्मण द्वार सिटी पैलेस, जयपुर के नाम से ग्राम बड़वा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में राजस्व भूमि दर्ज है ? यदि हां, तो खसरा नम्बर व रकबा सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस भूमि पर कुछ व्यक्तियों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं ? यदि हां, तो इनको हटवाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मंदिर श्री ठाकुरजी श्री सीतारामजी बिराजमान लक्ष्मण द्वार सिटी पैलेस, जयपुर अराजकीय मंदिर है। रजिस्टर भूमि एकीकरण ग्राम बड़वा तहसील बस्सी के खाता संख्या 192 में नाम भोक्ता के कालम में माफी मंदिर श्री सीतारामजी वाके जयपुर पुजारी भौंरीलाल वल्द भागीरथ कौम ब्राह्मण सा. जयपुर दर्ज है एवं कालम कृषक में खुदकाश्त माफीद्वार अंकित है। कब्जे का विवरण इस प्रकार है :-

ख.नं.	रकबा
116	12 बीघा 01 बिस्वा
117	- 05 बिस्वा
145	10 बीघा 03 बिस्वा
योग :	**22 बीघा 09 बिस्वा**

वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2056-59 में उक्त आराजीयात नरेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र भौंरीलाल जाति ब्राह्मण सा. जयपुर के नाम है।

(2) उक्त भूमि पर कालू पुत्र लादू मीणा, सीताराम पुत्र नारायण, रामकरण पुत्र धन्ना मीणा, हरचंदा पुत्र भागीरथ मीणा, सुवालाल, संतोष, गोपाल पुत्रान कल्याण मीणा, सीताराम पुत्र सोहन मीणा, रामपाल, छोटू, प्रभु पुत्रान जयनारायण मीणा, नि. बड़वा का कब्जा है। अराजकीय मंदिर होने के कारण कब्जा हटाने संबंधित सीधी कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित नहीं है। मंदिर के नाम खातेदारी दर्ज कराने की कार्यवाही विचाराधीन है।

ग्राम लवाण (दौसा) में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा

104. श्री निर्भय लाल (रुपवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम लवाण, तहसील दौसा, जिला दौसा में खसरा नं. 492, 529,(1/2) 512/1, 512/2, 530 क्रमशः रकबा 5 बिस्वा, 4 बिस्वा, 5 बिस्वा, 10 बीघा 4 बिस्वा, 16 बिस्वा, 3 बिस्वा, एवं 15 बिस्वा, जो वर्तमान में कान्या पुत्र सोल्या, ग्यारसा पुत्र पेमा, बद्री पुत्र छोट्या, रेवड़ पुत्र सोल्या, रामपाल पुत्र मंगल्या एवं गेंदा, चन्दा पुत्रान मंगल्या जाति कोली की खातेदारी भूमि है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नं. की भूमि पर आधी से भी अधिक पर सवर्ण

(श्री निर्भय लाल)

जाति के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है ?

(3) क्या उक्त खातेदारों ने उक्त खसरा नम्बरों की भूमि के लिए पत्थरगढ़ी के लिए आवेदन पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई, और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183(बी) के अन्तर्गत सवर्ण जाति के व्यक्तियों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि ग्राम लवाण स्थित आ.ख.नं. 492/0.37, 529/0.03, 530/0.10 व 512/0.19 वर्तमान में कान्या पुत्र सोल्या, ग्यारसा पुत्र पेमा, बद्री पुत्र छोट्या, रेवड़ पुत्र सोल्या, रामपाल पुत्र मंगल्या एवं गेंदा, चन्दा पुत्रान मंगला जाति कोली की खातेदारी की जमीन है, बल्कि सही यह है कि यह भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2055 से 2058 के अनुसार ग्राम लवाण स्थित कृषि भूमि ख.नं. 492 रकबा 0.37 हैक्टेयर, नन्दलाल, गोविन्दा,महादेव पि. पांच्या कौम मीणा सा. देह हि. बराबर खातेदार की खातेदारी में अंकित है एवं ख.नं. 512 रकबा 0.19 हैक्टेयर, ख.नं. 529 रकबा 0.03 हैक्टेयर एवं ख.नं. 530 रकबा 0.10 हैक्टेयर नाथूलाल पुत्र मांगीलाल हि. 1/2 कौम बलाई हि. 1/2 सा. हरियाणा, मंगला भूरा पि. नहनू कौम बलाई हि. 1/2 सा. बाराड़ा की खातेदारी में अंकित है।

(2) यह सही नहीं है कि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि पर आधे से भी अधिक पर सवर्ण जाति के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, बल्कि सही यह है कि अंकित खातेदार ही अपनी-अपनी भूमि पर काबिज हैं।

(3) उक्त खातेदारों द्वारा उक्त खसरा नम्बरान की भूमि की पत्थरगढी कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

(4) इस प्रकरण में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 183(बी) के तहत कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है, क्योंकि भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों का कब्जा नहीं है।

ए.सी.एम. कोर्ट द्वितीय बारां के कार्यालय का स्थानान्तरण

105. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिला मुख्यालय पर ए.सी.एम. कोर्ट प्रथम व द्वितीय कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि ए.सी.एम. कोर्ट द्वितीय के पूर्व में आदेश मांगरोल के नाम से किये गये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या यही सही है कि ए.सी.एम. कोर्ट द्वितीय के पास कार्य मांगरोल तहसील का ही है?

(4) क्या यह भी सही है कि जनहित को मद्देनजर रखते हुए सरकार ए.सी.एम. कोर्ट द्वितीय बारां का कार्यालय तहसील मुख्यालय मांगरोल में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

ग्राम राघवपुरा, तहसील चाकसू में अवाप्त भूमि

106. श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत ग्राम राघवपुरा (राघवपुरा) तहसील चाकसू, जिला जयपुर में भूमि अवाप्त की गई है ? यदि हां, तो कब ? सूची भूतपूर्व जागीरदार के नाम खसरा नम्बर व रकबा सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस अधिनियम के तहत जिनकी भूमि अवाप्त की है उनको खुदकाश्त के लिए भूमि दिये जाने का प्रावधन है ? यदि हां, तो जिनको खुदकाश्त के लिए भूमि आबंटित की गई है उनकी सूची नाम खसरा नम्बर जहां भूमि आबंटित की गई है सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जिनको खुदकाश्त के लिए भूमि आबंटित की गई है वह इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार जितनी भूमि आबंटित की जानी चाहिए उतनी नहीं आबंटित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों व शेष कब तक आबंटित कर दी जाएगी।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम राद्योपुरा (राघवपुरा), तहसील चाकसू, जिला जयपुर के जिन भूतपूर्व जागीरदारों को खुदकाश्त के लिए भूमि आबंटित की गई है उसका पूरा कब्जा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो शेष भूमि का कब्जा कब तक दे दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन दोषी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत ग्राम राधोपुरा तहसील चाकसू के किसी जागीरदार की कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है।

(2) इस अधिनियम के तहत जब कोई भूमि ही अवाप्त नहीं की गई है तो भूमि आबंटित किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) जब कोई भूमि ही आबंटित नहीं की गई तो शेष भूमि आबंटित किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी हां, ग्राम राजावास तहसील सिकराय के भूतपूर्व जागीरदार श्री किस्तूर चन्द पुत्र उदयलाल कौम महाजन साकिन राजावास को ग्राम राधोपुरा तहसील चाकसू की खालसा भूमि ख.नं. 248 में 139 बीघा 11 बिस्वा भूमि दिनांक 26.11.1956 को आबंटित की गई थी परन्तु सन् 1956 से 1960 तक कब्जा न लेने के कारण राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं हो सका। इसके पश्चत् एक आदेश दिनांक

(राजस्व मंत्री)

13.9.56 के तहत 16 व्यक्तियों को 67 बीघा भूमि दिनांक 14.12.57 को खातेदारी दे दी गई, शेष 97 बीघा 3 बिस्वा भूमि को आबंटी श्री किस्तूर चन्द भूतपूर्व जागीरदार को जरिये नामान्तरण संख्या 58 दिनांक 5.4.1961 को खातेदारी दी गई। इस क्षेत्र में आबंटन के लिए और भूमि उपलब्ध नहीं होने से आबंटन किया जाना संभव नहीं है। उक्त जागीरदार ने आबंटित खातेदारी की भूमि 97 बीघा 3 बिस्वा को भी विक्रय कर दी है। वर्तमान में उक्त जागीरदार के नाम से ग्राम राधोपुरा में कोई भूमि नहीं है।

जिला बाड़मेर की ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि का गलत इन्द्राज

107. श्री अमराराम (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत उमरलाई, कालवड़ी व जसोल द्वारा आबादी भूमि हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर बाड़मेर, राजस्व विभाग को भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम कालवड़ी, जसोल और उमरलाई में वक्त जागीर से लोग जिस भूमि में आबाद हैं जिसको गलती से गोचर व ओरण लिखने के कारण राजस्व विभाग के अधिकारी 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में मुकदमा चलाकर बेदखल करने के लिए कार्यवाही करते हैं जिससे गरीब काश्तकार व मजदूर परेशान हैं ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। ग्राम पंचायत उमरलाई, कालूड़ी (कालवाड़ी) व जसोल के आबादी भूमि के प्रस्ताव जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग को नहीं भेजे गये हैं।

(2) यह सही नहीं है। ग्राम कालवाड़ी (कालूड़ी), जसोल व उमरलाई में उक्त जागीर गोचर व ओरण भूमि पर कोई आबाद नहीं था और भूमि खाली थी एवं गोचर व ओरण सही दर्ज की गई है। पिछले लगभग 25 वर्षों से इन ग्रामों की गोचर व ओरण भूमि पर अतिक्रमण किये गये हैं, जिनके विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत समय-समय पर कार्यवाही की गई है।

ग्राम समरानियां (बारां) में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमण

108. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम समरानियां जिला बारां में खसरा नम्बर 131 रकबा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में किस व्यक्ति के नाम दर्ज है तथा वह किस जाति का है ?

(2) उक्त भूमि पर वर्तमान में खेती हो रही है या मकान अथवा झोपड़ा बना हुआ है ? उक्त मकान अथवा झोपड़ा किसके द्वारा कब बनाया गया तथा उस पर वर्तमान में किसका कब्जा है ?

(3) क्या उक्त सम्बन्ध में फरवरी, 1984 में किसी व्यक्ति द्वारा शिकायत

(श्री मदन दिलावर)

एस.डी.एम. सचिव उपखण्ड स्तरीय अभाव अभियोग समिति बारां के पास भिजवाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार अनुसूचित जनजाति की भूमि पर हुए उक्त अतिक्रमण को हटाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम समरानिया में ख.नं. 131 रकबा 8 बिस्वा वर्तमान में रामरतन पुत्र स्व. मुन्नी जाति सहरिया निवासी समरानिया के नाम खातेदारी में दर्ज है।

(2) उक्त भूमि पर वर्तमान में खेती नहीं हो रही है। उक्त भूमि पर लगभग 25 वर्ष से श्री इन्दरलाल पुत्र ओंकार किराड़ निवासी समरानिया ने मकान बना रखा है, जिसमें वर्तमान में इन्दरलाल किराड़ निवास कर रहा है। शेष 3 बिस्वा भूमि बाबूलाल पुत्र सुन्दरलाल धोबी निवासी समरानिया के कब्जे में है जो मौके पर पड़त पड़ी हुई है।

(3) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कोई शिकायत प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

(4) क्षेत्रीय अधिकारी, तहसीलदार द्वारा वांछित कार्यवाही नहीं करने के कारण उसे निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही करने हेतु जिला कलेक्टर को निर्देशित कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर कार्यालय, उदयपुर के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

109. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कलेक्टर कार्यालय उदयपुर में अलग-अलग संवर्ग के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जो नियुक्ति से अब तक जिला मुख्यालय पर ही जमे हुए हैं एवं जिला मुख्यालय से बाहर इनके स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो किन-किन कर्मचारियों के एवं कब से ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में ठहराव का कोई मानदण्ड है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ? क्या इसकी पालना की जा रही है ? यदि हां, तो सरकार कितने कर्मचारियों के स्थानान्तरण कब तक करने का विचार रखती है ? कौन-कौन कर्मचारी कितनी अवधि तक शहरी क्षेत्र एवं कितनी अवधि तक ग्रामीण क्षेत्र में रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कई कर्मचारी पांच वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन एवं कब से ? सरकार इनके स्थानान्तरण कब तक अन्य स्थानों पर करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह भी सही है कि एक ही स्थान पर 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ?

(श्री कुबेर सिंह)

यदि हां, तो किन-किन के ? क्या यह भी सही है कि इनमें से कुछ कर्मचारियों के स्थानान्तरण पुन: निरस्त किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किसके एवं क्यों ? पूर्व में इनके स्थानान्तरण के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर कार्यालय, उदयपुर में अलग-अलग संवर्ग के निम्नांकित कर्मचारी कार्यरत हैं :-

1. निजी सहायक	01
2. शीघ्रलिपिक	01
3. जिला राजस्व लेखाकार	02
4. कनिष्ठ लेखाकार	01
5. भू.अ. निरीक्षक	03
6. पटवारी	09
7. मंत्रालयिक कर्मचारी	56
8. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	23

(2) जिला मुख्यालय उदयपुर में 24 कर्मचारी नियुक्ति से ही कार्यरत हैं, जिनका स्थानान्तरण मुख्यालय से बाहर नहीं किया है। परिशिष्ट-1 में सूची संलग्न है।

(3) कर्मचारियों के शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में ठहराव संबंधी कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं।

(4) जिला कलेक्टर कार्यालय, उदयपुर में एक ही स्थान पर पांच वर्ष से अधिक के 33 कर्मचारी कार्यरत हैं। सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है। कर्मचारियों के स्थानान्तरण प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किये जाते हैं।

(5) 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत श्री सोहन लाल मोगरा क.लि. का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया जाकर निरस्त किया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 17 देखें।)

जिला पाली की तहसील रायपुर व जैतारण का सैटलमेंट पैमाइश

110. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली की तहसील रायपुर व जैतारण में संवत् 2010 में पूर्व में सैटलमेंट पैमाइश की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक उक्त जिले की उक्त दोनों तहसीलों में सैटलमेंट नहीं करवाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज.पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि हवाई सर्वे से किसी कम्पनी या कान्ट्रेक्टर के द्वारा इस क्षेत्र का पुन: सैटलमेंट पैमाइश करवाई गई ? यदि हां, तो फिर रिकार्ड में अभी तक उसका इन्द्राज क्यों नहीं किया जा रहा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब उक्त दोनों तहसीलों का पुन:. सैटलमेंट पैमाइश कर दिया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिला पाली की तहसील

(राजस्व मंत्री)

जैतारण के 97 ग्रामों में तथा तहसील रायपुर में 64 ग्रामों में सैटलमेंट पैमाइश संवत् 2010 में पूर्व में की गई थी तथा तहसील रायपुर के 25 ग्रामों में भू-सर्वेक्षण कार्य संवत् 2010 के पश्चात् किया गया।

(2) जी नहीं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा हवाई फोटोग्राफी की गई थी किन्तु ग्राउंड कन्ट्रोल एवं फील्ड कार्य नहीं हो सकने के कारण रिकार्ड में अमल दरामद नहीं किया गया है।

(3) वर्तमान में सर्वेक्षणाधीन तहसील मेड़ता का कार्य सन् 2003 तक पूर्ण हो जाने के पश्चात् तहसील रायपुर, जैतारण का पुनः सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया जाना संभव हो सकेगा।

ग्राम पंचायत नांगल सिरस (जयपुर) के गांवों की गोचर भूमि पर अतिक्रमण

111. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत नांगल सिरस तहसील आमेर (जयपुर) के चारों ग्रामों की सरकारी/गोचर भूमि के किस-किस खसरा नम्बर में अतिक्रमण हैं ? उक्त अतिक्रमण अब तक क्यों नहीं हटाये गये ?

(2) क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) अब उक्त अतिक्रमण कब तक हटा दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत नांगल सिरस में तीन राजस्व ग्राम नांगल सिरस, राजावास एवं बैनाड़ मय दौलतपुरा हैं। इन ग्रामों में संवत् 2057 फसल खरीफ में ग्राम नांगल सिरस में ख.नं. 1, 3, 7, 8, 9, 48, 65, 64/832, 69, 93, 72 में 10 व्यक्तियों द्वारा 8.11 हैक्टेयर भूमि पर, ग्राम राजावास में ख.नं. 254, 260, 388, 409, 436, 347, 438, 453,454, 455, 456, 459, 474, 479, 487, 486/908, 611, 628, 614, 616, 617, 618 में 25 व्यक्तियों द्वारा 7.87 हैक्टेयर पर तथा ग्राम बैनाड़ मय दौलतपुरा में ख.नं. 774, 773/787 में 4 व्यक्तियों द्वारा 0.36 हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया गया है। उक्त अतिक्रमण चरागाह भूमि पर है। उक्त सभी अतिक्रमियों के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही तहसीलदार, आमेर द्वारा की जा रही है।

(2) जी हां। उक्त अतिक्रमियों के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा जांच कर तहसील कार्यालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(3) अतिक्रमियों की सुनवाई की जाकर नियमानुसार धारा 91 के अन्तर्गत निर्णय पारित कर अतिक्रमण हटवा दिये जाएंगे।

जिला श्रीगंगगानगर में उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन

112. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्यां यह सही है कि श्रीगंगानगर में उचित मूल्य की दुकानों को आबंटित करने हेतु साक्षात्कार लिये गये हैं ? यदि हां, तो कौन-कौनसी दुकानों के लिए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उचित मूल्य की दुकानों के लिए सरकार द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था ? यदि हां, तो विज्ञापन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त दुकानों के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने निरस्त किये गये तथा किन-किन व्यक्तियों को दुकानें आबंटित की गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उचित मूल्य की दुकानों में आबंटन के लिए कमेटी में सदस्य कौन-कौन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) श्रीगंगानगर शहर में उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए सरकार कब तक वेकेन्सी निकालने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। जिन-जिन दुकानों के लिए साक्षात्कार लिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। विज्ञप्ति की फोटो प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उक्त दुकानों के लिए 355 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इन सभी आवेदनकर्ताओं के साक्षात्कार लिये गये हैं। किसी भी आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र अभी तक निरस्त नहीं किये गये हैं। आबंटन सलाहकार समिति की अभिशंसाएं जिला कलेक्टर के पास अनुमोदन हेतु भिजवायी हुई हैं। अभी तक किसी भी व्यक्ति को उचित मूल्य की दुकानें आबंटन नहीं की गई हैं।

(4) उचित मूल्य की दुकानों के आबंटन के लिए निम्नानुसार सलाहकार समिति का गठन किया हुआ है :-

नगरीय क्षेत्रों हेतु आबंटन सलाहकार समिति :-

1. जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
2. नगरनिगम/पालिका/परिषद के अध्यक्ष/प्रशासक या उनके द्वारा मनोनीत जन प्रतिनिधि/अधिकारी	सदस्य
3. तहसीलदार	सदस्य
4. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यगण	
(1) सामाजिक कार्यकर्ता-एक	सदस्य
(2) उपभोक्ता-एक	सदस्य
(3) महिला उपभोक्ता-एक	सदस्य

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु आबंटन सलाहकार समिति :-

1. जिला रसद अधिकारी	अध्यक्ष
2. संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/प्रशासक	सदस्य
3. तहसीलदार (संबंधित क्षेत्र)	सदस्य
4. राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यगण	
(1) सामाजिक कार्यकर्ता-एक	सदस्य

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) उपभोक्ता-एक सदस्य
(3) महिला उपभोक्ता-एक सदस्य

(5) श्रीगंगानगर शहर में नये राशनकार्ड जारी किये जाने की प्रक्रिया चल रही है। नये राशनकार्ड बनने के बाद क्षेत्र में जितनी और दुकानों की आवश्यकता होगी उनके लिए विज्ञप्ति निकाली जावेगी।

(सूची एवं प्रति के लिए परिशिष्ट 18 देखें।)

हाइलेण्ड हाउस लि. मण्डावा के कर्मचारियों को सुविधाएं

113. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं जिले के कस्बा मण्डावा में मैसर्स हाइलेण्ड हाउस लि. नामक फैक्ट्री स्थापित है ? यदि हां, तो उक्त फैक्ट्री में कुल कितने श्रमिक कार्यरत हैं ? उक्त श्रमिकों को किन नियमों के अन्तर्गत वेतन का भुगतान किया जाता है ?

(2) उक्त फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों को किन नियमों के अन्तर्गत क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ?

(3) क्या फैक्ट्री में कार्यरत सभी श्रमिकों की साधारण बीमा, सामान्य भविष्य निधि आदि की कटौती हो रही है ? यदि नहीं, तो इस कार्य में कोताही बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त फैक्ट्री में श्रमिकों की संख्या 1100 है। श्रमिकों को वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं तत्संबंधी नियमों के अन्तर्गत वेतन का भुगतान किया जाता है।

(2) फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिकों को कारखाना अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार पीने के लिए पानी, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, प्राथमिक चिकित्सा, साप्ताहिक अवकाश एवं सवैतनिक अवकाश की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अनुसार उक्त फैक्ट्री ई.एस.आई. अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित संस्थान नहीं है, क्योंकि उक्त क्षेत्र पर अभी कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू नहीं है। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 का केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तन किया जाता है जिसके तहत संस्थान को आवृत्त कर अधिनियम की अनुपालना करने के लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा वृत्तीय प्रवर्तन अधिकारी, झुंझुनूं को निरीक्षण के निर्देश दिये हैं।

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की नहरें

114. श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की तहसील सपोटरा के कई ग्रामों में नहरें निकाली हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त नहरें पक्की नहीं हैं ? यदि हां, तो कितनी दूरी

(श्रीमती कमला बृजलाल)

की ? क्या सरकार उक्त कच्ची नहरों को पक्का कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सपोटरा तहसील में सिंचाई विभाग के बांधों से कुल 63.40 किलोमीटर नहरें निकाली हुई हैं जो निम्न प्रकार से हैं :-

क्र.सं.	नाम बांध	ग्रामों की संख्या	नहर की लम्बाई कि.मी.
1.	कालीसिल	24	45.83
2.	भूपेन्द्र सागर	4	5.15
3.	खिरखिरी	3	7.42
4.	बहरूण्डा	2	5.00
			63.40 कि.मी.

(2) उक्त नहरें कुल लम्बाई में कच्ची ही निर्मित की गई हैं और वित्तीय संसाधनों के अभाव में इनको पक्का करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जिला कोटा में वर्षा के पानी से सिंचाई की योजनाएं

115. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा क्षेत्र की मुख्य-मुख्य नदियों पर नई पुलियाओं के निर्माण पश्चात् पुरानी पुलियाओं को एनीकट में बदल कर वर्षा के पानी को रोकने की कोई योजना विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्षा के पानी के व्यर्थ जाने को गम्भीरता से नहीं ले रही हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार वर्षा के पानी को रोक कर उससे पेयजल/कृषि कार्य की समस्या का समाधान कर सकती है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कोई योजना बनाई जाकर क्रियान्वित की जाएगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। सिंचाई विभाग द्वारा एनीकटों का निर्माण नहीं करवाया जाता है।

(2) राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पूरी तरह सतर्क है। राज्य सरकार प्रदेश में वर्षा से उपलब्ध बूंद-बूंद जल के संग्रहण, संरक्षण एवं संघनन के लिए कटिबद्ध है। इसके अनुसार बेसिनवाइज योजनाएं तैयार की गई हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतवार भी कार्य योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है जिसके अन्तर्गत वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के माध्यम से भूमिगत जल स्तर में वृद्धि की जा सकेगी। इन योजनाओं को वित्तीय साधन की उपलब्धता के अनुसार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सिंचाई मंत्री)

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा सतही जल संसाधनों के उपयोग के लिए योजना तैयार की गई हैं जिसकी क्रियान्विति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की हिंगलोट सिंचाई परियोजना

116. श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की सिंचाई परियोजना हिंगलोट नदी पर बनाना विचाराधीन है ? उक्त परियोजना का कार्य कब तक प्रारम्भ होगा और अब तक कार्य क्यों नहीं प्रारम्भ करवाया गया ? क्या उक्त परियोजना से कोई भी ग्राम डूब में नही आ रहे हैं और सिंचाई व जल स्तर बढ़ने से क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे ?

उत्तर

जी हां। प्रस्तावित हिंगलोट मध्यम सिंचाई परियोजना के तकमीने का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जिसके आधार पर डूब के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की लगभग 8 प्रतिशत भूमि प्रभावित होगी। अत: परियोजना की स्वीकृति से पूर्व मध्य प्रदेश सरकार की सहमति लेना अनिवार्य है।

परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

जिला नागौर में नये पशु चिकित्सालयों की स्वीकृति

117. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में वर्तमान में कुल कितने पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों से तहसील डेगाना (नागौर) में कोई पशु चिकित्सालय/उप केन्द्र नहीं खोला गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार वर्ष 2000-2001 के दौरान जिला नागौर में नये चिकित्सालय/उप केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां और कितने ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में वर्तमान में 71 पशु चिकित्सालय, 12 पशु औषधालय एवं 67 उपकेन्द्र कार्यरत हैं सूची संलग्न है।

(2) डेगाना तहसील में वर्ष 1998-99 में चम्पाखेड़ी, दुगोर, बिखरनिया, जाखेड़ा एवं वर्ष 1999-2000 में भादवासी में उपकेन्द्र खोले गये हैं।

(3) वर्ष 2000-2001 में नये पशु चिकित्सालय/उपकेन्द खोलने का बजट प्रावधान स्वीकृत नहीं है, इसलिए नवीन

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोलना विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए परिशिष्ट 19 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

118. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र हैं और उनमें कितने पद रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अब कोई नये पशु चिकित्सालय/उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र, दानपुर में 7 पशु चिकित्सालय क्रमशः तलवाड़ा, कुटम्बी, बडोदिया, दानपुर, कालिंजरा, छींज व कुण्डला तथा 12 उपकेन्द्र क्रमशः करजी, नवागांव, सांगड़ोद, गामड़ी, सीयापुर, चौखला, माकोद, घोडीतेजपुर, सुन्दरपुर, छोटी सखन, नल्दा, बोरवट में कार्यशील हैं, इनमें रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची के लिए परिशिष्ट 20 देखें।)

ग्राम पंचायत मिर्जापुर (बारां) के उपकेन्द्र में कर्मियों का पदस्थापन

119. श्री शिवनारायण (बारां) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मिर्जापुर पंचायत समिति अन्ता, जिला बारां में सरकार द्वारा वर्ष 1999-2000 में उपकेन्द्र खोला गया था ?

(2) क्या उक्त उपकेन्द्र में स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब स्टाफ की नियुक्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मिर्जापुर, पंचायत समिति अन्ता, जिला-बारां में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में एक उपकेन्द्र खोला गया है।

(2) जी नहीं। नई नियुक्तियों के लिये कार्मिक एवं वित्त विभाग से स्वीकृति लिए जाने सम्बन्धी अनिवार्यता लागू किये जाने तथा नई भर्ती पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होने के कारण पदों को भरा जाना सम्भव नहीं है। शासन द्वारा प्रतिबन्ध हटाये जाने तथा कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर ही पदों को भरा जाना संभव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

120. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में पशु चिकित्सालय कहां-कहां हैं ? पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र की ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पशु चिकित्सालयों में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त स्वीकृत पदों में से कहां-कहां, कितने पद कब-कब से रिक्त हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सरदारशहर में 7 पशु चिकित्सालय क्रमशः सरदारशहर, घड़सीसर, जैतसीसर, शिमला, अजीतसर, पूलासर व बिल्यूबास रामपुर तथा 3 उपकेन्द्र क्रमशः हरदेसर, मालकसर व सोनापालसर में कार्यरत हैं।

(2) सरदारशहर विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत पशु चिकित्सालयों एवं उपकेन्द्रों में स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(3) नई नियुक्तियों के लिए कार्मिक एवं वित्त विभाग से स्वीकृति लिए जाने संबंधी अनिवार्यता लागू किये जाने तथा भर्ती पर पूर्णतः प्रतिबन्ध होने के कारण पदों को भरा जाना सम्भव नहीं है। शासन द्वारा प्रतिबन्ध हटाये जाने तथा कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त होने पर ही पदों को भरा जाना सम्भव होगा।

(सूची के लिए परिशिष्ट 21 देखें।)

पंचायत समिति सम (जैसलमेर) में डेयरी विकास की योजना

121. श्री गोवर्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के पशु बहुल क्षेत्र पंचायत समिति सम में एक भी दुग्ध संकलन रूट नहीं है ?

(2) क्या यह भी सही है कि पोकरण डेयरी सेन्टर जिले के एक कोने में है जिससे सारा जिला सम्पर्क में नहीं आ सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि सीमा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बल्क कूलर्स हेतु राशि उपलब्ध कराई थी, जिसका उपयोग नहीं हुआ है ?

(4) क्या उक्त जिले की डेयरी विकास हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) बल्क कूलर्स हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग किया जा चुका है एवं बल्क कूलर्स गांव चांदन, सांवला, बड़ोड़ागांव व

(राज्य मंत्री, डेयरी)

अजासर में स्थापित किये गये हैं। बिजली कनेक्शन की उपलब्धता नहीं होने के कारण आरम्भ नहीं किये जा सके हैं।

(4) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सीमा क्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत राशि (वरमूल) डेयरी संघ, जोधपुर को दी गई थी। स्वीकृत राशि से विभिन्न स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्य कर राशि का उपयोग निम्न प्रकार से किया जा रहा है :-

अ. रेफ्रीजरेटेड वाहन, दूध बूथ निर्माण व क्रेट क्रय कर जैसलमेर शहर मुख्यालय पर पाश्च्युराइज्ड पोलीपैक्ड दूध का वितरण नागरिकों को किया जाकर उपयोग किया जा रहा है।

ब. शीतलीकरण इकाइयां, क्रमश: चांदन, सांवला, बड़ोड़ागांव व अजासर में स्थापित कर कार्य प्रगति पर है।

स. इसी से सम्बन्धित 25 दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन का कार्य प्रगति पर है।

द. दूध ट्रांसपोर्ट टैंकर तैयार करवाकर उपयोग में लिया जा रहा है।

ग्राम सुलताना (जैसलमेर) की एस्केप झील की समाप्ति

122. श्री गोवर्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या इंदिरा गांधी नहर राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के सुलताना गांव के पास कई वर्षों से एस्केप झील पूरी नहीं हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि झील की डूब में आने वाली भूमि काश्तकारों को आबंटित हो चुकी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त झील को समाप्त करने हेतु कच्ची चैनल बनानी प्रारम्भ की जो भी अपूर्ण पड़ी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि जहां काश्तकारों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल रहा है उसके विपरीत झील में फिजूल पानी छोड़ा जा रहा है ?

(5) क्या इस व्यवस्था में कोई दोषी है ? क्या इसकी जवाबदेही कोई उठा सकता है ?

(6) क्या परियोजना अधिकारी एस्केप चैनल बनाकर इस व्यवस्था को समाप्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। कच्ची चैनल का निर्माण उक्त झील को समाप्त करने हेतु नहीं वरन् झील में पानी के निर्धारित लेवल से ऊपर एस्केप से निष्कासित संग्रहित जल का उपयोग आवश्यकतानुसार सिंचाई हेतु करने एवं झील में पानी के लेवल को कम से कम करना सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ किया था, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ है। एस्केप नहर के लिए सैफ्टी वाल का कार्य करता है।

(राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर)

(4) जी नहीं। काश्तकारों को सिंचाई हेतु ही जल उपलब्ध कराया जाता है। झील में पानी नहर को खतरा होने अथवा काश्तकारों की आवश्यकता से अधिक पानी प्राप्त होने पर छोड़ा जाता है।

(5) जी नहीं। इस व्यवस्था में कोई दोषी नहीं है। बड़ी नहरों पर एस्केप की व्यवस्था आवश्यक है।

(6) निर्माणाधीन एस्केप से प्रवाहित/एकत्रित जल के फैलाव को निर्धारित सीमा तक सीमित रखना संभव हो सकेगा। नहरों की सुरक्षा की दृष्टि से एस्केप व्यवस्था का होना अपरिहार्य होता है, जिसे समाप्त किया जाना संभव नहीं है।

इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड ब्रांच का अपूर्ण कार्य

123. श्री अमीन खान (शिव) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड ब्रांच का कार्य कब तक पूर्ण होने की संभावना है ?

(2) गडरा रोड ब्रांच में कुल कितनी आर.डी. है उसमें से आज तक कितनी बनी है और शेष कितनी है ?

(3) उक्त ब्रांच को पूर्ण करने के लिए धन की क्या व्यवस्था है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी नहर की गडरा रोड ब्रांच का कार्य पूर्ण होना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर इस शाखा का कार्य पूर्ण होने की सम्भावना होगी।

(2) गडरा रोड ब्रांच की कुल लम्बाई 410.76 आर.डी. है, जिसमें से कुल 167.85 आर.डी. में लाइनिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 242.91 आर.डी. शेष है।

(3) ब्रांच को पूर्ण करने हेतु आवश्यक धन की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करवाने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

सुजस पत्रिका के लेखकों को पारिश्रमिक

124. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या सूचना एवं जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सुजस पत्रिका के लेखकों को अब तक कितनी राशि पारिश्रमिक के रूप में दी गई ? सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के अधिकारियों को पारिश्रमिक के रूप में कितनी-कितनी राशि किस-किस लेखक को दी गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सुजस के सम्पादक मण्डल के सदस्यों एवं उनके परिवारजन लेखकों को कितनी राशि पारिश्रमिक के रूप में अदा की गई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सुजस पत्रिका के लेखकों को अब तक रुपये 2,98,820 का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया गया है। सूचना एवं जन जन सम्पर्क विभाग के अधिकारियों को दिये गये पारिश्रमिक की राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सुजस के सम्पादक मण्डल के सदस्यों को पारिश्रमिक के रूप में वर्षवार भुगतान की गई राशि का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। पारिश्रमिक का भुगतान नियमानुसार लेखक को किया जाता है। इसमें परिवारजन आदि की सूचना संकलित करने का प्रावधान नहीं है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 22 देखें।)

बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान द्वारा प्रकाशित संशोधित आनियमों में अनियमितता

125. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बोर्ड आफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान, जयपुर द्वारा संशोधित आनियम, 1998 प्रकाशित किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आनियम किस दिनांक से प्रभावशील और राजस्थान राजपत्र के किस भाग में कब प्रकाशित हुए तथा क्या वे राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुमोदित हैं ?

(2) क्या उक्त सम्पूर्ण आनियम संख्या 1 से 10 तक बोर्ड की उप समिति द्वारा तैयार कर बोर्ड द्वारा स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस दिनांक में ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आनियमों में अन्य प्रान्तों के बोर्ड से रजिस्टर्ड ऐसे चिकित्सकों, जिनकी उत्तीर्ण परीक्षाएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् दिल्ली द्वारा मान्य नहीं हैं, के आधार पर उक्त बोर्ड द्वारा सूचीबद्ध करने का प्रावधान किया गया है ? यदि हां, तो ये प्रावधान उप समिति एवं बोर्ड द्वारा किस दिनांक को स्वीकृत किया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकार से बोर्ड द्वारा सूचीकरण किया जाना भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम के विरुद्ध हैं ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त आनियमों में बोर्ड के अध्यक्ष को मानदेय भत्ता दिये जाने का प्रावधान किया गया है, जो कि राजस्थान देशीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 की धारा 24(2) के विरुद्ध है ? यदि हां, तो उक्त प्रकार के एवं अन्य अनुचित आनियमों के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(6) क्या यह भी सही है कि उक्त बोर्ड द्वारा प्रकाशित आनियमों में ऐसे अनेक नियम, प्रावधान प्रकाशित कर दिये हैं जो न तो बोर्ड की उप समिति द्वारा स्वीकृत हैं और न ही बोर्ड द्वारा ? यदि हां, तो कौन-कौनसे और उनके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ? विवरण आनियमों की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश कुमावत)

पश्चात् जिला नागौर के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एवं कम्पाउण्डर और सहायक कर्मचारियों को कितने समय से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है तथा इसका क्या कारण है ? अब इन्हें भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों को दवाइयों का बजट किस-किस औषधालय का कितना-कितना है ? अब तक कितनी राशि की दवाइयां इन्हें उपलब्ध करा दी गई हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम हुडील तहसील नावां, जिला नागौर में आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हेतु नर्सरी की भूमि आयुर्वेदिक विभाग को आबंटित की गई थी ? यदि हां, तो क्या उसमें कुओं का निर्माण भी कराया गया था और औषधि निर्माण के पौधे भी लगाये गये थे ?

(4) क्या अब उसका रखरखाव समाप्त हो गया है ? क्या आयुर्वेदिक विभाग इसका रखरखाव ठीक ढंग से करने का विचार रखता है ? क्या सरकार उक्त सम्पत्ति को अन्य जनहित के कार्य में उपयोग लेने की अनुमति प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में जिला परिषद् को स्थानान्तरित आयुर्वेद औषधालय में पदस्थापित स्टाफ को माह अगस्त एवं सितम्बर, 2000 का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। जिला परिषद् द्वारा राशि हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचना जिला आयुर्वेद अधिकारी, नागौर को विलम्ब से दिये जाने तथा जिला आयुर्वेद अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2000 को बिल जिला परिषद् को प्रेषित किये जाने एवं जिला परिषद् द्वारा दिनांक 31.10.2000 को चैक द्वारा राशि जिला आयुर्वेद अधिकारी को स्थानान्तरित किये जाने के कारण वेतन भुगतान करने में विलम्ब हुआ है। अब वेतन भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में वर्तमान में 20 आयुर्वेद औषधालय संचालित हैं जिनकी वर्ष 2000-01 की औषध सप्लाई सीमा व उन्हें चालू वर्ष में सप्लाई की गई औषधियों की राशि का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी हां। हुडील तहसील नावां, जिला नागौर में आयुर्वेदिक वन औषधि उद्यान व नर्सरी हेतु भूमि आयुर्वेद विभाग को आबंटित की गई है।

जी हां। इस भूमि में एक कुआ निर्मित है और औषधियों के पौधे लगाये गये हैं।

(4) जी हां। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण विभाग द्वारा वन औषधि उद्यान का रखरखाव ठीक रूप से किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हाने पर रखरखाव की व्यवस्था और सुदृढ़ रूप से की जा सकेगी। इस सम्पत्ति को अन्य जनहित के कार्य के उपयोग में लेने के सम्बन्ध में किसी संस्था से प्रस्ताव प्राप्त होने की दशा में प्रस्ताव के गुणावगुण के आधार पर अनुमति देने पर विचार किया जाएगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट 24 देखें।)

आयुर्वेदिक चिकित्सालय माजीपुरा (धोद) में स्टाफ की नियुक्ति

129. श्री अमराराम (धोद) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र धोद के आयुर्वेदिक औषधालय माजीपुरा में कितने समय से अधिकारी कर्मचारी नहीं लगाये गये हैं और अब कब तक लगा दिये जाएंगे ?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र धोद के माजीपुरा गांव में आयुर्वेद औषधालय वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत किया गया था। नवीन स्वीकृत औषधालय के लिए वित्त विभाग द्वारा बजट उपलब्ध नहीं कराये जाने से अधिकारी/कर्मचारी का पदस्थापन नहीं किया गया। वित्त विभाग द्वारा बजट उपलब्ध कराये जाने पर ही स्वीकृत नवीन औषधालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री सीताराम केसरी व श्री भूरालाल के निधन पर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण,

शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, श्री सीताराम केसरी तथा इस विधान सभा के पूर्व विधायक, श्री भूरालाल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा सांसद श्री सीताराम केसरी का जन्म नवम्बर, 1919 में बिहार के दानापुर कैन्ट में हुआ। आपने बिहार राष्ट्रीय विद्यालय, दानापुर कैन्ट तथा बिहार विद्यापीठ से शिक्षा प्राप्त की।

श्री सीताराम केसरी वर्ष 1967 में चौथी लोक सभा के लिए कटिहार निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद निर्वाचित हुए। आप जुलाई 1971, अप्रैल 1974, जुलाई 1980, अप्रैल 1988 तथा अप्रैल 1994 में राज्य सभा के सांसद चुने गये। अपने संसदीय कार्यकाल के दौरान आप जन लेखा समिति सहित अनेक समितियों के सदस्य रहे। आपने अनेक अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। आप 3 मार्च, 1980 से 14 जनवरी, 1982 तक तथा 15 सितम्बर, 1985 से 22 अक्टूबर, 1986 तक केन्द्रीय संसदीय मामलों के राज्य मंत्री, 15 जनवरी, 1982 से 28 जनवरी, 1983 तक जहाजरानी एवं परिवहन राज्य मंत्री तथा जून, 1991 से जून, 1996 तक केन्द्रीय कल्याण मंत्री रहे।

आप 1930 में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद पड़े और 1930 से 1942 के दौरान आपने आठ बार जेल यात्राएं कीं। उन्नीस सौ साठ के दशक में राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर श्री केसरी लम्बे समय तक कांग्रेस संगठन के कोषाध्यक्ष रहे। सितम्बर, 1996 से मार्च, 1998 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। श्री केसरी 3 जनवरी, 1997 को कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गये।

(श्री अध्यक्ष)

श्री सीताराम केसरी की गांधीवादी विचारों और कार्यक्रमों में गहरी आस्था थी। आप पिछड़े, उपेक्षित और कमजोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए सदैव संघर्षरत रहे।

श्री सीताराम केसरी का दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 की रात्रि में निधन हो गया।

पूर्व विधायक, श्री भूरालाल का जन्म 20 मार्च, 1942 को उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील के दादिया ग्राम में हुआ। आपने मिडिल तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री भूरालाल छठी तथा नौवीं राजस्थान विधान सभा के लिए गोगुन्दा निर्वाचन क्षेत्र से क्रमशः जनता पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित हुए। नौवीं विधान सभा के कार्यकाल में आप सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति के सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त आप इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्रीय विकास, राज्य बीमा तथा भू-जल विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति में सदस्य भी रहे। आप वर्ष 1982 से 1990 तक ग्राम पंचायत, मजावड़ी (जिला उदयपुर) के सरपंच रहे। श्री भूरालाल की बागवानी तथा ग्रामीण खेलों के साथ-साथ समाज सेवा के कार्यों में भी रुचि थी।

श्री भूरालाल का दिनांक 8 सितम्बर, 2000 को निधन हो गया।

मैं इन दिवंगत आत्माओं को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, जिन दिवंगत आत्माओं के प्रति इस सदन ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, मैंने परसों भी आपसे निवेदन किया था कि श्री सीताराम केसरी की मृत्यु का समाचार सारे संसार को मिल गया है। जिस समय हमने परसों अन्य दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की थी उस समय श्री सीताराम जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि भूरालाल गमेती की 8 सितम्बर को मृत्यु हुई, उसकी सूचना यदि विधान सभा में नहीं आती है तो मुझे याद है कि इस सदन में कई बार चर्चा हुई है ऐसे प्रसंगों पर और जिन अधिकारियों ने इसमें कमी रखी है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई है। उन्होंने सदन में क्षमा चाही है और सदन ने उनको क्षमा दी है। मैं श्री सीताराम केसरी के सम्बन्ध में तो यही कहना चाहूंगा... (व्यवधान) मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए।

अब, अध्यक्ष महोदय, जब सीताराम जी की जानकारी आपको भी थी, मुझे भी थी,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदन को थी, सारे संसार को थी तो उस समय उसमें किसी प्रकार का विलम्ब हो, हम इसके लिए किसी कलेक्टर या चीफ सैक्रेटरी को दोषी नहीं बता सकते, लेकिन कहीं न कहीं दोष रहा है। अब दोष इस प्रसंग में ही कहा जा सकता है कि सीताराम जी के सम्बन्ध में हमको पूरी जानकारी नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान और हिन्दुस्तान में ऐसे विभाग हैं और ऐसे सचिवालय हैं जिनमें प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति के जीवन की सारी बातों का उल्लेख है और उसका रिकार्ड रखा जाता है। आज भी यदि कोई चाहे, खेतसिंह जी चाहें तो किसी के मामले में भी ओबिचुअरी की जो भी वह जानकारी करना चाहें वह कर सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि सीताराम जी केसरी के सम्बन्ध में हमको कोई जानकारी नहीं हो या उनके सम्बन्ध में कोई प्रकाशन में इसमें किसी प्रकार की कमी रही हो। कमी रही है तो केवल एक ही बात की कि एक्चुअली उनकी डैथ किस तारीख को हुई है। उसके अलावा जो कुछ आज आपने यहां हाउस के सामने कहा है वे बातें पहले भी कही जा सकती थीं और डैथ के तुरंत बाद हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते। इतना बड़ा लैप्स है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा लैप्स है, यह लैप्स इस राजस्थान की विधान सभा के माथे नहीं आता।

मैं दूसरा गमेती के मामले में यह चाहूंगा कि कलेक्टर का एक्सप्लेनेशन इस हाउस में रखा जाए। एक विधायक के सम्बन्ध में कलेक्टर को जानकारी नहीं हो और कलेक्टर यहां विधान सभा को इसकी सूचना नहीं दे और विधान सभा इंतजार करती रहे। परसों गमेती के सम्बन्ध में भी उल्लेख आया था। एक ने कहा था कि श्री भूरालाल गमेती की भी डैथ हो गई है उसकी जानकारी कलेक्टर नहीं दे और हम उसका इंतजार करते रहें, मैं ऐसा समझता हूं कि यह भी ठीक नहीं है। इसलिए दोनों प्रसंग के ऊपर आप किस प्रकार की व्यवस्था देना चाहेंगे, मैं कह नहीं सकता, ये दोनों ही ऐसे मामले हैं जिनमें एक मामले में तो आपको एक व्यवस्था देनी चाहिए कि कलेक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और पहले वाले मामले में आप किस प्रकार की व्यवस्था देते हैं, मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष : सीताराम जी केसरी के सम्बन्ध में लैप्स हो गया।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा-सा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खेतसिंह जी, मोबाइल बंद करिये अपना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मोबाइल लेकर आये हैं खेतसिंह जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खेतसिंह जी को कहें, साहब, प्रताड़ित करो इनको।

श्री सी.पी. जोशी : (व्यवधान)... उनके पास मोबाइल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : खेतसिंह जी हमेशा मोबाइल रखते हैं।

श्री सी.पी. जोशी : नहीं, मोबाइल हैं ये, मोबाइल रखते नहीं हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमको सचिवालय निर्देश भेजता है कि माननीय सदस्य मोबाइल नहीं लाएंगे और ये रोज सत्ता पक्ष की तरफ से मोबाइल लेकर आते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जोशी जी को कहा जाए कि इनकी तलाशी ले लें।

श्री सी.पी. जोशी : तलाशी का अनुभव आपका ज्यादा है मेरा नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तलाशी लें मोबाइल है इनके पास, तलाशिये।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह काम तो आप ठीक कर सकते हैं।

श्री रामस्वरूप : सदन में कोई किसी की तलाशी नहीं ले सकता, ऐसा नियम है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठिये। सीताराम जी के सम्बन्ध में निश्चित तौर पर लैप्स हुआ है। आपने इस प्रश्न को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उठाया था उसके बाद में सचिवालय से मैंने बात करके इसके सब तथ्य इमीजियेटली मंगवाये। जहां तक श्री भूरालाल के निधन का प्रश्न है, यह कलेक्टर ने समय पर इत्तिला नहीं भेजी है। इसमें निश्चित तौर पर कलेक्टर से एक्सप्लेनेशन काल किया जाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से...

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, आप उसके बाद पधार जाएंगे और उपाध्यक्ष जी आ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : उसके बाद।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति अराई एवं भिनाय के गांवों को पेयजल उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर एवं एक अन्य सदस्य की ओर से तहसील मलारना डूंगर के सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के पश्चात् हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री रतनलाल जाट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के गंगापुर कस्बे को पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(4) डा. किरोड़ी लाल एवं 18 अन्य सदस्यों की ओर से सांगानेर हवाई अड्डा विस्तार योजना हेतु अवाप्त की गई भूमि के काश्तकारों को बेदखल करने एवं उन पर झूठे मुकदमे बनाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रतापसिंह सिंघवी एवं चार अन्य

(श्री उपाध्यक्ष)

सदस्यों की ओर से जिला बारां की सड़कों की स्थिति अत्यन्त दयनीय होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रमजान खां, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा असामाजिक एवं अराष्ट्रीय तत्वों को कथित संरक्षण देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(7) श्री जसवन्त सिंह एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला धौलपुर में अकाल के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव में उल्लिखित विषय पर सदन में चर्चा होनी सम्भावित है, चर्चा में माननीय सदस्य को भाग लेने का अवसर उपलब्ध है, अत: इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आसन की अनुमति

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव 119 के अन्तर्गत रखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

(12.17 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव मैंने 119 के अन्तर्गत रखा हुआ है। परसों प्रथम दिन मैंने वह प्रस्ताव रख दिया था और उसके ऊपर मैं व्यवस्था चाहता हूं कि वह प्रस्ताव कब लगेगा। मेरी एक शिकायत भी है आसन से, माननीय अध्यक्ष से और आपसे। गये बजट सैशन के अन्दर भी आपने 119 के प्रस्ताव नहीं लगाये, 127 के प्रस्ताव आप नहीं लगाते हैं, 131 के प्रस्ताव आप नहीं लगाते हैं। गवर्नमैंट का बिजनेस जितना होता है उसको रश थ्रू करने के अलावा आप कोई बिजनेस मैम्बर्स का जो है, प्राइवेट मैम्बर्स बड़ी मुश्किल से एक दिन लगाया वह भी आधा दिन के लिए लगाया। तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को समझते हैं कि सदन के अन्दर जन समस्याओं को उठाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम यही है। अब यह 119 का प्रस्ताव, उपाध्यक्ष महोदय, आपको पता है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार 28 करोड़ रुपये का घोटाला आवासन मंडल में हुआ, मुख्य मंत्रीजी के संरक्षण से। आप चाहें कि मैं सिर्फ चार बातें यहां कह दूं, वह प्रस्ताव यह नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, आपकी बात समझ गया हूं, बिराजिये आप। आप जो कुछ कह रहे हैं, आप माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर उनसे चर्चा कर लें। जो कुछ आपको व्यवस्था दिलानी है, जो कुछ आपका प्रस्ताव है उनसे चर्चा कर लीजिये, वे स्वीकृति देंगे हम उसको लगा देंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : अब और कुछ नहीं।

श्री सी.पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, 119 में कंसेंट आफ दी स्पीकर लिखा हुआ है। बिना consent of the speaker you cannot discuss it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप, जोशी जी, बिना बात के...(व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : I am referring the same rule 119. The consent ot the speaker is must. without it, you cannot raise it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको अनावश्यक उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कोई बात नहीं कही है। मैं डिसीप्लिन्ड मैम्बर हूं इसलिए मैंने कोई बात नहीं कही है।

श्री सी.पी. जोशी : आपने 119 का मेंशन किया है, 119 में लिखा हुआ है- 'the consent ot the speaker is must'.

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। मैंने कह दिया न आपको। मैंने कह दिया बात समाप्त हो गई।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं वह नहीं कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : No, I will not allow you.

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will not be speaking anything on the Motion, sir. You know it, sir. you know it very well. I will not speak on the contents of the Motion.

श्री उपाध्यक्ष : I have not allowed. किस नियम के तहत बोल रहे हैं आप ? What is the subject ? You sit down. You, first bring something before the House before speaking.

श्री सुरेन्द्र व्यास : I will not bring the facts. I will not... (interruptions) नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके कंटेन्ट क्या हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन मैं चर्चा इस बात पर करना चाहता हूं कि इस विधान सभा की नियमावली में कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। पहली व्यवस्था क्वेश्चन की है, फिर उसके बाद शार्ट नोटिस क्वेश्चन की, उसके बाद में एडजोर्नमेंट मोशन की और उसके बाद 119, 151, 155 इस प्रकार नियमों में अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं कि माननीय सदस्य इनका उपयोग करते हुए इस विधान सभा में कोई न कोई चर्चा उठा सकें। मैं पिछले कई वर्षों से रिकार्ड देख रहा हूं कि एक विषय पर भी चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है। यदि हम शार्ट नोटिस क्वेश्चन देते हैं तो उसका जवाब नहीं आता, वह रूल आउट कर दिया जाता है। एडजोर्नमेंट मोशन देते हैं, पहले व्यवस्था थी कि एडजोर्नमेंट मोशन के ऊपर चर्चा होती थी और चर्चा नहीं भी होती थी तो सरकार की ओर से उत्तर मिलता था। माननीय सदस्य को इससे संतोष हो जाता है कि उत्तर आया है। इसी प्रकार से 119 का मोशन दिया है, मैं ऐसा समझता हूं कि बिना व्यवस्था के यह सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाएगी। हमें पता नहीं लगेगा कि 119 का जो हमने मोशन दिया है वह मोशन नियमों के

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुसार ठीक है या नहीं है। उसके सब्जैक्ट मैटर में किसी प्रकार की आपत्ति है या इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी रही है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार के जितने भी मैटर्स हैं, यह आपके विवेक पर है कि आप उसको स्वीकार करते हैं या नही करते हैं, उस पर चर्चा करने की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं लेकिन इसको पैंडिंग रखने की जो आदत है कि पैंडिंग रखते हुए यह सारा मामला ड्राप हो जाए, इस प्रकार की प्रवृत्ति किसी भी प्रकार से परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि जो 119 का उन्होंने दिया है, बाकी के माननीय सदस्यों ने शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिये हैं, और भी जिन लोगों ने नियमों के अन्तर्गत जिस प्रकार की मांग की है उस पर एक दिन में आप तुरन्त फैसला नहीं कर सकते लेकिन दूसरे दिन कोई अतिरिक्त जानकारी माननीय सदस्य से लेकर यदि आप निर्णय करना चाहें तो एक अच्छी परम्परा बनेगी। वह मामला निश्चित रूप से कोई न कोई दूसरी प्रक्रिया में उठ सकेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने 119 के अन्तर्गत जो मामला उठाया है उसका निर्णय निश्चित रूप से इस सदन में होना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय तमाम रूल्स और रैगुलेशंस से वैलवर्स्ड हैं। यह जो अधिकार है वह स्पीकर महोदय का है। आपको 119 के अंदर अनुमति लेने के लिए स्पीकर महोदय के चैम्बर में जाना पड़ेगा, वहां उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। वे मैरिट्स-डिमैरिट्स पर एग्जामिन करेंगे। वे जब तक अनुमति नहीं दें तब तक कंटेंट्स अथवा पेश करने, दोनों बातों पर यहां डिस्कस नहीं हो सकता। यह तो आपको पता है। अब आपको माननीय सदस्य को मदद करनी है तो आप उनके साथ जाकर उनको कन्विन्स कर दीजिए, अनुमति मिल जाएगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, रामनारायण जी, कि हम वहां चैम्बर में जाते हैं, और कई बार जाते हैं, दिन में 6-7 बार चले जाते हैं। क्वेश्चन चैम्बर में जाने का और वहां डिस्कस करने का नहीं है। आपने जैसे हाउस में कहा कि आप अध्यक्ष महोदय से चर्चा करें , मैं ऐसा समझता हूं कि चेयर का इस बात का कोई प्रिविलेज नहीं है कि मैम्बर को यह कह दे कि आपके अमुक प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे चर्चा करनी है आप आ जाओ। वहां अध्यक्ष महोदय के पास जाएं और आप जैसे आदमी बैठे हों, क्या चर्चा करेंगे वहां ? सबसे बड़ा संकट तो यह आता है।

श्री रामनारायण चौधरी : हम नहीं जाएंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नहीं जाओगे, इसकी गारंटी क्या है ? आप नहीं होंगे तो दूसरे बैठे होंगे। आप जब हाउस में एक्टिव नहीं हो, अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में जाकर चाय पीते रहते हो, हम उनसे एकांत में बात करना चाहें तो समय नहीं मिलता और यहां कहते हैं आप चैम्बर में चल जाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको आज समय दिला देंगे एकांत में बात करने का।

श्री रामनारायण चौधरी : यह भी आप यहां डिस्कस नहीं कर सकते कि स्पीकर साहब कहां बैठे हैं, कौन उनके पास बैठा है। उनके कण्डक्ट को आप यहां डिस्कस नहीं कर सकते, यह भी उनको प्रिविलेज है। आप इनडाइरेक्टली उनको डिस्कस कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है। यह अध्यक्ष महोदय का बड़प्पन है कि आप एक-एक घंटे तक उनके चैम्बर में बैठे रहो, वे निकालते नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न उठाया है वास्तव में इस पर कोई न कोई निर्णय होना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है उसमें डिस्कस हो जाए। आप अध्यक्ष महोदय से इस बात पर डिस्कस कर लें और जो कुछ वे निर्णय करें उस पर आगे अमल करके इस बात की चेष्टा करेंगे कि जो कुछ आप हाउस में लाते हैं उसका जवाब आए। इस बात की कोशिश करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : पूरा प्रिविलेज स्पीकर महोदय का है, किसी कमेटी का इंटरप्शन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : फैसला तो दे सकते हैं। बिराजो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, सीकर, झुंझुनूं और पूरे राजस्थान से किसान आये हुए हैं, बिजली मंत्रीजी से निवेदन है कि किसानों को जाकर सम्बोधित करें। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कोने-कोने से किसान आये हुए हैं। बिजली की भारी समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए कोई निराकरण निकालें। बिजली मंत्रीजी से निवेदन है कि वे किसानों को जाकर संबोधित करें। राजस्थान के गरीब किसान रात को 7 बजे चले थे सुबह 6 बजे पहुंचे हैं। भारी संख्या में किसान आये हुए हैं, जयपुर पूरा भरा हुआ है। आपको मालूम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप, उसका भी प्रश्न आता है अभी।

श्री श्रवण कुमार : बड़ी भारी दिक्कत है। किसान के दर्द को जानने की कोशिश करो, बहुत बड़ा दर्द है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी उस पर चर्चा होने वाली है, आप बिराजो।

श्री श्रवण कुमार : चर्चा में क्या होगा ? आप आश्वासन दीजिए कि कितने घंटे दी जाएगी। चर्चा से काम नहीं चलेगा यहां।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। चर्चा ही होती है और क्या होगा ?

श्री श्रवण कुमार : आप तो यह बताओ कितने घंटे बिजली दे पाओगे। हम तो इस बात का आश्वासन नहीं चाहते, हम तो उन चाहते हैं कि काम कब तक हो जाएगा। आप कहते हैं कि चर्चा होगी, चर्चा होते हुए नवम्बर निकल जाएगा और फिर किसान खेती नहीं बो पाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, बड़े दर्द की बात है। किसान रोता हुआ आया है और जयपुर में आने के बाद उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, किसान के दर्द को जानने

(श्री श्रवण कुमार)

की कोशिश कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि किसान के दर्द की पहचानो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : सारे राजस्थान के जिलों से किसान आये हुए हैं। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी बातों में लगे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं।

1. श्री केसाराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची के छह ग्रामों में स्वीकृत एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण करने के सम्बन्ध में।

2. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से चौमूं-खेजरोली मार्ग पर निवाना नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में।

3. श्री गणेशीराम मेघवाल, सदस्य की ओर से एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार, जालौर को राशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

4. श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के गडरा रोड उपखण्ड की जलदाय योजना की देखरेख हेतु जे.ईएन. के पद को भरे जाने के सम्बन्ध में।

5. मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से राज्य के विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

6. श्री सांवरलाल, सदस्य की ओर से अजमेर जिले के विभिन्न गांवों में सड़कों की कमी के सम्बन्ध में।

7. श्री भरोसीलाल, सदस्य की ओर से हिण्डौन-बयाना मार्ग पर जगर नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।

8. श्री रिछपालसिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से जिला नागौर में विद्युत आपूर्ति मात्र तीन-चार घंटे प्रतिदिन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री अमराराम चौधरी, सदस्य की ओर से लूनी नदी के किनारे बसे गांवों के खारे पानी के कुओं पर लगे विद्युत कनेक्शन नये मीठे कुओं में शिफ्ट करने के सम्बन्ध में।

10. श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से बीकानेर के नया शहर थानान्तर्गत लालगढ़ चौकी के पुलिसकर्मियों द्वारा दीपावली की रात एक दम्पति के साथ किये गये अमानवीय व्यवहार के सम्बन्ध में।

11. श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य की ओर से पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों में अव्यवस्था के सम्बन्ध में।

12. श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायपुर की तहसील सोजत में गजनाई बांध के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

खारची के छह गांवों में एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण किया जाना

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र खारची जिला पाली में एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की केन्द्र सरकार द्वारा 21 जून, 1999 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्रोजेक्ट के निम्नांकित ग्राम जहां पेयजल की गंभीर समस्या है, साथ ही फ्लोराइडयुक्त पेयजल तथा खारे पानी की विकट समस्या है वे स्थान इस प्रकार से हैं :-

1. सिचाणा-9.54 लाख
2. सुरसिंह गुडा- 7.79 लाख
3. गुडा मेहकरण- 4.13 लाख
4. भगौड़ा- 17.37 लाख
5. आसण जोधवन- 3.73 लाख
6. कनायतो का ओडा- 6.44 लाख

उक्त छह ग्रामों में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति 16 माह पूर्व दे दी गई थी लेकिन राज्य सरकार इस मद से प्राप्त राशि को प्रोजेक्ट पूर्ण करने में न लगाकर कहां व्यय कर रही है जिससे इस क्षेत्र की जनता में भारी रोष व्याप्त है। उक्त प्रोजेक्ट के अन्तर्गत जी.एल.आर., कुएं आदि का कार्य प्रारम्भ हुआ लेकिन पश्चात् कार्य जस का तस अपूर्ण स्थिति में है। वर्तमान में अकाल की भीषण छाया इस क्षेत्र से भी अछूती नहीं है। इस क्षेत्र के पशुधन एवं मनुष्यों दोनों को ही पेयजल के लिए तरसना पड़ रहा है। ऐसी विकटतम परिस्थितियों के मद्देनजर में माननीय मंत्री महोदय का सदन के माध्यम से ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि उक्त प्रोजेक्ट को सर्वप्रथम पूर्ण करने के निर्देश देकर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान कराएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं खेजरोली मार्ग पर निवाना नदी पर पुलिया का निर्माण

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चौमूं-खजरोली मार्ग पर निवाना नदी पर पुलिया बनाने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र चौमूं के चौमूं-खेजरोली मार्ग पर निवाना नदी में रास्ता इतना खराब हो रहा है कि साधनों का आना-जाना बंद हो रहा है। स्थिति यहां तक हो चुकी है कि ट्रैक्टर एंव ट्रैक्टर ट्रोलियों का भी नदी में से होकर निकलना बंद हो गया है। ग्राम खेजरोली चौमूं विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है जहां की आबादी 2000 से अधिक है। क्योंकि यह सड़क मार्ग विलान्दरपुर, अजीतगढ़ तक जाता है जिससे इस मार्ग पर साधनों की भरमार रहती है, लेकिन रास्ता अवरुद्ध रहने से ग्रामीण जनता को भारी परेशानी हो रही है।

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह मामला ग्रामीण

(श्री भगवान सहाय सैनी)

किसान व सभी वर्गों से सम्बन्धित है अत: जनहित को ध्यान में रखते हुए निवाना नदी पर पुलिया निर्माण करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशीराम मेघवाल।

एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जालौर को राशि की स्वीकृति

श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार जिला जालौर को राशि स्वीकृत करवाने के क्रम में। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से श्रीमान सहकारिता मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं राज्य सरकार की भागीदारी से चलने वाली एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के लिए 92 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। 27 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राशि वितरण के पश्चात् 21 सितम्बर तक 59 लाख 50 हजार शेष भुगतान था।

महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार जिला जालौर लगातार चार साल से राशि की मांग कर रही है। अध्यक्ष द्वारा उनके पत्र क्रमांक 33 दिनांक 23.9.2000 को भी मांग की गई है। महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार जिला जालौर का रजिस्ट्रेशन 24.2.96 को हुआ था तथा 5.9.97 से भंडार मणिहारी, हौजरी, किराना व अन्य सामान खरीदकर बेचता है।

अत: निवेदन है कि प्रबंधक निदेशक जालौर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि., जालौर द्वारा महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार लि. जालौर को एकीकृत सहकारी विकास परियोजना से राशि दिलवाने की कृपा कराएं।

प्रबन्ध निदेशक, जालौर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. जालौर के द्वारा महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार जालौर की सी.सी. लिमिट डस्टी बंधक ऋण 25 हजार मंजूर की गई है जबकि भंडार की हिस्सा राशि 63 हजार तथा अमानत राशि 70 हजार जमा है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जांच कर एक लाख की सी.सी. लिमिट स्वीकृत करवाएं ताकि भंडार का काम सुचारू रूप से चल सके।

कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या के-1/20141/5/99 सी.डब्ल्यू.एस. दिनांक 30.6.99 व रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक पा. 283115/सविरा/मप्र/98-99 दिनांक 11.8.99 के तहत चार महिला सहकारी समितियों जालौर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सूरतगढ़ को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत एक-एक लाख रुपये स्वीकृत हुए थे मगर सहकारी विभाग द्वारा यह राशि एक साल बाद जुलाई, 2000 में महिला सहकारी समितियों को उपलब्ध करवाई गई। ब्याज महिला सहकारी उपभोक्ता भंडारों से मांगा जा रहा है। कृपया ब्याज उनसे दिलाने की कृपा करें जिन्होंने राशि एक साल तक अपने पास रखी एवं इन महिला भंडारों को उपलब्ध नहीं करवाई।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खां।

गडरा रोड की जलदाय योजना के रखरखाव हेतु कनिष्ठ अभियन्ता की नियुक्ति

श्री अमीन खान (शिव) : महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत लोक महत्व के बाबत विशेष उल्लेख।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नगर खण्ड के उपखण्ड गडरा रोड के गांवों में पीने के पानी का संकट है क्योंकि उपखण्ड गडरा रोड से 4700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें 57 नलकूप चालू हैं और 10 नलकूप कमीशन करने हैं, 32 बूस्टिंग पम्प हैं तथा 750 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन है। गडरा रोड उप खण्ड में इस साल भी भयंकर अकाल है। गडरा रोड उपखण्ड में सिर्फ एक पुरानी जीप है व दो जे.ईएन. के पद रिक्त हैं जिससे जो जलदाय योजनाएं चालू की हैं उनकी देखरेख न के बराबर होने से पानी का इंतजाम नहीं है। ऐसी हालत में वहां की जनता में भारी असंतोष है।

अत: इस सदन के व आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गडरा रोड उपखण्ड में खाली जे.ईएन. के पद भरे जाएं व गडरा रोड में एक गाड़ी का अन्य इन्तजाम किया जाए व बानासर-बुटिमा स्वीकृत योजना की तकनीकी स्वीकृति भी शीघ्र कराई जाएं।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत राज्य के उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु माननीय शिक्षा मंत्रीजी के ध्यानाकर्षित हेतु निवेदन है कि राजस्थान राज्य में विगत वर्षों में सेवानिवृत्ति तथा मृत्यु के कारण रिक्त हुए लगभग 849 उर्दू अध्यापकों के पदों को उर्दू अध्यापक से सामान्य अध्यापक में कर देने तथा बढ़ी हुई छात्र संख्या को ध्यान में रखकर घोषित 200 द्वितीय श्रेणी तथा 400 तृतीय श्रेणी के उर्दू अध्यापकों को लगाने की बजटीय तथा माननीय मुख्य मंत्री व माननीय शिक्षा मंत्री की अनेक बार की गई घोषणा, विज्ञापन एवं साक्षात्कार के बावजूद आज तक एक भी उर्दू अध्यापक नहीं लगाया गया है।

दूसरी ओर पहले से चली आ रही मोअल्लिम उर्दू को बी.एड. के समकक्ष तथा अदीब-ए-कामिल को बी.ए., अदीबे-माहिर को इण्टर तथा अदीब को मैट्रिक और इबोदाई को मिडिल के बराबर मान्यता के आदेश तथा 10 बच्चों पर एक उर्दू अध्यापक लगाये जाने के आदेशों पर अमल नहीं होने से उर्दू के अध्ययनरत छात्रों को भारी असुविधा का लम्बे समय से सामना करना पड़ रहा है जिससे काफी रोष है।

उर्दू अध्यापकों की शीघ्र नियुक्ति करने तथा उर्दू परीक्षाओं की मान्यता बरकरार रखते हुए उर्दू अध्ययन की माकूल व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की ओर मैं माननीय

(मोहम्मद माहिर आजाद)

शिक्षा मंत्रीजी का व सदन का ध्यान आकर्षित कर शीघ्र समाधान का अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवरलाल।

अजमेर जिले में गांवों में सड़कों की कमी

श्री सांवर लाल (भिनाय) : महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

अजमेर जिले के विभिन्न गांवों में सड़कों की कमी है, जो सड़कें हैं क्षतिग्रस्त हैं जिससे जनता परेशान है। राज्य सरकार ने नाबार्ड से 144 करोड़ रुपये ऋण लेकर सड़कें बनाने की योजना बनाई थी। मेरी जानकारी में इन सड़कों के निर्माण में मनमानी हो रही है, स्वीकृतियों में कोई नीति नहीं है, पुलियाओं, रपटों का निर्माण नहीं हो रहा है जिससे सड़कों के निर्माण की कोई प्रासंगिकता नहीं है। मेरा अनुरोध है कि राजस्थान में कहां-कहां इस योजना की सड़कें स्वीकृत हुई हैं, कितना-कितना व्यय हुआ तथा मरम्मत की व्यवस्था कब कर दी जाएगी ? आशा है विलंम्ब कार्यवाही कर अवगत कराएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसीलाल जी।

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्री बिल्डिंग में और सदन में मौजूद नहीं हो, यह कोई...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप, बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पास तो एक यही मंच है जहां हम अपनी बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मुख्य मंत्रीजी लक्षद्वीप चले गये और मंत्रियों को छूट दे दी कि वे हाउस को गम्भीरता से नहीं लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कितने मंत्री बिराजे हैं यहां।

मोहम्मद माहिर आजाद : सब बातें कर रहे हैं। देखो आप, यह देखो। हाल तो देखो जरा। इधर भी देखो, उधर भी देखो। सदन की कोई गम्भीरता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कितने मंत्री हैं यहां। सरकार बैठी है न पूरी। (व्यवधान) यह कोई नई बात नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : आप देखिये, इतने मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हम बोल रहे हैं, माननीय मंत्री का हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : यहां मंत्री बिराजे हुए हैं, आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पहले जवाब मैं दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों का जवाब दो न कि कब तक भर दोगे। उर्दू अध्यापकों के जो रिक्त पद चल रहे हैं, दो बार बजट में यह घोषणा की गई कि हम तुरन्त लगा देंगे, आप बताइये कब तक भर दोगे ? (व्यवधान) दो जवाब इसका।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : डी.पी.सी. हो चुकी है, जल्दी से जल्दी...

मोहम्मद माहिर आजाद : जल्दी से जल्दी कब तक ? दो साल निकाल दिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्री भरोसीलाल जी।

हिण्डौन-बयाना मार्ग पर जगर नदी पर पुल का निर्माण

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत हिण्डौन-बयाना मार्ग पर जगर नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के हिण्डौन-बयाना, भरतपुर मार्ग पर जगर नदी बहती है। वर्षा के दिनों में पानी के बहाव के कारण रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। बसें, ट्रक, ट्रैक्टर व पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए भी रास्ता बंद हो जाता है। हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र की 20 ग्राम पंचायतों का बरसात में हिण्डौन सब डिवीजन पर जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है जिससे आम ग्रामीणजनों को भारी परेशानी हो रही है।

अत: मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हिण्डौन से बयाना भरतपुर मार्ग पर जगर नदी पर पुल निर्माण करवाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा।

नागौर में बुवाई के समय विद्युत-आपूर्ति

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान राजस्थान में बिजली की समस्या पर आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र 15 दिन बुवाई का समय रहा है, या तो ऊर्जा मंत्रीजी बिजली दें नहीं तो बाकोलिया साहब को कह कर किसानों को हरिद्वार जाने के लिए फ्री सेवा करा दें। राजस्थान के किसान आज बहुत दु:खी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसको पढ़ो आप तो। यह तो अभी दिनभर बहस चलेगी उसमें बोलना। अभी तो इसको पढ़ दो।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उसमें नम्बर नहीं आएगा, साहब। दो निर्दलीयों का ही आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर बहस में बोल लेना, आप बिराजो। (व्यवधान) मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं। उनको रिक्वैस्ट कर रहा हूं, मना थोड़े ही कर रहा हूं।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत जिला नागौर में विद्युत आपूर्ति मात्र तीन-चार घंटे प्रतिदिन होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख है कि जिला नागौर में इस बार बरसात कम होने की वजह से खरीफ की फसल सूख कर नष्ट हो गई। अब रबी की बुवाई का समय चल रहा है परन्तु विद्युत आपूर्ति

(श्री रिछपाल मिर्धा)

प्रतिदिन आठ घंटे करने की घोषणा के बावजूद किसानों को मात्र तीन चार घंटे प्रतिदिन मिल रही है, वह भी बार-बार ट्रिपिंग होती रहती है। जिले में जो ग्रिड-सब-स्टेंशन बने हुए हैं उनको भार-क्षमता के विरोध में मात्र एक तिहाई सप्लाई मिल रही है जिससे खेतों में बुवाई का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अत: आपके माध्यम से मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करता हूं कि अभी किसानों को प्रतिदिन आठ घंटे विद्युत आपूर्ति की जाए जिससे बुवाई का कार्य निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो सके तथा किसानों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

खारे कुओं के विद्युत कनेक्शन का मीठे कुओं में स्थानान्तरण

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत खारे पानी के कुओं से क्रय की गई मीठे पानी की भूमि पर खुदे कुओं पर कृषि विद्युत कनेक्शन शिफ्ट करने बाबत विशेष उल्लेख है कि लूनी नदी पर अधिक बांध बन जाने के कारण लूनी नदी से पानी आना बिलकुल बंद हो गया है जिसके कारण नदी के किनारे बसने वाली लूनी, सिवाना, पचपदरा और गुडामालानी तहसीलों के कुओं का जलस्तर कम हो गया है और खारा भी हो गया है। इतना खारा पानी हो गया है कि लाखों रुपयों की लागत लगाकर जो इन्वैस्टमैंट किया गया था अब बिलकुल व्यर्थ हो गया है। किसान इन खारे पानी के कुओं से रबी की फसल की पिलाई नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थितियों में किसान ने विवश होकर नयी भूमि का टुकड़ा करीब पांच बीघा मीठे पानी के कुओं को खोदने के लिये क्रय किया है, लेकिन पांच वर्ष की अवधि की पाबंदी ऐसी क्रय की गई भूमि पर राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने लगा रखी है, जिसके कारण पुराने कृषि कनेक्शन जो खारे पानी के कुओं पर लगे हुए हैं शिफ्ट नहीं किये जा रहे हैं जिससे किसानों में भारी असंतोष है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को ये निर्देश दिलाएं कि इस अकाल की घड़ी में पांच वर्षों की अवधि की पाबन्दी कृषि विद्युत कनेक्शन के शिफ्टिंग पर लगाई हुई है उसे तुरन्त हटाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीसिंहजी भाटी।

बीकानेर में लालगढ़ चौकी के पुलिसकर्मियों द्वारा एक दम्पति के साथ अमानवीय व्यवहार

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मामला गम्भीर है। 295 का प्रस्ताव तो मैं पढ़ लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, पर इस प्रकार की वारदात हरेक इज्जतदार के साथ पुलिस वाला चलते ही कर देता है। ऐसी सैंकड़ों वारदातें हो चुकी हैं, कितने ही आयोग बैठ गये हैं लेकिन पुलिस के व्यवहार में, रवैये में कोई सुधार नजर नहीं आया है। इसके लिए मैं जानना चाहूंगा, गृह मंत्रीजी, कि आपकी नीति क्या है, किस प्रकार आप बदलाव चाहते हैं? महोदय, जवाब आते हैं और रोज पिटते हैं।

(श्री देवीसिंह भाटी)

महोदय, बीकानेर के शहरी क्षेत्र के थाना नया शहर के अन्तर्गत पुलिस चौकी लालगढ़ के पुलिसकर्मियों ने दीपावली की रात में बर्बरतापूर्वक, अमानवीय, राक्षसीवृत्ति से बेकसूर सेना के जवान सूरजभान सिंह व उसकी धर्मपत्नी शुभकंवर के साथ दिल दहलाने वाला अत्याचार किया। सूरजभान अपनी पत्नी के साथ दीपावली की एक रात पहले 25.10.2000 को बाजार से सामान खरीद कर रात्रि 8.45 बजे स्कूटर से अपने निवास स्थान रामपुरा बस्ती जाते हुए पुलिस चौकी के सामने हनुमानजी के मंदिर दर्शन करने के लिए रुका व दर्शन करने के बाद मंदिर के बाहर की चौकी पर बैठ गया। कुछ देर बाद में एक सिपाही दयानन्द आया और उनके नजदीक बैठ गया। फिर सैनिक सूरजभान से उसके निवास स्थान रामपुरा बस्ती की जानकारी ली। सिपाही दयानन्द थोड़ा रुककर श्रीमती शुभकंवर से ऊट-पटांग अश्लील तरीके से पूछने लगा तो शुभकंवर ने सिपाँही दयानन्द को कहा की अपना काम करो, हमें परेशान मत करो। इतने में सिपाही दयानन्द ने शुभकंवर के थप्पड़ मार दिया जिस पर पति-पत्नी जोर-जोर से बोलने लगे। उस पर दो सिपाही सिविल ड्रेस में सामने पुलिस चौकी से आ गये। इस पर सिपाही दयानन्द ने सैनिक की पत्नी के दुबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो सैनिक ने हाथ पकड़ लिया। तो तीनों सिपाहियों ने थप्पड़, मुक्कों, लातों से सैनिक को मारना शुरू कर दिया और दोनों को पकड़ कर सामने पुलिस चौकी लालगढ़ ले गये। सिपाही सूरजभान के साथ मारपीट व गन्दी मां-बहिन की गालियां निकालते रहे। काफी देर बाद मारपीट बंद कर चौकी में बैठाये रखा। रात्रि करीबन 10.30 बजे नया शहर का थानेदार विकास आया, उसने सैनिक व उसकी पत्नी को गन्दी गालियां निकालीं व सैनिक सूरजभान के एक थप्पड़ की मारी। इस पर सैनिक ने थानेदार विकास का हाथ पकड़ लिया तो सिपाही दयानन्द व तीन-चार अन्य सिपाहियों ने सैनिक को पकड़ कर जमीन पर उल्टा पटक दिया। फिर थानेदार विकास ने एक पट्टे से पीठ पर कूल्हों पर लगातार मारना शुरू कर दिया। सैनिक सूरजभान की पत्नी ने बीच में आकर थानेदार को रोका तो थानेदार विकास ने एक पट्टे की शुभकंवर के सिर पर मारी व एक थप्पड़ मार कर कहा कि +++ हमारे सामने बोलती है और गन्दी गालियां निकालते हुए थानेदार ने शुभकंवर से कहा कि इन सिपाहियों के पैर पकड़ व इन्हें अपना जीजा (बहनोई) कह। यह व्यवहार तो आप सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार का पुलिस वालों का होता है। पति-पत्नी काफी देर गिड़गिड़ाते रहे कि हमारा दो माह का बच्चा घर पर मां के दूध के बगैर भूखा होने से रो रहा होगा, हमें जाने दो, घरवाले परेशान हो रहे होंगे। लेकिन पुलिस वालों को कोई रहम नहीं आया। छुट्टी में घर आये सेना के जवान सूरजभान ने घबराकर सिपाहियों को जीजा (बहनोई) कहा व सबके सामने पैर पकड़े तो थानेदार विकास ने सैनिक सूरजभान से माफीनामा लिखने को कहा व एक खाली कागज पर हस्ताक्षर कर रात्रि

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

12.30 बजे पति-पत्नी को छोड़ा जिस पर दोनों वापस घर पहुंचे। दूसरे दिन नया शहर थाने में थाना इंचार्ज नहीं होने का बहाना लेकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जिस पर डी.आई.जी. बीकानेर के सामने पेश हो चोटों के निशान दिखाये जिस पर डी.आई.जी. बीकानेर ने दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। (व्यवधान) बढ़िया तो कर दिया लेकिन वह इज्जत और वह जो मारपीट हुई उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप पढ़ो।

श्री देवीसिंह भाटी : यह तो अपन ने भी स्वीकार किया। सैनिक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज होने की सूचना होने पर पुलिसकर्मी सिपाही दयानन्द ने भी एक मनगढ़ंत झूठा मुकदमा दर्ज करवाया ।

यह कोई पहली घटना पुलिस चौकी लालगढ़ द्वारा नहीं की गई है बल्कि कई वारदातें बेकसूर लोगों के साथ की गई हैं। कुछ माह पूर्व लालगढ़ चौकी व नया शहर थाने के कर्मी रामपुरा बस्ती में ही शिवसिंह नाम के व्यक्ति को कच्छे-बनियान में ही घर से उठा लाये व थाने में मारपीट की। बाद में स्थिति सामने आई कि उठाना किसी अन्य व्यक्ति को था और उठा पड़ोसी शिवसिंह को लाये। शिवसिंह ने पुलिस अधिकारियों के सामने सुनवाई के लिए रो-धोकर घर पकड़ लिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसी इस क्षेत्र में पचासों घटनाएं हो चुकी हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई।

यह स्थिति कई थाना क्षेत्रों यथा:- खाजूवाला, पूगल, छत्तरगढ़, लूणकरणसर, नापासर आदि में लगातार होती आ रही है जहां पुलिस का व्यवहार दुर्दान्त डाकुओं, लुटेरों जैसा है। इज्जतदार बेकसूर आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पुलिसकर्मियों की शिकायत करने पर पुलिस अधिकारी अपना पुलिस परिवार का सदस्य मानते हुए उन्हें बचाते रहते हैं। पुलिस थानों को पूर्व डी.जी.पी. द्वारा मंदिर का रूप देने को कई बार कहा गया। अब यह मंदिर कब बनेंगे, ये मंदिरों के हालात हैं। लेकिन स्थिति जर्मनी के गैस चैम्बर की तरह खतरनाक होती जा रही है। कोई बेकसूर आतताई पुलिस वाले का डण्डा या हाथ पकड़ ले तो उस नागरिक को पुलिस वाले मार-मारकर उम्र भर मरी हुई आत्मा से जिंदा लाश की तरह जीने को मजबूर कर देते हैं। ऐसी कई वारदातों के कारण कई बेकसूर नागरिकों ने आत्महत्या कर ली है। यह आन पुलिस रिकार्ड है।

गृह मंत्रीजी को विदित है कि हाल ही में अजमेर में छात्र संघ के अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र मेघवंशी की पुलिस वालों ने मार-मारकर हत्या कर दी थी और अखबार में खबर आई है कि उसमें चार पुलिसकर्मी बहाल हो गये। हत्या का मामला, कितनी ज्यादती हुई। इस प्रकार के पुलिस के काले इतिहास में सैंकड़ों उदाहरण हैं। ब्रिटिश राज की पुलिस की मानसिकता कब सुधर पाएगी ? गृह मंत्रीजी, पूरे प्रदेश की जनता आपकी ओर देख रही है। राज्य सरकार उक्त वारदात के दोषी कर्मियों को प्राथमिक जांच के आधार पर निलम्बित करे एवं स्थानीय जिला पुलिस से जांच हटाकर जयपुर मुख्यालय से करवाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, बात तो यहां हम कह देंगे, आप बता देंगे। प्रक्रिया भी यही है लेकिन आज पूरे प्रदेश के अन्दर कोई भी सुरक्षित

(श्री देवीसिंह भाटी)

नहीं है। आप स्वयं जानते हैं और यहां कई माननीय सदस्य स्वयं अपनी आंखों से देख चुके हैं कि यदि कोई भी पुलिस वाला कोई ज्यादती कर ले और आप उसके सामने अपनी बात कह दें या उसका डण्डा रोक लें तो उसकी क्या हालत होगी। इस प्रकार का यदि व्यवहार रहेगा तो आम जनता कैसे सुरक्षित रह पाएगी ? उसमें आप क्या नीति बनाने जा रहे हैं ? इसमें कुछ सुधार करने का कभी आपने सोचा है या यह रवैया यूं ही चलता रहेगा ? आज हमारे उस रामपुरा कस्बे के अन्दर बीस हजार की आबादी का क्षेत्र है यह बस्ती और इसमें रोजाना...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, हो गया। कह दी न अपनी यह बात। कह दी आपने।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भाटी साहब बोले, जुगताराम के साथ बी.जे.पी. के राज में क्या हुआ था ? उस वक्त क्यों नहीं बोले आप लोग ? जुगताराम के साथ जो अन्याय हुआ आप लोगों ने क्या किया ? (व्यवधान) अगर जुगताराम ने किया उसके साथ क्या हुआ, यह बताओ पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो न आप। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : जुगताराम ने भी तो कुछ किया था, भाटी साहब उस वक्त वहां थे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। आप बिराजें। (व्यवधान) आप क्या कह रहे हैं ?

श्री देवीसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस महकमे में जो भी नया नियुक्त होता है, उसको पता नहीं क्या घमण्ड रहता है कि अपने आपको रावण की तरह समझता है और उसके साथ चाहे जैसे अत्याचार कर देता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी न यह बात। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना घटने के बाद में हमारा रामपुरा बस्ती का पूरा मौहल्ला आतंकित है। जब मर्जी आये जिसको उठाकर ले जाएं। आखिर उसका हुआ क्या ? जिसको भी आप घर से उठाकर ले आये उसके साथ मारपीट कर दी। और उसके बाद में जांच भी कौन करे ? पुलिस वालों की पुलिस वाला ही जांच करेगा और सारे अधिकारी मिल-जुलकर उसको रफा-दफा कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें एक मिनट। आप बिराजें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह कितना गंभीर मामला है। पूरा अजमेर उद्वेलित हुआ था। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : यह तो भाषण दे रहे हैं, 295 कहां है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, कृपा कर आप कृपा फरमाओ कि 295 के अन्दर भाषण नहीं दिया जाता। हमारा भी टाइम खराब हो रहा है। आप तो चेयर पर हैं, सब कुछ कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कोशिश यही कर रहा हूं। आप और समय खराब कर रहे हो।

श्री देवीसिंह भाटी : चेयर किस बात के लिए है ?

श्री रामनारायण चौधरी : चेयर का ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायण जी, मैं यही कोशिश कर रहा हूं और आप समय खराब कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : चेयर का ध्यान आकर्षित करने का मुझे भी अधिकार है यहां का सदस्य होने के नाते। 295 के अन्दर जो आप उठा रहे हैं, यह नहीं उठा सकते। यह तो पूरे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 295 में कोई रीसेंट आकरेंस की बात हो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह आपके अधिकार की बात नहीं है। (व्यवधान) It has been allowed by the Hon'ble Speaker; आप क्या कहोगे ? It has been allowed by the Hon'ble Speaker. आप इसको नहीं उठा सकते, उठा सकते हो, कहने से क्या फायदा हुआ ? बिराजें प्लीज।(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूरजभान है यह द्रास सैक्टर में तैनात था। वहां से छुट्टी पर आया था। यह जो बच्ची है मेरे निर्वाचन क्षेत्र की है इसे मैं जानता हूं।(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये तो सही। यह इश्यू नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...हिरासत में है। अब भी उसका पिता कैप्टन भंवरसिंह उसको मानसिक चिकित्सालय में दिखाने आया। किस तरह का अन्याय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ले आना न इसको, Bring it in some other way.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी, आप थोड़ी-सी संवेदनशीलता रखिये...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एक सैनिक द्रास से चलकर आया है और उसके साथ अन्याय हो, मैं समझता हूं...(व्यवधान) विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो तो सही। (व्यवधान) आप बैठो एक मिनट।

श्री रामनारायण चौधरी : आप यहां की परम्पराओं को तुड़वा रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : वह अपनी सीमा पर लड़ रहा है और उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की जाए।...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : क्या होता है 295? कोई बंधा हुआ है क्या हाउस ? सीरियस मैटर उठाया है, माननीय गृह मंत्रीजी को अपना स्टेटमैंट देना चाहिए। 295 में, उपाध्यक्षजी, कोई इश्यू गंभीर होता है तो उसकी गंभीरता लेनी पड़ेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको कैसे अनुभव हुआ कि स्टेटमैंट नहीं देंगे ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : दे क्यों नहीं देते ? (व्यवधान)

श्री नाथूराम अहारी : जुगताराम का क्या किया था ? (व्यवधान) आपने जुगताराम का क्या किया था ? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ...का सवाल उठाया जाता है और माननीय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नीचे बैठिये आप। आप बिराजें प्लीज। (व्यवधान)

श्री नाथूराम आहारी : आपके कार्यकाल में जुगताराम का क्या किया था आपने ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान) यही तो कह रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। इस बात को कह रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। फिर ?

श्री रामनारायण चौधरी : हां, जवाब दे रहे हैं वह अलग बात है। लेकिन आपने 295 में माननीय सदस्य को इजाजत दी। 295 पढ़ा नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : हां, तो आसन बैठ जाएगा पैरों पर है तो।

श्री देवीसिंह भाटी : यह मेरा भी दायित्व है आपको बताने का।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, आपका दायित्व है। मुझे मेरी बात कहनी है। 295 पढ़ने का आपने इनको मौका दिया, इन्होंने 295 का फायदा नहीं उठाया। जो कुछ उन्होंने कहा है वह वर्बल कहा है। उसमें से पढ़ा कुछ नहीं। यह सारा...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह आपका काम है क्या ? आसन किसलिए बैठा है ? आप मुझे रोक नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं अंदाज करता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो न। मैं बैठा हूं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय किसलिए बैठे हुए हैं ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री मोहन लाल मोदी : 295 में सिर्फ पढ़ने की इजाजत दी जाती है।

श्री रामनारायण चौधरी : लिखा हुआ जो कुछ आपको दिया है इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाएगा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह आसन का काम है, यह आपका अधिकार नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके अलावा जो कुछ भी पढ़ा गया है, that will not go on record. That will not go on record of the House. That should be expunged.

श्री मोहन लाल मोदी : हम जो सदस्य यहां आए हैं उनका भी अधिकार है यह... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें प्लीज। माननीय गृह मंत्रीजी। आप बैठिये प्लीज। पहले इनका जवाब आ जाए। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मैं जवाब तो सुन लूंगी लेकिन मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य को यह निवेदन कर रही हूं कि टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप मंडावा और टोडाभीम दोनों को मत बोलो, आप तो कृपा करके इनको बोलने दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जब कभी बिना लिखा बोलते हैं तब तो वह कुछ नहीं कहते। वह हमेशा ही बिना लिखा बोलते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 295 के तहत...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप इतने सीनियर मैम्बर हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने तो टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण आफ द रिकार्ड, जो कुछ है उसके अलावा कभी नहीं सुना। अगर आपने सुना हो तो आपको एतराज करना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो ना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रामनारायण जी की कुंठा दूसरी हैं जो तो दूर होगी नहीं। ये वहां बैठना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनकी चिंता दूसरी है, पीड़ा दूसरी है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप इसको डिसाइड कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा पाइंट आफ आर्डर है, आप डिसाइड कीजिए। आपने 295 में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य भाटी साहब को अपनी बात रीसेंट आकरेंस की है, वह कहने की अनुमति दी पढ़ने के लिए। माननीय सदस्य ने उसमें से पढ़ा कुछ नहीं और पूरा भाषण...(व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : आप कैसे कह सकते हैं कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा ?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी बात मैं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने दीजिए मेरी बात। इनका भाषण आप ले लीजिए उसमें लिखा हुआ है वह आप मिलान कर लें। इसमें जो लिखा हुआ है इसके अलावा nothing will go on record.

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास इनका भाषण लिखा हुआ है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : कौनसा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास है क्या इनका लिखा हुआ भाषण ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह पढ़ रहे थे न।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ रहे हैं तो पढ़ा है न। उसमें क्या बात हुई ?

श्री रामनारायण चौधरी : भाषण दे रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं दे रहे थे। उन्होंने जो लिखा हुआ है वही पढ़ा है।

श्री रामनारायण चौधरी : लिखा है तो फिर आपके पास है न ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरे पास है न।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पास भी होगा ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, मेरे पास है।

श्री रामनारायण चौधरी : उसके मुताबिक ही है ?

श्री उपाध्यक्ष : देख लिया न मैंने।

श्री रामनारायण चौधरी : उसके मुताबिक है ?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। ऐसा है, इसको आप इश्यू मत बनाइये। नार्मली... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, इश्यू क्या बनाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। आप बैठिये, आप इतने सीनियर सदस्य हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा पाइंट आफ आर्डर था इसलिए कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप बिराजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं सीनियर हूं इसलिए मैं रख रहा हूं।

(13.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : (व्यवधान) माननीय सदस्य, 295 में जो कुछ लिख कर देते हैं उसी को पढ़ते हैं, लेकिन नार्मली कोई न कोई माननीय सदस्य, यह कोई पहली दफे नहीं हुआ, नार्मली माननीय सदस्य कुछ न कुछ ध्यान आकर्षित करने के लिए आफ दी रिकार्ड बोलते हैं। इसलिए यह भी बोल गये, इसमें क्या बात है ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्या बोल गये, सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर गये।

श्री उपाध्यक्ष : सारा नहीं बोले हैं ये।

श्री रामनारायण चौधरी : सारे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर गये, उस पर आक्षेप लगा गये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : दोबारा पढ़ दूं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको देख लेना, प्लीज बिराजो।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई स्पीकर की परमिशन नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि जो कुछ भी 295 में पढ़ा जाता है वह स्पीकर की एप्रूवल से पढ़ा जाता है, यह तो आप मानते हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : सही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पीकर ने एप्रूवल कर दिया और एप्रूवल करने के बाद आप आपत्ति करें कि यह अध्यक्ष महोदय ने जो एप्रूवल दिया है वह ठीक नहीं है तो आपका आपत्ति करना ठीक है क्या ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने जो अनुमति दी उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो पढ़ा ही नहीं गया, ये तो उसके बाद भाषण दे रहे थे।

श्री देवीसिंह भाटी : दोबारा पढ़ दूं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कब कहता हूं ? वह पढ़ा ही नहीं गया, उन्होंने दूसरा भाषण दिया।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब, आप बिराजें।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं नहीं पढ़वाना चाहता हूं। मेरा एतराज है कि स्पीकर साहब ने जो एप्रूवल किया है वही पढ़ा जाएगा, उसके अलावा जो कुछ भी कहा जाएगा that will not go on record of the proceedings of the House.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर सदस्य हैं, आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं Anything beyond this does not go on the record. जो कुछ 295 में पढ़ा जाता है उसके अलावा रिकार्ड में जाता ही नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : यही तो मैं कह रहा हूं, प्रोसिडिंग्स में आया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह व्यवस्था है।

श्री रामनारायण चौधरी : गया है। इसमें लिखा हुआ है प्रोसिडिंग्स में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं गया है।

श्री रामनारायण चौधरी : गया है, नोट हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं गया है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप जा कर मिटा दो। पानी ले जाओ, धो दो इसको। (व्यवधान) साफ कर दो।

श्री रामनारायण चौधरी : हां मैं यही कहता हूं इसको निकाल दिया जाए। मेरी यही आपत्ति है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी आपत्ति समाप्त हो गई न. It does not go on the record and it will not go on the record.

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी आपत्ति है कि माननीय सदस्य ने...(व्यवधान) इसके अलावा जो कुछ कहा है that should not go on the record of the House.

श्री उपाध्यक्ष : I am saying that it has not gone on the record and if it has gone then it will not go on the record. यही कह रहे हैं, और क्या बात है। खतम हुई बात।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो लिखा है उसके बाहर उसमें क्या चला गया, यह तो बता दो आप।

श्री रामनारायण चौधरी : उन्होंने जो कहा है वह रिकार्ड पर गया है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गई न बात खतम।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। जो लिखा है उसके बाहर इन्होंने क्या कहा जो रिकार्ड पर चला गया, बता दें।

श्री रामनारायण चौधरी : भाषण दे रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे। आप थे नहीं यहां पर। आपका कोई कसूर नहीं है, आप बाहर थे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने सारा सुना है, मैं सुन कर आया हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं सुना आपने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सुन कर आया हूं कि रामनारायण जी फंस गये हैं, उनको कैसे निकाला जाए, इसलिए मैं आया हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं नहीं फंसा, आप आकर जबरदस्ती फंस गये। आपने अपनी गर्दन फंसायी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री रामनारायण चौधरी : यह जो कुछ कह रहे थे वह सारा इर्रेलेवेंट था।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 295 के तहत एक मामला सदन में उठाया। थोड़ी देर पहले वे मुझसे मिल थे और जो मामला उन्होंने 295 के तहत सदन में उठाया, उसकी कापी भी मुझे दी। जहां तक सैनिक के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार करने का या उनके साथ ज्यादती करने का सवाल है, मैं इसको सीरियस रूप से लेता हूं। राजस्थान सरकार ने सैनिकों को हमेशा सर्वोच्च सम्मान दिया है और अगर हमारे पुलिस के छोटे कर्मचारी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो सख्ती से कार्यवाही करेंगे।

आपने कहा कि शिकायत पुलिस की है और लोकल पुलिस जांच कर रही है। आप चाहते हैं तो मैं उसकी जांच डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से करा दूं, आप चाहें तो वहां के डिवीजनल कमिश्नर से जांच करा दूं। जांच के आधार पर

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

जो तथ्य सामने आएं उनके आधार पर यहां के सी.आई.डी. (क्राइम) ब्रांच को मैं इस केस को ट्रांसफर कर उसकी जांच करवा दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि...

डा. चन्द्राभान : अब क्या बच गया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, बच गया, वही थोड़ा बता रहा हूं।

मंत्री महोदय ने जो अभी वक्तव्य दिया, क्या मंत्रीजी यह कहना चाहते हैं या मानते हैं कि आपको इस घटना की जानकारी इससे पहले नहीं मिली थी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तथ्य को स्वीकार करता हूं, मेरे पास पहले जानकारी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, तो फिर तो, उपाध्यक्ष महोदय, सारे ही मामले विधान सभा में उठेंगे अगर गृह मंत्रीजी को पूर्व में जानकारी नहीं मिलती है।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी ग्रेटनेस को तो समझोगे, उन्होंने स्वीकार किया है। बात खतम करो न। He has accepted the facts.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह कोई इतनी इम्पार्टेंट घटना...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी ग्रेटनेस की तो प्रशंसा करता हूं कि इन्होंने एडमिट कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : बस, बात खतम हुई।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के पास भी गृह विभाग रहा है, मुझे बता दें कि हर छोटी-छोटी घटना की रिपोर्ट मुख्य मंत्रीजी के पास या गृह मंत्रीजी के पास जाती है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जाती है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एफ.आई.आर. की घटना नहीं जाती है केवल...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गृह मंत्री और मुख्य मंत्री अगर राजस्थान के घटनाक्रम की जानकारी नहीं रखता तो इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : नहीं, राजस्थान के विशेष मसले, हिन्दुस्तान से सम्बन्धित विशेष मसले, ये घटनाएं हमारे पास आती हैं लेकिन मारपीट का झगड़ा, छोटी-मोटी घटनाएं किसी गृह मंत्री के पास नहीं आयीं। आप भी अपने रिकार्ड को दिखवा लें, कब-कब ऐसी घटना आती है। न इस तरह की कोई शिकायत मेरे पास आयी। आज ही विधान सभा के दौरान मुझे इन्होंने यह जानकारी दी।

दूसरा, इन्होंने जिस बस्ती का जिक्र किया, यहां सदन में ये बैठे हुऐ हैं, मुझसे मिलते रहते हैं, कभी इन्होंने यह नहीं कहा कि इस बस्ती में जुल्म ढाया जा रहा है। वह भी जांच कराऊंगा और जांच कराने के बाद जो उसमें दोषी पाया जाएगा, चाहे थानेदार हो, चाहे डीवाई.एस.पी. हो और चाहे एस.पी. हो, मैं उसके खिलाफ एक्शन लेने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। बहुत बढ़िया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

पंचायती राज के अधीन कार्यरत प्राथमिक विद्यालयों की अव्यवस्था

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत नीचे लिखे महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार तथा पंचायती राज व शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में राजस्थान अग्रणी राज गिना जाता था। उनके महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ-साथ प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों के सुपुर्द कर एक बहुत साहसी व जनोपयोगी कार्य किया गया था, उस व्यवस्था को अब उलट दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों से वापस ले ली गई है और खेद इस बात का ज्यादा है कि कोई माकूल दूसरी व्यवस्था नहीं की गई है। शिक्षा अधिकारी नियुक्त किये गये हैं, पंचायत समिति से इनका कोई सामंजस्य नहीं है। वे अपने आप में स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही प्राथमिक शालाओं में अध्यापकों की अव्यवस्था हो गई है। समानीकरण के नाम पर प्राथमिक शालाओं से अध्यापक हटाये जा रहे हैं। छात्र अध्यापक रेशो बनाने में प्रथम कक्षा के छात्रों को संख्या में गिना जा रहा है। स्कूल के छात्रों की ज्यादा संख्या प्रथम कक्षा में ही होती है। इसका अर्थ यह निकलता है कि पहली कक्षा में छात्रों को पढ़ाने हेतु कोई अध्यापक देने की सरकार की कोई मंशा नहीं है।

प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को तनख्वाह पंचायत समिति देती है। प्रशासनिक नियंत्रण ब्लाक शिक्षा अधिकारी का है। अनुशासन की कार्यवाही कौन करेगा, कहीं स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण जगत में प्राथमिक शिक्षा का सत्यानाश हो गया है तथा ग्रामीण बालकों के भविष्य को अंधकारमय बनाया जा रहा है। मैं इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित कर व्यवस्था में सुधार हेतु निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

गजनाई बांध के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं का समाधान

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष उल्लेख के अन्तर्गत नियम 295 के तहत गजनाई बांध के निर्माण से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र रायपुर (पाली) के सोजत तहसील क्षेत्र के राजस्व गांव गजनाई, ग्राम पंचायत बीजागुड़ा में बांध का निर्माण तीन वर्ष पूर्व मध्यम सिंचाई योजना अन्तर्गत किया गया था लेकिन इस बांध निर्माण से गजनाई गांव के 100 परिवारों को बेघरबार होना पड़ा। उनको पुन: बसाने के लिए भूमि आबंटन नहीं किया गया बल्कि उन पर धारा 91 राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुकदमे बनाकर प्रति वर्ष सैंकड़ों रुपये का जुर्माना किया जा रहा है। इसी प्रकार बांध निर्माण के समय

(श्री हीरासिंह चौहान)

70 हजार रुपये राजकीय प्राथमिक विद्यालय के गजनाई बांध के डूब में आ जाने से विद्यालय अन्य स्थान पर निर्माण के लिए देने का प्रावधान रखा। उक्त राशि आज दिन तक जिला प्रशासन को नहीं दी गई जिससे आज दिन भी उक्त विद्यालय विकट स्थिति में चल रहा है। इसी प्रकार वर्ष 1997-98 में पूर्व सिंचाई मंत्री माननीय देवीसिंह भाटी ने बांध को जनता को समर्पित करने की तिथि पर बांध की डूब में भूमि व कुएं आने का मुआवजा कोडिया के किसानों को दिया, उसकी पुनः जांच कर काश्तकारों की भूमि व कुओं का उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया लेकिन आज दिन तक उसकी पालना सिंचाई विभाग द्वारा नहीं किये जाने से गजनाई गांव के गरीब काश्तकार अपनी वाजिब मांग के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

अतः मैं सिंचाई विभाग से पुरजोर शब्दों में किसानों की वाजिब व उचित उपरोक्त उल्लिखित मुख्य-मुख्य समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग करता हूं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जयपुर में कानून-व्यवस्था की स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। (व्यवधान) नहीं, अब बोलना है। पढ़ना बंद हो गया।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़ी लोमहर्षक घटना का विवरण सदन में दिया। माननीय गृह मंत्रीजी ने इस पर कार्यवाही करने के लिए जो आश्वासन दिया उसके लिए तो मैं गृह मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं पर, उपाध्यक्ष महोदय, जब से कांग्रेस का राज आया है, ला एण्ड आर्डर की स्थिति इस राजस्थान में बहुत खराब हुई है। हुड़िया कलां की घटना आपके सामने है। बिहार में जैसी घटनाएं होती हैं वैसी घटनाएं राजस्थान की धरती पर होने लग गई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा लम्बे-चौड़े भाषण में नहीं जाना चाहता लेकिन जयपुर में जहां पर राजस्थान के मुख्य मंत्री बिराजते हैं, जहां पर गृह मंत्री बिराजते हैं, पुलिस का मुख्यालय यहां पर है, पुलिस महानिदेशक जहां पर बिराजते हैं, वहां की घटनाओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बड़ी गम्भीर प्रकृति की घटनाएं हैं।

आज जयपुर में कोई महिला सुरक्षित नहीं निकल सकती। एक-दो घटनाएं चेन तोड़ने की रोज जयपुर शहर में हो रही हैं और 95 प्रतिशत वारदातें ऐसी हैं कि जिनमें पुलिस को सफलता नहीं मिली। पैट्रोल पम्प लुट रहे हैं और, उपाध्यक्ष महोदय, वह भी ए.के.47 से पैट्रोल पम्पस को लूट रहे हैं। मार्बल व्यापारियों पर जो कि पंजाब से आये हैं, ए.के.47 से हमले किये गये और उनको लूट लिया। एक नहीं, पांच या छह घटनाएं ए.के.47 से हुई हैं। आपने कोई स्पेशल टास्क फोर्स बनायी है, उसका पता ही नहीं है, उसके अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आये हैं। इसलिए ए.के.47 लाकर जो वारदातें यहां पर हो रही हैं, मेरा शक है इनमें आई.एस.आई. का हाथ है। इसको सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए और कुछ न कुछ पुख्ता कार्यवाही की जानी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, महिलाएं तो जयपुर आने

(डा. किरोड़ी लाल)

में बिलकुल सुरक्षित नहीं हैं। अभी कुछ दिन पहले अपने बांदीकुई इलाके से एक महिला अपने पति से मिलने के लिए जयपुर शहर में आयी और उसके साथ एक नहीं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पर्ची पर बोल रहे हो तो कोई विशेष घटना हो उस पर बोलो। आप तो जनरल बात कर रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल : मैं विशेष घटना पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : जनरल डिस्कशन तो इस पर्ची के माध्यम से होता नहीं हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी विशेष घटनाएं हैं। इनसे बड़ी कोई शर्मनाक घटनाएं नहीं हो सकतीं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोज एक न एक घटना लेकर मनोहर कहानियों वाले यहां पर बयान कर देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : एक महिला बांदीकुई से चलकर अपने पति से मिलने आये, एक नहीं, चार-चार आदमी उसके साथ गैंग रेप करें और यह सरकार सोती रहे, इससे बड़ी घटना और कौनसी होगी, उपाध्यक्ष महोदय ?

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो आप पर्टीकुलर कोई इंसीडेंट बोलो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की घटना सुनाता हूं। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल खाण्डाजी की धर्मपत्नी 95 हजार रुपये बैंक से निकालकर ला रही थी। सचिवालय के पास बैंक है, वहां पर सरकार बैठती है। चारों तरफ पुलिस है। उससे 95 हजार रुपये जबरन बदमाशों ने छीने। उसने उसका प्रतिरोध किया तो उसके चोटें लग गईं। पुलिस आज तक उस एक भी आदमी को गिरफ्तार नहीं कर पायी। मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि कल तो 95 हजार रुपये लूटे, आपका क्या शासन चल रहा है ? शासन का कोई डर नहीं है। आज तक किसी को गिरफ्तार किया है ? मैं आगे ज्यादा नहीं जाना चाहता।

यही नहीं, यहां पर विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। चोखी ढाणी में रूपारामजी खाना खाने के लिये गये थे। 1200 रुपये का कूपन ले लिया। कूपन लेने के बाद 10 बजे का टाइम दे दिया। 10 बजे का टाइम निकल जाने के बाद जब विधायक महोदय ने 11 बजे कहा कि मेरे को खाना दो तो खाने की जगह, मैं उसके पूरे प्रमाण लेकर आया हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक नहीं, एक दर्जन चोटें विधायक के शरीर पर पड़ी हैं। उनको कमरे में बन्द कर दिया और कमरे में घंटों तक बन्द रखा। वहां पर जब सांगानेर की पुलिस पहुंची तो थानेदार और पुलिस ने यह कहा कि आप यहां गड़बड़ कर रहे हैं, हम किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। रोते-रोते ये विधायक मुख्य मंत्रीजी के घर पहुंचे तो मुख्य मंत्री भी सोते हुए मिले, मुख्य मंत्रीजी ने भी जगकर उनको तसल्ली देने की कोशिश नहीं की। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जयपुर में कितनी घटनाएं हो रही हैं।

(डा. किरोड़ी लाल)

मालवीय नगर में डकैती की घटना हो गई। मालवीय नगर के अलावा मुरलीपुरा में डकैती की घटना हुई। एक नहीं अनेक लूट-खसोट और डकैती की घटनाएं हो रही हैं। जयपुर में बहिन-बेटी सुरक्षित नहीं हैं। जंजीरें झपटी जा रही हैं। औरतें बाहर जा रही हैं तो उनके साथ बलात्कार हो रहा है। जब विधायकों पर हमले होने लग जाएं चोखी ढाणी में और सरकार किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करे। विधायक मीटिंग में जा रहे थे, पंचायत समिति की मीटिंग थी और वहां पर राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में विधायक जब शामिल होने के लिए जा रहे थे, उन पर चोखी ढाणी में हमला किया जाए और सांगानेर पुलिस थानेदार यह कहे कि आप जाओ, एफ.आई.आर. दर्ज करायी तो ठीक नहीं होगा। बाकी के अधिकारी उन पर दबाव डालें, नागौर का जिला कलेक्टर दबाव डाले, एम.डी. कोरानी दबाव डाले कि एफ.आई.आर. दर्ज की जाएगी तो परिणाम ठीक नहीं होगा। विधायक को धमकी दी जा रही है और वह भी सत्ता दल के विधायक को धमकी दी जा रही है। इसलिए माननीय गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजधानी जयपुर में आपके रहते हुए पुलिस की नाक के नीचे पुलिस मुख्यालय में कोई भी सुरक्षित नहीं है इसलिए इस पर गृह मंत्रीजी का स्टेटमैंट आना चाहिए। यह बड़ी गड़बड़ हो रही है, इन गड़बड़ियों को रोकने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य यहां पर बिराज रहे हैं, माननीय सदस्य ने तो अपना दुखड़ा मुख्य मंत्रीजी तक को जाकर रो दिया था लेकिन मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्रीजी और राजस्थान की पुलिस किसी को सुरक्षित रखने में नाकामयाब हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री रूपाराम (डीडवाना) : माननीय उपाध्यक्षजी, रात को मैं सी.एम. हाउस पहुंचा। सी.एम. हाउस से टेलीफोन जाने के बाद आपकी पुलिस ने मेरी रिपोर्ट दर्ज की। सवेरे 31 तारीख को उठने के बाद पुलिस वालों ने क्या इंक्वायरी है, क्या जानकारी है, क्या उसके खिलाफ कार्यवाही है, आज तक मुझे जानकारी नहीं दी है। गृह मंत्रीजी से इस मामले में पचास बार मिल चुका हूं, एक भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री रूपाराम : वहां पर उसके खिलाफ 50 मुकदमें दर्ज हो चुके हैं। 1995 में एक आई.पी.एस. को पीटा गया, एक आई.ए.एस. को पीटा गया। उस टाइम 98 में एफ.आर. लगी है। उसने उसके बाद में कोर्ट में इस्तगासा प्राइवेट किया। उस आदमी की यहां तक पहुंच है। एम.एल.ए. क्या कई आई.ए.एस. और आई.पी.एस. पिट चुके हैं। चालीस मुकदमें बगरू और सांगानेर थाने में उसके खिलाफ दर्ज हैं। क्या कार्यवाही कर रहे हैं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

चाहता हूं कि डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य के साथ तो अन्याय हुआ...

श्री रूपाराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रात को जिस टाइम यह घटना हुई उसके बाद सवेरे सात बजे मेरे पास टेलीफोन आने शुरू हो गये और +++ का टेलीफोन आया। सवेरे आठ बजे कहा कि भाई क्या बात है, आप समझदार आदमी हो, आप इस मामले को निपटा लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम : उसके बाद दुबारा 11.30 बजे टेलीफोन आया। +++ ने कहा कि आखिर इस मामले में आप कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो आपको बदनाम कर देंगे बुरी तरह से और आपके खिलाफ एलीगेशन हम अखबारों में लगा देंगे इसलिए आप चुपचाप इस मामले में सलट लीजिए। उसके अलावा कई उच्चाधिकारियों के मेरे पास में टेलीफोन आये और उच्चाधिकारी मेरे पास आये कि इस मामले में कम्प्रोमाइज कर लो और सलट लो। लेकिन पुलिस द्वारा अभी तक उस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई है इस बात का मेरे को बहुत भारी दु:ख है। अगर इसमें कोई कार्यवाही नहीं होगी तो मैं इसके लिए गलत कदम उठाऊंगा और विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। यह घोषणा करता हूं।

एक माननीय सदस्य : यह सही होगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, ये हालात पूरे प्रदेश के हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इस तरह विधायकों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उपाध्यक्ष महोदय। कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बहुत चिंता का विषय है।

श्री हीरासिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी को इसका जवाब देना चाहिए।

श्री सांवर लाल : गृह मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। गृह मंत्रीजी को बताना चाहिए कि अब तक पुलिस ने क्या कार्यवाही की है... (व्यवधान

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ये राजनीति फैला रहे हैं। यह विधायक का मामला है यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है। (व्यवधान) माननीय सदस्य के साथ बहुत बुरा हुआ है इसलिए आप राजनीति मत फैलाओ। (व्यवधान) माननीय विधायक के साथ बहुत बुरा हुआ है...(व्यवधान) माननीय विधायक के साथ बहुत बुरा हुआ है और माननीय विधायक के साथ जो बुरा काम हुआ है उसमें कार्यवाही होनी चाहिए। आप इस तरह राजनीति मत फैलाओ। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

यह वही चोखी ढाणी है जिसमें आप लोग रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे थे वही चोखी ढाणी है यह। (व्यवधान) आप उसको बचा रहे हो यह कहकर। चोखी ढाणी में अगर विधायक के साथ कुछ हुआ है तो यह गलत हुआ है इसलिए आप इसको राजनीतिक रूप मत दो। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : (व्यवधान)... नहीं दिया गृह मंत्रीजी ने मेरे को...

श्री रामस्वरूप : एक विधायक के साथ हुआ है यह बहुत बुरा।

(सदन कूप में नारे)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : एक लड़की जो खेत में थी उसके साथ (व्यवधान) बलात्कार करके हत्या की...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : यह बहुत गम्भीर मामला है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हो रही है इसके विरोध में हम भी जनता दल के लोग धरने पर बैठते हैं।

(सदन कूप में नारे)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनकी पार्टी को तो...(व्यवधान) और आप फालतू परेशान हो रहे हो...(व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बालोतरा के अन्दर डेढ़ महीने पहले एक औरत और एक मासूम बच्चे की घर पर हत्या की गई। आज दिन तक वह राज खुला नहीं है...(व्यवधान) इस प्रकार बालोतरा क्षेत्र में चार-पांच हत्याएं इन दिनों में हुई हैं, एक भी राज नहीं खुला है।

(सदन कूप में नारे)

श्री रूपाराम : माननीय उपाध्यक्षजी, बड़े अफसोस की बात है कि डेढ़ महीने बाद में मेरा मेडिकल कराने के लिए पुलिस वाले आये मेरे पास और आज तक मेरा मेडिकल मुआयना नहीं हुआ है। बड़े अफसोस की बात है।

(सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया ना। अब आप बैठो ना। (व्यवधान) आप बैठो तो दिलाऊं। आप सुनो तो सही। मेरी भी सुनो तो सही, हो गई ना बात। आर्डर, आर्डर प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है आप अपने... आर्डर प्लीज, मेरी बात तो सुनिये। हो गई न बात आपकी। आप अपने स्थान पर बिराजिये। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा वे इस सम्बन्ध में कुछ कहें। आप बिराजो स्थान पर, जगह पर बैठो। एक मिनट, गृह मंत्रीजी, बिराजिये। आप अपने स्थान पर आएं। ऐसा थोड़े ही होता है। आर्डर, आर्डर। माननीय नन्दलाल जी, बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री रूपाराम जी और उनके साथ 6-7 व्यक्ति चोखी ढाणी में खाना खाने के लिए गये थे। वहां कोई पर्ची सिस्टम बताया जाता है। इन्होंने पर्ची कटवाई, 1200 रुपये जमा करवाये। इनको टाइम दिया गया था कि इतने बजे खाना शुरू किया जाएगा। शायद सवा दस बजे का टाइम इनको दिया गया था।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

थोड़ा लेट हो गया, इनके साथी उत्तेजित हो गये और वहां कहा-सुनी हो गई, झगड़ा हो गया कहा-सुनी पर। मैनेजमैंट ने इनके साथियों को और इनको ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : बंद किया या बैठाया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बैठाया पहले और बाद में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन तो लो कृपा करके।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बाद में... (व्यवधान) बाहर ले जाकर इनको...

श्री सांवर लाल : यह तो अखबारों में आ गया।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आ गया न तो फिर और जानकारी चाहते हैं। इस सम्बन्ध में केस दोनों तरफ से रजिस्टर हुए हैं। मैनेजमैंट की तरफ से रूपाराम जी और उनके साथियों के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किन दफाओं में ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दफा तो सारी अभी याद नहीं है। आप अगर पहले, यह पर्ची सिस्टम नहीं होता और आप काल अटेंशन करते तो मैं पूरा जवाब देता लेकिन पर्ची के जरिये ऐसे मामले उठाते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। सारी सूचनाएं साथ लेकर तो आना सम्भव नहीं है। भंवरलाल जी साहब, आप भी मंत्री रहे हैं। केवल पर्ची के माध्यम से बड़े-बड़े सवाल खड़े कर देते हो। आप काल अटेंशन करते, कोई और जरिये आप...

डा. किरोड़ीलाल : गृह मंत्रीजी केवल पर्ची का मामला नहीं...(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आज पर्ची में कौनसा सवाल उठेगा, सारा रिकार्ड साथ लेकर आना संभव नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरलाल जी, आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते हैं ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं और आपकी इच्छा नहीं है तो आप बोलते रहिये। पर्ची पर मुझे बाध्य नहीं कर सकते कि मैं जवाब दूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह नयी परम्पराएं क्यों डाल रहे हैं ? पर्ची पर कोई जवाब तुरन्त दिया जाता है ?

श्री उपाध्यक्ष : इनका जवाब थोड़े ही है, जवाब उनका है। आपके मैम्बर को रोको, आपके सदस्य को रोको। (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : एम.एल.ए. तीन पिट गये थे, हैड इंजरी हो गई, बड़ी मुश्किल से बचाया गया था। शान्ति पहाड़िया पिट गई... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो रूपाराम जी बताएं कि इनको कमरे में ले जाकर बंद किया था या बैठाया था। आप बताओ न अपनी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

स्थिति आपको बंद किया था या बैठाया था। आप चुप क्यों हो ? मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त। बोलो न खड़े होकर। सी.पी.जोशी के दबाव में आ रहे हो। बोलो (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : यह कोई नियम नहीं है विधायक को पकड़कर रखा जाए?(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बताओ तो सही, बैठाया था या बंद किया था ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर।

श्री अमराराम (धोद) : दबो मत।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी रूपाराम जी की जो शिकायत है उसका निराकरण हमारी पार्टी कर लेगी, मुख्य मंत्रीजी करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह पार्टी का सवाल नहीं है (व्यवधान) खेतसिंह जी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। यह एक माननीय सदस्य की मर्यादा का सवाल है। आज तक तो आपसे कुछ हुआ नहीं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह पार्टी का मामला नहीं है, माननीय सदस्य का मामला है... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप पांच एम.एल.ए. को पिटवा चुके, (व्यवधान) जौहरी बाजार के एम.एल.ए. को पिटवा चुके, आपने मीनाक्षी चन्द्रावत को पिटवा दिया, आपने शान्ति पहाड़िया को वैर में पिटवा दिया, निर्भयलाल जाटव को रूपावास में पिटवा दिया। अब तक आप कांग्रेस के पांच एम.एल.एज. को पिटवा चुके हो, यह तो बताओ और कितनों को पिटवाना चाहते हो। (व्यवधान) क्या सलट लोगे आपस में, आप माननीय सदस्य को बोलने नहीं देना चाहते हो। (व्यवधान) पांच एम.एल.ए. पिट चुके अब तक पांच। यह पार्टी का सवाल है ? अगर आपने ये ही ठेका ले लिया है...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बी.जे.पी. वालों ने ही चोखी ढाणी का परिचय करवाया था। कोई जानता ही नहीं था चोखी ढाणी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर आपने ये ही ठेका ले लिया है, यही तय कर लिया है तो सारे कांग्रेस विधायकों का नम्बर लगाएंगे। यह अच्छी परम्परा नहीं, इसको सदन बरदाश्त नहीं करेगा, खेतसिंह जी साहब। पांच एम.एल.ए. पिटवा चुके हो आप अब तक। यह कोई तरीका थोड़े होता है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपको इतनी सिम्पैथी क्यों है ?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, सिम्पैथी माननीय सदस्यों से है...(व्यवधान) आपको जलन क्यों है ? आपको जोश क्यों है ? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अगर आप पिटेंगे तो आपके प्रति भी सिम्पैथी... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हमको सिम्पैथी है तो है। (व्यवधान) आप गलत दिशा में टर्न

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कर देते हो हर बात को, आपकी आदत है। आप अपने अनुभव का नाजायज लाभ उठाते हो। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यदि आपको कोई ठोक देगा तो उसके लिए भी हम बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप माननीय सदस्य को अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह सदन को अपनी स्थिति से अवगत कराएं। यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या सहमति हुई और क्या सम्मति हुई, यह माननीय सदस्य का सवाल है यह हाउस की गरिमा का सवाल है, यह जन प्रतिनिधियों के स्वाभिमान का सवाल है। यह तो खुश हो रहे हैं, पांच-पांच को पिटवा चुके। पता नहीं कितनों को पिटवाना चाहते हैं। आपने कोई कार्यवाही आज तक नहीं की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी, बैठिये। माननीय सदस्य, बिराजिये, प्लीज। आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जोशी जी को सीट पर भेजो।

श्री अमराराम (धोद) : जोशी जी ने मंत्रीमण्डल छोड़ दिया क्या ? इस्तीफा दे दिया ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो।

मोहम्मद माहिर आजाद : जो पीछे बैठे हैं उनको अपनी सीट पर भेजो। (व्यवधान) अपने आपको ज्यादा समझदार समझते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बैठिये। नीचे बैठिये।

श्री बाबूलाल नागर: मेरे खिलाफ असत्य आरोप लगाये जा रहे हैं। अपने आपको बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट।

श्री बाबूलाल नागर : (व्यवधान) दोनों मुंह की बातें आप करते हो। (व्यवधान) मेरे खिलाफ असत्य आरोप लगाये, उस वक्त अनर्गल आरोप लगाये। ये ही मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे थे, उस वक्त कहां गये थे आप लोग ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है। मेरा व्यवस्था का सवाल यह है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : इस सदन की कुछ परम्परा है, कुछ नियम और कुछ गरिमा है। प्रत्येक माननीय सदस्य अपनी सीट से जाकर अपनी बात कहें। ट्रैजरी बैंचेज के लोग

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अपनी सीट पर जाकर बैठें। जिस तरह का दृश्य पिछली बैंच पर है, उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि आप पंचायत राज मंत्रीजी को, रामस्वरूप जी को... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सदन में अकसर कई माननीय सदस्य एक-दूसरे के पास जाते रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हो, आप भी कभी मंत्रियों के पास जाकर उधर बैठते हो। (व्यवधान) आप प्लीज बैठिये, नीचे बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या बैठें, आप तो एक मिनट के लिए जाते हैं, परमानेन्ट जाकर बैठ जाएं ? परमानेन्ट नहीं बैठते हैं। एम.एल.ए. को ऐसे दबोच रहे हैं जैसे मुर्गी अण्डे को दबोच रही हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज। व्यवस्था यह है कि यदि माननीय सदस्य बोलेंगे तो अपनी सीट से बोलेंगे। यदि बैठे हैं तो उस पर आप एतराज नहीं कर सकते। बोल नहीं रहे हैं, बोलेंगे तो मैं उनकी सीट पर ले आऊंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : यह एतराज नहीं है कि माननीय सदस्य वहां जाकर क्यों बैठे।

श्री उपाध्यक्ष : यही एतराज है। पाइन्ट आफ आर्डर तो यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप मेरी सुनिये, मैं बताता हूं। एतराज इसमें है कि सामान्य तरीके से कोई माननीय सदस्य किधर भी जाकर बैठे किसी को आपत्ति नहीं बशर्ते कि वह बोले नहीं, यह यहां तक व्यवस्था है। (व्यवधान) मेरी सुनिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना न। पहले आपको बोलने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस कारण से माननीय सदस्य वहां बैठे हैं वह कारण आपत्तिजनक है। माननीय रूपाराम जी कुछ बोले और बोलने के बाद में वह नहीं बोलें, इस चेष्टा से माननीय सदस्य वहां जाकर बैठे हैं। एक तरफ तो वह बैठ गये और एक तरफ हमारे रामस्वरूपजी बैठ गये। इन दो के बीच में और आसपास में बैठ जाएं.. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो इनको एतराज होना चाहिए न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कह रहा हूं। आप अगर कहीं बोलना चाहो और हम बीच में आकर आपको रोकें तो आप बोल सकते हैं क्या ? नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : रूपाराम जी और प्रतिपक्ष के नेता किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? रूपाराम जी किस नियम के तहत बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री रूपाराम : इस तरीके की शंका करने की बात नहीं है कि जोशी जी आकर बैठ गये

(श्री रूपाराम)

या रामस्वरूपजी आकर बैठ गये, 153 भी मेरे चारों तरफ बैठ जाएं तो मेरी आवाज को नहीं रोक सकते। (व्यवधान) इस मामले में जो कुछ भी करना था...(व्यवधान) लालच देना था, लालच के लिए भी कोई आदमी का आफर आया लेकिन मैंने कहा, मैं एक जन प्रतिनिधि होने के नाते मेरी आवाज़ को रखूंगा चाहे आप कुछ भी कर लें। मैं मेरी आवाज को नहीं छोड़ूंगा चाहे मेरी सरकार होते हुए सुनवाई नहीं होगी, वह बात अलग है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनवाई कैसे नहीं होगी ? होगी (व्यवधान) इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रूपारामजी ने कहा कि ये नहीं मानेंगे। इनको प्रैशराइज करना गलत है। मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि एम.एल.ए. होने की वजह से एक प्राइवेट नागरिक नहीं रहे, ऐसा नहीं होता है। एम.एल.ए. के कर्तव्य में कहीं व्यवधान पैदा होता हो तो बात अलग है। यह रोजमर्रा के झगड़े हैं इसको लेकर, हालांकि मेरे साथी नाराज होंगे...(व्यवधान) यह कोई मतलब नहीं है। यह पिट गया यह क्वेश्चन नहीं है। एम.एल.ए. का झगड़ा भी होता हे। मर्डर भी होते हैं। (व्यवधान) Law will take its own course. अब इसको आप हर बात को, नहीं-नहीं, कार्यवाही नहीं...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इसको गलत दिशा में, आज तक कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री सांवर लाल : 6-6 महीने जांच नहीं होनी चाहिए उसकी ? एम.एल.ए. के साथ जो घटना घटी, 6-6 महीने तक पता नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, बिराजो प्लीज।

श्री सांवर लाल : इसका मतलब 6 महीने तक जांच नहीं होगी क्या ? (व्यवधान) 6-6 महीने हो गये, पता ही नहीं क्या हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदन में माननीय सदस्य ने प्रिविलेज मोशन मूव नहीं किया है। वह कोई प्रिविलेज क्लेम नहीं कर रहे हैं लेकिन साधारण नागरिक के रूप में... (व्यवधान) एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह सामान्य बात है। आप बिराजो। समझ गया मैं आपका। समझ गया जो आप फरमा रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रिविलेज मूव नहीं किया है। उसके साथ जो घटना हुई है उस घटना का उल्लेख किया है। उस घटना से यह पता लगता है कि एक एम.एल.ए. के साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है। उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, इसकी आपत्ति हो रही है। मैं समझता हूं आम आदमी का क्या होगा, यह है प्रश्न।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

श्री दुर्गाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात कहने दें। हमारे साथ भी घटना घट रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

एक माननीय संदस्य : एक को तो निपटने दो। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : एक एम.एल.ए. के साथ में आपकी राज्य सरकार के डीवाई.एस.पी. +++ कर रहे हैं। मैं अपनी बात आपको बताऊं। मैंने एक डीवाई.एस.पी. को जो गंगापुर में था, नाम बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह सदन की परम्परा में नहीं है, एक डीवाई.एस.पी. से मेरी दोस्ती थी, उसने मुझसे तीस हजार रुपये उधार मांगे, मैंने उन्हें तीस हजार रुपये दे दिये। क्या हुआ कि उनका ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर होने के बाद वह कैलादेवी में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें। प्लीज बैठिये। पहले आप गृह मंत्रीजी को सुनिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : (व्यवधान) मैं पूरी बात कहूंगा। मेरी बात सुनियेगा, साहब। उस डीवाई.एस.पी. ने मुझे मारने के लिए मेरे हाथ-पैर तोड़ने के लिए गुण्डों को उकसाया। मैंने उसके खिलाफ डी.जी. को रिपोर्ट की है और डी.जी. साहब उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। (व्यवधान) इंक्वायरी को कई दिन हो गये, कोई कार्यवाही नहीं हुई। (व्यवधान) मेरे साथ वह कभी भी हाथापाई कर सकता है। मेरे हाथ-पैर तुड़वा सकता है, मेरे खिलाफ केस लगवा सकता है। (व्यवधान) इस तरह का हमारे साथ में व्यवहार किया जा रहा है। कोई भय नहीं है। जन प्रतिनिधि का कोई सम्मान नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। बिराजो, अब तो बिराजो।

श्री दुर्गाप्रसाद : यह मेरी पीड़ा है, मैं आपको कहना चाहता हूं। डी.जी. साहब को रिपोर्ट कर दी है परन्तु आज तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई है। यह तो हाल हो रहे हैं, हुजूर। तो इनको तो सम्भालिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय देवीसिंहजी भाटीजी, एक मिनट।

श्री देवीसिंह भाटी : यह सारी हालत हो रही है। पूरे प्रदेश के अन्दर न आम नागरिक सुरक्षित है, न जन प्रतिनिधि सुरक्षित है। सारी जांच का विभाग आपके पास में है, आप अगर सही निर्णय नहीं कर पाते तो आप जनता को जवाब दे दीजिए कि मरो और जाओ खड्डे में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटी साहब।

श्री देवीसिंह भाटी : इस प्रकार का व्यवहार मत करो। अगर जन प्रतिनिधि के साथ यह हो सकता है तो आप भी सुरक्षित नहीं हैं। आपकी पिटाई होगी तब भी हम पैरवी करेंगे। हम तो फिर भी बोलेंगे लेकिन यह जो दिशा ले रहे हैं हम, यह दिशा बिलकुल गलत जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसको पोलिटिकलाइज क्यों करते हैं आप ? बाकी सम्मान होना चाहिए, हम कब कहते हैं...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री देवीसिंह भाटी : वहां जाकर पोलिटिकलाइज आपके लोगों ने किया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी को यदि आप शांति से सुनना चाहते हैं तो मैं उनको इजाजत देता हूं। नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं अगला कार्यक्रम लेता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, आप टोक रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही कह रहा हूं, आपने जो कहा, हम सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना चाहते हैं तो आप अपने सदस्यों को कहें कि बीच में नहीं बोलें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सदस्यों से वह छेड़खानी नहीं करें तो नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : छेड़खानी आप कर रहे हो तो थोड़ी बहुत तो वह भी करेंगे ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छेड़खानी वह करते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा थोड़े ही होता है। ऐसा नहीं होता है। इतनी गम्भीर बात है तो इसको गम्भीरता से लीजिए। टेक इट सीरियसली।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं तो कोई छेड़खानी की बात नहीं कर रहा था, तथ्यों की जानकारी दे रहा था कि परन्तु आपके माननीय सदस्य उठा पटक कर ऐसी बातें करने लग गये तो फिर कैसे हाउस का काम चलेगा। मैंने जैसा प्रारम्भ में निवदेन किया, घटना 30.8.2000 की है। आप सुनिये तो सही (व्यवधान) आप पहले ही बहुत करने लग गये तो ठीक है, बहुत है। चलिये, छुट्टी हुई। सुनना ही नहीं चाहते तो किसको सुनाएं। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाराज मत होओ। आप बोलिये, बोलिये।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय नेता महोदय, मैं चार बार खड़ा हो गया हूं इस बात को कहने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो कई बार खड़े होते हैं, हमको बोलने का मौका नहीं मिलता, आपको मौका तो मिल रहा है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इस इश्यू को सीरियस नहीं ले रहे हैं आप, मेरा यह चार्ज है। इस इश्यू को सीरियस लेना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार्ज मान लिया आपका।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : क्या तमाशा है, आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। हो-हल्ला करके वातावरण पैदा करना चाहते हैं।सुनिये तो सही बात को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बोलिये आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : फिर हमारी गलती हो तो निकालिये, हम सुनने को तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये तो सही ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने जैसा निवेदन किया आपको, 30.8.2000 की रात्रि को चोखी ढाणी में रूपारामजी और उनके छह साथी उनके साथ खाना खाने के लिए गये। जैसा मुझे बताया गया, वहां पर्ची काटने का सिस्टम है। इन्होंने बारह सौ रुपये की पर्ची के दे दिये। उसके बाद इनको खाने के लिए समय दिया गया सवा दस बजे का। इनके साथी और ये लोग खाने के लिए दिये गये समय पर वहां गये। लेकिन पहले बैठे हुए कुछ व्यक्ति जो खाना खा रहे थे उनको थोड़ी देरी हो गई। मैनेजमैंट ने इनसे कहा कि थोड़ा इंतजार कर लें। ये इंतजार नहीं कर पाये, भावावेश में इनके साथी आ गये और कहासुनी हो गई। कहासुनी होने पर मैनजमैंट के लोगों ने इनके साथियों को ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया। झगड़ा बढ़ता देख वहां एक गार्ड रूम है, उस गार्ड रूम में इनको ले जाकर बंद कर दिया। यह सही बात है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। इसके बाद यह मुख्य मंत्रीजी के निवास पर गये होंगे, मुझे मालूम नहीं, मुझे उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। मुझे दूसरे दिन मालूम पड़ा कि ऐसी घटना घटी है। इन्होंने यह भी शिकायत की कि जो सब इंस्पेक्टर वहां था उसने ठीक व्यवहार नहीं किया। मैंने दूसरे दिन उस सब इंस्पेक्टर को सस्पैंड कर दिया।

श्री रूपाराम : गलत, दूसरे दिन तो सवेरे 4 बजे के बाद एस.पी. साहब ने उसको सस्पैंड कर दिया। आपने सस्पैंड आदेश नहीं करवाये। यह बात है, उसी टाइम 4 बजे रात को, उससे पहले वर्दी उतार दी गई और सस्पैंड...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, (व्यवधान) इनकी सुनिये...(व्यवधान)

श्री रूपाराम : कर दिया गया। आप गलत वक्तव्य दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनकी सुनिये, सुनिये। आप कृपया बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : आप सरासर असत्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनकी सुन लीजिये, फिर बाद में बोल लेना ना।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : एस.पी. साहब रात को मौके पर गये, मौके पर जाकर सारे हालात देखे। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। इनकी शिकायत पर सब इंस्पेक्टर ने, केवल यही शिकायत थी कि मुझे गाड़ी में पीछे बिठा दिया। इनके साथ कोई मारपीट उस सब इंस्पेक्टर ने नहीं की। इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, न गाली-गलौच किया। लेकिन यह शिकायत थी कि विधायक होने के नाते मुझे गाड़ी में पीछे बैठा दिया गया। केवल इस शिकायत के आधार पर सब इंस्पेक्टर को सस्पैंड कर दिया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : गलत किया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : गलत किया।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत गलत काम किया। (व्यवधान) बहुत गलत काम किया (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह कोई बात हुई क्या ? (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अब आप बाद में पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना चाहते हो कि नहीं ? सुन लीजिये प्लीज। आप बार-बार उठोगे तो कैसे चलेगा ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इनकी शिकायत के आधार पर अभियोग संख्या 164/2000 धारा 147, 148, 150, 341, 342 और 323 का अपराध दर्ज किया गया। (व्यवधान) बीच में नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। इनकी जो शिकायत है वह पढ़कर सुना दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : शिकायत तो मैं, अगर हाउस में यह एजेण्डा होता तो लेकर आता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप पढ़कर सुना दें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास अभी नहीं है। मैं तो जो तथ्य हैं उसकी जिस्ट आपको बता रहा हूं। मेरे पास जिस्ट रहती है कुछ घटनाओं की, उसके आधार पर बता रहा हूं, क्योंकि अभी आपने पर्ची पर दिया। अगर आप मोशन के जरिये आते तो फाइल को पूरी लाकर आपके सामने रख देता। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान) मैं भी यह कह रहा हूं। घटना में घायल हुए रूपाराम जी विधायक और उनके साथियों की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह तो मना कर रहे थे।

श्री हरजीराम बुरड़क : आप बीच में बोल रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : वह मैं पूरा ही बता दूंगा, मैं डेट बता दूंगा कि कब कराया कब नहीं कराया, क्या हुआ। अनुसंधान के दौरान 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी रिपोर्ट पर मैनेजमैंट के 18 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। जिनको कोर्ट ने जमानत पर छोड़ दिया। इसके विपरीत चोखी ढाणी के व्यवस्थापक सार्दुलसिंह की रिपोर्ट पर अभियोग संख्या 165/2000 दर्ज किया गया, धारा 147, 323, 354 और 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत केस दर्ज किया गया। चूंकि विधायक के खिलाफ केस दर्ज हुआ है इसलिए इसकी जांच मैंने सी.आई.डी. को ट्रांसफर कर दी थी। पहले से एक प्रिंसिपल डिसाइड किया हुआ है कि अगर विधायकों के खिलाफ कोई किसी तरह का केस दर्ज होता है तो वह स्थानीय पुलिस नहीं करेगी, सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच को सुपुर्द की जाएगी। उसके तहत मैंने इनके खिलाफ जो शिकायत थी उस केस को सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : टाइम बता दें... (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप इतने सवाल पूछेंगे तो...(व्यवधान) नहीं-नहीं, मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एफ.आई.आर. का टाइम बता दें...(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं ऐसे जवाब नहीं दे सकता हूं। मैं आफ-हैण्ड जवाब नहीं दे सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कोई जवाब...(व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैंने आपको पहले कहा है, मैं आफ-हैण्ड जवाब नहीं दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, लैट हिम फिनिश। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो टाइम पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको खतम करने दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एफ.आई.आर. का टाइम पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इनको खतम करने दीजिये, आप बाद में पूछ लेना।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्योंकि इनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बाद में पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अगर आप यह सारा डिटेल में चाहते हैं तो किसी माध्यम से आ जाइये, मैं सारा रिकार्ड लाकर हाउस के सामने रख दूंगा। मुझे किसी चीज को छिपाने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है। मेरा इंट्रेस्ट होगा जन प्रतिनिधियों को सम्मान देना, मान देना। उनकी प्रतिष्ठा बचाने का हमारी सरकार का दायित्व है, इसमें हम कमी नहीं रहने देंगे। यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन आप सारा रिकार्ड ए टू जैड पूछ रहे हैं तो मैं साथ लेकर बैठता हूं क्या ? (व्यवधान) बैठ जाएं मेहरबानी करके। (व्यवधान) जब आप बहस करना चाहें, कोई भी स्टेज हो, मैं बहस करने को तैयार हूं। मैंने मुकदमा सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया, वह वहां अन्वेषाणाधीन है। इनका जो केस दर्ज किया वह स्थानीय पुलिस इन्वेस्टीगेशन कर रही है। मैंने पुलिस अधिकारियों, एस.पी. साउथ से, डी.आई.जी. रेंज से 3-4 रोज पहले ही चर्चा की थी, कुछ चोटों को उन्होंने सिम्पल बताया और कुछ चोटें ऐसी हैं जिनके बारे में डाउटफुल बताया है, जो एक्स-रे के द्वारा करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इनका हम दुबारा एक्स-रे करवा रहे हैं। रूपाराम जी आज सुबह मुझसे मिले थे, उससे पहले भी मुझसे मिले थे। आज इन्होंने मुझसे कहा था कि चोखी ढाणी में जो व्यवसाय वहां होता है उनकी शिकायतें कई थानों में कई बार की गई हैं। मेरी नालेज में नहीं है। मैंने उनसे अनुरोध किया, जो-जो शिकायतें आई हैं, चाहे आई.ए.एस. अफसर की पिटाई की गई हो, चाहे किसी सामान्य व्यक्ति के साथ होटल के मैनेजमैंट ने कुछ किया हो, उनकी नालेज में हो तो मुझे दें। मैं भी अपने अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं। आज सुबह की बात है, चोखी ढाणी के खिलाफ कितने मुकदमें, किस-किस थाने में कहां-कहां दर्ज हैं उसका विवरण प्राप्त करके अगर वास्तव में वे आदतन इस तरह की कार्यवाही करने के आदी हैं तो सरकार उस पर विचार करके शीघ्र ही निर्णय लेगी। मैं यहां सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रूपाराम जी के सम्बन्ध में

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

हम निश्चित रूप से जिन लोगों ने अपराध किया है, जो भी मेडिकल रिपोर्ट है, एक्स-रे की रिपोर्ट आने के बाद तत्काल कार्यवाही कर दी जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। (व्यवधान) बस, यह समाप्त हुआ। यह कोई प्रश्न-उत्तर सैशन थोड़े ही है ? (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तर नहीं, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक बात की जानकरी करना चाहूंगा। आपने इस बात को एग्री किया कि उनके चोटें थीं, उसका मतलब यही है कि उनकी पिटाई हुई। अब चोटें सिम्पल थीं या ग्रिवियस हर्ट थीं ? तो सिम्पल तो आपने एडमिट कर लिया और ग्रिवियस हर्ट के लिए आप कहते हैं कि एक्स-रे कराएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से पहले आपने एक्स-रे क्यों नहीं कराया ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पुलिस वालों का यह कहना है कि रूपाराम जी इस घटना के तुरन्त बाद अपने गांव चले गये। फिर आये, फिर गांव चले गये। इस तरह के घटनाक्रम होने की वजह से इसमें कुछ देरी हुई है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपसे एक निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, प्लीज। श्री मदन दिलावर। (व्यवधान)

श्री रूपाराम : 30 तारीख को कमेटी की मीटिंग थी, एक तारीख को राज्यपाल जी का प्रोग्राम मकराना था, दो तारीख को पंचायत समिति की मीटिंग थी, तीन तारीख को चन्द्रभान जी, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और मेरा प्रोग्राम था। रैगुलर कार्यक्रम में मुझे जाना था। मैं जिस टाइम चोखी ढाणी आया, मैं हरेन्द्र जी साहब से 8 बजे मिलकर मेरे गांव के लिए रवाना हो रहा था। उस दौरान मेरे गांव से 2-3 सरपंच, मेरा भतीजा व अन्य आदमी जो मेरे रिश्तेदार आये हुए थे, उनकी तीन दिन की जिद के कारण मैं वहां पहुंच गया। वहां पहुंचने की मेरी गलती का अंजाम यह हो रहा है कि आज हालात ये हैं कि एक्स-रे आज मेरा होगा। मैं तीन बार गवाहों को लेकर आया, मेरे साथी थे उनको मैं लेकर आ गया। पुलिस अधिकारियों ने आज तक भी सम्पर्क नहीं किया। कल शाम को अशोक नगर थाने में मुझे बुलाया गया और एडिशनल एस.पी. मीणा करके हैं, उसने मेरे को कहा कि चलो, आपको वहां मौका दिखाना पड़ेगा। शाम को 9 बजे मैं चोखी ढाणी गया और उनको मौका दिखाया। यह बात सारी गलत है कि मैं कहीं चला गया। कहीं नहीं गया। रैगुलर 30 तारीख के बाद में तीन दिन मेरा प्रोग्राम था, मैं उसके बाद में यहां रहा हूं, इंतजार करने के बाद भी किसी अधिकारी ने मेरे से सम्पर्क नहीं किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजिए प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह मामला केवल पर्ची के माध्यम से आ गया, चूंकि एक माननीय सदस्य का सवाल था इसलिए मैंने अलाउ कर दिया, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि आप बोले जाएं। The matter is ended now.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपने अलाउ कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : खतम हो गया, फिर उसका जवाब आ गया। He will never be satisfied by his reply. What is the end of it ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Who is satisfied with the reply ? Nobody is satisfied with the reply.

श्री उपाध्यक्ष : नहीं होगा तो नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा न कि he is satisfied with the reply.

श्री उपाध्यक्ष : इसको आप सैटिस्फाई नहीं मानते हैं ? If you are satisfied then it is alright. If you are not satisfied then what is the end ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : No, not at all. उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न एम.एल.ए. का है, मैंने आपको पहले निवेदन किया।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए अलाउ किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिए। प्रिविलेज मोशन मूव नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रिविलेज कमेटी में, माननीय नेता महोदय, यह मामला आलरेडी सामने है। It has already been submitted to the Privilege Committee. उस पर डिस्कस हो रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : That is a different matter. But it has not been moved in the House.

श्री उपाध्यक्ष : Yes. It has not been moved.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं किया न ?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, तो मैं यही कह रहा हूं कि क्वेश्चन इतना-सा है...

श्री दुर्गाप्रसाद : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सुरक्षा का भी इन्तजाम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, गृह मंत्रीजी के स्टेटमैंट के बाद कहा है कि मैं लगातार जयपुर में था, कुछ दिनों के लिए...

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उन्होंने स्वयं ने स्वीकार किया कि गवर्नर साहब का प्रोग्राम था, पंचायत समिति की मीटिंग थी और दूसरे प्रोग्राम थे...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : He was not available.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने कहा कि मैं तीन दिन तक यहां था।

श्री उपाध्यक्ष : चाहते क्या हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि तीन दिन में उनको किसी ने इत्तला दी की नहीं कि कब एक्स-रे करवाना है ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ किसको रहे हैं आप ? What for ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट, आपकी अनुमति से।

श्री उपाध्यक्ष : व्हाट फोर ? क्यों ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्रीजी ने यह कहा है...

श्री उपाध्यक्ष : जो कहना था, कह दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एफ.आई.आर. नम्बर 164 जो माननीय रूपारामजी ने दर्ज करवाई है उसका इन्वेस्टीगेशन तो कर रही है लोकल पुलिस जिनके खिलाफ इनको ग्रिवेंस है। इससे ज्यादा कोई गलत बात नहीं हो सकती है। दोनों एफ.आई.आर., The arised out of the same one incidence. एफ.आई.आर. नम्बर 165 जो प्राइमाफेसी 164 का कवर अप, टाइम मैं पूछ रहा हूं, वे बता नहीं रहे हैं, तो जो सब्सिक्वेंट एफ.आई.आर. होती है, कोर्ट भी उसको कवर अप मानती है, इन्होंने एफ.आई.आर. नम्बर 164 दर्ज करवाई इसलिए इनके खिलाफ 165 उन्होंने दर्ज करवाई चोखी ढाणी वालों ने, अब आपने उसको सी.आई.डी. में भेज दिया, दो इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी कैसे होंगी एक इन्सीडेंस की ? उपाध्यक्ष महोदय, दो इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी कभी नहीं होती हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय विधायक महोदय, यह गवर्नमेंट का पहले से डिसीजन है कि एम.एल.ए. के खिलाफ कोई केस रजिस्टर होता है तो उसका इन्वेस्टीगेशन लोकल पुलिस न करके सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच...(व्यवधान) पहले सुन तो लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिलावरजी। समाप्त कीजिए।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच की स्पेशल...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : केवल रूपारामजी ही नहीं, दुर्गाप्रसादजी अग्रवाल ने सदन में...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दुर्गाप्रसादजी अग्रवाल के साथ जो मारपीट हुई, उसका क्या हुआ ?

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य के साथ जो अन्याय हुआ है, माननीय दुर्गाप्रसादजी के साथ जो हुआ उसका भी आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : दरअसल ऐसा है, गृह मंत्री महोदय, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी पूरी बात सुनिएगा। ऐसा है...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बिराजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : आज राज्य के विधायक पिट रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि पिट गये तो पिट गये। आपके राज्य में पांच-पांच विधायक पिट गये। पांच-पांच विधायक पिट गये कांग्रेस के।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्री दुर्गाप्रसाद : हम लोगों की सुरक्षा की कुछ सोचो, कुछ करो। पांच-पांच विधायक पिट गये, साहब। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में इस बात को उठा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी न अपनी बात।

श्री दुर्गाप्रसाद : मेरी बात पूरी नहीं सुनी आपने। मैं आपको मेरी बात सुनाऊंगा। गंगापुर में लगा हुआ था...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय जो प्रश्न था उसका जवाब दे दिया। अब बिजली का महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। किसान बाहर गांव से आये हैं, भूखे मरें और आप केवल किस धारा पर, किस आधार पर कैसे सी.आई.डी. को दे दिया, ये बातें कर रहें हैं। सदन का समय बड़ा मूल्यवान है।

श्री दुर्गाप्रसाद : मैं विधायकों की सुरक्षा की बात कर रहा हूं।

श्री श्रवण कुमार : आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं ?

श्री दुर्गाप्रसाद : यह कोई बात हुई ?

श्री श्रवण कुमार : सदन का समय, किसान को बिजली की सुविधा की बात करो। किसान बाहर बैठा है और आप बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद : माननीय विधायकों को कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है।

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, किसान बाहर बिजली की बात कर रहा है।

श्री दुर्गाप्रसाद : आपके साथ भी यह वारदात हो सकती है।

श्री श्रवण कुमार : हमारे साथ हुई तो हम सुलटेंगे। यह क्या लगा रखा है ?

श्री दुर्गाप्रसाद : देखिए,साहब, मैं कभी-कभी तो बोलता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री दुर्गाप्रसाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, नोटिस दीजिए रखना चाहते हैं तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह आपका अधिकार है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री दुर्गाप्रसाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपका जो कुछ है आप लिख कर दे दें।

श्री दुर्गाप्रसाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुरक्षित खड़े हैं, बिराजें।

श्री दुर्गाप्रसाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गई बात, बैठिए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.57 बजे 20 मिनट के लिए स्थगित हुई।)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(14.17 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सूचना

राजस्थान विधान सभा के बाहर किसानों का प्रदर्शन

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। मैं आपके माध्यम से सरकार से इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि आज वैसे तो बिजली पर बहस होनी है लेकिन पूरे राजस्थान से तमाम लोग...

श्री उपाध्यक्ष : शुरू कर दें बिजली पर बहस ?

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी ने कल भी 8 घंटे की घोषणा की लेकिन बिजली मिलती है डेढ़ और दो घंटे।

श्री उपाध्यक्ष : अभी बहस होने वाली है, अभी आप बोलोगे न इस पर।

श्री अमराराम (धोद) : लाखों की संख्या में राजस्थान का किसान आया है। राजस्थान की सरकार, सही कह रहे हैं प्रतिपक्ष के नेता, हमारे मुखिया और मुख्य मंत्रीजी तो गायब हैं, कौन सुनेगा मंत्रीजी की ? मंत्रीजी का विश्वास किसानों ने खो दिया है तो राजस्थान की सरकार को...

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या बिजली पर बहस शुरू कर रहे हो ?

श्री अमरा राम (धोद) : राजस्थान में एक तरफ भयंकर अकाल है, दूसरी तरफ रबी की फसल की बुवाई नहीं हो रही है और इतना किसान चिन्तित है जो राजस्थान की विधान सभा के बाहर आया हुआ है। राजस्थान के उन किसानों से राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से चर्चा करेगी कि राजस्थान को किस तरह से बचाया जा सकता है। राजस्थान बरबादी की ओर जा रहा है। निजीकरण के माध्यम से 19 जुलाई से जो कम्पनियां बनाई हैं, जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को और नष्ट करने का काम किया है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पूरा सदन इस बात पर राजस्थान के किसान को बचाने के लिए, आज राजस्थान के किसान यहां आये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आप बिराजो तो शुरू करते हैं।

श्री अमरा राम (धोद) : यह सरकार उनकी बात को सुने, उनको विश्वास दिलाए, समाधान करे कि किसान बिजाई कर सके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस बहस को शुरू मान लें क्या ? तो बिराजो न आप दो मिनट। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : इससे बड़ा राजस्थान में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट बिराजो। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर अभी डिबेट शुरू हो जाएगी, मैं बिजली सम्बन्धी एक मामला उठाना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, यह थोड़ा-सा विधायी कार्य समाप्त कर लें उसके बाद शुरू करेंगे। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ...बिजली मंत्रीजी लोगों के सामने जाकर इस बात की घोषणा करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आ जाएगा डेलिगेशन तो वे मिल लेंगे। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : डेलिगेट नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यहीं भीनमाल का जब प्रकरण हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : अगर काई डेलिगेशन आएगा तो मिल लेंगे मंत्री महोदय।

श्री अमरा राम (धोद) : राजस्थान का मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष का नेता, दोनों जाकर जैनियों के प्रदर्शन से मिल सकते हैं तो क्या राजस्थान के हजारों की संख्या में राजस्थान का किसान अपनी खेती बचाने के लिए आया है उसके लिए राजस्थान सरकार का मंत्री उनके बीच में जाकर यह घोषणा नहीं कर सकता ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मना कौन कर रहा है ? कोई आये तो सही। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : जब राजस्थान का मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष का नेता जा सकता है तो आज राजस्थान की सरकार यह जिद करे कि केवल प्रतिनिधिमण्डल आये तो 500-500 किलोमीटर चलकर राजस्थान की विधान सभा के सामने आये हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान की सरकार का मंत्री जाकर

(श्री अमरा राम)

उनके बीच में इस बात की घोषणा करे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : राजस्थान के हजारों की तादाद में किसान आये हैं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को वहां पर जाना चाहिए। किसानों की मुसीबत के बारे में सुनना चाहिए और वहां जाकर मिलना चाहिए। हजारों की तादाद में चारों तरफ से त्रस्त किसान आये हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सब किसानों के सामने जाकर समस्या का समाधान नहीं होता। आप 5-7 आपके लीडरों को ले आइये, हम यहां बात कर लेंगे आपसे। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : जब भीनमाल का प्रकरण था तो मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता दोनों जाकर मिले हैं। जैनियों से तो मिल सकते हैं और राजस्थान का किसान जो खेती करता है, जिसने आपको यहां गद्दी पर बिठाया है उससे मिलने से आपको परहेज है। जैनियों के सामने तो प्रदर्शन में आएंगे और... (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : जब जैनियों का आन्दोलन हुआ तो सारे के सारे मंत्री वहां पर गये...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपध्यक्ष : आप ही आप बालेगे या सुनोगे भी सही ?आप बैठो न। सुनो तो सही उनको। (व्यवधान) सुनो।

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिरीजिये-बिराजिये। आप बैठे। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अभी होगी, इंतजार तो करो। अभी तो बहस होगी। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): हमने मना कहां किया है ? हम कह रहे हैं, हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आप उनमें से जो नेता हैं उनको बुला लीजिये, उनसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××.

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते। मेरी बात ही नहीं सुनना चाहते। क्या हो रहा है ? आप बैठिये न। आप सुनिये तो सही मेरी बात। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही। (व्यवधान) उनको बोलने दो।

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री श्रवण कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप बैठो न। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप सुनों तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवल लाल : ×××

श्री मदन दिलावल : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय भाटी साहब। माननीय सदस्य। आर्ड़र, आर्डर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी सदन

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(डा. चन्द्रभान)

की इस सम्बन्ध में परम्पराएं रही हैं, पहले भी एजीटेशन हुए हैं और धरने-प्रदर्शन हुए हैं, उनमें व्यवस्था यही रही है। मुझे सत्ता पक्ष में रहने का कम ही अवसर मिला है, विपक्ष में ज्यादा रहा हूं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी प्रदर्शन होता है या सभा होती है उसके बाद में एक प्रतिनिधिमण्डल आता है, वह आपसे भी भेंट करता है और जिस विभाग से सम्बन्धित कोई समस्या होती है उसके मंत्री को भी आप बुला सकते हैं। प्रतिनिधिमण्डल के साथ बैठकर जो भी उनके ग्रिवेंसेज हैं उनको सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि राज्य में बिजली की कमी है। हम व्यवस्था सुधारना चाहते हैं। मैंने कल भी कहा है, आज भी डिबेट होगी। डिबेट के बाद में मैं रिप्लाई भी दूंगा। सरकार इस मामले में ओपन माइंड है और निश्चित रूप से हम बिजली की आपूर्ति में सुधार करना चाहते हैं। पिछले सात दिन में सुधार हुआ है। अभी माननीय अमरा राम जी, जो धोद से आते हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, आपने तीन मिनट पहले एक बात कही है और झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या भी आपका समर्थन कर रही थीं कि मेरे ऊपर तो अब किसानों का विश्वास है ही नहीं, उठ गया है। अभी आपने कहा है और फिर मुझे ही आप कह रहे हो कि आप जाकर उनको विश्वास दिलाओ। एक तरफ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि आपके ऊपर से विश्वास उठ गया है और, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपने मान लिया कि विश्वास उठ गया है ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैंने नहीं, इन्होंने जो कहा है वह बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप तो खुद ही कंफ्यूज्ड हैं। (व्यवधान) आप चाहते क्या हैं ? आपमें स्वयं में कंफ्यूजन है कि चाहते क्या हो। मंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं या नहीं चाहते, खुद ही अपने आप में अस्पष्ट हैं। उनका वहां पर कंफ्यूजन खतम करो, स्पष्ट करो कि आपको मिलना है या नहीं मिलना है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधिमण्डल को हम बुलाएंगे, ससम्मान बुलाएंगे और उनकी जो-जो समस्याएं हैं, उनकी जो-जो मांगे हैं उनको खुले दिमाग से सुनेंगे और उन समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे, मांगों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धोद से आने वाले माननीय सदस्य और आप सब से कहना चाहूंगा कि यदि मेरे माणकचौक चौपड़ तक जाने से ही आठ घंटे बिजली मिल सकती है तो मैं एक बार नहीं, एक हजार बार जाने को तैयार हूं। लेकिन आप इसकी गम्भीरता को समझिये। आप यह कह रहे हो, विपक्ष के कई लोगों ने यह कहा है, कोई कह रहा है चार घंटे आ रही है, कोई कह रहा है पांच घंटे आ रही है, कोई कह रहा है छह घंटे आ रही है, उपाध्यक्ष महोदय, आप पता लगा लीजिये 25 अक्टूबर से लेकर आज एक नवम्बर तक सात दिन से, मैं सीकर और नागौर की बात तो करता नहीं, वहां थोड़ी सिस्टम की हमारी कमी है, वहां हो सकता है पांच घंटे, छह घंटे आ रही हो पर बाकी पूरी राजस्थान में छह से आठ घंटे बिजली की आपूर्ति की जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, ओर्डर। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप बिराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बिराजिये। (व्यवधान) आप बैठो। बैठो, बैठो। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये। एक मिनट, बैठिये। बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो सही। (व्यवधान) आप बैठिये, बैठिये।

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान) हो गई न बात। माननीय सदस्य।

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : ...जो परम्परा है 48 वर्षों की, उसको तोड़ा है। हम उनको एप्रिशियेट नहीं करते हैं और उसको दुबारा नहीं दोहराएंगे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय अमरा राम जी।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : जो परम्परा है, जो नियम हैं, कायदे हैं, पहले भी एजिटेशन होते रहे, प्रदर्शन होते रहे और प्रतिनिधिमण्डल यहां आकर मिलते हैं। संबंधित मंत्री और मुख्य मंत्री जिनसे भी मिलना होता है, उनको यहां मिलते हैं। यह 48 वर्षों की स्वस्थ परम्परा इस सदन में थी। अगर किसी ने वोटों की राजनीति करने के लिए इस सदन की परम्परा को तोड़ा है...(व्यवधान) वह किया है उन्होंने, पर हम वोटों की राजनीति नहीं करते, न ही जाते । सदन की परम्पराओं को नहीं तोड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरा राम जी। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजाद जी, बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कभी नहीं गये। कभी नहीं गये। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : xxx

श्री अमरा राम (धोद) : xxx

अनेक माननीय सदस्य : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरा राम जी। माननीय सदस्य, बैठिये। बैठिये। आप बैठिये।(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशी जी, बैठिये। माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

अनेक माननीय सदस्य : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप एक मिनट बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आर्डर। (व्यवधान) ऐसा है, आप लोग सब जान रहे हैं कि आज बिजली पर बहस होने वाली है, आप लोग अपने विचार रखेंगे। उसके बाद जो कुछ भी सरकार का जवाब आएगा, वह आएगा। आप समय जाया करके जो महत्वपूर्ण बहस होने वाली है उसका समय जाया कर रहे हैं। आप चाहते हैं बिजली पर बहस तो मैं बिजली पर बहस यह विधायी कार्य करके शुरू करूं ? और रहा सवाल नीचे मिलने वालों का, उसकी हमेशा एक व्यवस्था है। उनका डेलीगेशन आएगा, मंत्रीजी से जिससे मिलना होगा, मिलेगा। If the situation arises, वह ठीक फील करते हैं तो नीचे जाकर मिलेंगे। यह फैसला उनको करना है। आप बाध्य थोड़े ही कर सकते हैं कि मंत्रीजी जाकर नीचे मिलें। क्या बात है इसमें ? (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी इसलिए गये थे कि कटारिया जी, मंत्रीजी सदन में रोये थे और अपोजिशन के लीडर नहीं गये थे नीचे... (व्यवधान) यह परमपरा नहीं है। मंत्री रोये इसलिए गये थे। (व्यवधान) मंत्री रोये हैं इसलिए गये हैं। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : xxx

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती कमला, राजस्व मंत्री । श्रीमती कमला जी। (व्यवधान)

श्री अमरा राम (धोद) : xxx

अनेक माननीय सदस्य : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अधिसूचनाएं। आप बिराजिये। (व्यवधान)

(श्री अमरा राम (धोद), सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

आप बैठिये, बैठिये।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्रीमती कमला (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की निम्न 11 अधिसूनाएं सदन की मेज पर रखती हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या प.10(1) राजस्व/6/94-16 दिनांक 1.6.2000 जिसके द्वारा राजस्व भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

(2) अधिसूचना संख्या प.6(21) राज-6/99/23 दिनांक 7.7.2000 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

(3) अधिसूचना संख्या प.6(21) राज-6/99/24 दिनांक 7.7.2000 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि भूमि का कृषितर भूमि में संपरिवर्तन) नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।

(4) अधिसूचना संख्या प.10(2) राज-6/2000/26 दिनांक 3.8.2000 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या प. 6(13) राज-6/91/पार्ट-1/28 दिनांक 11.8.2000 जिसके द्वारा आदेश संख्या प.5(109) राजस्व/वी/80 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है।

(6) अधिसूचना संख्या प.5(4) राज-4/89/राज 6/36 दिनांक 23.9.2000 एवं अधिसूचना संख्या 5(4) राज-4/89/6/29 दिनांक 14.8.2000 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है।

(7) अधिसूचना संख्या प.6(13) राज-6/95/30 दिनांक 18.8.2000 जिसके द्वारा आदेश क्रमांक प.5(109) राजस्व-ख/60 दिनांक 20.7.1963 में संशोधन किया गया है।

(8) अधिसूचना संख्या प.6(12) राज-6/99/34 दिनांक 14.9.2000 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.6(12) राज-6/99/30 दिनांक 18.9.1999 में संशोधन किया गया है।

(9) अधिसूचना संख्या प.10(1) राज-6/94/पार्ट/35 दिनांक 23.9.2000 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

(10) अधिसूचना संख्या प.6(6) राज-6/94/37 दिनांक 12.10.2000 जिसके द्वारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम, 1959 में संशोधन किया गया है।

(11) अधिसूचना संख्या प.10(2) राज-6/2000/40दिनांक13.10.2000 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भूमि अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, टाइम नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम जी बाकोलिया। (व्यवधान)

यातायात विभाग

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्न पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

(1) अधिसूचना संख्या प.6(96)परि/कर/मुक्त/मु/97/पार्ट-II दिनांक 15.9.2000 जिसके द्वारा दिनांक 23.9.2000 से 8.10.2000 की अवधि में अन्य राज्यों से अजमेर शहर को आने जाने वाले यात्री वाहनों हेतु 4400 रुपये से अधिक के करों का परिहार किया गयां है।

(2) अधिसूचना संख्यां प.6(89)परि/कर/चुनाव कार्य/98 दिनांक 8.5.2000 जिसके द्वारा नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका चुनाव, 1999, पंचायत चुनाव 2000 एवं विधान सभा उप चुनाव 2000 में चुनाव कार्यों हेतु अधिगृहीत वाहनों को चुनाव अवधि हेतु पथ कर से छूट प्रदान की गई है।

(3) अधिसूचना संख्या प.6(260)परि/टैक्स/एच.क्यू./99 दिनांक 25.8.2000 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उप धारा-1 द्वारा दिनांक 31.3.2000 तक संदेय विशेष सड़क कर और मोटरयान कर तथा अधिभार पर अधिरोपित शास्ति या ब्याज में कतिपय शर्तों के अधीन कर में छूट प्रदान की गई है।

(4) अधिसूचना संख्या प.6(96)परि/कर मुक्ति/मु/पार्ट-III दिनांक 10.5.2000 जिसके द्वारा अन्य राज्यों से अकाल राहत हेतु चारा ला रहे वाहनों को 31.7.2000 तक कर मुक्त किया गया है।

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 7(103)परि/रूल्स/एच.क्यू./99 दिनांक 24.6.2000 जिसके द्वारा राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 में संशोधन किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री नवल किशार शर्मा। श्री हरजीराम बुरड़क। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन
राजकीय उपक्रम समिति के पांच प्रतिवेदन (28 से 32)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, में कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजकीय उपक्रम समिति, 2000-2001 समिति के निम्नांकित पांच प्रतिवेदनों को उपस्थापित करता हूं :-

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(1) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1994-95) से संबंधित समिति का 28वां प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 के भाग 3 (ख)पर आधारित) से सम्बन्धित समिति का 29वां प्रतिवेदन।

(3) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1985-86) से संबंधित ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 30वां प्रतिवेदन।

(4) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लि. (अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1984-85) से संबंधित ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा के 20वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 31वां प्रतिवेदन।

(5) माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी की अध्यक्षता में गठित राजस्थान आवासन मण्डल के कार्यकलापों की जांच समिति के प्रतिवेदन (दसवीं राजस्थान विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर समिति का 32वां प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाब चन्द कटारिया। (व्यवधान) आप रखिये न इनको। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य। वापस लिया जाने वाला विधेयक। श्रीमती कमला जी, प्रभारी मंत्री, सिंचाई मंत्री।

विधायी कार्य : वापस लिया गया विधेयक

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-10) को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-10) को वापस लेती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : पुरस्थापित किया जाने वाला विधेयक। श्रीमती कमला।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-21) को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय : मैं राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता विधेयक, 2000 (2000 का विधेयक संख्या-21) पुरःस्थापित करती हूं।

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : वित्तीय कार्य। श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2000-2001) (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2000-2001 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अतिरेक मांगें भी उपस्थापित करो।

अतिरेक मांगों (वर्ष 1992-93) का उपस्थापन

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1992-93 के लिए अतिरेक मांगें उपस्थापित करता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिजली पर चर्चा। बिजली पर चर्चा करना चाहते हो ? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में नारेबाजी)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो ही नहीं, उसकी मैं क्या करूं ? आप बैठते ही नहीं, मैं क्या करूं ? (व्यवधान) सदन की कार्यवाही आधा घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.39 बजे आधा घंटे के लिए स्थगित हुई।)

(15.09 बजे)

पुनः समवेत होने पर

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(विपक्ष द्वारा नारेबाजी)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ऐसा ख्याल है कि विपक्ष बिजली की मांग पर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है इसलिए मेरा सुझाव है कि हाउस को आज के लिए एडजोर्न कर दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग बिजली पर बहस चाहते हो क्या ? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसानों को आठ घण्टे बिजली मिलेगी कि नहीं मिलेगी ? आपकी मंशा तो बताओ, आपकी इच्छा क्या है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वे जाएंगे तो बहस तो चलेगी ही। बहस तो होगी। आप बिजली पर बहस नहीं चाहते हो ? नहीं चाहते, आप बिजली पर बहस नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो हाउस को आज के लिए एडजोर्न कर दिया जाए। ये भाग ही नहीं लेना चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला बृजलाल (सपोटरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किसानों के हित-चिन्तक बन रहे हैं, आज इनको बोलो, सैण्ट्रल गवर्नमैंट ने किसानों की सरसों का 1000 का भाव कर रखा है, डीजल बढ़ा रखा है। ये खुद किसानों के विरोधी हैं। किसानों के विरोधी किस हिसाब से बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये तो सही। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : वहां जाकर अपनी सरकार को बोलो, डीजल का भाव बढ़ा रखा है, सरसों 1000 रुपये कर रखी है, बाजरा 300 रुपये कर रखा है, गेहूं 500 रुपये कर रखा है और यहां पर आकर किसानों के हितैषी बन रहे हैं। ये किसान विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : सबसे पहले आप दिल्ली की सरकार को तो बदलो। डीजल, गैस, घासलेट के भाव को देखो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा नहीं चाहते ? (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा की केन्द्र सरकार किसान विरोधी है, इनसे पूछें केन्द्र में क्या किया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बड़े किसानों के हितैषी बनते हैं +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन दस मिनट के लिये एडजोर्न करता हूं।

(तदनन्तर सदन की बैठक 15.12 बजे दस मिनट के लिये स्थगित हुई।)

(15.22 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री रामस्वरूप : कितनी बार करवाओगे, साहब ?

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि सबसे पहले विपक्ष के नेता महोदय का इस बारे में भाषण हो जाए, बिजली के बारे में आपका ज्ञान है, आपने बहुत मेगावाट बिजली बढ़ाई भी है तो इस पर आपका ही...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : आपका तो करंट खतम हो गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिजली पर चर्चा। श्री रामस्वरूप मीणा। आप बैठिये। बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : परम्परा यही रही है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व ऊर्जा मंत्रीजी सदन में मौजूद हैं दो-दो, तो परम्परा यही रही है कि आप उनसे शुरूआत करवाइये इसकी।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये न। आप अपनी परम्परा को अपने पास रखो, बिराजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो मेरा सुझाव है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगर अपोजीशन के लीडर डिबेट ओपन करना चाहें तो ये कर सकते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हाउस की यह परम्परा रही है कि वित्त के ऊपर पूर्व वित्त मंत्रीजी पहले बोलते हैं, सुमित्राजी और रामनारायणजी हैं, उनसे करवाइये तो अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको तो करना नहीं है फिर why are you so much agitated ?

मोहम्मद माहिर आजाद : नम्बर क्यों नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। रामस्वरूप जी, शुरू करो। आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्यों से निवदेन है कि समय का खयाल रखते हुए कृपया आप अपनी बात कहें।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

विषय पर चर्चा हो रही है और माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवदेन है कि...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप समय सीमा तो बता दें। समय कितना निर्धारित किया है, समय बता दें। नहीं, समय कितना है ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। अभी पांच बजे तक तो है ही। पांच बजे तक तो है, पांच बजे बाद बात करेंगे। आप निश्चिन्त रहिये, आपको समय दूंगा पूरा। चिन्ता मत करो, शुरू तो होने दो इसको।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो आपने इस बिजली के लिए जो समय दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता लगातार तीन साल से अकाल से जूझ रही है। भगवान हमसे रूठ गया उसी का परिणाम है कि हमारे सामने यह विकट समस्या बिजली की पैदा हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के दो ही साधन हैं- या तो ट्यूबवैल जो बिजली से चलते हैं या इंजन के द्वारा किसान अपनी सिंचाई करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान को सिंचाई करने के लिए अपने इंजन को चलाना पड़ता है। इंजन से ही गरीब आदमी अपनी खेतीबाड़ी कर लेता था। बाकी जो बड़े लोग थे वे बिजली से वे काम लेते थे। बड़े दुःख की बात है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारा भगवान रूठा और दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने डीजल के पैसे बढ़ाये, डीजल के साथ-साथ मशीनरी के जितने भी समान आते थे, सबकी कीमतें बढ़ गईं। ट्रांसपोर्ट बढ़ा डीजल के कारण और उसके कारण से सारी मशीनरी के कीमत बढ़ी और उसी का परिणाम है कि आज किसानों में त्राहि-त्राहि मच रही है। दिल्ली सरकार के अगर इस समय चुनाव करा दिये जाएं तो भाजपा का सफाया हो जाएगा। लेकिन यह बात खाली दिल्ली तक ही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो आज के दिन किसान राजस्थान का ही नहीं सारे हिन्दुस्तान का इनके विरोध में हो गया। लेकिन माननीय विद्युत मंत्रीजी, बात आती है विद्युत की। हमारे नौ साल भाजपा की सरकार रही और हम लोग विपक्ष में बैठे हुए थे। माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री साहब यहां पर विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज वे इतने उतावले हो रहे हैं, इतना विरोध कर रहे हैं कांग्रेस का, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी का, नौ साल तक कहां गये थे ? वे बता दें उन्होंने एक भी मेगावाट बिजली राजस्थान में अगर उत्पादित की हो तो ? (व्यवधान) हमारे मुख्य मंत्री तो कहीं नहीं भागे, दुबारा फिर यहीं आ जाएंगे।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नौ साल तक कोई बिजली उत्पादन नहीं हुआ और आपने वाहवाही लूटने के लिए, चुनावों में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार कनेक्शन किसानों को दिये। जब बिजली का उत्पादन आपने नहीं किया और किसानों को आप लगातार कनेक्शन देते चले गये तो आपका सफाया तो जनता ने कर दिया लेकिन जो बुरे

(श्री रामस्वरूप)

कर्म आपने किये उनको हमको भुगतना पड़ रहा है, इस राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज राजस्थान के अन्दर जो बिजली प्राप्त हो रही है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश कर रहा हूं। कितनी बिजली है, कितना उत्पादन बढ़ा है, कितना इसके लिए सरकार ने कुछ किया है, वह मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। वर्ष 1999-2000 में अधिकतम मांग 3583 मेगावाट रही, जो इस वर्ष 2001 में 4100 मेगावाट सम्भावित है।

(15.27 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरा, सभापति महोदय, वर्ष 1999-2000 में प्रति दिन अधिकतम विद्युत की खपत 796.5 लाख यूनिट थी जिसके इस वर्ष 2000-2001 में बढ़कर 860 लाख यूनिट प्रति दिन रहने की सम्भावना है। विद्युत की खपत में लगभग 8 परसेंट की वृद्धि हुई है, माननीय सभापति महोदय। वर्ष 1999-2000 में कुल उपलब्धता 23419 मिलियन यूनिट रही एवं इस वर्ष 2001 में 25905 मिलियन यूनिट सम्भावित है। विद्युत उपलब्धता में लगभग 10.6 परसेंट की वृद्धि की सम्भावना है। इस वर्ष के मौसम में कृषि क्षेत्र को सात से आठ घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के प्रयास माननीय विद्युत मंत्रीजी कर रहे हैं। वर्ष 1999 और 2000 के आगे आने वाले महीने में विद्युत की मांग एवं उपलब्धि का विवरण है। राज्य सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों से अतिरिक्त विद्युत क्रय के लिए 180 करोड़ रुपये की सहायता सरकार देने को तैयार बैठी है और माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की है। दिल्ली विद्युत बोर्ड से दिनांक 16.10.2000 से प्रति दिन 24 लाख यूनिट विद्युत की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव किये गये हैं। पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड व उत्तर प्रदेश से रबी मौसम वर्ष 2000-2001 के लिए अतिरिक्त विद्युत खरीदने के प्रयास किये गये हैं। कोटा ताप विद्युत गृह को उत्कृष्ट उत्पादन के लिए सातवीं बार राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को दिया गया है। सूरतगढ़ द्वितीय विद्युत गृह प्रथम चरण की 250 मेगावाट की द्वितीय इकाई लक्ष्य से छह माह पूर्व 28 मार्च को सिंक्रोनाइज की गई और 16 जून, 2000 से कोयले पर उत्पादन शुरू किया जिससे 80 करोड़ रुपये की बचत हुई है। सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह चरण प्रथम, द्वितीय इकाई को अभी माननीय सोनिया गांधीजी ने 13 अक्टूबर, 2000 को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसी प्रकार सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह...(व्यवधान)...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ये पढ़ रहे हैं।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : नियमों में है, आंकड़े पढ़ सकते हैं।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, जो सरकार ने किया है वह भी तो कहना पड़ेगा। यह थोड़े ही है कि आप बुराई ही करते रहो। सुनना तो पड़ेगा आपको।

श्री सभापति : आप तो बोलते रहिये।

श्री रामस्वरूप : सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह चरण द्वितीय के अन्तर्गत 250 मेगावाट की तृतीय एवं चतुर्थ इकाई से क्रमश: मार्च, 2002

(श्री रामस्वरूप)

एवं सितम्बर, 2002 से पूर्व उत्पादन आरम्भ करने का लक्ष्य है। सूरतगढ़ तापीय विद्युत गृह पांचवीं इकाई 250 मेगावाट 750 करोड़ रुपयों में लगाने का निर्णय है जिसका उत्पादन जून, 2003 से प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। इस वित्तीय वर्ष में 30 करोड़ रुपये का प्रावधान है। रामगढ़ गैस तापीय विद्युत विस्तार परियोजना की तकनीकी एवं आर्थिक स्वीकृति केन्द्रीय विद्युत अधिकरण से शीघ्र ही अपेक्षित है और इसका क्रियान्वयन इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है।

लगातार बढ़ती मांग की तुलना में उत्पादन कम है। तृतीय श्रेणी कनेक्शन के लिए सामान्यत: दस से बारह वर्ष का इन्तजार करना पड़ रहा है। बिजली की चोरी और छीजत में लगातार वृद्धि हो रही है। लगातार बढ़ता घाटा 3500 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण पूंजी निवेश का अभाव है। विद्युत सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य- विद्युत उत्पादन के लिए निवेश आकर्षित करना, विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण में विस्तार करना, बिजली की चोरी व छीजत में कमी लाना, सभी उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना। अलग-अलग कार्यों के लिए अलग-अलग बिजली कम्पनियां बनाने से कार्य-कुशलता में वृद्धि हुई है। प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही होने से बिजली चोरी पर अंकुश लगा है। कार्यकुशलता में वृद्धि एवं बिजली की चोरी की रोक से वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। विभिन्न वितरण कम्पनियों का छोटा कार्य क्षेत्र होने से उपभोक्तओं को बेहतर सेवा मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्युत नियामक आयोग का जनवरी, 2000 में गठन। राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार की आवश्यकता के लिए 19 जुलाई, 2000 को राजस्थान विद्युत मण्डल के कार्य का भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण तीन अलग-अलग कम्पनियों का गठन किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, ये हमारी सरकार ने विद्युत के लिए प्रयास किये हैं। पिछली सरकार ने किसी प्रकार का कोई प्रयास नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे माननीय विद्युत मंत्रीजी को मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों की इस पीड़ा को सुना है और उन्होंने अपने प्रयास किये हैं। हिन्दुस्तान की महान् नेता आदरणीय सोनिया गांधी से अभी उद्घाटन कराकर आपने बिजली के बारे में और भी चार चांद लगा दिये हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रतिपक्ष के सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चन्द्रभान जी को ही बरदाश्त कर लो, अगर ये पावर मिनिस्टर बन गये तो क्या होगा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : हम तो बरदाश्त कर लेंगे लेकिन आप सबको हजम कर जाएंगे ये।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, बड़ा गंभीर विषय है, आप सब विपक्षी लोग हंस रहे हैं। यह किसानों का मसला है। अभी थोड़ी देर पहले तो लोग बार-बार बिजली को लेकर सदन को स्थगित करा रहे थे लेकिन

(श्री रामस्वरूप)

बड़े दु:ख की बात है, अब ये लोग +++ इस विद्युत की समस्या को लेकर मजाक बना रखा है। गंभीर नहीं हो, विद्युत के लिए सुनना नहीं चाहते हो। माननीय सभापति महोदय, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे खुद के जमीन है, मुझे पता है बिजली के बगैर कितना दु:ख होता है। माननीय विद्युत मंत्रीजी, वास्तव में आज भी किसानों को सही बिजली नहीं मिल रही है। हालांकि आपने पहले जो बिजली थी उसमें सुधार किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस पवित्र सदन के अंदर आपके ऊपर लिखा हुआ है, "सत्यमेव जयते" सत्य जरूर कहना चाहिए चाहे कितना ही कड़वा हो। हमारी सरकार आ गई, हमारी सरकार बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है। आपने 180 करोड़ रुपये अलग निकालकर रख रखे हैं लेकिन जब किसान मर जाएगा तब काम में लोगे क्या इन 180 करोड़ रुपयों को ? यह पैसा निकालकर तो रख दिये आपने, काम में कब लोगे इन 180 करोड़ रुपयों को आप ?

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस पवित्र सदन में सारे किसानों की भावनाओं को देखते हुए आप इन्तजार मत करिये और कह दीजिए कि कल से 180 करोड़ की बिजली खरीदी जाएगी क्योंकि किसानों की बुवाई का समय चल रहा है। किसान बुवाई नहीं कर सकेगा तो यह बिजली बाद में किसके लिए दोगे आप ? एक तरफ वर्षा नहीं हुई, भगवान रूठ गया, दूसरी तरफ अगर सरकार रूठ गई तो इस किसान का रखवाला कौन होगा ? हमें तो भरोसा है, हमारी जन कल्याणकारी सरकार है। यह सरकार गरीबों और किसानों की हितैषी सरकार है, "जय जवान जय किसान" के नारे के साथ चलने वाली सरकार है। इसलिए मुझे भरोसा है इस सरकार के ऊपर। जिस जनता ने सरकार को इतना बड़ा बहुमत दिया है, जिस जनता ने आपको इतने एम.एल.ए. दिये हैं और भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया है, ऐसी जनता को हमको विश्वास में लेना पड़ेगा। कल से ही आप बिजली की घोषणा करो कि किसानों को आठ घंटे की जगह बारह घंटे बिजली दी जाएगी क्योंकि यह बहुत जरूरी है। ये जो लोग बोल रहे हैं, मुझे पता है बिजली बढ़ा दी आपने और बिजली आप और बढ़ाओगे, लेकिन आप इनको मौका क्यों दे रहे हो ? आज ही आप आठ घंटे की घोषणा कर दो। कह दो बाहर घंटे की घोषणा की बात चाहे आपको कहीं से भी कटौती करनी पड़े। आप किसाने के बेटे हो, किसान की आत्मा की पुकार है। अगर इस समय बिजली की घोषणा आपने नहीं की तो इन विरोधी लोगों के हौसले और बढ़ेंगे। हमको इनका हौसला नहीं बढ़ाना है। जिस विद्युत को लेकर इनका सफाया जनता ने किया, आज उसी विद्युत को लेकर रात-दिन आप चिन्तित हो रहे हैं। किसान होने के नाते, मुझे भरोसा हे इस बात का कि मेरी सरकार कल से बिजली आठ घंटे लगातार देगीं, बारह घंटे देगी।

मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, विपक्ष में बैठने वालों, कि दिल्ली के अटल

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रामस्वरूप)

बिहारी वाजपेयी जिन्होंने डीजल की कीमतें बढ़ायी हैं, किसानों के साथ अत्याचार किया है, किसानों का गला घोंटा है, आज उनका एक घुटना टूटा है, किसान दोनों घुटने तोड़कर छोड़ेगा। यह बात सही समझ लो आप। जनता के सामने किसानों के सामने अच्छे-अच्छों के घुटने टिक जाते हैं। जनता किसी को बख्शने वाली नहीं है, इसलिए आप भी हमारी बात को सुन लो। आप अभी खुशी मना रहे हो, केन्द्रीय सरकार के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो आप लोग ? क्यों नहीं आपके सांसद दिल्ली के अंदर बोलते हैं ? जाकर बैठ गये आराम से, ऐश से बैठे हुए हैं। किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, घोर अत्याचार चारों तरफ हो रहा है और ये लोग केवल राजस्थान ही राजस्थान की बात करते हैं। आप निश्चित समझ लो, जल्दी ही दिल्ली के मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। अगर मध्यावधि चुनाव में आपने कीमतें नहीं घटाईं तो आपका सफाया हो जाएगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरसों के भाव देख लो, डीजल की लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं और सरसों के भाव हजार भी नहीं हैं आज। किसानों ने बाजरा पैदा किया है, आज बाजरे के भाव क्या हैं, आपको पता है ? बाजार का भाव 300-350 रुपये है और बाजरे को आज कोई खरीदने वाला नहीं है। किसान का बाजरा अपने घर में रखा हुआ है। ये कीमतें आपने रखीं और इन व्यापारियों से मिलकर ये घोटाले किये हैं। विदेशों से आपने तेल मंगाया है और विदेशी कम्पनियों से समझौता किया है आपने तेल के लिए। समझौता करके आपने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, किसान का गला घोंटा है। दिल्ली के जब चुनाव हुए थे उस चुनाव के अंदर आपने इनसे पैसे लिये थे। उस पैसे के कारण ही आप ये भाव बढ़ने नहीं दे रहे हो और आप व्यापारियों का फायदा कर रहे हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा सीधा आरोप है, माननीय सभापति महोदय, इनको किसानों की चिन्ता नहीं है। आज ये राजस्थान में आन्दोलन कर रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। बहुत बोलने वाले बाकी हैं।

श्री रामस्वरूप : इतना महत्वपूर्ण विषय है इसके ऊपर मैं बोल रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, जनता की आवाज को मैंने उठाया है तभी टोडाभीम की जनता ने लगातार तीन बार मुझे जिताया है और इन सबकी जमानतें जब्त करायी हैं। जिला परिषद के चुनाव में मेरे निर्विरोध चुनाव हुए। नगरपालिका कांग्रेस की तीनों बार निर्विरोध आयी है। यह बोलने के कारण ही आयी है। जब ये लोग इधर बैठते थे, मैंने जब बिजली की मांग की इस सदन के अंदर तो, माननीय सभापति महोदय, इन्होंने मेरी टांग तोड़ दी। आज ये बिजली की बात करते हैं ! किसानों के हितैषी बनते हैं ये लोग ! माननीय सदस्य के ऊपर कितना हल्ला हुआ है कि माननीय सदस्य के साथ अत्याचार हुआ

(श्री रामस्वरूप)

है। कितना हल्ला इन्होंने किया और माननीय सदस्य की टांग इन्होंने तोड़ी। उस दिन क्यों नहीं बोले ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का खयाल रखें। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : इस बिजली की मांग मैं कर रहा था। बिजली मांगी तो टांग तोड़ी। पानी मांगते हैं तो भरतपुर में हाथ तोड़ा इन्होंने। यह कल्याणकारी सरकार आयी है।

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : उसके बारे में क्यों नहीं बोले ये ? आज तो माननीय सदस्य की दया आ रही है इनको, उस दिन हमारी दया नहीं आयी इनको ?

श्री सभापति : समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : जब इन्होंने माननीय सदस्य की टांग तोड़ी बिजली के लिए मांग पर। पुलिस द्वारा पिटवाया हमको यहां पर। क्या मैं विधायक नहीं था ? क्या मैं विधायकों में से नहीं था ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप विषयान्तर हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : एक किसान के बेटे को इन +++ ने पीटा और आज ये विधायकों की बात करते हैं। (व्यवधान) मैं किसान का, कृषक का बेटा हूं।

श्री सभापति : आप विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। (व्यवधान) नहीं, ऐसे नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, मैं किसान के लिए रो रहा हूं। मेरा किसान आज बिजली के बिना दु:खी है। आज बिजली की बात याद करके और किसान को याद करके मेरे आंसू आते हैं। मैं किसान के लिए कुर्बानी देने को तैयार हूं। इन्होंने मेरी टांग तोड़ी, अगर मेरी जान भी ले लें तो मैं किसान के लिए जान देने को तैयार था।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री रामस्वरूप : मैं जब समाप्त करूंगा, माननीय विद्युत मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं, वे इस बात की घोषणा करें कि किसान को 8 घंटे, 12 घंटे बिजली अवश्य दिलाएंगे। यह मेरी मांग है।

श्री सभापति : कराएंगे, कराएंगे।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, यह मांग सही है। माननीय सदस्य ने 12 घंटे की मांग की है, जब तक मंत्रीजी आश्वासन नहीं देंगे तब तक नहीं बैठेंगे।

श्री सभापति : आपको भी समय दिया जाएगा। श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, यह मुझे विश्वास है कि हमारे मंत्रीजी जब भी बोलेंगे उस समय निश्चित रूप से बिजली की वे घोषणा करेंगे और किसानों को 180 करोड़ की बिजली कल से खरीदना शुरू करेंगे। आपने

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, रामनारायणजी बोलें उससे पहले मैं ऊर्जा मंत्रीजी से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा।

श्री सभापति : वे आपकी रिक्वेस्ट को मानें या नहीं मानें, दूसरी बात है। रिक्वैस्ट कर दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, वर्ल्ड बैंक के और राजस्थान के बीच में जो कोरस्पोंडेंस हुई है इस सारे रीस्ट्रक्चरिंग के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, वह सबसे ज्यादा इम्पार्टेंट इश्यू है। बिजली कितनी मिले, कितनी नहीं मिले, वह अपनी जगह बहुत इम्पार्टेंट है, वह सही है लेकिन यह सारी स्थिति क्यों बनी ? इस सम्बन्ध में वर्ल्ड बैंक और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में जो कोरस्पोंडेंस हुई है, जो इम्प्लीमैंटेशन के बारे में राज्य सरकार ने कमिटमेंट किये हैं वे सारे कागज यदि सदन के ऊपर उपलब्ध करा दें तो डिबेट बहुत ही सार्थक होगी, सब कुछ होगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) : आप चाहें तो कुछ बचा हो ज्ञानवर्धन, तो रामस्वरूपजी से कह कर और क्लीयर करवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं वो क्लीयर कराने की जरूरत नहीं है। आपके समझ के बाहर की चीज है।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : जैसे रामस्वरूपजी का भाषण आपके समझ में नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं क्या कह रहा हूं, आपके समझ में नहीं आया।

श्री सभापति : यह काका भतीजे को कह रहा है, थोड़ा समझो तो आप। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री महोदय, समझ गये हैं और इसकी इम्पार्टेंस भी जानते हैं कि इन सारे कागज के बेसिस पर डिबेट होगी तो आपके भी हाथ मजबूत होंगे और राज्य की जनता के हित में बिजली के सम्बन्ध में जो नीतियां हैं उन नीतियों में परिवर्तन के मामले में माननीय सदस्य सुझाव दे सकेंगे।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : मैं जब रिप्लाई दूंगा तब वर्ल्ड बैंके के बारे में भी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वो आप रिप्लाई देंगे इसमें कोई संदेह नहीं है लेकिन अगर आप हमको कागज दे दें, वे डाकुमेंट्स कोई सीक्रेट नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान : आप यदि कल यह बात कहते तो आसानी से उपलब्ध करा देते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आप उपलब्ध करा दें तो मैं देख लूंगा।

डा. चन्द्रभान : नहीं, इतनी देर में कैसे ? इतनी कोरस्पोंडेंस कितने दिनों से चल रही है। यह कोई आज से नहीं चल रही है, जब आप मुख्य मंत्रीजी थे, उस समय से यह कोरस्पोंडेंस चल रही है। इसको अभी 15

(डा. चन्द्रभान)

मिनट में या एक घंटे में रख दो, कैसे संभव है। मैं रिप्लाई दूंगा तब सारी चीजें क्लीयर कर दूंगा। कोई छिपाने की बात नहीं है इसमें।

श्री सभापति : श्री रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, आज सदन में प्रदेश के अन्दर बिजली की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श हो रहा है। कल मंत्री महोदय ने अपना स्टेटमैंट दिया था। यह बात सही है कि राजस्थान में बिजली की कमी ही नहीं, अत्यन्त कमी है। जो साधन हमारे पास थे उनमें खराबी आ जाने के कारण प्रोडेक्शन कम हुआ है, केन्द्र सरकार अपने पूल में से राजस्थान को जो बिजली देती थी उसमें कटौती कर दी गई, अन्ता से राजस्थान को जो बिजली मिलती थी उसमें कटौती हुई और सबसे बड़ा कुठाराघात इस वक्त इस बात का हुआ कि बरसात की कमी से पूरे प्रदेश में भयंकर अकाल है। अगर कुओं का पानी ठीक रहता,बरसात की वजह से कुओं में पानी आता, टांकों में पानी आता तो लोगों के लिए पानी की समस्या पैदा नहीं होती। आज बिजली की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से सारे राजस्थान के अन्दर भारी विषम स्थिति पैदा हो गई है।

सभापति महोदय, विद्युत उत्पादन जिस गति से होना चाहिए था वह पिछले दस साल के अन्दर नहीं हुआ। यह हकीकत है, इसको स्वीकार करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि पिछली सरकार ने कोशिश नहीं की। पिछली सरकार ने कोशिश की, इन्होंने बड़ी-बड़ी कम्पनियों से बातचीत की, एम.ओ.यू. साइन किये लेकिन कम्पनियां एम.ओ.यू. साइन करने से कुछ तो मुकर गईं, कुछ का एम.ओ.यू. जो हुआ होगा उसके लिए भी मुकर गईं और पिछली सरकार के प्रयत्न फेल हुए। आज वर्तमान सरकार को विरासत में जितना बिजली का पूल मिला है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में यथाशक्ति जितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, हम यह नहीं कहते कि वह ठीक नहीं हो रहा है, वह तो ठीक हो रहा है लेकिन आज आपके पास बिजली नहीं है। मंत्री महोदय, कल आप भाषण दे रहे थे, स्टेटमैंट में भी आपने कहा, आज भी आपने कहा कि सीकर और झुंझुनूं दो जिले अपवाद हैं, वहां आपका सिस्टम खराब है इसलिए वहां पर आज बिजली नहीं दे पा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : झुंझुनूं नहीं, सीकर और नागौर बताया है।

श्री रामनारायण चौधरी : नागौर बताया है। झुंझुनूं में सिस्टम खराब नहीं है तो फिर झुंझुनूं में 8 घंटे बिजली क्यों नहीं मिल रही है ? सभापति महोदय, मेरे को चिंता हुई कई लोगों से बात करके कि 8 घंटे की बात कही। मेरे पास बिराजे भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने मंत्री महोदय के कथन का प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं है। मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि 8 घंटे बिजली कहीं नहीं आ रही। एक मेरे को यह कहते हुए मिले कि साढ़े छह-सात घंटे बिजली आती है, आठ घंटे तो नहीं आती। वे हमारी पार्टी के, कांग्रेस के चीफ व्हिप श्री हरिसिंहजी महुवा हैं। इन्होंने मेरे को कहा कि छह घंटे, साढ़े छह घंटे,सात घंटे। आठ घंटे तक तो वो भी नहीं आये।

(श्री रामनारायण चौधरी)

फिर मैंने पूछा बारां से आने वाले शिवनारायण जी धाकड़ से, वे काश्तकार हैं, किसान हैं, उनसे पूछा तो बोले, भाई साहब, कहां बिजली है, दो घंटे-ढाई घंटे बिजली आती है। छह घंटे नहीं आती, मैंने पूछा ? तो बोले, कहां दो-ढाई घंटे आती है। फिर यहां जगमाल सिंहजी बिराज रहे हैं, ये अपने दल के लीडर हैं और हमारे, सत्ता पक्ष के हिमायती हैं, इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने कहा, भाई साहब, बिजली कहां है, दो-ढाई घंटे आती है। सभापति महोदय, सत्ता पक्ष में हमारे सदस्य बैठे हैं, मंत्रिमण्डल बैठा है, आप इस प्रकार की घोषणा क्यों कर रहे हो कि हम 8 घंटे बिजली दे रहे हैं ? जितनी आपके पास बिजली है, बता दो कि हमारे पास इतनी बिजली है और हम इतनी दे सकते हैं। इंडस्ट्री की काट कर, दूसरी जगहों की काट कर, डोमेस्टिक लाइट जितनी जरूरी है वह रखो, आज किसान बुवाई कर रहा है, जितनी बिजली आप दे सकते हैं आप एंश्योर करो। चार घंटे भी अगर एंश्योर कर देते हैं किसान को, आप 8 घंटे की बात छोड़िये, आप फालतू बातें छोड़िये; आप यथार्थ पर आइये। जितने घंटे आप बिजली दे सकते हैं उसकी घोषणा आप अपने अधिकारियों से बात करके तय करिये कि इतने घंटे हम बिजली देंगे। यह बमबास्टिक करते हैं कि 8 घंटे हम बिजली देंगे, कहां से देंगे 8 घंटे बिजली ? कहीं नहीं दी जा रही है 8 घंटे और आप कह रहे हैं हम 8 घंटे बिजली देंगे। सभापति महोदय, राज और राम तो दिखता नहीं, सरकार दिखती है। इन दोनों पर इंसान का भरोसा सदा से रहा है और वह आज भी है। आप वही बात करिये जो होने लायक है और आप कर सकते हो।

यह बात सही है कि आपने कदम उठाया। सभापति महोदय, मंत्री महोदय बिराज रहे हैं, आपने उस समय हमारे से बिल पास करवाया। मैं भी यहां से बोलने वालों में से था। सभापति महोदय, मैंने अनुरोध किया था कि मुख्य मंत्रीजी आज यहां नहीं हैं, आप इतनी जल्दी हड़बड़ी के अन्दर इस बिल को पास मत करवाइये। इस बिल के पास होने के बाद इसके परिणाम कैसे आएंगे, इसके ऊपर विचार किया जाना जरूरी है। मैंने कहा था कि हमारे पास में हरियाणा है, हरियाणा ऐसा बिल पास कर चुका था, वहां की स्थिति बिगड़ी और आज भी बिगड़ रही है। जो हरियाणा की पहले स्थिति थी, आज उससे खराब स्थिति है। उड़ीसा बैठ गया, महाराष्ट्र के अन्दर स्थिति खराब हो गई । भारतवर्ष का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां प्राइवेटाइजेशन किया हो, जो उस तरफ बढ़े हैं वहां सब जगह कठिनाइयां बढ़ी हैं। हमारी तरफ भी बढ़ी हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन, सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने पांच कम्पनियां बनायीं, पांच कम्पनियां आज तो आपकी हैं, मंत्री महोदय आपकी कलम में हैं, दो साल बाद में आपके कमिटमेंट के अनुसार आप इसको प्राइवेट लोगों के हाथों में देंगे और 50 प्रतिशत से नीचे शेयर रखेंगे। बहुमत आप दूसरे लोगों को देंगे, कम्पनियां उनकी होंगी, तब आपका हुकुम कैसे चलेगा ? सभापति महोदय, आज मंत्री महोदय बिराजमान हैं, कम्पनी एक्ट के तहत ये कम्पनीज बनी हैं, इन कम्पनियों को राजस्थान की सरकार कोई लिखित में आदेश नहीं दे

(श्री रामनारायण चौधरी)

सकती। भाई-भतीजावाद करके यह जो एम.डी., चेयरमैन बनाये हैं, आई.ए.एस. और आर.ए.एस. आफिसर्स हैं, कोई चीफ इंजीनियर है और कोई रिटायर्ड है, आपकी इच्छा को जानकर आपकी बात को एकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनको आदेश दे सकते हैं ? नहीं दे सकते। कम्पनीज एक्ट के अन्दर सरकार को आदेश देने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। और जब प्राइवेट हो जाएंगे दो साल बाद, तब तो और भी स्थिति बिगड़ जाएगी। यह उस वक्त हमने कहा था लेकिन आपने धैर्य नहीं रखा। मुख्य मंत्रीजी को नहीं आने दिया और आपने पास करवाया। हमने कह दिया कि पास करना लाजमी है, हम सत्तापक्ष में हैं, हम वोट देंगे लेकिन हम आपको राय देंगे।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्दर कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां पर दो-तीन-चार घंटे, हरिसिंहजी को छोड़ दीजिए और बाकी कहीं नहीं है। मैंने सबसे बात कर ली। हो सकता है इसमें फर्क हो। मान्यवर, मुझे इस बात की आशंका है कि जहां-जहां वी.आई.पीज. हैं, जहां-जहां मंत्री लोग हैं, मुख्य मंत्रीजी हैं और खेतसिंहजी हैं, इनके यहां पर अभाव महसूस नहीं करवा रहा होगा बिजली बोर्ड, जो आपकी कम्पनी है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप भी वी.आई.पी. हो।

श्री रामनारायण चौधरी : हम तो आप जैसे ही हैं। यह कैसे संभव हो रहा है कि महुवा के अन्दर तो आठ घंटे बिजली मिल रही है और रामस्वरूपजी के यहां पर आठ घंटे नहीं मिल रही है ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : मैंने सात घंटे की कहा है। और सात घंटे की रामस्वरूपजी के यहां है और रामभरोसीजी के यहां भी सात घंटे है।

श्री रामनारायण चौधरी : चलो, सात घंटे रख लो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे यहां सात घंटे नहीं मिल रही है, माननीय सचेतक महोदय, चार घंटे-पांच घंटे तक बिजली जा रही है इसलिए मैं दुखड़ा रो रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : आपके यहां सात घंटे जा रही है। आपके यहां सात घंटे इसलिए जा रही है कि आप पार्टी के चीफ व्हिप हैं। सरकार में आपका दखल है इसलिए आपकी बातों और आपके एरिया का खयाल रखा जा रहा है। ये शिवनारायणजी धाकड़ भी आपकी पार्टी के हैं, इनको पूछ लीजिए कि कितने घंटे जा रही है। हम भी आपकी पार्टी के हैं। इन्होंने तो कह दिया कि तीन-चार घंटे जा रही है, हमारे यहां भी नहीं जा रही है। तो फिर आपके यहां सात घंटे कैसे जा रही है ? क्या आपके यहां कोई चुम्बक लगा रखी है या कैपेसीटर लगा रखा है ? (व्यवधान) खेतसिंहजी के तो जाएगी क्योंकि ये तो...

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे यहां चार घंटे है।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, आज की डिबेट के ओपनर ने बहुत

(श्री रामनारायण चौधरी)

अच्छी बातें कहीं, सरकार का पक्ष बहुत मजबूती से रखो और फिर इनकी आत्मा के अन्दर जो बोल रहा था वह भी रख दिया, ये छिपा नहीं सके क्योंकि ये ऐसी स्पष्ट आत्मा हैं। आपने इनको कह दिया कि सरकार का पक्ष बहुत अच्छी तहर से रखो लेकिन जो वास्तविकता है वह भी इन्होंने रख दी। आप कृपा करके, मंत्री महोदय, जितनी स्थिति आपकी है राजस्थान के अन्दर, कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है, आप अच्छे बहुमत में बैठे हैं, हम आपके साथ हैं, आप क्यों नहीं जनता को स्पष्ट कह देते कि देखिए, यह स्थिति है। यह हमारी थैली है, इस थैली के अन्दर इतने पैसे हैं। जिस थैली के अन्दर पैसा ही नहीं है वह कैसे शादी के अन्दर 11 हजार रुपये कटोरे के अन्दर डाल देगा ? कहां से डाल देगा ? हैं ही नहीं पैसे, पास में नहीं हैं। मान्यवर, विडम्बना यह है कि उधार नहीं मिल रही है। (व्यवधान) दिवाले की बात नहीं, मैं दिवाले की बात नहीं करता, मैं तो वास्तविकता बताना चाहता हूं। इसलिए अखबारों में यह पब्लिसिटी करने के लिए कि मंत्री महोदय ने आठ घंटे कहा है, नहीं, स्पष्ट कहो। आप महात्मा गांधी की लीगेसी के उत्तराधिकारी हैं, उनको याद करो आप। ''सत्यमेव जयते'' लिखा हुआ है, हमारे ऊपर महात्मा गांधी का आशीर्वाद है। सत्य के बराबर कोई चीज नहीं है, आप क्यों छुपाओ उसको। कोई नहीं कर सकता। आज भैरोंसिंहजी शेखावत भी होते तो इससे भी बदतर हालात होती। पहले भी हुई है, और होती। ये नहीं कर सके, बैठे हैं। एमंग दि चीफ मिनिस्टर ये ज्वाइंट चीफ मिनिस्टर थे। मैं ऐसा नहीं कहता कि इनकी हैसियत नहीं थी, इन्होंने हजार प्रयत्न किये लेकिन किसी भी तरह से ला नहीं सके। (व्यवधान) ये कोई लाना नहीं चाहते थे क्या ? लाना चाहते थे, राजस्थान को खुशहाल बनाना चाहते थे। बिजली की वाहवाही करके ये राजस्थान के नेपोलियन बोनापार्ट बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं सके। हो नहीं सका। आज हम भी चाहें हजार प्रयत्न करें, हम भी उतना ही कर सकेंगे जितनी हमारी आज के हालात के अन्दर देश के अन्दर जो प्रतिष्ठा है। इसलिए, मंत्री महोदय, आपको मैं मायूस नहीं कर रहा हूं, मैं तो जो वास्तविकता है वही रखने की कह रहा हूं। आप विश्वास रखिये, गांवों में भी आपका विश्वास करेंगे। हम लोगों को विश्वास दिलाएंगे, हम कहेंगे कि बिजली है ही नहीं, क्या करेंगे वो। वो हमारी खाल में से चीर लेंगे क्या ? वह चीरी नहीं जाएगी। मैं तो यह कह रहा हूं कि छोड़िये आठ घंटे की, बारह घंटे की, चार-पांच घंटे भी अगर आप रैगुलर अनइन्ट्रप्टेड बिजली काश्तकार को दे देते हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, तो काश्तकार अपनी जमीन को जीने लायक जोत लेगा। यह एक पोजीशन है। वह हम किस तरह से एंश्योर कर सकते हैं, वह हमें करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहां से काटेंगे, कहां से जोड़ेंगे ? इसमें लिख दिया। आज यह स्थिति है, सभापति महोदय, कि दिल्ली में राज एन.डी.ए. का है और हम कांग्रेस गवर्नमेंट में हैं, बहुमत में हैं, भारी बहुमत में हैं लेकिन वहां ऐसी सरकार है, यदि देशहित में काम करें...

श्री नारायण सिंह : जो किसान बिरोधी है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं किसान विरोधी और पक्ष की बात नहीं करता, मैं तो यह कहता हूं कि एन.डी.ए. की सरकार है और वह नहीं चाहती कि यहां की सरकार के कोई नम्बर बन जाएं। वे मन से चाहते हैं कि जनता को आभास नहीं हो। इस तरीके से काम करके हमें इतना मुसीबत में डालना चाहते हैं हमारी सरकार को और राजस्थान को। उसमें कोई भी कमी नहीं रहने देते। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं ? आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने प्रयत्नों से, आपने 180 करोड़ रुपया रखा है, रामस्वरूपजी ने ठीक कहा कि 180 करोड़ रुपये का क्या करोगे? क्यों नहीं खरीद कर डालते ? उनके कहने का अपना एक ढंग था लेकिन 180 करोड़ क्या है, कम हैं। आप बैंकों से उधार लीजिए। एक सौ अस्सी करोड़ क्यों, 500 करोड़ लीजिए, एक हजार करोड़ लीजिए लेकिन किसान को खेती के लिए आप बिजली उपलब्ध करवाएं। आज जितना कर्जा है उसमें 500 करोड़ रुपया और जुड़ जाएगा। कोई कल ही तो हाथ पकड़ने वाला है नहीं कि रुपया हमारा डाल दो। आपके खाते के अन्दर 500 करोड़ रुपये और रखे जाएंगे। आपने 180 करोड़ का क्या हिसाब लगा लिया ? आप हिसाब वित्त मंत्रीजी के पास बैठकर बनाओ। आप बिजली छह घंटे, आठ घंटे नहीं दे सकते ? काश्तकार को छह घंटे बिजली देने के लिए कितने रुपये की आपको जरूरत है ? उतना रुपया आपको कहीं से भी लाना चाहिए। कहां से लें, वह मुझे तो पता नहीं है लेकिन जो सरकार चलाता है उसके लिए सारी व्यवस्था, मान्यवर खेतसिंहजी, आपको करनी पड़ेगी। आप तो किसानों के हिमायती हैं। आप खुद किसान हैं। एक सौ अस्सी करोड़ रुपये की बिजली से क्या होगा ? काम नहीं चलेगा। मान्यवर, पूरा हिसाब लगाइये। कह दिया कि वित्त मंत्री महोदय कलम नहीं चलाते। तो, भाई साहब, कलम मत चलाओ। एक वित्त मंत्रीजी तो कलम चलाते-चलाते चले गये और दूसरे वित्त मंत्री ऐसा ही करेंगे तो खुद ही छोड़कर भाग जाएंगे। वे भाग जाएंगे। यह थैली है, जनता की है।

(16.00 बजे)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : खाली है।

श्री रामनारायण चौधरी : खाली भरी जा सकती है। जिसके हाथ में राज हो, सुमित्राजी, वह भर सकता है। नहीं भर सकता हो तो कह दें, भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, नहीं भर सकते क्या? कह दो कि नहीं भर सकते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 700 करोड़ के टैक्स लगाये हैं एक साल में।

श्री रामनारायण चौधरी : टैक्स की बात तो छोड़ो। मैं टैक्स की बात नहीं करता। मैं कहता हूं टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आज राजस्थान के अन्दर इतना भयंकर अकाल है और फिर बाद में दूसरा अकाल और पड़ने वाला है बिजली की वजह से। काश्तकार तबाह हो जाएंगे, बुरी तरह से तबाह हो जाएंगे। डीजल तो आकाश में चला गया। पहले ही डीजल के ऊपर खर्चा तीन गुना आता था, खेतसिंहजी साहब। तीन गुना बिजली से, और अब तो इसकी कोई भरमार ही नहीं, चार और पांच गुना चला गया। इसलिए डीज़ल सैट से कोई खेती कर नहीं सकेगा। वह और भी ज्यादा भयंकर हो गया। कल आप कह रहे

(श्री रामनारायण चौधरी)

थे, प्रतिपक्ष के सदस्यों से कह रहे थे, आप किस बात की औपचारिकता निभा रहे थे ? ये आपकी मदद कर देंगे, क्यों कर देंगे ? आप कितनी इनकी कर देते थे ? आप इनकी कितनी करते थे, हम कितनी करते थे ? इसलिए इन औपचारिकताओं को छोड़ो, आप वास्तविकता पर आओ। अगर मदद इनसे लेनी है तो जो मदद कर सकता है उससे बैठकर आप और चीफ मिनिस्टर साहब बात करो, कौन कर सकता है उससे बात करो। कोई यहां मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत अपने घर से तो बात नहीं करेंगे, लेकिन राजस्थान को उबारने के लिए यदि भैरोंसिंहजी शेखावत से बात करनी पड़े तो इसमें क्या दिक्कत की बात है, करनी चाहिए और इनको परसुएड करना चाहिए। ये राजी हो जाएंगे।

श्री खेलसिंह राठौड़ : ये राजी ही थोरे होते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हो जाएंगे फिर भी। हो जाएंगे फिर भी राजी। आप राजी करने जैसी बात करो जब तो हों। अब आप ऐसी बात ही नहीं करो तो कैसे हों ? (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरड़क : राजी-नाराज का पता ही नहीं चलता। आपका पता ही नहीं लगता कि राजी हैं कि नाराज हैं। पता ही नहीं लगता राजी कब हैं नाराज कब हैं। पता ही नहीं लगता।

श्री रामनारायण चौधरी : सब लगता है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : रामनारायण जी आप बता दो वे राजी कैसे होंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अगर सारे सदन को यह सरकार विश्वास में ले राजनीति से दूर रहकर तो निश्चित रूप से हम सरकार की मदद करने को तैयार हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ठाकुर साहब को और ठाकुर को,वैसे तो ठाकुर साहब हैं, और ठाकुर साहब कहते हैं उसमें साइकोफेंसी आ जाती है, लेकिन ठाकुर को राजी होते देर नहीं लगती। यह ठाकुर का स्वभाव है। आप कहेंगे आपको क्या पता। मेरी पीढ़ी ने तीन साल तक गांव के अन्दर पटेलाई की है, चौधराई की है। तो मेरे गांव का ठाकुर कैसे मेरे घरवालों से राजी होता था, मैं मेरे दादा को भी देखता था, फिर मैं मेरे फादर को भी देखता था। दोनों को मेरा देखा हुआ है और अब मेरे जो ठाकुर हैं वे ही हमारे लीडर हैं। वे प्रधान भी हैं और जिला परिषद में भी वो ही हैं और कांग्रेस के भी वो ही मालिक हैं। वे कैसे राजी हो जाते हैं मुझे सब पता है। तो ठाकुर को राजी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठाकुर तो सम्मान चाहता है, सम्मान चाहता है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : पर ठाकुर से ठाकुर थोड़े ही राजी होता है ?

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने हरिसिंहजी का कहां नाम लिया। मैं तो मेरे ठाकुर की बात बता रहा हूं। (व्यवधान) सभापति महोदय, आप बहुत तसल्ली से मुझे टाइम दे रहे हो और मेरी बात सुन रहे हो।

श्री सभापति : इसलिए घंटी बजा देता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामनारायण चौधरी : घंटी तो आप बजाएंगे, मुझे मालूम है। मैं अधिक भाषणबाजी नहीं करूंगा। मैं लफ्फाजीबाजी नहीं करना चाहता। मैं, सभापति महोदय, वास्तविकताएं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए आज बहुत क्राइसिस का पीरियड गुजर रहा है अकाल की वजह से और बिजली की वजह से। बिजली के अकाल की वजह से किसानों को तकलीफ है। यह आपने दी है मुझे, चीफ व्हिप साहब ने दी है, यह तो सब हमारे रामस्वरूपजी ने पढ़ दी है और हमारे मंत्री महोदय यही तो पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे ? यह काम जो रामस्वरूपजी कर रहे थे वह डाक्टर चन्द्रभानजी का काम था। तो अब मैं इन शब्दों के साथ मेरे कथन को समाप्त करता हूं कि , मंत्री महोदय, जितनी आप कर सकते हैं उतनी आप कीजिए। आप राजी करने के लिए प्रेस के अन्दर पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी मत कहिये कि आठ घंटे दूंगा, सात घंटे दूंगा। वास्तव में आप हिसाब लगवा लें आपकी कम्पनीज से बात करके कि इतना हम देंगे। आप अपनी गवर्नमैंट से बात कीजिए। मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं तो कहीं भी आजकल सब जगह अवेलेबल हो जाते हैं उनसे बात कीजिए, 180 का क्या लक्ष्य है। जितनी आज आपको रुपयों की आवश्यकता है उतने आप राजस्थान के लिखिये खाते में। और लिखे गये हैं, पांच सौ करोड़ और लिखे जाएंगे, ऐसा करके आप व्यवस्था कीजिए। मैं रामस्वरूपजी की इस बात की ताईद करता हूं कि 180 करोड़ रुपये पड़े हैं उसका क्या करोगे ? मैं कहता कि 180 क्यों जितनी जरूरत हो उतने रुपये लेकर आप बिजली खरीदिये। जिस भाव से मिलती है उस भाव से खरीदिये, महंगी ख़रीदिये, सस्ती खरीदिये लेकिन बिजली खरीदकर किसान को उतनी बिजली दीजिए लगातार। आज सब किसान बैठे हैं, अनइंटरप्टेड बिजली कितने घंटे दी जा सकती है उतनी दे दीजिए, बिजली की समस्या हल हो जाएगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, सभापति महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य को और टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य को कि उन्होंने राजस्थान के अन्दर विद्युत की जिस तरह की व्यवस्था है इसके बारे में सही चित्रण सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया। सभापतिजी, राजस्थान के अन्दर बिजली की कैसी व्यवस्था है, यह आपने थोड़ी देर पहले सदन में देखा। सभापति महोदय, आज सदन से बाहर राजस्थान के कोने-कोने से हजारों की संख्या में त्रस्त किसान इसलिए आया है कि पिछले दो वर्ष में बिजली के आन्दोलन के नाम पर राजनीति शुरू करने वाले ऊर्जा मंत्रीजी, ने जब से यह पद-भार संभाला है, राजस्थान से बिजली गायब हो गई, किसान का खेत प्यासा रह गया। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन राजस्थान के किसी न किसी कोने में राजस्थान का किसान, राजस्थान का नागरिक विद्युत उपलब्धता के लिए आन्दोलन नहीं कर रहा हो। परन्तु, ऊर्जा मंत्रीजी, मुझे तकलीफ है, एक तरफ तो राजस्थान का किसान आन्दोलन कर रहा है और दूसरी तरफ आपने एक रिकार्ड बना लिया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है। राजस्थान के अंदर एक सप्ताह में दो बार सरकारी खजाने से और राजस्थान विद्युत निगम के खर्चे से अगर किसी कि तस्वीर अखबारों में छपती है तो आपकी और आपके मुख्य मंत्रीजी की छपती है। ऊर्जा मंत्रीजी, आपको ध्यान होगा, सत्ता में आने से पहले एक घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया था और जहां तक मुझे जानकारी है उस घोषणा पत्र को बनाने वाली समिति के आप सचिव थे। आपको गरीब का वोट लेना था, गरीब का वोट लेने के लिए आपने किस-क़िस तरह की घोषणाएं कीं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा परन्तु आपके घोषणा पत्र के दो अंश पढ़कर सुनाता हूं। आपने यह कहा, कांग्रेस के शासन में कुए पर पांच हार्स पावर कनेक्शन के लिए पांच खम्भे नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाते थे तथा 37 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाती थीं। आज किसानों से नौ हजार से बारह रुपये प्रति खम्भा लिया जा रहा है। आपने यह भी कहा, 1850 रूपये प्रति हार्स पावर फीस देने पर एक रूपये सत्तर पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है, जो किसान के साथ अन्याय है। अब आपने घोषणा क्या की ? आप क्या करेंगे राज में आएंगे तो ? आपने यह कहा कि नवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में आप पांच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादित कराने का लक्ष्य पूरा करेंगे। आपने यह भी कह दिया कि कोटा थर्मल स्टेशन की क्षमता को पांच वर्ष में दुगना करेंगे। चलो यह तो छोड़ो, पर आपने, ऊर्जा मंत्रीजी, यह कहा राजस्थान की जनता को इस घोषणा पत्र के माध्यम से कि आगामी तीन वर्ष में प्रदेश के सभी गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जाएगा। किसी भी गांव के विद्युतीकरण में सबसे पहले बिजली अनुसूचित जाति-जनजाति के मोहल्लों में पहुंचाई जाएगी, उसके पश्चात गांव का विद्युतिकरण माना जाएगा। आपने आगे कहा, कृषि कार्य के लिए किसान को हर हालत में किसी भी परिस्थिति के अन्दर आठ घंटे प्रति दिन के हिसाब से बिजली उपलब्ध करायी जाएगी। कृषि कार्य के लिए बिजली निरन्तर और नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी तथा वोल्टेज का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपने यह भी कहा, 1990 से पूर्व कांग्रेस शासनकाल के समय में सामान्य प्राथमिक योजनाओं को ही रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में कांग्रेस शासन में बिजली के सम्बन्ध में किसानों को मिलने वाली सभी सुविधाएं पुन: प्रारम्भ की जाएगी। यानि वायदा किया आपने 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली देंगे, वादा किया आपने किसान को आठ घंटे लगातार बिजली देने का, वायदा किया आपने किसान को लगातार अनइंटरप्टेड बिजली देने का। परन्तु आपने किया क्या ? आपने किया इसके बिलकुल उलटा। ऊर्जा मंत्रीजी, अभी इस फसल की गिरदावरी की रिपोर्ट आई है, आपने पढ़ा होगा, राजस्थान में इस बार अकाल नहीं महाकाल पड़ा है। तीसरी साल लगातार अकाल है। 30 जिलों में 30,585 गांवों में अकाल। मंत्रीजी, मानसून ने दगा दे दिया पर यह बिजली का धोखा तो आप बंद करें। किसान की, चने की बुवाई चली गई, सरसों की बुवाई चली गई करीब-करीब और अब गेहूं के लिए किसान इन्तजार कर रहा है। जब भी मौका आता है आप खड़े होकर यह कहते हैं कि 8 घंटे बिजली मिल रही है। अभी आपकी मंत्री

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

परिषद के वरिष्ठ सदस्य खेतसिंहजी राठौड़ ने अपनी बात कही। आपकी कलई खुल गई। आपने लम्बा-चौड़ा कागज देकर माननीय सदस्यों को तैयार किया है कि आपकी वाहवाही के लिए आपने जो डेटाज रखे हैं इनको वे यहां पढ़ें। पर ऐसी बेवकूफी कोई नहीं करेगा। सदन के बाद में सबको अपने-अपने क्षेत्र में जाना है, वहां किसान उनसे सवाल पूछेगा कि आप वहां कह कर आये थे कि बिजली की व्यवस्था ठीक है, हमें बताओ हमें कितनी बिजली मिल रही है। आपने मंत्रीजी, कल स्वंय इस बात की घोषणा की थी। मेरी समझ में नहीं आता, जिस तरह रामनारायणजी ने कहा कि उपभोक्ता से आंखें क्यों चुराते हैं जब आप एक तरफ यह कहते हैं कि डिमांड और सप्लाई का गैप छोटा-मोटा गैप नहीं 65 लाख यूनिट प्रति दिन का है। सभापति महोदय, अभी इन्होंने परिपत्र दिया। परिपत्र सारे विधायकों को भेजा, विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सबके हित में है। अब आप क्या कहते हैं ? आपने उसके अन्दर लिखा है कि राज्य के अन्दर मांग के बनिस्बत जो विद्युत उपलब्धता है उसमें 15 सौ मेगावाट की कमी है। विद्युत की आपूर्ति, उसमें हमारा स्वंय का जनरेशन विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सा, केन्द्रीय विद्युत परियोजना में हमारा हिस्सा, इन सबको जोड़ लें तो ऊर्जा मंत्रीजी, यह 3500 मेगावाट से कम बैठता है और जिस तरह का आपके पास लोड है, बिजली की मांग है वह पांच हजार मेगावाट से ज्यादा बैठती है। मोटे तौर पर 1500 मेगावाट की कमी है। बाद में कल खुद ही कह दिया कि दो लाख से ज्यादा उपभोक्ता विद्युत का सम्बन्ध लेना चाहते हैं, विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं। किसान कनेक्शन लेना चाहते हैं तो प्रति वर्ष ढाई सौ से तीन सौ मेगावाट का अतिरिक्त भार बढ़ता जा रहा है। आप खुद कह गये कि 60 परसेंट बिजली राजस्थान के बाहर के स्रोतों से आपको लेनी पड़ती है। जिस तरह मण्डावा से आने वाले सदस्य कह रहे थे, 180 करोड़ की बिजली खरीद कर कौनसा मीर मार लेंगे आप ? पहले आपके भाषण का अंश रहा करता था, सभापति महोदय, जहां भी जाते थे...

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, 180 क़रोड़ की नहीं, बिजली तो हम खरीदेंगे करीब ढाई हजार करोड़ की टोटल। यह 180 करोड़ तो किसानों को आठ घंटे सप्लाई देने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यही कह रहा हूं। आपने यह कहा कि किसान की फसल की बुवाई को देखते हुए आठ घंटे बिजली की उपलब्धता को पूरा करने लिए आपने राजकीय मद से 180 करोड़ रुपये विद्युत निगम को दिये हैं। कौनसा मीर मारा आपने ? पहले आपके भाषण का अंश था रोज एक करोड़ रुपया, सभापति महोदय, प्रति दिन एक करोड़ रुपया बिजली के ऊपर खर्च करके, बिजली खरीद करके आप किसान पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे थे। (व्यवधान) मैं आपसे तीन करोड़, पांच करोड़ की बात नहीं करता, ऊर्जा मंत्रीजी, मैं दूर नहीं जाना चाहता, 1990 के बाद में आप मुझे आज तक बता दें कि पीक आवर्स में फसल के समय में किसी की सरकार रही हो, हमारी सरकार रही हो, आपकी सरकार रही हो, कौनसी ऐसी सरकार है जिसने बिजली

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को नहीं खरीदा हो ? मैं निवेदन करना चाहता हूं, कौनसा ऐसा वर्ष था जिसके अन्दर डिमांड और सप्लाई का गैप नहीं था ? परन्तु दूसरी सरकारें आपकी तरह आंखें नहीं चुराया करती थीं। आपकी तरह विद्युत सुधार के नाम पर विश्व बैंक के आगे घुटने टेक कर विद्युत की दरों को पिछले दरवाजे से नहीं बढ़ाया करती थी।

मैं निवेदन करना चहता हूं आज हालात क्या बन गये ? आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपका यह परिपत्र कहता है कि आपके यहां बिजली की चोरी और डीजल में लगातार चालीस परसेंन्ट की वृद्धि हो रही है। कल आपने विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में बता दिया कि 1666 करोड़ रुपये का टी.एण्ड डी. और थैफ्ट के कारण से एक वर्ष के अन्दर सरकार का नुकसान हुआ है। और तो और, जिस विश्व बैंक के इशारे से आपने 42 वर्ष पुराने राजस्थान विद्युत मण्डल के पांच टुकड़े किये, न जाने उसके पीछे आपका क्या हित था, उसकी सलाहंकार कम्पनी प्राइस हाउस वाटर कूपर्स यह कहते हैं अपनी तकनीकी रिपोर्ट में कि आज की तारीख में आपकी इलैक्ट्रिसिटी का लास 42 परसेंन्ट है। अब आप न जाने क्या करना चाहते हैं ? परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको डिमांड और सप्लाई के गैप के बारे में वस्तुस्थिति का आंकलन करके राजस्थान की जनता को स्पष्ट बता देना चाहिए कि हमारे पास विद्युत की उपलब्धता कम है।

अभी तो अक्टूबर का महीना है, मैं पिछले महीने की बात कर रहा हूं, एस्टिमेटेड एनर्जी अवेलेबिलिटी लाख यूनिट पर-डे थी 613 और एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमैंट थी 750 नम्बर में यह 715 लाख यूनिट हुई और आवश्यकता है आज 790 की। कमी है 75 लाख यूनिट की। अगर यह बढ़ता रहेगा तो मैं समझता हूं हर महीने आपका डिमांड और सप्लाई का गैप कम होने के बजाय आगे बढ़ता चला जाएगा।

कल आपने बड़े जोर-शोर से एक बात कही थी, आपने कहा मेरी समझ में नही आता। ऊर्जा मंत्रीजी मेरे को यह उम्मीद थी कि आप जैसा व्यक्ति जो नौजवानं की राजनीति से निकल कर यहां पहुंचा है, आप सदन के लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि आपने किस आधार पर यह कह दिया कि आपने बिजली की दरों में दो वर्ष में एक बार बिजली की दर बढ़ाई वह भी 15 परसेंट। आपने जो वार्षिक प्रतिवेदन दिया है मैं इसको पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूं। यह वार्षिक प्रतिवेदन है, पेज नम्बर 20 को आप देख लें। इसमें आपने दो कालम दिये हैं विद्युत दर ईंधन प्रभार रहित। इसके अन्दर इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगी, वह अलग बात है। इसमें घरेलू प्रथम 50 यूनिट तक प्रति माह नवम्बर, 99 से पहले आप लेते थे 112 पैसे, आज आप ले रहे हो 155 पैसे, यानि 43 पैसे आपने बढ़ा दी। और इसके अन्दर 25 पैसे विद्युत शुल्क भी जोड़ें तो 1 रुपये 80 पैसे यूनिट आज राजस्थान के उस गरीब आदमी से ले रहे हैं जो एक बल्ब भी पूरे समय नहीं जलाता होगा। 50 यूनिट से ज्यादा नवम्बर, 99 से पहले 135 पैसे प्रति यूनिट का चार्ज लिया जाता था, आपने बढ़ाकर 230 कर दिया। उसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अन्दर 25 पैसे विद्युत शुल्क और जोड़ दो, 2 रुपये 45 पैसे, कितना ? 15 परसेंट है यह ? क्यों आपने स्लैब बढ़ाने के नाम पर पिछले दरवाजे से दरों को बढ़ाया है ? आपमें हिम्मत होती तो आप घोषणा करते कि हम महंगी बिजली खरीद रहे हैं। विश्व बैंक के साथ जो आप क़रार करके आये हैं उसकी चर्चा अभी प्रतिपक्ष के नेता कर रहे थे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने विश्व बैंक के सामने घुटने टेके हैं। आपने उनको कहा है कि हम प्रति वर्ष कम से कम 10 परसेंट विद्युत शुल्क सहित सब चीजों में बढ़ोतरी करेंगे। अब कैसे आंख मोड़ सकते हैं। विश्व बैंक ने आपके साथ क्या किया यह तो मैं आगे बताऊंगा। यह तो मैंने घरेलू विद्युत के बारे में बताया।

सभापति महोदय, अघरेलू विद्युत के लिए नवम्बर से पहले 100 यूनिट तक 185 पैसे शुल्क था। इन्होंने नवम्बर के बाद, आपके आने के बाद पिछले दरवाजे से वसूल करना प्रारम्भ किया 264 पैसे। इसके अन्दर अगर ईंधन शुल्क 1 रुपया 46 पैसे मैं पांच मिनट में खतम कर दूंगा, और 25 पैसे विद्युत शुल्क, इस तरह 4 रुपये 35 पैसे अघरेलू उपभोक्ता जो 100 यूनिट तक खर्च करे, उससे ले रहे हैं। हम ले रहे थे 2 रुपये 64 पैसे, आप ले रहे हैं 4 रुपये 35 पैसे और फिर अन्तर बता रहे हैं 15 परसेंट का। आपने 100 परसेंट बढ़ा दी। इसी तरह, सभापति महोदय 100 यूनिट से ज्यादा नहीं...

डा. चन्द्रभान : आप भी लेते थे फ्यूल सरचार्ज और वह मिला करके 2 रुपये 64 पैसे नहीं थे। आप करैक्ट कर लो अपने आपको। यह बात सही है कि अब 4 रुपये 35 पैसे है। यह बात अपकी बिलकुल सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं करैक्ट कर रहा हूं। यह तो सही है न ? और नवम्बर से पहले हम क्या लेते थे, यह भी बता दो।

डा. चन्द्रभान : पहले साढ़े तीन रुपये से ज्यादा मंहगी थी, साढ़े तीन-पौने चार थे, उसमें सिर्फ पचास पैसा या साठ पैसा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऊर्जा मंत्रीजी, मैं जो कह रहा हूं आपके द्वारा दिये गये, वार्षिक प्रतिवेदन के आधार पर कह रहा हूं और आपके विद्युत मण्डल ने रेट रिवाइज करके जो सूची जारी की उसके आधार पर कह रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : डोमेस्टिक की आपने कही, मैंने कहा कि ठीक है। एग्रीकल्चर की आप ठीक कह रहे थे। नान डोमेस्टिक में आप जो बता रहे हैं यह ठीक नहीं है। मैं अलग से लिस्ट दे दूंगा। अभी दे देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लिस्ट दे देना। 100 यूनिट से ज्यादा डोमेस्टिक में आपने क्या कमाल किया है। हमारे समय में था 215 पैसे से लेकर 260 और अब आप ले रहे हैं बिना ईंधन प्रभार के 304 पैसे और ईंधन प्रभार का आप उसमें और जोड़ दो तो यह राशि चली जाती है 4 रुपये 75 पैसे के लगभग। यह आप कह रहे हैं 15 परसेंट की बढ़ोतरी है। मेरी समझ में नहीं आता, मैं लम्बी बात नहीं कहूंगा इन्होंने किया क्या है ?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, जिस फ्लैट रेट के खिलाफ ये आन्दोलन किया करते थे, कांग्रेस के मित्र कहा करते थे कि बिजली नहीं तो पैसा नहीं, इन्होंने सत्ता में आने पर सबसे पहले कोई आदेश निकाला तो उस फ्लैट रेट को लागू करने का निकाला ये किसान के हितैषी हैं ! आज किसान को बिजली मिलती नहीं, पर किसान को एक निश्चित राशि का बिल 70 पैसे प्रति हार्स पावर प्रति यूनिट के हिसाब से देना पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता, आप करना क्या चाहते हैं !

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समय में सामान्य कृषि कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों में कुओं के लिए प्रति हार्स पावर प्रति माह 32.74 पैसे था, इन्होंने आकर 63 पैसे कर दिया। 31 पैसे बढ़ा दिये, किसान से लिया जाने वाला पैसा। और फिर कह रहे हैं कि हमने विद्युत की दर को नहीं बढ़ाया है। मैं निवेदन करूं...।

डा. चन्द्रभान : किसने कहा नहीं बढ़ाया है ? एक बार बढ़ाया है, कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके अलावा विद्युत कर के नाम पर...

डा. चन्द्रभान : 74 पैसा, आपने क्या किया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कृषि श्रेणी के अतिरिक्त 10 पैसे को 20 पैसे कर दिया, मीटरों का एक से दो रुपये कर दिया। मीटर बक्से के नाम पर 30 रुपये से 50 रुपये कर दिया। मीटर पैनल कोर्ड के नाम पर 60 रुपये से 100 रुपये कर दिया। यह मेरी समझ में नहीं आया। निर्धारित सेवा प्रभार, सभापति महोदय, आप तो किसान हैं, निर्धारित सेवा प्रभार, एडीशनल सिक्योरिटी, आपने सुनी नहीं होगी। मैंने कनेक्शन ले लिया, मेरे घर पर बिल आ गया, एडीशनल सिक्योरिटी का पैसा दें। किस नाम का पैसा दें, मंत्रीजी ? यह कैसा सेवा प्रभार है ? मैं दो मिनट में खतम करूंगा, इन्होंने सेवा प्रभार भी 12 पैसे से बढ़ाकर 15 पैसे कर दिया।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपने एक योजना बनायी। राजस्थान में इस बार अकाल है, पिछली बार योजना बनाई चारा योजना। पर चारा योजना के लिये 12 हजार रुपये डिपाजिट राशि का रख दिया। 11 हजार प्रति पोल चार्ज रख दिया। 1200 प्रति हार्स पावर शुल्क रख दिया। कुल मिलाकर अगर किसी किसान ने तीन खम्भे लिये हैं तो 33 हजार रुपये 10 हार्स पावर की मोटर भी लगाई तो 12 हजार, कुल 50-55 हजार रुपये चाहिए उसके बाद आपको मिलेगा चारा योजना में चारा उगाने के लिए कनेक्शन। किसान अकाल में है इसलिए पशुधन बच जाए उसके लिए योजना बना रहे हैं। उसके अन्दर भी यह क्या कर रहे हैं, यह निवेदन मैं आपको करना चाहता हूं।

श्री सभापति : बाद में बोलने के लिए दूसरे माननीय सदस्यों के लिए भी कुछ छोड़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बस खतम कर रहा हूं। सभापति महोदय, कल मंत्री जी ने घोषणा की है कि हमने इस बार अतिरिक्त एक हजार करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करने के लक्ष्य

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रखे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कहां से आएगा लक्ष्य ? टैरिफ बढ़ाएंगे ? इसके अलावा और चारा क्या है ? क्यों नही खड़े होकर कह देते कि आपकी सारी कंपनियां टैरिफ बढ़ाने के लिए नियामक आयोग के सामने आवेदन कर रही हैं ? और आवेदन आपको करना भी पड़ेगा। आपने कल कहा कि 1374 करोड़ का घाटा है। घाटा कब नहीं था ? आपका समग्र घाटा आज 7200 करोड़ में से 5600 करोड़ रुपया सरकार ने दे दिया और आपने इस घाटे को बांट दिया। घाटे को पांचों कंपनियों में बांट दिया और मैं एक बात कहकर खतम करुंगा, आज साढ़े 300 करोड़ रुपये प्रति माह के हिसाब से वितरण और प्रसारण कंपनियां घाटे में जा रही है। आप जो पावर सैक्टर सुधार अधिनियम लेकर आयें हैं न, मंत्रीजी, उसके अंदर आप पढ़ लें। उसमें एक धारा है धारा 26(2)(एफ), उसके अंदर लिखा है उत्पादन, वितरण और प्रसारण करने वाली कंपनियां वाणिज्यिक रूप से यानि कामर्शियल प्रिंसिपल के अनुसार काम करेगीं। अब कार्शियल प्रिंसिपल के हिसाब से काम ये कंपनियां करेगी तो, सभापति महोदय, घाटे में चल रही कंपनियां क्यों नहीं अपना रेट बढ़ाएंगी ? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और सावचेत करना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्रीजी, शासन कइयों के पास आया है, समय फिसल रहा है मिट्टी की तरह, अभी चेत जाओ। आपका तो शायद कोई शुभचिंतक नहीं था, जिन्होंने आपको इस पर पहुंचाया है, आपकी कलम क्यों नहीं कांपी ? आप पिछले दरवाजे से रेट बढ़ाते चले गये और जो आपने कानून बनाया है उससे अब आप और रेट बढ़ाने से चूक नहीं सकते। आपने विश्व बैंक से करार किया। आपने बड़ा शोर किया, यहां खड़े होकर कहा कि हमें साढ़े 4 सौ करोड़ रुपया सात सालों मे मिलेगा और आपने कहा विद्युत संयंत्रों को सुधारने के लिए ढाई करोड़ रुपया मिलेगा। और आपके विद्युत प्रसारण निगम के अध्यक्षजी का एक दिन बयान पढ़ा था, उन्होंने कहा कि विश्व बैंक से मिलने वाली प्रथम किश्त साढ़े 400 करोड़ से बढ़कर साढ़े 700 करोड़ हो गई। सभापति महोदय, इनको मिल क्या रहा है ? इन्होंने सारे तंत्र की ऐसी-तैसी कर दी है इनको मिल रहा है 2134 करोड़ रुपये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सही कह रहे थे मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने क्यों नहीं सबक लिया कि उड़ीसा के साथ इस विश्व बैंक ने क्या किया ? 1200 मिलियन डालर की बात कहकर चार वर्ष के बाद साढ़े 300 मिलियन डालर दिये। हरियाणा के साथ क्या किया ? 1998 में कहा इन्होंने कि हम 2400 करोड़ रुपये देंगे और 137 करोड़ रुपया दिया। आज उसी तरह का खिलवाड़ विश्व बैंक आपके साथ कर रहा है आपको तो मालूम है, मैंने अखबार में पढ़ा था विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने आपको साफ-साफ कह दिया, अब से अगर आपके ऋण लेना है तो आप पहले अपनी कंपनियों का निजीकरण पूरा का पूरा करें। आई.एफ.सी. के पास जाएं ऋण लेना हो तो आपको कितने प्रतिशत पर ऋण मिलेगा ? जब आप 2000 करोड़ रुपये का ऋण...

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। कृपया समाप्त कीजिये...। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यहां से मिल सकता है ऐसी संस्थाओं से, तो क्यों नहीं इस तरह का काम आप कर रहे हैं ? सभापति बस अब खतम है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने विश्व बैंक के साथ जो करार किया है, जो पत्र प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि सदन की मेज पर रखें, उसके अनुसार प्रतिवर्ष 10 फीसदी विद्युत दरों में बढ़ोतरी करने के लिए कम्पनी नियामक आयोग के सामने आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगी और 2002 में प्रसारण कंपनी ने छोड़कर सारी कंपनियों का पूर्णत : निजीकरण हो जाएगा। 50 फीसदी से ज्यादा शेयर निजी लोगों के साथ में होंगे, मंत्रीजी, मैं गंभीरता से निवेदन कर रहा हूं...

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : विरोध करता हूं, केन्द्र में किसकी सरकार है ? वह क्यों लेती है विश्व बैंक से ऋण ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसी की भी सरकार है...

डा. चन्द्रभान : वह ऋण किसलिए लेती हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपको क्या नैतिक अधिकार है इसका विरोध करने का ? आपकी पार्टी खुद विश्व बैंक से ऋण लेती है और सपोर्ट करती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो विश्व बैंक से ऋण लेते हैं...(व्यवधान) तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी पार्टी ने नहीं कहा, किसी भी स्टेट को यह नहीं कहा कि आप यह पावर सैक्टर अधिनियम जरूर लेकर आयें। आप लेकर आये थे, आपको चाहिए था, आपने घुटने टेके हैं।

श्री सभापति : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप करार तय करके आये हो। सभापति महोदय, मैं अंतिम बात कहकर बैठ रहा हूं। 2002 में, यह करार जो करके आये हैं, कृषि क्षेत्र में बिजली की लागत का आधा किराया वसूला जाएगा। यानि जितनी भी बिजली मिल रही है, आज सवा तीन-साढ़े तीन के हिसाब से बिजली मिल रही है, 2002 में किसान जो आज 60-70 पैसे दे रहा है उसको...(व्यवधान) पैसे देना पड़ेगा।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, मैं इसमें थोड़ा आब्जैक्ट करूंगा, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं कि जो लागत मूल्य है उसका 50 प्रतिशत लिया जाएगा एग्रीकल्चर से। यह पहले एक चर्चा जरूर हुई थी केन्द्र सरकार में जब देवगौड़ा जी प्रधान मंत्री थे लेकिन उसके बाद में कोई सहमति नहीं हो सकी। किसी राज्य ने इसमें सहमति नहीं दी और इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन को लेकर इन्होंने बहुत बड़ी आलोचना हमारी की थी, कहा था 4600 मेगावाट के एम.ओ.यू. साइन करके भाजपा के लोगों ने काम कुछ नहीं किया, आपने कौनसा तीर मार लिया, मंत्रीजी ?

श्री सभापति : आप कौनसी कम करने वाले हैं ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कौनसी फाइनेंशल ग्रोथ सरकार ने करायी ? कौनसी आपकी निजी क्षेत्र के अंदर विद्युत उत्पादन कंपनियां आ रही हैं ? ढाक के तीन पात, मंत्री महोदय। अखबार में तस्वीर छपवाने से काम नहीं चलेगा, तस्वीर उस किसान के दिल में चाहिए और किसान के दिल में कैसी तस्वीर है, आप झुंझुनूं पधारे थे, आपके कार्यक्रम में कितने लोग थे ? आज मुख्य मंत्रीजी डर कर झुंझुनूं नहीं जाएं, मुख्य मंत्री का दौरा इसलिए कैन्सिल हो जाए...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इन बातों को यहां सदन में नहीं दोहराएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप राजस्थान के किसानों पर कृपा करें। आप तो सूरतगढ़ की वाहवाही लूटना चाहते हैं, किसके कार्यकाल में सूरतगढ़ बना था ?

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा, किसान के जीवन से जुड़ा हुआ एक सवाल है। मंत्रीजी, अभी चेत जाओ। आप संघर्षशील व्यक्ति हैं, कोई जरूरत नहीं है ऐसे मंत्री पद की, लात मारकर बाहर निकलकर आ जाओ कि किसान का बेटा हूं, किसान का अपनी कलम से बुरा नहीं करूंगा। निश्चित रूप से आप आत्म-विवेचन करेंगे तो सही कदम उठाएंगे। आपने समय दिया धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, आज हम राजस्थान के आम जनजीवन से जुड़ी हुई बिजली की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा होता कि इस समस्या का सार्थक रूप से किस तरह से समाधान हो सकता है, उसके रचनात्मक सुझावों के साथ ही इन पर हम गंभीरता से विचार करते तो उसका कुछ प्रतिफल नजर आता। दुर्भाग्य से विपक्ष ने इस बिजली की समस्या का जिस ढंग से राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सोच समस्या के समाधान की तरफ नहीं है बल्कि सत्ता से विमुख होने के बाद जिस तरह असंतुलित होकर अपनी मानसिकता का ये प्रदर्शन करते हैं, वे सारी बातें सामने आती हैं। इस तथ्य को क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है कि आज के दिन सरकार बैठी है राजस्थान में वह कांग्रेस की सरकार है ? आजादी के पहले राजस्थान में 13 मेगावाट बिजली पैदा होती थी, उस राजस्थान में आज लगभग 3000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। लगभग 1500 मेगावाट बिजली की कमी है इसलिए समस्या है हमारे सामने इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष के नेता महोदय बड़ी-बड़ी बातें कहा करते थे, बहुत बार यह कहा कि हमने 23 ऐसे करार किये हैं जिनसे राजस्थान में स्थायी तौर से बिजली की समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब तक आप सत्ता में रहे, इस गम्भीर समस्या की ओर आप कब चिंतित रहे और कितने मेगावाट बिजली आपने पैदा की ? यह समस्या आज कांग्रेस सरकार की पैदा की हुई नहीं है, यह समस्या लगातार आपके सही दिशा में सोच नहीं होने से पैदा हुई। आठ साल में यदि आप बिजली की समस्या की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

ओर ध्यान देते, उत्पादन की ओर आपका ध्यान जाता और केवल कनेक्शन देकर वाहवाही लूटने की तरफ आपका ध्यान नहीं होता तो मैं समझता हूं कि हमारी समस्या इतनी गम्भीर नहीं होती।

मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में इस नई सरकार के आने के बाद सूरतगढ़ की इकाइयों को कार्यरूप में परिणत करने का प्रयास किया गया, बिजली की समस्या का कुछ समाधान हुआ है। यह सही है कि अकाल की स्थिति से बिजली के प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ रहा है और दिल्ली की सरकार जो वहां बैठी हुई है उसका इस तरफ क्या ध्यान है, कितना ध्यान है, यह भी आप सबको मालूम है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी और विद्युत मंत्रीजी बार-बार अनुरोध कर रहे हैं, पांच रुपए यूनिट वहां सैण्ट्रल प्रोजेक्ट से देने की बात करते हैं और वह भी पूरी उपलब्ध करवाने की गारण्टी नहीं देते हैं। इसके बावजूद भी राज्य सरकार ने करीब 2500 करोड़ रुपये की बिजली खरीदने की योजना बनाई है और सरकार के स्तर पर 180 करोड़ रुपये प्रारम्भिक तौर पर दिये गये हैं कि पड़ोसी राज्यों से बिजली खरीदकर राजस्थान के किसानों को उपलब्ध करवाई जाए। मैं समझता हूं कि सरकार इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद की पात्र है। गत वर्ष भी एक करोड़ रुपये की बिजली खरीदकर राजस्थान के किसानों की रबी की फसल बचाई। किसानों की चिंता कितनी है इस बात का एहसास गत वर्ष में हुआ था। किसानों को आठ घंटे बिजली की बात हम बार-बार करते हैं, आप भी करते हैं, यह पता नहीं कहां से एक लकीर का फकीर वाली बात चल पड़ी। परिस्थितियों के अंदर बिजली ज्यादा उपलब्ध होगी, 8 घंटे मिल सकती है, 10 घंटे मिल सकती है। आज उपलब्ध नहीं है तो मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि 8 घंटे की पत्थर की लकीर पर चलने की बात छोड़ दें। 8 घंटे नहीं तो आप 4 घंटे दें, 5 घंटे बिजली दें, पर 5 घंटे बिजली सुनिश्चित तौर पर किसानों को मिले, इस बात की गारण्टी सरकार दे।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : 4 घंटे में क्या करेगा किसान ? ब्याज ही नहीं चुकेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप बिराज जाएं, खेती आप नहीं करते हैं।

श्री सांवर लाल : आप बिराज जाएं, गांव में जाएं तो पता चले।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप खेती करते नहीं हैं, नाम के किसान हो। मैं कहना चाहता हूं कि अलग-अलग जिलों में अलग-अलग स्थिति है, हमारे भीलवाड़ा जिले में 5 घंटे बिजली देना पर्याप्त है।

श्री सांवर लाल : पर जहां पर आवश्यक है वहां तो दो। हमारे यहां 10 मिनट नहीं जलती है बिजली, जहां पर जरूरत है वहां तो दे दो।

श्री रतनलाल ताम्बी : जब आप मंत्री थे तो आपने क्या किया, इसका जवाब दे दें।

श्री सांवर लाल : 8 घंटे कब नहीं मिली ? भैरोंसिंहजी के राज में यह हालत नहीं हुई, आपके यहां थी, हर जगह सड़क पहुंचाई थी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं कहना चाहता हूं कि समस्या का राजनीतिकरण न हो। मैंने शुरू में भी यही बात कही थी कि समस्या को राजनीतिक तौर पर नहीं लें। आप दिल्ली की सरकार से कहें कि राजस्थान की सरकार बिजली खरीदना चाहती है। वे पांच रुपये यूनिट की बात करते हैं, यहां बिजली की रेट उसके माफिक थोड़ी-सी भी बढ़ाते हैं तो आप बहुत करते हैं, यहां की रेटें हैं उन पर आप बिजली उपलब्ध करवा दो। राजस्थान में संकट है तो इतना काम तो कर दो।

श्री सांवर लाल : सब्सिडी शुरू से दे रहे हैं किसानों को, कोई नयी बात नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको समय मिलेगा तब बात कहना।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में बिजली का जो संकट है इस संकट के कई कारण हैं- पिछले कई वर्षों से लाइन लोसेज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चोरी बढ़ती जा रही है। एक जमाना था जब विधान सभा में चर्चा करते थे, 23 प्रतिशत लाइन लोसेज को बहुत मान रहे थे, आज 40 प्रतिशत तक पहुंच गया। बहुत बड़ा खतारा है, कितनी बड़ी चोरी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह चोरी करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, उसकी सजा सरकार सारे राजस्थान की जनता को दे रही है। आप किसी तरह से चोरी को रोककर लाइन लोसेज को ठीक कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि इस सुधार कार्यक्रम को हाथ में लेकर इस दिशा में सोच को, चिंतन को जाहिर किया है। यदि यह कारगर रूप में होता है तो राजस्थान का भविष्य बिजली की दृष्टि से अच्छा हो सकेगा, ऐसा मेरा मानना है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली सुधार कार्यक्रम जो हाथ में लिया है, अब कम्पनियां कितनी बनाई, कैसे बनाई, क्या होगा, इसका परिणाम तो जो होगा वह होगा, मैं नहीं कह सकता पर मैं यह जरूर कह सकता हूं कि सरकार ने इस बात को सोचा है कि राजस्थान की पांच-छह करोड़ जनता का जीवन बिजली है और सबसे अधिक प्राथमिकता सरकार ने बिजली कार्यक्रम को देने का काम हाथ में लिया। इसके साथ-साथ सुधार कार्यक्रम जो चरणबद्ध रूप से हाथ में लिए हैं यदि उन पर, ऊर्जा मंत्रीजी, ऊर्जावान रहकर गम्भीरता से आपने कुछ किया तो राजस्थान के इतिहास में आपको लोग याद करेंगे। राजस्थान की विधान सभा में जितना आपने चाहा, आपको इन सारे कार्यक्रमों को लाने की छूट दी, जो चाहा वैसा एक्ट बनाया, सबने आपका समर्थन किया। उसका परिणाम यदि सार्थक आता है तो इतिहास में एक नाम होगा कि इस सरकार ने और इन ऊर्जा मंत्रीजी ने कुछ काम किया है। और इस सब के बावजूद यदि आपने राजस्थान की बिजली की समस्या का निराकरण नहीं किया तो राजस्थान की जनता आपको बख्शने वाली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समस्या के समाधान के लिए आपने इच्छाशक्ति व्यक्त की है, एक संकल्प जाहिर किया है, उसको निश्चित रूप से आप पूरा करिये। मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति का भी एक स्तर होता है, इस स्तर को इतना मत गिराइए कि राजस्थान की सरकार कोई

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चिंतित ही नहीं है। सड़कों पर किसानों को लाकर आप क्या कहना चाहते हैं ? यह चिंता है, इस समस्या का आप और हम मिलकर कैसे समाधान कर सकते हैं, कभी-कभी हम रचनात्मक दृष्टिकोण लेकर चलेंगे तो समाधान होगा। आप और हम बैठें, बातें करें, आपस में चर्चा करें। चर्चा करके ऐसा सुझाव दें सरकार को कि कैसे सुधार किया जा सकता है तो निश्चित तौर पर बिजली में सुधार होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ राजस्थान सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि कुछ मामलों में आपको जनता और किसानों की चिंता पर भी सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं दो-तीन निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं इस विधान सभा के माध्यम से चाहता हूं कि सभी वर्ग मिलकर भारत सरकार से राजस्थान के बिजली के कोटे को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव के रूप में, जैसा भी कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। राजस्थान की जनता इतनी कठिनाई में है, यदि भारत सरकार में कहीं भी संवेदनशीलता राजस्थान के बारे में है तो निश्चित रूप से राजस्थान का कोटा बढ़ाकर इस समस्या का समाधान करे। इस सबके बावजूद नहीं करते हैं तो वह सरकार सर्वसम्पन्न पूरे देश की सरकार नहीं कहला सकती। एक पूरे प्रदेश में इतना बड़ा संकट है, उसको राजनीतिक कारणों से कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया इसलिए राजस्थान की जनता का भी सफाया कर दो, यदि यह आपने सोच रखा है तो राजस्थान की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इस मौके पर...

श्री सांवर लाल : 16 पार्लियामैंट मैंम्बर हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : वे क्या कर रहे हैं ? झक मार रहे हैं क्या वहां ?

श्री सांवर लाल : 16 पार्लियामैंट मैंम्बर है बी.जे.पी. के।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या कर लेंगे ? उन सबकी जुबान बंद है। (व्यवधान) राजस्थान के अकाल में गत वर्ष कितना पैसा दिला सके और इस बार कितना दिला सकेंगे ?

श्री सांवर लाल : राजस्थान को हर मामले में जितना पैसा मिला, कुछ फीड तो करो, 30 प्रतिशत ही नहीं है आपके पास देने के लिए। अभी आपके मंत्रीजी ने कहा था, पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर साहब ने कि 30 प्रतिशत हमारे पास नहीं है। 70 प्रतिशत तो मिल जाएगा, भारत सरकार की तरफ से कमी नहीं है।

श्री सी.पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : 25 से 50 प्रतिशत तो करवा दो पहले।

श्री रतनलाल ताम्बी : बातें करना चाहते हैं, कोटा तो बढ़ा दो आप, समस्या खतम हो जाएगी।

श्री सी.पी. जोशी : 25 परसेंट आफ द पूल कर दिया, काहे का भाषण देते हैं ? 50 प्रतिशत से 25 प्रतिशत किया है सेण्टर में

(श्री सी. पी. जोशी)

राजस्थान का बिजली का शेयर है वह, उसको बढ़ाकर आप ले लो।

श्री सांवर लाल : सहयोग ले लें न आप। क्यों नहीं चलेंगे, हमारे नेताजी जाएंगे, हम जाएंगे आपके साथ।

श्री रतनलाल ताम्बी : जाओ नेताजी, फिर देख क्या रहे हैं ?

श्री सांवारलाल : प्रेम से बात करो।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह +++ में सोने का समय नहीं है, नेताजी को अब तक जाना चाहिए था।

श्री सभापति : यह आपसे में बात न हो तो अच्छा रहेगा।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय, आप 8 घंटे की बात छोड़ दें। मैं इसको ठीक नहीं मानता आप 5 घंटे दें, 4 घंटे दें पर निश्चित तौर पर दें। मैंने सुना है, मैं असलियत नहीं जानता, राजस्थान में अलग-अलग स्थिति है, कहीं 8 घंटे, कहीं 7 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 5 घंटे तो कहीं 4 घंटे या इससे भी कम हो सकती है, बिजली मिलती है, यह भेदभाव है, यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। राजस्थान में आप 5 घंटे दें, 4 घंटे दें, 6 घंटे दें लेकिन पूरे प्रदेश को समानता से बिजली मिलनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं।

एक दूसरा बड़ा नुकसान जो राजस्थान के किसान को हो रहा है भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, ये 5-7 जिले जिसमें चित्तौड़गढ़ जिला भी शामिल है, इनमें लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमें चल रही थीं। लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमें 1200-1400 के करीब चल रही थीं और राजस्थान के करीब 50 हजार परिवार बिजली उपलब्ध करके अपनी खेती पैदा कर रहे थे। मैं, मंत्री महोदय, कई बार आपसे अनुरोध कर चुका हूं, मुझे इस बात का आश्चर्य है कि आपने इस समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया, आज सारी लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमें बंद हो गई। सबके मिनिमम चार्जेज के नाम पर कनेक्शन कट चुके हैं, हजारों किसानों के साथ रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। आपने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया। मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, राजस्थान के 8-10 जिलों में लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमों के माध्यम से राजस्थान अच्छा उत्पादन कर रहा था, उसका आज जीवन खतरे में पड़ गया। आप मालूम कर लें, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कह सकता हूं, करीब 24 लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम थीं उसमें शायद 19 कनेक्शन कट चुके हैं और 5 बाकी हैं जिनमें डेढ़-दो लाख की बकाया है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए आप स्पष्ट नीति निर्धारित करिए। आप किसान के बीच में यह भेद मत कीजिए-कुओं पर अलग मिनिमम चार्ज, लिफ्ट का अलग मिनिमम चार्ज, उसकी दरों में अलग डिफरेंस। कृषि मानते हुए उसी दर पर आप पैसा वसूल करके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

राजस्थान के हजारों किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको समाप्त करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि मैंने जो कुछ सुझाव दिये हैं उनको रचनात्मक ढंग से लेंगे। मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान इस समय गंभीर संकट में है, अकाल में जितनी सहायता राजस्थान सरकार को मिल सके, दिलानी चाहिए। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री के.सी. चौधरी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप अपनी पार्टी को ही बुलाते रहेंगे या हमको भी मौका देंगे ?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय दो घंटे बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिए बढ़ा दिया गया।

माननीय सदस्या, आपको मैंने देखा था, आप यहां नहीं बिराज रही थीं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बी.ए.सी. की मीटिंग में चली गई थी, मुझे मालूम नहीं था।

श्री सभापति : मैं जवाब नहीं मांग रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नाम नहीं पुकारा था आपने मेरा।

श्री रामनारायण चौधरी : यहां की व्यवस्था यह है कि दो हमारी तरफ से, एक इधर से, वैसा ही हो रहा है। आपकी संख्या कितनी है ? आप हमारे बराबर बोलेंगे तो फिर हम किसलिए बैठे हैं ?

श्री सभापति : आप इस झगड़े में मत पड़ो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको तो वही बात दोहरानी है जो आपके ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं। आप लोगों को हमको बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, इस विवाद में न पड़ें। आपका समय है, आप उस वक्त थीं नहीं यहां, अब बुलाएंगे। श्री के.सी. चौधरी।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहली रिक्वैस्ट तो इस सदन से यह करना चाहूंगा, मुझे यह महसूस हुआ कि बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर

(डा. के. सी. चौधरी)

पीसेज में ही बातचीत हो रही है, इन-टोटेलिटी बात नहीं हो पा रही है। हकीकत यह है कि राजस्थान में बिजली की कमी वर्षों से चली आ रही है और खास तौर से बी.जे.पी. के शासन में चूंकि बिजली की जनरेशन पर कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया, नतीजा हुआ कि एक मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं हुई। समस्या अगर वहीं से लें, और बिजली क्षेत्र में सुधार कार्यक्रम की शुरूआत भी आपके जमाने से ही हो चुकी थी। हमने इन दो सालों में बिजली के जनरेशन पर काफी कुछ ध्याम दिया है। सूरतगढ़ की दो यूनिट चालू हुई हैं। जनरेशन का एक काम था, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन का एक काम था, पर मोटा काम जिस पर सदन आज बहुत ज्यादा चिंतित है वह बिजली की अवेलेबिलिटी का है कि किसानों को 8 घंटे बिजली मिलनीं चाहिए। जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे इसको बांधा नहीं जाए, चाहे आठ घंटे हो, चाहे सात घंटे हो, चाहे छह घंटे हो मगर बिजली अच्छी क्वालिटी में अनइंटरप्टेड किसानों को मिलनी चाहिए उनकी आवश्यकता के अनुसार। अब इसके लिए सैण्ट्रल पूल से आपको खरीदनी होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, उनका सहयोग सर्वप्रथम इस बात में मिले कि जो सैण्ट्रल पूल से हमको बिजली 50 प्रतिशत से आधी कर दी गई है उसको दिलाने में आपका सकारात्मक सहयोग आवश्यक है। दिल्ली से, केन्द्र सरकार से बिजली मिलेगी तो राजस्थान में माननीय मंत्री महोदय आठ घंटे किसानों को बिजली दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है।

बिजली क्षेत्र के सुधार के कार्यक्रमों में मैं हमारे ऊर्जा मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा कि हिंदुस्तान में आर.एस.ई.बी. की डिबंडलिंग बगैर मेजर समस्या के हुई है जबकि बाकी सभी प्रान्तों की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ी थीं। माननीय सदस्य इस बात से परिचित होंगे कि आंध्रा में क्या हुआ, उड़ीसा में क्या हुआ, यू.पी. में क्या हुआ। राजस्थान में आर. एस. ई. बी. की डिबंडलिंग बेड़े ही अच्छे मैनेजरियल तरीके से हुई है जिसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आयी। बिजली क्षेत्र के सुधार कार्यक्रमों की आवश्यकता से करीब-करीब हर माननीय सदस्य परिचित है। यह देश भर में होना आवश्यक था, समय की आवश्यकता थी, आर.एस.ई.बी. 3500 करोड़ रुपये का घाटा पहले उठा चुका था। सरकारों की घाटा उठाने की एक क्षमता है। इसके बाद में आज हालांकि जमाना मर्जर का है लेकिन यहां डिबंडलिंग करनी पड़ी। करनी क्यों पड़ी? क्योंकि 40 परसेंट जो टी एण्ड डी लोसेज थे उनकी अकाउंटेबिलिटी किसी न किसी जगह तय होनी थी।

पावर सैक्टर में इन्वैस्टमैंट, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की सबसे बड़ी क्राइसिस है इन्वैस्टमैंट इन्वाइट करने की। इन्वैस्टमैंट का एक सबसे बड़ा एवेन्यू अगर किसी जगह इन्वाइट कर सकते हैं तो वह पावर सैक्टर में है। पावर सैक्टर में ह्यूज इन्वैस्टमैंट की गुजाइश है। माननीय मंत्रीजी बता रहे थे, 8 से 10 हजार करोड़ रुपये की इस पावर सैक्टर में आवश्यकता होगी। इतने बड़े इन्वैस्टमैंट के लिए हमको कंजीनियल एटमोस्फियर राजस्थान में बनाकर देना पड़ेगा।

(डा. के. सी. चौधरी)

जो पावर सैक्टर रिफोर्म्स शुरू किये गये हैं उनके बारे में आम जनता में इतनी सारी भ्रान्तियां बी.जे.पी. वालों ने फैला रखी थीं, असलियत यह है कि सुधार कार्यक्रम से फायदे ही फायदे हैं, उनका थोड़ा इंतजार करना होगा।

सुधार कार्यक्रम में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की शुरूआत हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक का पहला 700 करोड़ रुपया इसी काम में लगने वाला है। जनरेशन में हम लोग सुधार पर आ चुके हैं। 33 के.वी. और 11 के.वी. की लाइनों का आगमेंटशन हो रहा है। 132 और 400 के.वी. के जी.एस.एस. और बना रहे हैं। सिस्टम की कैपेसिटी स्ट्रेंथन की जा रही है। ट्रिपिंग कम होगी। वर्तमान सिस्टम लोड उठाने के उतना काबिल नहीं है। तो रिक्वायमैंट है कि इस सिस्टम को स्ट्रांग किया जाए और उसके लिए कहीं न कहीं से तो इन्वैस्टमैंट आना है। मैं माननीय मंत्रीजी को फिर बधाई देना चाहूंगा कि इन्वैस्टमैंट की शुरूआत तो हुई है, आपके सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का एक काम चला है। खाली तकलीफ हो रही है पावर अवेलिबिलिटी की। उद्योगपतियों को, हर कंजूमर को उसकी रिक्वायरमैंट के अनुसार जब तक आप अपनी पावर जनरेट नहीं करें तब तक खरीदकर दें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं माननीय मंत्रीजी को एक सुझाव देना चाहूंगा पावर जनरेशन में। राजस्थान में कुछ प्रोजेक्टस आपके पास पाइप लाइन में कंसीडरेशन के लिए नेफ्था बेस हैं, कोई हाई स्पीड डीजल बेस हैं। इसी तरीके से आपके पास गैस पर आधारित पावर जनरेशन भी हो सकता है। मेरी जानकारी में है कि आपके पास एप्लीकेशंस आलरेडी पड़ी हुई हैं हिंदुस्तान के अच्छे-अच्छे हाउसेज की हाई स्पीड डीजल बेस पर पावर जनरेट करने के लिए, गैस पर या नेफ्था पर। हो सकता है उनकी इकोनोमिक फिजिबिलिटी के बारे में आपके और उनके बीच में डिफरेंसेज चल रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं फ्लेक्जिबल रवैया अपनाकर प्राइवेट सैक्टर इन्वैस्टमैंट पावर जनरेशन के लिए और पावर सैक्टर में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में जहां-जहां भी आप इन्वाइट कर सकते हैं, जरूर करें, यह समय की आवश्यकता है। प्रोटेक्शन का जमाना तो गया, अब तो कम्पीटिशन का जमाना आ गया और कम्पीटिशन के जमाने में जो कंपनियां अभी आपने बनायी हैं ये कंपनियां संपूर्णतया सरकारी हैं। तो मेरे दिमाग में यह विचार आता है कि जब कंपनी बनानी ही थी, सरकारी बनानी थी तो फिर फर्क क्या रहा ? कम्पीटिशन तो आप गैर सरकारी कंपनी में, प्राइवेट कंपनियों में कराएंगे। प्राइवेट सैक्टर अभी आपके यहां पावर सैक्टर में एग्जिस्ट करता नहीं है। प्राइवेट पार्टीज आयें और अपनी काबिलियत इसमें बताएं, यह बहुत आवश्यक चीज हो गई। समय की चुनौती यही है कि प्राइवेट कंपनियों में आपस में कम्पीटीशन आप कराएं। आपका बुनियादी उद्देश्य तभी पूरा होगा। कुछ स्वार्थ वाले जो भ्रामक प्रचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध आपको पब्लिक को एजूकेट करना पड़ेगा। भले ही आपका फोटो रोज अखबार में देखने में आपको पसंद नहीं आये लेकिन हकीकत यह है कि जो कर रहे हैं उसको तो मानना ही पड़ेगा। वह उनको पसंद आता था, अखबार

(डा. के. सी. चौधरी)

में देखकर तो पसंद आएगा ही। जो कुछ हो रहा है वही तो पब्लिक को बताया जा रहा है। अगर जी.एस.एस. का उद्घाटन हुआ है तो अखबार तो छापेगा, फोटो भी मंत्रीजी की छपेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जो इस बिजली से जुड़ी हुई क्राइसिस है वह इकोनोमिक डवलपमैंट की है, इकोनोमिक एक्टिविटीज राजस्थान में तभी होंगी जब पावर सैक्टर को हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : उद्घाटन करेंगे तो उसका प्रचार भी होगा, अब उनको भाये कि न भाये, यह तो इनकी बात है पर विद्युत का उत्पादन बढ़ना चाहिए।

डा. के. सी. चौधरी : विद्युत का उत्पादन बढ़ना चाहिए इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो विद्युत का उत्पादन आपके पास अभी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, उन्होंने हमारे साथ रहकर जो अनुभव प्राप्त किया वह अनुभव बोल रहा है। यह सच्चाई है।

श्री सभापति : साथ तो दूसरे भी रहे थे आपके।

डा. के. सी. चौधरी : मुझे यह बताइये कि आपको प्रोडक्शन करने में किसने रोका था ?

श्री दिग्विजय सिंह : इनके शासन काल में एक मेगावाट भी उत्पादन नहीं हुआ।

डा. के. सी. चौधरी : उसका तो कोई जवाब ही नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पूरे 9 सालों में एक ही मेगावाट नहीं।

श्री सभापति : यह सब पुराने साथी आपस की पोल खोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : पोल किसी की नहीं खोल रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं।

श्री सभापति : आपस के पुराने साथी।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं हकीकत बता रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या ?

श्री सभापति : नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत सुन्दर लगा मुझे। हां, चौधरी साहब।

डा. के. सी. चौधरी : मैं माननीय भैरोंसिंह ज़ी को कोट कर रहा हूं, यहां एक इण्डस्ट्रीज की मीटिंग में उन्होंने कहा था, मैं उन्हीं का स्टेटमैंट बता रहा हूं, माननीय भैरोंसिंह जी का स्टेटमैंट था कि सारे इण्डस्ट्रियलिस्ट देश भर के इस बात पर निगाह रखे हुए हैं कि राजस्थान में आप कौनसे साल कितनी बिजली पैदा करेंगे।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : विभिन्न परिस्थितियों में वाणी बदल जाती है। उधर थे तो वाणी दूसरी थी और इधर आये तो वाणी बदल गई।

डा. के. सी. चौधरी : और वे अपनी प्लानिंग को आपके दूसरे प्रोडक्शन...

श्री सभापति : मर्द की जबान बदलती ही अच्छी रहती है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि मेरी वाणी कोई नहीं

(श्री दिग्विजय सिंह)

बदलती। मैं तो उधर भी रहा हूं, उधर था जब भी यही वाणी थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, कुछ ऐसे हैं जो सत्पुरूष होते हैं, जो सच्चाई के ऊपर पूरा जीवन निकाल देते हैं। आप तो सत्य वचन करने वाले आदमी हो।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने शायद मेरी वाणी को इस विधान सभा में अब की बार सुना है।

श्री ज़यदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं, आपके साथ जो रहेगा वह तो बड़ा आदमी बनेगा ही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, तो आप भी हमारे साथ रहो।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : लेकिन मुझे नहीं बनना है।

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये, चौधरी साहब।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि...

श्री मानिकचन्द सुराणा : वह कहने ही नहीं दिया माननीय सदस्य की बात में, जरा कोटेशन तो दुबारा पढ़ दें।

श्री सभापति : भूल गये वह।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय भैरोंसिंह जी का स्टेटमैंट है इण्डस्ट्रियलिस्ट्स के लिए कि वे इस बात पर निगाह रखे हुए हैं कि राजस्थान में आप कौनसे साल कितनी बिजली पैदा करेंगे और वे अपनी प्लानिंग को आपके दूसरे प्रोडक्शन के साथ सिंक्रोनाइज करें। देश भर के इण्डस्ट्रिलिस्ट इस बात पर निगाह रखे हुए हैं कि राजस्थान में बिजली का प्रोडक्शन कितना है, उसके अकार्डिंग में इण्डस्ट्रीज लाएं। यह इण्डस्ट्रियल सैक्टर में था। कृषि के क्षेत्र में जैसा कि हमारे घोषणा पत्र में तय था, माननीय मंत्री जी इसमें निरन्तर प्रयासरत हैं। मगर अधिकतर सदस्यों को यह चिन्ता है कि किसानों को 8 घंटे बिजली की आपने कही है उसकी व्यवस्था आप अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सुमित्रा सिंह जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, आज सदन में ऊर्जा के बारे में जो चर्चा हो रही है, बड़ी विकट परिस्थितियों में हो रही है। विधान सभा के बाहर हजारों की तादाद में अकाल से पीड़ित किसान बिजली की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में तीसरे साल लगातार अकाल पड़ रहा है और उस अकाल के अन्दर कृषि केवल बिजली पर ही आधारित है क्योंकि इस प्रदेश में केवल 23 प्रतिशत इलाका ही सिंचित है और उसमें भी अधिकतर सिंचाई कुओं के माध्यम से होती है जो बिजली के बिना हो नहीं सकती। अभी मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य कह रहे थे कि आप यह प्रदर्शन बंद करो। कौन किसके कहने से आता है ? अपनी पीड़ा को लेकर आते हैं। किसी को लाना चाहो तो एक व्यक्ति नहीं आएगा।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अपने दु:ख के मारे अकाल से पीड़ित होने के नाते भीषण अकाल से पीड़ित होने के नाते, बिजली की मांग को लेकर आये हैं। खुद सत्ता पक्ष के विधायक ही मान रहे हैं कि कहीं 3 घंटे, कहीं 4 घंटे, कहीं 5 घंटे और मुश्किल से कहीं 6 घंटे बिजली मिल रही होगी। सवाल 6 और 7 घंटे बिजली का नहीं है, सवाल आपके घोषणा पत्र का है। आपने अपने घोषणा पत्र में यह लिखा है कि 8 घंटे निरन्तर अबाधित रूप से पूरे वोल्टेज के साथ हम बिजली देंगे और इसी बात के ऊपर राजस्थान के किसान ने जाति भेद छोड़कर आपको सत्तासीन किया। सवाल उस घोषणा पत्र की पूर्ति करने का है, उस घोषणा पत्र को अमल करने का है इसलिए 8 घंटे की बात है,वरना आप 8 घंटे की बात न भी करते और कहते कि हमारे पास इतनी ही बिजली उपलब्ध है कि हम 6 घंटे ही दे सकते हैं तो भी कोई कुछ न कहता। जिन लोगों ने आपको सत्तासीन किया आपके घोषणा पत्र के आधार पर, वही तो मांग करने के लिए आज विधान सभा को घेरे बैठे हैं और इन परिस्थितियों में आज यहां हम ऊर्जा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप ऊर्जावान हैं, जवान भी हैं, काम करने का माद्दा भी आप में है लेकिन भ्रमित हो जाते हैं इन ब्यूरोक्रेट्स से। ये आपसे कुछ का कुछ कहलवा देते हैं और अमल हो नहीं पाता है। मैं एक बात आपको याद दिलाऊं, आपको नमूने के बतौर पेश करना चाहूंगी एक आर्डर आपका...(व्यवधान) अब किसको करते हैं और कौन उनसे गाइड होता है, यह एक अलग बात है। आप मुझे न रोकें-टोकें तो ज्यादा अच्छा होगा, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य।

मैं एक आर्डर पढ़कर सुनाना चाहूंगी। डोमेस्टिक कनेक्शंस के लिए आपने एक फैसला किया कि 5 हजार उससे लेंगे और फिर फैसला कर दिया कि 1500 रुपये तो फिक्स लेंगे, 1500 रुपये फिक्स के बाद में उससे लेंगे 600 रुपये मीटर टैक्स, 500 रुपये मीटर चार्जेज, 400 रुपये सिक्योरिटी और 100 रुपये लेबर चार्जेज। आर्डर निकला वह पढ़कर सुनाना चाहूंगी -

"The matter was discussed in the meeting held on 3rd July, 2000 wherein it was desired to clarify..."

यह तो और चीज है लेकिन लास्ट पैरा बता देती हूं।

"The provision laid down in cl. 498 should not be made applicable and only Rs. 1,500 should be recovered towards Fixed Charges for release of domestic connections as per... 28 dated 12.9.99 Past cases would not be reopened but existings cases would be decided in the light of this order."

यह आर्डर है आपका 17.10.2000 का और आर्डर निकला था 10.7.2000 को। इसके बीच में जिस किसी ने 5,000 रुपये जमा करा दिये वह तो मर गया बेचारा। भयंकर अकाल है, 5,000 रुपये का कोई नहीं क्योंकि उसको तो डिसाइड किया जाएगा नहीं। माननीय सभापति महोदय, मेरे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि 1500 रुपये तो फिक्स फिर 600 रुपये मीटर टैक्स, 500 रुपये

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मीटर चार्जेज, 400 रुपये सिक्योरिटी, सौ रुपये लेबर चार्जेज, यह 1500 रुपये तो आपने बाद में किया, 5,000 रुपये वह, यह डोमेस्टिक कनेक्शन की आपकी हालत है। यह आपका आर्डर है, सरकारी आर्डर है। मैं निवेदन कर रही थी आपसे, माननीय सभापति महोदय, कि अब तक...

डा. चन्द्रभान : नहीं, मैडम 5,000 का तो कोई आर्डर नहीं है, 1500 रुपये प्लस, यह आप कह सकती हैं। ये चार्जेज जो है मीटर टैक्स, सिक्योरिटी और उसकी जो फीस वगैरह है, यह कुल मिलाकर कितनी होती है, यह है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये, वह भी सुना देती हूं। आपने ख्वाहमख्वाह में अपने ऊपर बला ले ली, आ बैल मुझे मार कर दिया। सुना रही हूं, सुनिये, ऊपर तो है,

"Sub : Release of domestic light connection in urban areas, in undeveloped colonies, areas such as co-operative societies, privare colonies etc. - clarification there of .

Instructions were issued vide Board's order No. 541 dated 22.5.2000 regarding release of connection in urban areas, in the undeveloped colonies. It was prescribed that in such undeveloped coloines, a fixed charge of Rs. 5,000/- per application is to be charged from applicants where either no extention of LT lines or LT extention up to maximum limit of..."

पांच हजार है या नहीं, आप बताइये। आपका ही आर्डर है। आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान)

(17.00 बजे)

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, मैडम, एक सैकण्ड क्लीयर कर दूं आपका कंफ्यूजन। यह आर्डर एक बार पहले हुआ था, उसको क्लीयर कर दिया, उस आर्डर को खतम कर दिया। यह कई बार बीच में रहा, पहले निकला था।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं खुद ही कह रही हूं कि कब खतम कर दिया। मैंने खुद ने बता दिया कि कब खतम किया, डेट बता दी।

डा. चन्द्रभान : सुनिये, दो तरह की कालोनीज हैं, एक तो वे कालोनी जो जे.डी.ए. की हैं, म्यूनिसिपैलिटीज की हैं, उनकी अलग रेट है 1500, और जो आप इनकी बात कर रही हो इनकी रेट ढाई हजार रुपये थी। ये कुल चार्जेज मिलाकर...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह आर्डर गलत है ? फाड़कर फेंक दूं ?

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, एक सैकण्ड। कुल मिलाकर पांच हजार रुपये जो हुआ उसको हमने...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रद्दी में डालने लायक है यह आर्डर ? आपका आर्डर है।

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, आप यह आर्डर मुझे दीजिये, मैं अभी आपको क्लीयर करा देता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या क्लीयर कराओगे ?

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, नहीं है। ढाई हजार रुपये उनके लिए हैं। आप मुझे दीजिये, मैं अभी क्लीयर कराऊंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, सुन लीजिये या तो, या ये बैठ जाएं। दोनों में से एक काम होगा। आप चालू रखिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सभापति महोदय, मैंने यह आर्डर पढ़कर सुना दिया, पांच हजार लिखा हुआ है। मैं यही तो निवेदन कर रही थी कि ब्यूरोक्रेट्स इनको बहका देते हैं।

डा. चन्द्रभान : आप मुझे उस आदेश की कापी दे देना अभी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दे दूंगी आपको, आप तसल्ली से बात कर लेना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी कहा कि क्लीयर करवा दूंगा। आप तो नहीं कर सकते न ? आप कह रहे हैं कि उनसे क्लीयर करवा दूंगा।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, मैं तो क्लीयर हूं, लेकिन फिर भी कोई कंफ्यूजन यदि कोई हो तो पूछना तो पड़ेगा। अभी तो खुद कह रहे हैं कि क़म्पनी बन गई और वह सरकार से दूर है। सभी लोग खुद कह रहे थे कि बोर्ड है। रोजाना के एक-एक सर्कुलर जो है उसमें यदि कहीं कोई अन्तर आ गया, खुद ही कह रहे हैं कि आपने जो निर्देश दिये फिर दूसरा आर्डर निकल गया, तीसरा आर्डर निकल गया, तो लेटेस्ट क्या स्थिति है वह आपको निवेदन कर दूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेटेस्ट स्थिति तो खुद ही क्लीयर हो गई कि पहले आर्डर पांच हजार का निकाला, फिर 1500 का निकाला और यह कह दिया कि जिसने अब तक जमा करा दिया इस तारीख से पहले का, वह केस तो रीओपन होगा नहीं और बाकी का 1500 है। यह खुद ने ही आर्डर निकाला है।

डा. चन्द्रभान : इसका मतलब आदेश तो 1500 का ही है ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नहीं।

डा. चन्द्रभान : जिनके पांच हजार जमा हो गये उनको वापस दिलाने की बात है, यही है न ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वापस दिलाने की बात इसमें कहां है ? मैंने अभी जो पढ़कर सुनाया उसमें मैंने कहां कहा है ?

डा. चन्द्रभान : आपकी मांग तो यही है न कि किसी के पांच हजार जमा हैं उनको वापस मिलना चाहिए ? वह व्यवस्था मैं करा देता हूं, मुझे दीजिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह आप दिला दें तो बहुत अच्छी बात है। यदि वह आप दिला देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, दिलाइये।

श्री सभापति : चलिये, आप आगे चलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

उदारीकरण, निजीकरण, विश्व बैंक से अधिक से अधिक ऋण लेने की होड़ और देशी और विदेशी कम्पनियों की भागीदारी करने के बारे में भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों में एक तरह की होड़ लगी हुई है। उसी के नाते आप सब यह विद्युत नियामक पावर सैक्टर सुधार अधिनियम लाये। उसे जो पास किया यह इसी का नतीजा है। इसका नतीजा भुगत चुके हैं। केवल तीन स्टेट में किया था। सबसे पहले किया उड़ीसा ने,उड़ीसा की हालत सबसे अधिक खराब है क्योंकि वहां पर जो चक्रवात आया उसने ऐसी हालत खराब की कि वहां पर तो कुछ भी नहीं रहा। सब बर्बाद हो गया, वापस कुछ हुआ ही नहीं। आन्ध्र प्रदेश के जो नायडू बड़े पापुलर थे, मैं थोड़े दिन पहले ही हैदराबाद गई थी, वहीं नायडू साहब वहां पर ऐसे अनपापुलर हो गये हैं इस पावर सैक्टर सुधार कानून के बाद। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि बड़ी विचित्र स्थिति है। आन्ध्र प्रदेश में यही कांग्रेस पार्टी सड़कों पर अनशन करे, विरोध करे और यहां पर उसकी हिमायत करे, यहां पर उसकी पैरवी करे, बड़े ताज्जुब की बात है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि केन्द्र सरकार ने खुद भी इसके नतीजे देखने के बाद नया बिल पास किया। वह तो उसमें पीछे है। जो आपका फाइनेंस कारपोरेशन है उसने खुद भी इस बात को माना है कि जिन लोगों ने इस पावर सुधार कार्यक्रम को एडाप्ट किया है उसके परिणाम अच्छे नहीं आये। इसीलिए हरियाणा ने वापस ले लिया। कल आप सदन को बड़ा गुमराह कर रहे थे यह कह कर कि राजस्थान में कृषि के टैरिफ के अन्दर जो वसूल की जा रही हैं, आपने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 37 पैसे के आधार पर हम राजस्थान के किसान को बिजली देंगे लेकिन उसमें जो विविध चार्जेज लगाये हैं बिलों के अन्दर, विभिन्न चार्जेज मिलाकर...

डा. चन्द्रभान : 37 नहीं, 74 पैसे है। मैं कह रहा हूं कि बिजली की दर 74 नये पैसे है। 70 प्लस 4 पैसे हैं, 37 नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 74 नहीं, कुल मिलाकर 78 पैसा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि 78 पैसा है। और 78 पैसा जो है वह आप नहीं कह सकते कि और राज्यों के मुकाबले में कम है।

डा. चन्द्रभान : वह तो है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं है। मैं आपको खुद बताती हूं यह बात। आप उत्तर दो तब बता देना। देखिये, इस समय पंजाब और तमिलनाडू का तो आप जानते हैं कि वहां पर फ्री है। तमिलनाडू में भी काश्तकार को फ्री है और पंजाब में भी फ्री है। लेकिन बाकी जो स्टेट हैं उनमें बिहार में 38 पैसा है, गुजरात में 50 पैसा है, आन्ध्र प्रदेश में 50 पैसा है। आसाम, कर्नाटक, वैस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, इनके अलावा सबसे अधिक है।

डा. चन्द्रभान : उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, यह सातवें नम्बर पर है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इनके अलावा सबसे अधिक है। आप जब बोलें तब आप जवाब दीजिये। मैं कह रही हूं कि इनके अलावा सबसे अधिक है राजस्थान का।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

एक बात मेरे और समझ में नहीं आती। कल आप खुद ही कह रहे थे यह बात, खुद ने ही यह माना कि जब आप कृषि के कनेक्शन शिफ्ट करते हैं तो उसमें हार्स पावर कहां आड़े आता है। चाहे 35 हार्स पावर हो, चाहे साढ़े बारह हार्स पावर हो, चाहे साढ़े सात हार्स पावर हो, चाहे पांच हार्स पावर हो, शिफ्टिंग चार्जेज में आपके तार और खम्भों की बात तो मैं मान सकती हूं कि उसका खर्चा है, लेकिन हार्स पावर का इससे क्या ताल्लुक है ? इस बात को आपको सोचना चाहिए कि हार्स पावस कहां आड़े आता है उसमें, इस पर भी आप विचार कीजिये।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और कर रही थी वह यह कि आप झुंझुनूं में मौजूद थे, झुंझुनूं में थोड़े दिन पहले माननीय ऊर्जा मंत्रीजी पधारे थे और उन्होंने उस समय वहां पर घोषणा की थी कि 30.6.2000 तक जिस किसी ने भी डिमांड नोटिस की राशि जमा करा दी है उनको 30 अक्टूबर तक कनेक्शन दे दिया जाएगा। मैं आपसे ही जानकारी लेना चाहूंगी कि क्या 30 अक्टूबर तक आपने उन सब लोगों को कनेक्शन दे दिये ?

सभापति महोदय, कितनी विडम्बना की बात है कि एक ही स्टेट के अन्दर चार तरह की टैरिफ कृषि उपभोक्ताओं से वसूल की जाती है। मैं समझती हूं कि भारतवर्ष में किसी अन्य प्रांत के अन्दर इस तरह से चार प्रकार की टैरिफ कहीं नहीं होगी। यह मैं चुनौती देना चाहती हूं। आप देखिये, यहां पर मीटर चार्जेज अलग, मिनिमम चार्जज अलग, फ्लैट रेट अलग, चारा उत्पादन की अलग और नर्सरी योजना की अलग। नर्सरी योजना जब चालू की थी तब यह कहा गया था कि दो साल बाद इसकी टैरिफ, दरें हम बराबर कर देंगे, किया क्या आपने बराबर ? अब तक वही उनका टैरिफ चला आ रहा है जिस दिन उन्होंने नर्सरी कनेक्शन लिया था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, औरों के तो आपने घंटी बजायी नहीं और मेरे खट घंटी बजा दी। नहीं, नहीं, आपको गलतफहमी हो गई, आपने घड़ी गलत देखी है। बोलने दें मुझे थोड़ा। 2-4 मिनट तो मुझे अपनी बात कहने दें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आप पर यह भी आरोप लगाना चाहती हूं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी की वकालत नहीं करती हूं, मैं बात बिलकुल सही करूंगी, 1990 में सूरतगढ़ की योजना चालू हुई जब मैं मिनिस्टर थी और वह इकाई फरवरी में तैयार हुई है, आप तो नवम्बर में आये हो। सत्ता में दिसम्बर में आये, चार दिसम्बर को मुख्य मंत्री ने ओथ ली है, वह कहां से पूरी हो गई, वह 250 मेगावाट किसके खाते में जाएगा ? कहां आप सब बातों के लिए अपने आपको कर लेते हो ? वह कैसे करते हो आप ? यह ठीक है, आपको सुनना है, आपको मौका मिलेगा बोलने का, आप सुनो। (व्यवधान) आपने दूसरी यूनिट कर दी पूरी, आपने दूसरी यूनिट लगा दी, उसके लिए बधाई आपको, उसके लिए धन्यवाद आपको लेकिन पहली यूनिट का श्रेय आप नहीं ले सकते हो। उसका श्रेय या तो सुमित्रा सिंह लेगी या भाजपा लेगी क्योंकि वह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मैंने शुरू किया था। (व्यवधान) उसको मैंने शुरू किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हम सब मिलकर यह सारा श्रेय सुमित्रा सिंह जी को देते हैं इसलिए यह लेना ही पड़ेगा श्रेय आपको तो। (व्यवधान) यह श्रेय तो आपको लेना ही पड़ेगा।

डा. चन्द्रभान : अच्छा मैडम, आपको श्रेय देते हैं लेकिन वह इकाई कितने दिनों में तैयार हुई, आप तो यह बता दो पहले। नौ सालों में। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह :देखिये, अब आप यह कहते हो कि कितने दिनों में शुरू हुई तो फिर मुझे और भी बातें खोलनी पड़ेंगी।

श्री सभापति : नहीं, यह रिकार्ड पर मत लेना। आप अपनी बात आगे कर लो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये, सुनिये। यह ठीक है कि 250 मेगावाट को आपने किया, लेकिन 250 मेगावाट आपके खाते में नहीं जाएगा, यह बात भी आप ध्यान रखिये।

माननीय सभापति महोदय, यह प्रगति की बात कह रहे हैं कि कितने अरसे में किया ? 8.1.1999 को जब टिबरेवालजी यहां पर राज्यपाल थे तब उन्होंने अपने भाषण में कहा था, उसका क्या हुआ, मैं पूछना चाहती हूं। दो सालों के अन्दर आपने क्या किया ? यह लिखा है, "पूर्व में दो निजी परियोजनाएं, 702 मेगावाट का धौलपुर का नेफ्था आधारित विद्युत गृह एवं 500 मेगावाट बरसिंहसर लिग्नाइट ताप विद्युत गृह परियोजना (लिग्नाइट खनन सहित) को स्वीकृति मिल गई थी। इसके अतिरिक्त कई निजी परियोजनाओं से भी विद्युत के लिए अनुबंध हो गये थे परन्तु उन परियोजनाओं में कोई प्रगति नहीं हुई। यह तो इनकी गलती है कि उन्होंने कोई प्रगति नहीं की। लेकिन सुनिये आगे।

डा. चन्द्रभान : अभी भी सेन्टर रोके बैठा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : श्रीमान् आगे तो सुनिये। लेकिन उनकी स्थापना में आ रही बाधाओं को दूर करने पर एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति विचार कर रही है जिससे इन निजी क्षेत्र की परियोजनाओं की स्वीकृति और स्थापना में प्रगति हो सकेगी। क्या प्रगति की है दो सालों में, आप जरा हमें यह तो बताओ।

डा. चन्द्रभान : हमने ही क्लीयर कर दिया। बरसिंहसर अभी भी उनके कारण केन्द्र में अटका हुआ है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कहलवा देते हो राज्यपाल महोदय के मुंह से तो फिर आप भी कोई प्रगति किया करो। प्रगति की बात जब करते हो कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो आप भी कुछ नहीं कर रहे हो। उसी धीमी गति से आप भी चल रहे हो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, यूं आप बार-बार घंटी बजाएंगे तो बात ही पूरी नहीं कर पाऊंगी मैं। यूं क्या कर रहे हो आप।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, 20 मिनट का समय तो हो गया है, इससे अधिक किसी को दिया नहीं गया है, कृपया आप समाप्त कीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, महिला हूं। देखिये, आपके जिले की होने के नाते और विपक्ष की होने के नाते, महिला होने के नाते नहीं मांगती हूं मैं नहीं, नहीं, पूर्व ऊर्जा मंत्री होने के नाते आप मुझे इतना तो समय दीजिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी, आज भी राजस्थान कहां है ? राजस्थान में पर-केपिटा कंजम्पशन है 312 यूनिट, जबकि आल इण्डिया एवरेज भी 336 का है जिसमें आप देखिये; पंजाब में तो 759.50, हरियाणा 502, गुजरात 671, महाराष्ट्र 545 और तमिलनाडू 459। हम कहां कितना नीचे हैं ! मैं एक निवेदन और करना चाहूंगी कि अब तक विद्युत उत्पादन और क्रय के आकार के बारे में हमेशा चर्चा होती है, हालांकि 1999-2000 के अन्दर आपने अपना लक्ष्य रखा था 700 गांवों का और 30,000 कुओं को ऊर्जीकृत करने का लेकिन आपने 2000-2001 के अन्दर उसको घटाकर 500 गांवों और 25000 कुएं कर दिया। इसलिए कर दिया, आपने कहा कि हम चूंकि आठ घंटे लगातार बिजली देना चाहते हैं इसलिए हम अधिक कुओं को नहीं करेंगे। पहली बात तो आपने यही एक कमी कर दी। आज दिन तक कभी भी हजार गांवों से नीचे का लक्ष्य कभी नहीं रहा। भाजपा ने भी नहीं रखा था और कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने भी नहीं रखा था। आपकी पहली बार सरकार है कि आपने इसको 1000 और 700 से घटाकर केवल 500 गांव कर दिया और कूपों की संख्या भी आपने कम कर दी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जिस भाजपा की सरकार को आप बार-बार कोसते हुए नहीं थकते हो तमाम कांग्रेस के माननीय सदस्यगण, मैं निवेदन करना चाहूंगी, 1995-96 में जब भाजपा की सरकार थी तब क्रय की जाती थी बिजली 47.9 प्रतिशत और उत्पादन था 52.1 प्रतिशत। 1996-97 में ये क्रय करते थे 49.8 प्रतिशत और उत्पादन था 50.2 प्रतिशत, मतलब उत्पादन ज्यादा था क्रय कम था। 1997-98 में जब इनकी सरकार थी उस समय क्रय होने लग गया 52.8 प्रतिशत और उत्पादन उस समय घटकर 47.9 प्रतिशत हो गया। 1998-99 में वही 52.1 प्रतिशत क्रय किया गया और उत्पादन वह का वह रखा गया 47.9 प्रतिशत। लेकिन आज आपकी क्या स्थिति है, वह आप स्पष्ट करेंगे। आप उत्पादन कितना कर रहे हैं और क्रय कितना कर रहे हैं, यह आप जरा बता दीजिये।

श्री सभापति : घंटी तो नहीं बजाऊंगा लेकिन अच्छा हो, अब आप समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं एक मिनट में कर रही हूं। क्योंकि आपने हुक्म दे दिया है, एक बात और जरूर कहना चाहूंगी।

1100 करोड़ रुपया पेंशन और ग्रेचुएटी का कर्मचारियों का बाकी है वह कौनसी कम्पनी को देंगे आप ? कौन लेगा इसको ? किसकी जिम्मेदारी है और कौन लेगा ?

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

दूसरी एक बात और है, राजस्थान में 1954 तक मुझे ध्यान है, 4-5 शहरों के अन्दर निजी कम्पनियां थीं जो विद्युत सप्लाई करती थीं। उनमें ब्यावर भी है, मुझे जहां तक ध्यान है, पाली-ब्यावर कुछ इस तरह से 4-5 शहर थे जहां निजी कम्पनियां थीं। उदयपुर भी था। हमने जिस कारण से, जिस वजह से उनको हमने खतम किया, लेकिन फिर आप निजीकरण की ओर बढ़ रहे हो, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। सबसे बड़ी बात जिसको आप भी दोहराएंगे बार-बार, और जिसे मैं भी कहना चाहूंगी कि कोटा थर्मल हमारी जो इकाई है, उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ इकाई है। इसकी कीमत आज के दिन यदि की जाए तो 15000 से 20000 करोड़ रुपये इसकी लागत है जिसको कौड़ियों के दाम पर आप निजी कम्पनियों को दे रहे हो। आप पर मैं चार्ज लगाती हूं, आप कौड़ियों के दाम पर देंगे, क्योंकि अखबारों में आपने 4000 करोड़ रुपये बताया है। नहीं, 15000 करोड़ रुपये से कम में नहीं बन सकती, मैं आपसे बताती हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ कि भयंकर अकाल के इन हालात के अन्दर जब किसान यहां पर आन्दोलन और आक्रोश में बाहर खड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने घोषणा पत्र के मुताबिक किसी भी तरीके से आपको कुछ करना पड़े, 1500 करोड़ रुपये छह शहरों के सौन्दर्यीकरण के लिए तो आप ला सकते हो, इस 1500 करोड़ रुपये से आप बिजली के लिए खर्चा नहीं कर सकते ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, सौन्दर्यीकरण बाद में होता रहेगा, इस रुपये को आप बिजली के लिए उपयोग करिये। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर रामप्रताप।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भयंकर अकाल की स्थिति से गुजर रहा है। पश्चिमी राजस्थान के सात जिले जिनको पीने और सिंचाई के लिए पौंग और भाखरा डैम से पानी मिलता है, उनकी स्थिति आज इस हालत में पहुंच गई है कि आने वाले 4-5 महीनों में इन सात जिलों को पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। इसी तरह से गांधीसागर डैम की स्थिति है। सभापति महोदय, सिंचाई के लिए नहरी क्षेत्र की जो सिंचाई है वह पश्चिमी राजस्थान के कुछ ही जिलों में है। बाकी का हमारे पास में दूसरा स्त्रोत है वह अण्डर ग्राउण्ड वाटर का है।

(17.22 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

अब डैम की कंडीशन खराब है, उसमें पानी हम खरीद कर नहीं डाल सकते। अण्डर ग्राउण्ड वाटर को एक्सप्लोर करने के लिए हमें बिजली की जरूरत है और बिजली की उपलब्धता कम होने की वजह से हमें बिजली खरीदनी पड़ेगी। माननीय सभापमि महोदय, इस सर्वोच्च सदन में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य को सुन कर एक आश्चर्य हुआ, that is why I am proud of him. मुझे गर्व है उस माननीय सदस्य पर कि जिन्होंने आज हकीकत को कबूल किया। उन्होंने अलग-अलग माननीय सदस्यों को कोट भी किया है कि बिजली की स्थिति हमारी क्या है, दो से तीन घंटे बिजली मिलती है। जो स्थिति आपके सामने है वह अगर आप बयान करें तो मेरे खयाल से आम

(श्री रामप्रताप)

आदमी इतना भोला नहीं है आज की तारीख में, सब लोग स्थिति को समझते हैं। लेकिन अगर झूठे आंकड़े देकर जनता को गुमराह करना चाहें तो ऐसा नहीं हो सकता। यह माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से मेरा विशेष तौर से निवेदन है। आठ घंटे से छह घंटे पर तो वे खुद ही आ गये, वे समय की नजाकत को समझते हुए सही स्थिति का बयान करें। मेरे से पहले माननीय सदस्य, विशेष तौर से कांग्रेस के मेरे साथ भी बार-बार पिछले दो साल से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। अगर हमने गलती की तो उसका खामियाजा हमनें भुगत लिया, यहां कोने में बैठे हैं, बार-बार उस बात को कहने से क्या मतलब ? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए इसने दो साल तक आक्सीजन का काम किया, यह आक्सीजन अब खतम हो गई है, आप ग्राउंड रियलिटीज को देख कर आगे बढ़ें।

जहां तक केन्द्र सरकार का सवाल है, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने भी कल कहा था और विशेष तौर से प्रतिपक्ष के नेता महोदय को इंगित करके कहा था कि हमारा सहयोग करें। इनसे कोई पूछने वाला हो कि आपने कितनी दफा प्रतिपक्ष के नेता महोदय को आमंत्रित किया है इस बात के लिए ? क्योंकि यह अकेले आपका दायित्व नहीं है, राजस्थान की जनता के प्रति हमारा भी कुछ दायित्व है। हो सकता है आपका ज्यादा हो लेकिन हमारा सहयोग लेने में आपको एक किस्म का काम्प्लैक्स क्यों डवलप होता है ? मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य की बात को अगर गम्भीरता से लिया जाए कम से कम मैं तो बहुत गम्भीरता से ले रहा हूं कि आज की सारी डिबेट अगर उस आदमी की स्पीच के चारों तरफ रिवाल्व करें और उस हिसाब से हम चलें तो हम इस समस्या का समाधान तो नहीं कर सकते लेकिन जो अकाल की स्थिति है, जो उसकी चुभन है उसको निश्चित तौर पर कम कर सकते हैं। आज यहां पर हजारों की तादाद में किसान आये हुए हैं, किसान बिजली की मांग कर रहे हैं, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लेते कि हम किसान पर कोई दया नहीं कर रहे ? आज अगर हम किसान को बिजली देंगे और अगर वह चारा पैदा करेगा, अनाज पैदा करेगा, पीने का पानी अगर आएगा तो वह अकाल की इस भयंकर स्थिति से आपको उबारने का अपना दायित्व पूरा कर रहा है। अपने खुद का पेट भरेगा और राजस्थान की जनता को इस भयंकर स्थिति से निकालने का भी काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादा मेरे पास आंकड़े वगैरह तो नहीं हैं लेकिन इतना-सा है, ऊर्जा मंत्रीजी कह रहे थे, आपके बारे में कम से कम मेरी ओपिनियन बहुत अच्छी है और इसको आप बनाकर रखें, आप गाली-गलौच पर मत जाइये बार-बार केन्द्र सरकार पर। आप जब जवाब देंगे तो मैं आपसे इतनी-सी जानकारी चाहूंगा, जो आपका एश्योर्ड शेयर है सैण्ट्रल पूल में, शायद नाइंटी होगा, आई एम सब्जैक्ट टू करेक्शन, आप बता देंगे, उसमें से क्या आपको पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ? उसके बाद ओवर एण्ड एबव आपको आन कास्ट मिलता है कि नहीं मिलता है ? क्या आप पैसा देते हो उसके बाद में भी आपको नहीं देते हैं ? यह थोड़ा भ्रम दूर हो जाए, आप थोड़ा बता देना इसके बारे में।

(श्री रामप्रताप)

माननीय सभापति महोदय, किसानों के बारे में जो बातें कही गई हैं, हम यहीं तक कहकर चले जाते हैं और जो अलग-अलग प्लस, प्लस करके आप कह रहे हैं, किसान की जेब से प्लस, प्लस अलग नहीं जाता है, वह टोटल ही जाता है उसकी जेब से। हमारे टाइम में नर्सरी योजना चालू की गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, इसी सर्वोच्च सदन के अन्दर जब बिजली पर चर्चा हो रही थी, और किसी का तो मेरे को ध्यान नहीं है, माननीय खेतसिंहजी बिराजे हुए थे और यहां पर बैठे हुए मेरे कांग्रेस के साथियों ने बड़ा हल्ला किया था कि नर्सरी योजना में किसानों को लूटा जा रहा है, यह किया जा रहा है, वह किया जा रहा है, और अगले दिन तत्कालीन मुख्य मंत्री शेखावत साहब ने खड़े होकर कहा था कि आज से अगर आप कहते हो तो नर्सरी योजना मैं बंद कर रहा हूं। कमला जी ने अकेले ने नहीं कहा, आप सबने एक-एक नहीं, दोनों हाथ खड़े करके कहा था कि इसको चालू रखा जाए। तो आज मेरा यह भी आपसे निवेदन है कि आप कहने की बात और, मन में दूसरी और मत रखो...

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने कहा था।

श्री रामप्रताप : प्रदेश की जितनी चिंता आपको है, हमें उससे कम नहीं है। उस नर्सरी योजना में किसी से जबरदस्ती जेब से पैसा नहीं निकाला जा रहा था। उस नर्सरी योजना में मैं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप पर आरोप लगा रहा हूं कि आपने किसानों के साथ धोखा किया है। जो कमिटमेंट किया था, 1250 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से जमा कराकर पचास रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से पर-मन्थ उसके बिल से कटने थे, आपने उसको तोड़ दिया। इसी तरीके से नर्सरी योजना वालों को दो साल में जनरल कैटेगरी में शामिल करना था, उसे भी आपने तोड़ दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान परिवार में सिर्फ पैदा ही हुए हो या किसान परिवार और राजस्थान के बारे में कुछ सोचते भी हो ? इन पैसों से कितना आपको लाभ मिलेगा ? क्यों किसान के हम इस तरीके से पीछे पड़े हुए हैं ?

सभापति महोदय, अभी प्राइवेटाइजेशन की बात आई। ऊर्जा मंत्रीजी, आप पीछे उठाकर देखें थोड़ा-सा, मेरे खयाल में दो रियासतें थीं, एक का तो मुझे ध्यान है अजमेर की, जिसमें प्राइवेट कम्पनी थी। उस प्राइवेट कम्पनी की स्थिति यह हुई कि एग्रीकल्चर कनेक्शन तो दिवा-स्वप्न था, घरेलू उपभोक्ता को कनेक्शन लेने के लिए सालों-साल गुजारने पड़ते थे। आज आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं और केन्द्र सरकार को बार-बार कह रहे हैं, ऊर्जा मंत्रीजी, हमें इतना तो ज्ञान नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत सभी को पता है, यह थोड़ा आप दिमाग से निकाल दें कि आम आदमी को पता नहीं है, केन्द्र सरकार ने इस नियामक आयोग या प्राइवेटाइजेशन के बारे में कोई मेंडेटरी प्रोवीजन नहीं डाला था आपके लिए। यह आपका आप्शन है कि आप इस रास्ते पर जाएं या दूसरे रास्ते पर जाएं। तो केन्द्र सरकार को दोष देने की बात नहीं है। केन्द्र अगर कोई गलती करता है तो आपको जनता ने मेन्डेट इस बात पर नहीं दिया था कि केन्द्र सरकार

(श्री रामप्रताप)

आपके साथ क्या करेगी। आज राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान, राजस्थान का उपभोक्ता आपसे बिजली मांगता है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं और विनम्र शब्दों में कहना चाहूंगा कि नर्सरी योजना में एक धोखा तो आपने यह किया, दूसरे आपने अलग-अलग स्लैब बनाकर दुनिया भर के, आज आम उपभोक्ता से आप साढ़े तीन से चार रुपये प्रति यूनिट का ले रहे हैं, कौन-सा ऐसा उपभोक्ता है जो एक महीने में पचास यूनिट से काम चला लेता है ? आज अकेले जयपुर से आपने सौ करोड़ रुपये एक साल के अंदर वसूल किये हैं इसी तरीके से। आप साफ-साफ क्यों नहीं कहते कि हमारी स्थिति यह है इसलिए हमें यह करना पड़ रहा है ? जिससे कम से कम आपकी आत्मा मजबूत रहे और आपका कंजूमर कम से कम आपसे दिग्भ्रमित होकर नहीं रहे। मैं आपको यह फोरवार्न कर रहा हूं कि अगर आप इसी तरीके से करते रहे, आज तो यहां पर किसान आये हैं हजारों की तादाद में और यह आपका प्रिविलेज है कि आपको यहां डेलीगेशन आकर मिले, आप इस हाउस के अंदर कितने दिन तक बैठे रहेंगे, कौनसा जन प्रतिनिधि इस हाउस के अंदर ही बैठा रहेगा, कल को आपके ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम आएगी, पीने के पानी की समस्या आएगी... (व्यवधान) यह तो हो चुका, यह आपके झुंझुनूं में हो गया। आप इसको अन्यथा मत लें, आप इसको मजाक में मत लें, आपके सामने कानून और व्यवस्था की भयंकरतम स्थिति पैदा होने वाली है। इसको गम्भीरता से लेते हुए जैसे मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने और टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, मैं कोट कर रहा हूं उस आदमी को, हमारे गांव में यह कहावत है कि किसी के घर मौत हो जाती है तो उसके घर तक जाते हैं तो औरतें रोने लग जाती हैं। आदमी तो कभी नहीं रोता और औरत को भी रोना नहीं आ सकता, सिर्फ इस वजह से रोना आता है कि जब वह उसके घर में घुसती है तो वह अपने पुराने किसी एक्सीडेंट को देखकर, अपने परिजन की मौत को याद करते हुए रोने लग जाती है। टोडाभीम से आने वाले माननीय सदस्य यहां पर नहीं हैं, एक सदस्य ने, यह एक अच्छी घटना नहीं थी, रूमाल भी दिया, आंसू भी पोंछे उन्होंने। कोई अपनी टांग के लिए आंसू नहीं पोंछे, उस औरत की तरह से जो किसान की स्थिति हुई है और कल को उस आदमी के सामने आने वाली है, हमारे सबके सामने आने वाली है, उस दुख के मारे वह आदमी रो रहा था और उसने अपनी पीड़ा को बयान किया। इसलिए मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा, एक तो नर्सरी योजना के बारे में आप अपना स्पष्टीकरण दें कि किसान से जो कमिटमेंट किया था, उसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। दूसरे, यह छह घंटे और आठ घंटे का+++ और अलाप छोड़ते हुए आप ग्राउंड रियलिटीज पर आकर के सही तरीके से चलें जिससे कि राजस्थान को इस क्राइसिस से निकाला जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति जी, कल माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने अपना एक स्टेटमैंट दिया और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक सही तस्वीर जो आज राजस्थान की ऊर्जा के संबंध में है, वो उन्होंने हमारे सामने रखी। राजस्थान बनने के बाद बिजली पैदा करने में हमने बहुत प्रगति की है। कुछ समय बीच में ऐसा आया जब कंजम्पशन तो बढ़ा लेकिन उत्पादन उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया। उसके कारण से आज हमारे सामने यह स्थिति आयी है। उस स्थिति को भी उन्होंने स्पष्ट किया है और जो कठिनाइयां इनके सामने थीं उनका उन्होंने वर्णन किया रुपया नहीं है, यह सब बात आपने बताईं। अच्छा होता कि हमारे कारण से, हमारे विवेक के कारण से, हमारी समझ के कारण से, हमारी प्लानिंग के कारण से जो कमियां रहीं और जिनकी वजह से आज एक महीने से काश्तकार पीड़ित हैं, उनको भी बताते। ये जो कम्पनीज यहां बैठी हुई हैं, उनको भी एक दिशा-निर्देश जाता कि आपने प्लानिंग ठीक नहीं की। मैं, सभापति जी, बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि प्लानिंग में क्या कमी रही। राजस्थान के सब जिले इस प्रकार के नहीं कि सबको एक साथ बिजली दी जाए। कुछ अर्ली सोइंग के जिले हैं और कुछ लेट सोइंग के जिले हैं। सीकर, झुंझुनूं, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़ ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां अर्ली सोइंग होती है और खास तौर से ये जिले आज सरसों पर आधारित हैं। सरसों की बुआई का समय 20 अक्टूबर को पीक पीरियड है, उसके बाद कोई भी सरसों इन इलाकों में नहीं हो सकती, पाला पड़ता है। यदि हमारी कम्पनियां जो डिस्ट्रीब्यूशन की हैं, सही प्लानिंग करतीं और एक अक्टूबर से इन जिलों को पहले बिजली देतीं और दूसरे जिले जो लेट सोइंग के हैं उनको बाद में दे सकती थीं, तो हमारे किसान इस दुविधा से बच सकते थे और पलाव होकर आज वे बुआई कर लेते, गेहूं के लिए उसको बाद में दे देते। लेकिन यह बिजली की कमी से नहीं हुआ, हमारे प्लानिंग की खामी से एक संकट रहा है। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे जिले में किसी भी काश्तकार ने 5 और 7 बीघा से अधिक पलाव नहीं किया है, सरसों नहीं बो पाया है। और जो आज सरसों नहीं बो पाया है उस काश्तकार का, उस जिले का क्या हाल होगा यह, माननीय सभापति जी, बहुत पीड़ादायक स्थिति है।

दूसरी प्लानिंग यह हो सकती थी कि हमारे पास बिजली सिर्फ 4 घंटे देने की थी। आज किसान इस बात से दुःखी कम है कि बिजली हमको कम दी जाती है, दुःखी इस बात से ज्यादा हैं कि आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ट्रिपिंग होती है, किसान की मोटर जल जाती है। इसमें प्लानिंग यह हो सकती थी कि अल्टरनेट डेज पर हम बिजली देते। किसान को 4 घंटे रोज के हिसाब से नहीं देकर अल्टरनेट डेज पर 8 घंटे देते, वह एक रोज अपना काम करता और दूसरे रोज सिंचाई करता। माननीय सभापति जी, पिछले दिनों परिस्थिति यह आ गई थी कि कोई बिजली का समय नहीं रहा, 24 घंटे में खानापूर्ति करने के लिए कभी 12 बजे, कभी दो बजे, कभी 4 बजे। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी इस बात को रिकार्ड से मंगवा लेंगे, 15 रोज तक ऐसी स्थित रही कि 24 घंटे किसान को खड़ा रहना पड़ा। यह प्लानिंग की वजह से हुआ। अगर

(श्री शिवनाथ सिंह)

अच्छी प्लानिंग होती, लेकिन प्लानिंग होती तब जब आपको फीड बेक मिलता।

माननीय सभापतिजी, जिले के अन्दर एक कमेटी रहा करती थी जब स्टेट के पास था, बिजली बोर्ड के पास था। हर महीने उसकी मीटिंग होती थी, जन प्रतिनिधि वहां जाया करते थे और जो कठिनाइयां आया करती थीं वे उस कमेटी में डिस्कस होती थीं। चीफ इंजीनियर और एस.ई. लेवल के आफिसर वहां बैठा करते थे और उन कठिनाइयों को दूर करते थे। यदि वह कमेटी वहां बैठती तो हमारे जिले का यह सत्यानाश आज नहीं होता। हम वहां रैगुलेट कर सकते थे। अल्टरनेट डेज पर दे सकते थे वह नहीं हुआ। ये सब कमियां , ये सब दिक्कतें रुपये की वजह से नहीं हैं, बिजली के कम उत्पादन की वजह से नहीं हैं, रोंग प्लानिंग की वजह से हैं। मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कम्पनियां आज तो अपने हाथ में हैं, जब तक अपने हाथ में हैं इनके साथ बैठें और अपने जिलों कि समस्याएं बताएं, उस हिसाब से प्लानिंग हो। यह किसी ब्राह्मण ने नहीं बताया पत्रा में से निकाल कर कि पूरे राजस्थान में आपको एक साथ बिजली देनी पड़ेगी। जहां-जहां आवश्यकता है उस हिसाब से दीजिये।

माननीय सभापतिजी, ये कम्पनियां बनीं, मैंने जिले की कमेटी में भी कहा था आज भी कह रहा हूं, यें जो कम्पनी है इसके बैठते ही इसकी पैठ बिगड़ गई। इन्होंने शुरू किया पीछे का मिनिमम चार्ज, सिक्योरिटी जो बहुत समय से पड़ी हुई थी बकाया, उसको वसूल करना शुरू किया, गलत बिलिंग होना शुरू हो गया। बिल को ठीक कराने के लिए एक्स.ईएन. के पास जाओ। अब उसमें कुछ सुधार हुआ है लेकिन बैठते ही इनकी पैठ बिगड़ गई कि आज इन कम्पनीज के कार्य से कोई भी संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, इन व्यावहारिक बातों को जो हम कर सकते हैं, उन्हें हमें करना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, बार-बार यहां कहा जा रहा है- कल ऊर्जा मंत्रीजी ने भी कहा, आज भी सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता हमारी मदद करें। दिल्ली जाएं और हमें संकट से उबारें। आप सत्ता में अपने प्रोग्राम से आये हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय की मेहरबानी से नहीं आये हैं और प्रतिपक्ष के नेता महोदय तो वो काम करेंगे जिससे आपका संकट बढ़ता हो। बार-बार इस प्रकार से भीख मांगना, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। अपनी ताकत से जो कुछ करना है कीजिए। प्रतिपक्ष के नेता महोदय हमारे साथ जाएंगे दिल्ली, हमारी सुनवाई होगी, क्यों होगी हमारी सुनवाई ? जो हमारा अधिकार है हम लेकर रहेंगे, इसलिए इस बात को भी हमें समाप्त करना चाहिए। बार-बार इस प्रकार की बात कहना बहुत अच्छा नहीं है। सद्भाव तो सब ठीक है...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपके दोस्त तो यह कहते हैं कि लो और आप मना करते हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : सभी दोस्त हैं अपने तो। माननीय सभापतिजी, मैंने सुमित्राजी को बीच में टोका नहीं था, बिना मतलब ये टोक रही हैं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सभापतिजी, जो हमारे पास है उसका सही उपयोग हो, छीजत घटे, चोरी घटे और लाइन लोसेज जो हैं वो कम हों, उससे भी हमारा बहुत बड़ा हित हो सकता है। इन कम्पनियों को चाहिए था कि सबसे पहला काम किसान की सुविधा के लिए छीजत को कम करें, लाइन लासेज को कम करें, लाइन ठीक करें, ट्रांसफार्मर जो लगे हुए हैं, जी.एस.एस. के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको ठीक करें। मैंने सुझाव दिया था कि हर जी.एस.एस. पर आप अपने मीटर लगा दीजिये, उससे जितनी लाइनें निकलती हैं उन पर अपने मीटर लगा दीजिये और जिस अधिकारी के जिम्मे हैं उसको आप उसके लिए अकाउंटेबल कीजिये कि आपके यहां से जो फीडर निकल रही है उस पर इतनी चोरी हुई है। चोरी रुक जाएगी। लेकिन चोरी रोकने का मन नहीं है क्योंकि वहां के नीचे के कर्मचारी जो हैं वे खुद जान-बूझकर चोरी करवाते हैं। जब घर का मालिक...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माफ करना, चोरी करने के बाद तो कनेक्शन मिल जाता है।

श्री शिवनाथ सिंह : वह तो बंद कर दिया हमने, श्रीमान् जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं किया।

श्री शिवनाथ सिंह : वह बंद कर दिया हमने। खैर, छोड़ो, कोई बात नहीं है।

मैं, माननीय सभापतिजी, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि हमने सुधार कार्यक्रम हाथ में लिये, जहां तक हम कदम बढ़ा चुके उनको वापस तो हम नहीं लें, इस वक्त लेने की स्टेज में भी नहीं हैं, नहीं लेना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा ऊर्जा मंत्रीजी से, जो कमिटमैंट हमारा वर्ल्ड बैंक से हुआ था उसके हिसाब से हमको कितने रुपये मिले ? इसलिए जो कुछ हम कर चुके वह कर चुके। यह सुधार कार्यक्रम का बिल यहां आया था हमने उसका पूरा विरोध किया था। वह रिकार्ड में है। अंत में हमने यह भी कहा था कि ऊर्जा मंत्रीजी, अच्छा हो यह बिल पास नहीं कराएं, लेकिन आप पास कराओगे तो हम आपके पक्ष में हां कहेंगे। हमने हां कहा, उस पाप के भागी हम भी हैं। अब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक हम पहुंच चुके उससे आगे कदम मत बढ़ाइए। प्रोडक्शन का काम आप बड़ी कम्पनीज को दे सकते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का काम आप कभी मत देना। अभी तीन-चार रोज पहले मुम्बई की बात आई थी, जो कम्पनियां वहां डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं, टाटा और एक दूसरी और है, दोनों में झगड़ा हो गया, पेमेंट का झगड़ा हो गया और आधा मुम्बई शहर अंधेरे में पड़ा रहा। यदि सरकार का नियन्त्रण होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। हम घाटे में जा सकते हैं लेकिन पब्लिक को इस दुविधा से, इस संकट से बचा सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको वर्ल्ड बैंक का रुपया मिले या नहीं मिले, यह डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी भी तरह से कम्पनीज के पास नहीं जाना चाहिए। आज तो आपके जुबानी आदेश चलते हैं लेकिन जिस रोज यह प्राइवेट कम्पनी बन जाएगी उस रोज हमारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। इसलिए इस सुधार के कार्यक्रम को यहीं रोकिए। देश के दूसरे प्रान्तों की हालत

(श्री शिवनाथ सिंह)

माननीय सदस्य वर्णन कर चुके हैं, मैं नहीं करना चाहता। आप इस बात को सोचिए, मेरे खयाल से इसमें यह साहसी कदम उठाना चाहिए। केन्द्र सरकार हम पर कितना ही दबाव डाले, केन्द्र सरकार के दबाव से हमने वह किया था, बात सही है, हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि आपके कहने से हम इतने खड्डे में तो चले गये पर आगे जाने का हमारा मन नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में जितनी खामियां हैं, ऊर्जा मंत्रीजी को सब पता है, सबको पता है। उनका वर्णन नहीं कर इतना ही कहना चाहूंगा कि उसमें जो खामियां हैं उनको आप दुरुस्त कीजिए।

आखिरी बात यह निवेदन करना चाहूंगा विभिन्न योजनाओं में जो कनेक्शन देने की स्कीम है उसको आप पूरा कीजिए। बहुत से केसेज चाहे नर्सरी के हों, चाहे चरागाह के हों, प्रायोरिटी के हों, किसी भी प्रकार के हों उनमें ढिलाई न हो, वे समयबद्ध हों। आपको कोई भी पाबंद नहीं करता है कि आपको इतने हजार कनेक्शन देने पड़ेंगे। आपके पास नहीं है तो कहां से दोगे ? आगे कनेक्शन देना आप बंद कर सकते हो लेकिन पीछे वालों को सहूलियत दो और अच्छी सर्विस उनको दो। पीछे वाले जिनको कनेक्शन मिल चुका है यदि उनको अच्छी बिजली मिलती तो आज ये प्रदर्शन नहीं होते। जिनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं वे यहां आकर प्रदर्शन नहीं करेंगे। वे वातावरण नहीं बिगाड़ेंगे और हमारी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने दो-दो लाख रुपये जमा करा दिये उनका खर्चा हो गया और आज उनको पीड़ा होती है। सभापति महोदय, अंदाजा कीजिए, जिस काश्तकार को 25-30 बीघा सरसों बोनी थी वह 5 बीघा सरसों नहीं बो पाया। क्या करेगा वह ? इसलिए, ऊर्जा मंत्रीजी, मेरे खयाल से इन थोड़े से सुझावों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल क्वेश्चन के जवाब में यह चर्चा आई थी, आपने शिफ्टिंग चार्जेज की बात कही और उसको अंत में इस तरह से मिला दिया कि हां, आप बात तो ठीक कह रहे हो। एक हार्स पावर पर एक हजार रुपया शिफ्टिंग चार्जेज का खर्चा आता है। पर हार्स पावर एक हजार रुपया था उसमें शिफ्टिंग और पोल के खर्चे आ जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, पोल का खर्चा लीजिए, लाइन का खर्चा लीजिए शिफ्टिंग चार्जेज का एक हजार रुपया पर हार्स पावर जो लिया जा रहा है यह सरासर अन्याय है और इससे आज का किसान तबाह हो रहा है। इसलिए मेहरबानी करके आपको अगर घाटा हो, और भी घाटा हो जाएगा, हम किसी तरह से इंतजाम करेंगे लेकिन एक हजार रुपया जो एक हार्स पावर पर शिफ्टिंग चार्जेज फीस है उसको आप तुरंत बंद कीजिए। पीछे से जो सिक्योरिटी मनी ली जा रही है उसको एक बार रोकिए। 12 महीने तक कम्पनीज को ठीक काम करने दीजए। इनकी पैठ बनेगी, हम सिक्योरिटी के रुपये भी देंगे लेकिन 20 साल पहले मैंने कनेक्शन लिया था, आज कहते हैं उस डेट से सिक्योरिटी दो क्योंकि आज रेट बढ़ गई है। यह कहीं भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ये तीन-चार बातें हैं इनको आज आप कर दीजिए। 8 घंटे बिजली नहीं मिलेगी, मुझे पता

(श्री शिवनाथ सिंह)

है, आपको पता है। जितना आप बिजली दे सकते हो वह बिना किसी डिस्टर्बेंस के दीजिए, किसान उसमें संतोष करेगा लेकिन किसान को जो रोजाना वालीं पीड़ा है उससे आप मुक्त कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय हेमारामजी चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : सभापति महोदय, आज बिजली पर चर्चा होने जा रही है और सभी माननीय सदस्य बिजली की समस्या के बारे में चिंतित हैं। मैं भी अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारी सरकार बनने के बाद माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के ऊर्जा मंत्री बनने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी नया जी.एस.एस. नहीं बना, एक भी नया गांव इलैक्ट्रिफाई नहीं हुआ और एक भी काश्तकार को डिमांड तक का नोटिस नहीं दिया गया पैसा जमा कराने के लिए। पहले बी.जे.पी. के शासनकाल में जिन काश्तकारों के पैसे जमा थे उन काश्तकारों को कनेक्शन जरूर दिये और एक जी.एस.एस. जिसका पहले काम शुरू था, उद्घाटन बाकी था, वह उद्घाटन हुआ।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उद्घाटन हो तो गया ?

श्री हेमाराम चौधरी : उद्घाटन नहीं होता तो बिजली चालू नहीं होती क्या ? धोरीमन्ना में 132 के.वी. का जी.एस.एस. बना था बी.जे.पी. के टाइम में और उद्घाटन के लिए उसको रोक दिया था कि जब तक उद्घाटन नहीं होगा बिजली नहीं देंगे। वह सीजन के समय तैयार हुआ था। हमने उस समय मदेरणा साहब को कहा, उन्होंने उसी समय कहा कि उद्घाटन के इंतजार में इसको नहीं रोकेंगे, नहीं रोका और आज दिन तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ। उससे क्या बिजली की सप्लाई नहीं हो रही है क्या ? अगर किसी जी.एस.एस. का उद्घाटन नहीं होता है तो उससे बिजली सप्लाई रुक जाती है क्या ? उद्घाटन तो सिर्फ यह बताने के लिए है कि हमने यह काम किया है। पत्थर लगेगा। सब जगह उद्घाटन होते हैं तो एम.एल.ए., एम.पी. अपना नाम उस पत्थर पर लिखवाते हैं। मैंने मेरा नाम उस पत्थर पर नहीं लिखवाया, मैं पत्थर पर नाम लिखवाने में विश्वास नहीं करता हूं। पत्थर पर नाम लिखवाने से कोई नाम नहीं होता। पत्थर को थोड़े दिनों बाद उठाकर लोग कुएं में डाल देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। मैंने बहुत सारे पत्थरों के ये भी हाल देखे हैं, इसलिए मुझे पत्थरों पर नाम लिखवाने का, उद्घाटन करवाने का शौक रहा ही नहीं। मैं कभी उद्घाटन में विश्वास ही नहीं करता। मैं तो जो समस्या है उसकी बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय,दो साल में कोई भी काम न हो तो फिर हमारा यहां चुनकर आने का अर्थ क्या है ? हम यहां किसलिये बैठे हैं ? केवल हमारा हित साधने के लिए यहां आये हैं क्या ? केवल हम हमारा हित साधेंगे ? हमको जो ये 20-30 हजार रुपये सुविधाओं और तनख्वाह के मिलते हैं, ये उठाने के सिवाय और कोई दूसरा फायदा मैंने तो उठाया नहीं और न हमारे काश्तकारों ने उठाया। सभापति

(श्री हेमाराम चौधरी)

महोदय, बुरा लगेगा। आप जवाब दोगे कि इतने मेगावाट बिजली पैदा कर दी, इतने 132 के.वी. के जी.एस.एस. बना दिये, इतने 33 के.वी. के जी.एस.एस. बना दिये, इतने गांव इलैक्ट्रिफाई कर दिये, इतने कुओं को विद्युतीकृत कर दिया। आपने तो सब कुछ कर दिया होगा, मेरे क्षेत्र में आपने क्या किया ? इसका आप जवाब देते समय जवाब दें। मेरे क्षेत्र के लोग भी तो राजस्थान का ही हिस्सा हैं, वे भी तो बिजली चाहते हैं, ऐसा व्यवहार मेरे साथ क्यों किया जा रहा है ? अगर ऐसा व्यवहार मेरे साथ होता है तो उसका मुझे दु:ख नहीं होगा क्या ?

श्री सभापति : जबकि रामस्वरूपजी से दूसरा व्यवहार होता है।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, हमारे यहां नये कनेक्शन नहीं देने का कारण यह है कि हमारे वहां वोल्टेज रैगुलेशन 8 परसेंट से अधिक बैठ रहा है। जब 8 परसेंट से अधिक वोल्टेज रैगुलेशन है तो नया कनेक्शन होने का सवाल ही नहीं। पहले से ही लाइनें ओवर लोड हैं, इसलिए नया जी.एस.एस. नहीं बनेगा तब तक कनेक्शन होने का सवाल ही नहीं। अच्छा किया जो आपने नये कनेक्शन नहीं दिये। कम से कम और काश्तकार तो नहीं रुले। आगे कनेक्शन हैं वहीं रुले हुए हैं। नयों को नहीं रुलाया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह आपने जरूर हमारा खयाल रखा। लेकिन आप नये जी.एस.एस. कब बनाओगे ? 132 या 33 के.वी. के नये जी.एस.एस. कहीं तो बनाओगे। आज सिणधरी में 132 के.वी. का जी.एस.एस. नहीं बनेगा तब तक आलरेडी जो आपके कंजूमर हैं वो ही रोयेंगे इसलिए नये कनेक्शन की तो मैं मांग ही नहीं कर रहा हूं। आलरेडी जो हैं वे ही आपको याद कर रहे हैं नये आयेंगे तो फिर उनका क्या हाल होगा ? 33 के.वी. के जी.एस.एस. स्वीकृत हो रहे हैं लंबे समय से, लेकिन उनका कोई काम नहीं हो रहा है। अभी मुझे कह रहे थे सिवाना में 33 के.वी. का जी.एस.एस. तैयार हुआ है उसका उद्घाटन करने आयेंगे, वह तो सिवाना में है वह तो आपका ही है। मैंने कहा यह क्या बात हुई। सिवाना में तो गोपारामजी का एरिया है, वहां के एम.एल.ए. तो वे हैं, यह क्या हुई। भाई के कहें दो लुगाइयां ले आये, तेरे सगाई-ब्याह की क्या जरूरत, यह क्या बात हुई? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी आखिर राजस्थान में हैं, हमारे भी किसान आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि राजस्थान में बिजली के मामले में बाड़मेर जिला शुरू से पीछे रहा है। 1980 तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक गांव भी इलैक्ट्रिफाइड नहीं था, जो भी इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ 1980 के बाद हुआ। अब आप जो कट आफ डेट रखते हैं, अलग-अलग रखते हैं, किसी की 91, किसी की 92 । आपने कट आफ डेट रखी उसके अन्तर्गत आने वाले जो काश्तकार थे उनका भी कोई डिमाण्ड नोटिस नहीं निकाला। इसलिये हम पहले से ही बहुत पीछे हैं और आगे भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो तो फिर हमारा क्या हाल होगा ? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां 33 के.वी. के जी.एस.एस. बनाइये। सिणधरी में। 132 के.वी., आडेल में 132 के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, ये जब तक नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

होंगे आगे कोई कनेक्शन नहीं होगा। आलरेडी जो कंज़्यूमर हैं उनको भी बिजली पूरी नहीं मिल रही है। उसके अलावा 33 के.वी. के जी.एस.एस. पंचायत समिति धोरीमन्ना, उसमें रोयला पूर्व, कोजा, सिंदास व चौहान, लूणवा चारणान नगर और पंचायत समिति सिणधरी में मालपुरा, अंदोनियों की बेरी, सोबाला, सरणू, जालीखेड़ा और बढ़ाला। अधिकांश जी.एस.एस. स्वीकृत हैं लेकिन जो स्वीकृत हैं उनका भी काम नहीं हो रहा है मैटीरियल नहीं मिलने की वजह से। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की तरफ भी बिजली पर ध्यान दिया जाए।

दूसरे, जनरल के भी कनेक्शन नहीं हुए, स्पेशल के भी नहीं हुए। हरे चारे की योजना चलाई, पहले नर्सरी की योजना थी उसकी आलोचना होती थी उससे भी महंगी आपने यह हरे चारे की योजना चलाई। इस योजना के तहत जिन लोगों ने लिये उनको भी कनेक्शन पूरे नहीं मिल रहे हैं, वे भी अभी रो रहे हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि जल्दी इस विद्युत तंत्र में सुधार किया जाए।

आप कह रहे हैं छीजत हो रही है। छीजत हो रही है तो इस वजह से हो रही है कि आपके 132-33 के जी.एस.एस. नहीं हैं। ये बनाकर आप छीजत को रोकें। ये नहीं रोकेंगे तो छीजत होती रहेगी और घाटा होता रहेगा। आप इस घाटे की पूर्ति कहां से करेंगे ?

दूसरा, सभापति महोदय, आपके विभाग में भ्रष्टाचार बहुत है। सही बात है, कोई चाहे मानो या न मानो, एक भी काश्तकार को बिना बिजली विभाग को नजराना दिये कोई कनेक्शन नहीं मिलता है। यह हकीकत है। यह कोई अबकी बात नहीं है, चाहे बी.जे.पी. का राज था, चाहे कांग्रेस का राज है, चाहे आप एम.एल.ए. थे, चाहे और कोई था, चाहे मैं होऊं। इसलिए आप यह तो करो।

अब आपने प्राइवेट कम्पनियां बना दी हैं बिजली बोर्ड को भंग करके, लेकिन प्राइवेट कम्पनियों में अफसर तो वो के वो ही बैठे हैं। सब फीस भी वह की वही है कनेक्शन करने की 5000, 10000, 15000 अगर वह नहीं दे तो उसको इस लाइन से कनेक्शन देना है लेकिन एस्टीमेट वहां से कोई दूर लाइन गुजरती है उससे बना देते हैं और पैसे दे दो तो इधर से घुमाकर इधर से बना देते हैं। ट्रांसफार्मर छोटे का बड़ा लगा देते हैं, कैसे ही घुमाकर लगा देते हैं। छोटा बता देते हैं, नहीं तो बड़ा बता देते हैं। आपने कभी इसको रोकने की कोशिश की है क्या ? सिणधरी के अन्दर एक ए. ईएन. लगा हुआ था आज से दो साल पहले, जिस समय चुनाव हुआ था वह सब काश्तकारों के पैसे ठोक गया। उसकी काश्तकारों ने शिकायत की लेकिन आज दिन तक उसका कुछ नहीं हुआ। मैंने विधान सभा में प्रश्न भी पूछा था, जवाब आया कि हम जांच करने गये काश्तकार नहीं मिले। काश्तकार तो चक्कर काट-काटकर थक कर, हैरान होकर आखिर घर बैठ गये। यह जवाब आया। आपने उस ए. ईएन. का क्या किया ? हड़ताल चली, धरने चले। फिर वह हड़ताल, मैं और सिवाना वाले एम.एल.ए. दोनों गये और वहां जाकर तुड़वाई। सिवाना वाले एम.एल.ए. मौजूद होंगे या नहीं होंगे, उनको मालूम है। इसलिये इस भ्रष्टाचार

(श्री हेमाराम चौधरी)

को तो आप रोको तो भी कुछ राहत मिलेगी किसानों को। अब रहा सवाल कि बिजली की चोरी होती है। यह बिजली की चोरी कहां है ? मेरे खयाल से बाड़मेर जिले में तो नहीं होती है। आपके 132 के.वी. के जी.एस.एस. बने हुए हैं उसके आगे आप बिजली का मैजरमैंट नहीं कर सकते क्या ? चोरी कहां पर होती है पूरे राजस्थान में, यह भी आप पता नहीं कर सकते हैं ? चोरी 220 से पीछे होती है कि 132 से आगे होती है, कहीं न कहीं आप इसका नाप करो, जिस जिले में जहां पर ज्यादा चोरी होती है वहां आप कोई न कोई स्पेशल हिसाब लगाओ। हमारे जिले में तो बहुत कम, सबसे कम अगर चोरी होती है तो वह बाड़मेर जिले में होती है और दूसरी जगह जहां चोरी होती है, वहां आप कार्यवाही करो। मेरा आपसे यही निवेदन है।

दूसरा, सभापति महोदय, आप मिनिमम चार्जेज चार्ज कर रहे हैं। मीटर हमारा लगा हुआ है, मीटर के हिसाब से आप बिजली सप्लाई नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप मिनिमम चार्जेज ले रहे हैं,यह कैसी विडम्बना है ? अगर आप पूरी बिजली देने का तैयार हैं, फिर हम उसका उपयोग नहीं करें, तो भई इतने पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, उपयोग करोंगे तो भी लगेंगे, नहीं करोंगे तो भी लगेंगे। उपयोग करें किसका ? बिजली तो है नहीं। और आप फिर भी मिनिमम चार्जेज लगाये जा रहे हो। जिनके मीटर लगा हुआ है उनके मिनिमम किस बात का ? क्या वे बिजली का उपयोग नहीं करना चाहते ? यह राजस्थान में हो रहा है क्या ? बिजली नहीं मिल रही, उपयोग तो करना चाहते हैं फिर भी मिनिमम चार्जेज ले लिया जाए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यह पालिसी बंद करें, आपकी यह पालिसी ठीक नहीं है।

शिफ्टिंग वाली बात है, शिफ्टिंग वाले में चाहे 5 हार्स पावर वाला शिफ्टिंग है, चाहे 30 हार्स पावर वाला शिफ्टिंग है उसमें तो कोई खर्चा नहीं है। खर्चा तो यह है कि कितने पोल लगेंगे। शिफ्टिंग में किसी के एक पोल लगे, किसी के चार लगे, किसी के दो लगे, किसी के नहीं भी लगे। तो वह तो आप ले सकते हैं, यह बात समझ में आती है। पोल के अलावा दूसरा जो मैटीरियल लगता है उसका पैसा जो भी एक्चुअल कास्ट शिफ्टिंग में आये, वह आप लें। आप बोर्ड का सारा घाटा शिफ्टिंग से ही निकालना चाहते हैं क्या ? वह निकल जाएगा क्या ? जिसके ज्यादा हार्स पावर की मोटर है उसके तो पहले भी डिमाण्ड नोटिस का बहुत पैसा लगा है, उसको लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख, दो-दो लाख में कनेक्शन हुआ है। फिर कुएं के मामले में फैल हो गये तो वह फिर और बैठा रहा। दूसरा आपने शिफ्टिंग में अभी और एक नई रोग लगा दी कि पांच साल के पहले की उसकी रजिस्ट्री होगी, खेत उसके नाम से होंगे तो ही वह शिफ्ट करवा पाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं क्षमा चाहूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान की विधान सभा को पूरी तरह से किसानों ने घेर रखा है, चारों दरवाजों पर किसान बैठे हैं, कोई भी व्यक्ति आ-जा नहीं सकता। हम खुद नीचे जाकर देखकर आये हैं। सभापति महोदय, किसानों की मांग है कि ऊर्जा मंत्रीजी आएं और उनके बीच में जाकर अपनी बात कहें। किसान पिछले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कई घंटों से बैठे हैं, मैं इसकी बात नहीं करूंगा, परन्तु जिस तरह किसान कटिबद्ध होकर घेराव किये बैठे हैं, आवागमन के सारे रास्ते बंद हैं, कोई गाडी आ नहीं सकती, कोई गाड़ी जा नहीं सकती। इसलिए मेरा निवेदन है, आप इनको कहें कि ये जाएं। जो माननीय सदस्य बाहर नहीं जा सकते उनके लिये यहां रात को रहने का इन्तजाम भी आपको करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने जानकरी दे दी, मैं इसके तथ्यों की जानकारी करके फिर बतला दूंगा। आप चालू रखें।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि शिफ्टिंग का जो चार्ज आप एक्चुअल खर्चे से ज्यादा ले रहे हो, वो तो ले ही रहे हो, लेकिन पांच साल से पहले की रजिस्ट्री आपके नाम से नहीं है तो आपने शिफ्टिंग करने का मामला बंद और कर दिया। अब पांच साल पहले काश्तकार को क्या पता लगे कि मेरा मौजूदा कुआ फैल हो जाएगा ? कुएं का पानी सूख जाएगा या कुआ खराब हो जाएगा ? इसलिए दूसरा कुआ खुदवाकर, दूसरा टयूबवैल बनाकर अपना कनेक्शन शिफ्ट करवाना पड़ेगा! मैं आज दूसरा कोई खेत का टुकड़ा खरीद कर रखूं जो 5 साल बाद में मेरे काम आये, वह ऐसा बुरा क्यों सोचेगा ? यह तो वह उस समय करता है जब वह देखता है कि ये मौजूदा कुआ फैल हो चुका है, इसमें किसी प्रकार से खेती हो नहीं सकती। इसलिए वह दूसरा खेत का थोड़ा बहुत कहीं टुकड़ा लेकर उसमें कुआ बनाकर उसमें पाइप लाइन से पानी लाकर खेत में पानी पिलाना चाहता है। आपने यह स्कीम बंद कर दी है तो फिर किसान के साथ क्या करना चाहते हैं, मेरी समझ में बात नहीं आई। बिजली नहीं है फिर भी मिनिमम चार्जेज लेते जाओ, शिफ्टिंग में आप इस तरह से लूटते जाओ और फिर उसमें इस तरह की पाबंदी और लगा दी कि शिफ्टिंग हो नहीं सकता। मेरा कनेक्शन का नम्बर आया हुआ है और मैं... (व्यवधान)

(18.00 बजे)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : जहां की फाइलें मैंने जमा करा रखी हैं उसके आस-पास दो तीन टयूबवैल बनाये वे सब फैल हो गये। उसमें पानी खराब आ गया। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं भी ट्यूबवैल बनाऊंगा खेत में तो फैल होगा क्योंकि दूसरों के भी फैल हुए, मुझे भी उम्मीद अब नहीं रही। चार-पांच लाख रुपये लगाऊं तो उससे क्या फायदा ? इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मेरा पहले आलरेडी ट्यूबवैल जिस खेत में है उसमे ट्यूबवैल बचा दूं और उससे पानी इस खेत में ले आऊं। और वह खेत मेरे नाम से नहीं है, मेरे बच्चे के नाम से है। मैं सोचता हूं कि उसमें से थोड़ा-सा टुकड़ा मेरे नाम ट्रांसफर करा लूं। मेरे नाम से अब वह कनेक्शन मैं करवा नहीं पा रहा हूं। सभापति महोदय, मैं खुद ही पीड़ित हूं इसलिए मैं तो इस पीड़ा को समझ रहा हूं, बाकी काश्तकारों की भी यही पीड़ा होगी। इस तरह की जो पीड़ा वाले हैं वे तो आपको वाहवाही देंगे नहीं, फिर बाकी आप जैसा उचित समझें। अगर आप इस तरफ भी

(श्री हेमाराम चौधरी)

ध्यान नहीं देंगे, किसानों की बात पर तो फिर हमारा कहना व्यर्थ है, फिर कहने का कोई अर्थ नहीं है। बिजली तो जितनी पैदा होगी उतनी ही मिलेगी, यह बात तो ठीक है पर उसमें भी आप कहीं ज्यादा दे रहे हो, कहीं कम दे रहे हो। जैसे कहीं आठ घंटे बता रहे हैं, कहीं कह रहे हैं हमारे यहां सात घंटे मिल रही है। हमारे वहां तो मिल नहीं रही है। सभापति महोदय, गर्मियों के दिनों में एग्रीकल्चर लोड था नहीं, उस समय भी हमारे यहां तो बिजली नहीं मिल रही थी। कहीं काश्तकार को बिजली की जरूरत ही नहीं थी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट में खतम कर रहा हूं।

पीने के पानी की योजनाओं के लिए तो आप कटौती नहीं करते। वहां सिर्फ पीने के पानी की योजनाओं के अलावा कोई दूसरा लोड था ही नहीं। गर्मियों के दिनों में हमारे यहां कोई काश्तकार बुवाई करता ही नहीं है। कुएं चलते ही नहीं है, बंद पड़े रहते हैं। आपने पीछे से लोड कम कर दिया। अब 18 मेगावाट बिजली की जरूरत है तो आप आठ मेगावाट हमको दे रहे हो। आठ मेगावाट की पूर्ति कहां से होगी ? कम से कम पीने के पानी की योजनाएं तो ठीक तरह से चलें, उनमें तो आप कटौती मत करो। पीने के पानी की योजनाओं में भी अगर आप कटौती कर दोगे तो खेती तो गई दूर, हम तो पीने के पानी की वजह से तड़प-तड़प कर मर जाएंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री जगमाल सिंहजी। टर्न से आ रहा है सबका।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं मूंडवो से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विचार रखे हैं, उनसे सहमत हूं। सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसानों पर यह तो एहसान कर दें कि आप भविष्य में कितनी बिजली देंगे। अगर सच-सच यह बयान सदन में कर दें तो किसान इसी हिसाब से आने वाली फसल को बोयेगा और अगर आपने असत्य वादा कर दिया कि आठ घंटे या 12 घंटे बिजली देंगे तो, सभापति महोदय, किसान उसी हिसाब से जो सिंचाई की खेती है उसको बोयेगा। यह बायोलाजीकल प्रोडक्ट है जो आपके आश्वासन से थमेगा नहीं, बल्कि किसान और बरबाद हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे पहला निवेदन तो यह करता हूं कि आप आज कम से कम यह बयान करेंगे कि राजस्थान सरकार अगले छह महीने में जब तक फसल को पानी की जरूरत है, इतने घंटे बिजली देगी। यह आपका राजस्थान के किसानों पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। आप जहां तक कहते हैं कि बिजली की शार्टेज है, आपकी यही कांग्रेस गवर्नमेंट रोज आये दिन +++ कि भैरोंसिंहजी साढ़े तेईस हजार करोड़ रुपये के कर्जे में इस स्टेट को डुबो गये। मैं यह कहता हूं कि आपके हाथ किसने पकड़ रखे हैं, इस बिजली की व्यवस्था को सही करने के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

लिए चाहे आप और बीस हजार करोड़ रुपये का कर्जा लें। और आपने तो वादा किया था। मैं, डाक्टर साहब, आपसे कहता हूं कि आपकी जो पैदाइश है वह लोकदल की है, बी.के.डी. की है, जनता दल की है और उस पार्टी की पैदाइश है जिस पार्टी ने टोटल हिन्दुस्तान में टोटल किसानों की लड़ाई लड़ी है। आप यह नहीं भूलें कि कांग्रेस ने भी आपको तब ही स्वीकार किया है जब चौधरी चरणसिंह और देवीलालजी ने आपके व्यक्तित्व को उभार दिया। इनके पास तो पका-पकाया हुआ माल आया है। लेकिन मैं आज फिर कहता हूं कि चौधरी चरणसिंहजी की अगर कहीं आत्मा होगी और देवीलालजी तो साक्षात् आपको देख रहे हैं, उनके नाम पर भी आपने बट्टा लगाया है। मैं आज कहता हूं कि आप अमर हो जाएंगे, आज आप इस सदन में यह घोषणा कर दें, मैं यह जानता हूं कि आपकी पोलिटिकल डैथ की जा रही है, आपको स्लो-पाइजन दिया जा रहा है इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी भविष्य की राजनीति को बचाने के लिए आज या तो आठ घंटे, चाहे कुछ भी मजबूरी हो, चाहे किसी मद में से आप पैसे काटें, या तो आठ घंटे बिजली देने का वादा करें और उसको पूरा भी करें, नहीं तो अपने इस्तीफे की घोषणा कर दें। आप अमर हो जाएंगे। मूंडवा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि दो साल बाद...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, आप आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, मैं हमेशा वह डिपार्टमैंट लेता हूं जो चन्द्रभानजी के पास होता है। लेकिन इस बार मेरा यह लालच नहीं है। मेरी नेक सलाह है कि आप बच जाएं। आपकी अगर भगवान ने उम्र दी तो आप लम्बी राजनीति करेंगे। लेकिन इस क्राइसिस में आप अगर ऊर्जा मंत्री बने रहे, जैसी कि आज घोषणा हो गई है कि बिजली मंत्रीजी को और चीफ-मिनिस्टर को कहीं राजस्थान में किसान सभा नहीं करने देंगे और आपका घेराव करेंगे, अभी मूंडवा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि जब दो साल बाद पूर्णत: निजीकरण बिजली का हो जाएगा तब क्या हालात होंगे।

आज आप तो खड़े थे, आप आफिसर्स लाबी के पास खड़े थे, माननीय शिवचरणजी माथुर साहब भी खड़े थे, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, कई मंत्री महोदय खड़े थे और एक समूह खड़ा था एम.एल.एज. का जब हाउस एडजोर्न हो गया था, मुझे लज्जा आयी। आपको लज्जा आयी या नहीं आयी, इन आफिसर्स को लज्जा आयी या नहीं आयी लेकिन मुझे और जो सदन में लोग बैठे थे उनको शर्म महसूस जरूर हुई कि आप तो खड़े रहे आधा घंटा और वे बैठे-बैठे लिखते रहे। हाउस अगर चल रहा हो, हाउस अगर रन में हो तब तो वे खड़े नहीं होंगे लेकिन एनर्जी मिनिस्टर खड़ा है और आपके बिजली के अफसर नोट कर रहे हैं, आपसे बैठे-बैठे बात कर रहे हैं। यह तो सामान्य शिष्टाचार की बात है।

मैं और ज्यादा नहीं कहकर केवल इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज राजस्थान पत्रिका में विजय सागर बांध का चित्र छपा है, फ्रंट पेज पर। अलवर और

(श्री जगमाल सिंह यादव)

जो जयपुर डिवीजन है उसे अकाल में कभी मानते ही नहीं, हालांकि आज यह सही है कि 52 साल में यह 43वां साल है जब राजस्थान अकाल को झेल रहा है। हम लोगों से लोग कहने लग गये हैं, अलवर के, धौलपुर के, भरतपुर के, सवाईमाधोपुर के, करौली के, जयपुर के, आपके सवाईमाधोपुर के, सीकर के, झुंझुनूं के, जयपुर जिले के लोग कहने लग गये हैं कि आप भी इस राजस्थान से पिंड कटाएं और आप एक पूर्वी राजस्थान की मांग करें। इस राजस्थान के भी दो टुकड़े होने चाहिए। अब, सभापति महोदय, एक सीमा बता दें, आप बिजली का बंटवारा बराबर कर रहे हैं क्या ? अभी 25 तारीख को मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग हुई जिसमें आपके राज्य मंत्रीजी मौजूद थे। सभी कांग्रेस और विपक्ष के विधायकों ने एक प्रस्ताव पास किया, रिटिन प्रस्ताव पास किया कि या तो हमको भी हमारे हक दें, नहीं तो हम सरकार के साथ नहीं हैं। यहां तक बात आयी। मैंने अभी कृषि मंत्रीजी से सवाल पूछा था कि कौन-कौन जिला गेहूं कितना देता है, सरसों कितना देता है, जौ कितना देता है, चना कितना देता है। आपने मेरे को जवाब भेजा है और मुझे फख्र है कि अलवर और भरतपुर का इलाका इस राजस्थान को खिलाने का काम करता है लेकिन जब योजना के पैसे की बात आती है, चाहे बिजली की बात आती है- अकाल है, मानवीय संवेदना हम में है, आज हम पूरे राजस्थान के साथ हैं कि इनको पीने का पानी नहीं है, लेकिन जब योजना के पैसे का बंटवारा हो तो हमारी तरफ भी, अलवर और भरतपुर की तरफ भी, सभापत महोदय, सरकार को खयाल रखना चाहिए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं, जैसे झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखण्ड राज्य बने, अगर यही रवैया रहा पूर्वी राजस्थान के साथ तो वह दिन दूर नहीं जब राजस्थान में यह मांग उठेगी और बड़े तीव्र तरीके से उठेगी कि जयपुर डिवीजन को अलग कर राजस्थान बनाया जाए और इस राजस्थान से हमारा पिंड कटाया जाए। हम कब तक कमाते रहेंगे ? कमाएं हम और अकाल के नाम पर जो पैसा खर्च होता है, सभापति महोदय, वह केन्द्र सरकार हमको कर्जा देती है। खाएं ये गंवाएं हम। आज अप्रिय बात लग रही होगी मेरे साथियों को। पानी मंत्रीजी यहां नहीं हैं लेकिन भरतपुर और अलवर को जो यमुना का पानी देने की बात आयी थी, आपके जमाने में आयी थी, क्या हुआ उसका ? आज बीसलपुर की योजना पर चर्चा होती है तो अजमेर के पूरे गांवों को, पूरे जिले को, एक हजार, ग्यारह सौ गांवों को पानी देने की बात होती है। आज जो भूमिगत जल है वह अलवर और भरतपुर जिलों का इतना नीचे चला गया है कि जो हैण्डपम्प आपने लगाये थे, तैयब साहब, आपके भी यही स्थिति है कि वे सूखे पड़ हैं, पीने को पानी नहीं है। इसलिए मैं, ऊर्जा मंत्रीजी, आपको एक ही बात निवेदन कर रहा हूं...(व्यवधान) नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, यह तो मैं आपसे बिजली की बात कह रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : आप तो ऐसे कह रहे हैं कि बीसलपुर का पानी...(व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : आज बिजली की जो प्रायोरिटी है जहां गेहूं पैदा नहीं होता है, जहां जौ पैदा नहीं होता है, जहां सिंचित फसल नहीं है वहां भी बराबर देंगे और अलवर और भरतपुर को भी बराबर देंगे, यह कौनसा

(श्री जगमाल सिंह यादव)

न्याय है, मैं आपसे केवल यह पूछ रहा हूं ? अलवर जिला जो गेहूं का रिकार्ड उत्पादन करता है, जो चावल का भरतपुर उत्पादन करता है, सरसों के तेल का और जौ का ज्यादातर हिस्सा अलवर पैदा करता है उस अलवर को भी बराबर बिजली दोगे और जहां गेहूं की फसल नहीं होती है, सिंचित फसल नहीं होती है वहां भी बराबर बिजली दोगे, यह कौनसा न्याय है अलवर और भरतपुर के किसानों के साथ ?

[illegible] पाने के पानी का सवाल है, पूरे राजस्थान को पीने का पानी मिलना चाहिए। मानवीय संवेदना है, हम भी सहयोग करते हैं। चाहे फसल एक दाना नहीं हो लेकिन सिंचाई के लिए आप उन जिलों को भी उतनी बिजली देंगे जितनी जहां सिंचित फसल नहीं होती है तो यह न्याय नहीं है। सभापति महोदय, मैंने मेरी बात रखी, आपने समय दिया, धन्यवाद।

कार्य सलाहकार समिति का दसवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : माननीय मुख्य सचेतक महोदय।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के दसवें प्रतिवेदन पर सहमति प्रकट करता है ?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : अभी चूंकि सर्कुलेट नहीं हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 1 नवम्बर, 2000 को मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे माननीय अध्यक्ष के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि गुरुवार दिनांक 2 नवम्बर, 2000 से सोमवार 6 नवम्बर, 2000 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

गुरूवार , 2 नवम्बर, 2000

1. अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2000-2001 की मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत पर विचार एवं पारण।
2. शेष अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2000-2001 पर सायं 4.30 बजे मुखबंद का प्रयोग कर मतदान एवं पारण।
3. अतिरेक अनुदान की मांगें वर्ष 1992-93 पर मुखबंद का प्रयोग कर मतदान एवं पारण।
4. राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2000 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।
5. राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2000 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण।

शुक्रवार , 3 नवम्बर, 2000

1. राजस्थान सिंचाई प्रणाली के संबंध में

(श्री सांवर लाल)

तक पानी वापस आए कुओं में तब तक डिसकनैक्ट करें, कुओं में पानी आते ही वापस कनेक्शन दे दें।

डा. चन्द्रभान : इसका कैसे पता करेंगे कि कब पानी आएगा कब पानी नहीं आएगा ? यह थोड़ा देखना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : बरसात का पानी आएगा। मंत्री महोदय, हम यह जानते हैं कि किसान खेती के लिए कनेक्शन लेता है, अपने कुएं में पानी है तो कोई अपना कनेक्शन कटवाना नहीं चाहता।

श्री केसाराम चौधरी : तो मिनिमम चार्ज मत लो, मीटर चलने दो। मीटर से जो चार्ज आएगा, जितना मीटर घूमेगा हम पैसे दे देंगे।

श्री सांवर लाल : जहां पर पानी है वहां पर लोग आठ-आठ घंटे बिजली का इन्तजार कर रहे हैं, आपसे मांग रहे हैं। अभी अपने विधान सभा के मुख्य द्वार पर धरने पर इसलिए बैठे हैं कि वहां पर पानी है। हमारे यहां की स्थिति अलग है। इसलिए हमारा निवेदन है कि इस विषय पर आप व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना कर गम्भीरता से विचार करिये। जहां पर ऐसी स्थिति है उनको थोड़ी रियायत दीजिए।

डा. चन्द्रभान : ठीक है, कर लेंगे इस पर विचार।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप उत्तर दें, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आपके ध्यान में लाया गया है।

डा. चन्द्रभान : एक तो बता दिया महत्वपूर्ण बिंदु।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप उत्तर दें, इसके बारे में विचार करें, बताएं।

श्री सांवर लाल : थोड़ा इसके बारे में व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोचो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कर लेंगे इसके बारे में...

श्री सांवर लाल : आपके मुखारबिंद से जरा हमको आश्वासन तो मिले, मंत्रीजी।

श्री सभापति : माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, एक बात तो मैं भी जानना चाहूंगा, आप यह तो बता दें कि मिनिमम चार्ज जो ले रहे हैं, जब बिजली पूरी नहीं देते हैं तो मिनिमम चार्ज का औचित्य क्या है ?

श्री केसाराम चौधरी : बिलकुल ठीक है, सभापति महोदय।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, मिनिमम चार्जेज की व्यवस्था हर श्रेणी में है और देशभर में है। मिनिमम चार्जेज का मतलब यह है, मिनिमम चार्जेज इस तरह से फिक्स किये जाते हैं, यह मान कर चला जाता है कि इतनी बिजली तो कम से कम दी ही जाएगी। मैं एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं, अभी भी एग्रीकल्चर में जो हमारी फ्लैट रेट है, 12 महीने किसान भी बिजली का उपयोग नहीं करता है और हम 12 महीने तक कैलकुलेट भी नहीं करते हैं, हम आठ महीने का कैलकुलेट करते हैं और आन एंड एवरेज यह मानते हैं कि साढ़े तीन से चार घंटे बिजली हम उसको दे पाएंगे, कम से

(डा. चन्द्रभान)

कम इतनी तो हम देंगे। छः घंटे, आठ घंटे, तो भी हो सकता है, कोई किसान रोजाना कुआ नहीं चलाता है, साढ़े तीन-चार घंटे कन्जूम करके मानें 60 रुपया हार्स पावर। मिनिमम चार्ज उससे भी कम है, मिनिमम चार्ज है 42 रुपया हार्स पावर। वह तो देखा जाए तो ढाई और तीन घंटे में ही हो जाता है। इस तरह से डोमेस्टिक के अन्दर शहरों में बिजली ज्यादा, गांवों में बिजली कम आती है। गांवों में कर रखा है 30 यूनिट पर मंथ मिनिमम चार्ज डोमेस्टिक का, शहरों में 40 यूनिट का कर रखा है। इसलिए इतना ही फिक्स करते हैं कि कम से कम इतनी बिजली कन्जूम वो करता ही है। फिर हम भी सिस्टम वगैरह खड़ा करते हैं, उस पर भी सब खर्चा होता है। मिनिमम चार्ज पूरे देशभर में है, मैं कहना चाहूंगा, हर कैटेगरी में है। (व्यवधान) एक सैकण्ड। यह बात सही है कि उदयपुर संभाग के दौरे पर जब मैं गया, कटारियाजी का गांव भी मैंने देखा, नाथद्वारा क्षेत्र में है, तो वहां यह बात वास्तव में उठ कर आयी, भीलवाड़ा में आयी, पाली में भी आयी। ये एम.एल.ए. खुद मेरे से मिले थे।

श्री सांवर लाल : अजमेर में भी है।

डा. चन्द्रभान : अजमेर में भी है। कुछ जगह वास्तव में लगातार बरसात नहीं होने से कुएं सूख गये हैं। इनके बारे में कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि किसान अपना डी.सी. करा ले। डिसकनेक्शन की व्यवस्था तो अब भी है लेकिन उसकी लिमिट हो जाएगी। बाद में उसका फुल चार्ज करते हैं तो 6 महीने की छूट है। 6 महीने वो सोचेंगे कि अगले साल मई, जून और जुलाई तक बारिश हो तब तक उसको कोई छूट वगैरह दी जाए। अभी इस पर विचार कर लेंगे।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, इसके अन्दर आप स्पेसिफाई जिले मत करिये, जिन जिलों में भी ऐसी स्थिति हो उनमें देख लें।

डा. चन्द्रभान : नहीं, वो जिले के लिए नहीं होगा, वो पूरे राज्य के लिए होगा। पूरे स्टेट के लिए होगा, कोई जिला नहीं। जहां पानी सूखा है, सभापति महोदय, आप सभी लोग कहते हैं, मैं कोई बात बोलता हूं तो यहां इंटरप्रिटेशन यह हो जाता है कि मैं कोई किसानों के खिलाफ हूं लेकिन यह बिजली की चोरी की समस्या गांव में, शहर में हर श्रेणी में होती है। हालांकि उदयपुर संभाग में बिजली की चोरी की वारदातें कम से कम हैं लेकिन हमें इस बात को तय करना पड़ेगा कि चाहे हम जन-प्रतिनिधि को इन्वाल्व करें, चाहे रेवेन्यू आफिसर को करें, चाहे हमारे अफसर को करें कि किस कुएं में पानी नहीं है और किस कुएं में पानी आ गया, इस व्यवस्था को हमें जरूर तय करना पड़ेगा। बाकी हम इसमें छूट दे देंगे।

श्री सभापति : ठीक है।

श्री हेमाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यह मिनिमम चार्ज आपने लागू कब से किया ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय, यह बहस का मुद्दा नहीं हो। आप जारी रखें।

श्री हेमाराम चौधरी : मिनिमम चार्जेज वाली है न...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : यह आपकी मेहरबानी है, पहले मिनिमम चार्ज वाला लफ़ड़ा नहीं था। (व्यवधान) मिनिमम चार्ज पहले नहीं था, यह आपने ही किया है।

श्री सभापति : आप बिराज जाएं। आप जारी रखें, माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : आप इस सदन के पहले भी सदस्य रहे हैं और जब आप सदस्य थे तब भी एग्रीकल्चर में मिनिमम चार्ज था।

श्री केसाराम चौधरी : नहीं, बी.जे.पी. राज में माफ कर दिया था। आप बिलकुल गलत कह रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, 90 में खतम कर दिया था। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : सभापति महोदय, बी.जे.पी. राज में माफ नहीं किया, यह हरिदेवजी जोशी मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने माफ किया था। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मिनिमम चार्ज नहीं था, यह बिलकुल गलत जानकारी है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एग्रीकल्चर में शुरू से था मिनिमम चार्ज।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं था शुरू से। मीटर वालों के लिए नहीं था।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये। सब मीटर वालों के लिए मिनिमम चार्ज होता है। फ्लैट रेट वाले के लिए तो कहां दिक्कत है, फ्लैट रेट वाले के लिए मिनिमम चार्ज होता ही नहीं है।

श्री हेमाराम चौधरी : पहले नहीं था।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, आप जब अपना उत्तर दें...

डा. चन्द्रभान : इसका उत्तर आ गया।

श्री सभापति : नहीं आप इलेबोरेटली एक्सप्लेन कर देना। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप जारी रखें।

डा. चन्द्रभान : 1989 में हरिदेवजी जोशी की सरकार ने ही मिनिमम चार्ज समाप्त किया था, आपने नहीं किया था।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, यह आपका जवाब है। आपके विभाग द्वारा सवाल के जवाब में आपने लिखा है...(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसा नहीं है। मंत्री महोदय, एक बार आप अपना रिकार्ड ठीक तरह से दिखवा लें।

श्री हेमाराम चौधरी : समाप्त किया, फिर किसी ने तो लगाया न वापस।

डा. चन्द्रभान : पहले भी था।

श्री हेमाराम चौधरी : पहले था, हरिदेवजी जोशी की सरकार ने समाप्त तो किया न ? (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : कारण यह था, मंत्री महोदय, लगातार 87, 88, 89 का जो अकाल पड़ा था...

श्री हेमाराम चौधरी : जब कांग्रेस सरकार ने समाप्त किया, वापस आकर हमारे डाल दिया न। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह श्रेय भैरोंसिंहजी की सरकार को दीजिये आप।

श्री सभापति : माननीय भिनाय से आने वाले सदस्य, बिराज जाओ आप।

श्री हेमाराम चौधरी : हरिदेवजी जोशी की सरकार ने समाप्त किया, इसका मतलब मिनिमम चार्ज पहले नहीं था। (व्यवधान) यह आप ही कह रहे हो कि समाप्त कर दिया था। इसका मतलब बीच में नहीं था। (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मंत्री महोदय, इसको आप थोड़ा सा देखें। (व्यवधान)

श्री सभापति : मिनिमम चार्ज तो शुरू से था, इसमें कोई शक नहीं है। आप बिराजें। आपको शायद ध्यान नहीं है, मिनिमम चार्ज था।

श्री केसाराम चौधरी : मंत्री महोदय, आपने लगाया है यह मिनिमम चार्ज।

श्री हेमाराम चौधरी : नहीं, शुरू से नहीं था। शुरू से था तो...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, मिनिमम चार्ज पहले भी था, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी मिनिमम चार्ज था। 87, 88, 89 के अकाल के कारण से यह समस्या सारे राजस्थान में आयी। सारे कुएं सूख गये थे, किसान उस पैसे को भर नहीं सकता था। उनकी बार-बार यह मांग आती थी इस कारण से 90 में जब सरकार आयी तो उसने इस मिनिमम चार्ज को उस समय समाप्त कर दिया था। उसका आधार था अकाल के कारण से लगातार सूखे के कारण। फिर आपने, जैसे ही वापस आये...(व्यवधान)...

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : 90 में किया है हरिदेवजी जोशी की सरकार ने। जनवरी, 90 में किया।

डा. चन्द्रभान : यस, राइट। मैं आपको डेट और आर्डर दे दूंगा।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : आपकी सरकार ने नहीं किया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह गुमराह कर रहे हैं। शुरू से ही है। मेरे खुद के कुएं पर दो मोटर हैं, शुरू से ही यह लागू हैं। किसी ने माफ नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आसन ग्रहण करें। आप जारी रखें।

डा. चन्द्रभान : इस समस्या को देख लेंगे।

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं एक विशेष बात कहना चाह रहा हूं। आपका सतर्कता विभाग बना हुआ है वह सतर्कता विभाग चोरी पकड़ता है। चोरी पकड़ कर वसूली करता है और वसूली कर उसका परसेंटेज सतर्कता विभाग के अधिकारी को, जिसने खबर दी उसको और उसके साथ कलेक्टर को और एस.पी. को भी उसमें हिस्सा देते हैं आप।

(श्री केसाराम चौधरी)

एस.पी. और कलेक्टर को किस बात का हिस्सा देते हैं ? यह समझ में आना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वाइड एलीगेशन इस प्रकार के नहीं लगाएं।

श्री केसाराम चौधरी : एलीगेशन नहीं है, सत्यता कह रहा हूं। आप निकाल कर देख लीजिये, इस बात की सत्यता कह रहा हूं। एस.पी. और कलेक्टर को भी इसका परसेंटेज जाता है।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : यह सही है।

श्री माधवसिंह दीवान : He is right.

श्री केसाराम चौधरी : मैं कह रहा हूं, मंत्रीजी कह दें गलत है। सभापति महोदय, आप अगर कहते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं तो उसके लिए कह दें सत्य क्या है ?

श्री सभापति : आप जारी रखें जैसा भी है।

श्री केसाराम चौधरी : उनको भी हिस्सा देकर इस क्षेत्र की जनता को लुटाया जा रहा है। मैं सत्य कह रहा हूं। मुझे मालूम है इस बात का इसलिए कह रहा हूं। दूसरी बात और बताता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : एस.पी., कलेक्टर को किस बात की इनाम दी जा रही है ?

श्री सभापति : आप उनको जारी रहने दें। अपने आप पैरवी कर लेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह बड़ी गम्भीर बात है, इस राजस्थान सरकार ने ऐसी पद्धति लागू कर दी कि विजिलेंस को भेज कर पहले पकड़वाओ, फिर उसका हिस्सा एस.पी. के पास जाए, उसका हिस्सा आफिसर्स के पास जाए। (व्यवधान) यह क्या बात है ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह पद्धति तो उस जमाने से ही लागू थी जब आप भी मंत्री थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमारे समय में ऐसी कोई पद्धति नहीं थी। यह आदेश डाक्टर चन्द्रभानजी का है।

श्री सभापति : अब आप इसको विवाद का विषय नहीं बनाएं, उनको जारी रहने दें।

डा. चन्द्रभान : अब आप ज्यादा ही सुनना चाहते हो क्या ? तो बताता हूं आपको। आपके समय में थी और अब एस.पी., कलेक्टर को कोई हिस्सा नहीं मिलता है। यह व्यवस्था हमने जरूर कर रखी है, सभापति महोदय, क्योंकि इस काम के लिए हमें पुलिस का सपोर्ट चाहिए। पुलिस के लोग थोड़े रिलक्टेंट रहते हैं, उनके और ही बहुत सारे काम रहते हैं और वे कहें कि हम अपनी गाड़ी, अपने साधन और सिपाही क्यों दें, तो हमने यह व्यवस्था जरूर की है कि जितना कलेक्शन उसमें होता है, जितनी कम्पाउंडिंग वगैरह करते हैं उसका दस परसेंट जो सम्बन्धित थाना है, उसमें जमा कराते हैं। उस थाने के विकास के कार्यों के लिए वह पैसा खर्च करते हैं।

श्री केसाराम चौधरी : वाह साहब, इस तरह जनता को लुटाया जा रहा है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आपके समय में था कलेक्टर और एस.पी. का, अब नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किस आदेश से था, वह बता दें। (व्यवधान)

श्री सावंरलाल : मुसीबत होगी, पुलिस से तो वैसे ही परेशान हैं, ले-ले जाकर रख देंगे तो...

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : मैं कह रहा हूं न फिर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चन्द्रभानजी, आज पहली बार इतिहास में आपकी वजह से सारे माननीय सदस्यों को यहीं सोना पड़ेगा, कैसी व्यवस्था आपने कर दी।

डा. चन्द्रभान : यह तो बहुत अच्छी जगह है सोने के लिए। हमें तो ऐसी जगह बहुत कम मिली है सोने के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यही चाहते हैं न ? किसान यों ही बैठे रहें ? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : लेकिन आप मुझे यह बताइये, एक तरफ कह रहे हैं कि बिजली चोरी रुकनी चाहिए और इतना राजस्व का नुकसान हो रहा है, इतनी बिजली का नुकसान है और जे.ईएन. और ए.ईएन. पिटते हैं। ये शिकायतें भी इसी हाउस में होती है। पुलिस का सपोर्ट लेने में क्या गुनाह है ?

श्री मदन दिलावर : चोरी की परिभाषा तो बता दें।

श्री केसाराम चौधरी : पुलिस का सहयोग लेते हैं तो पैसा देने की कहां जरूरत पड़ गई ? सरकारी ड्यूटी है उसकी। आपके साथ विजिलेंस पुलिस साथ में रहती है। एस.पी. को...(व्यवधान) यह समझ में नहीं आता।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप जारी रखें। आपका समय जाएगा। (व्यवधान) आप तो बोलिए।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, कल मंत्रीजी ने मेरे एक प्रश्न के जवाब में कहा है, उद्योगों और किसानों के साथ भेदभाव क्यों बरता जा रहा है ? मंत्रीजी ने जवाब दिया कि उद्योगों को पांच प्रतिशत एक्सट्रा देने पर पावर कट से मुक्ति दी जाती है, लेकिन किसान अगर पांच प्रतिशत एक्स्ट्रा दे तो उसको पावर कट से मुक्ति क्यों नहीं देते हैं ? यह किसान विरोधी सरकार, व्यापारियों को प्रोत्साहन देने वाली सरकार...(व्यवधान) मतलब यह तो बताओ तो सही कि यह किस बात के लिए पांच प्रतिशत से पावर कट से मुक्ति दी जाती है ? यह प्रश्न का जवाब है मेरे पास। चार कम्पनियों को मुक्ति दे रखी है पावर कट से और पावर की कमी है। उनको पावर दे देते हैं और किसानों के लिए पावर नहीं है, माननीय मंत्री महोदय। यह न्यायसंगत नहीं है। आप किसान होते हुए भी किसान विरोधी हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : उद्योगपतियों की सरकार है।

श्री सांवर लाल : उद्योगपतियों का सम्मेलन किया था।

श्री केसाराम चौधरी : चुनाव में आपने वादे करके 155 का बहुमत ले लिया। यह बहुत बड़ी बात है कि आठ घंटे बिजली देंगे, लोग बहकावे में आ गये। माननीय अशोकजी बहुत बड़े जादूगर हैं। उन्होंने जादू दिखाया था जोधपुर में।

श्री सभापति : कहीं आप पर तो नहीं चल गया ?

श्री केसाराम चौधरी : मगर यहां आकर उलटा चल गया। वहां पर नोटों की तिजोरी दिखायी और यहां पर नोटों की तिजोरी खाली। दोनों तार लगाकर बिजली का लट्टू जलाकर दिखा दिया कि लट्टू जल गया, बिजली भी ले आएंगे। वह भी बिजली चली गई।

श्री सभापति : आप तो विषय पर चलिए।

श्री केसाराम चौधरी : हां, विषय पर बोल रहा हूं, साहब। खेतों में घरेलू विद्युत आपूर्ति करते नहीं, काट दी जाती है। इसलिए सिंगल फेस लाइट जो खेतों में घरेलू कनेक्शन लिए हुए हैं उनके लिए रखनी चहिए, नहीं तो उसका डोमेस्टिक का बिल आप किस बात का लेते हैं ? 11 के.वी. के ट्रांसफर 48 घंटे में बदल देने चाहिए, वे बदले नहीं जाते। दो-दो, चार-चार दिन काश्तकार घूमता है, खुद गाड़ी लेकर जाता है फिर कहीं जाकर बदले जाते हैं।

आठ नवम्बर को आप जोधपुर पधारे थे। उस समय हमारी जोधपुर में मीटिंग नहीं थी फिर भी मेरी तकलीफ ज्यादा होने की वजह से मैं जोधपुर गया था। वहां पर आपके अधिकारियों ने कहा था कि कोलर का जी.एस.एस. चालू हो गया है। आपके सामने कहा था। जब मुझे यह मालूम हुआ कि कोलर का जी.एस.एस. चालू नहीं है तो मैं खुद वहां जाकर देखकर भी आया हूं। वहां पर ओ.सी.बी. तो लगी हुई नहीं है, जी.एस.एस. चालू कैसे है ? ऐसी असत्य बात आपको जो आपके अधिकारी ने कही है उसके खिलाफ कार्यवाही करिए।

डा. चन्द्रभान : बिना स्वीकृति के कई बार चालू कर दिये जाते हैं।

श्री केसाराम चौधरी : तो फिर चालू कैसे है ? मंत्री महोदय, ओ.सी.बी. के बिना तो चल ही नहीं सकता जी.एस.एस.।

डा. चन्द्रभान : चलता है।

श्री केसाराम चौधरी : कैसे चलता है ? सभापति महोदय, ये मना करने को तैयार नहीं। अभी भी बता दें कि वह चल रहा है कि नहीं ?

डा. चन्द्रभान : नहीं-नहीं, ओ.सी.बी. लगनी चाहिए लेकिन ट्रांसफार्मर लगने के बाद उसको चालू कर दिया जाएगा।

श्री केसाराम चौधरी : साहब, ओ.सी.बी. लगा हुआ ही नहीं है। (व्यवधान) वहां पर है ही नहीं। चबूतरा बना हुआ है, देखकर आया हूं।

डा. चन्द्रभान : ट्रांसफार्मर नहीं है ?

श्री केसाराम चौधरी : ट्रांसफार्मर पड़ा है उससे क्या हो गया ? जी.एस.एस. तो चालू नहीं हुआ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो बता दें, सुन लिया मंत्रीजी ने।

श्री केसाराम चौधरी : बी.जे.पी. के राज में घेनड़ी और कोलर, ये दो जी.एस.एस. सैंक्शन हुए थे। कोलर में आप ओ.सी.बी. लगा देंगे तो चालू हो जाएगा मगर घेनड़ी के लिए दो साल में अभी तक तो आपकी जमीन अलाट नहीं हुई।

डा. चन्द्रभान : आप ज़मीन दिलवा दें।

श्री केसाराम चौधरी : आपने पहले पूरक प्रश्न में यह कहा था, कौन करेगा यह कार्यवाही ? आपका विभाग करेगा या कलेक्टर करेगा ?

डा. चन्द्रभान : कलेक्टर।

श्री केसाराम चौधरी : इसके साथ-साथ बी.जे.पी. के राज में एक लाख बत्तीस हजार का जी.एस.एस जोजावर में बनने वाला था, वह भी आज दिन तक अधूरा है। एक सौ बत्तीस के.वी. का जी.एस.एस. ये बना रहे हैं, अगर 33 के.वी. का जी.एस.एस. नहीं होगा तो उसको बनाने से क्या फायदा ? केसरसिंह गुढ़ा और धनलना में दो 33 के.वी. के जी.एस.एस. और स्वीकृत करने पड़ेंगे तब एक लाख बत्तीस हजार जोजाबर चालू होगा।

एक अमानत राशि के रूप में दो-दो बिल पकड़ाये हैं। ''काल में अधक मावो'' जिसे कहते हैं। एक तरफ तो अकाल और दूसरी तरफ एक बिल लाल रंग का और पकड़ाया कि सिक्योरिटी जमा कराएं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से पैसा वसूल करने के लिए व्यक्तियों को बिना सिक्योरिटी किसी व्यक्ति की पर्सनल गारन्टी पर दे सकते हैं कलेक्शन करने के लिए, तो किसान की गारन्टी किसान दे दे। या उसने दस साल या 20 साल पहले सिक्योरिटी जमा करायी, अगर उसका ब्याज भी जोड़ा जाए तो आपकी जो सिक्योरिटी होती है उससे कई गुना ज्यादा सिक्योरिटी हो जाएगी। मगर आप ब्याज देते नहीं। या तो आप हमारे से पोस्टल आर्डर ले लीजिए या सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : यह सब कैलकुलेट करके समय दे रहा हूं।

श्री केसाराम चौधरी : तो जो सिक्योरिटी का बिल दिया है वह पूरे राजस्थान में किसानों का माफ किया जाए। अगर लेना ही चाहते हैं तो आप पहले वाली सिक्योरिटी पोस्टल आर्डर या सेविंग सर्टिफिकेट से लें ताकि किसानों को ब्याज तो मिले। बिना किसी ब्याज के कहीं भी सिक्योरिटी रहती नहीं है और आप बिना पैसे ले रहे हैं। कैपेसीटर के मात्र पैसे चार्ज किये जाते हैं किसान से, 3 वी अण्डर रूट × आइ × कोस थीटा, पावर फैक्टर को और इम्प्रूव करने के लिए, कोस थीटा को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसीटर की आवश्यकता होती है और उस कैपेसीटर के पैसे चार्ज किये जाते हैं और आप कहते हैं कि बिजली की एम्पीयर बढ़ गई। बिजली की एम्पीयर बढ़ेगी, उसका पावर फैक्टर डाउन होगा तो निश्चित रूप से वी और आई का प्रपोर्शनेट है इसलिए आई बढ़ेगी। पैसे तो आपने ले लिए। किसान को दोहरी मार, पैसे भी लिए और उसका कैपेसीटर लगाया नहीं। किसी भी कनेक्शन पर कैपेसीटर लगा हुआ हो तो आप बता दीजिए। अगर आपने पैसे चार्ज किये हैं, मंत्री महोदय, और कैपेसीटर नहीं लगाते हैं तो उसके पैसे माफ कर दिये जाएं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप समाप्त करें। आपको समय दे दिया कैलकुलेट करके।

श्री केसाराम चौधरी : माननीय सभापति महोदय, बिल में देखा जाए तो दुरुपयोग राशि, कहीं आडिट का पिछला बकाया। आडिट जो की जाती है वह हर साल होनी चाहिए। पांच-पांच साल तक आडिट नहीं होती और पिछले बकाया बिल में भेज देते हैं। किसान समझता नहीं, पिछला कब का बकाया है। अगर उसका बिल खो गया तो पिछला बकाया तो भरना ही पड़ेगा। इसलिए, सभापति महोदय, यह आडिट का पैरा एक साल से ज्यादा बाकी नहीं रहना चाहिए और बाकी नहीं रहता है तो सरकार लेने का अधिकार नहीं रखती।

श्री सभापति : बढ़िया, अब आप बिराज जाओ। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : एक दो बातें और कहता हूं, साहब।

श्री सभापति : बहुत बढ़िया बात कही है। आडिट पैरा बाकी नहीं रहे। अब आप बिराज जाएं, अच्छा रहेगा। माननीय श्री जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया। (व्यवधान) वह चुप हैं, बोल ही नहीं रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी : आखिरी बात कह रहा हूं, साहब। मेरे क्षेत्र में जो भी केस सतर्कता विभाग ने बनाये हैं उनकी जांच करवाएं और जो गलत केस बनाये हैं उनका रिफण्ड दिलाना जरूरी है, वह दिलवाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत इतना ही कहकर स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यह सूत्र और मंत्र है। है तो अदृश्य शक्ति के लिए लेकिन इस वक्त मैं उसका उपयोग ऊर्जा मंत्रीजी के लिए कर रहा हूं। इसका अर्थ यह है, ऊर्जा मंत्री जी, कि मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। माननीय सभापति जी, प्रकाश दो तरह के होते हैं। एक आन्तरिक आध्यात्मिक प्रकाश, और एक ब्राह्य प्रकाश। आन्तरिक प्रकाश भक्ति, योग और साधना से उपलब्ध होता है जिसके लिए व्यक्ति स्वतन्त्र है, उसको सरकार के सामने कोई निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बाह्य प्रकाश वैज्ञानिक देन है और वह विद्युत से मिलता है, अन्य दूसरे उपकरणों से भी उपलब्ध होता है। इसलिए आज की परिस्थिति में सबसे महत्वपूर्ण पद है तो वह ऊर्जा मंत्री का है।...(व्यवधान) खमाघणा, मैं तो दो मिनट बोलस्यूं।

कल ऊर्जा मंत्रीजी ने जो उद्बोधन सदन को दिया विद्युत के सम्बन्ध में, वह वर्तमान परिस्थिति के सन्दर्भ में उपयुक्त स्टेटमैंट था उनका। कहीं तो उन्होंने कहा कि कमी है, प्रयास किया जाएगा। कहीं यह कहा है हम इसके लिए सजग हैं। कहीं यह कहा है कि हम प्रयत्नशील हैं किन्तु निश्चयात्मक कोई बात नहीं कही। यह सत्य है कि मांग के मुताबिक विद्युत उपलब्धता नहीं है और यही एक मुख्य कारण है जो आज सबको कचौट रहा है। इसके मूल में यह है कि जितनी भी सरकारें आयीं वे सब यह चाहती थीं कि विद्युत का ज्यादा से

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

ज्यादा उत्पादन किया जाए। प्रयास भी किये गये यह भी नि:सन्देह है किन्तु उत्पादन हुआ नहीं और मांग बढ़ती गई। उत्पादन हुआ नहीं मांग बढ़ती गई। इसका जो अन्तर है वह दिन प्रतिदिन ज्यादा होता गया और आज यह विषम परिस्थिति आ गई। गत दो वर्ष वर्षा का अभाव रहा और इस वर्ष भी वर्षा का अभाव है, वैसे सरकार तो यह कहती है कि सम्भावित अकाल है। मैं कहता हूं कि अकाल तो पड़ चुका। यह तो तयशुदा है। अब इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है राजस्थान में यह कोई पहली दफा अकाल नहीं पड़ा, पड़ते रहते हैं हर दूसरे-तीसरे वर्ष में और संजोग ऐसा बैठ जाता है कि जब जब भी कांग्रेस की गवर्नमैंट आती है...(व्यवधान) तब तब यह अकाल पड़ता ही है, यह संजोग है। यह संजोग की बात है। खैर, सरकार बहुत मजबूत है और इसके...

श्री देवीलाल बैरवा (शाहपुरा) : ये आपां ने अकाल पकड़ार गया। आपां नै पहल के भी जनता पार्टी वाला अकाल पकड़ार गया, ऊंकी व्यवस्था आपां करी।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं यह निवेदन कर रहा था कि वर्षा के अभाव में कुओं का पानी, माननीय सभापति महोदय, दस-पन्द्रह फ़ीट नीचे चला गया और कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति हो गई कि कुओं का पानी जीरो पर आ गया। पानी और बिजली का दामन-चोली का सम्बन्ध है। बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं होगा। इसलिए, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, इस बात के लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कार्य संभालने के बाद विद्युत उत्पादन कराने में लगन, निष्ठा और आस्था के साथ काम किया है और आंशिक सफलता भी आपको मिली है परन्तु जो मैं कह रहा हूं वह खेतसिंहजी आपको सुनने ही नहीं दे रहे। वे बहुमूल्य सुझाव निकल जाएंगे, फिर मैं नहीं कहूंगा दुबारा। फिर मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या सुझाव दिये हैं, रामो द्वयं न भाषते।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह तो हम प्रोसीडिंग्स में से ले लेंगे, वरबैटम है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : थ्हे पाछे कोनी देखो। थ्हे अबार बोलां जणां ही कोनी देखो तो पाछे थ्हे देख ल्यो, फिर आप देख लो यह भ्रम मैं पाल नहीं रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो आपके पास संकट है उससे आप डरना मत। हिम्मत रखो, सबकी बात सुनो, धैर्य के साथ, लगन के साथ उत्पादन में जुट जाओ, आपको भगवान अवश्य सफलता देगा। यह मेरा आपको आशीर्वाद है और निश्चित रूप से...(व्यवधान) समस्याओं का समाधान पलायन नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रतनगढ़ में सारी बात कहूंगा मैं। रतनगढ़ में जाकर मैं यह कहूंगा कि पूरे सदन में एक मात्र पण्डितजी ने जाकर कहा कि ऊर्जा की सारी स्थिति ठीक है और मंत्री महोदय को बहुत बहुत साधुवाद। यह बात कहूंगा मैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : आप चाहे जो कहना, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। मैं आपके कहने से नहीं घबराता और मैं किसी से भयभीत भी नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पण्डितजी, सही सही कहो। आत्मा पर यहां हाथ रखकर कह दो, मान जाऊंगा मैं। यहां हाथ रखकर कह दो, आप सही बोल रहे हो क्या।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं यदि कहीं असत्य कहूं तो आप मुझे सुधारना लेकिन सत्य कहने में मुझे कहीं भी संकोच नहीं है। ऊर्जा मंत्रीजी ने लगन से काम किया है। ऊर्जा मंत्रीजी ने ही नहीं, अशोक जी गहलोत की सारी टीम ने मेहनत करके इसको संभाला है। खजाना तो खाली था। कल तक यह रिपोर्ट आती थी हर बात के अन्दर कि वित्त नहीं है, वित्त नहीं है। तो आपको याद होगा...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : बुढ़ापा सुधार रहे हैं, बुढ़ापा सुधार रहे हैं। मानों आप, कोई कमिटमैंट हुआ है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : जारी रखूं क्या ? घंटी बजी तब मैं बैठ गया। अशोक गहलोत सरकार के जितने भी मंत्री हैं, ईमानदारी के साथ सब काम पर लगे हुए हैं, मैं इनको सलाह देता हूं कि समस्याओं से पलायन करना समाधान नहीं है। अभी आपके साथ, ऊर्जा मंत्रीजी, जो समस्या है वह मुझे मालूम है। आपको सब सदस्य भय दिखा रहे हैं, किसान खड़े हैं, किसान बैठे हैं, सबकी पीड़ा को हम समझ रहे हैं। अभी किसान इसलिए आए हैं, इसमें मूल कारण यह है कि अभी रबी की बुवाई का समय है और इस वक्त यदि उनको बिजली नहीं मिलेगी तो रबी की बुवाई नहीं हो सकेगी। रबी की बुवाई नहीं होने से देश का, प्रान्त का जो उत्पादन है वह कम होगा तो यह राष्ट्रहित में नहीं होगा। इसलिए मेहरबानी करके कोई न कोई रास्ता निकाल कर आप कुछ समय के लिए अतिरिक्त बिजली इन लोगों को जरूर दें। जो नलकूप वाले किसान हैं उनको जरूर बिजली दें। आप यहां क्यों चिंता कर रहे हैं, बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। एक दिन राजस्थान ऐसा हो जाएगा, जैसे पंजाब मुफ्त में दे रहा है वैसे ही आप भी मुफ्त में देओगे। मैं इसी मंगल भावना के साथ आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और कहता हूं कि घबराना नहीं, पीठ आपकी कमजोर नहीं है। पीठ आपकी कमजोर नहीं है, 153 हैं, जो चाहोगे वही कर देंगे। मेरी बिलकुल इच्छा नहीं थी, आज भी मैं नहीं समझ सका हूं कि यह बोर्ड से आपने निजी कम्पनियों को क्यों दे दी। मैं नहीं समझ सका हूं इसको। यह भी मानता हूं कि आपके सामने कोई भयंकर संकट था और संकट था अर्थ का। आपके पास जुटा नहीं इसलिए आपने दूसरों को दे दी यह तो जरूर है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कम्पनियां सेवा के लिए नहीं आई हैं, कम्पनियां आई हैं लाभ के लिए। प्रइवेट सैक्टर लाभ के लिए काम करता है। सेवा का कार्य है सरकार का। (व्यवधान) आप बाहर जाओग तो हमको कुछ नहीं कहना जाओ-जाओ, मेरी इजाजत है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन-

(श्री महेश जोशी)

का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, सारी रात का एक साथ बढ़वा लो आप चाहे, बाहर तो कोई जाने देगा नहीं। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हां तो मैं कम्पनियों के लिए आपसे निवेदन कर रहा था।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, क्या हो रहा है ? सत्तापक्ष के विधायकों को खतरा हो रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सत्ता दल के माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं, कैसे हालात हैं, सभापति महोदय, बाहर कोई जा नहीं सकता। (व्यवधान) वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं कि बाहर जाना चाहता हूं, व्यवस्था करवाओ। आप आसन पर बिराज रहे हैं कोई व्यवस्था करें।

श्री सभापति : आप चिन्ता मत करो, सब व्यवस्था हो जाएगी। एक घंटे के लिए बढ़ा दिया।(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सबसे ज्यादा चिंता, माननीय सभापति महोदय, सत्ता पक्ष के विधायकों को हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इशारे में जो आप बात कह रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय संसदीय मामलात मंत्री बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : हमको चिंता नहीं है, सत्तापक्ष के विधायकों को हो रही है। पांच विधायकों की तो पहले पिटाई हो चुकी। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): आपके नेता महोदय ने स्वयं ने कहा कि 8 बजे तक डिबेट चलनी चाहिए, 8 बजे तक डिबेट चलेगी। आपको जाने की बाकायदा व्यवस्था है, आराम से जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके दल के वरिष्ठ सदस्य बाहर जाना चाहते हैं और जा नहीं पा रहे हैं। यह वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं, व्यवस्था कराओ।

श्री सावंर लाल : आपके सदस्यों की करिये व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : सुनिये, चूरू से आने वाले माननीय विधायक, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। आप जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, पर मैं समझ रहा हूं आपकी बात को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपके चरण स्पर्श भी करता हूं पर एक काम करना पड़ेगा आपको कि टोपी उतार करके जाना पड़ेगा। टोपी देखते ही बाहर वाले खड़े हैं तैयार। इतनी कृपा करना।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके साथ नहीं जाना है, ये दिन-दिन में ही जाने योग्य हैं। सायंकाल में इनके साथ नहीं जाना, मेरे साथ चलना आप।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : माननीय सभापति महोदय, सबको घंटी बजा कर बैठाना पड़ा। मैं आपको कष्ट नहीं दे रहा हूं घंटी बजाने का, स्थान ग्रहण करता रहा हूं।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जनता और मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र की जनता की ओर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के प्रति आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को और आदरणीय ऊर्जा मंत्रीजी को।

सभापति महोदय, मैं अजमेर जिले के अन्दर मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के गोटा बनाने वाले मजदूरों की तरफ ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, गोटा बनाने वाले गरीब मजदूर घरेलू उद्योग में गोटा के अन्दर जरी का काम करते हैं, किनारी बनाने का काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बावजूद मात्र 50 रुपये, 60 रुपये मजदूरी होती है। गोटा बनाने के लिए जो घरेलू उद्योग लगा रखा है उसमें मात्र क्वार्टर हार्स पावर की मोटर लगी होती है, लेकिन उस घरेलू उद्योग के अन्दर एन.डी.एस. की दर से बिल आता है। लगातार 15-16 साल से एन.डी.एस. की दर से बिल भेजा जा रहा है। वर्तमान आर्थिक युग के अन्दर मजदूरों की मजदूरी बढ़ी नहीं। उद्योग के अन्दर सामग्री की निरन्तर बढ़ती हुई दर के कारण से मजदूरों को मजदूरी उतनी ही मिलती है, लेकिन बिजली का बिल ज्यादा देने की वजह से उनकी मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले के अन्दर एस. ई. महोदय के नेतृत्व में बैठक होती है, उस बैठक के अन्दर जब इस बात का खुलासा किया गया तो उसके अन्दर एक परिपत्र निकाला गया। उस परिपत्र के अनुसार घरेलू दर के बाद में एन.डी.एस. की दर से बिल ले रहे हैं। बीच में एस.आई.पी. की स्लैब रेट है उसको नजरन्दाज करके लगातार 15 साल तक उन मजदूरों का जो शोषण किया गया है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं।

(18.59 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

एस.आई.पी. स्लैब रेट के अन्दर गोटा किनारी का काम अंकित है जिसके कारण से घरेलू उद्योग धंधों में एन.डी.एस. की दर से बिल न लेकर एस.आई.पी. की दर से बिल लेना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले के अन्दर कम से कम 50-60 हजार आदमी गोटा किनारी का काम करते हैं जिनको 15-16 साल से आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसका पिछले महीने खुलासा हुआ कि घरेलू दर के बाद में एस.

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

आई. पी. दर से इनका बिल आना चाहिए था, लेकिन एन.डी.एस. की दर से वसूल किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 15 साल का एरियर निकाल कर मय ब्याज के अजमेर जिले के जो गोटा मजदूर लोग हैं उनको रिफण्ड किया जाए और जिन लोगों ने डायरेक्ट एन.डी.एस. के कनेक्शन लिये हैं उनको वापस एस.आई.पी. में कन्वर्ट किया जाए। जिनके घरेलू कनेक्शन हैं उनको एन.डी.एस. से हटा करके एस.आई.पी. में कन्वर्ट कर दिया जाए। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। अजमेर जिले के अन्दर सरवाड़, रामसर, भिनाय के अन्दर हजारों लोग गोटा किनारी का काम करते हैं।

(19.00 बजे)

अजमरे जिले को औद्योगिक दृष्टि से ''ए'' श्रेणी में रखा गया है लेकिन विद्युत आपूर्ति के नाम पर रीको इण्डस्ट्रियल एरिया के अन्दर या उसके अलावा भी वहां जितने भी लघु उद्योग लगे हुए हैं, जो चाहे एस.आई.पी. कैटेगरी में हो, चाहे एल.टी. कनेक्शन हों, चाहे एच.टी. हों, कट लगा-लगा कर अजमेर जिले को जितनी आपूर्ति मिलनी चाहिए वह उस जिले को आपूर्ति नहीं मिल पा रही है जिसके कारण से अजमेर के तमाम उद्योग रुग्ण इकाइयां बनकर रह गये हैं। इसके अंदर लापरवाही की वजह से, बार-बार कट लगने के कारण से हमारा कंजम्पशन लोड बढ़ नहीं पाता है, जिसके कारण से दूसरे जिलों को विद्युत आपूर्ति ज्यादा मिल रही है और अजमेर ज़िले को आपूर्ति कम मिल रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अजमेर में इस कट को थोड़ा काटकर विद्युत आपूर्ति को बढ़ाया जाए ताकि अजमेर जिले को विद्युत का कोटा बढ़ सके और अजमेर जिले की ए श्रेणी बरकरार रह सके।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में या अजमेर जिले में है, विद्युत कनेक्शन के डिमाण्ड नोटिस जारी हो गये हैं लेकिन विद्युत कनेक्शन मैटीरियल के अभाव में नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग बैठकर अंदर बात करते हैं तो वे यह कहते हैं कि लेबर कांट्रेक्ट पर हम लोग काम करवाएं लेकिन मैटीरियल अवेलेबल नहीं है। दूसरी जितनी भी राज्य सरकार के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाएं हैं, तमाम संस्थाएं विद मैटीरियल लेबर कांट्रेक्ट बेस पर अपना कार्य करवाती हैं, लेकिन आर.एस.ई.बी. ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो केवल लेबर कांट्रेक्ट पर अपना काम कराता है। तो मेरा निवेदन है और सुझाव भी है कि अगर इसको विद मैटीरियल कांट्रेक्ट बेस पर दे दिया जाए तो सारे विद्युत कनेक्शन हो सकेंगे। डिमाण्ड नोट जमा हो जाते हैं तो पता चलता है कि मीटर अवेलेबल नहीं है या ट्रांसफार्मर अवेलेबल नहीं है या इन्सुलेटर अवेलेबल नहीं है। जिसको भी कांट्रेक्ट बेस पर दिया जाए उसके साथ में एक एग्रीमेंट बन जाए कि जो भी मैटीरियल लगाएंगे वह आई.एस.आई. मार्क लगेगा तो मैं समझता हूं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रफ्तार के साथ में जितने भी बकाया कनेक्शन हैं वे लग पाएंगे।

साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के अंदर 16 मेगावाट बिजली देने का लगातार सिस्टम चला आ रहा है। उसके अंदर वर्तमान समय में 8 मेगावाट ही बिजली मिल पा रही है जिसमें से भी 6

(श्री बाबूलाल सिंगारिया)

मेगावाट अजमेर जिले के अंदर बीसलपुर से पेयजल आपूर्ति के कारण फिल्टर प्लांट को चली जाती है। इसलिए मात्र दो मेगावाट से केकड़ी उपखण्ड के अंदर वर्तमान में बिजली दी जा रही है। उसके अंदर भी शाम के समय 6 बजे के बाद लाइट की कटौती हो जाती है। सभापति महोदय, इसलिए मैं चाह रहा हूं आपके माध्यम से, आदरणीय मंत्रीजी के माध्यम से कि मेरे केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में समय सारणी फिक्स कर दी जाए कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक लाइट की कटौती होगी। यह तो संकट पूरे राजस्थान का है लेकिन समय सारणी निश्चित हो जाए। पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर या पंचायत समिति के पदेन सचिव या पटवारी के माध्यम से हर गांव के अंदर जहां ग्राम पंचायत मुख्यालय को मिनी सचिवालय घोषित कर दिया गया है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ग्राम पंचायत मुख्यालय खुलता है, वहां पर इस समय सारिणी की रोज न्यूज चली जाए तो मैं समझता हूं किसान को आसानी रहेगी कि इतने घंटे हमको पावर मिलेगा। उसके अनुरूप वह अपनी फसल की बुवाई कर सकता है, फसल में पानी पिलाई कर सकता है।

मेरा निवेदन साथ ही साथ में है कि 16 मेगावाट केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में जो कोटा फिक्स कर रखा है वह भी अभी कम है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कोटे को बढ़ाकर 25 से लेकर 28 मेगावाट करें। कारण कि केकड़ी विधान सभा क्षेत्र और केकड़ी उपखण्ड के अन्तर्गत सरवाड़ नगर पालिका क्षेत्र और केकड़ी नगर पालिका क्षेत्र है और वह बहुत बड़ा उपखण्ड है जो आने वाले समय में कभी भी जिला बन सकता है। ऐसी अवस्था में 25 से लेकर 28 मेगावाट इसका कोटा फिक्स करना चाहिए। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि शाम के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट में कटौती नहीं करें, कम से कम सिंगल फेस तो दिया जाए ताकि आने वाले समय के अंदर परीक्षार्थी सिंगल फेस के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अपनी पढ़ाई कर सकें।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि समय सारणी फिक्स करें उसी प्रकार से पावर कट किया जाए। साथ ही साथ गोटा मजदूरों के लिए जो एरियर निकाला है, यह 15-16 साल का एरियर निकालकर मय ब्याज के उन मजदूरों को वापस लौटाया जाए। किन अधिकारियों कर्मचारियों की वजह से घरेलू दर के साथ एन.डी.एस. के बिल जारी कर दिये गये हैं, जबकि उसके बीच में एस.आई.पी. का स्लैब रेट आना चाहिए ? यह गलती अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से हुई है; उनके ऊपर भी सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिए, तब जाकर मैं समझता हूं कि मजदूरों के साथ में न्याय हो पाएगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय धर्मपाल जी चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय सभापति महोदय, आज मेरे से पहले भी माननीय सदस्यों ने बिजली के बारे में अपनी मांगें रखी हैं। मैं अपने जिले की बात करता हूं। हमारे पूरे जिले में सरसों की बुवाई, चने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

की बुवाई सबसे ज्यादा होती है, लेकिन किसान को तीन घंटे भी बिजली नहीं मिली। जो बिजली मिली वह भी एक साथ तीन घंटे लगातार नहीं मिलती है। कई-कई बार तो 10-10 मिनट के बाद ही बिजली चली जाती है। सरसों की आधी भी बुवाई नहीं हो सकी है। आने वाले समय में गेहूं की बुवाई होनी है और अलवर जिला और भरतपुर जिला पैदावार के अंदर सबसे अग्रणी हैं। माननीय मंत्री महोदय सदन में और बाहर भी रोज घोषणा करते हैं कि हम रबी की फसल पर किसान को आठ घंटे बिजली देंगे। आज जिस ढंग से किसानों ने इस विधान सभा को घेर रखा है, ऐसे ही जगह-जगह आंदोलन हो रहे हैं जिले में। अगर किसान के लिए अभी भी सरकार ने नहीं सोचा और किसान को आगे आठ घंटे बिजली नहीं दी तो कानून-व्यवस्था की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। आज यह वातावरण बन रहा है कि जिन जगह सिंचाई के लिए पानी है, आज अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, झुंझुनूं, सीकर में कुओं में पानी है,उनसे सिंचाई होकर पैदावार हो सकती है और इन जिलों में अकाल को टाला जा सकता है। यहां से जो पैदावार होगी सरकार को उस पर टैक्स भी मिलेगा और मजदूर को मजदूरी मिल जाएगी, किसान को उसकी पैदावर मिल जाएगी। अगर यह पैदावार नहीं हुई,अकाल पड़ा तो सरकार को बाद में भी बिजली पर आज खर्च किया जाने वाला पैसा अकाल राहत के लिए खर्च करना पड़ेगा। इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है आपके द्वारा कि जो यह आठ घंटे या छह घंटे की बात करते हैं कि छह घंटे बिजली दें, किसान को, लेकिन लगातार बिजली दें जिससे किसान अपनी रबी की बुवाई कर सके।

दूसरा, हमारे यहां जो कनेक्शन हैं सन् 1987 के हैं। मार्च, 1987 के कनेक्शनों के लिए पूरे जिले में डिमाण्ड नोट जमा करा दिये। लोगों ने मार्च, 2000 में ही अपने पैसे जमा करा दिये। लाखों रुपया उसमें जमा हुआ। किसान ने आशा लगाई कि उसको बिजली मिलेगी। इसी आशा से पैसे जमा कराये। लेकिन आज तक उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिले हैं। उसके बाद में ये कहते हैं कि एक अप्रैल से हमारी नई रेट आ गई। खम्भों के और दूसरे चार्जेज लगाकर उनको एडीशनल डिमाण्ड नोट दे रहे हैं और चक्कर लगवा रहे हैं। इस बारे में भी मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अब फसल का टाइम है, उन लोगों को बिजली के कनेक्शन दिलवाने की मेहरबानी करें।

दूसरा, हमारे यहां मण्डावर में पिछले 6 महीने से विद्युत विभाग की सरकारी गाड़ी खराब पड़ी है। आज कोई भी ट्रांसफार्मर जल जाता है तो विभाग के पास कोई साधन नहीं है अलवर से ट्रांसफार्मर लाने के लिए। किसान कई दिनों तक चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन अंत में या तो किसान को किराया देना पड़ता है या खुद जाकर उनको ट्रांसफार्मर अलवर से लाना पड़ता है।

पूरे जिले में जो तार हैं वे ढीले पड़े हुए हैं। हमने पिछले दो साल से लगातार मीटिंग के अंदर सभी विभागों के अधिकारियों से बातचीत की कि इन ढीले तारों को खिंचवाया जाए जिससे दुर्घटना नहीं हो। इन ढीले तारों की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

वजह से जिले में कई लोग मर चुके हैं, कई जानवर मर चुके हैं लेकिन विभाग के अधिकारियों ने आज तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि राजस्थान के जिन जिलों में पानी की कमी नहीं है उनको अन्य जिलों के साथ नहीं जोड़ा जाए। वहां पर बिजली की व्यवस्था पूरी की जाए जिससे राजस्थान में जो भयंकर अकाल पड़ने जा रहा है उससे राजस्थान का किसान और मजदूर बचा रह सके। आपने मुझे यहां बोलने का समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री समरजीत सिंह, (अनुपस्थित) श्री श्रवण कुमारजी।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी) : माननीय सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी ने जो डिस्ट्रीब्यूशन के साधन बढ़ाए हैं उनके लिए उनको धन्यवाद। लेकिन अबकी बार 50 साल के अंदर पहली बार दीपावली अंधेरे में मनानी पड़ी, इस बात का हर व्यक्ति को दुःख है। 1980 के बाद संसाधन बढ़ाये गये हैं, जगह-जगह 33 के.वी. के जी.एस.एस. लगाये हैं, 120 के.वी., 32 के, 220 के, 132 के लगाये गये हैं, लेकिन 1980 के बाद से एक भी अपाइन्टमैंट नहीं बढ़ा है, यह बड़ा शोचनीय विषय है। बीस साल में बहुत सारे कर्मचारियों ने रिटायरमेंट भी लिया होगा, कम्प्लसरी रिटायर भी हुए होंगे, बिजली जैसे भयानक स्थान पर जल कर मरे होंगे परंतु उसके बाद भी आज तक कोई नया अपाइन्टमैंट नहीं किया गया है। अपाइन्टमैंट नहीं बढ़ाया है, संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। कहीं अगर किसी किसान की लाइन ढीली हो जाती है, टूट जाती है तो पांच दिन तक कोई लाइनमैन नहीं पहुंचता है, लाइनमैन बहुत कम हैं। हर वर्ष 25-30 हजार कनेक्शन दिये जाते हैं, एक भी अपाइन्टमैंट नहीं बढ़ाया है। सबसे पहले मैं इस बात की सलाह सरकार को दूंगा कि अपाइन्टमैंट बढ़ाया जाए।

पूर्व में बी.जे.पी. सरकार ने आठ साल में पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर करवाये, पत्थर लगवाये, परन्तु एक भी जनरेट करने का संसाधन नहीं बढ़ाया। इस बात का खामियाजा आपकी सरकार को भुगतना पड़ रहा है, इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए कम से कम 6 वर्ष लगेंगे। किसान को अकाल की चपेट से बचाने के लिए आपने एक बात कही है कि 180 करोड़ रुपये हमने निकाल रखे हैं और पंजाब और हिमाचल से दो रुपये पैंतीस पैसे यूनिट तय हुआ था, सरकार ने उसे बढ़ाकर दो रुपये सत्तर पैसे कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि दो रुपये बासठ पैसे की मंशा है। आठ पैसे के लिए क्रशिंग हो रही है किसान की। दो रुपये बासठ पैसे में आठ पैसे और दे दो, फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन एक महीने बाद आप दो रुपये अस्सी पैसे भी देंगे तो किसान को फायदा नहीं होने वाला है। इनकी मंशा आठ घंटे देने की थी। एजेण्डे में घोषणा कर दी कि आठ घंटे बिजली देंगे, आज तक चार घंटे से ऊपर नहीं दी है, कहीं पांच घंटे, कहीं छह घंटे। इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने के साधन तो बढ़ा दिये, जगह जगह जी.एस.एस. लगा दिये लेकिन जनरेट करने के साधन अभी नहीं बढ़े हैं। जब तक जनरेट करने के साधन नहीं बढ़ेंगे तब तक

(श्री श्रवण कुमार)

बिजली की अव्यवस्था बनी रहेगी। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो बिजली खरीदने जा रहे हैं उसको तत्काल खरीदें और किसान को आठ घंटे बिजली देने में सक्षम बनें। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने एक महीना किसान को खुश करने के लिए आठ घंटे बिजली दे दी, वह अपनी बुवाई कर चुकेगा। लेकिन जब उसका खेत जलेगा तो किसान रोयेगा और रोता हुआ किसान कुछ भी कर सकता है। यदि उसका खेत लहलहाएगा तो खुश होगा, लेकिन यदि किसान को 31 मार्च तक आठ घंटे बिजली नहीं देंगे तो इसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। मेरा अनुरोध है कि 31 मार्च तक की प्लानिंग बनाकर बिजली देने की मंशा बनाएं। अगर उससे कम होगी तो किसान मरने-मारने पर उतारू हो जाएगा। आज भी यही हालात हैं। मैं सुबह कह रहा था कि आज बहुत सारे किसान आये हैं। बिजली की भारी समस्या है, किसान अकाल से जूझ रहा है। आज पानी का स्तर दिन-प्रति दिन नीचे जा रहा है। राजस्थान सरकार का सबसे पहला कदम, मैं हटकर बोल रहा हूं, झुंझुनूं, चूरू और सीकर तीन जिले ऐसे हैं, अगर यहां नहर नहीं आई तो पानी के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए मैं साथ में कहना चाहूंगा कि नहर से छोटे-छोटे प्लांट्स लगाकर बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने के अच्छे साधन बनाए जाएं जिससे किसानों को बिजली मिल सके।

आपने दो साल पहले भण्डारी साहब की सलाह पर बनाया कि पता नहीं किसकी सलाह पर बनाया कि जे. ईएन. और ए. ईएन. जिले में नहीं रहेंगे तो भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। पर मुझे तो ऐसा कहीं लगा नहीं कि भ्रष्टाचार दूर हो गया। जब पी.एच.ई.डी. में भ्रष्टाचार हो सकता है, पी.डब्ल्यू.डी. में भ्रष्टाचार हो सकता है, पुलिस में भी है तो आर.एस.ई.बी. में भी हो सकता है। भ्रष्टाचार को दूर करने की आपकी मंशा तो थी पर आपको सही दृष्टिकोण नहीं मिला। जिस ए. ईएन. को, जे. ईएन. को इस बात का डर था कि मेरा कहीं ट्रांसफर न हो जाए, आपने वही कर दिया। इसके बाद भय तो निकल गया, पैसा क्यों नहीं खाएगा ? आपका सोच था वह तो सही था लेकिन सही इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए मैं भण्डारी साहब के स्थान पर आये सामंत साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस परिपाटी को हटाकर पुनः पुरानी वाली परिपाटी कायम करें। सामंत साहब झुंझुनूं जिले के कलेक्टर रहे हुए हैं, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि जिस तरह उन्होंने झुंझुनूं जिले को प्यार दिया था उसी तरह राजस्थान में भी बिजली के मामले में सुधार करेंगे और किसानों की कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे।

आज जगह-जगह ढीली लाइनें पड़ी हैं, कोई भी लाइन जब टूट जाती है तो कोई जाता ही नहीं है। इसका खामियाजा किसान को भुगतना पड़ रहा है। कई जगह ऐसी लाइनें हैं कि बसों पर बैठी सवारियों से टच हो जाती हैं और आदमी मर जाता है। इसलिए मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि जब तक एल.टी.एस. स्कीम को लागू नहीं किया जाएगा तब तक किसान की समस्या बनी रहेगी। 15 और 20 साल पुराने कनेक्शन, 100 के ट्रांसफार्मर 10 हो गये, 63 में 6 हो गये, 40 में 4 हो

(श्री श्रवण कुमार)

गये, 25 में 3 हो गये, इस तरह की एल.टी.एस. स्कीम में 25 और 40 के ट्रांसफार्मर की आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि एक आदमी पैसा जमा करवाने में सक्षम नहीं होता है तो 9 आदमियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जला हुआ ट्रांसफार्मर तब तक रहेगा जब तक 9 आदमियों का पैसा जमा नहीं हो जाए। 9 आदमी पैसा जमा करवा दें लेकिन एक आदमी का पैसा बकाया है तो ? इसलिए इस सरकार को एल.टी.एस. स्कीम को लागू करके छोटे रूप में इसको बढ़ाना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

घंटी क्यों बजा रहे हैं ? बाहर जाने ही नहीं देंगे, आपको यहीं रहना पड़ेगा तो बोलने दो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी लोगों को बोलना है इसलिए समय सीमा 10 मिनट की है।

श्री श्रवण कुमार : 20 से लाकर 10 कर दिया।

श्री सभापति : यह पहली वार्निंग बैल है।

श्री श्रवण कुमार : आपकी फ्लाइंग कुओं पर जाकर मीटर लगाकर चैक करती है, साढ़े बारह हार्स पावर की मोटर होती है उसको 20 हार्स पावर की मोटर शो कर देते हैं और उसकी वी.आर. भर लेते हैं। भरने के बाद बोलते हैं कि तुम्हारी मोटर तो यहीं बोल रही है। अगर उसको खुश कर दिया जाए तो साढ़े बारह भी हो सकता है वरना 20 भी हो सकता है। इसलिए सरकार को इस व्यवस्था को किसान को मारने के बजाय जिंदा रखने वाली करनी चाहिए। मेरा सभी अधिकारियों से, मंत्रीजी से निवेदन है कि इस व्यवस्था में सुधार करें और किसानों पर जो दोहरी मार पड़ रही है उससे उनको बचाया जाए।

गांवों में एजुकेशन का अभाव है, पैसे वालों के बच्चे तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में पढ़ते हैं, गरीब का बच्चा गांव में झोपड़ी में पढ़ता है और शाम के समय अंधेरे में रहता है। अंधेरे में ही सोता है और अंधेरे में ही जागता है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि दोहरी नीति न अपनाएं। शहर में रात को लाइट रहती है लेकिन गांवों के बच्चे लाइट को कभी देख नहीं पाते हैं। इसलिए शाम को 7 से 10 बजे तक बिजली देने की व्यवस्था करायी जाए। यह व्यवस्था शहरों में भी है और बड़े शहरों में तो कभी जाती नहीं है। तो झोपड़ी में रहने वाले आदमी को इस व्यवस्था से फायदा मिलना चाहिए और कम से कम तीन घंटे शाम को 7 से 10 बजे तक बिजली दिलायी जानी चाहिए।

श्री सभापति : काफी मैटीरियल बातें कह दी हैं माननीय श्रवण कुमार जी, बिराजें।

श्री श्रवण कुमार : माननीय सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब कंपनियों को यहां सरकार एडाप्ट कर रही थी तब मैंने इस सीट पर से आप देख रहे थे, चौहान साहब, विरोध किया था और मैंने यह बात कही थी कि चंद्रभानजी, राजस्थान के काला टीका निकलेगा। आज यह काला टीका सिद्ध हो रहा

(श्री श्रवण कुमार)

है। आपको मालूम है कि किसान जो रात के 10 बजे चला था, अभी तक गेट पर भूखा बैठा तड़प रहा है। इन कंपनियों के बारे में 12 महीने के बाद आपको पूरा मालूम हो जाएगा जब कंपनियां आपको गांठेंगी नहीं। जवाब देने के लिए मंत्री खड़ा रहेगा, पर कंपनी वाले उनसे बात भी नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में कंपनियां बनी थीं, लेकिन सरकार ने उसको एडाप्ट नहीं किया। हरियाणा में चौटालाजी ने वापस कर दिया, विथड्रा कर लिया। उसी तरह से राजस्थान सरकार को भी चाहिए कि किसानों पर दोहरी मार जो हो रही है उससे बचाने के लिए कंपनियों से पिंड छुड़ाएं और दामन को पीछे हटाएं।

नम्बर तीन, एक बात और कहना चाहता हूं। राजस्थान में किसान के एक हार्स पावर पर साढ़े बारह हजार रुपये जमा किये थे, ट्रांसफार्मर के पैसे और कहा था कि दो साल के बाद में चारा योजना को भी पहले वाली जनरल स्कीम में लागू कर देंगे। लेकिन आज उसको जनरल की बजाय जो पैसा बिल में करना चाहिए था वह काटना बंद कर दिया है और एक पीछे की स्कीम बनाकर सिक्योरिटी के बिल और आने लग गये हैं। आज किसान इस स्थिति में नहीं है कि वह बिल भी जमा करा सके और सिक्योरिटी भी जमा करा सके। आज अकाल की भारी स्थिति को देखें तो राजस्थान के बाड़मेर से लेकर लुहारू तक एक ही स्थिति है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस स्थिति से निपटने के लिए सजग और जागरूक रहकर किसान को आठ घंटे बिजली दें। बिजली देने के साथ में मानस बनाएं कि 31 मार्च तक बिजली इसी रूप में दी जाएगी और जिस रूप में देने का इनका मानस है उसी की यहां घोषणा करें। अगर छह घंटे देने की है तो छह घंटे 31 मार्च तक दें, आठ घंटे देने की है तो 31 मार्च तक आठ घंटे दें। यह नहीं कि दिसम्बर तक तो आठ घंटे दे देंगे, जनवरी में चार घंटे देंगे, फरवरी में चार घंटे देंगे और मार्च में फिर दो घंटे कर देंगे। इससे किसान पर दोहरी मार हो जाएगी। आज खाद कितना महंगा होता है, बीज कितना महंगा होता है, ट्रैक्टर से बुवाई का कितना भारी खर्चा पड़ता है ? इस स्थिति से किसान बड़ा दुःखी है। एक तरफ तो सैण्ट्रल गवर्नमैंट ने डीजल का भाव बढ़ा दिया, कैरोसिन का भाव बढ़ा दिया, गैस का भाव बढ़ा दिया। किसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय बी.जे.पी. सरकार ने किया है। बाजरे का भाव 300 रुपये, गेहूं का भाव 500 रुपये और सरसों का भाव 990 रुपये, खल का भाव एक हजार रुपये। आज तेल विदेशों से मंगाया जा रहा है। किसान की स्थिति यह हो गई कि जो फसल में प्राप्ति होती है उसका ब्याज भी नहीं आता है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि किसान की कमर टूट गई है, इसको पुनः जागृत करने के लिए आठ घंटे बिजली दें। सैण्ट्रल गवर्नमैंट ने तेल बाहर से मंगाकर किसान की सरसों की फसल मिट्टी में मिला दी है। इसको पुनः जागृत करें। सरसों कम से कम दो हजार रुपये बिके, गेहूं कम से कम एक हजार रुपये बिके तब किसान की माली हालत ठीक हो सकती है।

श्री सभापति : माननीय जीतमल जी।

श्री श्रवण कुमार : इन्हीं शब्दों के साथ मैं सामंत साहब को पुनः निवेदन करना चाहूंगा

(श्री श्रवण कुमार)

कि बिजली बोर्ड की बिगड़ी स्थिति को आप सुधारें और किसान की माली हालत को ठीक करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं। जय हिन्द्।

श्री सभापति : माननीय जीतमल जी।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : माननीय सभापति जी, हमारे ऊर्जा मंत्रीजी जिन्होंने विद्युत सुधार कार्यक्रम राजस्थान में लागू करने के लिए अपना एक साहसिक कदम उठाया है, उनकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं। अभी सदन में हमारे माननीय सदस्य महानुभावों ने काफी अच्छे सुझाव सदन के सामने रखे हैं। मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि हम उस इलाके के रहने वाले लोग हैं जो राजस्थान का दक्षिणी भाग है जहां बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ जिले आते हैं, जहां पर 90 परसेंट जनजातीय लोग निवास करते हैं और भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जिसे जनजाति उपयोजना क्षेत्र घोषित कर रखा है। आज 50 वर्षों के बाद भी उस इलाके के अंदर 100 में से 60 फीसदी गांव ऐसे हैं जहां हमें मात्र खंभे और तार ही देखने को मिलते हैं। 20 परसेंट गांवों को पूर्ण रूप से विद्युतीकृत कर दिया गया है, वहां लाइनें खींची गई हैं, खंभे खड़े कर दिये गये हैं लेकिन आज भी वहां उजाला नहीं है। 60 परसेंट गांव तो ऐसे हैं जहां मात्र खंभे जमीन पर पड़े हुए हैं, वायर जमीन पर पड़े हुए हैं। मुश्किल से 20 परसेंट गांवों को उजाले की किरण दिखायी दी थी। लेकिन हमारे माननीय सदस्यों के सुझाव सुनकर, उनकी आत्मकथा और व्यथा को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वास्तव में 50 साल पुरानी हमारे पूर्वजों की जो कथा सुनी थी कि दीये के अंदर पैदा हुए थे, दीये को देखकर हमने पूरा समय निकाला और दीया देखकर हमने अपना जीवन खतम कर दिया, वह बात सही हो रही है।

मैं इस मौके पर, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से हमारे ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि 29 जून को उदयपुर संभाग के अंदर समाज कल्याण मंत्रीजी और भेड़ व ऊन मंत्रीजी ने, उनको भी एडीशनल चार्ज दिया हुआ है, तमाम टी.एस.पी. एरिया में आने वाले विधायकों की बैठक ली। इस बैठक में माननीय बैरवा साहब पधारे थे, उनकी अध्यक्षता में यह फैसला हुआ कि इस बार दक्षिणी अंचल के जिलों को 112 करोड़ रुपया हम देंगे और जो 112 करोड़ दिया जाएगा टी.एस.पी. एरिया के जिलों को उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वहां के किसानों को बिजली मुहैया कराने के लिए दी जाएगी। मीटिंग जून में हुई थी, हमारे मंत्रीजी बिराजे हुए थे, काफी अच्छी लोकप्रिय घोषणा हुई थी और हमने भी आपकी बातों को हमारे मन व मस्तिष्क में उतारा था। हमें ऐसा एहसास हुआ था कि इस बार हमें 112 करोड़ रुपया मिलेगा और हमारे ग्रामीण इलाकों में जहां ढाणी और मजरों के अंदर हम अब तक दीये की जिंदगी जी रहे हैं उसमें हमें बिजली की किरण मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्यवंश हमारे सामने यह देखने को मिलता है कि 112 करोड़ की बजाय हमें 12 करोड़ रुपये भी अब तक उस इलाके के विकास के लिए नहीं मिला। ऊर्जा मंत्रीजी अभी हमारे बीच में नहीं हैं, वे किसानों की बात को सुनने के लिए बाहर पधारे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ

(श्री जीतमल खांट)

कह सकता हूं कि चाहे राजस्थान का बांसवाड़ा जिला हो, डूंगरपुर हो, या प्रतापगढ़ हो, नि:शुल्क जितने भी घरेलू कनेक्शन थे, एक भी कनेक्शन नहीं लगा है। जहां सरकार का अपना मामला आता है विद्युत विभाग के मामले में मंत्रीजी कहते हैं कि हमने इतनी मेगावाट बिजली यहां बढ़ा दी, यहां इतनी खरीद ली। मैं इस मौके पर यहां यह कहना चाहता हूं कि गई-गुजरी बातों को पीटने से तो कुछ होना-जाना नहीं हैं। मेरे जिले में और डूंगरपुर जिले में पिछले साल एक सामूहिक समस्या थी, अभी भी हम काश्तकारों के सामने जो खड़ी है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर को दो डैमों का पानी घेरकर खड़ा रहता है कडाना का बैक वाटर और दूसरी तरफ माही का बैक वाटर आता है, काश्तकार वहां पर लिफ्ट योजना लगाकर या कनेक्शन लेकर अपनी सिंचाई करता है। लेकिन पिछले दो साल से हम देख रहे हैं कि नदी और नाले पूरे के पूरे खाली पड़े हुए हैं, काश्तकारों ने वहां पर कनेक्शन ले रखा था, अधिकारियों ने अपनी मुस्तैदी के साथ में उन कनेक्शनों को नहीं काटा। अब मिनिमम चार्ज उन कांश्तकारों के ऊपर इतना चढ़ गया है कि आज की तारीख में उस मिनिमम चार्ज की भरपाई करने के लिए उन काश्तकारों को अपना घर-बार सारा बेच देना पड़े तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे मंत्रीजी नहीं हैं, लेकिन राठौड़ साहब बिराजमान हैं, मैं स्पेशल आपसे कहना चाहूंगा कि इस बिन्दू को आप नोट करें और मंत्रीजी को कहें। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के काश्तकारों ने माही और कडाना के बैक वाटर से काश्त की है लेकिन पिछले दो साल से दोनों डैम खाली पड़े हुए हैं और मिनिमम चार्ज चढ़ जाने की वजह से काश्तकारों को बहुत बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस बात को भी अमल में लें और काश्तकारों को राहत पहुंचाएं।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि माही का पानी बांसवाड़ा जिले की तीन तहसीलों को मिलता है। पिछले 8-10 सालों से हमें माही का पानी मिलने की वजह से कुओं पर जो कनेक्शन हम लोगों ने कर रखा था उसे स्वत: ही हम लोगों ने, काश्तकारों ने कटा दिया था। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि माही और कडाना जैसे डैम खाली पड़े हुए हैं और जो पुराने जल स्रोत थे वही आज हमारे पास में जिन्दा हैं। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि हम लोगों को रिकनेक्शन कराने के लिए आप विभाग को आदेश जारी करें। अन्यथा जैसा कि हमारे माननीय सदस्य महानुभाव बता रहे थे, हमारे सामने एक बहुत तकलीफ है। अधिशासी अभियंता से नीचे की रैंक के जितने भी अधिकारी हैं चाहे वह सहायक अभियंता हो, चाहे वह जे. ईएन. हो, चाहे वह लाइनमैन हो, ऊपर के क्या करते हैं वह तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन सहायक अभियंता, अभियंता, लाइनमैन ये इतने भ्रष्ट हैं, इतने निकम्मे हैं कि काश्तकार दो-दो महीने तक डोलते रहते हैं, न तो घरेलू कनेक्शन होता है, न कृषि कनेक्शन कुएं पर दिया जाता है, न लिफ्ट के लिए। हर तरीके की बड़ी विडम्बना है, चाहे उसका मीटर शिफ्टिंग करना हो, चाहे कोई भी मामला हो, बड़ी विडम्बना जैसी बात है। मैं इस बात को आज सदन के बीच में कहना चाहूंगा कि

(श्री जीतमल खांट)

बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहुत बड़ी लूट मचा रखी है आपके विभाग ने। मैं इसका एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा कि पिछली बार आपकी फ्लाइंग ने आकर वहां पर जांच की थी, आपके एक छोटे-से बाबू ने दो हजार फर्जी कनेक्शन दे रखे थे। माननीय मंत्रीजी, आपकी नालेज में डालना चाहता हूं कि जो किसानों से जुड़ा हुआ मसला है आप उसको बड़ी मुस्तैदी के साथ में अमल में लें। अन्यथा अभी कह रहे थे कि यह संभवतया अकाल है, मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि यह छोटा अकाल नहीं है, यह महा अकाल है। हमारे पूर्वज कहा करते थे वैसा छप्पनिया जैसा अकाल है।

श्री सभापति : माननीय बिराजिये।

श्री जीतमल खांट : इस अकाल में अगर समय रहते आप और हम जागृत नहीं हुए तो आपको और हमको गांवों में घूमने-फिरने से जनता रोकेगी और हम लोगों के कपड़े भी सही नहीं रहेंगे।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री जीतमल खांट : इतनी ही बातें कहकर आपका धन्यवाद।

श्री मानिकचन्द सुराणा (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, सदन के अनेक माननीय सदस्य ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान अनेक बातों पर आकर्षित कर चुके हैं, मैं इस विद्युत सुधार कार्यक्रम पर प्रश्नचिह्न लगाने के लिए कुछ बातें पूरे सदन के लिए निवेदन करना चाहता हूं। विद्युत मण्डल को भंग कर दिया गया, आपने पांच कम्पनियां बना दीं। विद्युत मण्डल को भंग करने का मुख्य कारण यह है कि 3500 करोड़ रुपये का घाटा हो गया। इस 3500 करोड़ के घाटे के लिए विद्युत मण्डल जिम्मेदार नहीं है बल्कि राज्य सरकार से उसको जो निर्देश 40-50 सालों से प्राप्त होते रहे वे विद्युत मण्डल के घाटे के लिए मूल रूप से जिम्मेदार हैं। राज्य सरकार को जितना सबवेंशन देना था, चाहे किसी भी तरह की सरकारें रहीं, जितना अनुदान आदेश देने के साथ में उस विद्युत मण्डल को उपलब्ध कराना था वह अनुदान चाहे हम 33 पैसे में बिजली दें, चाहे 35 में दें, चाहे 70 में दें जिस भाव हमारे बिजली पड़ रही है और जिस भाव हम दे रहे हैं और जो निर्देश हम दे रहे हैं विद्युत मण्डल को उसके साथ हमने कभी उसके अनुपात में उसको रुपया उपलब्ध नहीं कराया। निरन्तर घाटा बढ़ता गया और बढ़ता ही जाता। जब यह घाटा सिर पर पानी चलने लगा तो हमने कहा,अब इस पूरे पानी को क्या फेंकें, इस विद्युत मण्डल को ही फेंक दो और पांच कम्पनियां बना दीं। पांच कम्पनियां बनाने की आपकी नीयत, विश्व बैंक के निर्देशों पर निजीकरण करने की जो भी,

(19.37 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मुहिम देश में चली है उदारीकरण के प्रभाव में, आप तो कांग्रेस की सरकार हैं, आपके पूर्व प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने सन् 91 में प्रधान मंत्री के पद से ही इस उदारीकरण की मुहिम को शुरू किया था। वह मुहिम काफी चल पड़ी। चलने के बाद में आपने जो कम्पनियां

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बनायी हैं, किस प्रलोभन से बनायी हैं ? विश्व बैंक ने आपको क्या कहा ? कितना करोड़ रुपया आपको उपलब्ध कराने की बात कही गई ? आपको शुरू में कहा गया कि 2500 करोड़ रुपये, मैं डालर में नहीं बोल रहा हूं, आपको कहा गया कि 700 मिलियन डालर हम आपको उपलब्ध कराएंगे, इसके बराबर का रुपया उस वक्त 2500 करोड़ रुपये था। 2500 करोड़ उपलब्ध कराने की बात कही गई और उस 2500 करोड़ से निकलते-निकलते यह माननीय चन्द्रभान जी विद्युत मंत्री का वक्तव्य है, इसमें लिखा है कि आने वाले 8-10 सालों में 4,000-4500 करोड़ रुपये विश्व बैंक से हमें उपलब्ध हो जाएंगे। मैं उनकी लाइन पढ़ रहा हूं, विश्व बैंक राज्य को आगामी 8-10 वर्षों में 4,000 से 4500 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने पर सहमत हैं जो कि विभिन्न चरणों में पृथक-पृथक ऋण के रूप में प्राप्त होगा। 8-10 साल में 4000-4500 करोड़ रुपये, हर वर्ष 400 करोड़ रुपये पर आपने कहा है कि प्रति वर्ष ढाई सौ-तीन सौ मेगावाट बिजली की राजस्थान में जरूरत पड़ती है। यह बयान माननीय मंत्रीजी का है। राज्य में अगर ढाई सौ- तीन सौ मेगावाट विद्युत की मांग प्रति वर्ष बढ़ जाती है, मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, विश्व बैंक की मदद से जो 400 करोड़ रुपया प्रति वर्ष आने वाला है, 400 करोड़ से आज के मूल्यों में सौ मेगावाट बिजली अधिक से अधिक पैदा हो सकती है, आपकी जरूरत तो ढाई सौ-तीन सौ मेगावाट बिजली की है, आप किस तरह से करेंगे, विश्व बैंक से ऋण लेने के पश्चात् ? जो ऋण उन्होंने खाली आपको कहा है, मिलने का सवाल नहीं है, मिलेगा कब और कितना मिलेगा, वह तो अभी भविष्य के गर्भ में है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस रास्ते पर आपने चलना शुरू किया है 4500 करोड़ रुपये के लोभ में, 4000 करोड़ के लोभ में या 2500 करोड़ के लोभ में, अभी समय नहीं गुजरा है, आप इस सारे रास्ते को बन्द करो। इन कम्पनियों के माध्यम से जो निजीकरण प्रसारण का, उत्पादन का, वितरण का आप करना चाहते हैं, इस मुहिम को रोकने का काम करें। मैं पूछना चाहता हूं कि पांच कम्पनियां बन गईं, अब उत्पादन करने वाली कम्पनियां जब प्रसारण की कम्पनी को अपनी बिजली देंगी तो कहां-कहां आप आपने मीटर लगाएंगे ? यदि आप सारे मीटर नहीं लगाते हैं तो जब तक आप मैजर करके कोई चीज नहीं देते हैं आप उससे क्या लेना चाहते हो ? आपको कितने मीटर एक जगह नहीं, माननीय विद्युत मंत्रीजी अनुपस्थित हैं और विधि मंत्रीजी उनका काम देख रहे हैं, आ गये तो बहुत अच्छी बात है, कहां-कहां उत्पादन की कम्पनियां ट्रांसमिशन लाइन में जहां बिजली डालेंगीं, कहां-कहां यूनिट लगाएंगे ? कहां-कहां मैजर करेंगे ? और जब ट्रांसमिशन से वितरण कम्पनियों में जाएंगी, वितरण की एक कम्पनी थोड़े ही है, तीन कम्पनियां हैं- जोधपुर अलग है, जयपुर अलग है और अजमेर अलग है, प्रत्येक कम्पनी कहेगी कि आप मैजर करके दीजिये। कितने हजार मीटर आपको लगाने हैं आपने कैलकुलेट किया ? उसका निवेश क्या होगा, उसका निवेश कौन देगा ? माननीय विद्युत मंत्रीजी, विद्युत मंडल 35 सौ करोड़ के घाटे में है, जब कम्पनियां घाटे में होती हैं,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

10-20-50 करोड़ के घाटे में भी होती है तो उसके शेयर जीरो वैल्यू पर ट्रांसफर किये जाते हैं। क्या राज्य सरकार की मंशा यह है कि हमने जो भी विद्युत उत्पादन की क्षमता बनायी है और जो भी हजारों करोड़ रुपये लगाकर देश की आजादी के बाद में 35 मेगावाट से लेकर 1300-1400 मेगावाट पर पहुंचे हैं और हजारों गांवों का जो विद्युतीकरण हुआ है, क्या हम इस सारे तंत्र का निजीकरण कर दें ? सबसे ज्यादा जोर विश्व बैंक का यह है कि सबसे पहले वितरण की कम्पनियों का निजीकरण किया जाए। आप यदि निजीकरण के रास्ते पर उनकी स्पीड से नहीं चले तो हरियाणा का क्या हाल है ? हरियाणा को जो भी उन्होंने कुल 134 करोड़ रुपये दिये उसके बाद में उन्होंने हाथ बंद कर दिया। उड़ीसा का हाल देखिये, कर्नाटक का देखिये, महाराष्ट्र के अनुभवों को देखिये। महाराष्ट्र भी जिस गति से निजीकरण में आगे बढ़ रहा था उसने भी अपनी गति पर पुनर्विचार करने का काम किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि कोई चीज घाटे में है, हम कह रहे हैं कि 40 प्रतिशत छीजत है, ट्रांसमिशन लासेज हैं और प्रसारण का क्षतियों में, वितरण की क्षतियों में चोरी भी शामिल है। चोरी 20 प्रतिशत होगी। 29-30 प्रतिशत से लगाकर 40 प्रतिशत तक अनुमान आ गया। बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने अनुमान दिया कि अब 40 प्रतिशत चोरी हो रही है। हमको मालूम है कि चोरी हो रही है। अब इसको रोकना तो पोलिटिकल विल का काम है कि चोरी को रोकें। यदि आपकी पोलिटिकल विल मजबूत नहीं है और इसके कारण से आप निजीकरण करना चाहते हैं, मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि इस निजीकरण के कदम में आज तो आपके कुछ हाथ में है, आपने यदि वितरण कम्पनियों का ही निजीकरण कर दिया तो निजीकरण करने के बाद कम्पनी एक सैपरेट एंटिटी है। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य कह चुके कि दो साल बाद निजीकरण होने के पश्चात् राज्य सरकार की बात को भी वे कम्पनियां क्यों मानेंगी ? उत्पादन के क्षेत्र में क्यों मानें, प्रसारण के क्षेत्र में क्यों मानें ? माननीय विद्युत मंत्रीजी, अभी साल भर में ये कम्पनियां आपके गले में रहेंगी, आप मुझे बताएं कि कहां से रुपया निवेश करके आप ये मीटर लगाएंगे ? उत्पादन के क्षेत्र से ट्रांसमिशन में जो बिजली जाती है वहां और ट्रांसमिशन के क्षेत्र से जो बिजली वितरण में जा रही है वहां कितने मीटर लगाएंगे ? कितनी स्पीड से लगाएंगे ? और नहीं लगाएंगे तो अभी जो बिजली इन कम्पनियों को सुपुर्द हो गई है, सारे जिले-जोधपुर, अजमेर, जयपुर इनसे आप वसूल कैसे करेंगे ? किस अनुपात से आपको वसूली देंगे ? साल दो साल के पहले अभी निजीकरण होने वाला ही नहीं है और निजीकरण करने वाला जो आयेगा, आपने कभी एक्सरसाइज की है क्या कि इस विद्युत मण्डल का पूरा निजीकरण हो, 51 प्रतिशत शेयर कोई हमसे ले तो हम जोधपुर में क्या मांगेंगे, जयपुर में क्या मांगेंगे, अजमेर में क्या मांगेंगे ? विद्युत क्षमता जो हमारी निर्मित हो गई है उसको कई लोग, अखबारों में आ रहा है कि कोटा तापीय बिजली घर को भी देने का, उसका निजीकरण करने का सवाल आ रहा है। एक तरफ हम सूरतगढ़ बना रहे हैं, माननीय विद्युत मंत्रीजी ने घोषणा की है हम 2002 में...

(समय-समप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आपके नेता महोदय भी बोलेंगे, थोड़ा बहुत उनके लिए भी रखो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नहीं-नहीं, नेता महोदय बोलें तो मैंने कब कहा ?

श्री उपाध्यक्ष : बोलेंगे, आपके बाद ही तो वे बोलेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : नये आये हैं और बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैने कहां कहा कि खराब बोल रहे हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपकी इजाजत से पूछना चाहता हूं कि कितना निवेश करके आप ये मीटर लगा देंगे ? आपने एक्सरसाइज की है कि 51 प्रतिशत शेयर वालों से आप क्या ले लेंगे ? घाटे की कम्पनियां हमने तो जीरो वैल्यू में बिकती देखी हैं। 3500 करोड़ का घाटा जिसमें आज तक आपने असेस किया है, दूसरे अखबार वाले कह रहे हैं कि 6 हजार करोड़ का घाटा है, कोई कह रहा है कि 7 हजार करोड़ का घाटा है, घाटा भी असेस होना बाकी है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कदमों को जरा रोकिये, दूसरे राज्यों के अनुभवों को देखिये। जब तक ट्रांसमिशन लासेज और चोरी नहीं रुकेगी तब तक कोई भी न तो कम्पनियां मुनाफे में आ सकती हैं और न कोई विद्युत मण्डल ही मुनाफे में चल सकता है। इसलिए प्रश्न तो यह है कि विधान सभा और जो राज कर रहे हैं उनकी पोलिटिकल विल चोरी को रोकने की कितनी मजबूत है। आप किसी भी जिले का नाम ले लीजिये, चाहे नागौर का लें, सीकर का लें, झुंझुनूं का लें, बीकानेर का लें, सवाल यह है कि चोरी हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो हजारों जन प्रतिनिधि हैं उनकी निगाहों से कोई छिपी हुई बात हो। ऐसा भी नहीं है। हजारों जन प्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पंचायत समिति के मैम्बर हैं, जिला परिषद के मैम्बर हैं, उनके ऊपर पंचायत समिति का प्रधान है, जिला परिषद का प्रमुख है और विधायक, एम.पी. है, सरपंच और ग्राम पंचायत के लाखों मैम्बर हैं, इसलिए चोरी को रोकने का आपका मजबूत इरादा है और इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफार्मर लगाने पड़ेंगे तब जाकर ये लासेज कम होंगे। क्या एक्सरसाइज की, क्या होमवर्क किया कि कितने रुपये निवेश की और जरूरत है जिससे कि यह ट्रांसमिशन लासेज 6 प्रतिशत, 7 प्रतिशत पर आ जाएंगे और चोरी रुक जाएगी ? उस चोरी को रोकने के लिए क्या एक्शन होगा ? 6 महीने में, 8 महीने में, एक साल में क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर आप कब तक इसको रोकना चाहते हैं, इसको जरा देंखे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी माननीय सदस्यों ने कहा कि 8 साल भारतीय जनता पार्टी का राज आया और बड़ी जिम्मेदारी से अनेक बड़े-बड़े लोग कह देते हैं कि एक मेगावाट बिजली भी भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं बनी। मैं रिकार्ड के आधार पर माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कोटा की पांचवीं यूनिट मार्च 1994 में बनी है। माननीय विद्युत मंत्रीजी, मार्च 1994 में बनी है 210

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

अन्य विद्युत मण्डलों से बेहतर थी, इसलिए आपने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। निजीकरण की यात्रा पर जो आप चले हैं, इस यात्रा को आप बंद करें और वापस हिन्दुस्तान के पूंजी बाजारों पर भरोसा करें। जो भी पूंजी हमें चाहिए, आपके माननीय सदस्य कह चुके180 करोड़ रुपये की बात क्या है, आप 500 करोड़ रुपये लीजिये। 500 करोड़ की बात क्या है, आपने 12,000 करोड़ रुपये तो उधार लिये हैं आप 2000 करोड़ रुपये और लीजियें लेकिन आप उसको विदेशी हाथों में जाने से बचाएं, निजीकरण के चक्कर में नहीं पड़ें। आपने 30-40 हजार करोड़ की पूंजी को सिर्फ 5000 करोड़ में बेचने का जो अभियान...

श्री राजेन्द्र पारीक : अटलजी ने, आड़वाणीजी ने यह कहना बंद कर दिया विदेशी हाथों वाला मामला, जिसमें पूरी तरह विदेशी हाथों में दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह हम करेंगे तो हम कर लेंगे। अभी आपसे बात हो रही है, आडवाणीजी से बात नहीं हो रही है।

40,000 करोड़ रुपये की पूंजी को आप 5000 करोड़ में बेचने का विचार नहीं करें, यह मेरी सदन से विनती है। राज्य सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपका जो गलत कदम बढ़ गया है इस दिशा में, उन कदमों को आप वापस लें और सही दिशा की ओर बढ़ें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप बोलना चाहते हो क्या ? आप बोलना चाहते हैं क्या ? (व्यवधान) आप बिराजो, बिराजो।

श्री मांगीलाल डांगा : हम भी सुझाव देना चाहते हैं, हमको भी मौका दीजिये। वहां पर जो सिस्टम में खराबी है, उस पर बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। बोलो, पांच मिनट बोलो।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप बाकायदा आज्ञा दें...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, बिराजें। अब एक ही तो बोलेगा। ये बोल रहे हैं, फिर बोल जाना आप। आप बहुत उत्सुक हैं तो इनके बाद बोल लेना, मैं मना थोड़े ही कर रहा हूं। एक ही तो बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी कृपा की आपने कि समय सीमा में बांधते हुए भी मुस्कुराकर बोलने की आज्ञा दी।

श्री उपाध्यक्ष : आगे बोलो आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : अकाल की विभीषिका के चलते पूरे राजस्थान के आम उपभोक्ता भले वे काश्तकार हों, उद्योगपति हों या डोमेस्टिक हों, सबके सामने बिजली की कमी एक मूल समस्या के रूप में आ रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने मुझे समय सीमा में बांधा है इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमें प्रथम तो यह तय करना होगा कि इस ऊर्जा की कमी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

का मुख्य कारण क्या है। जब इस विषय पर चर्चा करते हैं तो सबसे अहम् बात उभरकर हमारे सामने आती है कि पूरे हिन्दुस्तान में आज राजस्थान आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, नम्बर वन पर है। इस बढ़ती हुई आबादी ने आज हमारी बिजली की आपूर्ति को शनैः शनैः इस स्तर तक नीचे पहुंचा दिया कि संकट की स्थिति हमारे सामने आ खड़ी हुई है। एक ओर आर्थिक संकट दूसरी ओर विदेशी निवेश को हम प्राइवेट या किसी भी रूप में आकर्षित नहीं कर पाये क्योंकि बिजली का क्षेत्र अनार्थिक लगा लोगों को। किसी भी दबाव में आकर, भारत सरकार का भी इसमें दबाव था, राजस्थान सरकार ने विद्युत नियामक आयोग जैसा आयोग का गठन करना मुनासिब समझा। विद्युत सुधार को उन्होंने लागू करना इसलिए आवश्यक समझा कि बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए जब तक हम इसका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने और इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई साधन नहीं बनाएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान होना असंभव है और इस मामले में मैं यूं कहूं कि राजस्थान तो एक तरह से कंगाल ही रहा है, बात चाहे हाइडल पावर की हो या गैस की हो या कोल-लिग्नाइट की हो, चाहे पवन ऊर्जा की हो चाहे सौर ऊर्जा की हो, हमारे साधन बहुत सीमित थे। उन सीमित साधनों से भी हमने अपने अच्छे मैनेजमैंट के चलते इन 50 वर्षों में जितना हम कुछ कर सकते थे, विद्युत मण्डल के माध्यम से किया। लेकिन अब हालात ये हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, कि आज काश्तकार बिजली की मांग के लिए बार-बार हमारे पास में आ रहा है। उसकी समस्या दो हैं, सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि उसके सामने अकाल की स्थिति है और अकाल की स्थिति से उबरने के लिए उसके पास सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि उसको पूरी बिजली मिले, वह अपने फार्म पर अपने पशुओं के लिए चारा उगा सके, अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए अनाज की उत्पत्ति कर सके। इसके साथ ही साथ, इससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या है, उसके पढ़े-लिखे बेरोजगार पुत्र। यदि काश्तकार को अपनी काश्त के लिए पूरी बिजली मिल जाती है तो उसके बेरोजगार पुत्र उस काश्त में लगकर कुछ उपार्जन करने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए बार-बार काश्तकार आपसे इस बात की मांग करता है कि आप उसे पूरी बिजली दें और वह भी गुणवत्ता के आधार पर दें।

(20.00 बजे)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का भी इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जब आपने विद्युत सुधार आयोग लागू कर दिया, इसकी आपने कम्पनियां बना दीं तो अब काश्तकार या कोई भी आदमी आपसे यह सुनना तो मुनासिब नहीं समझता कि अब आप क्या करेंगे। जब आपने सुधार आयोग और वितरण प्रणाली का यह इतना किया है तो वह आपसे इस बात की उम्मीद करता है कि एक व्यापारिक संस्थान की तरह से आप उसको चार घंटे भी बिजली दे रहे हैं तो वह भी पूर्ण गुणवत्ता के साथ आप उसको देंगे। भले ही आप कम समय दे रहे हैं लेकिन उसकी गुणवत्ता के आधार पर वह उससे संतुष्ट होने की स्थिति में आयेगा। तो एक तो जो सबसे बड़ी समस्या

(श्री राजेन्द्र पारीक)

है आम काश्तकार के सामने, वह है आपकी कम गुणवत्ता की बिजली।

अब कम गुणवत्ता की बिजली के साथ-साथ आपने अपनी समस्याएं बताईं छीजत और चोरी, इस छीजत और चोरी के लिए भी आपको किसी न किसी को जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। इस छीजत और चोरी के लिए सबसे अहम् जो बात है, वह मैं समझता हूं कि हमें अपनी इच्छाशक्ति बढ़ानी पड़ेगी। जब तक हम इस इच्छाशक्ति को नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम इस पर लाख चर्चा कर लें, छीजत या चोरी रुकने वाली नहीं है। काश्तकार चोरी क्यों करता है ? काश्तकर के नाम पर आये दिन, जहां कहीं भी मीटिंग होती है तो बार-बार यह प्रश्न उभरता है कि काश्तकार ने चोरी कर ली। चोरी तो जहां तक मैं समझता हूं, हमारे ब्लड में बस गई है। मैं अपने घर में बिजली जला रहा हूं तो मैं भी वही काम कर रहा हूं, उद्योगपति है वह भी वही काम कर रहा है, लेकिन बार-बार प्रश्न यही उठता है कि काश्तकार ही चोरी कर रहा है। एक तो स्पेसिफिक जो है, इस पर थोड़ा विचार किया जाना चाहिए कि काश्तकार को बार-बार यह कहकर अपमानित करने की हमको कहां आवश्यकता पड़ रही है। काश्तकार आपको फ्लैट रेट के पैसे देता है। फ्लैट रेट आपने तय की है और आठ घंटे के आधार पर तय की है। जब आठ घंटे के आधार पर आपने फ्लैट रेट तय की है तो वह आपसे उम्मीद भी करता है। जितने पैसे वह आपको दे रहा है, एक व्यापारी के रूप में आपको जो पैसे वह दे रहा है उस पैसे के हिसाब से वह आपसे अपना हक चाहता है, और उस हक के लिए यदि उसको बार-बार आपसे निवेदन करना पड़ता है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी का इस बात के लिए तो तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और उलाहने और यह जो कुछ भी है, यह तो आज के हालात की वजह से है लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जिस तरह से इस ऊर्जा तंत्र को मजबूत करने के लिए, इस सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को डवलप करने के लिए पूरा तंत्र खड़ा किया है राजस्थान भर में, यह एक सराहनीय कदम है। जब तक हम इस सारे इन्फ्रास्ट्रक्चर को पूर्ण रूप से डवलप नहीं कर लेंगे तब तक हम भले ही कितना ही बड़ा उत्पादन कर लें, सारे के सारे साधन पूर्ण रूप से उस पर लागू नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस मामले में तो ऊर्जा मंत्रीजी निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं साथ-साथ, ऊर्जा मंत्रीजी, आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने विद्युत सुधार की जो बात की है उसको लेकर आज एक बड़े भ्रम की स्थिति बनी हुई है। बार-बार जो यह कहा जा रहा है कि इस विद्युत सुधार से रेट्स बढ़ेंगी, यह जब निजी हाथों में चला जाएगा तो काश्तकार का शोषण होगा, जब यह निजी हाथों में चला जाएगा तो इनकी मनमानी बढ़ जाएगी, ये सारी जो भ्रम की बातें हैं, इन पर आपको कोई एक श्वेत पत्र जारी करना पड़े तो मेहरबानी करके वह करें, लेकिन इस मामले में आपको पूर्ण रूप से सजग रहकर इन सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोई न कोई प्रयत्न करना पड़ेगा।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

साथ ही, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, जब तक हमारे परम्परागत स्रोतों को हम लागू नहीं करेंगे तब तक जो छोटी-मोटी कमियां हैं उनसे हम निजात पाने में बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। जो हमारे स्रोत हैं, पिछले दिनों मैंने पढ़ा था कि कचरे से भी विद्युत का उत्पादन किया जाना है, गैस के भी पूर्वी-पश्चिमी राजस्थान में विपुल भण्डार हैं, इन पर पूर्ण कन्सन्ट्रेट करके, पूरे लगन और पूरी तन्मयता से इन सब बातों को देखें कि आप इस सारे मामले में कहां तक उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जहां आपने पवन ऊर्जा की बात की है जैसलमेर और उधर के लिए, सीकर में भी आज हर्ष का पहाड़ है, उस पर भी आप यदि एक तीन-चार मेगावाट का पवन ऊर्जा का कोई संयंत्र लगा सकें तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी भारी उपलब्धि आपकी होगी। आपको इन सब बातों पर गौर करना होगा कि और गौर करने के लिए आपकी इच्छाशक्ति होनी चाहिए। अब आपने मुझे जिस तरह से परेशानी में डाला है, मैं क्या बयान करूं आपसे। दो मिनट मैं अपने सीकर क्षेत्र की बात करके अपनी बात को विराम दूंगा।

एक आपने शहरी क्षेत्र और रेस्ट्रिक्टेड जोन जो बना रखे हैं, यह बड़ी भारी समस्या का कारण बना हुआ है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में सायं 7.00 बजे के बाद ही बिजली नहीं मिलती। टू फेस की लाइन भी मिलती नहीं। इससे सबसे बड़ी समस्या जहां काश्त की होती है वह तो होती ही है, उनके बच्चों को पढ़ाई करने में भी भारी दिक्कत का सामना होता है। आज जो एजीटेशन और मूवमेंट बना है इसके पीछे कहीं न कहीं उनके मन की पीड़ा है। उस पीड़ा को समझने के लिए हमें इस बात पर मनन करना होगा कि इस रेस्ट्रिक्टेड जोन में भी आप ज्यादा नहीं दे सकें, पूरी रात आप बिजली नहीं दे सकते तो कम से कम ग्यारह बजे तक का समय तो आप सुनिश्चित करें जिसमें आप उनको बिजली देंगे तो उनके बच्चों को पढ़ने-लिखने में पूरी सुविधा होगी।

साथ ही मैं पूरे सदन से भी एक निवेदन करना चाहूंगा और जब नेता प्रतिपक्ष बोलें तब मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात पर भी अपनी राय जाहिर करें कि भारत सरकार ने अन्ता गैस बिजलीघर की जो बिजली राजस्थान सरकार को 1999 में दी जा रही थी, अचानक उसमें कटौती करके मात्र 86 मेगावाट की जो बिजली दी है उसके पीछे क्या कारण हैं। मैं साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो बिजली की समस्या है, यह न केवल कांग्रेस की समस्या है बल्कि हम दो सौ जन प्रतिनिधि जो यहां चुनकर आये हैं उन सब की सामूहिक समस्या है। इस सदन में बैठ हुए हर माननीय सदस्य का यह निजी दायित्व बनता है कि एक राय होकर पूरी सहमति के साथ यह संकल्प लें कि हमें इस समस्या से निजात पाना है। अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य सुराणा साहब जब अपना वक्तव्य दे रहे थे, उन्होंने इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त की कि निजीकरण से पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। यह निजीकरण जिन हाथों में जा रहा है वे भी हमारे ही आदमी हैं, वे भी इसी राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, वे भी आपके ही हैं और आज तो आपके इसी राजस्थान के एक संजीदा सीनियर आफिसर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

हैं। तो हमारी इतनी चिंता का कारण क्या है, आप इन सारी भ्रांतियों को दूर करें।

काश्तकार की आज सबसे बड़ी समस्या है अकाल की विभीषिका से निपटने की, आप उसकी इस समस्या का निवारण करने की लिए कम से कम तीन-चार महीनें उसको पूरी बिजली देंगे तो वह आपके लिए अकाल की समस्या का निवारण करेगा। यह वही कश्तकार है जिसने इन्दिरा गांधीजी के इस आह्वान पर कि हमें पी एल 480 का जलालत भरा अनाज नहीं खाना पड़े, इज्जत का दाना आपको मुहैया करवाया और आज आपका खाद्य का इतना विपुल भण्डार हो गया कि लगातार अकाल पड़ने से भी अनाज के चलते कोई मौत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है मवेशियों की, सबसे बड़ी समस्या है चारे की, सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। धीरे-धीरे, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, हालात ये होते जा रहे हैं, खास तौर से सीकर और झुंझुनूं के क्षेत्र में कि पानी का स्तर 40-40, 50-50 फीट गहरा चला गया और इसी तरह से यदि दोहन होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आने वाले पांच या सात वर्ष में ही अण्डर ग्राउण्ड वाटर के सारे रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे। तब न आपकी बिजली की जरूरत पड़ेगी और न आपके इस सारे तंत्र की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कोशिश करें। आप अपनी केबिनेट में बैठकर भी इस बारे में चर्चा करें कि जब तक सरफेस वाटर राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा नहीं आये, इस समस्या का निवारण नहीं होगा। आपने मुझे समय दिया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका भी मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मेरी कातर वाणी को सुनकर मुझे बोलने का समय दिया।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद, आप बिराजें। आप बोलना चाहते हैं ? बिराजें, बिराजें। माननीय सदस्य, पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री मदन लाल वर्मा (डग) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की विधान सभा में ऊर्जा पर चर्चा चल रही है जिसमें सभी माननीय सदस्यों के विचार आये। मेरे विधान सभा क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति भिन्न है, मेरे क्षेत्र की सीमा मध्य प्रदेश की पांच विधान सभा क्षेत्रों की सीमाओं से लगती है। मैं अपने क्षेत्र की एक छोटी-सी समस्या के बारे में ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र के 110 गांवों को मध्य प्रदेश से बिजली मिलती है। मध्य प्रदेश की बिजली की जो हालत है, बार-बार मैंने ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन किया। मैं ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मेरी बार-बार की अपील पर ध्यान दिया और कुछ सुधार किया। परन्तु मेरे क्षेत्र के काश्तकारों की एक मूल समस्या है, जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूं, मेरे क्षेत्र के काश्तकार एक ही बात की मांग करते हैं कि हमें बिजली के क्षेत्र में सिर्फ अस्थायी कनेक्शन चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बिजली जितनी उपलब्ध है उसमें वे संतोष व्यक्त करते हैं। जो भी राजस्थान से मिल रही है, मध्य प्रदेश से बिजली मिल रही है उसमें उनकी शिकायत उतनी नहीं है जितनी शिकायत अस्थायी कनेक्शनों से है। पिछले सत्र में भी मैंने विधान सभा में प्रश्न उठाया था, ऊर्जा मंत्रीजी ने असमर्थता जाहिर की कि हम अस्थायी

(श्री मदन लाल वर्मा)

कनेक्शन नहीं दे सकते। माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछले माह मैं स्वयं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गया और वहां के अधिकारियों से चर्चा की। मेरे क्षेत्र के सभी काश्तकार मध्य प्रदेश से ज्यादा कनेक्टेड हैं और वहां की गतिविधियां सारी मध्य प्रदेश से चलती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के काश्तकारों को देखते हुए हमारे काश्तकार भी हम पर लगातार दबाव बनाये हुए हैं। वहां हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में बिजली की स्थिति ऐसी है कि मात्र 1330 रुपये लेकर चार महीने के लिए वे अस्थायी कनेक्शन देते हैं। सरकार की तरफ से कोई भी साधन काश्तकार को उपलब्ध नहीं करवाये जाते हैं, मात्र 1330 रुपये में वह काश्तकार अपने स्वयं के वायर, अपना पोल या बल्ली जो भी है वह सब लगाकर कनेक्शन प्राप्त करते हैं। ऐसे कनेक्शन देख कर हमारे क्षेत्र के काश्तकार भी हम पर लगातार दबाव बनाते हैं कि हमें किसी भी तरह से अस्थायी कनेक्शन मिलने चाहिए। जो डिमाण्ड नोटिस हमें मिलते हैं, हमारे उस क्षेत्र के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब है। 4-4, 5-5 बीघों के काश्तकार हैं, बड़े काश्तकार मुश्किल से 1 या 2 परसेंट हैं, वह काश्तकार इस बात को सरकार से बार-बार निवेदन करना चाहता है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र की विशेष समस्या को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार की व्यवस्था पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में मैंने देखी उस तरह की अगर करें तो मेरे क्षेत्र के काश्तकारों पर और मेरे ऊपर उपकार होगा।

दूसरा, एक तरफ मेरे क्षेत्र के लिए जहां पर बिजली की समस्या है, वहीं तकनीकी कर्मचारियों की भी काफी कमी है। तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से उस क्षेत्र में बिजली सप्लाई बराबर उपलब्ध नहीं हो पाती है। दो-तीन साल में एक गांगलाखेड़ी जी.एस.एस. और एक 33 के.वी. की लाइन जो डग से चौमेला के लिए चालू हुई हैं, सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण उसका कार्य प्रगति पर नहीं है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मेरे क्षेत्र के काश्तकारों के ऊपर कृपा करें। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डांगाजी।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में ऊर्जा के भयंकर संकट पर चर्चा हो रही है। राजस्थान में ऊर्जा का जो संकट पैदा हुआ है और जिस स्थिति से हम जूझ रहे हैं, इसके लिए प्रतिपक्ष भी अपने आपको जिम्मेदारी से अलग नहीं कर सकता। आज जो संकट हमारे सामने है उसका एक मुख्य कारण है कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में उत्पादन और मांग का गैप बढ़ा है परन्तु मैं यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि संकट की जिम्मेदारी किसी भी पार्टी के ऊपर डाल दें उससे संकट का निराकरण नहीं हो सकता। हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान के किसानों को 8 घंटे बिजली देने का वचन दिया है, मुझे पूरी आशा है कि चाहे वित्तीय संकट से जूझना पड़े हमारी सरकार ने जो वचन दिया है उसको वह पूरी तरह से निभाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि आज जो गैप बिजली का

(श्री मांगीलाल डांगा)

है, उत्पादन और वितरण में इसको पाटने के लिए महंगी बिजली खरीद कर हम किसान पर किसी प्रकार का एहसान नहीं कर रहे हैं, हम किसान को दिया अपना वचन निभा रहे हैं। किसान उत्पादन करके अनाज के साथ-साथ जनता के खान-पान के लिए चाहे तेल हो, चाहे सब्जी हो, सारी व्यवस्था कर रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं किसान परिवार से हैं, आज लेखा-जोखा कीजिये कि जिस तरह से व्यापारी अपनी बैलेंस शीट से नफा-नुकसान का हिसाब मिलाता है, किसान यदि अपना हिसाब मिलाए तो पता लगेगा कि किसान को अपने परिवार के काम करने वाले सदस्यों की मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार का दायित्व है। जिस तरह से ऊर्जा की स्थिति है, भीषण अकाल की लगातार तीसरे साल जो स्थिति है उसमें किसान के लिए बहुत बड़ा संकट है। जब हमारे सामने तीन साल से लगातार अकाल की स्थिति रही हमारी सरकार ने यह नहीं सोचा, चाहे योजना में कटौती करनी पड़ी, चाहे कहीं से ऋण लेना पड़ा परन्तु अकाल का मुकाबला किया । इसलिए मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस परिप्रेक्ष्य में जो दूसरा अकाल ऊर्जा के कारण से पड़ रहा है उसका मुकाबला कीजिये चाहे बिजली आपको पंजाब से खरीदनी पड़े, चाहे यू.पी. से खरीदनी पड़ी, चाहे नार्दर्न ग्रिड से दिल्ली का जो अलाटमैंट है, उसे अधिक मूल्य पर लेनी पड़े, उसकी आप व्यवस्था कीजिये और किसानों को वही संदेश दीजिये जैसे आपने यह सत्ता संभाली थी, अपना विभाग संभाला था तब पूरे सदन में मेजें थपथपाकर, आपकी वाहवाही हुई थी। मुझे विश्वास है कि आप इसी ओर अपने कदम बढ़ाएंगे और किसानों को यह संदेश देंगे कि जो पार्टी ने वचन दिया है उस वचन को यह पार्टी हमेशा निभाती है।

नागौर जिले की बिजली की समस्या राजस्थान में सबसे ज्यादा भयंकर समस्या है, इसे आपने सदन में स्वीकारा उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आपने स्वीकारा कि सिस्टम की कमी है, यह सही बात है। सिस्टम और व्यवस्था दोनों में कमी आयी है। मंत्रीजी, इसको आपको व्यक्तिगत तौर पर देखना होगा। जो अलग-अलग पांच कम्पनियां हैं उनमें समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। आज सुबह भी मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां मेड़ता में 1 लाख 32 हजार का जो सब स्टेशन है उस पर जब आपने यह विभाग संभाला उस दिन से आप 45 मेगावाट का लोड उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ कुचेरा को आप 25 मेगावाट का लोड उपलब्ध करा रहे हैं, लांबा को 20 मेगावाट का लोड उपलब्ध करा रहे हैं, गोटन को 16 मेगावाट का लोड उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरह से भैंरूदा को 24 मेगावाट का लोड उपलब्ध करा रहे हैं। जो लोड की आवश्यकता उस समय थी, हम आपसे मांग करते हैं कि जो दो साल पहले की स्थिति थी कम से कम उसको तो आप बरकरार रखिये। आज की स्थिति यह बनी हुई है कि मेड़ता के लिए आप दे रहे हैं 20 मेगावाट और कुचेरा के लिए दे रहे हैं 20 मेगावाट, दोनों को मिला करके 40 मेगावाट दे रहे हैं जहां आवश्यकता

(श्री मांगीलाल डांगा)

है 70 मेगावाट की। इसी तरह से लांबा में 20 मेगावाट की आवश्यकता है वहां दे रहे हैं आप 10 मेगावाट। गोटन में जहां 16 की आवश्यकता है वहां मिल रहा है 8 मेगावाट। भैंरूदा में जहां 24 मेगावाट की आवश्यकता है वहां मिल रहा है 9 मेगावाट। आप इस व्यवस्था का अवलोकन कीजिए कि आपकी व्यवस्था में कैसे 8 घंटे बिजली सम्भव होगी। आज जरूर आपकी तरफ से आश्वासन मिला है कि इसको बढ़ा करके हमने 30 मेगावाट मेड़ता का किया है। लेकिन इसमें आप कुचेरा का प्लस करेंगे, दोनों को मिलाकर करेंगे तो वो ही घाटा हो जाएगा, इसलिए कुचेरा को अलग रखते हुए करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 45 से कम इसको बिलकुल न करें। दूसरा, यदि आप लोड बढ़ा भी देंगे तो मैं एक साल से आपसे मांग कर रहा हूं कि मेड़ता का जो 132 का सब स्टेशन है उसमें 25 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है जिसका आपके बोर्ड के टाइम में इंडेन हो चुका है और सप्लाई के लिए आपने आश्वासन भी दे दिया है। वह जब तक वहां नहीं लगेगा तब तक आप यदि लोड बढ़ाएंगे तो भी किसानों को अधिकारींगण समुचित व्यवस्था में बिजली नहीं दे पाएंगे। इसके लिए व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे यहां पहले भी दो पारी में दो ब्लाक में बिजली सप्लाई होती थी। किसानों को उस टाइम जो आप 8 घंटे बिजली देते थे वो यही व्यवस्था थी। यह आपका सिस्टम था। अब इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप दो पारी की व्यवस्था करवाएं। सभी जगह दो पारी की व्यवस्था रखेंगे तो किसान को आसानी से आप 8 घंटे बिजली दे सकेंगे। आज आप खरीद करके व्यवस्था भी कर लेंगे और यदि आपने यह सिस्टम नहीं बनाया तो...

श्री उपाध्यक्ष : आपने इतनी घोषणा कह दी कि जो याद नहीं होगी उनको।

श्री मांगीलाल डांगा : सब याद है। माननीय मंत्रीजी, आपनें सिस्टम को सुधारने में बहुत प्रयत्न किये हैं, जी.एस.एस. भी बढ़ाये हैं। उसके लिए हम आपके आभारी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले अकाल के समय हमारे प्रभारी मंत्रीजी और आपने चारा योजना के कनेक्शन देने के लिए जो योजना की उसमें किसानों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करायी है। डिमाण्ड नोटिस की राशि भी वहां पूरी लगती है और किसान जमा कराता है उसकी दर भी 1.70 रुपये प्रति यूनिट है। उस योजना में आधे से अधिक कनेक्शन मेड़ता विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर पंचायत समिति नियामड़ी के बाकी हैं। जहां भी किसान जाता है, उत्तर मिलता है कि बजट के अभाव में हम आपको सामान नहीं दे पाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, जितना उस पर सामान लगना है उसकी पूरी कीमत किसान ने जमा करायी। उसके लिए आप यहां घोषणा कर दें कि किसान वह मैटीरियल लगाकर अपनी लाइन खींच ले और अपना ट्रांसफार्मर बाजार से खरीद ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आपका डिमाण्ड नोटिस है उसके 60 प्रतिशत में किसान अपनी पूरी लाइन कम्प्लीट करा लेगा। इसलिए इस ओर आप विशेष तौर से जल्दी आदेश जारी करायें।

(श्री मांगीलाल डांगा)

नर्सरी योजना में जो कनेक्शन देते थे उस योजना के तहत आपने घोषणा भी की थी कि इनको सामान्य योजना में बदल देंगे। शीघ्र ही आप इसमें भी व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आदेश जारी करायें कि उसे सामान्य योजना में परिवर्तित किया जाए।

महोदय, जो सिक्योरिटी के नये डिमांड नोटिस आ रहे हैं, इस संबंध में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप दो माह के बिल के बराबर सिक्योरिटी राशि जमा करवाते हैं। आप नया कनेक्शन दे रहे हैं, तो दो माह के बिल का जितना आपका अनुमान है जमा करवाइए। एक काश्तकार जिसने 20-30 साल पहले कनेक्शन लिया उस टाइम उससे आपने एक हजार रुपये सिक्योरिटी जमा करवायी। वह सिक्योरिटी विद्युत मण्डल में बिना ब्याज के जमा है। यदि आप आज के परिप्रेक्ष्य में सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हैं तों उस पैसे का उस तारीख से जो बैंक की एफ.डी.आर. का ब्याज है उस ब्याज को जोड़कर उसके खाते में क्रेडिट कर दीजिए और आज के बराबर उसकी सिक्योरिटी ले लीजिए। यदि ब्याज जोड़ कर उसका पैसा ज्यादा है तो वह उसको लौटा दीजिए, कम है तो आप ले लीजिए। जो पुराने कनेक्शन हैं और जिनकी सिक्योरिटी पहले जमा हो चुकी है उस सिक्योरिटी को जोड़कर किसान को दुबारा बिल देना व्यावहारिक नहीं है, आप इस आदेश को तुरंत वापस लीजिए।

जहां तक छीजत और चोरी रोकने का मामला है, माननीय मंत्री महोदय, आपके पास छीजत के संबंध में अलग-अलग विभाग की रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं, जो कि मैं समझता हूं अलग-अलग रिपोर्टें हैं। 26 परसेंट से लेकर 46 परसेंट तक रिपोर्ट में अलग-अलग बताया है। आपको इसके लिए समीक्षा करनी होगी कि हम वास्तविक किस स्थिति में हैं। आज किसान को चोरी के नाम पर ब्लेम किया जाता है। सतर्कता के नाम पर आप चैकिंग करवाते हैं। ऐसे 8-10 आर्डर तो मैंने आपसे करवाये हैं जिसमें आपकी विजिलेंस ने जाकर एक किसान के यहां 20 हार्स पावर की मोटर को 25 और 30 हार्स पावर का बताया। आपकी टीम ने वापस आकर निरीक्षण किया तो वह मोटर जो कुएं में लगी हुई थी 20 हार्स पावर की मिली और उसको खारिज करना पड़ा। माननीय, जब भी आप कनेक्शन देते हैं तो एक एल फार्म जिसमें सारी डिटेल होती है कि कितने हार्स पावर की मोटर है, भरवाते हैं। आपकी टैस्टिंग के बाद उसको कनेक्शन दिया जाता है। ऐसे जो कायदे हैं इनको आपको व्यावहारिक बनाना पड़ेगा।

मैं शिफ्टिंग के मामले में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर रखा है, किसान के कुएं में जब भी पानी सूख जाता है तो उसके क्षेत्र में जहां पानी हो वहां राजस्थान सरकार कुआ खोदने के लिए उसको नि:शुल्क भूमि आबंटित करती है। महोदय, शिफ्टिंग के आदेश में आपने एक सीमा लगाई है कि उसकी पांच साल की खातेदारी होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने कुआ खोदने के लिए भूमि का आबंटन किया है उस आबंटन पत्र में यह एक शर्त है कि एक साल में इस भूमि का उपयोग कुआ खोदकर

(श्री मांगीलाल डांगा)

चालू करना पड़ेगा अन्यथा आबंटन निरस्त हो जाएगा। तब यह जो आपकी पांच साल वाली पाबंदी है यह कहां व्यावहारिक है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार कुएं के लिए जो भूमि आबंटन करती है उस पर अगर किसान कनेक्शन शिफ्ट करता है तो उस पर किसी तरह की पांबदी नहीं होनी चाहिए, वह सेम एक ही लोकेलिटि के मामले हैं। मुझे आशा है कि इसको आप आज ही तुरंत वापस लेने की घोषणा करेंगे।

दूसरा, गांवों में मकानों में कनेक्शन की बात है। यह कोई आज नई बात नहीं है, यह पुरानी भाजपा सरकार से चली आ रही है कि जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है वह मकान में कनेक्शन का पैसा आपको जमा कराता है। जब सोता है सिर्फ तब बिजली देखता है, उठता है तब तक बिजली चली जाती है। इसको आप नियमित करवाइए। इससे गांवों में आज बच्चों को पढ़ने में परेशानी आ रही है।

आपके जो 33/11 के ट्रांसफार्मर हैं उनको आपकी कम्पनीज कांट्रेक्ट पर देकर व्यवस्था कर रही हैं। आप कांट्रेक्ट पर व्यवस्था कीजिए, जो व्यावहारिक है वह सुधार कीजिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां-जहां आपके टेण्डर हुए हैं, मेरे ध्यान में यह आया है कि पूल बना कर उन टेण्डरों की राशि तय की गई है। आप इस बात के लिए जरूर निरीक्षण करवाइए कि हमारे जो कर्मचारी उस ट्रांसफार्मर को चला रहे थे उससे ज्यादा राशि तो नहीं देनी पड़ रही है। एक तरफ तो सुधार के नाम पर हम बचत करना चाहते हैं, कहीं यह सुधार आगे जाकर हमारा जो घाटा है इसको और ज्यादा नहीं बढ़ा दे।

अंत में, मंत्री महोदय, आज सदन में कई सदस्यों द्वारा एक बात उठाई गई। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि घोषणा पत्र में बिजली के लिए जो व्यवस्था और जो वादे आपने किये हैं, आपके विभाग में उनको प्राथमिकता से लागू करवा दीजिए ताकि किसी सदस्य को यह मौका नहीं मिले कि हमने जो घोषणा पत्र में बिजली के लिए वादा किया था उसको नहीं निभाया है। मैं आपका आभारी रहूंगा कि जो घोषणा पत्र है, बाइबल तो आप मान रहे हैं, उसके माध्यम से हमने वचन दिया है उस वचन को आप पूरा करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरू खानजी। आप भी मन में मत रखो, आप भी बोलो।

श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पूरे दिन से बिजली पर चर्चा चल रही है, सभी को पता है कि बिजली की कमी है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि सीकर, झुंझुनूं और नागौर में बिजली की ज्यादा कमी है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगा कि फतेहपुर में इनसे भी ज्यादा कमी है। आपने जो अलग-अलग वितरण निगम बनाये, फतेहपुर को बिजली रतनगढ़ से मिल रही है। रतनगढ़ जोधपुर वितरण निगम में आता है और सीकर अजमेर वितरण निगम में आता है। रतनगढ़ वाले मात्र 4 यूनिट बिजली देते हैं। फतेहपुर में 130 गांव और एक शहर है। गांव में मात्र 2

(श्री भंवरू खान)

घंटे बिजली मिलती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि पानी की बड़ी किल्लत हो रही है। 2 घंटे में पीने का पानी ही नहीं मिल रहा है। जहां 25 यूनिट बिजली की आवश्यकता है वहां मात्र 4 यूनिट बिजली मिल रही है। लक्ष्मणगढ़ की कुछ बैल्ट जो सिंचित है, उन किसानों ने जब सीकर में आंदोलन किया तो फतेहपुर से उनको जोड़ दिया। उसके बाद और ज्यादा समस्या हो गई। मैं मंत्रीजी को यह बताना चाहूंगा कि जहां 25 यूनिट की जरूरत है वहां 15 या 20 यूनिट बिजली दिलाने की कृपा करें अन्यथा पानी की भयंकर समस्या पैदा हो रही है, आगे और भी ज्यादा दिक्कत आयेगी। मैं मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ के जिस बैल्ट को फतेहपुर से जोड़ रखा है उसे हटाया जाए, लक्ष्मणगढ़ के बैल्ट को सीकर या लक्ष्मणगढ़ से जोड़ा जाए और 4 यूनिट को बढ़ाकर 15 या 12 यूनिट तक करवाने की कृपा करें। ऊर्जा मंत्रीजी, जब आप सीकर में आये थे उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि फतेहपुर में 4 यूनिट से काम चलने वाला नहीं है। जहां 25 यूनिट की आवश्यकता है वहां मात्र 4 यूनिट बिजली दी जा रही है। आप कृपा कर इसे 20, 15 या 12 यूनिट तक करें ताकि पीने के पानी की समस्या मिट सके। फतेहपुर वैसे ही लगातार तीसरे वर्ष 100 प्रतिशत अकाल की चपेट में है और वहां पर एक ही फसल होती है। कुओं का पानी 20-30 फीट तक नीचे चला गया। बिजली कम मिलने के कारण गांवों में पानी का बहुत संकट पैदा हो गया है। मैं आपसे यही निवदेन करना चाहूंगा कि बिजली की यूनिट 20 या 15 यूनिट तक बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : कालूलालजी, आप बोलना चाहते हैं ? आप भी बोलो।

श्री कालूलाल खटीक (गंगरार) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो काश्तकारों से संबंधित है, बिजली पर चर्चा हो रही है। मैं संक्षेप में मेरे कुछ विचार रखना चाह रहा हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एक बहुत बड़ा बीड़ा हाथ में लेकर घोषणा पत्र के माध्यम से विद्युत विभाग को मजबूत करने की दृष्टि से कार्यप्रणाली प्रारम्भ की। कार्यप्रणाली के अनुसार आपने सबसे पहली जो उपलब्धि हासिल की वह सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह था जिसको माननीय सोनियाजी के कर-कमलों द्वारा 13 अक्टूबर को राष्ट्र को समर्पित किया गयाा। साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में देवगढ़ में पवन ऊर्जा संयंत्र को प्रारम्भ कर आपने एक बहुत अच्छी शुरूआत की। इसके लिए चित्तौड़गढ़ जिला आपका बहुत आभारी है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र गंगरार में कुछ समस्या है उसके लिए मैं आपका ध्यान इस मौके पर आकर्षित करना चाहूंगा। वहां अधिकतर काश्तकार लिफ्ट के माध्यम से सिंचाई करते हैं। विगत 2-3 वर्षों से लिफ्ट सिंचाई योजना में उनको काफी समस्या महसूस हो रही है। वर्षा नहीं होने से अकाल की विभीषिका और इधर विद्युत की भारी मार पड़ने की वजह से मेरे गांव गंगरार क्षेत्र में 32 परियोजनाएं बन्द

(श्री कालूलाल खटीक)

पड़ी हुई हैं। मंत्री महोदय, कृषि पर आधारित सिंचाई परियोजना पर जो विद्युत चार्ज किया जाता है वह विद्युत चार्ज व्यापारिक दर से वसूल किया जाता है। मेरा अनुरोध है, काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए उसकी विद्युत राशि कृषि दर से वसूल की जाए तो उन काश्तकारों का भला होगा और उन काश्तकारों का लिफ्ट का पैसा बिलों में चढ़ा हुआ है, वे अभी तक पूरा जमा नहीं करा रहे हैं, वे सही समय पर जमा करा सकें और जो लिफ्ट योजनाएं लगी हुई हैं उनका सही ढंग से लाभ उठा सकें।

इसी क्रम में शिफ्टिंग की बात चल रही थी, काफी माननीय सदस्यों द्वारा शिफ्टिंग के बारे में निवेदन किया गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों से शिफ्टिंग चार्ज वसूल किया जाता है, उसमें एक फिक्स राशि जो निश्चित कर रखी है वही वसूल की जाए। पोल कास्ट और दूसरी कास्ट आप वसूल करने जाते हैं, इस पर आप पुनर्विचार करके काश्तकारों के हित में निर्णय लें ताकि काश्तकार इसका लाभ उठा सकें।

साथ ही विगत दो वर्ष पूर्व तत्कालीन मंत्री, सांवर लालजी जो यहां पर नहीं बिराज रहे हैं, उन्होंने मेरे हिण्डोरा ग्राम में 32 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का शुभारम्भ किया था वह अभी तक भी पूरा नहीं हुआ है। माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि जब वे चित्तौड़गढ़ में उपभोक्ता सम्मेलन में पधारे थे तब हिण्डोरा ग्राम में 32 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर त्वरित गति से काम करने के लिए उन्होंने निर्देश दिये थे। हिण्डोरा ग्राम में 32 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए तो उस गंगरार क्षेत्र के काश्तकारों को लाभ मिल सके। आपने मुझे समय दिया इसके लिए पुनः धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे तो कोई एण्ड ही नहीं होगा।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : मैं आज आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं मुख्य मंत्रीजी और विद्युत मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं कि मेरे क्षेत्र में रतनगढ़ में 400 के.वी. जी.एस.एस जो राजस्थान में दूसरा जी.एस.एस. है, इन्होंने चालू किया।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी कोई समस्या हो तो बोल दो, धन्यवाद तो बहुत मिल गये।

श्री मंगलाराम गोदारा : मेरे क्षेत्र में पिछले साल बराबर 20 मेगावाट बिजली मिलती रही। इस साल अकाल उससे भी ज्यादा है, जबकि लाइट 10-12 मेगावाट ही मिली है। इससे किसानों में भारी आक्रोश है। एक जी.एस.एस. मेरे यहां प्रस्तावित है, स्वीकृत है, उस जी.एस.एस. के नीचे 27 गांव आते हैं। 27 गांव पानी के अभाव में त्रस्त हैं क्योंकि वोल्टेज बहुत कम रहता है। जी.एस.एस. स्वीकृत है, रीढ़ी से वे गांव जुड़े हुए हैं। रीढ़ी 23 के.वी. का जी.एस.एस. बना हुआ है और दूसरा जी.एस.एस. मातेयु स्वीकृत है, वे जी.एस.एस. अगर इस मार्च से पहले बन जाएं तो गांव के लोग पानी पी सकते हैं, नहीं तो पानी की भयंकर समस्या होगी। मेरे यहां एक 132 का जी.एस.एस. प्रस्तावित है उपनी में, वह

(श्री मंगलाराम गोदारा)

जी.एस.एस. अगर इस चालू सत्र में स्वीकृत कर दिया जाए तो हमारे वहां की समस्या काफी हद तक खतम हो सकती है, क्योंकि वहां पानी पीने के लिए, खेती के लिए बिजली पर ही आधारित है। सारे गांव बिजली पर ही आधारित हैं, गांवों में पानी पीने के लिए और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। पानी या कृषि के लिये बिजली से ही सारे सोर्स चलते हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलालजी।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, कुछ मांगें हैं वह माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं। इस समय काश्तकारों की बुवाई का समय, पिलाई का समय है। सभी लोगों ने 8 घंटे की मांग की है लेकिन मेरा एक सुझाव है ऊर्जा मंत्रीजी से कि 15 दिन तक आप 12 घंटे बिजली दीजिये ताकि लोग ज्यादा बुवाई कर सकें। बाद में चाहें तो काट लीजिये। इस समय यदि आप कहीं से काट कर उन काश्तकारों को 12 घंटे बिजली दे देते हैं तो उनकी बुवाई हो सकती है, बाद में काट लो। साहब, इसमें क्या है, कम से कम बुवाई तो हो जाए।

दूसरा सुझाव यह है कि आप जितनी बिजली देते हो, कृपया बीमार बिजली मत दीजिये, आप बीमार बिजली देते हो 150 से 200 वोल्ट आते हैं उससे काश्तकारों की मोटरें जल जाती हैं, मेरे क्षेत्र की बात है 18 किलोमीटर लंबी लाइन के हैड पाइंट पर 150-200 के करीब वोल्टेज पहुंचते हैं। चार दिन में 18 मोटरें जल गईं। आज यह भयंकर समस्या है, इसके उपाय के लिए आज आप कम से कम 33 के.वी. के ज्यादा से ज्यादा जी.एस.एस. बनाएं ताकि लोगों को पूरे वोल्टेज मिल सकें।

दूसरी बात मेरे पूर्व सदस्यों ने बताई है, आज आम काश्तकार कनेक्शन के लिये जाते हैं, डिमाण्ड नोटिस के पैसे भर देते हैं, विभाग को पूरे पैसे दे देते हैं। उसके बाद जाते हैं तो सामान नहीं है। अधिकारियों से पूछते हैं, क्यों नहीं है सामान ? हमने जब पैसे दे दिये, हमने एक-एक कील, एक-एक खम्भे के, एक-एक तार के पैसे, जितना सामान लगता है उसके सारे पैसे बिजली बोर्ड में जमा करा दिये और जब हम सामान मांगने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि सामान नहीं है। कभी तो तार दे दिया, कभी खम्भा दे दिया, कभी मोड़ी दे दी, कभ कमेड़ी पकड़ा दी, ऐसी स्थिति काश्तकारों की कर रखी है। (व्यवधान) ऐसी स्थिति कर रखी है। जब हमने पूरे पैसे दे दिये, आपके बिजली बोर्ड के घर से क्या लगता है ? सारा पैसा तो हमारे काश्तकारों का लगा हुआ है, फिर हमें समय पर सामान क्यों नहीं मिलता ? व्यवस्था में क्या कमी है, इस व्यवस्था को सुधारिये। आप जब तक इस व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तब तक काश्तकार अधिकारियों के चंगुल के बीच पिसता रहेगा। ये तो काश्तकारों को कनेक्शन देना ही नहीं चाहते। यदि काश्तकार इनके हाथ गरम कर देता है तो सामान मिल जाता है और इनके हाथ गरम नहीं करो तो पीछे फिरते रहो, कोई सामान नहीं मिलता। मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऊर्जावान हो, आपमें कार्य करने की क्षमता है, आपमें लगन है, जिस तरह आपने बिजली

(श्री नन्दलाल पूनिया)

के तंत्र को सुधारा, आप इस तंत्र को भी सुधारो। कर्मचारी-अधिकारियों के इस तंत्र को नहीं सुधारोगे तब तक बिजली तंत्र को कितने ही साल तक, डाक्टर साहब लगे रहो यह तंत्र नहीं सुधरेगा, तब तक वह तंत्र पूरा काम नहीं करेगा।

मेरा दूसरा आपसे निवेदन है कि बुवाई के समय ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, कम से कम 10 दिन लग जाते हैं। पहले तो काश्तकार उसको उठाकर लाए सब डिविजन तक, दूसरे दिन जे. ईएन. उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाता है, तीसरे-चौथे दिन वह लोड होकर स्टोर तक जाता है। इतने ही दिन वापस आने में लग जाते हैं और इतने ही दिन वापस आकर काश्तकार के खेत तक जाने में लगते हैं। इस व्यवस्था पर विचार करके आप सब डिविजन हैडक्वांटर पर ऐसे स्टैण्ड बाई ट्रांसफार्मर रखिए, कम से कम 15-20 स्टोर में ताकि काश्तकार को 7-8 दिन तक इंतजार नहीं करना पड़े। इस बुवाई के समय काश्तकार का ट्रांसफार्मर जल गया तो बुवाई का सात-आठ दिन का समय चला जाएगा। मेरा सुझाव है, इस सुझाव को लागू कीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे कुछ गांवों में पीने के पानी की समस्या है। रीजनल स्कीम्स जितनी भी हैं, आज बिजली के कारण सारी ठप्प पड़ी हैं। आज चाहे लोकल सोर्स की बात लीजिए, पानी की समस्या अगर सबसे ज्यादा राजस्थान में कहीं है तो राजगढ़ तहसील में है। आज हरियाणा से हम 400-400 रुपये में टैंकर ला रहे हैं इस स्कीम के फेल्यारे के कारण। वाटर वर्क्स वाले कहते हैं कि बिजली वाले अधिकारियों की कमी के कारण वह फैल हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है कि वाटर वर्क्स की रीजनल स्कीम पर जो पैसा वाटर वर्क्स ने लाइन का भरा है कम से कम उनकी लाइन को तो बिजली दीजिए ताकि लोगों को पीने के लिए पानी मिल सके।

कुछ गांवों में हमारी समस्या और है। एक जुयनापुरन गांव है वह रेलवे लाइन के दिखणादा के पास है। मेन गांव है वह उत्तारादा के पास है और जिस गांव में बिजली की लाइन, वाटर वर्क्स की लाइन और वाटर वर्क्स का हैड है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : वार्न किया है कि समाप्त करें, बंद नहीं किया है।

श्री नन्दलाल पूनिया : हां, उत्तर और दक्षिण में। दक्षिण में तो वाटर वर्क्स का हैड है और उत्तर में गांव है, उस गांव को इलेक्ट्रिफाई कर दिया। केवल गांव वालों ने फाइल जमा कराई है। अब वहां बिजली वाले कहते हैं कि बीच में लाइन आ गई, हम नहीं कर सकते। या तो उस गांव को विद्युतीकृत से आप हटा दीजिए या उसमें आप कनेक्शन दीजिए, कोई तो व्यवस्था आपको करनी चाहिए। कुछ गांव ऐसे भी हैं जैसे बम्बाड़ा गांव है, 1995 से विद्युतीकृत कर रखा है। लेकिन आज तक डी.पी. नहीं लगी है, ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, कुछ नहीं है, लाइन नहीं खींची है और कागजों में विद्युतीकृत दिखा रखा है। कृपया ऐसे जो मामले हैं, आप अपने स्तर पर उनको देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

(श्री नन्दलाल पूनिया)

घरेलू कनेक्शन के भी 1992 के लोगों के पैसे जमा किये हुए हैं। आज कहते हैं कि चोरी करते हैं। मजबूरन लोगों को आंकड़ी डालनी पड़ती है। 1992 के पैसे जमा कराये हुए हैं, आज तक उन लोगों को कनेक्शन नहीं दिया गया। एक तो सामने बैठा हुआ लड्डू-पेड़ा खाए और एक बेचारा मिर्च-रोटी खाए, तो उनका जीव यह करता है कि मैं भी मिठाई खाऊं। आज एक गांव में बिजली की चांदनी हो और एक घर में अन्धेरा हो तो वह उम्मीद करेगा ही। 1992 के पैसे जमा कराए हुए हैं, आज तक कनेक्शन नहीं हुआ है वहां पर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों को आप देखिए और एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर अधिकारियों को हिदायत दीजिए कि आप इतने समय तक जितने भी कनेक्शन हैं, जिन लोगों के डिमांड नोटिस के पैसे जमा हैं उनको कनेक्शन दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री नन्दलाल पूनिया : मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय। बिराजिये, बिराजिये। कल बोल लेना. आप, कल और मौका है।

श्री रमेश खींची : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग पहली बार आये हैं, हमें दो-दो मिनट बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कल आपको सबसे पहले बुलाएंगे।

श्री रमेश खींची : अकाल के नाम पर सारा पैसा चला जाता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, कल राज्य सरकार की ओर से माननीय विद्युत मंत्रीजी ने इस सदन को एक वक्तव्य दिया था, मैंने उस वक्तव्य की प्रति उनसे लेकर भारत सरकार पर इन्होंने जितने आरोप लगाये थे वे केन्द्रीय विद्युत मंत्रीजी को प्रेषित किये। मुझे यह जानकारी थी कि माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं वह सही नहीं है लेकिन यह बात मैं कहूंगा तो सम्भवत: मंत्रीजी इसको स्वीकार नहीं करेंगे और हो सकता है कि सदन के माननीय सदस्य भी इस पर विश्वास नहीं करें।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को याद होगा, जब अन्ता गैस प्लान के सम्बन्ध में हम सब लोग अन्ता गये थे उस समय इस बात की चर्चा थी कि अन्ता गैस से जितनी विद्युत उत्पादित हो रही है उसमें राजस्थान को काफी उपलब्ध कराई जा रही है। अब वह बिजली राजस्थान को उस मात्रा में मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि जब आर.ए.पी.पी. की दो यूनिट बंद हो गई थीं और दोनों यूनिट की बिजली राजस्थान को अलाटेड थी उस समय हमने इस बात की कोशिश की कि इन दोनों यूनिट से जितनी बिजली पैदा होती है वह बिजली की पूर्ति हमें

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अन्ता से की जाए। जिस समय तक वे दोनों यूनिट चालू नहीं हुईं, माननीय मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उतनी बिजली हमको अन्ता से उपलब्ध होती रही और जब वे दोनों यूनिट चालू हो गईं उसके बाद में अन्ता से मिलने वाली बिजली बंद हो गई। इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा अनएलोकेटेड शेयर में राजस्थान को हिस्सा मिलता था वह नहीं मिल रहा है और एलोकेटेड शेयर में भी हिस्सा जो मिलता था वह कम किया गया है। इन तीनों बातों पर मैंने कल उनको फैक्स कराया, फैक्स कराने के बाद में जो जवाब आया, मैं आपकी अनुमति से वह जवाब इस सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं।

"Please refer to your fax message dated 31st October, 2000 regardig additional allocation of power to Rajasthan.

"I have got the matter examined. As regards the withdrawal of specific allocation of 1/3 output from Anta G.P.S., it, may be mentioned that this allocation was made to Rajasthan as a special case to mitigate the shortage conditions prevailling in the state in 1993 and further continued due to prolonged outage of R.A.P.P. Unit 1 & 2. Both these units became operational in 1998. The constituents of Northern Region have firm share in this power Station. Being a regional station and in view of their continued insistance for restoration of their due share, the special allocation to Rajasthan was withdrawn and allocation from Anta G.P.S. to all the constituents of Northern Region, as per their due share, were restored in October, 1999.

"In order to mitigate the immediate requirement of agriculture sector in the State, I have ordered a special allocation of 50% in R.A.P.P. Unit 3 (20 megawatt) to Rajasthan with immediate effect. In addition, Rajashtan has been allocated 45% of the unallocated quota during night hours from 2200 hrs to 0600 hrs of the next day during October, 2000 and the same has been continued during November, 2000 by diverting the unallocated quota of Delhi. Further, on an average, 30% of Delhi share in Dadri NCTPS generation has been divertaed to Rajasthan during night hours i.e. 16th October, 2000. The above arrangements have been made with the consent of Delhi also. The present allocation of 25% out of unallocated quota from Central Station to Rajashtan has not been reduced though the requirement of hill States in Northern Region i.e. H.P. and J & K increases during winter months and allocation is made to them during this season by reducing the allocation of other constituent States.

"I hope with this additional allocation to Rajashtan, tha State will be able to meet the increased agriculture demand during the month of November, 2000."

श्री शिवचरण माथुर : किसका है यह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रभु, मंत्रीजी का। पावर मिनिस्टर का है। अब यह लैटर इसलिए मुझको बताना पड़ा कि जहां मंत्रीजी जाते हैं वे इस बात को स्वीकार नहीं करते कि बिजली की कमी है। यह तथ्य है कि बिजली की कमी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है। इसके कारण कुछ भी हो लेकिन एक कारण दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि बिजली की कमी इसलिए है कि भारत सरकार से जो हमें बिजली उपलब्ध होती थी वह बिजली उपलब्ध नहीं होती है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि उस प्रचार मात्र से लोगों की भूख आप मिटाने की कोशिश करेंगे उससे काम नहीं चलेगा और इसका प्रत्यक्ष नमूना आज आपने विधान सभा के सामने देखा होगा। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि आज बिजली की कमी है इसको स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान में ही बिजली की कमी नहीं, पूरे देश भर में कमी है। यह देश 1991 से एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा है जिससे अभी तक निकल नहीं पाया है। सन् 1991 में जब रिफोर्म्स की बात हुई, उस समय से लेकर, मैं भी मुख्य मंत्री था मैंने कई पावर प्रोजेक्ट्स की स्टडी कराई। कई पावर प्रोजेक्ट्स के लिए प्राइवेट कम्पनियों को बुलाया, उनसे बातचीत हुई। उनसे एम.ओ.यू. हुआ और टैरिफ बेस्ड एम.ओ.यू. किया जिसमें किसी प्रकार का कोई अन्तर नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट, 1948 की थी जिसमें सी.ई.ए. की एप्रूवल के बिना कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट आगे नहीं चल सकता। वह चाहे पलाना का लिग्नाइट का मामला हो, चाहे वह धौलपुर का मामला हो। मैं समझता हूं जिस प्रकार के एग्रीमेंट और एम.ओ.यू. थे, माननीय मंत्री महोदय भी यदि ईमानदारी से देखें तो राजस्थान की पब्लिक के इंटरेस्ट में और सरकार के इंटरेस्ट में उन एम.ओ.यू. में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रही। लेकिन सी.ई.ए. इस प्रकार की कसर निकालता रहा जिसके कारण से टाइम निकल गया और टाइम के कारण से इन चीजों के भाव बढ़ गये। भाव बढ़ने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि वे दोनों ही बैक आउट कर गये। आज प्राइवेट सैक्टर में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा, मल्टीनेशनल्स के अलावा किसी भी राज्य में कोई प्राइवेट सैक्टर में बिजली का कारखाना इतना बड़ा नहीं लगा, कहीं भी नहीं लगा। 1991 के पहले प्राइवेट सैक्टर में कारखाने लगे हैं लेकिन जिस दिन से हमने रिफार्म्स की बात चालू की है, उस समय से राजस्थान हो चाहे यू.पी. हो, चाहे कोई राज्य हो, मल्टीनेशनल्स तो कारखाने लगा गये। आज महाराष्ट्र में डाभोल में लगा लिया, कर्नाटक में लगा लिया, ये सब लगा लिये।

श्री शिवचरण माथुर : लगा नहीं है कर्नाटक में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोर्ट में चला गया। लगा नहीं, यह बात सही है लेकिन वह लगाने की स्टेज में बहुत कुछ काम कर चुके। ऐसा नहीं है कि वह केवल कागजों में हो, कागजों से नीचे उतरकर उन्होंने काफी प्रोग्रेस किया है। कब पूरा होगा, यह मैं नहीं कह सकता। मेरा कहने का आशय यह है कि केवल मल्टीनेशनल हिन्दुस्तान में आये हैं और कोई प्राइवेट कम्पनी हिन्दुस्तान में बिजली का कारखाना लगाने के लिए नहीं आयी। इसका कारण क्या है ? आप भी स्वीकार करेंगे और मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं कहता रहा हूं कि 1948 का एक्ट जिसमें बिजली के जनरेशन के बारे में कंडीशंस लिखी हुई हैं, व्यवस्थाएं दी गई हैं,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यह 1948 का एक्ट, गवर्नमैंट सैक्टर में बिजली पैदा होगी, इस बेसिस पर बना है। प्राइवेट सैक्टर में बिजली पैदा होगी उसको यह उसका आधार ही नहीं है। उसमें किसी प्रकार की कोई गुजाइंश नहीं है। इसलिए कई बार मैंने दिल्ली में चीफ मिनिस्टर की कान्फ्रेंस में, इलैक्ट्रिसिटी मिनिस्टर की कान्फ्रेन्स में यह कहा है कि यदि प्राइवेट में बिजली देने की अनुमति देते हैं तो सी.ई.ए. को हटाइये। 48 के एक्ट में सी.ई.ए. की व्यवस्था है इसको हटाइये। यह उसी का रिजल्ट है कि एक बार तो कह दिया कि 100 करोड़ का यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो सी.ई.ए. के पास जाने की जरूरत नहीं है। फिर उसको बढ़ाकर 400 करोड़ की बात आयी और 400 करोड़ से बढ़ाकर 1000 करोड़ की बात तक ले गये। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं, आज भी इस प्रकार की कंडीशन होते हुए प्राइवेट सैक्टर में हिन्दुस्तान में काई बिजली का कारखाना नहीं लगाएगा। लगाएगा तो वह इंडियन नहीं होगा। अगर इंडियन होगा तो फारेन कम्पनी के कोलेबोरेशन से होगा, उनके विश्वास से होगा कि सारी मनी वे लगाएं। लेकिन वे अभी आ नहीं रहे हैं। वे आयेंगे तो डाभोल जैसी स्थिति में आयेंगे। डाभोल में उन्होंने बिजली का उत्पादन तो खूब कर दिया और बिजली का उत्पादन करके सरकार से एक शर्त मंजूर करा ली कि हम जितनी बिजली पैदा करेंगे उसको महाराष्ट्र की सरकार को खरीदना पड़ेगा और जो हमारी बिजली की रेट उनके एग्रीमेंट में होगी उस एग्रीमेंट के हिसाब से महाराष्ट्र की सरकार को चुकाना पड़ेगा। मैं आज आपको कह सकता हूं, चन्द्रभानजी; जिस दिन महाराष्ट्र की सरकार इस एग्रीमेंट के हिसाब से डाभोल से बिजली खरीदेगी, महाराष्ट्र सरकार का दिवाला निकल जाएगा और कोई महाराष्ट्र सरकार की मदद करने को खड़ा नहीं होगा। आज उस प्रकार की स्थिति ये जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कम्पनियां हैं, यह इनका षड्यन्त्र है कि हिन्दुस्तान में प्राइवेट कम्पनी बिजली के जनरेशन में नहीं आये। प्राइवेट कम्पनी का मतलब हिन्दुस्तान के लोग इस प्राइवेट जनरेशन के अंदर शामिल नहीं हों।

आज जनरेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जिसका मानिकचंदजी ने उल्लेख किया। जनरेशन में आपने कल सूरतगढ़ की तारीफ की, यह बहुत अच्छा यूनिट है। इसमें कोई सन्देह नहीं है, हम इसके ऊपर गर्व करते हैं। कोटा का बहुत अच्छा यूनिट है, हम इस पर गर्व करते हैं। आज कैपेसिटी के हिसाब से जितना काम कोटा और सूरतगढ़ में होता है, आज से नहीं लगभग सात वर्षों से कोटा प्राइज लेता आ रहा है। इसी प्रकार सूरतगढ़ लेगा। लेकिन अल्टीमेटली आप मानकर चलिये, अगर आपने यही जनरेशन प्राइवेट हाथों में देने की बात की तो उनकी पहली शर्त होगी कोटा और सूरतगढ़ हमें सम्भलाओ। यह पहली शर्त होगी, कोटा और सूरतगढ़ इसको...(व्यवधान)

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़) : अभी विपक्ष के नेता महोदय ने यहां पर दो बातें कहीं। कोई भी मल्टीनेशनल के अलावा यहां पर बिजली का उत्पादन नहीं करेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा । 1984 में शायद देश में पहली बार जब कहीं निजीकरण की बात

(श्री शिवचरण माथुर)

नहीं चलती थी उस समय हमने सेन्चुरी मिल, आदित्य बिड़ला, जो बिड़ला ग्रुप का सबसे बड़ा ग्रुप है उसको प्राइवेट सैक्टर में बिजली लगाने की इजाजत दी थी और मेरे लेवल पर सब क्लीयरेंस करवाये थे। उसका क्लीयरेंस पाने के लिए घोसुण्डा में एक बड़ा डैम बनवा दिया और यह कहा था उनसे कि आपको आम उपभोक्ता को बिजली देने की जरूरत नहीं है। हमारे उस इलाके में जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं- निम्बाहेड़ा में, शंभूगढ़ में और आपके चित्तौड़गढ़ में, इन बड़े कंजूमर्स को आप बिजली दीजिए और हमारे ग्रिड के मार्फत दीजिए। 1984 के बाद में कोई बन्धन नहीं था, सी.ई.ए. का बन्धन नहीं था, यहां हमारे लेवल पर हमने सब कुछ क्लीयर किया। उसके बाद भी आज तक आदित्य बिड़ला यहां पर हमारे बीच में नहीं आये। कई बार मैंने उनको बुलाकर कहा कि सब फैसिलिटी आपको देने के बाद भी आप क्यों नहीं लगा रहे हैं ? उन्होंने एक बात मुझसे कही कि इतने कम रेंट आफ रिटर्न में हम कैसे पैसा लगाएंगे जहां पर कि हमको लाखों आदमियों से डील करना पड़ता है ? बिजली एक तरह से गवर्नमैंट की पालिसीज का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, कल को आप जाकर असेम्बली में अनाउंसमेंट कर दो और विश्वास भी दिला दो कि हम आपको सब्सिडाइज करेंगे। सब्सिडी लेने के पीछे हम कहां-कहां गवर्नमैंट के सामने मारे-मारे फिरेंगे। मैं तो इसमें नहीं आना चाहता। यह आदित्य बिड़ला ने अपनी जिन्दगी में मुझे कहा था।

आपने 1990 की बात कही। मैं एक ही बात आपसे जानना चाहता हूं, अब आप इस बात को आज स्वीकार कर रहे हैं तो आपने ये एम.ओ.यू. साइन क्यों किये यदि ये सब बातें आपको मालूम थीं कि कोई भी प्राइवेट पार्टी पावर सैक्टर में नहीं आयेगी ? मैं पार्लियामेंट की एनर्जी कमेटी की सब-कमेटी का चेयरमैन था। इसमें दस फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट को हमने एग्जामिन किया था। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था यह एनरान का, डाभोल का। डाभोल का जो सबसे बड़ा जनरल मैनेजर था वह हमारी कमेटी के सामने बोम्बे में एपीयर हुआ। जैसा कि आप कह रहे हैं कि डाभोल की शर्तों के मुताबिक अगर बिजली दी जाती है तो महाराष्ट्र इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड, आपके टाटा हमसे मिले, उन्होंने कहा हम सब लोग घाटे में चले जाएंगे। इसके दो कारण हैं। उनकी रेट्स तय की हुई हैं और वे डिस्ट्रीब्यूशन की रेट नहीं हैं। जनरेशन पर इलैवन के.वी. पर वह प्रोड्यूस करके उसको अपग्रेड करके दे देगी, महाराष्ट्र बोर्ड को दे देगी। महाराष्ट्र उसके हिसाब से बिलिंग करेगी और जितनी भी बिजली पैदा करेगी सबको खरीदना पड़ेगा। वह गैस बेस्ड पावर हाउस है, 92 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर में वह चलेगा और खास तौर से आफ पीक पीरियड में शाम के वक्त में जब बिजली की जरूरत नहीं होती है, बंबई मे जितने भी पावर हाउसेज हैं वे सब कोयले पर चलने वाले पावर हाउस हैं। उनको चलाने में बहुत टाइम लगता है और उनको कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ही 13 दिन की गवर्नमैंट आयी बी.जे.पी. की, सबसे पहले एनरान का एग्रीमेंट साइन आप लोगों ने किया था। जब आप स्वयं यह महससू करते हैं कि प्राइवेट सैक्टर में कोई बिजली के लिए नहीं आयेगा तो साढ़े आठ साल तक आप लोगों ने यह एक्सपैरीमेंट क्यों किया ? 21-

(श्री शिवचरण माथुर)

22 एम.ओ.यूज. आपने साइन किये। आप सी.ई.ए. की बात कह रहे हैं, मैं सोचता हूं कि यह धौलपुर का जो पावर हाउस है, आज हमारे जो एम.पी. हैं आर.पी.गोयनका, सब क्लीयर हो गया था, जमीन अलाट हो गई थी, वे क्यों नहीं लगाते ? वह तो काफी एडवांस स्टेज पर था। इसलिए नहीं लगा कि पहले नेफ्था का बेस था उसका और नेफ्था की कीमत उस वक्त आपके जो पावर परचेज एग्रीमेंट में हुई थी, उसकी रेट बढ़कर 14 हजार टन हो गई। वे भी बैक आउट हुए।

(21.00 बजे)

मेरा शुरू से यह मानना है, मैंने जिसको कई बार आपसे कहा है, हमारे मुख्य मंत्रीजी को खास तौर से कह रहा हूं, हमारी एस्टीमेट कमेटी में भी हमने एग्जामिन किया वहां हमने कहा कि हमारा अनुभव बताता है कि पावर में कोई आदमी नहीं आयेगा। इतनी स्टेट्स में जब आप फेल हुए हैं तो राजस्थान में एकसपैरीमेंट क्यों करना चाहते हैं ? लेकिन मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, सी.ई.ए. की कंडीशंस भी रिलैक्स हुई हैं, मुझे मालूम है... (व्यवधान) इन्वैस्टमैंट की बेसिस पर उसको टैग कर दिया गया है। उस वक्त में साढ़े आठ साल के अन्दर, इस बात को आप आज स्वीकार कर रहे हैं, उस वक्त क्या कारण थे कि आपने 21-22 कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. साइन किया ? कइयों के लैटर आपने साइन कर दिये उसके बाद एक फैक्ट्री बीच में नहीं आयी।

सूरतगढ़ का एक कारखाना था, मैं याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार थी, प्लानिंग कमीशन के सामने हमने इसको क्लीयर करवाया था। आपकी गवर्नमैंट आने के बाद उसको आपने टेकअप किया। ठीक है, 6-7 साल के अन्दर आपने उसमें काम किया। हमारी गवर्नमैंट आयी तो उसके पहले से तैयार था, इसको मुझे स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसमें भी कितने साल लगे आपको ? जब आप स्वीकार करते हैं कि कोई भी प्राइवेट सैक्टर नहीं आयेगा तो फिर आपने 22-23 एम.ओ.यू. साइन करके क्यों राजस्थान को बिजली से वंचित किया ? यह मेरा आपसे सवाल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माथुर साहब ने एक विचित्र सवाल मुझसे किया है कि मैंने प्राइवेट सैक्टर के अन्दर एम.ओ.यू. क्यों किये ? आपके और मेरे सिद्धांतों में थोड़ा अन्तर है। आप बिलकुल प्राइवेट सैक्टर के पक्ष में नहीं हैं।

श्री शिवचरण माथुर : मैं तो सबसे पहले था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैंने बताया न आपको, पक्ष में नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूं। आप नहीं चाहते कि प्राइवेट सैक्टर में किसी प्रकार की चीज बने। आपके दिमाग में है कि सब कुछ पब्लिक सैक्टर में होना चाहिए। (व्यवधान) इसलिए उस बात का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आज भी प्राइवेट सैक्टर का हामी हूं, पहले भी प्राइवेट सैक्टर का हामी था। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आप पक्ष में नहीं हैं, आपके पास इस बात का जवाब है नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपने बस की बात नहीं है, महेशजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि इतने एम.ओ.यूज. क्यों किये ? मैं ऐसा समझता हूं एम.ओ.यू. क्यों किये, इसके पीछे कारण था कि राजस्थान में बिजली का उत्पादन हो। इन सारे एम.ओ.यूज. और सारी पालिसीज के मामलों में जब नरसिंह रावजी हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री थे और आपके कांग्रेस पार्टी के विद्युत मंत्री थे साल्वे साहब उस समय सारी कान्फ्रेंसेज में इस मामले को मैंने उठाया था। उन लोगों का बार-बार आग्रह था कि प्राइवेट सैक्टर में जितना, जनरेशन करवा सकते हो, उतना करवाना चाहिए। मेरी भी इच्छा थी कि राजस्थान में जितना लिग्नाइट है, लिग्नाइट बेस्ड़ कारखाने एट द पिट हैड, हम यदि वहां काम शुरू करेंगे तो राजस्थान को निश्चित रूप से कोई लाभ मिलेगा। नुकसान तो मैंने नहीं किया न ?

आप यह समझते हैं कि धौलपुर के अन्दर नेफ्था बेस्ड या कोई और किसी तरह का फ्यूल बेस्ड हो लेकिन लाये। लाने के बाद में मुझे उम्मीद थी कि वहां किसी प्रकार की स्थिति खराब नहीं होगी और धौलपुर में कारखाना लग जाएगा। धौलपुर में कारखाना लगाने के लिए मालिक भी इच्छुक थे लेकिन फ्यूल के मामले में जब प्राइसेज गड़बड़ा गईं तो उसका ही परिणाम निकला....

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपके इन्टेंशन को डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं कि जो आज आपके थोट डवलप हुआ है कि प्राइवेट सैक्टर आ ही नहीं सकता, मैं आपसे वह कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दूसरा निवेदन कर रहा हूं।

आज मैं आपको बता देऊं, 48 में सी.ई.ए. की व्यवस्था थी। मैं एक बार नहीं, पचास बार इस हाउस में भी कह चुका हूं कि प्राइवेट सैक्टर के आने में दिक्कतें लोग खड़ी करेंगे और वो खड़ी करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज यदि हम कोई कोशिश करें तो इसमें आपत्ति का सवाल ही नहीं हो सकता। आज अगर कोई प्राइवेट सैक्टर में बिजली का उत्पादन करता है और इच्छा जाहिर करता है तो मैं समझता हूं कि न चन्द्रभानजी मना करेंगे, न चीफ मिनिस्टर करेंगे। कोशिश जरूर करेंगे, काम कितना होता है कि नहीं होता, वह आगे दूसरी चीज पर निर्भर करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी सन्दर्भ में कहना चाहूंगा...

श्री शिवचरण माथुर : आप मेरी बात को टाल गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टाल नहीं गया, आपका स्वभाव क्या है, वह मैं बता देता हूं ताकि किसी को किसी तरह का वहम नहीं रहे कि मैंने जो बात कही है वो बात सही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, माथुर साहब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के चेयरमैन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हैं, इन्होंने बिजली के मामले में एक रिपोर्ट दी है। मैं रिपोर्ट का ज्यादा भाग आपके सामने नहीं रखना चाहूंगा, उनकी रिकमन्डेशंस का पार्ट-I

"In view of Commission's ceilingsas supported by the above analysis, the present structure of R.S.E.B. may continue without unbundling." मतलब जो कर दिया उसमें आप अनबंडल नहीं करोगे। यही है न आपका मतलब ?

"Whatever systematic deficiencies were aimed to be removed, should be possible by creation of adequate profit. Centre`s, even folded by R.S.E.B. for instance, independent performance could be evaluated and monitored for generation, transmission and distribution division separately."

मतलब आप जिस सिद्धांत के हो उसकी तो मैं ताईद करना चाहूंगा कि आपने इस कमीशन में भी बैठ करके अपने सिद्धांत को ठीक ढंग से इस सरकार के सामने रखा है। अब सरकार इसको कितना मंजूर करती है या नहीं करती, इस सम्बन्ध में मैं नहीं कहना चाहता। सरकार ने एक कमेटी अपाइंट की है और मैं ऐसा समझता हूं कि वह कमेटी क्या फैसला करेगी, इसको आज के दिन में विजुअलाइज नहीं कर सकता लेकिन एक बात कहना चाहता हूं। चन्द्रभानजी, आप एक बात का ध्यान रखें, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सलाह देना चाहूंगा कि ये मामले इतने उलझन के हैं कि इन मामलों में हम किसी प्रकार से जल्दी नहीं करें। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि रिफार्म्स का बिल मैंने भी विधान सभा में रखा था और रखने के बाद में मैंने माननीय सदस्यों से राय ली। राय लेने के बाद में उस समय जो जानकारी मिली उस जानकारी के आधार पर मैंने इनसिस्ट नहीं किया कि इस बिल को मैं पास कराऊं। जब मुझे दिल्ली से कहा गया कि विधान सभा में इस बिल को रखकर आपने पास नहीं कराया, तो मैंने उस समय एक लैटर लिखा है और कहा भी है कि कई चीजें ऐसी हैं जब तक स्पष्ट नहीं होंगी, मैं अंधेरे में छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। दबाव भी था लेकिन दबाव के बावजूद भी मैंने छलांग लगाने की इच्छा प्रकट नहीं की। आपने एक दिन में बिल पास कर दिया। इस सदन के माननीय सदस्यों के विरोध के बावजूद बिल पास कराया है। सदन के माननीय सदस्यों ने जब कहा कि हमने इस पर स्टडी नहीं की, मैं तो उस दिन था नहीं, लेकिन आपने बिल पास कराया।

श्री शिवचरण माथुर : उस दिन मैं भी नहीं था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, थे कि नहीं थे लेकिन जैसा रामनारायणजी ने कहा, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि हमने कहा था कि इसको जल्दी पास मत कराओ। आपने वह जल्दी में पास करा लिया। आज उसके परिणाम हम भोग रहे हैं। परिणाम इस रूप में भोग रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक हमें 2400 करोड़ रुपये की सहायता देगा। 1994 से लेकर इस सहायता के बारे में मैं कई बार बातचीत करता रहा हूं, वह सहायता आयी नहीं है। सहायता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आयेगी किस बात के लिए ? वह सहायता जनरेशन के लिए नहीं आयेगी, वह सहायता आऐगी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या और किसी काम के लिए। 2400 करोड़ रुपये हमको मिल जाएं, हम उससे जनरेशन कर लें, इस प्रकार की स्थिति में नहीं हैं।

आपने यह कहा की जनता दल की सरकार में कोई बिजली पैदा नहीं हुई। केवल बिजली पैदा नहीं हुई, उसके आंकड़े तो आपने दे दिये लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप दो वर्ष से आये हैं, आपने दो वर्ष में प्राइवेट सैक्टर में कितनी बिजली पैदा कर ली ? प्राइवेट सैक्टर आ ही नहीं रहा है केवल गवर्नमैंट सैक्टर बचा है। गवर्नमैंट सैक्टर में हमने सूरतगढ़ का काम किया। पैसे थे तो कोटा की एक यूनिट तैयार की। रामगढ़ में गैस के आधार पर चलाया। आज प्राइवेट सैक्टर आ नहीं रहा है। आपके सामने हो या स्टेट के सामने, यह मजबूरी है कि हम बिजली पैदा करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करें और प्राइवेट सैक्टर नहीं आता है तो पब्लिक सैक्टर में बिजली पैदा करने की कोई व्यवस्था करें लेकिन प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के झगड़े में किसी प्रकार से राजस्थान को अंधेरे में नहीं रखें। इस मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

अब विचार करने के सम्बन्ध में आपने कर दिया अनबंडलिंग और अलग-अलग कर दिये। ट्रांसमिशन का तो मैं समझता हूं कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सदन भी जानता है कि उसका प्राइवेटाइज़ेशन नहीं होता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन का और जनरेशन का प्राइवेटाइजेशन, मैं आज आपको कहता हूं कि यह प्राइवेटाइजेशन तब होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में आपके सामने टैरिफ का मामला तय हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का प्राइवेटाइजेशन जब होगा जब छीजत का, चोरी का इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। जहां-जहां भी जी.एस.एस. आपको खोलने हैं, वे जी.एस.एस. सारे खुल जांएगे, जब सारी तैयारी डिस्ट्रीब्यूशन की आप कर लेंगे उस दिन कोई प्राइवेट कम्पनी आयेगी। मान लीजिये उस दिन प्राइवेट कम्पनी आ गई, आपने सारे शेयर्स देकर उस कम्पनी को प्राइवेटाइज कर दिया। मैं आज आपको कहता हूं इसकी गांरटी क्या है कि वह प्राइवेट कम्पनी डिस्ट्रीब्यूशन के, ट्रांसमिशन और जनरेशन के बीच में कहीं झगड़े नहीं हों ? पैसा आयेगा डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम से हमको पैसा मिलेगा। और उस पैसे के आधार पर जनरेशन वाले से हम बिजली पैदा करेंगे । उसने यदि एक बार कह दिया कि मेरे पास तो कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे पास व्यवस्था नहीं कर सकता तो उसके हाथ में चला जाए जनरेशन, और जनरेशन वाला अगर एक दिन यह तय कर दे कि मुझे किसी तरह से, जितना मैं जनरेट कर रहा हूं, उसका फायदा नहीं हो रहा है और वह बन्द करके चला जाए तो हमारा क्या होगा ? इसलिए आप इन चीजों पर गम्भीरता से विचार करें। इसमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी तो केवल इस बात की करें कि यदि हम प्राइवेट या पब्लिक सैक्टर में किसी भी सोर्स से बिजली पैदा कर सकते हैं, तो हमें बिजली पैदा करनी चाहिए।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस कन्ट्री के सामने एक बड़ी समस्या और है। हमारे यहां थर्मल पावर के साथ-साथ हाइडल पावर भी है। राजस्थान में हाइडल पावर है। गांधीसागर से हमें बिजली मिलती है, भाखडा से हमें बिजली मिलती है, माही से हमको बिजली मिलती है। यह बिजली सस्ती होती है। इस सस्ती बिजली और थर्मल का जब तक रेशो ठीक था उस समय तक बिजली की रेट्स कम थीं क्योंकि हाइडल पावर सस्ती होती है और थर्मल पावर महंगी होती है, उसके कारण से सस्ता था। आज कोई भी प्राइवेट सैक्टर को छोड़कर यदि पब्लिक सैक्टर में आयेगा तो सीधी आपके सामने शर्त लगाएगा कि गांधीसागर से पैदा होने वाली बिजली, चम्बल से पैदा होने वाली बिजली और माही से पैदा होने वाली बिजली का औद्योगिक जनरेशन प्राइवेट कम्पनी के हाथों में नहीं आयेगा, मैनेजमेंट प्राइवेट कम्पनी के हाथों में नहीं आयेगा। उस समय तक ये प्राइवेट कम्पनी बाहर से आकर बिजली पैदा करके हमें कुछ मदद कर सकें, इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें जल्दी नहीं करें।

अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमें आठ घंटे बिजली मिले। मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि आज जो बिजली का संकट आया है वह आपके घोषणा पत्र के कारण आया है। उसमें आपने कह दिया कि आठ घंटे बिजली देंगे, आपने कह दिया कि 37 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे। आज आप उससे मुकरेंगे तो लोग नाराज होंगे। आज जो आन्दोलन हो रहा था वह आन्दोलन इसी बात का है कि बार-बार हम यह कहते हैं कि हम आठ घंटे बिजली देंगे, आठ घंटे बिजली देंगे, हम बिजली सस्ती देंगे आज मिनिमम चार्जेज को जस्टिफाई करने लग गये। मेरी समझ में यह नहीं आया कि किस बात का जस्टिफिकेशन ? लेकिन आपने उसको जस्टिफाई किया। पोल की कीमत आपने बढ़ा दी। यह सब जस्टिफिकेशन जिस समय हमारी बिजली की पोजीशन अच्छी हो तब तो ठीक है लेकिन आटा गीला हो उस समय उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता स्वीकार करके चलना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज आपने नीचे जाकर किसानों को कहा है कि हम आठ घंटे बिजली देंगे। मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप अपने जवाब में और बातों के अतिरिक्त कम से कम इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे कि आप आठ घंटे बिजली किस प्रकार से देंगे ताकि यह मालूम हो जाए और जिनको आपने विश्वास दिया है, उनको भी एक मैसेज चला जाए कि मंत्री महोदय ने बहुत ही विश्वसनीयता के साथ जो बात कही है वह बिलकुल सही है।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज बिजली में आपके कई प्रकार के सिस्टम हैं। स्पेशल कैटेगरी अलग है, चारे की कैटेगरी अलग है, दूसरी कैटेगरी और हैं। (व्यवधान) लोड का तो जाने दीजिए। लोड का कहते हैं कि बन्द कर दिया इन्होंने। इन्हीं की योजना चलाई हुई थी और बन्द कर दी, अच्छा हुआ। हालांकि वह बन्द नहीं हुई है, कागजों में चल रही है। कागजों में वैसे ही है लेकिन मैं आपको एक और सलाह दूंगा। आपको यदि कमाई के आधार पर, कास्ट के आधार पर बिजली के कनेक्शन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देने हैं या जो गरीब किसान हैं उनको रियायत के आधार पर देने हैं तो पहले इस बात का निर्णय कर लीजिए, फिर इस समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसलिए ये ज्यादा लम्बे-चौड़े सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। एक-दो सिस्टम हो जाएं कि जनरल कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी है। ये लम्बे-चौड़े, कभी चारा और कभी चोरी के मामले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस आधार पर आप चलें।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जितने जी.एस.एस. बनाये हैं, मैं समझता हूं और इन्वैस्टमैंट करने की आवश्यकता हो तो आप किसी भी तरह से व्यवस्था करिए। जनरेशन में तो हम कोई इन्वैस्टमैंट कर नहीं पा रहे हैं। कर लें, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वैस्टमैंट आपका जी.एस.एस. में जिस दिन हो जाएगा उस दिन छीजत, चोरी रुकने की अपने आप व्यवस्था हो जाएगी। यह कुछ काम कर लेंगे तो निश्चित रूप से होगा।

मैं अन्त में आपसे और आपके मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो अनबंडलिंग हमने किया है, इसके रिपरकशंस होने वाले हैं। उसके कारण घर में बैठकर एक बार चिन्तन करें कि हम इस आधार पर कितना आगे चल सकते हैं और कितना नहीं चल सकते। हमारे सामने क्या-क्या इम्पैडिमैंट्स आने वाले हैं और इम्पैडिमैंट्स को हम किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं। यदि आपने इसकी व्यवस्था नहीं की और आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया और मैं आपके ऊपर इल्जाम लगाऊं, उससे बिजली पैदा होने वाली नहीं है। अपन दोनों इतने ताकतवर भी नहीं हैं कि आपस में लड़ेंगे तो हमारी लड़ाई से बिजली पैदा हो जाएगी। लड़ाई से बिजली पैदा होने वाली नहीं है, लोग एक दूसरे की मजाक करेंगे। इसलिए कोशिश यह करिए कि हम सब आपस में बैठकर पहले इस बात का फैसला करें कि जिस स्टेज पर हम पहुंच गये हैं उस स्टेज से हमें आगे बढ़ना है या उस स्टेज से हमें धीरे-धीरे बाइज्जत वापस आने की कोशिश करनी है। इसमें किसी का कोई दबाव नहीं मानें, राजस्थान का इन्टरेस्ट सर्वोपरि है। हम इस इन्टरेस्ट के आधार पर आगे बढ़ें तो इससे बढ़िया और कोई दूसरी बात, मैं समझता हूं, हो नहीं सकती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्राइवेटाइजेशन के मामले में कई लोग बोल चुके, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जिन स्टेट्स में भी ये रिफार्म्स इन्ट्रोड्यूस किये गये है, कानून बना है, कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जिस स्टेट के अन्दर पश्चाताप नहीं हुआ हो। बोलने में संकोच हो रहा है क्योंकि आगे बढ़कर हमने कर दिया। खूब ढोल-बाजे बजवा लिए, खूब धन्यवाद ले लिया। वर्ल्ड बैंक के जितने भी आफिसर्स आये उनके साथ बात करके हमने यह कह दिया, आफिसर्स नहीं मानते, पब्लिक नहीं मानती, हमने उनको मनवा लिया लेकिन, चन्द्रभानजी, आप ईमानदारी से विचार करें तो कोई स्टेट ऐसी नहीं है, जिसमें उड़ीसा तो बिलकुल बरबाद हो गया और बाकी के स्टेट बरबादी के कगार पर पहुंच गये हैं। इस तरह का इम्पार्टेन्ट स्टैप लेने के लिए जितनी ज्यादा आप स्टडी कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सकें, जितने लोगों को आप कांफिडेंस में ले सकें, उस आधार पर इसमें आगे आने की जरूरत है। वरना तो बहुत मुश्किल आपके, हमारे और सबके बीच में हो जाएगी। यह आज एक प्रदर्शन हुआ, कल कई प्रदर्शन होंगे और हम आठ घंटे बिजली भी नहीं दे पाएंगे। यदि बिजली का उत्पादन नहीं हुआ तो चार घंटे भी हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप इन चीजों की चिन्ता छोड़ें कि अपोजीशन क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है। मैं आपको यह विश्वास से कह सकता हूं कि आप जितना इस सारे मामले में सहयोग चाहेंगे, वह सहयोग देंगे लेकिन लाइन सही होनी चाहिए, नीयत सही होनी चाहिए। राजनीतिक लाभ इसमें उठाने की चेष्टा नहीं करें क्योंकि इस समय संकट है, इस संकट में अगर राजस्थान फंस गया तो राजस्थान की खेती ही बरबाद नहीं होगी, राजस्थान में इण्डस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं होगा। आपको मालूम हो कि बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज यहां बन्द हैं, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज बन्द हैं। आज जो आप किसानों को बिजली दे पा रहे हैं उसका एक कारण यह है कि औद्योगिक क्षेत्र में मन्दी चल रही है, वहां से बिजली बच रही है। उस बिजली को आप दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। यह स्थिति अब बेकारी की समस्या की होगी। आज तक तो किसान बिजली के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। किसानों को बिजली मिले, ज्यादा मिले, इसके लिए आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन इण्डस्ट्रियल सैक्टर में यदि इसी प्रकार की मन्दी रही और सरकारी सेवाओं में लेने के ऊपर पाबन्दी रही, मैं यह नहीं कहता कि आप सरकारी सेवा में लेओ लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि राजस्थान की सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को रोजी-रोटी और मकान का प्रबन्ध करें। इससे आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि उस जिम्मेदारी के आधार पर यदि हमने नौकरी नहीं दी, लोगों को काम नहीं दिया, धंधा नहीं दिया, रोटी का इन्तजाम नहीं किया तो जिस दिन बेकार इस राजस्थान की विधान सभा के सामने आकर खड़े हो जाएंगे, वे हमारे आश्वासन से जाने वाले नहीं हैं। यह भरोसा रखकर चलिए कि उनको आपको प्रत्यक्ष में कुछ न कुछ देना पड़ेगा। इस आधार पर कोशिश करिए, ईमानदारी से कोशिश करिए। मैं नहीं कहता कि इस तरह की बातें हो गईं जिनको वापस ठीक नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर इस व्यवस्था को ठीक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो दो मिनट। विपक्ष के नेता महोदय ने अभी जो सहयोग का आश्वासन दिया, मैं उनका आभारी हूं और मैं समझता हूं उनकी आवाज में शक्ति भी है। उसका प्रमाण यह है कि एक फैक्स मैसेज यहां से भेजा और उसका तुरन्त यहां जवाब आ गया। नेता महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पुराने जमाने के इतिहास में ले जाना चाहता हूं। अन्ता का उद्घाटन हुआ, श्री बसन्त साठे ऊर्जा मंत्री थे और मैं मुख्य मंत्री था। हम लोग उसका उद्घाटन करने गये तब हमने उनके सामने एक सुझाव रखा था, पहली बात तो यह है कि आप दूसरी

(श्री शिवचरण माथुर)

यूनिट की घोषणा कीजिए क्योंकि बहुत जल्दी ही गैस बेस्ड प्लान्ट दो साल में ही आ सकता है, सबसे कम टाइम इसके लगने में लगता है। मैंने कहा कि सैण्ट्रल एलोकेशन तो हमको मिलने वाला है उसको आप, जैसे आर.ए.पी.पी. की पहली यूनिट है, हालांकि वह एक सैण्ट्रल प्रोजेक्ट है लेकिन कैप्टिव यूनिट की तरह से राजस्थान को बिजली सप्लाई करता है। मैंने कहा चूंकि हमारे यहां अन्ता मौजूद है, यह आप एक बात तो सिद्धान्ततः स्वीकार कीजिए, इसको सैण्ट्रल प्रोजेक्ट मानकर एलोकेशन का हिसाब आप रख लीजिए। राजस्थान का हिस्सा जो कुछ भी मिलना हो वह अन्ता से आप दिलाइये और सैकिण्ड यूनिट अन्ता की आप फौरन लगाइये। बसन्त साठे के मेरे पास अभी डाकूमैंट अवेलेबल नहीं हैं लेकिन पुराने रिकार्ड अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि बसन्त साठे ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम इसको सैण्ट्रल प्रोजेक्ट तो मानते हैं लेकिन चूंकि राजस्थान में बेस्ड है यहां से ट्रांसमिशन में बिजली का कम खर्चा होता है। हम इसको एक कैप्टिव यूनिट की तरह से एक सिद्धान्त के आधार पर बिजली यहां से लेना स्वीकार करते हैं जैसा कि आर.ए.पी.पी. से बिजली हमको मिल रही है। आपके प्रभाव से मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दो बातें मेहरबानी करके भारत सरकार से कहिएगा। पहली बात तो सैण्ट्रल एलोकेशन की बात है, राजस्थान की जो दिक्कत है उसमें अनअलाटेड सैण्ट्रल एलोकेशन से राजस्थान को अधिक से अधिक बिजली दिलाने की बात आप करें। एक बात तो यह है। दूसरी बात एक ऐतिहासिक सत्य है। इण्टर स्टेट एग्रीमैंट के बेसिस पर रावी, ब्यास और सतलज की नदियों का पानी हम हरियाणा, पंजाब जो पहले पंजाब अनडिवाइडेड था, बाद में हरियाणा बन गया और राजस्थान के बीच में उसका वितरण हुआ है। ओरिजिनल एग्रीमैंट यह था कि जिसका जितना हिस्सा आयेगा उसके मुताबिक पैसा वह सरकार देगी और उसके हिस्से के मुताबिक बिजली या पानी उसको मिलेगा। यह एग्रीमैंट है, 1955 का सा एग्रीमैंट तो नहीं है लेकिन डिस्कशंस हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिजली का नहीं है उसमें।

श्री शिवचरण माथुर : उसके बाद का है। कई ऐसे मुहायदे मिल जाएंगे आपको इस रिपोर्ट में। सीरियल आर्डर में क्या-क्या आप देखेंगे जिसमें मैंने इसको दिया है उसमें 575 मेगावाट बिजली पंजाब कामन वाटर्स पर, ब्यास के वाटर पर, सतलज के वाटर पर सरपटीशियसली आनन्दपुर साहब में बिलकुल पैरेलल नहर बनाकर उतनी बिजली पैदा कर ली। जब पी.यू.सी वहां गई थी तब हमने इस बात को उजागर किया। अभी एस्टीमेट कमेटी गई तब भी हमने कहा। तो सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि कामन वाटर्स में जो बिजली पैदा हो रही है, पंजाब अपनी मर्जी से पावर पैदा करके पूरा उसका उपयोग कर रहा है। आज अगर भारत सरकार के गुड आफिसेज को आप यह कहें कि ऐसी बिजली 575 मेगावाट राजस्थान को मिलेगी, इन कामन वाटर्स में इण्टर स्टेट एग्रीमैंट के मुताबिक 575 मेगावाट बिजली हमको मिलनी चाहिए।

(श्री शिवचरण माथुर)

आज चाहे कितनी हमारी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं लेकिन राजस्थान सरकार को इसको स्वीकार करना चाहिए, उस जमाने की कीमत पर जो भी पैसा हमारे ऊपर आयद होगा हम उसको देने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि रोज यह 2500-3500 करोड़ रुपये की बिजली खरीदने के बजाय तो उस वक्त का हिस्सा अगर अपन पैसे का दें तो वह ज्यादा उपयुक्त रहेगा। मैं चाहूंगा आपसे कि आप प्रधान मंत्रीजी से यह कहें कि राजस्थान की इस दिक्कत में राजस्थान का जो वाजिब शेयर है 575 मेगावाट का, उसको राजस्थान को दिलाने के लिए आप कोशिश कीजिए ताकि हमारी एक दिक्कत तो दूर हो।

दूसरा, अन्ता से उसकी दूसरी यूनिट इमीजिएटली शुरू करने के लिए कहिएगा। उसमें एक कैप्टिव यूनिट की तरह से जो हमारा शेयर है, अनअलाटेड शेयर या जो दूसरा शेयर है वह सब यहां से हमको मिल जाए तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी सहायता हमारी होगी। राजस्थान का जो बिजली का संकट है, जब तक जनरेशन नहीं होगा तब तक हम डिस्ट्रीब्यूशन किसका करेंगे ? वर्ल्ड बैंक जनरेशन के लिए एक पैसा नहीं दे रहा है। वर्ल्ड बैंक दे रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और वह भी कम्पनियां बनने के बाद। जब अनबंडलिंग हो जाएगी, प्राइवेट कम्पनीज बन जाएंगी तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम उसमें पैसा गवर्नमैंट की गारंटी बगैर नहीं देंगे। वर्ल्ड बैंक कहता है कि हम इसमें गवर्नमैंट की गारंटी चाहते हैं और हम दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे पैसा दिला देंगे। तो जो प्राइवेट कम्पनियां हैं उनके सामने एक जबर्दस्त अर्थ का संकट आने वाला है, जो पूरा नहीं होगा। मेरे खयाल से मैं इसमें कोई सिद्धान्त की बात नहीं कहता, कोई प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के पक्ष में या विपक्ष में बात नहीं कहता, जिस तरह से भी बिजली आये राजस्थान में, उसको लाना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूं सिद्धान्ततः। यदि वह पैसा हमको मिलता है चाहे वर्ल्ड बैंक की सहायता लीजिएगा, लेकिन जनरेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक पैसा वर्ल्ड बैंक देने वाला नहीं है। दूसरी जो कम्पनियां हैं, फाइनेंशियल एजेन्सीज उनके मार्फत आपको पैसा मिलेगा, और जब तक गवर्नमैंट गारंटी नहीं होगी उन प्राइवेट कम्पनियों को कौन पूछने वाला है? इन सब बातों को देखते हुए, ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइये। राजस्थान के हित में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत व्यापक पैमाने पर अधिकारियों के भरोसे मत छोड़िये इस बात को, उसके व्यापक प्रभाव को समझने की कोशिश कीजिए और अनबंडलिंग के फैसले को फिर से बदलने की कोशिश कीजिएगा। आज हरियाणा इस पर आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं गुजरात गया, गुजरात में तो पांच जगह पर पहले ही प्राइवेट कम्पनियां डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे हैं। आन्ध्रा में सुमित्राजी जैसा कह रही थीं, हमारी पार्टी वहां पर इसका विरोध कर रही है। उड़ीसा में ऐसी स्थिति है कि वहां टोटली फेल हुआ है। यहां भी डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फेल होगा। इसलिए होगा कि जयपुर की तो कोई जिम्मेदारी ले लेगा लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा कौन कम्पनी

(श्री शिवचरण माथुर)

जाएगी ? आपके रेगिस्तान में कौन कम्पनी जाएगी घाटे में ? इन सारी स्थितियों पर आप खुले दिमाग से चर्चा कीजिए, यह आपके हित में है। आप वर्ल्ड बैंक का जो पुराना इतिहास है उसको देखते हुए मेहरबानी करके राजस्थान के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुन: विचार कीजिए। अधिकारियों पर इस बात को मत छोड़िये, अपने तौर पर इस पर विचार कीजिए और इस फैसले को बदलने की कोशिश कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप दो बड़ों के बीच में मैं फंस गया, कब समाप्त होगा यह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दो बड़ों के बीच में इन्टरेस्ट की बात हो रही है इसमें हम कोई स्कोर नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी (शिक्षा मंत्री) : दो वरिष्ठ नेता, भूतपूर्व मुख्य मंत्री क्यों नये ऊर्जा मंत्रीजी का टैस्ट ले रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऊर्जा मंत्रीजी के साथ मिलकर के...

श्री सी.पी. जोशी : जो चीज है वह चीज हमको मालूम है कि अनबंडलिंग की फेट सील है। गवर्नमेंट आफ इण्डिया आपकी पार्टी की सरकार है, वह कोई बात तब कहे कि हर स्टेट को अनबंडलिंग करना है, यह फेट सील है। शिवचरणजी माथुर साहब को भी मालूम है यह फेट सील है। कांग्रेस के हाई कमान ने फैसला किया उस हाई कमान के फैसले के अन्तर्गत हम काम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय मंत्रीजी, आप बोलेंगे, दो मिनट में।

श्री सी.पी. जोशी : ऐसे में हम जिन चीजों को उठा रहे हैं उन चीजों को उठाकर हम क्या करना चाहते हैं ? मैं समझता हूं कि अच्छा यह रहेगा कि जो चीज हमारे हाथ में है पहले माननीय भैरोंसिंहजी साहब, जो विपक्ष के नेता हैं...

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा यह रहेगा कि अब मंत्रीजी को जवाब देना है।

श्री सी.पी. जोशी : वे यह बात कहें कि अन्ता का जो हमारा शेयर है वह शेयर कैसे ला सकते हैं, उसमें आपकी भूमिका क्या है, नम्बर एक। नम्बर दो, जो अनएलोकेटेड कोटा है जिसको पच्चीस परसेंट कर रखा है, पचास परसेंट शेयर है, उस पचास परसेंट के शेयर में आप अपने प्रभाव का उपयोग करके राजस्थान की क्या मदद कर सकते हैं। आपकी पार्टी के एम.पी. हैं, आपका भी धर्म बनता है कि इस बिजली के संकट के समय में जो आपकी भूमिका है उस भूमिका के सम्बन्ध में चर्चा करें। प्राइवेट सैक्टर में क्या हुआ, पब्लिक सैक्टर में क्या हुआ, अनबंडलिंग में क्या होगा, आगे क्या चीजें हो जाएंगी, इन सब चीजों से हिन्दुस्तान की जनता भली-भांति परिचित है। इसलिए बैटर कोर्स यह है कि हम नौजवान आदमी हैं, नई पीढ़ी के लोग हैं, नया राजस्थान बनाना चाहते हैं और नया राजस्थान बनाने में भाषण की जरूरत नहीं है, नया राजस्थान बनाने में जो काम कर सकते हैं वह काम करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सी.पी. जोशी : इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह भाषण देकर हम बहुत सत्ता में रह गये हैं, प्रतिपक्ष के एक जिम्मेदार नेता होने के नाते क्या राजस्थान की जनता के मन की बात आपके मन में नहीं है ? क्या आपका धर्म नहीं बनता है कि अन्ता के उद्घाटन के अवसर पर आप गये, आज बिजली का संकट खड़ा हुआ है, आप अपने प्रभाव का उपयोग करके बिजली अलाट करवाएं ? क्या आपके मन में प्रश्न नहीं उठता है कि पचास प्रतिशत एलोकेशन की जगह पच्चीस प्रतिशत एलोकेशन हो गया है, पच्चीस प्रतिशत बढ़ा रहे हो ? यह काम तो हम नहीं कर सकते हैं और यह काम हो जाना चाहिए, अनबंडलिंग हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं कि हम अपने धर्म के प्रति न्याय नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान की जनता न केवल भैरोंसिंह जी शेखावत से, शिवचरणजी माथुर से भी यह प्रश्न पूछेगी कि पचास साल में हमने जो काम किया है क्या अगले पचास साल में ऐसे ही काम करें हम। प्राइवेट सैक्टर में यह हो गया, हमने यह कर दिया, नेफ्था का पैसा यह हो गया, इसलिए नहीं हो पाया, अब कोई सुनने वाला नहीं है। अब हम जो कर सकते हैं उसके सम्बन्ध में चर्चा करें। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय विपक्ष के नेता जो एक जिम्मेदारी के पद पर हैं, राजस्थान की जनता और जो किसान आये हैं, पूछ रहे हैं, हमारे प्रतिपक्ष के नेता इस बिजली के संकट को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन क्या करना चाहते हैं, वह जनता के सामने बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : यह कह दिया इन्होंने कि जितना सहयोग चाहिए, देंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : यह सब कार्यवाही, सब मदद प्रतिपक्ष के नेता महोदय ही करेंगे, यह सरकार भी कुछ करेगी ? सब इन पर ही डाल देंगे ? (व्यवधान)

श्री सी.पी. जोशी : इनका भी धर्म बनता है। हमारा काम तो हम करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : हमारी सरकार को भी तो कुछ करना है, नहीं करना है ? (व्यवधान) यह मदद करेंगे आपकी...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंह जी, बिराजिये। माननीय नेता महोदय, मंत्रीजी को जवाब देने दो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जानकारी होगी जिस समय कोई पावर प्रोजेक्ट लगता है वह चाहे अन्ता का हो, चाहे आर.ए.पी.पी. का हो, चाहे कोई भी हो उस समय उसमें किस-किस को कितना हिस्सा मिलेगा, सैण्ट्रल प्रोजेक्ट के बारे में यह उसी समय निर्णय हो जाता है। अन्ता गैस जिस समय बना उस समय इसका निर्णय हो गया। निर्णय हो गया तो आज अपने हिस्से में आप खुद ही सोच लें कि अपने हिस्से में किसी बिजली के कारखाने से हमारा 5 परसेंट या 10 परसेंट का हिस्सा तय हो जाए और हमारा हिस्सा कोई खा जाए तो हम उसको टोलरेट नहीं करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, सब कुछ होंगे। यह अन्ता गैस के मामले में जो फैसला था वह पहले हो गया। जितना हिस्सा जिस स्टेट को मिलना था वह तय कर दिया गया। लेकिन इस बीच में आर.ए.पी.पी. के दो यूनिट बंद हो गये, उस समय स्टेट की तरफ से सैण्ट्रल गवर्नमैंट के ऊपर प्रैशर डाला गया कि आपके

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही यूनिट हैं ये दोनों बन्द हो गये, यह राजस्थान को अलाटेड हैं और इसके एवज में आपको क्षतिपूर्ति के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। तो अन्ता गैस से उन्होंने क्षतिपूर्ति की। अन्ता गैस से क्षतिपूर्ति के बाद जब दोनों यूनिट वापस चालू हो गईं तो जो हमें बिजली मिलती थी वह नहीं मिली। उसका शेयर है, उस शेयर को कोई दूसरा कटवा ले कि मैं पंजाब का शेयर ले लेऊं या आसाम का शेयर ले लेऊं या किसी स्टेट का शेयर ले लेऊं या हमारा शेयर कोई ले ले, यह सम्भव नहीं है। यह तो एग्रीमैंट के हिसाब से चलेंगे जो एग्रीमैंट हो गया।

श्री शिवचरण माथुर : अनएलोकेटेड शेयर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बताता हूं आपको। मैंने आपको बता दिया 25 परसेंट का कि उन्होंने किया 25 मेगावाट का अनएलोकेटेड में से। आपने जो बात कही है, मैं अनबंडलिंग का मामला नहीं उठा रहा। वह इसलिए नहीं उठाना चाहता वह कांग्रेस पार्टी का द्वंद्व है, मैं उसमें नहीं पड़ूंगा। आप चाहते हैं पब्लिक सैक्टर में जो रिफार्म्स हैं उसके आधार पर चलें। आपकी विचारधारा शुरू से है, जोशी जी, कोई आज नहीं बदली है। ये प्राइवेट सैक्टर को आंख से ही नहीं देखना चाहते तो उस प्राइवेट सैक्टर में कोई बात चले, यह सम्भव नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने यह कहा कि जो पानी पंजाब का और हमारा पानी है उस पानी में बिजली और पानी का शेयर हमारा है। माथुर साहब, मैं हाउस में नहीं कहना चाहता कि स्टेट के इन्टरेस्ट में नहीं है वरना में इतना कह सकता हूं आपको कि 1.6 मिलियन एकड़ फीट पानी अपना था। आपको याद है अच्छी तरह से, 1981 में आपने एक एग्रीमैंट कर लिया उस एग्रीमैंट से हमको कितना नुकसान हुआ। मैं आज कई वर्षों के बाद फिर इस सब्जैक्ट पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात तो आप कई सालों तक कह चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं कह चुका लेकिन ये भूल जाते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : जितनी बहस आपने की है, मैं आज भी कहता हूं कि इस पर एक फुल टाइम डिबेट रख लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डिबेट का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आपने जो दे दिया, मैंने कह दिया न, आपने जो दे दिया, उस समय भी आपको याद होगा, विधान सभा में तीन दिन तक आपको लगातार कहता रहा था कि आपने एग्रीमैंट कर लिया और हमारा जो हिस्सा पंजाब को दे दिया उस हिस्से को वापस लेना बहुत मुश्किल है। कभी आपको नहीं मिलेगा। कई बार मैंने कोशिश कर ली, पुरानी गवर्नमैंट ने कोशिश कर ली, पंजाब हमारा हिस्सा देने को तैयार नहीं है क्योंकि ऐसा लूजली वर्डेड वह एग्रीमैंट है जिस एग्रीमैंट में पंजाब चाहे जिस समय हमारी बात को रिजैक्ट कर सकता है। उसमें कुछ है नहीं। वह तो आपने राजस्थान की ऐसी सर्विस कर दी कि आप जब तक राजस्थान के मामले में रहेंगे, लोग याद करेंगे। हमारा पानी आपने पंजाब को दिया है। इसलिए मैं उस प्रसंग में नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आना चाहता, लेकिन आप जो दूसरी बात कह रहे हैं कि पानी का हिस्सा तो है, हमारा बिजली का हिस्सा अभी तक नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा, थीन डैम, बाड़ी दोआब, चमेड़िया इन मामलों के अन्दर चर्चा होने लगती थी उस समय मैंने इस विधान सभा में आपके सामने एक प्रश्न उठाया था कि इस पानी में हमारा हिस्सा है। पानी में हमारा हिस्सा, है तो बिजली में भी हमारा हिस्सा होगा। कन्जम्पटिव यूज में भी हमारा हिस्सा होगा। कन्जम्पटिव यूज में भी हमारा हिस्सा है तो नान कन्जम्पटिव यूज में भी हमारा हिस्सा होना चाहिए। उस समय अपेण्डिंग हुआ था और उस मामले को लेकर आपने लैटर लिखा था। मुझे मालूम है, लैटर मैंने भी लिखे हैं लेकिन आज तक यह फैसला नहीं हुआ कि पानी के अतिरिक्त बिजली का हिस्सा भी राजस्थान का है या नहीं है। उसके सम्बन्ध में कई बार ऐसा विचार किया कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। यह बिलकुल किया, लेकिन मामला बड़ा रिस्की है। यह मैं आपको बता देऊं कि यह मामला रिस्की है। और रिस्की होन के नाते मैंने भी और आपने भी दुनिया भर के एडवोकेट से इस सम्बन्ध में ओपिनियन ली थी कि हम कोर्ट में जाएं या नहीं जाएं। लेकिन एक प्रश्न के ऊपर पंजाब कोर्ट में जाने को तैयार हो गया। मैं समझता हूं, वह मामला अभी तक पैंडिंग है, जब तक उसका फैसला नहीं हो तब तक वह अपने को बिजली दे दे, यह सम्भव मुझे तो नहीं लगता। अपन कोशिश करें, राजस्थान की सरकार कोशिश करें, आप भी कोशिश करे हम भी कोशिश करें, बिजली मिल जाए तो इससे बढ़िया तो काम कोई नहीं हो सकता। लेकिन बिजली मिले कि नहीं मिले या पंजाब से बिजली ले लें या राजस्थान का हिस्सा कोई हरियाणा ले ले, यह सम्भव नहीं है। आज के युग में जहां एक फैडरल सिस्टम है उस सिस्टम में एग्रीमैंट के साथ सरकारें चलती हैं। एक जगह आपने समझौता कर लिया और दूसरी जगह आप समझौते को भंग करना चाहो तो उस स्टेट के लोग करने नहीं देंगे। इसलिए उन प्रसंगों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं चन्द्रभानजी से इतना ही कहूंगा कि सारे मामले पर गम्भीरता से चिंतन करने के बाद आपको इसमें जितना भी विरोधी दल का, आप आलोचना की दृष्टि से नहीं, अगर आप कन्विंस हो जाएं कि जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स अपने सामने आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक का जिस तरह का एटीट्यूड आ रहा है, उस एटीट्यूड में हम सुरक्षित रहेंगे तो आपके साथ मैजोरिटी है, You go ahead. और यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक बार कदम उठा लिया, इसको वापस लेऊंगा तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे या नाराज होंगे तो उस चीज की कोई कीमत नहीं है, नाराज होंगे तो होकर रह जाएंगे, मजाक उड़ेगी तो उड़कर रह जाएगी लेकिन राजस्थान का हित सर्वोपरि है इस बात को ध्यान में रख कर आप काम करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्षजी, मुझे इस बात की तो खुशी है कि आज राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर जो चर्चा रखी गई उसमें प्रतिपक्ष के नेता महोदय समेत 24 माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया और ऊर्जा क्षेत्र की जो दिक्कतें हैं उनको गहराई से समझा भी। राज्य में बिजली से सम्बन्धित जो भी

(डा. चन्द्रभान)

सवालात हैं, जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कहना चाहता हूं कि बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बिजली आम आदमी की जरूरत है और राज्य का विकास चाहे औद्योगिक हो या कृषि का हो, वह बिजली के ऊपर निर्भर करता है। अब चूंकि राजस्थान में लगातार तीसरी साल सूखे की स्थिति बनी हुई है और रबी की फसल की बुवाई का समय चल रहा है, उसमें विशेष रूप से किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सदन के सभी माननीय सदस्यों का चिंतित होना स्वाभाविक है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चर्चा में केन्द्र द्वारा राज्य को आबंटित बिजली के संबंध में भी प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने एक पत्र पढ़ कर सुनाया। यहां विद्युत सुधार कार्यक्रमों की भी चर्चा हुई। वर्ल्ड बैंक के लोन की भी चर्चा हुई। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में तो सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। इसके अलावा विद्युत तन्त्र मजबूत करने, बिजली की चोरी को रोकने, बिजली का सदुपयोग करने और अपने-अपने क्षेत्र की और अपने-अपने जिले की जो बिजली की स्थिति है, समस्याएं हैं उस पर भी माननीय सदस्यों ने विस्तार से अपने विचार रखे।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैंने कल राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर एक विस्तृत वक्तव्य दे दिया था लेकिन मुझे लगता है कि कल मेरे से चूक हो गई, एक गलती हो गई कि वह वक्तव्य सदन में पढ़ने के बाद मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को सौंपा। यह मान कर सौंपा, मैंने विशेष आग्रह भी किया था, प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों से आग्रह किया था कि बिजली का संकट है इससे कैसे निजात पाई जाए, इसमें मेरा सहयोग करें। प्रतिपक्ष के नेता महोदय को वह वक्तव्य मैं विशेष रूप से देने का इच्छुक था कि ये इसका गहराई से रात को अध्ययन करेंगे और आज कोई मदद करवाएंगे। यह बात तो सही है कि उनका असर तो है केन्द्र सरकार पर, लेकिन आज जो जवाब केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रीजी का उन्होंने घुमा-फिरा कर मंगवाया है, इससे राज्य को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने भी उनसे बात की थी और आज उन्होंने आपको भी जवाब भेजा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी को भेजा है। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ दिया। आपके माध्यम से मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वैसे पूर्व मुख्य मंत्री शिवचरण जी ने भी उनसे कई सवालात किये, आपको पैरवी हमारी करनी चाहिये, राज्य की करनी चाहिए। आप भी राज्य के तीन बार मुख्य मंत्री रहे हैं और प्रतिपक्ष के नेता हैं जितनी सरकार की जिम्मेदारी है राज्य में विद्युत संकट का मुकाबला करने की, उससे कम आपकी भी नहीं है। आप अभी केन्द्र सरकार को डिफेन्ड कर रहे हैं। आपने एक बात कही कि अंता के दूसरे चरण की शुरुआत के लिये अपन चले थे जब हमारी सरकार बनी थी। खैर, दुर्भाग्य से आज कुमारमंगलम जी भी नहीं हैं, उन्होंने बहुत प्रयास भी किये। बहुत ही दुर्भाग्य है राजस्थान का कि दूसरे चरण की यूनिट का भी काम शुरू नहीं हुआ। उसके पीछे नेफ्था की कीमत बढ़ी है या कोई वजह थी, लेकिन अंता से हमें जो भी आबंटन होता था उसके पीछे मुख्य वजह यही थी कि एक तो आर.ए.पी.पी. की जो दोनों यूनिटें हैं उनका प्रोलोंग्ड शट-डाउन था और वे डीरेट हो गई थीं। पहले 440 मेगावाट की दोनों

(डा. चन्द्रभान)

यूनिटों की स्थापना करने का फैसला था, लेकिन बाद में उसे 300 मेगावाट कर दिया गया और जब 440 मेगावाट की दो यूनिटें एस्टेब्लिश करने का राजस्थान में फैसला हुआ उसमें इस बात का भी निर्णय हुआ था कि इससे जितनी पावर जनरेट होगी वह राजस्थान को मिलेगी। यह प्रोलोंग्ड् शट-डाउन था और 140 मेगावाट कम बिजली राजस्थान को उनसे उपलब्ध होती। उसके अंगेस्ट में 112 मेगावाट बिजली 1993 में राज्य को विशेष आबंटन के रूप में केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी गई। प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं कि वे यूनिटें 1998 में शुरू हो गईं। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रीजी के पत्र में भी इस बात का हवाला दिया गया। अन्ता में अन्य राज्यों का शेयर था, यह बात सही है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आर.ए.पी.पी. की फर्स्ट यूनिट सिंक्रोनाइज हुई 1.4.97 को और दूसरी यूनिट सिंक्रोनाइज हुई 11.6.98 को और हमारा अंता से जो विशेष आबंटन था उसको विथड्रा 20.10.99 को किया गया, यह क्या वजह थी ? 1997 में एक यूनिट आ गई, 1998 में एक यूनिट आ गई, तब वह विद्ड्रा नहीं किया गया और 1999 के अक्टूबर में उसको विथड्रा किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, अनएलोकेटेड कोटे का जहां तक सवाल है या एडीशनल कोटे का जहां तक सवाल है, सैण्ट्रल जनरेटिंग पावर स्टेशंस हैं उनकी 15 प्रतिशत पावर अलाट करने का अधिकार केन्द्र सरकार को है। पिछले सालों में उसमें वृद्धि हुई है, इंस्टाल्ड, कैपेसिटी बढ़ी है। जो नाइन्थ प्लान है, वैसे तो 50 हजार मेगावाट की बात करते थे लेकिन इसमें 30-32 हजार मेगावाट पावर की एडिशनल कैपेसिटी बनी है पूरे देश भर में। पिछले साल में ही 4 हजार मेगावाट से ज्यादा उसमें एक्सट्रा पावर जुड़ी है। तो जब वह कोटा बढ़ा है तो निश्चित रूप से ऐसे राज्य जो पावर डेफिसिट वाले हैं, जो सूखे का मुकाबला कर रहे हैं, जो टाइमली पेमेन्ट करते हैं, जो ग्रिड के डिसिप्लिन को मानते हैं और जिनकी जरूरत है उनके कोटे में वृद्धि होनी चाहिए। माथुर साहब ठीक कह रहे हैं और मैं फिर आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से और प्रतिपक्ष से निवेदन करूंगा कि जब यह अनएलोकेटेड कोटा हमें 50 प्रतिशत पर मिलता रहा है, आज यह घटकर 25 हो गया है तो हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम यह तो 25 से 50 हो। मैं मोटे रूप से कहना चाहता हूं कि 1995 में जब केन्द्र के पास जितने सैण्ट्रल जनरेटिंग पावर स्टेशंस थे, उनकी कैपेसिटी कम थी, उत्पादन कम था तब तो 632 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती थी, सब तरह का जो कोटा था, इसमें अनआबंटित भी था, और अतिरिक्त आबंटन भी था अंता के अलावा और आज वह घटकर 468 मेगावाट हो गया। तो मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, और हमें उम्मीद भी है, आपने खुद ने ही कहा है कि राज्य का मसला है, सभी लोग मिल-जुलकर इस संकट का मुकाबला करेंगे, तो आप इसमें सहयोग करें। हम तो खैर हमारा प्रयास जारी रखेंगे लेकिन आपका सहयोग भी अपेक्षित है कि केन्द्र से हमें ज्यादा से ज्यादा बिजली किस तरह से मिले।

यह बात हम सब लोग जानते हैं और कल भी मैंने चर्चा कर दी थी, आज दुबारा उसको

(डा. चन्द्रभान)

रिपीट करने की मैं कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता कि सूखे के कारण अभी जो आप कह रहे थे कि हाइडल और थर्मल का जो रेशो है वह बिगड़ रहा है और राज्य में कंजूमर का मिक्स भी बिगड़ रहा है। 1993 में जहां एग्रीकल्चर सैक्टर में 30 प्रतिशत पावर जाती थी वह आज बढ़कर 40 के आसपास पहुंच गई है और इंडस्ट्री में जो 40 थी वह घटकर 30 हो गई। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सब्सिडाइज सैक्टर है तो हमें राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। एग्रीकल्चर में डिमाण्ड बढ़ रही है और उधर हाइडल के हमारे जो सोर्सेज थे, माही है चम्बल काम्प्लैक्स है, बी.बी.एम.बी. है, इन सबमें भी अबकी बार उत्पादन की कमी है, इसलिए निश्चित रूप से हमारे हिस्से में कमी आयेगी।

आज सवाल यहां उठता है उत्पादन का। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि बिजली के उत्पादन का काम आसान नहीं है, एक प्रोजेक्ट को क्लीयर कराने में कितनी दिक्कत आती है। प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने भी यह बात कही है। आज जब हम प्राइवेट सैक्टर की बात करते हैं, हमारी सरकार की नीति तो साफ है और सरकार ने जिम्मेदारी संभालते हुए इस बात को साफ रूप से कहा कि ऊर्जा का क्षेत्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता का क्षेत्र है और जहां तक बिजली के उत्पादन का सवाल है, हम केवल निजी क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेंगे। जो गलती आपसे हुई, जिसको आपने भी स्वीकार किया। हम पब्लिक सैक्टर, प्राइवेट सैक्टर दोनों को साथ-साथ चलाएंगे। निजी क्षेत्र रहेगा उसका हम स्वागत करेंगे। हमने दो साल में प्रयास भी किये हैं। मैं यह दावा तो नहीं करता कि हमें कोई बहुत बड़ी सफलता अभी मिल गई है लेकिन चाहे कैप्टिव पावर प्लांट हो और चाहे वह हिमाचल प्रदेश में ही लग रहा है लेकिन उसका कार्य प्रगति पर है, मलाना पावर प्रोजेक्ट का। मेरा यह मानना है कि सन् 2001 में जो आप कह रहे थे आदित्य बिड़ला की, आदित्य बिड़ला न सही, लक्ष्मीनारायण झुंझुनूंवाला ही सही लेकिन अगले साल के अंत में करीब 86 मेगावाट बिजली हमें भीलवाड़ा, बांसवाड़ा में इंडस्ट्रियल सैक्टर को मिलेगी। अभी वह कोई मैच्योर स्टेज नहीं है लेकिन हमने एक प्रयास किया है कि दक्षिणी-पश्चिमी राजस्थान में गैस बेस पावर प्रोजेक्ट लगें। ज्वाइंट वेंचर के प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बड़ा शेयर होगा, हमारा तो मामूली होगा 10 प्रतिशत। उसमें बी.ए.सी.एस., रिलायंस और गैल और शैल इंडिया ने रुचि दिखायी है, मुझे उम्मीद है कि अगले साल में हम इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं।

किसी माननीय सदस्य ने बरसिंहसर की बात भी उठायी, धौलपुर के प्राजेक्ट की बात भी उठायी। अब नेफ्था की कीमत बढ़ी, वह एक दिक्कत आयी लेकिन यह बात भी सही है कि सी.ई.ए. भी कई बार दिक्कत खड़ी करता है, केन्द्र सरकार भी बड़ी दिक्कतें खड़ी करती है। सरकार की समिति बनी उसने रिकमण्डेशन दी कैबिनेट के सब एप्रवूल हो गये। आपकी सरकार का निर्णय था, हमने उसको ओके किया, लेकिन केन्द्र द्वारा आज तक भी जो हिन्दुस्तान पावर कारपोरेशन था मोदी जी का, उसको माइनिंग की क्लीयरेंस वहां पर नहीं दी जा रही है। इसी तरह से दूसरी कई दिक्कतें

(डा. चन्द्रभान)

भी पावर प्रोजेक्ट लगाने में आती हैं। साल-दो साल का वक्त तो प्रोजेक्ट को क्लीयर कराने में ही निकल जाता है। बड़ी धनराशि की जरूरत होती है और चार-साढ़े चार साल का वक्त लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को लगाने में। मुझे यह कहते हुए फख्र है, यह हमारा राष्ट्रीय रिकार्ड है कि हम बहुत कम समय में, दो साल से भी कम समय में सूरतगढ़ स्टेज फर्स्ट की सैकिण्ड यूनिट को 6 महीने पहले लेकर आ गये, जिसमें मैंने कल भी कहा, 80 करोड़ की बचत हुई है। और हम मथानिया प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। रामगढ़ की कैपेसिटी भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मेगा पावर प्रोजेक्ट हैं उनमें भी हम अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं। हाइडल के छोटे-मोटे प्लांट भी हाथ में लेना चाहते हैं। हमने दो विंड मिल भी लगाई हैं जिनमें सफलतापूर्वक ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। और भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स उसमें आना चाहते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि 250 से 300 मेगावाट की मांग जो प्रति वर्ष बढ़ती है, कहने का मतलब हमारा यह है कि हमारी सरकार के कार्यकाल की यदि बात करूं तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है, केवल मैं मैनिफेस्टो की बात नहीं करता कि 1250 से 1500 मेगावाट बिजली का तो हमें एक्सट्रा एडीशन करना ही चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमने वे व्यवस्थाएं कर दी हैं।

मैं पहली यूनिट का क्रेडिट आपको दे देता हूं। एक हजार मेगावाट बिजली जून, 2003 तक सूरतगढ़ में हम पैदा करेंगे। चाहे वह 71 मेगावाट की कहिए रामगढ़ में, चाहे वह मलारना की कहिए, चाहे आर.ए.पी.पी. की तीसरी-चौथी यूनिट आयेगी, चाहे अन्य राज्यों में जहां हमारा शेयर है, चाहे पी.एल.एफ. में ही बढ़ाएंगे लेकिन यह आप मानकर चलिए कि 1500 से 1600 मेगावाट बिजली हम पैदा करने की स्थिति में हैं और आज जैसा चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हम इन्स्टाल कैपेसिटी को 5000 मेगावाट तक पहुंचा देंगे।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि प्राइवेट सैक्टर का जहां तक सवाल है, हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बात सही है, ये रेट आफ रिटर्न की बात करते हैं। आप जो बात कर रहे थे सी.ई.ए. की, सी.ई.ए. एक दिक्कत हो सकती है लेकिन एक दिक्कत यह भी है कि हमारी राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति क्या है। अब बिजली बोर्ड कहिए या कम्पनियां कहिए, उनकी वित्तीय हालत क्या है ? आज कोई प्राइवेट इन्वेस्टर आना चाहता है ? उसके पास फाइनेंस नहीं है, फाइनेंशल इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे एस्क्रोअल की कंडीशन लगाते हैं। एस्क्रोबिलिटी हमारी है नहीं और रिटर्न की उनको उम्मीद नहीं है। आज पूरे देश भर में बिजली बोर्ड, चाहे बिजली की कम्पनियां कहिए, उनकी माली हालत क्या है ? राजस्थान की बात करें, 3500 करोड़ रुपये का एकुमुलेटेड लास है हमारा। अबकी बार हम इस घाटे को कम करेंगे लेकिन आप जानते हैं कि राजस्व घाटा इस तरह से बढ़ता जा रहा है उसको कम करना कोई आसान काम नहीं है। आज कोई भी सरकार इस वित्तीय हालत को सुधारना चाहती है, कोई कड़े निर्णय लेना चाहती है उसमें विपक्ष का कितना सहयोग है, जनता भी कितनी नाराज होती है, इस बात को हम सब लोग अच्छी तरह से समझते

(डा. चन्द्रभान)

हैं। यही वजह है, मैं कहना चाहता हूं कि हमें यह जो असली बीमारी है उसको पकड़ना पड़ेगा, हमें ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, हमें इसकी जो खराब वित्तीय स्थिति है उसमें सुधार करना पड़ेगा। यह व्यवस्था लम्बे समय तक नहीं चल सकती।

यह बात मैं समझता हूं कि किसान उत्पादन करता है, उसकी माली हालत खराब है, सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। यदि सरकार मदद करने की स्थिति में है, सब्सिडी उसे देनी चाहिए, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग साधन सम्पन्न हैं, जो हीटर चलाते हैं, गीजर चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, एयर कण्डीशनर चलाते हैं, उनको भी हम सब्सिडी कब तक देते रहेंगे ? जब उनकी टैरिफ में भी इन्क्रीज किया जाता है तो मैं कोई मुनाफा कमाने की बात यहां पर नहीं करता लेकिन रीजनेबल टैरिफ होना चाहिए, जो लागत मूल्य आता है उनको चुकाना चाहिए। अभी आप कह रहे थे बिजली की दरों की बात, राजस्थान पन्द्रहवें नम्बर पर है डोमेस्टिक के अंदर, एग्रीकल्चर में भी सातवें नम्बर पर है। और फिर इस बात को हमें समझना पड़ेगा...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहले नम्बर पर आ जाएं ?

डा. चन्द्रभान : पहले नम्बर पर तो हम इसकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में आयेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र को मजबूत करने में आयेंगे, दरें बढ़ाने में नहीं आयेंगे।

उपध्यक्ष महोदय, जब मैं प्रयासों की बात करता हूं, मैंने कल भी यह बात कही तब भी आपको यह विश्वास नहीं हुआ होगा कि सात महीने में हमने सात सौ करोड़ रुपये का रेवेन्यू बढ़ाया है और एक हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू बढ़ेगा। यह भी मैं कहना चाहूंगा कि आप बीकानेर के लूणकरणसर के चुनाव में गये, आपने एक बयान दिया, मैंने उसको पढ़ा। उसको नहीं पढ़ा जो आप देते रहते हैं एक बयान लगातार एक योजना के बारे में, वह है नहीं। आपने कहा कि सरकार के आने के बाद में 480 करोड़ रुपये का टैक्स लगा दिया, बिजली की दरें और शुल्क को बढ़ाकर। आपने सही बात कही लेकिन एक बार हमने विद्युत की दरें बढ़ाईं, टैक्स लगाकर 480 करोड़ रुपये, लेकिन राजस्व 1997-98 में 3300 करोड़ था जो 1998-99 में 3400 करोड़ हो गया और उसे हमने 1999-2000 में 4000 करोड़ तक पहुंचाया है। इसमें जो पांच महीने थे उसमें टैरिफ का कम्पोनेंट 200 करोड़ रुपये था तो हमने 400 करोड़ रुपये का ए.आर.एम. किया। अबकी बार उसी टैरिफ के चलते हुए...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : टैरिफ के साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी है।

डा. चन्द्रभान : वह ड्यूटी भी मैं बता देता हूं कि कितनी बढ़ी है। वह जो ड्यूटी है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वह मान लेते हैं 100 से 125 करोड़ है, उसको भी मान लेते हैं लेकिन उसकी टैरिफ के ऊपर 4000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू है वह 4800 करोड़ रुपये के ऊपर पहुंचने वाला है। एक तरफ आप मांग करते हैं कि बिजली की चोरी को रोको, टी. एण्ड डी. लासेज को कम करो, आप अपने राजस्व की स्थिति में सुधार करें और एक

(डा. चन्द्रभान)

तरफ जब हम राजस्व में वृद्धि करते हैं तो आप उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं। आपने खुद ने कहा है कि 480 करोड़ को ड्यूटी में शामिल करके उसको 600 करोड़ रुपये मानते हैं लेकिन 3300 करोड़ रुपये, 3400 करोड़ रुपये के राजस्व को हमने 4800 करोड़ रुपये तक पहुंचाया है, आपको इस बात को तो थोड़ा स्वीकार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रचार किया जा रहा है रिफार्म्स का, लोग आज यह कह रहे हैं कि रिफार्म्स के कारण व्यवस्था खराब हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब-जब किसान की रबी की फसल आती है तब-तब कब किसान नाराज नहीं हुआ ? एक बार केवल नाराज नहीं हुआ जब हमारी सरकार आई थी। 1 दिसम्बर, 1998 से लेकर 31 मार्च, 1999 तक हमने लगातार 8 घण्टे बिजली दी, 90 करोड़ रुपये की सरकार ने व्यवस्था की। पिछली बार भी हमने कोशिश की लेकिन इतनी ज्याद्रा मांग बढ़ गई सूखे के कारण कि हम उसको पूरे 8 घण्टे बिजली नहीं दे पाए, वे हमसे नाराज हुए। आपकी सरकार थी, चुनाव भी था, आपने 1998 में 524 लाख यूनिट बिजली रोजाना किसानों को दी, यादि राज्य को दी जिसमें किसानों का भी हिस्सा था। पिछली बार हमने इसको बढ़ाकर 586 किया, अबकी बार 640 किया लेकिन इसकी मांग बढ़ जाती है। साफ बात है कनेक्शन भी है, पानी भी नीचे जाता है, लगातार सूखा भी पड़ रहा है लेकिन उसका मुकाबला करना है।

यह सही है कि टी. एण्ड डी. लासेज बढ़ने की वजह केवल बिजली की चोरी नहीं है, हमारा कमजोर विद्युत का तंत्र भी है। विद्युत के तंत्र को हमें मजबूत बनाना होगा अन्यथा यदि हम बिजली ले भी लेंगे तो जैसा हर माननीय सदस्य कह रहा था कि बिजली चाहे 4 घण्टे दें, पांच घण्टे दें, 6 घण्टे दें, वह लगातार दें, उसमें इण्टरप्शन नहीं आना चाहिए, ट्रिपिंग नहीं आनी चाहिए। अब मैं, आप और माननीय सदस्य चाहते नहीं की ट्रिपिंग आये और यह ट्रिपिंग कोई साल छह महीने से आ रही हो, यह बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो इस विद्युत तंत्र में सुधार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक 400 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन 50 साल में जयपुर में बनाया लेकिन आज तीन 400 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण का काम प्रगति पर है। सन् 2001 में दो आ जाएंगे, सन् 2002 में तीसरा आ जाएगा। राजस्थान में 400-400 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन एक जोधपुर में बनेगा, सूरतगढ़ में बनेगा, रतनगढ़ में बनेगा। 220 के.वी. के ग्रिड सब स्टेशन, 132 के.वी.के ग्रिड सब स्टेशन, नागौर से आने वाले माननीय सदस्य नाराज हो सकते हैं, वहां सबसे ज्यादा मांग है लेकिन वहां सबसे ज्यादा ग्रिड सब स्टेशन भी बन रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जरूरत है, इस बात को मैं मानता हूं। आज वर्ल्ड बैंक से लोन की बात हम कर रहे हैं, यह आप सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक का लोन जनरेशन के लिए नहीं है, सिस्टम आगमेंटेशन के लिए, उसके इम्प्रूवमैंट के लिए है, उसके एक्सटेंशन के लिए है। लेकिन वह जरूरत है। जितना जनरेशन करने की जरूरत है, उतनी ही उसके

(डा. चन्द्रभान)

ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था करने की भी जरूरत है। मैं बता रहा हूं कि देश के लिए सन् 2012 तक का एवरेज से हिसाब लगाया गया, एक लाख मेगावाट बिजली की जरूरत है। उसके लिए 11 लाख करोड़ रुपये की जरूरत पड़ेगी, पांच-साढ़े पांच करोड़ रुपये एक मेगावाट पर खर्च होगा। एक मेगावाट बिजली के जनरेशन पर जितना खर्च होता है उसको नीचे तक व्यवस्था के रूप में पहुंचाने के लिए भी उतना ही पैसा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम पर हमें खर्च करना पड़ता है।

(22.00 बजे)

मैंटिनेंस की कमी है। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि कहीं तार ढीले हैं, कहीं ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा है, कहीं खम्भे टूटे पड़े हैं, ये सब बातें काफी हद तक सही हैं, हम इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक बात आपके नोटिस में लाना चाहूंगा। जब व्यवस्था में सुधार की बात आती है, निश्चित रूप से एक जो गलत परम्परा पड़ जाती है, गलत आदत पड़ जाती है उसको रोकने में दिक्कत आती है। एक सलाव उठा कि जहां वी.आर. नहीं बैठती है वहां पर कनेक्शन आप क्यों नहीं देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जो जनरल कंडीशंस हैं उनमें यह व्यवस्था है कि 8 प्रतिशत से ज्यादा वी.आर. हो उसे कनेक्शन नहीं दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, जब से यह व्यवस्था है तब से कनेक्शन नहीं दिये जाते थे। आपकी सरकार के अंदर इस व्यवस्था को आप लोगों ने तोड़ा और 8 परसेंट से ज्यादा वी.आर. वालों को भी कनेक्शन दिया जिसके कारण से आज पूरे राजस्थान का विद्युत तंत्र चरमरा गया। हमने...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बंद करो।

डा. चन्द्रभान : बंद कर दिया, पिछले आठ महीने से बंद है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है कनेक्शन देने का। कनेक्शन हम लोगों ने आपके मुकाबले में ज्यादा दिये हैं, चाहे डोमेस्टिक हों, चाहे एग्रीकल्चर हो, चहो इण्डस्ट्री के कनेक्शन हों। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैटीरियल की थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन पिछले सात महीनों में, 1998 के सात महीनों के मुकाबले में ज्यादा एग्रीकल्चर के कनेक्शन दिये गये हैं। साढ़े पन्द्रह हजार कनेक्शन अभी दे दिये हैं, पूरे 25 हजार कनेक्शन दिये जाएंगे किसानों को। डोमेस्टिक के कनेक्शन भी ज्यादा दिये गये हैं, यह भी मैं आपको कहना चाहूंगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखा गया है कि कनेक्शन वहीं दिये जाएंगे ज़हां वोल्टेज ठीक होगा, अन्यथा जहां वोल्टेज को ठीक करने के लिए नये जी.एस.एस. बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। यह बात मैं मानता हूं एल.टी. लैस सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसफार्मर दूसरे बड़े लगाने पड़ेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी। उस काम को हम लोग करेंगे।

उपाध्यक्ष महोद्रय, समय भी काफी हो गया है, माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं और कल मैंने स्टेटमेंट भी दे दिया था तो, मैं मेरी बात को लंबा नहीं करना चाहूंगा, केवल दो-तीन मिनट में ही मैं मेरे विचारों को विराम दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो दो बात कर दो,

(श्री उपाध्यक्ष)

एक तो हार्स पावर वाली बात कह दो और एक मिनिमम चार्जेज वाली बात कह दो।

डा. चन्द्रभान : ठीक है, आपके कहने का मतलब है काम की बात करनी है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो खैर आप जो निर्देश देंगे और सदन के माननीय सदस्यों की जो भावना होगी उसका आदर करना है, लेकिन इस बात का थोड़ा हमें ध्यान जरूर रखना है कि इस क्षेत्र में सही मायने में सुधार हो।

एक बात बार-बार कही जाती है, अब यह तथ्यों के अभाव में कही जा सकती है या यह भी हो सकता है कि कुछ लोग निहित स्वार्थवश इस बात का प्रचार कर रहे हों। आपने भी एक बात कही कि आंध्रप्रदेश में आपकी पार्टी विरोध कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां आप रिफार्म्स का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों में आपकी पार्टी क्या कर रही है ? केन्द्र में बैठी आपकी सरकार क्या कर रही है ? मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा, हमारी पार्टी के स्पोक्समैन के वक्तव्य के आधार पर कहना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने जो विरोध किया वह एकदम जो टेरिफ इंक्री ज कर दिया वहां की सरकर ने, 2 रुपया, 4 रुपया, 7 रुपया , उसका विरोध किया था, न कि रिफार्म्स का।

उपाध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि बिजली बोर्ड रहेगा तो दरें नहीं बढ़ेंगी, चाहे बिजली बोर्ड बैंकरप्ट हो जाए, चाहे फिर 7 हजार करोड़ रुपये का कर्जा चढ़ जाए, चाहे उसका टोटल घाटा 3,500 करोड़ रुपये हो जाए और विद्युत सुधार कार्यक्रम से विद्युत महंगी हो जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, या तो यहां विद्युत सुधार के कार्यक्रम सही ढंग से लागू नहीं होंगे और लागू होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले सालों में, मैं यह तो नहीं कहता विद्युत की दरें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आनुपातिक दृष्टि से कम बढ़ेगी। यह मैं इस आधार पर कह सकता हूं क जब हम राजस्व बढाएंगे, जब हम बिजली की छीजत कम करेंगे, सिस्टम में इम्प्रूवमैंट लाएंगे, हम अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी, रेस्पांसिबिलिटी फिक्स करेंगे, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, हम प्रोपर मीटरिंग करेंगे नीचे तक, 33 के.वी., 11 के.वी. और नीचे तक हर कंजूमर के यहां पर इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाएंगे तो निश्चित रूप से उससे हमारे राजस्व में वृद्धि होगी, चोरी रुकेगी। जब चोरी को रोकेंगे, जब छीजत कम करेंगे, लोगों में बचत की आदत डालेंगे, विद्युत के दुरूपयोग को हम रोकेंगे तो टी. एण्ड डी लासेज कम होंगे और उसका लाभ राजस्थान के ईमानदार और निर्दोष कंजूमर को मिलेगा, यह मैं दावे के साथ कहता हूं।

मैं यह कहना चाहूंगा विद्युत सुधार के कार्यक्रम के खिलाफ ज्यादातर वे लोग हैं, उन लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन वे लोग ताकतवर हो सकते हैं, वोकल हो सकते हैं, जो बिजली का दुरूपयोग करते हैं, बिजली की चोरी-चकारी करते हैं, गड़बढ़ी करते हैं। कर्मचारियों-अधिकारियों में वे लोग हो सकते हैं जो नाकारा लोग हैं। यहां पर मैं कोई पब्लिक सैक्टर की खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक वक्त होता है। एक वक्त यह था कि छोटी-छोटी कंपनियो को दूसरों में मिलाकर एक बड़ा बोर्ड बनाओ, एक बड़ी कम्पनी बनाओ,

(डा. चन्द्रभान)

कारपोरेशन बनाओ और पब्लिक सैक्टर को मजबूत करो, बैंकों को राष्ट्रीकरण करो। वह प्रगति भरा कदम था, लेकिन आज वह वक्त आ गया है कि प्राइवेटाइजेशन करना प्रगति भरा कदम है। चाहे हमारा देश हो, चाहे दुनिया के अन्य देश हों। और हमें इस बात को समझना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बिजली बोर्ड की वर्तमान स्थिति 40 साल में ऐसी बनी है, यह कहना कि आप चोरी रोक दीजिए, चोरी हम रोकना चाहते हैं, सब माननीय सदस्या चोरी रूकवाना चाहते हैं, आप भी मुख्य मंत्री रहे, माथुर साहब भी मुख्यमंत्री रहे, और लोग भी मंत्री रहे होंगे, यह चोरी की आदत कोई एक साल में पड़ी है क्या ? यह सालोंसाल में इंक्रीज हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसे रोकना कोई आसान काम नहीं है। आप चाहे मेरी बात को एग्री न करें, लेकिन आज कहीं भी चले जाइए, लोगों का इन सरकारी उपक्रमों में यकीन कम है। हम सब लोग जानते हैं। यहां पर ठीक है अपने राजनैतिक कारणों से अपनी बात कहते हैं, लेकिन यह बात सही है कि प्राइवेट सैक्टर में एफीशिएंसी बढ़ती है, रेस्पोंसिबिलिटी बढ़ती है, जवाबदेही ज्यादा आती है। सरकारी नौकरी में क्या स्थिति है ? मैं तो कहना चाहूंगा, मुझे दिक्कत इस बात की हो रही है, चाहे सरकारी कर्मचारी-अधिकारी हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों और चाहे हमारा बिजली का डिपार्टमैंट हो, इनकी क्रेडिटेबिलिटी एकदम कम है, गिर गई। खत्म हो गई, यह तो मैं नहीं कहूंगा। यही वजह है कि हम 620 लाख यूनिट बिजली देते हैं तो भी लोग कहते हैं तीन घंटे आ रही है और 696 लाख देते हैं तो भी लोग कहते हैं तीन घंटे आ रही है और 725 लाख कर देंगे तो भी लोग कहेंगे तीन घंटे आ रही है। लोग उसमें विश्वास नहीं करते। चूंकि जो मैंने कहा कि हमारी क्रेडिटेबिलिटी नहीं रही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस सैक्टर को वास्तव में रिफार्म्स की जरूरत है। आज पूरें देश भर में पावर सैक्टर रिफार्म्स हो रहे हैं। अगर राजस्थान इससे अलग रहेगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में राजस्थान पीछे रहेगा।

आपने एक बात कही कि इस पर पुनर्विचार करें, आपने जल्दबाजी में किया। हमने कोई जल्दबाजी में नहीं किया, हमने सोच-विचार कर किया। हमारी सरकार दिसम्बर में आयी, 18 दिसम्बर को हम दिल्ली में गये। वहां पर अटलजी भी थे, वहां भी यही कहा, बंशीलाल जी भी थे जो उस समय आपका सहयोग कर रहे थे, उन्होंने भी यही कहा, कुमारमंगलमजी ने कहा इस काम को आप जल्दी करिए। हमने कहा हम जल्दी नहीं करेंगे, इस पर विचार-विमर्श करके करेंगे। उसके लिए वक्तव्य तैयार किया मई, 1999 में और सितम्बर में यहां हमने बिल पास कराया, राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स बिल। उसने एक्ट का रूप लिया, जनवरी में प्रेसीडेंट महोदय की असेंट मिल गई। इसके बावजूद भी मैं कहना चाहूंगा, चाहे हमारे माननीय सदस्य हों, इनके बीच में कई बार चर्चा हुई, मुख्य मंत्रीजी ने इसी पवित्र सदन में कहा कि हम इस पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। यह अनबंडलिंग जिसे कहते हैं, रिस्ट्रक्चरिंग आफ आर.एस.ई.बी. जिसे कहते हैं, बिजली की पांच कंपनियां जो बनाने का सवाल है, 19 जुलाई को इस काम को किया गया। फिर चार महीने, छह महीने का समय

(डा. चन्द्रभान)

मिला। मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से कहना चाहूंगा, हमारे आयोजना मंत्रीजी दिल्ली गये थे, ये उसके गवाह हैं, पंत साहब जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने राजस्थान पावर सैक्टर रिफार्म्स की प्रशंसा की। मैं अभी ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में था, वहां भी राजस्थान की प्रशंसा की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, हो सकता है कुछ माननीय सदस्य अपनी सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता के कारण इसको स्वीकार नहीं कर रहे हों, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि यह समय की आवश्यकता है। रिफार्म्स का हम सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा छोटे-मोटे अंतर्विरोध हो सकते हैं, सम्भव है, कोई रिजर्वेशंस हों, हमें उनको हटाना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा, आप इसको चाहे एक्सपैरीमैंट ही कहिए, लेकिन कोई भी काम हम हाथ में लेते हैं वह आधे अधूरे मन से नहीं होता, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम उस काम में लगेंगे, अन्यथा हमारी हालत वह हो जाएगी, जो व्यक्ति सड़क पर खड़ा हो जाता है और डिसीजन नहीं ले पाता है कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, उसकी मौत सुनिश्चित है। आज फैसला कर लिया राज्य ने, अब उससे पीछे मुड़कर नहीं देखना। तीन महीने, अब खैर तीन महीने या छह महीने में कोई परिणाम आते नहीं हैं, आप भी जानते हैं इसके परिणाम आयेंगे उसमें वक्त लगेगा, लेकिन मेरा यह मानना है कि स्थिति में निरन्तर सुधार होगा, स्थिति खराब नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, काफी वक्त हो गया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है सप्लाई को लेकर, अब आप जानते हैं जो स्थिति है, दो दिन से चर्चा हो रही है, आपके सामने है। लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है, जहां कहीं से भी बिजली मिलेगी, चाहे जितनी बिजली महंगी मिले, सरकार उसको खरीदेगी, सरकार उसको प्राप्त करेगी। गवर्नमैंट की पूरी कोशिश होगी, कांग्रेस सरकार अपने मैनीफेस्टो को नहीं भूली है और न ही भूलेगी। कांग्रेस सरकार और उसके ऊर्जा विभाग की पूरी कोशिश होगी कि किसानों को 8 घंटे बिजली मिले। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप लोगों से और आपसे विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऊर्जा विभाग कोई दूधिया विभाग नहीं है कि दूधिया दूध तौलकर दे दे। यह आप जानते हैं इतना तकनीकी मसला है और हमारे पास सीमित उत्पादन है। एक भी पावर प्लांट कहीं गड़बड़ हो जाए तो निश्चित रूप से हमारी सप्लाई गड़बड़ा जाती है। इतना ही नहीं, केन्द्र के भी किसी विद्युत गृह में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो हमारी नींद खराब हो जाती है। लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि हम कोई अरेंजमैंट करेंगे। मैं तो प्रतिपक्ष के नेता महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, यह पत्र तो खैर आपने पढ़ा और यह पत्र मैंने भी पढ़ लिया, सबने इसको सुन लिया, इस पत्र से तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप थोड़ा व्यक्तिगत स्तर पर कोशिश करें, आप और मुख्य मंत्रीजी केन्द्र के ऊर्जा मंत्रीजी से बातचीत करें। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति ही नहीं है बिजली खरीदने की, चार करोड़ रुपया उस पर एन.टी.पी.सी. का बकाया है। वहां से कुछ ग्रिड, आपने एक दिन मुझे पूछा था कि ग्रिड में कोई सरप्लस पावर है क्या ? इसके अलावा भी हम पंजाब वगैरह से तो बातचीत कर रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि दिल्ली वाली पावर है वह आपको डाइवर्ट कर

(डा. चन्द्रभान)

दें, दिल्ली से तो हमने बिजली खरीदी है। बिजली का तो आप जानते हो कि सर्दी में रात के वक्त में बिजली लेते नहीं, यह रात के वक्त की बिजली है तो वह कोई बड़ी उनकी मदद नहीं है। लेकिन इसमें मदद हो सकती है, पंजाब से, यू.पी. से, महाराष्ट्र से। जहां कहीं से भी बिजली मिलेगी हम उस बिजली को खरीदेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उस बिजली को किसानों को देने की व्यवस्था करें।

एक मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि अब सर्दी का मौसम आ गया है, हम सब लोगों को जब किसानों को इतनी चिन्ता है, आपसे विशेष रूप से कहना चाहूंगा, आप सहयोग कीजिये। यदि कोई जरूरत पड़े तो हमें शहरों में 2-4 घंटों का दिन में कोई टाइम एडजेस्ट कर लेंगे जैसा पिछली बार भी किया, हमको पावर कट लगाना चाहिए। यह पावर कट यहां ही नहीं लगता है, दिल्ली में, चण्डीगढ़ में और साउथ के जो सब बड़े बड़े शहर हैं उनमें भी लगता है। उपाध्यक्ष महोदय और माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, अभी भी कुछ छोटे शहरों में लगता है, सही कह रहे हैं, लेकिन जयपुर में नहीं लगता है। जब तक जयपुर में नहीं लगेगा, दूसरी जगह के हमारे अधिकारियों को पावर कट लगाने में दिक्कत आती है, सीधा जयपुर का उदाहरण देते हैं। यदि दो-तीन घंटे, चार घंटे सर्दी के मौसम में कहीं हम लगा देते हैं, उसका हम पूरा ध्यान रखें, आपको सपोर्ट करना चाहिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी इण्डस्ट्रीज भी हमारे लिए उतनी ही इम्पार्टेंट हैं, आपने सही फरमाया जितना एग्रीकल्चर है। ठीक है एग्रीकल्चर की बुवाई का वक्त है लेकिन इण्डस्ट्रीज भी 24 घंटे तो चलतीं नहीं, आप भी जानते हो। कोई समय ऐसा देख सकते हैं जब इण्डस्ट्रीज कम चलें। कहीं मजबूरी होगी तो ज़्यादा पावर कट करने के पक्ष में नहीं हैं, 2-4 घंटे ही करके लेकिन इसको इस तरह से रिशिड्यूल करेंगे। कोशिश तो 8 घंटे बिजली देने की करेंगे लेकिन आप सब लोगों का भी मन है कि कम से कम 5-6 घंटे भी अनइन्टरप्टेड पावर मिल जाए तो बुवाई आराम से कर सकते हैं। कोशिश तो 8 घंटे की करेंगे लेकिन 6 घंटे से कम बिजली उसको नहीं मिले इसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

एक माननीय सदस्य : बाहर तो 8 घंटे की कहकर आये हैं।

डा. चन्द्रभान : मैंने कहा 8 घंटे देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाहर भी वही कहा है, अन्दर भी वही कह रहे हैं हम अलग नहीं हैं यहां से, यहां से सब एक हैं। आप ऐसा मत सोचिये।

दूसरी बात, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने 2-3 सवाल स्पेसिफिकली उठाये हैं। एक सवाल उठाया जिन कुओं में पानी सूख गया है, एक सवाल शिफ्टिंग का उठाया और एक सवाल लिफ्ट का उठाया। दिलावर जी को शायद पता लग गया होगा, वह परवान की जो लिफ्ट थी उसका कनेक्शन तो आपके आदेश से चालू कर दिया गया है, दूसरी जितनी भी लिफ्टें हैं उनके सब मामलों को देख लेंगे। ताम्बी साहब कई बार चर्चा भी करते हैं, शक्तावत साहब भी करते हैं, लिफ्ट जितनी भी हैं उनके मामले में जो भी स्थिति है हमारी

(डा. चन्द्रभान)

कोशिश होगी कि वे दुबारा चलें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इनकी भी जो दरें हैं ये हमने निर्धारित नहीं की हैं, ये भी पूर्व सरकार के समय की निर्धारित की हुई हैं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो सूखे कुएं हैं, जिनमें कि लगातार बारिश नहीं होने के कारण पानी नहीं आया, उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो व्यवस्था है कि कोई भी अपना डिसकनेक्शन करवा सकता है, चाहे वह एग्रीकल्चर कंजूमर हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे नान-डोमेस्टिक हो, चाहे इण्डस्ट्रियल हो। हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो जनरल कंडीशन रूल्स बने हुए हैं इसमें व्यवस्था है कि कोई भी डिसकनेक्शन कराते हैं तो दो महीने की तो छूट रहती है उसके बाद में वहां से उस सिस्टम को हटा दिया जाता है। लेकिन एग्रीकल्चर में हमने यह छूट 6 महीने की दे रखी है। अब माननीय सदस्यों की भावना है और मैं उदयपुर गया तब भी लोगों ने कहा कि साहब, अगली बारिश जब हो, तब तक के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए, अगली बारिश तक तो आप हमें यह छूट दो, तो मैं आपके माध्यम से घोषणा कर रहा हूं कि यह जो 6 महीने की जो अवधि है इसको हम बढ़ाकर 9 महीने कर देते हैं। अब, उपाध्यक्ष महोदय, आज तो कोई कनेक्शन एक दिन में कटेगा नहीं, उसमें महीना-20 दिन तो लगेगा, तो अगले नौ महीने का मतलब अगस्त-सितम्बर आ जाएगा तब तक कुओं में पानी आ जाएगा।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि अब कोई भी कानून में परिवर्तन करेंगे या व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे तो वह केवल एक जिले के लिए या एक संभाग के लिए नहीं हो सकती है, यह पूरे राज्य के लिए लागू होगी। और राज्य की आप जानते हो, मैं कोई एक क्षेत्र की बात नहीं करता, इसमें यह जो व्यवस्था हम करेंगे इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसके लिए हमको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। सब लोगों की राय भी है कि इसमें कोई रेवेन्यू आफिसर हो, कोई जूनियर इंजीनियर हो और वहां के गांवों के कोई सरपंच साहब हों, उनकी एक कमेटी बना दें तो वह देख ले कि इस कुएं में पानी नहीं है, वह रिकमण्ड कर दे उसके आधार पर हमारा एक्स.ईएन. डी.सी. कर देगा और 9 महीने का समय हम उनको दे देंगे। इसमें जन प्रतिनिधियों को रखेंगे।

दूसरी बात जो शिफ्टिंग की है शिफ्टिंग के मामले में माननीय सदस्यों का यह मानना था कि यह चार्ज जो आप ले रहे हैं यह हार्स पावर के हिसाब से मत लीजिये , इक्वल कास्ट आती है। किसी की लाइन छोटी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है उसके हिसाब से लीजिये। पहले, उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यही थी, लेकिन इस व्यवस्था में भ्रष्टाचार होता था। अब यदि सदन की राय है तो हम जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू कर देते हैं, लाइन के आधार पर तो ठीक है, हार्स पावर की व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं और जो पुरानी व्यवस्था है उसको लागू कर देते हैं। (व्यवधान) नहीं, लाइन को हटाने का जो खर्चा है, जैसे मान लीजिये उसके तीन पोल की लाइन है तो तीन पोल तक उसका खर्चा हटाने का वही होगा, लेकिन मान लीजिये दूसरी जगह वह कनेक्शन लेता है वहां पांच पोल हैं तो तीन पोल तो वही माने जाएंगे, दो पोल का एक्सट्रा

(डा. चन्द्रभान)

चार्ज हो जाएगा। पहले की जो व्यवस्था थी उसको ही मान लेते हैं।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं, फिर वहीं घूम-फिर कर रिफार्म्स की बात आ जाती है। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि यह वर्ल्ड बैंक है यह भी एक हौवा बनता जा रहा है। पूरे राज्य में, और मैं तो कहना चाहूंगा पूरे देश में एक यह प्रचार हो रहा है कि ऊर्जा के क्षेत्र में कोई भी सुधार के कार्यक्रम या कोई भी गतिविधि हम करते हैं या कोई भी निर्णय लेते हैं, यह वर्ल्ड बैंक से पूछकर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का लोन सब लेना चाहते हैं, यह स्थिति है। मैं तो कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक के लोन की स्थिति अब मैं सदन में यह बात कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा लेकिन यह बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें दोहरा मापदण्ड नहीं होना चाहिए। केन्द्र की सरकार वर्ल्ड बैंक से लोने लेने के लिए लालयित रहती है और राज्य सरकार यदि इस काम को करना चाहती है तो इनकी पार्टी उसमें साहयोग नहीं करती है, समर्थन नहीं करती है। उपाध्यक्ष महोदय, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं, वर्ल्ड बैंक की शर्तें सख्त हो सकती हैं, यह बात सही है। हमारी आदत है कि शर्तें मान तो अपन लेते हैं, लेकिन उन पर खरे नहीं उतरते हैं ज्यादातर। हमारी स्थिति भी ऐसी रहती कि हमें अपने आप में समय-समय पर परिवर्तन करना पड़ता है और वे लोग इसकी इजाजत नहीं देते हैं। वर्ल्ड बैंक से हमें तीन तरह के लोन मिलेंगे- एक लोन मिलेगा इन्वैस्टमैंट लोन, यह सिस्टम में इम्प्रूवमैंट करने के लिए। दूसरा लोन प्रोग्राम लोन और तीसरा लोन ये जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियां हमारी हैं उनको, आई एफ सी जो उसी ग्रुप की एक कम्पनी है। तो जो इन्वैस्टमैंट लोन मिलना है वह 600 मिलियन मिलता है। प्रोग्राम लोन और वह जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों को बाद में मिलेगा वह लोन करीब 200 मिलियन है। तो अभी तक स्थिति यह है कि हमें चार हजार से साढ़े चार हजार कुल लोन मिलेगा। उसकी जो फर्स्ट इंस्टालमैंट कहिये या पहला लोन कहिये, वह करीब 160 मिलियन का है, करीब 750 करोड़ रुपया बनता है। उसके ऊपर नेगोशियेशन इसी नवम्बर के महीने हो जाएगा और दिसम्बर तक हमें वह लोन मिल जाएगा। हमारी कोशिश होगी की उसी लोन का उपयोग हम आगामी दो साल में राज्य के विद्युत तंत्र को मजबूत करने में करें।

इन्हीं बातों के साथ मैं आपको और सभी माननीय सदस्यों को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो-जो भी आपने रचनात्मक सुझाव दिये हैं इन सब सुझावों को संग्रहित करके इनको आधार मानते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में कैसे अच्छे काम हो सके, कैसे सेवाओं में और ज्यादा सुधार हो सकता है, कैसे व्यवस्था में सुधार हो सकता है, इस बात को ध्यान में रखकर भविष्य की रणनीति, भविष्य की कार्यनीति बनायी जाएगी और भविष्य के निर्णय किये जाएंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक गुरूवार दिनांक 2 नवम्बर, 2000 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 22.22 बजे गुरूवार, 2 नवम्बर, 2000 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 33 की सूची)

प्रपत्र ''क''

(अ) मार्च 2001 तक प्रस्तावित लाभान्वयन के शहर

1. गुलाबपुरा (जिला भीलवाड़ा)
2. विजय नगर (जिला अजमेर)

(ब) मार्च 2001 तक प्रस्तावित लाभान्वय के अजमेर जिले के गांव

1. कोहडा (106) तहसील केकड़ी
2. नागोलाव (51) तहसील केकड़ी
3. भिनाय (28) तहसील केकड़ी
4. शिखरानी (332) तहसील ब्यावर

(स) 2002.2003 तक प्रस्तावित लाभान्वय के अजमेर जिले के गांव

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड संख्या
1.	केकड़ी	बघेरा	127
2.	केकड़ी	कनोज	122
3.	केकड़ी	काबरिया	121
4.	केकड़ी	देवगांव	120
5.	केकड़ी	धोलाई	117
6.	केकड़ी	सम्भूपुरा	119
7.	केकड़ी	दयालपुरा	118
8.	केकड़ी	देवलिया	126
9.	केकड़ी	मानखण्ड	129
10.	केकड़ी	नयागांव	128
11.	केकड़ी	सलारी	130
12.	केकड़ी	छाबड़िया	120
13.	केकड़ी	मेवढ़ा	110
14.	केकड़ी	धुवालिया	111
15.	केकड़ी	एकलसिंह	112
16.	केकड़ी	लसाडिया	124

क्र.सं.	तहसील	गांव का नाम	कोड संख्या
83.	नसीराबाद	लच्छीपुरा	23
84.	नसीराबाद	कैसरपुरा	25
85.	नसीराबाद	रामसर	26
86.	नसीराबाद	केरियाखर्द	15
87.	नसीराबाद	रघुनाथपुरा	16
88.	नसीराबाद	मोराझड़ी	17
89.	नसीराबाद	सूरजपुरा	18
90.	नसीराबाद	लोहरवाड़ा	43
91.	नसीराबाद	जसवन्तपुरा	44
92.	नसीराबाद	रामपुरा	45
93.	नसीराबाद	हनुतिया	46

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 35 की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT (R)

ORDER

NO. F.5(1) FD/(R)/56 Dated, Jaipur, the 11th Jan`56.

His Highness the Rajpramukh has been pleased to make the following amendments in the Rajasthan Service Rules :-

***

APPENDIX I

III. Casual Leave.

I. Add the following as para 5 :-

5 :- The Government Servant should not leave headquarters or district without obtaining previous permission of the sanctioning authority.

***

By Order of
His Highness the Rajpramukh,

G.S. Purohit,
Secretary to the Government.

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए गये तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

कर्मचारियों के पद समाप्ति से बचत

38. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) एवं **श्री शिवनाथसिंह** (गुढ़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999-2000 एवं 2000-2001 के दौरान कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत थे और इनमें से कितने पद समाप्त कर दिये गये हैं तथा पद समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में पद समाप्ति योजना से कितनी राशि की बचत हुई ?

उत्तर

(1) आय-व्ययक अनुमान 1999-2000 तथा 2000-2001 के अनुसार निम्नांकित पद स्वीकृत थे :-

वर्ष	पदों की संख्या
1999-2000	6,02,855
2000-2001	6,07,239

उपरोक्त पदों में से राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमण्डीय समिति की सिफारिशों के आधार पर अभी तक सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए 3009 पदों को समाप्त कर दिया गया है। राज्य कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष करने के निर्णय के फलस्वरूप विभिन्न विभागों में रिक्त हुए पदों का विश्लेषण कर मितव्ययता की दृष्टि से पदों का पुनर्वर्गीकरण/सुसंगतीकरण किया गया है। इस प्रकार कर्मचारियों की संख्या को युक्तिसंगत करने के कारण ही उपरोक्त पदों को समाप्त किया गया है।

(2) ऐसा अनुमान है कि यदि समाप्त किये गये पदों को भर दिया जाता तो औसत गणना के आधार लगभग 25 करोड़ 82 लाख रुपये का व्यय होता अत: यह ही संभावित बचत है।

प्रश्न संख्या 39

(स्थगित)

जिला जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर से पेयजल आपूर्ति

40. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के 513 राजस्व गांव तथा 576 ढाणियों को जल प्रदाय योजना से लाभान्वित कर रखा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि मात्र दो तीन हैण्ड पम्प खोदकर गांव को लाभान्वित बताया है ?

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(3) क्या यह सही है कि मानव जनसंख्या से पांच गुणा अधिक पशु संख्या को उक्त योजना से नहीं जोड़ा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष करीब चालीस टैंकरों से गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है ?

(5) क्या यह सही है कि अधिकांश योजनाओं से अन्तिम गांव में पानी पहुंचता ?

(6) क्या यह भी सही कि पेयजल में डीजल खर्च पर 245 लाख की राशि प्रति वर्ष व्यय की जाती है ?

(7) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर का जाल जैसलमेर जिले में बिछा है जहां से पेयजल उपलब्ध करवाया जा सकता है ?

(8) क्या सरकार जिले की सारी पेयजल योजनाओं का पुनरीक्षण करवा कर नई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में कुल 518 आबाद ग्राम एवं 1190 चिह्नित ढाणियां हैं जिसमें से मार्च, 2000 तक 516 आबादी राजस्व ग्रामों एवं 624 चिह्नित ढाणियों को विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया जा चुका है।

(2) गांव में जनसंख्या के आधार पर नार्म्स (मानदण्ड) अनुसार हैण्ड पम्प लगाकर लाभान्वित बताया गया है।

(3) भारत सरकार व राजस्थान सरकार के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार मानव की जनसंख्या के अनुसार मानव की पेयजल आवश्यकता हेतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन एवं पशुओं के लिए 30 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन इस प्रकार मानव जनसंख्या के आधार पर कुल 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। पशु जनसंख्या अनुसार जलापूर्ति अलग से किये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है।

(4) जिला प्रशासन द्वारा अचिह्नित व अलाभान्वित ढाणियों में जल टैंकरों द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा लाभान्वित व अन्तिम छोर के जिन गांवों/ढाणियों में बिजली की कमी, पम्प मोटर मरम्मत में जाने के कारण अथवा अन्य इस तरह के सामयिक कारणों से पेयजल व्यवस्था में व्यवधान होता है ऐसी स्थिति में तात्कालिक प्रबन्ध हेतु टैंकरों से जल वितरण किया जाता है।

(5) जी नहीं। कुछ योजनाओं में जल स्रोत में जल उपलब्धता की कमी एवं अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति के कारण जहां आवश्यकता के 25 प्रतिशत से कम जल वितरण हो रहा है, वहां राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत योजना पुनर्गठन कर लाभान्वित किया जा रहा है।

(6) डीजल योजनाओं पर वर्ष 1999-2000 में कुल रुपये 265 लाख खर्च किये गये।

(7) जी हां। योजना बनाने की कार्यवाही हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण व रूपरेखा का अध्ययन

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

करने के पश्चात अब एक कार्यदल गठित कर योजना की फिजिबिलिटी अध्ययन करने व योजना का प्रारूप बनाने का कार्य प्रारम्भ करवाया गया है।

(8) जी हां।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

41. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कितने आयुर्वेद चिकित्सक बेरोजगार हैं ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं जिनमें आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) रोजगार सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30.9.2000 को रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर 1771 आयुर्वेद चिकित्सक रोजगार हेतु पंजीकृत हैं। जिलेवार संख्या सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) राज्य में कुल 3605 आयुर्वेद औषधालय कार्यरत हैं जिसमें से केवल मात्र 260 औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सक के पद रिक्त हैं। नवीन नियुक्तियों पर फिलहाल प्रतिबन्ध होने के कारण पद भरना सम्भव नहीं हो रहा है। नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध हटने पर शीघ्रातिशीघ्र इन पदों को भरने की कार्यवाही की जायेगी।

राज्य में रोजगार कार्यालयों की जीवित पंजिका पर बेरोजगार आयुर्वेद चिकित्सकों की जिलेवार सूची दिनांक 30.9.2000 तक

क्र.सं.	जिला	पंजीकृत संख्या
1.	अजमेर	14
2.	अलवर	64
3.	बांसवाड़ा	22
4.	बाड़मेर	5
5.	बारां	20
6.	भरतपुर	136
7.	भीलवाड़ा	14
8.	बीकानेर	28
9.	बूंदी	7

क्र.सं.	जिला	पंजीकृत संख्या
10.	चित्तौड़गढ़	10
11.	चूरू	104
12.	दौसा	144
13.	धौलपुर	42
14.	डूंगरपुर	11
15.	हनुमानगढ़	60
16.	जयपुर	351
17.	जैसलमेर	-
18.	जालौर	6
19.	झालावाड़	26
20.	झुंझुनूं	39
21.	जोधपुर	27
22.	कोटा	36
23.	नागौर	24
24.	पाली	5
25.	सवाईमाधोपुर	352
26.	राजसमन्द	2
27.	सीकर	87
28.	सिरोही	-
29.	टौंक	23
30.	गंगानगर	72
31.	उदयपुर	40
	योग	1771

चालान की अनुमति हेतु लम्बित प्रकरण

42. श्री अमराराम (धोद) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कितने अधिकारियों के लिए न्यायालय में चालान पेश करने हेतु सरकारी अनुमति चाही है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार के समक्ष कितनी पत्रावलियां एक, तीन एवं पांच वर्ष से भी अधिक से अनुमति हेतु लम्बित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पत्रावलियों के निस्तारण हेतु कोई समय सीमा निर्धारित करने

(श्री अमराराम)

का विचार, रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 32 अधिकारियों के लिए न्यायालय में चालान पेश करने हेतु राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति चाही है। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर है।

(2) राज्य सरकार के समक्ष 13 एक वर्ष, 2 तीन वर्ष व 1 पांच वर्ष से अधिक अवधि के अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव अनुमति हेतु विचाराधीन हैं, सूची परिशिष्ट ''अ'' पर है।

(3) हां। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प-2(31) कार्मिक/क-3/96 दिनांक 31.21.96 के बिन्दु संख्या-3 के अनुरूप समस्त सक्षम अधिकारियों को अभियोजन स्वीकृति तीन माह से ज्यादा विचाराधीन नहीं रखने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए दिशा-निर्देश प्रसारित किये हुए हैं।

परिशिष्ट "अ"

कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग में लम्बित अभियोजन स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरणों की सूची

क्र.सं.	केस संख्या	नाम व पद	विभाग
पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरण –			
1.	88/92	डा. नाहरसिंह कोठारी, मेडिकल जूरिष्ट	चिकित्सा विभाग
तीन वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरण –			
2.	22/94	श्री ओमप्रकाश गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक, उद्योग	उद्योग विभाग
3.	219/94	श्री रामेश्वर लाल, सहायक अभियंता	नगरपालिका
एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित प्रकरण –			
4.	142/95	श्री जुगलकिशोर दवे, अधीक्षक	राजकीय मुद्रणालय
5.	211/97	श्री जी.पी.वर्मा, जिला नियोजन अधिकारी	श्रम एवं नियोजन
6.	150/98	श्री आशुतोष भार्गव, आईएएस	पशुपालन विभाग
7.	114/98	डा. पी.प्रसाद	चिकित्सा विभाग
8.	160/98	डा. राजेश बाटड	चिकित्सा विभाग
9.	114/97	श्री विष्णुगोपाल गुप्ता, रीडर	शिक्षा विभाग

क्र.सं.	केस संख्या	नाम व पद	विभाग
10.	226/96	श्री रामनिवास, सहायक अभियंता	सिंचाई विभाग
11.	208/96	श्री सूर्यलाल पुरोहित, विकास अधिकारी	पंचायत राज
12.	131/97	श्री एम.एन.करोलीवाल, सहायक अभियंता	सानिविभाग
13.	150/97	श्री गिरजाशंकर त्रिवेदी, सहायक निदेशक	उद्योग विभाग
14.	151/97	श्री गिरजाशंकर त्रिवेदी, सहायक निदेशक	उद्योग विभाग
15.	7/98	श्री बलराम शर्मा, विकास अधिकारी	पंचायत राज
16.	21/99	श्री अनिल भार्गव, अधिशाषी अभियंता	जन स्वा.अभि. विभाग

एक वर्ष से कम समय से लम्बित प्रकरण –

17.	178/94	श्रीमती चन्द्रा जैन, चिकित्सा अधिकारी	चिकित्सा विभाग
18.	153/94	श्री राजकमल, सहायक अभियंता	खान विभाग
19.	97/98	श्री जी.डी.शर्मा, अधिशाषी अभियंता	सिंचाई विभाग
20.	117/98	श्री सुरेन्द्र कुमार, सहायक अभियंता	सिंचाई विभाग
21.	111/98	श्री जे.पी.शर्मा, उप वन संरक्षक	वन विभाग
22.	93/97	श्री राजीव गर्ग, सहायक अभियंता	सानिविभाग
23.	9/95	श्री नरेन्द्र कुमार, अधिशाषी अभियंता	सिंचाई विभाग
24.	9/2000	श्री रमाकान्त सक्सैना, चिकित्सक	चिकित्सा विभाग
25.	5/2000	श्री विक्रम सिंह, उप पुलिस अधीक्षक	जेल विभाग
26.	232/99	श्री वी.के.माथुर, चिकित्सक	चिकित्सा विभाग
27.	46/2000	श्री काशीराम, अधीक्षण अभियंता	सानिविभाग
28.	17/97	श्री बहादुर सिंह, सहायक अभियंता	सिंचाई विभाग
29.	264/96	श्री सी.के.जैन, अधिशाषी अभियंता	सिंचाई विभाग
30.	247/98	श्री गिरधारी लाल, चेयरमैतन	यूआईटी
31.	9/99	श्री राजेश कौशल, सहायक अभियंता	सिंचाई विभाग
32.	39/97	श्री प्रदीप गोयल, अधिशाषी अभियंता	सिंचाई विभाग

पशुओं की नस्ल सुधार हेतु विशेष योजना

43. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में सरकार ने गायों/सांडों एवं बैलों की नस्ल सुधारने के लिए अब तक क्या उपाय किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सभी उपाय असफल हुए हैं और इनकी नस्ल विशेषत: पश्चिमी राजस्थान में दिनोंदिन नष्ट होती जा रही है ?

(3) सरकार ने इनकी नस्ल सुधारने के लिए कितने ब्रीडिंग फार्म किन-किन स्थानों में स्थापित किये हैं और उनकी प्रगति, सफलता एवं असफलता की क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार इनकी नस्ल सुधारने के लिए विशेष राशि का प्रावधान कर विशेष कार्यक्रम बनाकर कोई ठोस कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पशु नस्ल सुधार एवं स्थानीय देशी गौवंश को सुरक्षित रखने हेत प्रजनन नीति का पुन: निर्धारण कर गत वर्ष नई प्रजनन नीति लागू की गई है जिसमें चयनित एवं क्रमोन्नत प्रजनन पर विशेष बिल दिया गया है। संकर प्रजनन केवल स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार एवं स्थानीय मांग होने पर ही उपलब्ध कराया जावेगा। संकर प्रजनन कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी नस्ल का 50 प्रतिशत जर्मप्लाज्म तक ही स्थापित रखा जायेगा। राजस्थान की प्रमुख देशी गौवंश नस्लों जैसे राठी, गीर, नागौरी, थारपारकर एवं कांकरेज संरक्षित रखने हेतु चयनित/क्रमोन्नत प्रजनन नीति पर बल दिया जा रहा है।

पशुधन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधन हतु आवश्यक हिमकृत वीर्य एवं तरल नाइट्रोजन का उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड का गठन किया गया है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड इसके अतिरिक्त कृत्रिम गर्भाधान हेतु आवश्यक उपकरण क्रय करना, टैंकर रिपेयरिंग, पशु चिकित्सक/पशुधन सहायकों एवं कृत्रिम गर्भाधानकर्ताओं को रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित करना तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियां संचालन आदि कार्य करना है। साथ ही विभागीय पशु प्रजनन फार्म को अधिक सुदृढ़ करने हेतु इन फार्म पर वत्स संधारण का कार्य किया जा रहा है। उच्च गुणवत्ता वाले बछड़ों की पहचान करने के उद्देश्य से केन्द्रीय हर्ड पंजीकरण योजना अन्तर्गत अधिक दूध देने वाली गायों के बछड़ों का पंजीकरण पशुपालन विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के सहयोग से किया जा रहा है।

(2) जी नहीं, विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों से देशी नस्लों को संरक्षित एवं संवर्धित करने में सफलता प्राप्त हो रही है। गत पांच वर्षों में देशी नस्ल की गायों की संख्या में 114.79 लाख से 119.46 लाख की

(राज्य मंत्री, पशुपालन)

अभिवृद्धि हुई है, जो कि 4.07 प्रतिशत वृद्धि दर है।

(3) राज्य में गायों की नस्ल सुधारने के लिए 4 स्थानों पर बछड़ा पालन केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जहां निम्नानुसार बछड़ों का संधारण कर निःशुल्क वितरण का कार्य किया जा रहा है। गीर नस्ल के बछड़ों का संधारण रामसर (अजमेर), मुर्रा नस्ल पाड़ों का संधारण कुम्हेर (भरतपुर), मालवी नस्ल के बछड़ों को डग (झालावाड़) एवं नागौरी नस्ल के बछड़ों को नागौर में संधारित किया जा रहा है। गत वर्ष की प्रगति निम्नानुसार है :-

गीर सांड	31
हरियाणा सांड	6
मालवी सांड	5
नागौरी गाय	78
मुर्रा पाड़ा सांड	85

वर्ष 2000-2001 में संधारित एवं वितरित बछड़ों की संख्या :-

नस्ल	संधारण	वितरण
गीर सांड	63	2
हरियाणा सांड	-	-
मालवी सांड	18	1
नागौरी गाय	20	1
मुर्रा पाड़ा सांड	15	11

(4) जी हां, राज्य सरकार द्वारा गायों की नस्ल सुधारने के लिए गाय एवं भैंस विकास परियोजना नामक विस्तृत परियोजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत भारत सरकार को प्रस्तुत की गई है, जिस पर भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी गई है। भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति आनी शेष है।

बयाना उपखण्ड में अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि पर अतिक्रमण

44. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बयाना उपखण्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने व्यक्तियों की भूमि सवर्ण जाति के व्यक्तियों ने अपने कब्जे में ले रखी है ? उक्त में से कितने प्रकरणों में टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई व कितने प्रकरण लम्बित हैं ?

उत्तर

बयाना उपखण्ड में तहसील रूपवास में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की भूमि सवर्ण जाति के व्यक्तियों ने कब्जे में ले रखी है। तहसील वैर में अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति की भूमि सवर्ण जाति के व्यक्ति ने कब्जे में ले रखी है। तहसील रूपवास में उक्त व्यक्तियों से संबंधित दो प्रकरण तथा तहसील वैर में एक प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 बी के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है।

जिला श्रीगंगानगर में सम्पत्ति हस्तान्तरण/बेचान के निर्धारित मानदण्ड

45. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

(1) क्या यह सही है कि राज्य में अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण/बेचान के अभिलेख के लिए मुद्रांक शुल्क सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति की बाजार दर तय करने के क्या कोई मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ?

(3) सम्पत्ति/भूमि की बाजार दर किस स्तर का कौन कर्मी तय करता है तथा वर्तमान दरें किस वर्ष में तय की गई थीं ?

(4) जिला श्रीगंगानगर में कृषि, आवसीय एवं व्यावसायिक भूमि की बाजार दर पंजीयन के प्रयोजनार्थ वर्ष 1995 से मार्च, 2000 तक कब-कब व कितनी-कितनी तय की गई ?

(5) क्या उक्त वृद्धि पूरे श्रीगंगानगर जिले में एक ही दर से की अथवा अलग-अलग दर से की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, हस्तान्तरण/बेचान अभिलेखों पर वर्ष 1982 से बाजार मूल्य पर मुद्रांक कर लिया जा रहा है।

(2) राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के नियम 59-बी के तहत बाजार मूल्य का निर्धारण संबंधित क्षेत्र की जिला स्तरीय समिति की दर अथवा पंजीयन विभाग द्वारा निर्धारित दर में से जो भी उच्चतर हो, के आधार पर किया जाता है। जिला स्तरीय समिति का गठन उक्त नियमों के नियम 2(j) के अन्तर्गत किया गया है (परिशिष्ट 1 व 2 में)। जिला स्तरीय समिति अपने जिले के क्षेत्र की जानकारी एवं पारस्परिक विचार-विमर्श के आधार पर दरें तय करती है।

(3) सम्पत्ति/भूमि की बाजार दर उपरोक्तानुसार प्रश्न के खण्ड सं. 2 में दिये गये उत्तर के अनुसार राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के नियम 2(j) के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की जाती है। अलग-अलग जिलों की जिला स्तरीय समिति द्वारा जिलैवार वर्तमान दरों के निर्धारण की तिथि परिशिष्ट 3 में दी गई है।

(4) जिला श्रीगंगानगर में पंजीयन के प्रयोजनार्थ वर्ष 1995 से मार्च, 2000 तक निम्न तिथियों को जिला स्तरीय समिति द्वारा बाजार दरें तय की गई :-

क्र.सं.	दिनांक
1.	27.09.95 (परिशिष्ट-4)
2.	18.09.96 (परिशिष्ट-5)
3.	20.05.97 (परिशिष्ट-6)
4.	19.06.99 (परिशिष्ट-7)
5.	01.07.2000 (परिशिष्ट-8)

उक्त तिथियों को जिला स्तरीय समिति द्वारा बैठकों में लिए गये निर्णयानुसार भूमि की दरें तय की गई हैं।

(5) पूरे श्रीगंगानगर जिले में भूमि की दरों में वृद्धि एक ही दर से नहीं की गई। भाग संख्या 4 के उत्तर में दिये गये विवरण/परिशिष्ट के अनुसार की गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र डीग (भरतपुर) में पेयजल आपूर्ति में सुधार

46. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डीग (भरतपुर) शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डीग शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था के सुधार के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? क्या नई पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने विधान सभा क्षेत्र डीग में पेयजल संकट से निपटने के लिए कोई कारगर योजना तैयार की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। डीग शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत किये गये प्रस्तावों के अन्तर्गत दो नग डी.सी.बी. तथा 10 हैण्डपम्पों का निर्माण किया गया। दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत चम्बल भरतपुर पेयजल योजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग में चम्बल नदी से पानी लाना भी प्रस्तावित है।

(2) डीग शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था के सुधार हेतु स्रोत सुधार एवं जल उत्पादन के संवर्धन के पश्चात् वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार किये जाने प्रस्तावित हैं।

(3) जी हां। दीर्घकालीन उपायों के अन्तर्गत प्रश्न के भाग संख्या 1 पर वर्णित योजना के अन्तर्गत चम्बल नदी से पानी लाना प्रस्तावित है, साथ ही ग्रीष्म ऋतु 2001 में अपेक्षित पेयजल की कमी को देखते हुए आपातकालीन योजना के प्रस्ताव भी बनाये गये हैं। जिसमें डीग शहर में एक नलकूप, दो डी.सी.बी. एवं 10 हैण्डपम्प लगाना तथा ग्रामीण क्षेत्र में तीन डी.सी.बी. एवं 23 हैण्डपम्प लगाना प्रस्तावित है।

हनुमानगढ़ में सेम प्रभावित क्षेत्रों हेतु परियोजना

47. श्री आदराम मेघवाल (टीबी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या रावतसर, मसीतावाली व आसपास के सैकड़ों चक, ढाणियों तथा रावतसर शहर इत्यादि इलाके सेम से प्रभावित हुए हैं ? क्या सरकार ने दो रोड़ा का हनुमानगढ़ में एक सेमिनार रखा था ? क्या उक्त सेमिनार में इंजीनियरों की कमेटी बनवाई जाकर अपनी रिपोर्ट एक माह में देने के निर्देश दिये गये थे ? क्या इंजीनियरों द्वारा रिपोर्ट दे दी गई है ? क्या सरकार सेम निकासी के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो किस स्तर पर है ?

(2) क्या रावतसर शहर के पास से केन्द्र सरकार की सहभागीदारी जिसमें राज्य सरकार एवं काश्तकारों की भी सहभागीदारी है एक प्रोजेक्ट परियोजना बनाई गई है, जिसकी कुल

(श्री आदराम मेघवाल)

अनुमानित राशि 4.67 करोड़ रुपये है ? क्या केन्द्र की राशि जिला ग्रामीण अभिकरण के खाते में जमा हो गई है व काश्तकारों ने अपनी भागीदारी की राशि एक पंजीकृत कमेटी का गठन कर इकट्ठी कर ली है ? अब कब तक उक्त कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, रावतसर व मसीतावाली क्षेत्र में खेतेवाली ढाणी, लखुवाली, जीवन नगर मिर्जावाली, लूणावाली ढाणी, डबलीकलां, डबलीखुर्द इत्यादि एवं रावतसर शहर के पास के क्षेत्र सेम से प्रभावित हैं। हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिले की सेम समस्या के निराकरण हेतु दिनांक 1.7.99 को मा.सिंचाई मंत्री महोदय की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन हनुमानगढ़ मुख्यालय पर किया गया। जिसमें सेम समस्या के अध्ययन एवं निराकरण हेतु विभिन्न कमेटियों का गठन किया गया जिसमें अभियंताओं की एक कमेटी अतिरिक्त मुख्य अभियंता सिद्धमुख नोहर परियोजना प्रबन्ध इकाई हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में एक कमेटी इंदिरा गांधी नहर व वितरिकाओं से होने वाले जल रिसाव एवं वर्तमान में स्वीकृत वाटर अलाउ 1.5 से 2 माह में रिपोर्ट देने हेतु किया गया। उक्त कमेटी ने विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट अक्टूबर, 99 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी।

अति. मुख्य अभियंता सिद्धमुख नोहर परियोजना प्रबन्ध इकाई हनुमानगढ़ की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी जो दो पड़ोसी राज्यों पंजाब व हरियाणा में सेम समस्या के लिए किये गये प्रयासों का अध्ययन एवं राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में सेम समस्या के निराकरण एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कमेटी ने विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट माह अक्टूबर, 1999 में राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी। सरकार रावतसर क्षेत्र की सेम समस्या के निराकरण हेतु कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में केन्द्रीय सरकार के डाक्टर एस.सुब्रह्मणीयम डायरेक्टर भूमि सुधार एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ने इस क्षेत्र की सेम समस्या के अध्ययन हेतु माह दिसम्बर, 1999 में क्षेत्र का दौरा किया तथा विभिन्न प्रस्तावों का अध्ययन किया। रावतसर क्षेत्र की सेम समस्या के निराकरण हेतु एक कार्य योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार के भूमि सुधार एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.3.2000 को जारी की गई। उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रथम किश्त की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा डी.आर.डी.ए. (जिला ग्रामीण विकास अभिकरण) हनुमानगढ़ के माध्यम से जारी की जा चुकी है तथा सिंचाई विभाग द्वारा सेम के पानी की निकासी हेतु निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। जिसकी दरों के विश्लेषण हेतु नेगोशियेशन की जा रही है।

(2) जी हां। रावतसर शहर के पास केन्द्र सरकार की सहभागीदारी जिसमें राज्य सरकार एवं काश्तकारों की भी सहभागीदारी है, एक प्रोजेक्ट परियोजना बनाई गई थी जिसमें भारत सरकार के भू-संसाधन विभाग नई दिल्ली पत्रांक नम्बर 5-22/99 टी दिनांक 30.3.2000 द्वारा राशि 460.66 लाख की

(राजस्व मंत्री)

प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है जिसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा राशि 304.748 लाख रुपये, राज्य सरकार काश्तकारों का हिस्सा 155.912 लाख रुपये रखी गई है। अभी तक केन्द्र से इस परियोजना हेतु अभिकरण कार्यालय में कुल 95.132 लाख रुपये प्राप्त हो चुके हैं। काश्तकारों द्वारा अपनी भागीदारी के लिए एक कमेटी का गठन कर पंजीकरण करवा लिया गया है। लेकिन भागीदारी हेतु किसी तरह की राशि इकट्ठी नहीं की गई है। इस परियोजना में राज्य सरकार एवं काश्तकारों की भागीदारी की राशि 155.912 लाख है जिसके विरुद्ध परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी सिंचाई विभाग ने विभाग द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन में संस्थापन व्यय विभाग द्वारा एवं मिट्टी का कार्य काश्तकारों के द्वारा कर 160.47 लाख रुपये वहन करने की सहमति प्रदान की। रावतसर क्षेत्र की सेम समस्या के निराकरण हेतु उक्त परियोजना की क्रियान्विति का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। विभाग में उपलब्ध दो नये पम्पों को मानक थेड़ी से स्थानान्तरित कर खोलेवाली ढाणी के नजदीक स्थापित कर दिया गया है तथा पानी की निकासी हेतु आवश्यक पाइप लाइन इ.गां.न. परियोजना से प्राप्त कर कार्य स्थल पर स्थानान्तरित कर दी गई है तथा पाइप लाइनों को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। चूंकि शीघ्र ही पूर्ण कर सेम के पानी की निकासी का कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा। शेष पम्पों की सप्लाई एवं पम्प हाउस के निर्माण का कार्य निविदाओं की स्वीकृति के पश्चात् प्रारम्भ कर दिया जावेगा। पानी की निवासी का कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् सेम नाले के निर्माण का कार्य विस्तृत सर्वेक्षण कर प्रारम्भ कर दिया जावेगा।

शराब के ठेकेदारों से बकाया राशि की वसूली

48. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से मार्च, 2001 तक स्वीकृत भारत निर्मित देशी व भारत निर्मित विदेशी शराब के ठेकेदारों से नियमानुसार कितनी राशि जमानत, सोलवेन्सी धरोहर व अरनेस्ट मनी जो सरकार के पास अनुज्ञा पत्र जारी करने से पूर्व जमा होना चाहिए-नहीं हुई और कितनी राशि कब-कब से किस-किस अनुज्ञाधारी पर बकाया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर, नागौर, सीकर व भीलवाड़ा समूह की कितनी धरोहर, जमानत, सोलवेन्सी राशि कब से वर्ष 1999-2001 के पेटे बकाया है ? सरकार उक्त राशि वसूल करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) जयपुर समूह पर सोलवेन्सी व जमानत राशि कम होने से कितनी राशि मय ब्याज वसूली योग्य है तथा कितनी सरकार ने कब-कब नोटिस जारी किया ?

(4) वर्ष 1999-2001 में आबकारी राजस्व कितना प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था तथा कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ ?

(5) प्रदेश में कितने शराब के ठेकेदारों पर कितनी राशि सरकार की कब से बकाया चल रही है ? सरकार उक्त वसूली हेतु क्या

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कार्यवाही कर रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से मार्च, 2001 तक स्वीकृत देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के जिन मदिरा समूहों के ठेकेदारों से वांछित धरोहर राशि से कम राशि प्राप्त हुई है उनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जिन समूहों के ठेकेदारों ने वांछित सोलवेंसी व जमानत प्रमाण पत्रों से कम के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-2 में संलग्न है।

अरनेस्ट मनी निविदा/प्रस्ताव के साथ प्राप्त होती है, जिसके आधार पर निविदा/प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं। निविदा स्वीकृत होने पर अरनेस्ट मनी अनुज्ञाधारी की धरोहर राशि में समायोजित हो जाती है। इस प्रकार अरनेस्ट मनी की कोई राशि बकाया नहीं है।

(2) वर्ष 1999 से मार्च, 2001 के लिए जयपुर एवं नागौर जिले के मदिरा समूहों के लिए वांछित धरोहर राशि, अनुज्ञाधारियों द्वारा इन समूहों के लिए जमा कराई गई धरोहर राशि तथा शेष राशि का विवरण परिशिष्ट-1 में संलग्न है। सीकर एवं भीलवाड़ा जिले के मदिरा समूहों की धरोहर राशि जमा हो चुकी है। जयपुर, नागौर एवं सीकर जिले के मदिरा समूहों के लिए वांछित हैसियत एवं जमानत प्रमाण पत्र, उनके द्वारा प्रस्तुत हैसियत एवं जमानत प्रमाण पत्रों तथा शेष रहे हैसियत एवं जमानत प्रमाण पत्रों का विवरण भी परिशिष्ट-2 में दिया हुआ है। भीलवाड़ा जिले के मदिरा समूहों के लिए वांछित हैसियत एवं जमानत प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

शेष धरोहर राशि तथा हैसियत एवं जमानत प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। जयपुर मदिरा समूह की धरोहर राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में रिट याचिका सं. 3814/2000 लंबित है।

(3) अनुज्ञाधारियों व जमानतियों द्वारा जो हैसियत एवं जमानत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें उनकी संपत्तियों का विवरण होता है, जिसका प्रमाणीकरण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया जाता है। हैसियत एवं जमानत के रूप में ठेकेदारों द्वारा नकद के रूप में राशि जमा नहीं कराई जाती है। हैसियत एवं जमानत के रूप में कम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उस पर ब्याज वसूली का प्रावधान नहीं है। हैसियत एवं जमानतों पर ब्याज वसूली का प्रावधान नहीं होने से इस हेतु कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।

(4) वर्ष 1999-2001 के लिए आबकारी राजस्व का लक्ष्य रुपये 1025 करोड़ रखा गया था, जिसके विरुद्ध रुपये 960.81 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। वर्ष 2000-2001 के लिए आबकारी राजस्व का लक्ष्य रुपये 1171 करोड़ रखा गया है, जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2000 तक रुपये 476.66 करोड़ (प्रोविजनल) राजस्व प्राप्त हुआ है।

(आबकारी मंत्री)

(5) प्रदेश में वर्ष 1962-63 से 31.3.1999 तक शराब के ठेकेदारों के विरुद्ध 353 प्रकरणों में राशि रुपये 35.58 करोड़ बकाया है। वर्षवार बकाया प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विभाग द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट-1

मदिरा समूहों (वर्ष 1999-2001) का विवरण जिनमें धरोहर राशि की कमी चल रही है

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	जिला	समूह का नाम	धरोहर		
			वांछित	जमा	शेष
1.	अजमेर	1. अजमेर-नसीराबाद-किशनगढ़	700.65	575.88	124.77
		2. ब्यावर-विजयनगर-केकड़ी	303.42	297.38	6.04
2.	अलवर	3. अलवर-रामगढ़-थानागाजी	237.55	193.35	44.20
		4. राजगढ़-लक्ष्मणगढ़-कठूमर-खेडली	89.56	62.37	27.19
		5. बहरोड़-बानसूर	177.13	133.91	43.22
		6. किशनगढ़-मुन्डावर-तिजारा-भिवाड़ी	214.37	175.76	38.61
3.	जयपुर	7. जयपुर-फुलेरा-दूदू-फागी-चाकसू-चौमूं	2095.96	617.89	1478.07
		8. शाहपुरा-कोटपूतली-विराटनगर	170.43	115.33	55.10
4.	जोधपुर	9. शेरगढ़	36.72	29.04	7.68
		10. बिलाड़ा-भोपालगढ़	124.77	123.62	1.15
5.	नागौर	11. नागौर-जायल-मेड़ता-डेगाना	244.55	222.54	22.01
		12. मकराना-परबतसर-नावां-कुचामन	237.08	225.29	11.79
6.	श्रीगंगानगर	13. रायसिंहनगर	108.67	57.65	51.02
7.	कोटा	14. कोटा-लाडपुरा-दीगोद-पीपल्दा	646.83	562.86	83.97
8.	उदयपुर	15. उदयपुर	575.40	391.90	183.50
9.	राजसमन्द	16. नाथद्वारा	51.75	42.99	8.76
	योग		6014.84	3827.76	2187.08

परिशिष्ट-2

मदिरा समूहों (वर्ष 1999-2001) का विवरण जिनमें हैसियत एवं जमानतों की कमी चल रही है

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	जिला	समूह का नाम	हैसियत प्रमाण-पत्र एवं जमानत		
			वांछित	जमा	शेष
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	1 अजमेर-नसीराबाद-किशनगढ़	1236.45	1052.24	184.21
		2 ब्यावर-विजयनगर-केकड़ी	535.44	488.88	46.56
2	अलवर	3 अलवर-रामगढ़-थानागाजी	419.21	345.89	73.32
		4 राजगढ़-लक्ष्मणगढ़-कठूमर-खेडली	158.05	50.45	107.60
		5 बहरोड़-बानसूर	312.59	50.00	262.59
		6 किशनगढ़-मुण्डावर-तिजारा	378.29	311.17	67.12
3	भरतपुर	7 भरतपुर-नदबई	267.96	243.61	24.35
		8 डीग-नगर-पहाड़ी	129.75	125.00	4.75
4	धौलपुर	9 धौलपुर	216.70	189.47	27.23
5	जयपुर	10 जयपुर-फुलेरा-दूदू-फागी	3698.75	2790.38	908.37
		11 शाहपुरा-कोटपूतली-विराटनगर	300.76	215.75	85.01
6	दौसा	12 दौसा-लालसोट	161.15	140.36	20.79
		13 महुआ-सिकराय-बांदीकुई	201.15	182.45	18.70
7	टौंक	14 टौंक-निवाई-उनियारा	242.19	185.85	56.34
		15 मालपुरा-देवली-टोडारायसिंह	264.01	223.80	40.21
8	झुंझुनूं	16 झुंझुनूं-नवलगढ़	472.06	397.49	74.57
		17 चिड़ावा नगर पालिका	61.33	26.50	34.83
		18 चिड़ावा ग्रामीण	109.91	45.60	64.31
		19 पिलानी-सूरजगढ़ न.पा.	54.35	20.00	34.35
		20 खेतड़ी बुहाना	201.21	154.45	46.76

1	2	3	4	5	6
9	सीकर	21 सीकर-दांतारामगढ़-लक्ष्मणगढ़	636.60	366.46	270.14
		22 श्रीमाधोपुर-नीमकाथाना	341.75	239.80	101.95
10	सवाईमाधोपुर	23 सवाईमाधोपर-खण्डार	193.82	168.54	25.28
		24 गंगापुरसिटी-नादौती	118.51	103.05	15.46
11	बाड़मेर	25 गुढ़ामलानी	48.22	47.00	1.22
		26 बाड़मेर नगर पालिका	74.22	67.50	6.72
12	जैसलमेर	27 पोकरण	85.18	58.65	26.53
13	बीकानेर	28 खाजूवाला चतरगढ़	222.11	220.83	1.28
14	चूरू	29 चूरू	94.48	79.63	14.85
		30 श्रीडूंगरगढ़	66.62	12.50	54.12
15	हनुमानगढ़	31 टीबी	107.33	89.25	18.08
16	जोधपुर	32 जोधपुर	859.21	784.50	74.71
		33 शेरगढ़	64.81	34.77	30.04
		34 फलौदी-लूणी (ग्रामीण)	71.98	0.00	71.98
17	नागौर	35 नागौर-जायल-मेड़ता	431.56	281.00	150.56
		36 मकराना-परबतसर-नावां-कुचामन	418.38	281.00	137.38
		37 लाड़नूं	83.72	73.00	10.72
18	पाली	38 बाली	100.40	33.00	67.40
		39 सोजत मारवाड़ जंक्शन	252.64	28.00	224.64
19	श्रीगंगानगर	40 रायसिंहनगर	191.77	21.00	170.77
		41 घड़साना	242.52	101.00	141.52
		42 श्रीकरनपुर ग्रामीण	48.34	40.30	8.04
		43 गजसिंहपुर नगर पालिका	39.02	32.00	7.02
		44 गंगानगर नगर पालिका/ग्रामीण श्रीकरणपुर-पदमपुर-अनूपगढ़	919.77	713.11	206.66
20	झालावाड़	45 पचपहाड़-पिड़ावा-गंगधार	141.97	131.38	10.59

1	2	3	4	5	6
21	उदयपुर	46 उदयपुर	1015.40	651.50	363.90
22	राजसमन्द	47 भीम-देवगढ़-आमेट	279.90	208.62	71.28
		48 राजसमन्द	176.50	135.38	41.12
		49 नाथद्वारा	91.32	54.00	37.32
		योग	**16840.41**	**12296.11**	**4543.30**

परिशिष्ट-3

दिनांक 31.3.2000 को शराब के ठेकेदारों में आबकारी राजस्व बकाया का विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	1962-1963	1	0.01
2.	1963-1964	1	0.00
3.	1964-1965	1	0.00
4.	1965-1966	3	0.01
5.	1966-1967	3	0.00
6.	1967-1968	47	0.13
7.	1968-1969	31	0.08
8.	1969-1970	20	0.04
9.	1970-1971	17	0.05
10.	1971-1972	2	0.01
11.	1972-1973	8	0.03
12.	1973-1974	5	0.10
13.	1974-1975	4	0.07
14.	1975-1976	2	0.01
15.	1975-1978	1	0.00
16.	1976-1977	1	0.00
17.	1977-1978	12	0.03
18.	1978-1979	27	0.31
19.	1979-1980	1	0.00

क्र. सं.	वर्ष	प्रकरणों की संख्या	राशि
20.	1981-1982	6	0.34
21.	1982-1983	44	1.24
22.	1983-1984	14	0.42
23.	1984-1985	16	3.05
24.	1984-1986	3	0.07
25.	1985-1986	17	0.44
26.	1986-1987	10	0.41
27.	1987-1988	1	0.02
28.	1989-1999	1	0.21
29.	1989-1991	7	6.11
30.	1991-1992	2	1.64
31.	1991-1993	7	12.64
32.	1992-1993	2	0.49
33.	1993-1994	1	0.56
34.	1994-1995	4	0.32
35.	1995-1996	6	0.73
36.	1996-1997	25	6.02
	Total	**353**	**35.58**

प्रश्न संख्या 49

(स्थगित)

जिला पाली का हेमी हत्या प्रकरण

50. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के मा. न्यायाधीश श्री एन.एन. माथुर एवं श्री डी.एन. जोशी ने सितम्बर, 2000 में पाली जिले के हेमी हत्या प्रकरण में राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री निर्मल वाधवानी के सम्बन्ध में क्या टिप्पणी की है और सरकार को दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं ? राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश की पालना में अब तक उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही प्रारम्भ की है ? उक्त हत्या प्रकरण में तत्कालीन उपखण्ड मजिस्ट्रेट बाली के समक्ष श्रीमती हेमी के मृत्युकालीन बयान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में पाली जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने गवाही के लिए

(श्री संयम लोढ़ा)

श्री वाधवानी को कब-कब बुलाया ? उक्त संबंध में लोक अभियोजक ने श्री वाधवानी को कब-कब सूचित किया और वे पेशी पर बार-बार अनुपस्थित क्यों रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पाली जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में श्री निर्मल वाधवानी के गवाही के लिए न आने की वजह से उक्त हत्याकांड के अभियुक्त बरी हो गये ? क्या सरकार इस बिन्दु पर कोई जांच कर रही है कि श्री वाधवानी की उक्त मृत्यु प्रकरण के अभियुक्तों से सांठ-गांठ हो गई थी ? यदि हां, तो अब तक जांच के क्या परिणाम रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 311/2000 राज्य सरकार बनाम चुन्नीलाल व अन्य में अपने आदेश दिनांक 13.9.2000 में श्री निर्मल वाधवानी द्वारा परीक्षण न्यायालय में अभियोजन साक्षी की तहत वांछित तारीख को उपस्थित नहीं होने के कारण आपत्ति की है तथा मा. न्यायालय ने यह कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि श्री निर्मल वाधवानी के विरुद्ध दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत उचित कार्यवाही होनी चाहिए। मा. न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि श्री निर्मल वाधवानी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने से पूर्व, श्री निर्मल वाधवानी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाना न्यायालय उचित समझता है। अत: श्री निर्मल वाधवानी दिनांक 9.10.2000 को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बैंच के समक्ष उपस्थित हों। इस निर्णय की प्रतिलिपि न्यायालय द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को भी भेजी है। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 23.9.2000 द्वारा श्री निर्मल वाधवानी को निर्धारित तिथि पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर बैंच में उपस्थित होने के निर्देश दे दिये हैं, साथ ही श्री निर्मल वाधवानी को उनके परीक्षण न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने के कारणों के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देश दिये हैं। श्री निर्मल वाधवानी ने अपना स्पष्टीकरण दिनांक 18.10.2000 को मुख्य सचिव महोदय को प्रस्तुत कर दिया है। श्री निर्मल वाधवानी ने दिनांक 9.10.2000 को राजस्थान उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर दिया है एवं उच्च न्यायालय ने श्री निर्मल वाधवानी को व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त कर दिया है। चूंकि मामला अभी भी उच्च न्यायालय के स्तर पर विचाराधीन है अत: राज्य सरकार उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही करेगी।

उक्त प्रकरण में तत्कालीन उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बाली के द्वारा श्रीमती हेमी के मृत्युकालीन बयान की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) अपर जिला सत्र न्यायाधीश, पाली ने श्री निर्मल वाधवानी को दिनांक 25.5.99, 15.6.99 एवं 8.7.99 को न्यायालय में उपस्थित होकर गवाही देने हेतु जमानती वारंट द्वारा बुलाया था। अंतिरिक्त लोक अभियोजक,

(कार्मिक मंत्री)

बाली ने श्री निर्मल वाधवानी को दिनांक 14.7.99, 20.7.99 एवं 30.7.99 को वितन्तु संदेश द्वारा न्यायालय में गवाही हेतु उपस्थित होने के लिए सूचित किया था। श्री निर्मल वाधवानी ने अपने स्पष्टीकरण में यह बताया है कि दिनांक 25.5.99, 15.6.99 एवं 8.7.99 को न्यायालय में उपस्थिति हेतु जारी जमानती वारण्ट उनको प्राप्त ही नहीं हुए थे। दिनांक 14.7.99, 20.7.99 एवं 30.7.99 को अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा भेजे गये वितन्तु संदेश प्राप्त होने पर उन्होंने न्यायालय को लोक सभा चुनाव की घोषणा हो जाने के कारण लोकसभा चुनाव के बाद की तिथि देने का निवेदन किया था।

(3) जी नहीं। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.8.99 में गवाहानों के बयानों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों में भिन्नता होने के कारण अभियुक्तों को बरी किया है।

जी नहीं। राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई जांच प्रारम्भ नही की है। चूंकि मामला अभी भी उच्च न्यायालय के स्तर पर विचाराधीन है अत: राज्य सरकार उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही करेगी।

बारानी भूमि के नक्शों में रास्तों का इन्द्राज

51. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधिकांश बारानी भूमि में जाने हेतु सैटलमेंट विभाग द्वारा बनाये गये नक्शों के रास्तों को नहीं दर्शाया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसी कई भूमि कुआ खोदने के बाद सिंचित हो गई तथा इनके आने जाने के रास्तों के बाबत कई विवाद उत्पन्न हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार एक अभियान चला कर रास्तों को नक्शे पर अंकित कराने का विचार ररखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) भू-प्रबन्ध विभाग राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने पर सम्बन्धित तहसीलों का सर्वेक्षण कार्य चालू कर मौके की स्थिति के अनुसार मानचित्र (नक्शे) तैयार किये जाते हैं। मौके पर जो रास्ते चालू पाये जाते हैं, उनको नक्शे में दर्शाये जाते हैं। बारानी भूमि में आने जाने हेतु मौके पर रास्ते चालू हैं तो उनको नक्शे में दर्शाया जाता है।

(2) भूमि कुआ खोदने के बाद सिंचित हो जाने पर रास्ते के विवादित प्रकरण पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 251 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। प्रतिवर्ष राज्य सरकार द्वारा विकास शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान में संशोधन

52. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि गत सरकार ने कनिष्ठ

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

लिपिक वर्ग की वेतन श्रृंखला 4000-6000 करने की कार्यवाही चालू कर दी थी ? यदि हां, तो उक्त संबंध में वर्तमान सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार उक्त वर्ग की वेतन श्रृंखला 4000-6000 करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। गत सरकार से दिनांक 28.10.1998 को राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ से सहमति हुई थी। तत्पश्चात् वर्तमान सरकार ने इस प्रकरण को राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु श्री यतीन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग) की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय समिति को जांच एवं सिफारिश हेतु प्रेषित किया। समिति से प्राप्त रिपोर्ट राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है।

राजगढ़ (चूरू) की जल प्रदाय योजनाएं

53. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में कौन-कौनसी जल प्रदाय योजनाएं चल रही हैं ? उक्त योजनाओं से कितने गांवों में पानी पहुंच रहा है तथा कितने गांवों में अभी शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कई गांवों में अब तक पानी नहीं पहुंच पाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों में पानी पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस योजना में और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) के सभी 205 आबाद ग्राम विभिन्न पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हैं। वर्तमान में उक्त योजनओं से 188 ग्रामों में योजना के मूल स्रोत से पानी पहुंच रहा है। 11 गांवों को स्थानीय जल स्रोत से पानी दिया जा रहा है तथा 6 गांवों को पानी नहीं पहुंच रहा है जिनका विवरण प्रपत्र-'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। 11 गांवों में योजना के मूल स्रोत का पानी नहीं पहुंच रहा है, लेकिन इन्हें स्थानीय स्रोत से नियमित जल वितरण किया जा रहा है। 6 गांव ऐसे हैं जहां विभागीय योजना का पानी उपलब्ध नहीं है। विवरण तथा कारण प्रपत्र-'ख' पर संलग्न है।

(3) जी हां। विवरण प्रपत्र-'ख' पर संलग्न है।

प्रपत्र ''क''

राजगढ तहसील में 1991 की जनगणना के अनुसार कुल आबाद गांव 205

क्र.सं.	जलप्रदाय योजना का नाम	कुल लाभांवित गांवों की संख्या	गांवों की सं. योजना के मुख्य स्रोत से जहां पानी पहुंच रहा है।	गांवों की सं. जहां सिर्फ स्थानीय स्रोत का पानी वितरित किया जा रहा है।	गांवों की सं. जहां पानी नहीं पहुंच रहा है।	कालम 3 में शामिल गांवों की संख्या जहां 'आपकी योजना' से लाभ मिल गया है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	क्षेत्रीय जलयोजना भणीर बाय श्योपुरा	18	18	0	-	17	
2	,, ,, ददरेवा ढिगारला गालड	18	18	0	-	16	
3	,, ,, ददरेवा खूडी कलाल कोटडा	18	18	0	-	-	
4	,, ,, ददरेवा खूडी पाबासी	22	19	0	3	-	
5	,, ,, बुदावास कालोडी	23	19	1	3	-	
6	,, ,, चांद गोठी सूलखणिया	19	19	0	-	-	
7	,, ,, ढढाल खेता ग्वालीसर	31	23	8	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	क्षेत्रीय जल योजना चांदगोठी राजगढ़	29	27	2	-	-	
9	,, ,, किरतान खेरू बड़ी	16	16	0	-	-	
10	पनघट जल योजना	10	10	0	-	-	
11	क्षेत्रीय जल योजना भैंसली भमरीड	1	1	0	-	-	
	कुल गांव	**205**	**188**	**11**	**6**	**33**	

प्रपत्र-"ख"

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रभावित गांव का नाम	स्थानीय स्रोत चालू	मूल स्रोत से पानी नहीं पहुंच पाने का कारण	विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही
1	क्षेत्रीय जल योजना ददरेवा खूडी पाबासी	रतनपुरा	नहीं	क्रम सं. 1 से 13 गंधेली साहवा योजना के गांव हैं। योजना 1996 की मांग हेतु अभिकल्पित की गई थी। योजना पर बढ़ी मांग, विद्युत उपलब्धता में कमी आदि कारणों व इन गांवों के अन्तिम छोर पर स्थित होने के कारण समस्या है। इन 13 गांवों में से 10 में स्थानीय स्रोत से पानी नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है।	आपणी योजना के तहत पीछे की मुख्य पाइप लाइन, पम्प हाउस में सुधार, सुदृढ़ीकरण कार्य प्रगति में है। इसी योजना के तहत डायरेक्ट विद्युत फीडर का कार्य करवा लिया गया है। इस योजना के कार्य पूर्ण होने से व्यवस्था में सुधार कर इन्हें योजना के मूल स्रोत का पानी दिया जाना प्रस्तावित है।
2	,, ,, ,,	जयपुरिया पट्टा	नहीं		
3	,, ,, ,,	जयपुरिया खालसा	नहीं		
4	क्षेत्रीय जल योजना ढढाल खेता ग्वालीसर	इन्दासर	हां		
5	,, ,, ,,	ग्वालीसर	हां		
6	,, ,, ,,	राधा बड़ी	हां		
7	,, ,, ,,	राधा छोटी	हां		
8	,, ,, ,,	गागडवास	हां		
9	,, ,, ,,	भाखरान	हां		
10	,, ,, ,,	गोठी छोटी	हां		
11	,, ,, ,,	नरवासी	हां		

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रभावित गांव का नाम	स्थानीय स्रोत चालू	मूल स्रोत से पानी नहीं पहुंच पाने का कारण	विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही
12	क्षेत्रीय जल योजना चांदगोरी राजगढ़	बास लालसिंह	हां		
13	,, ,, ,,	बास किरतान	हां		
14	क्षेत्रीय जल योजना बुधावास का लोडी	रावतसर कुंजला	हां	जल स्रोत की कमी व विद्युत उपलब्धता में कमी।	नए स्रोत (नलकूप) जोड़कर उत्पादन बढ़ाना प्रस्तावित है।
15	,, ,, ,,	कुंगलावास	नहीं	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,
16	,, ,, ,,	खारीयाबास	नहीं	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,
17	,, ,, ,,	मलाना बास	नहीं	,, ,, ,, ,,	,, ,, ,, ,,

विधायकों को क्षेत्र के दौर हेतु वाहन सुविधा

54. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधायकों को अपने क्षेत्र में भ्रमण के लिए महीने में पांच दिवस के लिए वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिये गये हैं ? यदि हां, तो नागौर जिले मे इन निर्देशों की अनुपालना में अब तक किन-किन विधायकों को कितने कितने समय के लिए कौन-कौनसे वाहन उपलब्ध कराये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला कलेक्टर, नागौर ने सरकार के उक्त निर्देशों की अनुपालना में जिला पूल का वाहन उपलब्ध कराने के बजाए विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुचामन को वितंतु संदेश भेजकर किराये का वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और विकास अधिकारी, कुचामन द्वारा इसकी अनुपालना नहीं की गई ? क्या इसके लिए विकास अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा तहसीलदार, नावां को अपना वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये जिसकी अनुपालना में तहसीलदार नावां ने माह सितम्बर, 2000 में चार दिन वाहन उपलब्ध कराया ? क्या यह सही है कि उक्त वाहन काफी पुराना होने के साथ-साथ उसे धक्के देकर स्टार्ट करना पड़ता है व स्टेपनी भी साथ नहीं है ? यदि हां, तो क्या ऐसा वाहन विधायकों के लिए असुरक्षित है ? क्या यह सही है कि तहसीलदारों के पास डीजल व आयल का बजट भी नहीं है ? क्या सरकार विधायकों को कठिनाई नहीं हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इसमें कब तक क्या सुधार किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। इन निर्देशों के बाद नागौर जिले में केवल एक विधायक माननीय श्री हरीश जी कुमावात द्वारा गाड़ी की मांग करने पर उनको चार दिन के लिए माह जुलाई, 2000 में जिला पूल की गाड़ी उपलब्ध करवाई गई थी।

(2) अकाल राहत कार्य के निष्पादन एवं निरीक्षण में व्यस्तता की वजह से जिला पूल के वाहन व्यस्त होने के कारण विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुचामन को लिखित में एवं दूरभाष पर हिदायत दी गई कि माननीय विधायक महोदय को अच्छी हालत की गाड़ी किराये पर लेकर उपलब्ध करावें।

विकास अधिकारी द्वारा इन निर्देशों की पालना में मा. विधायक महोदय के आवास पर दिनांक 2 व 3 जून, 2000 को गाड़ी भिजवाई गई लेकिन तब तक मा. विधायक दौरे पर रवाना हो चुके थे।

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कुचामन द्वारा जिला कलैक्टर, नागौर के निर्देशों की अवहेलना नहीं की गई। अत: इनके विरुद्ध

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। तहसीलदार नावां को आबंटित जिला पूल का वाहन पुराना अवश्य है। यह वाहन सैल्फ स्टार्ट है तथा स्टेपनी साथ है। उपलब्ध कराया गया वाहन असुरक्षित नहीं है।

जी नहीं, तहसीलदारों को डीजल व आयल का बजट आबंटित किया जाता है।

जी हां। विधायकों को कठिनाई नहीं हो इसके लिए राज्य सरकार ने इन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु माह में 5 दिन जिला पूल से वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के हैण्डपम्प

55. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्ष 1995 से अक्टूबर, 2000 तक कितने हैण्डपम्प स्वीकृत हुए थे और इनमें से कितने हैण्डपम्प लग चुके हैं, कितने हैण्डपम्प लगने शेष हैं एवं इन्हें कब तक लगा दिया जावेगा ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बांदीकुई विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1995 से अक्टूबर, 2000 तक कुल 652 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से 535 हैण्डपम्प लग चुके हैं तथा 117 हैण्डपम्प लगने शेष हैं, जिनमें से 26 हैण्डपम्पों का कार्य प्रगति पर है। सभी हैण्डपम्पों को इसी वित्तीय वर्ष में लगा दिया जावेगा। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

गंगनहर के आधुनिकीकरण पर व्यय

56. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे :-

(1) गंगनहर आधुनिकीकरण परियोजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कितनी धनराशि की स्वीकृत की गई है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त परियोजना के लिए इस वर्ष बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

(3) अब सरकार इस पद्धति परियोजना को कितने समय में पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा रुपये 445.79 करोड़ की योजना स्वीकृत की है।

(2) राज्य सरकार द्वारा परियोजना के लिए इस वर्ष बजट में 40.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है।

(3) लगभग 8 से 10 वर्षों में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

माही परियोजना के मुख्य नहर के रिसाव की रोकथाम

57. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) इस वर्ष में सरकार ने माही परियोजना की बायीं मुख्य नहर के अन्दर किन-किन माइनरों को पक्का किया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त परियोजना की कच्ची माइनरों को पक्का करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक किन-किन माइनरों को पक्का किया जावेगा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बांसवाड़ा में माही परियोजना से अब तक किन-किन ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हुआ है और कौन-कौनसे गांव अब तक वंचित हैं ? क्या सरकार उक्त शेष रहे गांवों में पानी पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि माही परियोजना की कई माइनरों को पक्की की गई उसमें घटिया सामग्री काम में ली गई है ? क्या यह सही है कि मुख्य नहर से पानी का रिसाव हो रहा है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं और कब तक पानी के रिसाव को रोका जाएगा ? क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) सरकार ने माही परियोजना में कितने पद किस-किस प्रकार के समाप्त किये हैं और अधिशेष कर्मचारियों का कहां-कहां समायोजन किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस वर्ष माही परियोजना की बायीं मुख्य नहर की सालिया माइनर और बोरवानिया माइनर को क्रमश: 390 मीटर एवं 220 मीटर लम्बाई में पक्का किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

सालिया माइनर

आर.डी. 0 से 143	143 मीटर
आर.डी. 153.5 से 234.50	81 मीटर
आर.डी. 619 से 637	18 मीटर
आर.डी. 852 से 1000	148 मीटर
कुल	**390 मीटर**

बोरवानिया माइनर

आर.डी. 30 से 250	220 मीटर

(2) जी नहीं।

(3) माही परियोजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा जिले के कुल 565 गांवों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है। इनमें से 410 गांवों को सिंचाई प्रदान की जा रही है और शेष 155 में चरणबद्ध तरीके से सिंचाई व्यवस्था करना प्रस्तावित है। विवरण प्रपत्र-अ व ब सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) माइनरों में लाइनिंग कार्य हेतु डिजाइन एवं मानदण्ड के अनुसार ही सामग्री काम में ली गई है। मुख्य नहर में असामान्य रिसाव नहीं हो रहा है। काश्तकारों द्वारा जगह-जगह नहरों को काटकर पानी लेने तथा रात्रि में पानी

(सिंचाई मंत्री)

खुला छोड़ देने के कारण निचले स्तर की भूमि पर पानी एकत्रित हो जाता है जिससे कई स्थानों पर रिसाव की सी स्थिति बन जाती है। कोई विशेष प्रकरण सामने आने पर जांच करायी जाएगी।

(5) बजट निर्णायक समिति वर्ष 2000-2001 में लिए गये निर्णयानुसार 175 नियमित राज्य कर्मचारियों को एवं 321 वर्कचार्ज कर्मचारियों को अधिशेष घोषित किया गया है। इनके समायोजन का विवरण परिशिष्ट ''स'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

आबकारी विभाग सीकर द्वारा सोलवेंसी में फर्जीयत की जांच

58. श्री मोहन लाल मोदी(नीमकाथाना): क्या आबकारी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मैसर्स अश्वनी कुमार पवन कुमार देशी एवं विदेशी मदिरा सीकर समूह में वर्ष 2000-2001 में 30 सितम्बर, 2000 तक कितनी विशेषाधिकार राशि सरकार की बकाया है तथा कम्पोजिट मद में होने वाली कितनी राशि बकाया है और इस बकाया राशि पर ब्याज सहित कुल कितनी राशि बकाया है ?

(2) उक्त ठेकेदार के द्वारा ठेका प्राप्त करने के लिए कितनी राशि की सोलवेंसी जमानत प्रस्तुत की गई तथा जांच करने पर कितनी राशि की जमानत फर्जी पायी गई।

(3) क्या सोलवेंसी में फर्जीयत पायी गई ? क्या विभाग द्वारा जांच करने पर सोलवेंसी फर्जी पायी गई एवं उसमें काटा-पीटी पायी गई, जिस पर ठेकेदार के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश हुए हैं ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या जिला आबकारी विभाग, सीकर द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी ने किन कारणों से कार्यवाही क्यों नहीं की ? क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करेगी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त ठेकेदार से उक्त बकाया राशि वसूल क्यों नहीं की गई तथा अब वसूल करने की क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक राशि वसूल की जावेगी ?

उत्तर

(1) मैसर्स अश्वनी कुमार पवन कुमार एण्ड पार्टी के पक्ष में सीकर जिले के 2 मदिरा समूह सीकर-दांतारामगढ़-लक्ष्मणगढ़ व श्रीमाधोपुर-नीमकाथाना स्वीकृत हुए हैं। इन मदिरा समूहों में वर्ष 2000-2001 की दिनांक 28.10.2000 तक एकाकी विशेषाधिकार राशि उस पर देय ब्याज तथा धरोहर राशि पर ब्याज मिलाकर रुपये 860.34 लाख बकाया है। कम्पोजिट मद में कोई राशि एवं उस पर ब्याज बकाया नहीं है।

(2) उक्त ठेकेदार द्वारा ठेका प्राप्त करने के लिए राशि रुपये 203.82 लाख के हैसियत

(आबकारी मंत्री)

प्रमाण पत्र एवं राशि रु. 502.40 की मोतबीर जमानतें प्रस्तुत की गई हैं। सह अनुज्ञाधारी श्री संतोष काबरा की पत्नी श्रीमती मैना देवी की राशि रु. 114.37 लाख की जमानत हेतु प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र एवं सह अनुज्ञाधारी श्री पवन कुमार द्वारा श्री गुलाब सिंह पुत्र चौधरी पथराम नि. हिसार की राशि रुपये 65.68 लाख की जमानत हेतु प्रस्तुत हैसियत प्रमाण पत्र क्रमश: कूटरचित एवं मिथ्या पाये गये।

(3) कूटरचित व मिथ्या प्रमाण पत्रों के बारे में भाग-2 के उत्तर में वर्णन किया गया है। जिला आबकारी अधिकारी ने अनुज्ञाधारी श्री संतोष काबरा एवं पवन कुमार के विरुद्ध थाना कोतवाली, सीकर में मुकदमा नं. 403/2000 दिनांक 12.9.2000 दर्ज कराया है।

(4) उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गई है।

(5) उक्त समूह के अनुज्ञाधारियों से एकाकी विशेषाधिकार राशि की बकाया की वसूली समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप दिनांक 1.10.2000 से 28.10.2000 के बीच राशि रुपये 117.23 लाख की वसूली की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अनुज्ञाधारियों से सम्पूर्ण बकाया राशि की वसूली के प्रयास जारी हैं।

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 71 की सूचना)

परिशिष्ट "क"

पंचायत समिति क्षेत्र तिजारा के स्टोन क्रेशर्स एवं उनके द्वारा जमा कराये गये कर का विवरण

क्र.सं.	नाम	बिक्री कर (लाख रु.)			
		96-97	97-98	98-99	99-00
1.	दिव्या कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, गोदान	0.02	0.19	0.15	0.80
2.	हनुमान ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	0.01	1.92	1.72
3.	मां संतोषी ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	8.43	6.72
4.	सूर्य ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	0.06	3.24	3.52
5.	राजेश ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	1.55	1.12
6.	शिव ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	1.45	0.78
7.	जैन स्टोन क्रेशिंग कम्पनी, हसनपुरा	-	0.19	0.07	0.09
8.	एम.टी.सी. ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	-	-
9.	श्री गणेश ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	-	-
10.	श्री महालक्ष्मी ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	2.66	2.41
11.	नोनू स्टोन क्रेशर्स गोदान	-	-	-	-

परिशिष्ट ''ख''

पंचायत समिति क्षेत्र तिजारा के स्टोन क्रेशर्स द्वारा गत चार वर्षों में क्रय किये गये पत्थर (कच्चा माल) एवं तैयार माल की बिक्री की सूचना

क्र.सं.	नाम	खरीद (लाख रू.)				बिक्री कर (लाख रू.)			
		96-97	97-98	98-99	99-00	96-97	97-98	98-99	99-00
1.	दिव्या कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट, गोदान	0.45	1.10	-	-	0.72	1.65	1.52	5.16
2.	हनुमान ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	0.60	-	-	-	0.07	16.03	14.36
3.	मां संतोषी ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	-	-	-	-	70.38	50.38
4.	सूर्य ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	0.30	-	-	-	0.52	22.08	29.81
5.	राजेश ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	2.1	-	-	-	-	12.61	9.81
6.	शिव ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	1.8	-	-	-	-	12.07	6.88
7.	जैन स्टोन क्रेशिंग कम्पनी, हसनपुरा	-	2.1	-	-	-	1.60	1.47	0.88
8.	एम.टी.सी. ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	श्री गणेश ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	श्री महालक्ष्मी ग्रिट उद्योग, उदनवास	-	0.5	15.87	-	-	-	16.85	17.63
11.	नोनू स्टोन क्रेशर्स गोदान	-	-	-	-	-	-	-	-

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 72 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

राजस्व आय का पांच वर्षों का तुलनात्मक विवरण

(राशि रुपये हजारों में)

	बजट मद	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 R.E.
1	2	3	4	5	6	7
0021-	आय पर निगम कर से भिन्न कर	6235732	7512624	7504622	8047889	9187738
0022-	कृषि मुख्य कर	37	45	53	6	10
0029-	भू-राजस्व	338747	377356	447641	332684	375550
0030-	स्टाम्प तथा पंजीकरण	2280765	2762567	3122716	3443634	4250000
0035-	भूमि एवं भवन कर	129018	324741	331508	179821	232300
0039-	राज्य उत्पाद शुल्क	7055666	7845643	9227893	9900278	10250000
0040-	बिक्री कर	13996560	15988521	18265366	20586667	25500000
0041-	वाहन कर	2465068	2769440	3471996	3643573	4550000
0042-	माल तथा यात्री कर	-	3	10	2	150012

1	2	3	4	5	6	7
0043-	विद्युत कर तथा शुल्क	803457	919634	889645	918741	1938960
0044-	सेवा कर	-	-	-	2	-
0045-	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	236646	249663	348946	387994	510500
	योग	**33541696**	**38750237**	**43610396**	**47441291**	**56945070**
0049-	ब्याज प्राप्तियां	5015594	6248993	5981339	6287900	7178332
0050-	लाभांश एवं लाभ	59421	61890	86079	79622	58397
0051-	लोक सेवा आयोग	10052	9396	18635	1701	18800
0055-	पुलिस	141232	130705	189945	189739	350554
0056-	जेल	6306	5665	4060	7881	9743
0058-	लेखन सामग्री	13465	57917	50399	42746	46800
0059-	लोक निर्माण	179082	137654	140121	168908	164570
0070-	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	201802	446560	630322	310736	675152
0071-	पेंशन	50351	40357	40849	89656	120000
0075-	विविध सामान्य सेवाएं	12659275	1647442	1160951	645083	1596701
0202-	शिक्षा	119530	139115	170061	81853	183283
0210-	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	164851	93459	168099	147861	194378

1	2	3	4	5	6	7
0211-	परिवार कल्याण	3230	4614	3388	1764	3500
0215-	जल आपूर्ति	757623	784512	967920	1216058	1350000
0216-	आवास	11736	13365	14770	24232	24970
0217-	शहरी विकास	1253	7092	6673	5382	4477
0220-	सूचना एवं प्रचार	290	299	312	523	375
0230-	श्रम तथा रोजगार	7991	20802	19360	18330	17712
0235-	सामाजिक सुरक्षा	15102	9911	9155	13058	15063
0250-	अन्य सामाजिक सेवाएं	82475	42458	58534	78659	78225
0401-	कृषि	23056	22175	23052	33187	39740
0403-	पशुपालन	18330	15241	22255	31698	29739
0405-	मत्स्य	35954	40154	83000	52552	80970
0406-	वन	135979	188897	186008	179128	210788
0425-	सहकारिता	43888	19654	28068	52723	45167
0435-	अन्य कृषि	16501	70067	54336	82329	53549
0506-	भूमि सुधार	6293	3978	2501	1861	4000
0515-	अन्य ग्राम विकास	2445	9958	3035	792	700

1	2	3	4	5	6	7
0575-	विशेष क्षेत्र	15738	17229	8270	14229	14960
0701-	सिंचाई	214423	242705	245972	234005	361105
0702-	भू-जल	232101	213178	160926	184747	196400
0802-	पैट्रोलियम	-	-	0	18282	40000
0851-	लघु उद्योग	16887	12038	9625	10710	8250
0852-	उद्योग	27158	8301	1717	5465	16100
0853-	खन्न उद्योग	2145222	2712173	2929002	3042483	3545000
1054-	सड़क तथा पुल	38256	51537	55684	36715	38700
1452-	पर्यटन	51113	16860	8981	23806	10877
1475-	अन्य आर्थिक सेवाएं	37193	64814	80844	117181	101255
	योग :-	**22567498**	**13611165**	**13624218**	**13533925**	**16888332**
1601-	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	11591200	13090014	16224933	13222648	13562954
1603-	संघ उत्पादन शुल्क में राज्यों का हिस्सा	8596500	10145800	10582700	11594900	12660547
	योग :-	**20187700**	**23235814**	**26807633**	**24817548**	**26223501**
	कुल योग :-	**76296894**	**75597216**	**84042247**	**85792764**	**100056903**

परिशिष्ट ''ब''

राजस्व आय का पांच वर्षों का तुलनात्मक विवरण

(राशि रुपये हजारों में)

	बजट मद	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 R.E.
1	2	3	4	5	6	7
2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, विधान मण्डल	68154	70325	69527	86807	105888
2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	13689	15677	14839	21332	25683
2013	मंत्री परिषद	24476	29175	28765	30349	33208
2014	न्याय प्रशासन	507323	639242	683421	1016126	1070956
2015	निर्वाचन	194808	298790	267836	317994	464967
2029	भू-राजस्व	871822	984504	1103309	1496274	1588055
2030	स्टाम्प पंजीकरण	41091	50585	57048	100295	85650
2035	सम्पत्ति तथा पूंजीगत लेनदेनों पर अन्य करों का संग्रहण	14785	16440	16601	23138	24191

1	2	3	4	5	6	7
2039	राज्य उत्पादन शुल्क	826433	655659	986617	1031958	1479349
2040	बिक्री कर	242014	292645	306663	416544	403925
2041	वाहन कर	8236	111803	97061	125804	140609
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	29713	35526	34138	46772	56936
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	170380	161451	273731	578749	626551
2049	ब्याज अदायगियों	12337761	15531099	18966725	22429207	28698117
2051	लोक सेवा आयोग	24578	26210	27350	42024	51826
2052	सचिवालय सामन्य सेवाएं	192536	218942	244385	343583	346838
2053	जिला प्रशासन	1104540	641683	678237	943214	969862
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन	227364	246708	272195	353583	371762
2055	पुलिस	3253174	3835934	4170813	5913809	6421217
2056	जेल	166112	192475	202691	253904	264320
2058	लेखन सामग्री और मुद्रण	112152	129336	108621	168984	173810
2059	लोक निर्माण कार्य	332412	884239	51198	489508	605305

1	2	3	4	5	6	7
2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	330743	381155	407605	497494	549815
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ	3740279	4899671	5956623	8793976	15126905
2075	विविध सामान्य सेवाएं	9570263	111254	247795	67346	1605
2202	सामान्य शिक्षा	16531033	19365327	20952760	27098955	29971792
2203	तकनिकि शिक्षा	241728	245725	268411	311290	309048
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	117429	125686	141802	171038	165684
2205	कला एवं संस्कृति	87705	93674	107922	150684	131719
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	4078206	4715130	5091518	6627124	7200356
2211	परिवार कल्याण	1068120	1190102	1162480	1567629	1995824
2215	जल आपूर्ति तथा सफाई	3218338	3847706	4545138	5549329	6020640
2216	आवास	551826	489974	482735	407706	416726
2217	शहरी विकास	513469	518673	754120	2780321	3957016
2220	सूचना तथा प्रचार	62884	54257	62265	73582	76016
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	913183	778742	644305	761776	880117

1	2	3	4	5	6	7
2230	श्रम तथा रोजगार	244953	251385	247142	366647	363354
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	461288	474597	499974	660725	1148692
2236	पोषण	367014	425025	476368	591402	630570
2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1724572	2022313	1920173	2013229	2098358
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	30696	42732	38386	49401	53539
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	31401	36277	39917	52615	56306
2401	फसल कृषि कर्म	1295592	138248	1286567	1527273	1406358
2402	मृदा तथा जल संरक्षण	789582	554284	469932	649592	635948
2403	पशुपालन	607393	674428	785954	1005592	1049940
2404	डेयरी विकास	60500	37000	11000	250	0
2405	मछली पालन	54604	50318	48634	63641	60782
2406	वानिकी तथा वन्य जीवन	683563	745124	825517	1043993	1195808
2408	खाद्य भण्डार तथा भण्डागार	17357	17241	13158	16615	17511
2415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	302281	303360	333629	418484	444716
2425	सहकारिता	374712	274769	230376	266001	265004

1	2	3	4	5	6	7
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	16409	19447	21019	26746	24221
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	289815	231969	194048	214901	164039
2505	ग्राम्य रोजगार	2140034	536869	127982	139324	100000
2506	भूमि सुधार	1700	1508	-	-	-
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1004834	1441097	1458028	1854941	2620250
2575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	196391	85263	13061	87218	53000
2701	मुख्य तथा मध्यम सिंचाई	3355711	3714095	4058577	5296396	5770423
2702	लघु सिंचाई	533821	551733	557255	675777	754960
2705	कमान क्षेत्र विकास	766470	505327	538343	823075	894038
2801	बिजली	2321747	2477307	2753039	2978036	4804569
2802	पेट्रोलियम	-	-	-	-	2100
2810	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत	42188	16739	17789	12166	13500
2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	113690	201574	140446	157575	166089
2852	उद्योग	900502	687183	856141	688866	437024
2853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	337161	447999	204360	278007	280505

1	2	3	4	5	6	7
2885	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	140000	-	-	-	-
3054	सड़क तथा सेतु	1639502	1568228	1441076	1808484	1578317
3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	20947	19353	25853	29720	32279
3435	परिस्थिति विज्ञान पर्यावरण	20885	17759	27610	22254	4309
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	85115	87757	93462	120062	126451
3452	पर्यटन	50750	37663	56010	64738	31804
3454	जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	72620	60361	68775	113197	97714
3456	सिविल पूर्ति	107401	113897	120687	160898	171261
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	70218	72492	70584	104509	109583
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं के क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	181384	180457	185219	285183	181486
3606	सहायता सामग्री और उपस्कर	-	-	-	-	-
	योग :-	83315562	84256702	89860641	115755737	138657096

पूंजीगत परिव्यय का गत वर्षों का तुलनात्मक विवरण

(राशि रुपये हजारों में)

	बजट मद	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000 R.E.
1	2	3	4	5	6	7
4047	अन्य वित्तिय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	-	105000	-	-	1710000
4058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय	77	2481	-	-	-
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	473152	392681	439900	430035	282543
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2782	17179	13415	21919	15347
4202	शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	155978	69705	143951	224067	332518
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	511229	470841	571517	359340	214466
4211	परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	94798	169467	340139	46594	91132
4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3757754	3183393	4174299	5385594	4741951
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	313794	124257	133576	145449	357425

1	2	3	4	5	6	7
4217	शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	758	2742	2349	163	0
4220	सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	3204	942	522	210	100
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों	46170	98700	174055	204549	1777596
	तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	172	5419	41437	15055	-
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	50168	7000	-	-	5000
4236	पोषाहार पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	-	0
4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	264660	66626	46148	55282	8452
4401	फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	504708	476385	451645	583790	578362
4402	मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय	97352	333406	280635	171686	153071
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	5781	2653	556	2636	1200
4404	डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	-	3000	3999	-	-
4405	मछली-पालन पर पूंजीगत परिव्यय	1198	877	359	600	2800

1	2	3	4	5	6	7
4406	वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	639786	610524	611369	621846	365283
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय	2079	2500	3499	2261	100
4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	-	15118	16845	750	200
4425	सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	93687	209019	147023	108776	88562
4435	अन्य कृषि कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	10821	-680	13400	16685	220004
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	17051	1860826	1818891	1234773	951275
4575	अन्य विशेष कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	106877	288482	419199	319951	314200
4701	मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3548267	3043225	3919442	4414131	3436713
4702	लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	450274	389693	301679	432200	340246
4705	कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	687571	1189778	943132	886004	766799
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनओं पर पूंजीगत परिव्यय	168631	382514	118956	53682	19000

1	2	3	4	5	6	7
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3003000	1146500	7470500	-	20000
4810	ऊर्जा पर गैर पारम्परिक स्त्रोत पर पूंजीगत परिव्यय	-	5000	3500	3000	-
4851	ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	14483	14521	45255	2907	1
4852	लोहा और इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	-58	-1	-1	-1	-
4853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	33824	32344	34221	13597	12165
4857	रसायन तथा औषध निर्माण उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	-	-
4860	उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	2545	1996	-	-21420	-
4885	उद्योगों तथा खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	96053	58542	24049	33120	62202
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	2190524	1737873	2235074	2086230	1404359
5055	सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	1035	-26	-	-	-
5425	अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक अनु. पर पूंजीगत परिव्यय	16	-	87	2000	212

1	2	3	4	5	6	7
5452	पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	141517	45315	88660	39409	15553
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	74052	-	19665	-	100
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	8890	13004	16986	23444	8066
	योग	17574660	16578821	25069933	17920314	16661003

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 73 का विवरण)

परिशिष्ट ''क''

नाबार्ड से राज्य सरकार को वर्ष 1998-99 से 2000-2001 में प्राप्त ऋण का विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

योजना	कार्य/उद्देश्य	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001 (अगस्त, 2000 तक)
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - I	38 सिंचाई परियोजनाओं के लिए	22.65	10.86	-
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - II	25 सिंचाई परियोजनाओं के लिए	7.80	4.28	0.26
	222 ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण पुल परियोजनाओं के लिए	23.66	8.78	0.34
	14 सीएडी माइनर परियोजनाओं के लिए	2.79	1.55	0.48
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - III	44 सिंचाई परियोजनाओं के लिए	22.45	15.12	0.73
	190 ग्रामीण सड़क एवं ग्रामीण पुल परियोजनाओं के लिए	11.31	20.70	3.90
	15 सीएडी माइनर एवं 15 सीएडी सड़क परियोजनाओं के लिए	4.90	3.12	0.18

योजना	कार्य/उद्देश्य	वर्ष 1998-99	वर्ष 1999-2000	वर्ष 2000-2001 (अगस्त, 2000 तक)
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - IV	19 सिंचाई परियोजनाओं के लिए	5.95	6.20	0.12
	22 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए	1.17	-	0.32
	6 सीएडी सड़क परियोजनाओं के लिए	0.98	-	-
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - V	52 सिंचाई परियोजनाओं के लिए	-	6.98	-
	368 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं के लिए	-	26.01	6.64
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - VI	4000 अकाल राहत कार्यों हेतु	-	-	57.70
	योग	**103.57**	**103.60**	**70.67**
राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	सहकारी समितियों को अंश पूंजी में योगदान करने हेतु	5.08	6.52	-
	कुल योग	**108.65**	**110.12**	**70.67**

परिशिष्ट ''ख''

नाबार्ड से राज्य सरकार को प्राप्त ऋण पर ब्याज एवं अन्य शर्तों का विवरण

योजना	ब्याज दर	ऋण की शर्तें
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - I	13.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 5 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) (ii) तीन समान वार्षिक किश्तों में मूलधन का भुगतान (iii) ब्याज का भुगतान तिमाही
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - II	12.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 5 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) (ii) तीन समान वार्षिक किश्तों में मूलधन का भुगतान (iii) ब्याज का भुगतान तिमाही
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - III	12.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 5 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) (ii) तीन समान वार्षिक किश्तों में मूलधन का भुगतान (iii) ब्याज का भुगतान तिमाही
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - IV	12.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 5 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) (ii) तीन समान वार्षिक किश्तों में मूलधन का भुगतान (iii) ब्याज का भुगतान तिमाही

योजना	ब्याज दर	ऋण की शर्तें
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - V	12.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 7 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) (ii) पांच समान वार्षिक किश्तों में मूलधन का भुगतान (iii) ब्याज का भुगतान तिमाही
ग्रामीण आधारभूत विकास निधि - VI	11.50 प्रतिशत वार्षिक	(i) 7 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) (ii) पांच समान वार्षिक किश्तों में मूलधन का भुगतान (iii) ब्याज का भुगतान तिमाही
राष्ट्रीय ग्रामीण साख (दीर्घकालीन प्रवर्तन) निधि	7.50 से 8.00 प्रतिशत वार्षिक	(i) 12 वर्ष (प्रथम दो वर्ष अनुग्रह अवधि शामिल कर) (ii) दस समान वार्षिक किश्तों में मूलधन का भुगतान (iii) ब्याज का भुगतान तिमाही

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 70 की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Finance (Gr. 2) Department

ORDER

No. F1 (6) FD (Gr. 2)/78 **Dated Jaipur, the 22.6.1982**

The Governor has been pleased to make the following amendments in the Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, namely -

In the said Scheme -

1. for the existing clause (2) of para 3 shall be substituted by the following, namely -

"(2) Pensioner means a retired Government servant and also an employee of Panchayat Samiti and Zila Parishad who is granted pension under Rajasthan Service Rules or is retired on the Contributory Provident Fund benefits, and also includes All India Service Officers borne on State cadre and retired Judges of the Rajasthan High Court provided they are not members of Central Government Health Scheme."

2. the existing para 6 may be re-numbered as clause (i); and a new clause (ii) may inserted as follows :-

"In case of employees of Panchayat Samiti and Zila Parishad recovery of subscription at the rates mentioned in para 5 above, shall be made from the monthly pay bill by each Vikas Adhikari or Secretary Zila Parishad for credit to the Rajasthan Pensioners Medical Relief Fund. The subscription recovered shall be paid into concerned District Treasury by means of Treasury Challan for credit to the Personal Deposit Account of Rajasthan Pensioners Medical Relief Fund. The details of the recoveries made from such employees shall be indicated in form PMF. I which shall accompany the Challan through which the amount recovered shall be credited to the Personal Deposit Account of the fund in respective Treasuries."

3. after the existing para 16, the following new para shall be added, namely-

"17 (1) In cases where it is found that a pensioner has abused or misused any of the concessions allowed under the scheme, he shall be permanently debarred from availing the concessions under this scheme.

(2) The Collector of the District who is the administrator of the Trust Fund shall, if he is satisfied that a pensionar has abused the concession under the scheme, be competent to pass final order under clause (1) above; and no appeal shall lie against his order to the Board of Trustees."

By order of the Governor,
sd/-
(M.L. Gaur)
Deputy Secretary tjo Govt.

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की प्रति)

रजिस्टर नजूल (मकानात सरकारी)

नाम ग्राम	क्रम संख्या इन्द्राज	विवरण	हदूद	रकबा व माप अगर उपलब्ध हों	तारीख मय वजूहात खालसा किये जाने की	खसर नम्बर	प्रबन्धक अधिकारी	कैफियत	नक्शा या हवाला नम्बर मिसल मुतालिका कागजात व नक्शा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
बीलवा बुजुर्ग	61	ग्राम सेवक हैड क्वार्टर	-	-	-	-	विकास विभाग पंचायत समिति सांगानेर	-	
,,	62	स्कूल भवन	-	-	-	-	उपरोक्त	यह मकान सरकार व जनता के खर्चे से बना है।	
मोहनपुरा	63	गढ़ दरोबस्त	-	-	-	-	पी.डब्ल्यू.डी. जयपुर	यह मकान विकास विभाग के कार्य में लिया जाता है	

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूचना)

परिशिष्ट ''क''

जयपुर शहर स्थित रिक्त राजकीय आवासों की सूची

क्र.सं.	श्रेणी	आवास संख्या	आवास रिक्त होने की दिनांक	कारण
1	2	3	4	5
1	प्रथम	सी-629, गांधीनगर	3.3.2000	मरम्मताधीन
2	द्वितीय (दो आवास)	एन-6, गांधीनगर -	17.2.2000	न्यायालय द्वारा स्थगनादेश
		एन-11, गांधीनगर	28.7.2000	मरम्मताधीन
3	तृतीय	III/96, गांधीनगर	5.6.99	मरम्मताधीन
	(15 आवास)	III/28, गांधीनगर	6.11.99	मरम्मताधीन
		III/70, गांधीनगर	5.11.99	मरम्मताधीन
		III/58, गांधीनगर	29.2.2000	कब्जा नहीं लेने के कारण
		III/66, गांधीनगर	7.3.2000	,, ,,
		III/50, गांधीनगर	22.4.2000	,, ,,
		III/69, गांधीनगर	30.6.2000	,, ,,
		III/38, गांधीनगर	31.8.2000	मरम्मताधीन
		III/72, गांधीनगर	1.9.2000	हाल ही में रिक्त
		III/91, गांधीनगर	8.9.2000	,, ,,
		III/94, गांधीनगर	8.9.2000	,, ,,
		ई-920, गांधीनगर	1.1.99	मरम्मताधीन
		ए.वी.एल.-115, गांधीनगर	1.1.99	प्रारम्भ से स्टोर कार्यालय
		III/62, विद्याधर नगर	28.9.2000	हाल ही में रिक्त
		III/-15/55, मालवीयानगर	7.8.99	
		III/ए-105, जवाहर नगर	16.10.2000	हाल ही में रिक्त
4	चतुर्थ	4/109, गांधीनगर	21.9.99	मरम्मताधीन
		4/91, गांधीनगर	28.7.99	मरम्मताधीन

1	2	3	4	5
		4/120, गांधीनगर	4.7.99	मरम्मताधीन
		4/65, गांधीनगर	28.8.99	मरम्मताधीन
		4/101, गांधीनगर	20.9.99	मरम्मताधीन
		4/105, गांधीनगर	22.9.99	मरम्मताधीन
		4/106, गांधीनगर	16.10.99	मरम्मताधीन
		4/33, गांधीनगर	23.5.2000	कब्जा नहीं लेने के कारण
		4/111, गांधीनगर	3.6.2000	,, ,,
		4/100, गांधीनगर	4.6.2000	,, ,,
		4/59, गांधीनगर	16.6.2000	,, ,,
		4/104, गांधीनगर	5.7.2000	,, ,,
		4/92, गांधीनगर	17.7.2000	,, ,,
		4/138, गांधीनगर	24.7.2000	,, ,,
		4/40, गांधीनगर	24.7.2000	,, ,,
		4/107, गांधीनगर	24.7.2000	,, ,,
		4/114, गांधीनगर	14.9.2000	,, ,,
		एफ-153,गांधीनगर	28.8.99	मरम्मताधीन
		एफ-971,गांधीनगर	22.9.99	मरम्मताधीन
		एफ-112,गांधीनगर	27.11.99	मरम्मताधीन
		एफ-166,गांधीनगर	16.11.99	मरम्मताधीन
		एफ-158,गांधीनगर	1.12.99	मरम्मताधीन
		एफ-139,गांधीनगर	27.4.2000	मरम्मताधीन
		एफ-132,गांधीनगर	26.4.2000	मरम्मताधीन
		एफ-191,गांधीनगर	3.3.2000	मरम्मताधीन
		एफ-78,गांधीनगर	11.4.2000	मरम्मताधीन
		एफ-65,गांधीनगर	11.5.2000	कब्जा नहीं लेने के कारण
		एफ-99,गांधीनगर	31.5.2000	,, ,,
		एफ-180,गांधीनगर	15.5.2000	,, ,,
		एफ-130,गांधीनगर	3.6.2000	,, ,,
		एफ-125,गांधीनगर	7.6.2000	मरम्मताधीन
		एफ-102,गांधीनगर	20.6.2000	मरम्मताधीन

1	2	3	4	5
		एफ-104,गांधीनगर	26.6.2000	मरम्मताधीन
		एफ-63,गांधीनगर	10.7.2000	मरम्मताधीन
		एफ-141,गांधीनगर	28.7.2000	मरम्मताधीन
		एफ-149,गांधीनगर	27.7.2000	मरम्मताधीन
		एफ-131,गांधीनगर	30.9.2000	मरम्मताधीन
		एफ-468,गांधीनगर	19.9.2000	मरम्मताधीन
		एफ-74,गांधीनगर	6.6.98	रहने लायक नहीं हैं।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 86 का विवरण)

योजना का नाम	अनुमानित लागत	प्रस्तावित कवरेज जिलेवार	3/2000 तक खर्च लाख रु. में	भौतिक उपलब्धि	प्रस्तावित पूर्ण होने का समय
1	2	3	4	5	6
1- एकीकृत जलप्रदाय योजना जिला चूरू, हनुमानगढ़ व झुंझुनूं (11/98 में स्वीकृत)	40257 लाख फेज प्रथम	2 शहर (चूरू जिला) 325 ग्राम (हनुमानगढ़ 113) (चूरू 212)	23796 +9.453 मिलियन ड्यूस मार्क	28 गांव(3/2000 तक) 73 गांव (7/2000 तक)	मार्च-2002
2- चूरू बिसाऊ परियोजना (5/98 में स्वीकृत)	11904 लाख	83 गांव (चूरू जिला) 85 गांव (झुंझुनूं जिला) 3 शहर (2जिला चूरू, 1 झुंझुनूं)	506	-	3 वर्ष
3- अजमेर फ्लोराइड प्रोजेक्ट	4434.67 लाख	94 गांव/अजमेर जिला	2846.28	57 गांव/ढाणी (3/2000 तक)	
4- श्रीगंगानगर सेलेनिटी प्रोजेक्ट (1997)	2343.49 लाख	220 ग्राम/ढाणी	2391.98	189 ग्राम/ढाणी(3/2000 तक)	
5- नसीराबाद फ्लोराइड प्रोजेक्ट (1999)	6103 लाख	61 ग्राम/ढाणी अजमेर जिला	0	0	

1	2	3	4	5	6
6- भिनाय मसूदा ब्लाक फ्लोराइड प्रोजेक्ट (1999)	4339 लाख	2 शहर 232 ग्राम/ढाणी अजमेर जिला	0	0	3 वर्ष में।
7- चम्बल भरतपुर योजना (1999)	16650 (पार्ट प्रथम) (फैज प्रथम)	1 शहर (भरतपुर) 212 ग्राम/ढाणी (भरतपुर, धौलपुर जिला)	0	0	अगले 5 वर्ष में
8- जवाई जोधपुर पाइप प्रोजेक्ट (1999)	1530	577 ग्राम/ढाणी (पाली, जोधपुर जिला) व जोधपुर शहर, पाली एवं जालोर जिले के 9 कस्बे	0	0	अगले 5 वर्ष में
9- जोधपुर लिफ्ट केनाल फैज-II संशोधित (6/2000)	135 करोड़	जोधपुर शहर, फलोदी, बिलाड़ा एवं समदड़ी कस्बे तथा जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिले के 571 अतिरिक्त ग्राम	0	0	अगले 4 वर्ष में
10-मांसी वाकल-उदयपुर	60 करोड़	उदयपुर शहर	0	टनल के जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण, बांध हेतु भूगर्भीय सर्वेक्षण पूर्ण	अगले 3 वर्ष में
11-जयपुर बीसलपुर (10/1999)	1100 करोड़	जयपुर शहर की 2011 तक की पेयजल मांग हेतु			वर्ष 2004

1	2	3	4	5	6
12-रामगंज मण्डी व रास्ते के गांवों की योजना।	2606 लाख	2 शहर (कोटा जिला) 14 गांव (कोटा जिला)			वर्ष 2001
13-सुदृढीकरण पेयजल परियोजना जोधपुर शहर (6/1999)	45.70 करोड़	जोधपुर शहर			3 वर्ष

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 87 की प्रति)

परिशिष्ट 'अ'

No. Q-12045/21(6)/ 2000-CPHEEO

Government of India

Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation

(CPHEEO)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 18th October 2000

To

The Secretary,
Public Health Engineering Department,
Govt. of Rajasthan,
JAIPUR - 302005

Subject : Centrally sponsored Accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP) - Technical approval of water supply scheme of Mandawa Town of Distt. Jhunjhunu, Rajasthan State- reg.

Sir,

With reference to the letter No. SE (U) / EE-II / AUWSP / 8659 dated 29.9.2000 from the Chief Engineer (HQ), PHED, Govt. of Rajasthan addressed to this office, I am to convey the Technical Approval of the Govt. of India for implementation of the following scheme at a total estimated cost of Rs. 149.38 lakhs (Rupees one hundred forty nine lakhs and thirty eight thousand only) under Accelerated Urban Water Supply Programme subject to the remarks contained in the technical comments enclosed (Annexure-II) ;

<u>Name of the Scheme</u>	<u>Estt.cost (Rs. in lakhs)</u>
Reorganisation of Mandawa Town Water Supply Scheme- Dist. Jhunjhunu	**149.38** (as per details at Annex. I & III)

1. Before taking up the scheme for implementation, a systematic hydro-geological survey must be carried out scientifically through test bore wells; to ensure the availability of 2.82 mld of water of acceptable quality through the proposed and existing tube wells to meet the demand of population for ultimate stage i.e. 2029. Unless reliable and dependable source is developed to meet the ultimate demand, no expenditure should be incurred on other components of the scheme. The CPHEEO may be informed accordingly in this regard before the implementation starts.

2. The aforesaid approved estimate is based on 1998-99 schedule of rates and does not include component of price escalation during the period of execution. However, increase in project cost due to such escalation should be met from the State Plan funds and no Govt. of India grant will be made available.

3. The Scheme Under AUWSP will be funded on grant basis with 50% share of Govt. of India and 50% share of State Govt. which will include 5 % contribution from beneficiary/local body.

4. The Govt. of Rajasthan shall ensure that the scheme will be launched positively within a period of 1 year from the date of approval by the Ministry failing which the sanction to the scheme will be withdrawn by the Ministry.

5. Further release of Central assistance Under AUWSP for the already approved schemes and likely to be approved schemes is subject to furnishing of yearwise Utilisation Certificates by the State Government of Rajasthan for the Central share released so far under AUWSP.

The Central share of aforesaid scheme shall be released subject to availability of funds.

Encls : Annexure I, II, & III

Yours faithfully,
sd/-
(DR. S.R. SHUKLA)
ADVISER (PHEE)

Annexure-III

Enclosure to letter No. Q12045/21/(6)2000-CPHEEO, dated 18.10.2000 Scheme Sanctioned under AUWSP- State Rajasthan

Name of the Scheme			**Abstract of cost (Rs. in Lakhs)**
	Reorganisation of Mandawa town Water Supply Scheme, Distt. Jhunjhunu		
(a)	Source Development 200 mm dia 110m deep Tube wells (10 Nos.) (including pump houses)	:	36.00
(b)	Pumping Machinery including Pump House * Raw water Pumps (submersible type 6 HP each, 15 nos.)	:	5.65
	* Clear water Pumps 3 Nos. - C/F 26 HP 2 Nos. - C/F 32 HP	:	4.52
(c)	Rising main/connecting main @ 100-200mm AC, CL 10 length = 7.34 KM	:	13.64
(d)	Chlorination unit (Bleaching Powder doser)	:	0.30
(e)	Service reservoir 1 no. (360 KL Capacity)	:	15.30
(f)	Distribution system (remodelling) @ (80-300 mm dia ACP, length= 50.00 Km)	:	51.95
(g)	Miscellaneous (Electric connection, telephone, Land acquisition, Staff Qtr. J type (4 Nos.), Boundary wall etc.)	:	10.95
	Sub Total	:	138.31
	Contingencies @ 5%	:	6.92
	W.C. Esstt. @ 3%	:	4.15
	Total	:	**149.38**

Note : @ The quality of the AC & CI Pipes proposed in the scheme should be fully ensured by procuring the material which conforms to BIS specifications. Moreover handling of these pipes (particularly AC) during loading, unloading, laying & jointing and field testing stages should by given due care to avoid possible damage.

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 88 की सूची)

प्रपत्र–'क'

नागौर जिले में तहसीलवार स्थिति डी–सेलीनेशन प्लान्ट की सूची

क्रम सं.	ग्राम का नाम	तहसील	क्षमता
1.	गोगेलाव	नागौर	20 एम 3/प्रतिदिन
2.	भदवासी	नागौर	30 एम 3/प्रतिदिन
3.	बारानी	नागौर	20 एम 3/प्रतिदिन
4.	कालडी	नागौर	20 एम 3/प्रतिदिन
5.	अलाब	नागौर	100 एम 3/प्रतिदिन
6.	सिंगड	नागौर	30 एम 3/प्रतिदिन
7.	पिडिया	जायल	20 एम 3/प्रतिदिन
8.	खरवालिया	डीडवाना	20 एम 3/प्रतिदिन
9.	पाटन	डीडवाना	10 एम 3/प्रतिदिन
10.	सूपका	डीडवाना	20 एम 3/प्रतिदिन
11.	रघुनाथपुरा	डीडवाना	10 एम 3/प्रतिदिन
12.	खेतुली	मेडता	20 एम 3/प्रतिदिन
13.	हबचर	डेगाना	20 एम 3/प्रतिदिन
14.	मांझी	डेगाना	20 एम 3/प्रतिदिन
15.	डूगोर वाला	डेगाना	10 एम 3/प्रतिदिन
16.	पलाडा	नावां	50 एम 3/प्रतिदिन
17.	खोखर	परबतसर	20 एम 3/प्रतिदिन
18.	इन्दोखा	मकराना	20 एम 3/प्रतिदिन
19.	कालवाछोटाबास	मकराना	20 एम 3/प्रतिदिन
20.	नारायणपुरा	नावां	10 एम 3/प्रतिदिन

प्रपत्र–'ख'

क्रम सं.	ग्राम का नाम	क्यूबिक मीटर प्रतिदिन	वर्तमान स्थिति
1.	हबचर	20 क्यू. मीटर	बन्द है।
2.	कांझी	20 क्यू. मीटर	कार्यरत है।
3.	दुगोर दासा	10 क्यू. मीटर	वर्तमान में चालू है।

प्रपत्र–'ग'

नागौर जिले में खारे पानी को मीठा करने वाले संयंत्रों पर तहसीलवार व्यय की गई राशि का विवरण

क्रम सं.	तहसील	स्थान का नाम	व्यय की गई राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	नागौर	गोगेलाव	5.18
2.	नागौर	भदवासी	4.78
3.	नागौर	बारानी	3.49
4.	नागौर	कालडी	4.60
5.	नागौर	अलाप	12.50
6.	नागौर	सिंगड	4.61
7.	जायल	पिंडिया	4.72
8.	डीडवाना	खरवालिया	4.98
9.	डीडवाना	पाटन	2.75
10.	डीडवाना	सूपका	3.98
11.	डीडवाना	रघुनाथपुरा	3.52
12.	मेडतासिटी	खेडली	4.67
13.	डेगाना	हबचर	3.94
14.	डेगाना	मांझी	4.47
15.	डेगाना	दूगोरदासा	3.12

1	2	3	4
16.	नावां	पलाडा	6.54
17.	परबतसर	खोखर	3.40
18.	मकराना	इन्दोखा	3.63
19.	मकराना	कालवाछोटाबास	3.63
20.	नावां	नारायणपुरा	3.96
			योग रु. 92.47

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 32 की प्रति)

डा. किरोड़ी लाल
सदस्य, राजस्थान विधान सभा
क्षेत्र बामनवास (सवाईमाधोपुर)

जयपुर, दिनांक 21.7.2000

प्रिय श्री मीणाजी,

श्री पृथ्वी सिंह, सहायक अभियंता जलदाय विभाग महुवा जिला दौसा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रताड़ित करने एवं जनता को जान-बूझकर पेयजल उपलब्ध नहीं कराने आदि अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनके विरुद्ध पूर्व में भी ऐसी कई शिकायतें आपको भिजवाई गई थीं।

अत: पुन: प्राप्त शिकायत संलग्न कर भिजवा रहा हूं। इनको हटाकर इनके स्थान पर जनहित में कार्य करने वाले सहायक अभियंता जलदाय विभाग महुवा (दौसा) में लगाने का कष्ट करें, जिससे आम जनता को राहत प्रदान हो सकें।

सादर।

ह/-

(डा. किरोड़ी लाल)

श्री के. एल. मीना जी,
शाखा सचिव
जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग,
शासन सचिवालय, राज. जयपुर।

परिशिष्ट 'ब'

कार्यालय, मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।

क्रमांक : एच. जी. II (17154) जां प्र./2000-01/9832 दिनांक : 30.9.2000

उप शासन सचिव
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जयपुर।

विषय :- श्री पृथ्वी सिंह गुर्जर, सहायक अभियन्ता, उपखण्ड-महुवा के विरुद्ध आरोप पत्र भिजवाने बाबत।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक प.2(52) पीएचई/2000 दिनांक 21.9.2000

सन्दर्भित पत्र द्वारा आप द्वारा भेजी गई सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच रिपोर्ट पत्रावली के आधार पर श्री पृथ्वी सिंह गुर्जर के विरुद्ध सी. सी. ए.-16 में आरोप पत्र मांगे हैं। पत्रावली में शिकायतकर्ता द्वारा केवल उपस्थिति पंजिका की फोटो प्रति उपलब्ध कराई है जबकी सहायक अभियन्ता द्वारा उपस्थिति पंजिका गायब होने के बाबत सूचित किया है। अत: यह आरोप पुष्ट नहीं होता। अत: प्रारूप आरोप पत्र मय पत्रावली सतर्कता प्रकोष्ठ पृष्ठ 1 से 94 भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

पत्रावली सतर्कता प्रकोष्ठ
पृष्ठ 1 से 94 तक व आरोप
पत्र 3 प्रतियों में

ह/-
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर।

परिशिष्ट 'ब'

आरोप पत्र विरुद्ध श्री पृथ्वी सिंह, सहायक अभियन्ता
उपखण्ड- महुवा, जिला-दौसा।

यह है कि उक्त श्री पृथ्वी सिंह, सहायक अभियन्ता, उपखण्ड-महुवा द्वारा निम्नलिखित अनियमितता बरती :-

(1) श्री पृथ्वी सिंह ने महुवा जलप्रदाय योजना पर राइजिंग मैन से 8 संस्थानों व व्यक्तियों को अवैध जल सम्बन्ध जारी किये। इसी प्रकार ठेकड़ा नलकूप योजना पर छः इंची पाइप लांइन से 3 व पीपल खेड़ा जल योजना पर 5 इंची राइजिंग मैन से तीन जल सम्बन्ध अवैध रूप से जारी किये जो नियम विरुद्ध हैं। आरोप का विवरण क्रमांक 1 पर अंकित है।

(2) श्री पृथ्वी सिंह, सहायक अभियन्ता ने महुवा में कार्यरत रहते हुए बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के ममू कालोनी में पाइप डलवाई। आरोप का विवरण क्रमांक 2 पर अंकित है।

(3) श्री पृथ्वी सिंह ने चार स्थानों पर बिना स्वीकृति के हैण्डपम्प लगवाये जिसका विवरण क्रमांक 3 पर अंकित है।

(4) श्री पृथ्वी सिंह, सहायक अभियन्ता ने उपखण्ड महुवा में कार्यरत रहते हुए कैश बुक की चैकिंग नहीं की, जिसका विवरण क्रम संख्या 5 पर मौजूद है।

ह0/-
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जन स्वा. अभि. विभाग, जयपुर।

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 93 का ब्यौरा)

परिशिष्ट ''क''

क्र.सं.	पंचायत का नाम	सम्मिलित गांवों का नाम	योजना का प्रकार	योजना पर व्यय की गई राशि (लाखों में)	योजना का स्वी. वर्ष
1.	धमाणा	धमाणा	क्षेत्रीय योजना	6.67	1985
		लोरडी	हैण्डपंप	3.20	1989
		मीरापुरा	हैण्डपंप	1.90	1987
2.	रसीली	रसीली	पी एण्ड टी	10.71	1997
		रोशनपुरा	हैण्डपंप	1.40	1992
		रेटा	हैण्डपंप	1.28	1986
		रेटी	हैण्डपंप	1.34	1985
		श्रीरामपुरा	हैण्डपंप	0.99	1987
		डोगरा	हैण्डपंप	1.04	1988
		डोगरी	हैण्डपंप	0.80	1986
		फरियादपुरा	क्षेत्रीय	7.97	1985
3.	गंगातीकलां	गंगातीकलां	हैण्डपंप	4.05	1986
		किशनपुरा	हैण्डपंप	2.25	1987
		खरवाड	हैण्डपंप	5.35	1986
		गंगातीखुर्द	हैण्डपंप	1.60	1985

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	पंचायत का नाम	पंचायत के फ्लोराइड ग्रसित गांवों का नाम जिन्हें बीसलपुर योजना में शामिल किया गया है
1.	रसीली	1. रेटी
		2. फरियादपुरा
		3. श्रीरामपुरा
		4. ढोगरा
		5. ढोगरी
2.	धमाणा	1. मीरापुरा
3.	गंगातीकलां	1. गंगातीकलां
		2. किशनपुरा

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 96 का विवरण)

प्रपत्र 'क'

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कर्तव्य एवं अधिकार निम्नानुसार हैं :-

1. अधिशाषी अभियंता :-

शहरी योजना ब्यावर एवं विजयनगर एवं ग्रामीण क्षेत्र पंचायत समिति जवाजा, मसूदा एवं भिनाय के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की पेयजल योजनाओं के संधारण, जल उत्पादन, जल वितरण एवं हैण्डपंपों के संधारण कार्य पर एवं राजस्व वसूली, योजना पर खर्चों पर बजट के अनुसार नियंत्रण रखना। नवीन योजनाओं की क्रियान्विति, आवश्यक सामान की आपूर्ति करवाना, बिजली की आपूर्ति सभी योजनाओं पर लगातार मिलती रहे इसकी समय-समय पर समीक्षा करना। अन्य आवश्यक कार्यों का सम्पादन करना।

2. सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता :-

अपने अधीनस्थ उपखण्ड के जल स्रोतों को चालू रखना, पम्प मशीनरीज एवं हैण्डपंप, पाइप लाइन की समय पर मरम्मत करवाना, एवं जल वितरण व्यवस्था में पूर्ण रूपेण चालू रखना, राजस्व वसूली एवं बकाया वसूली समय पर करना। समय पर उपभोक्ताओं को नवीन जल संबंधी जारी करना, जल संबंध विच्छेद करने की त्वरित कार्यवाही करना।

3. मंत्रालयिक कर्मचारी :-

समस्त कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्तों को समय पर दिलवाना, सर्विस रिकार्ड मेन्टेन करना एवं अन्य मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक अकाउंट्स समय पर भिजवाना।

4. तकनीकी कर्मचारी :-

विकल्प के अनुसार सभी पम्प मशीनरीज को चलाने का कार्य, पाइप लाइन लीकेज मिटाने का कार्य, राजस्व वसूली का कार्य, मीटर रीडिंग एवं मीटर रीडिंग में सहयोग का कार्य एवं लेजर पोस्टिंग का कार्य।

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 99 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

माह जनवरी, 2000 से अक्टूबर, 2000 तक जारी सनदों की सूची

क्र.सं.	नाम जिसके नाम से सनद जारी हुई	चक नं.	मुरब्बा नं.	रकबा (बीघों में)
1.	श्रीमति बोरा देवी/लाल सिंह आदि	7 एच एच	7	25-00
2.	श्री तारासिंह/ईशर सिंह	6 एल एल	53	12-10
3.	श्री लालसिंह-कोकूराम/चनणसिंह	3 एफ बड़ा	52	22-00
4.	श्री बलदेव/उमा, भूरी/उमा	3 एफ बड़ा	43	12-10
5.	श्री जगीराराम/केसराराम	4 पी	41	12-00
6.	श्रीमति रामदित्ती आदि/ज़ेसाराम	10 एम एल	14	25-00
7.	श्रीमति रुकमा आदि/मंगतूराम	22 एम एल	47	25-00
8.	श्री राजाराम/रेडाराम	57 एन पी	28	26-00
9.	श्री जमैन्त कौर-जसमैल कौर आदि/नरसिंह	3 जे बड़ा	57	24-10
10.	श्री मक्खन सिंह-हरदित सिंह/शंकर सिंह	5एफ बड़ा	25	12-08
11.	श्री बिहारी, बुधा/कान्हा	4 एफ बड़ा	35	12-10
12.	श्री बलदेव सिंह आदि/गुरदिता सिंह	3 जे बड़ा	19	24-00

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 109 की सूची)

परिशिष्ट-1

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर

जिला कलक्टर कार्यालय के अलावा मुख्यालय से बाहर कार्यरत नहीं रहने एवं जिला मुख्यालय पर ही कार्यरत रहने वाले कर्मचारियों की सूची मय वर्ष

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	नाम कार्यरत कर्मचारी मय पद	जिला कलक्टर कार्यालय में कार्यरत रहने की दिनांक
1	2	3	4
1.	जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर	1. श्री अशोक कुमार सरूपरिया, व.लि.	5.1.72
		2. श्रीमति ललिता जैन, व.लि.	20.1.73
		3. श्री सोहन लाल मोगरा, क.लि.	18.4.76
		4. श्री शान्तिलाल सहलोत, क.लि.	15.11.76
		5. श्री श्यामलाल सिकलीगर, क.लि.	6.1.78
		6. श्री प्रद्युम्नसिंह चौहान, क.लि.	12.7.79
		7. श्री प्रकाश चन्द्र लोढ़ा, क.लि.	17.12.81
		8. श्री भैरूंसिंह राठौड़, क.लि.	25.3.88
		9. श्री अशोक कुमार भटनागर, क.लि.	1.9.88
		10. श्री रमेश चन्द्र औदिच्य, क.लि.	1.9.88
		11. श्री राजेन्द्र कुमार पालीवाल, क.लि.	1.9.88
		12. श्री प्रकाश चन्द्र सिन्धी, क.लि.	1.9.88
		13. श्री राजेन्द्र सिंह कोठारी, क.लि.	1.9.88
		14. श्री अमरा डांगी, च.श्रे.क.	29.8.61
		15. श्री मोडीराम सालवी, च.श्रे.क.	2.4.62
		16. श्री तोलीराम मेनारिया, च.श्रे.क.	3.10.67
		17. श्री जगन्नाथ सिंह, च.श्रे.क.	3.3.69
		18. श्री प्रभुलाल जोशी, च.श्रे.क.	20.8.70

1	2	3	4
		19. श्री हीरालाल कुमावत, च.श्रे.क.	14.7.77
		20. श्री गणेश लाल जोशी, च.श्रे.क.	13.8.82
		21. श्री मोहन शंकर पालीवाल, च.श्रे.क.	6.9.84
		22. श्री भैरूंलाल गमेती, च.श्रे.क.	10.7.87
		23. श्री बाबूलाल मेघवाल, च.श्रे.क.	10.7.87
		24. श्री प्रवीण सिंह पंवार, च.श्रे.क.	25.3.95

ह0/-
जिला कलक्टर,
उदयपुर

परिशिष्ट-2

जिला कलक्टर कार्यालय, उदयपुर में कार्यरत कर्मचारियों की सूची जो पांच वर्ष से भी अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	एक ही स्थान पर कार्यरत समय
1	2	3
1.	श्री रमेश चन्द्र बारबार, वरिष्ठ लिपिक	7/92
2.	श्री सोहनलाल जैन, वरिष्ठ लिपिक	6/94
3.	श्री गोपाल सिंह राजपूत, वरिष्ठ लिपिक	7/94
4.	श्री आशिक हुसैन, वरिष्ठ लिपिक	5/95
5.	श्री शान्तिलाल सहलोत, कनिष्ठ लिपिक	6/86
6.	श्री रमेशचन्द्र अग्रवाल, कनिष्ठ लिपिक	6/94
7.	श्री मंजूर अहमद पठान, कनिष्ठ लिपिक	6/94
8.	श्री रोशन लाल लोढ़ा, कनिष्ठ लिपिक	5/95
9.	श्री अहमद नूर, कनिष्ठ लिपिक	5/95
10.	श्री सोहनलाल मोगरा, कनिष्ठ लिपिक	6/87

1	2	3
11.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक	5/95
12.	श्री अशोक कुमार भटनागर, कनिष्ठ लिपिक	5/95
13.	श्री रमेश चन्द्र सनाढ्य, कनिष्ठ लिपिक	5/95
14.	श्री रमेश चन्द्र औदिच्य, कनिष्ठ लिपिक	5/95
15.	श्री श्याम लाल सिकलीगर, कनिष्ठ लिपिक	5/95
16.	श्री हजारीलाल स्वर्णकार, कनिष्ठ लिपिक	5/95
17.	श्री राजेन्द्र कुमार पालीवाल, कनिष्ठ लिपिक	9/95
18.	श्री मोडीराम सालवी, च.श्रे.क.	4/62
19.	श्री तोलीराम मेनारिया, च.श्रे.क.	10/67
20.	श्री जगन्नाथसिंह, च.श्रे.क.	3/69
21.	श्री प्रभुलाल जोशी, च.श्रे.क.	8/70
22.	श्री अमरा डांगी, च.श्रे.क.	10/76
23.	श्री हीरालाल कुमावात, च.श्रे.क.	7/77
24.	श्री भैरूंलाल डांगी, च.श्रे.क.	1/78
25.	श्री गणेश लाल जोशी, च.श्रे.क.	8/83
26.	श्री मोहन शंकर पालीवाल, च.श्रे.क.	9/84
27.	श्री भैरूंलाल मगेती, च.श्रे.क.	7/87
28.	श्री बाबूलाल मेघवाल, च.श्रे.क.	10/88
29.	श्री प्रवीण सिंह पंवार, च.श्रे.क.	3/95
30.	श्री हेमराज नागदा, च.श्रे.क.	4/95
31.	श्री पुरा मेघवाल, च.श्रे.क.	1/91
32.	श्री राम कुमार ईनाणी, जिला राजस्व लेखाकार	4/95
33.	श्री सुरेश चपलोत, कनिष्ठ लेखाकार	8/94

ह0/-
जिला कलक्टर,
उदयपुर

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 112 की सूची)

क्र.सं.	नाम पंचायत/वार्ड	तहसील
1	2	3
1.	चकमहाराजका	श्रीगंगानगर
2.	साहिबसिंहवाला	श्रीगंगानगर
3.	धालेवाला	श्रीगंगानगर
4.	18 जीजी	श्रीगंगानगर
5.	पदकी	श्रीगंगानगर
6.	रूपनगर	श्रीकरणपुर
7.	खरलां	श्रीकरणपुर
8.	2 ओ	श्रीकरणपुर
9.	किलांवाली	सादुलशहर
10.	नूरपुरा	सादुलशहर
11.	खाटसजवार	सादुलशहर
12.	हाकमाबाद	सादुलशहर
13.	मम्मडखेड़ा	सादुलशहर
14.	बनवाली	सादुलशहर
15.	पन्नीवाली	सादुलशहर
16.	धर्मसिंहवाला	सादुलशहर
17.	डेलवां	पदमपुर
18.	रतनपुरा	पदमपुर
19.	69 एलएलपी	पदमपुर
20.	फकीरवाली	पदमपुर
21.	20 बीबी	पदमपुर
22.	1 पीएस	पदमपुर
23.	रत्तेवाला	पदमपुर
24.	5 केके	पदमपुर
25.	जोड़किया	पदमपुर
26.	8 ईईए (बैरां)	पदमपुर
27.	39 आरबी	पदमपुर
28.	8 एनएनए	पदमपुर

1	2	3
29.	घमूड़वाली	पदमपुर
30.	19 बीबी	पदमपुर
31.	सावंतसर	पदमपुर
32.	चाणना	पदमपुर
33.	फरसेवाला	पदमपुर
34.	वार्ड नं. 14-15	पदमपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर (रसद) श्रीगंगानगर

क्रमांक :-एफ 32(7)(5)रसद/उमुदु/विज्ञप्ति/95/894 दिनांक 17.5.2000

सार्वजनिक सूचना

जिला श्रीगंगानगर के निम्नांकित शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानों हेतु दुकानदार अधिकृत किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	तहसील	नाम ग्राम पंचायत	प्रार्थना पत्र प्राप्त एवं प्रस्तुत करने का स्थान
1	2	3	4
1.	पदमपुर	1. जीवनदेसर 2. रतनपुरा 3. सावंतसर 4. जोड़कियां 5. 5 केके 6. 8 एनएनए 7. 1 पीएस 8. 19 बीबी 9. 20 बीबी 10. डेलवां 11. फकीरवाली 12. चाणना 13. घमूड़वाली	जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर

1	2	3	4
		14. रत्तेवाला	
		15. 39 अरबी	
		16. फरसेवाली	
		17. 69 एलएनपी	
		18. 8 ईईए (बैरां)	
		19. वार्ड नं. 14 तथा 15	
2.	सूरतगढ़	1. मानकसर	जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
		2. गुड़ली (7 बीकेएस)	
		3. भैरूंपुरा मोलवाली	
		4. रंगमहल	
		5. घमण्डिया	
		6. 13 एस डी	
		7. संगर	
		8. भगवानगढ़	
		9. हरसिंहपुरा पं. बीरमाना	
		10. हरदासवाली पं. बीरमाना (अति)	
		11. मालेर	
		12. वार्ड नं. 8 व 9	
		13. वार्ड नं. 29 व 30	
		14. वार्ड नं. 4	
		15. वार्ड नं. 5	
		16. भोजेवाला	
3	सादुलशहर	1. किलांवाली	जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
		2. नुरपुरा	
		3. खाटसजवार	
		4. हाकमाबाद	
		5. मम्मडखेड़ा	
		6. मोरजंडाखारी	
		7. बनवाली	
		8. पन्नीवाली	
		9. लालगढ़ जाटान	
		10. धर्मसिंहवाला	

1	2	3	4
4	करणपुर	1. रूपनगर 2. 2 ओ 3. खरलां	जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
5	श्रीगंगानगर	1. चक महाराजका 2. साहिबसिंहवाला 3. धालेवाला 4. 18 जीजी 5. पक्की 6. ततारसर	जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
6	रायसिंहनगर	1. 7 टीके पं. 10 टी 2. 5 टीके 3. मुकलाया 4. यगीचा 5. फरड़वाली (19 एनपी) 6. 6 एफडी ख्यालीवाला 7. 40-41 एनपी पं. ठाकरी (अति) 8. 12 एनआरडी बिशनपुरा सिंगडान (अति) 9. वार्ड नं. 18 10. वार्ड नं. 12 11. वार्ड नं. 10 व 8	जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
7	अनूपगढ़	1. 30 एपीडी 2. 13 एमडी 3. 9 एमडी सतराना 4. 4 एलएम 5. 1 जेएमएम 6. 3 एनडी 7. 3 जेएम 8. 54 जीबी 9. वार्ड नं. 3 व 4 10. वार्ड नं. 5 व 6 11. वार्ड नं. 15 व 16 12. वार्ड नं. 18 व 19	जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर

1	2	3	4
8	विजयनगर	1. रतनेवाला	जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
		2. 5 एएम मोटासर	
		3. बुमिया	
		4. 2 जीबीए	
		5. 17 जीबी	
		6. 25 जीबी पं. 24 जीबी	
		7. सुखवनपुरा 3 केएसडी	
		8. भातीवाला (7 एकेडी)	
		9. चैनपुरा	
		10. 42 जीबी	
		11. 12 जीबी	
		12. 50 जीबी	
		13. 46 जीबी	
		14. बिलौचिया	
		15. कूपली 16 एएस	
		16 गोमांवाली	
9	घड़साना	1. 6 डीडी	जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर
		2. 2 जीडी	
		3. 2जीएम (बी)	
		4. 10 केडी (माला गांव)	
		5. 22 आर जेडी (अति.)	
		6. 2 एमएलडी पु.मंडी (अति.)	
		7. 1 एमएलकेसी पं. जालवाली (अति)	
		8. 24 एएससी (I) वार्ड 1-4 (अति)	
		9. 24 एएससी (II) वार्ड 5-10 (अति)	
		10. 24 एएसी (III) वार्ड 17-24 (अति)	
		11. 8 पीएसडीबी (I) (अति.)	
		12. 8 पीएसडीबी (II) (अति.)	

आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में जिला रसद कार्यालय श्रीगंगानगर में दिनांक 3.6.2000 तक कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

आवेदन हेतु आवेदन पत्र व आवश्यक शर्तों की जानकारी जिला रसद कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन न होने, अपूर्ण होने तथा निर्धारित अवधि के बाद प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थनापत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

जिला कलेक्टर (रसद)
गंगानगर

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 117 की सूची)

जिला-नागौर

पशु चिकित्सालय

1. पशु चिकित्सालय, नागौर
2. पशु चिकित्सालय, भलाय
3. पशु चिकित्सालय, श्री बालाजी
4. पशु चिकित्सालय, गुढ़ा भगवानदास
5. पशु चिकित्सालय, खिबसर
6. पशु चिकित्सालय, कुचेरा
7. पशु चिकित्सालय, पांचौडी
8. पशु चिकित्सालय, खजवाना
9. पशु चिकित्सालय, मुण्डवा
10. पशु चिकित्सालय, बासनी
11. पशु चिकित्सालय, मेड़ता सिटी
12. पशु चिकित्सालय, रेण
13. पशु चिकित्सालय, गोटन
14. पशु चिकित्सालय, रियाबड़ी
15. पशु चिकित्सालय, थावला
16. पशु चिकित्सालय, ईडवा
17. पशु चिकित्सालय, सांजू
18. पशु चिकित्सालय, हरसौर
19. पशु चिकित्सालय, आलनियावास
20. पशु चिकित्सालय, डेगाना
21. पशु चिकित्सालय, खुडीकलां
22. पशु चिकित्सालय, पालड़ीकलां
23. पशु चिकित्सालय, पुन्दलोता
24. पशु चिकित्सालय, जायल
25. पशु चिकित्सालय, बडीखाटु
26. पशु चिकित्सालय, डेह
27. पशु चिकित्सालय, कारजू
28. पशु चिकित्सालय, संखवास
29. पशु चिकित्सालय, फलौदी (मेड़तारोड)
30. पशु चिकित्सालय, गगराना
31. पशु चिकित्सालय, मनाना
32. पशु चिकित्सालय, बिरलोका
33. पशु चिकित्सालय, जसनगर
34. पशु चिकित्सालय, भैरून्दा
35. पशु चिकित्सालय, मण्डुकटा
36. पशु चिकित्सालय, जिलिया
37. पशु चिकित्सालय, पादूकलां
38. पशु चिकित्सालय, काठोती
39. पशु चिकित्सालय, भरनावा
40. पशु चिकित्सालय, कुचामन सिटी
41. पशु चिकित्सालय, नावां
42. पशु चिकित्सालय, मारोठ
43. पशु चिकित्सालय, लिचाणा
44. पशु चिकित्सालय, लौहराना

45. पशु चिकित्सालय, नोलाट
46. पशु चिकित्सालय, पांचवा
47. पशु चिकित्सालय, मिठड़ी/नांवा
48. पशु चिकित्सालय, मकराना
49. पशु चिकित्सालय, बोरावड़
50. पशु चिकित्सालय, गच्छीपुरा
51. पशु चिकित्सालय, भादवा
52. पशु चिकित्सालय, परबतसर
53. पशु चिकित्सालय, भकरी
54. पशु चिकित्सालय, पीलवा
55. पशु चिकित्सालय, जावला
56. पशु चिकित्सालय, पीह
57. पशु चिकित्सालय, डीडवानां
58. पशु चिकित्सालय, मौलासर
59. पशु चिकित्सालय, निमोद
60. पशु चिकित्सालय, खुनखुना
61. पशु चिकित्सालय, छोटीखाटु
62. पशु चिकित्सालय, लाडनूं
63. पशु चिकित्सालय, सिलणवाद
64. पशु चिकित्सालय, निम्बी जोधा
65. पशु चिकित्सालय, मिठड़ी (लाडनूं)
66. पशु चिकित्सालय, रताऊ
67. पशु चिकित्सालय, रोडू
68. पशु चिकित्सालय, लादडिया
69. पशु चिकित्सालय, भिचावा
70. पशु चिकित्सालय, कुकनवाली
71. पशु चिकित्सालय, मिण्डा

जिला-नागौर

पशु औषधालय

1. पशु औषधालय, करण
2. पशु औषधालय, कुडछी
3. पशु औषधालय, माणकपुर
4. पशु औषधालय, गठिलासर
5. पशु औषधालय, वगड
6. पशु औषधालय, छापरी
7. पशु औषधालय, जालसूनानक
8. पशु औषधालय, झाडेली
9. पशु औषधालय, देवली कलां
10. पशु औषधालय, घाटवा
11. पशु औषधालय, जिलिया
12. पशु औषधालय, तोषीना

उपकेन्द्रों के नाम

1. चावण्डिया
2. नोखा चन्दावता
3. जोधियासी
4. गौराऊ
5. चम्पाखेड़ी
6. बरणगांव
7. दुगोर
8. बिखरनियां
9. कालवी
10. रोटू
11. जारोड़ा

12. जाखेड़ा
13. पुन्दुलु
14. लीलीया
15. माडपुरा
16. बडायली
17. वारासी
18. गोगेलाव
19. रोल
20. किडोद
21. चैगार
22. चुढिसरा
23. मदाणा
24. इसाणा
25. चितावा
26. बलिया
27. कोलिया
28. ललासरी
29. आकोदा
30. दौलतपुरा
31. बेसरोली
32. बुडसू
33. कालवा
34. आसरवा
35. रामसिया
36. रामधना
37. गुलर
38. परेवड़ी
39. हुडास
40. नेतियास
41. केराम
42. सबलूपुरा
43. भावता
44. लालास
45. कुराड़ा
46. हरनावापट्टी
47. धणकोली
48. अड़कसर
49. क्यामसर
50. डोबड़ा
51. राणीगांव
52. महाराजपुरा
53. ठीकरिया
54. इन्द्रपुरा
55. बाठड़ी
56. शिव
57. श्यामगढ़
58. बाजवास
59. राबडियाद
60. ढाढोता
61. भादवासी
62. ऊचांईडा
63. बासनी सेजा
64. चन्दावता
65. बैराथलकलां
66. मेढ़
67 सीणोद

परिशिष्ट 20

(अतारांकित प्रश्न संख्या 118 की सूची)

पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	पशु चिकित्सालय का नाम	रिक्त पद
1.	पशु चिकित्सालय, तलवाडा	पशु चिकित्सा अधिकारी -1
2.	पशु चिकित्सालय, कटुम्बी	पशु चिकित्सा अधिकारी -1
3.	पशु चिकित्सालय, बडोदिया	पशु चिकित्सा अधिकारी -1
4.	पशु चिकित्सालय, दानपुर	--------
5.	पशु चिकित्सालय, कलिंजरा	पशु चिकित्सा अधिकारी -1
6.	पशु चिकित्सालय, छींच	पशु चिकित्सा अधिकारी -1
7.	पशु चिकित्सालय, कुण्डला	सफाईकर्ता -1

उपकेन्द्रों में रिक्त पदों की सूची

क्रम संख्या	उपकेन्द्र का नाम	रिक्त पद
1.	उपकेन्द्र, करजी	-
2.	उपकेन्द्र, नवागांव	-
3.	उपकेन्द्र, सागडोद	-
4.	उपकेन्द्र, गामड़ी	-
5.	उपकेन्द्र, सीयापुर	पशुधन सहायक -1 पद
6.	उपकेन्द्र, चौखला	-
7.	उपकेन्द्र, माकोद	-
8.	उपकेन्द्र, घोड़ीतेजपुर	-
9.	उपकेन्द्र, सुन्दनपुर	-
10.	उपकेन्द्र, छोटी सखन	-
11.	उपकेन्द्र, बोरवट	-
12.	उपकेन्द्र, नल्दा	-

परिशिष्ट 21

(अतारांकित प्रश्न संख्या 120 की सूची)

पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूचना

नाम संस्था	स्वीकृत पद						रिक्त पद व दिनांक					
	वी.ओ.	वी.ए.	एल.एस.ए.	सईस	जलधारी	स्वीपर	वी.ओ.	वी.ए.	एल.एस.ए.	सईस	जलधारी	स्वीपर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. पशु चिकि. संरदारशहर	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1 (मई 2000 से)	-
2. पशु चिकि. पूलासर	1	1	-	1	1	1	-	1 (6/2000)	-	-	-	-
3. पशु चिकि. घडसीसर	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
4. पशु चिकि. जैतसीसर	1	-	1	1	1	1	1 (8/2000)	-	-	1 (8/98)	-	-
5. पशु चिकि. शिमला	1	-	1	1 (अनुबंधित)	1	1 (अनुबंधित)	1 (8/2000)	-	1 (8/2000)	-	-	1 (10/97 से)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6. पशु चिकि. अजीतसर	1	-	1	1 (अनुबंधित)	1	1 (अनुबंधित)	-	-	-	-	-	1 (10/97 से)
7. पशु चिकि. बिल्यंवांस रामपुरा	1	-	1	1	1	1	1 (9/2000)	-	1 99-2000	1 99-2000	1 99-2000	1 99/2000
उपकेन्द्र												
1. उपकेन्द्र, हरदेसर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. उपकेन्द्र, मालकसर	-	-	1	1	-	-	-	-	1 99-2000	1 99-2000	-	-
3. उपकेन्द्र, सोनपालसर	-	-	1	1	-	-	-	-	1 99-2000	1 99-2000	-	-

परिशिष्ट 22

(अतारांकित प्रश्न संख्या 124 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

दिसम्बर, 91 से मई, 2000 तक की अवधि में जन सम्पर्क विभाग के अधिकारियों को पारिश्रमिक के रूप में किये गये भुगतान का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	नाम अधिकारी	1991-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	डा. अमर सिंह राठौड़	1550	2900	2500	1350	2400	1350	1350	550
2.	श्री एन. के. मिश्रा	600	200	600	600	550	1000	800	1050
3.	डा. देवदत्त शर्मा	700	650	800	450	350	950	350	-
4.	श्री रमाकान्त शर्मा	200	50	100	-	300	50	175	200
5.	श्री देवी सिंह नरूका	100	-	-	-	-	150	100	625
6.	श्री गोपेन्द्र भट्ट	-	-	200	50	200	200	-	300
7.	श्री फारूख अफरीदी	750	150	150	150	-	-	-	-
8.	श्री नारायण सिंह राठौड़	700	350	800	100	-	-	-	-
9.	श्री फरीद खां	200	-	-	75	-	250	-	350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	श्री शम्भू दान रत्नू	200	100	100	-	100	-	-	350
11.	श्री गोपाल शर्मा	-	100	-	-	100	-	-	-
12.	श्रीमती पुष्पा व्यास	-	100	-	-	-	-	-	100
13.	श्रीमती पुष्पा गोस्वामी	-	-	-	-	-	-	50	850
14.	श्री रामस्वरूप जोशी	100	-	-	150	150	-	100	-
15.	श्री किशन कुमार व्यास	1000	100	250	-	-	-	-	-
16.	श्री श्याम सुंदर जोशी	300	800	600	650	625	350	400	850
17.	श्री अशोक कुमार यादव	500	400	650	-	275	-	-	-
18.	श्री घनश्याम शर्मा	150	-	-	-	-	400	400	-
19.	श्री रामवतार बुनकर	100	-	-	-	-	-	-	-
20.	श्री बाल मुकुन्द ओझा	50	-	100	150	50	600	275	800
21.	श्री एन.आर. बिलूनियां	100	-	-	75	100	200	-	150
22.	श्री आनन्द आचार्य	200	300	-	-	-	-	-	400
23.	श्री संजय राजपूत	1750	750	300	200	100	-	-	50
24.	श्री प्यारे मोहन त्रिपाठी	150	150	100	275	400	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	श्री प्रमोद सिंघल	50	150	150	-	50	-	-	100
26.	श्री पन्नालाल मेघवाल	400	200	400	175	400	750	-	700
27.	श्री राजकुमार पारीक	200	100	-	150	175	500	325	300
28.	श्री प्रभात कुमार सिंघल	450	750	-	200	275	400	200	700
29.	श्री प्रभात गोस्वामी	-	300	100	200	600	600	100	250
30.	श्री के. एल. मीणा	-	100	100	125	275	100	100	800
31.	श्री रामफूल गुर्जर	-	100	-	-	50	150	-	500
32.	श्री राजेन्द्र भार्गव	-	150	-	-	-	-	-	-
33.	श्री प्रेम प्रकाश त्रिपाठी	-	200	100	-	-	-	-	-
34.	श्री ईश्वर दत्त माथुर	-	400	-	100	100	150	-	-
35.	श्री जगदीश गोठड़िया	-	200	350	100	50	300	50	550
36.	श्री तारादत्त निविरोध	-	100	300	300	150	-	250	-
37.	श्री पी.आर. त्रिवेदी	-	100	250	-	-	-	-	-
38.	श्री रणछोड़ त्रिपाठी	-	250	300	200	100	-	-	-
39.	श्री सीताराम मीणा	-	100	-	-	-	-	-	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	श्री बजरंग सिंह शेखावत	-	200	-	-	-	-	75	-
41.	श्री रामप्रसाद जाट	-	75	-	-	-	-	-	250
42.	श्री रामचरण धाकड़	-	-	300	50	-	-	-	-
43.	श्री महेन्द्र शर्मा	-	-	200	-	-	-	-	-
44.	श्री दिनेश मुदगल	-	-	300	350	100	-	-	350
45.	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	-	-	150	-	-	-	-	-
46.	श्री प्रमोद पारीक	-	-	-	-	100	-	-	-
47.	श्रीमती अलका सक्सैना	-	-	-	-	100	-	-	-
48.	श्रीमती गीता पुरोहित	-	-	-	-	50	-	-	-
49.	श्री लीलाधर पुरोहित	-	-	-	-	100	-	-	-
50.	श्री रामकिशन तंवर	-	-	-	-	50	-	-	150
51.	श्री रामजीलाल मीणा	-	-	-	-	150	-	-	200
52.	श्री कुलदीप सिंह राठौड़	-	-	-	-	100	-	-	200
53.	श्री मुरलीधर व्यास	-	-	-	-	50	-	-	-
54.	श्री गोविन्द राम देशनानी	-	-	-	-	150	100	150	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55.	श्री गोकल प्रसाद वैष्णव	-	-	-	100	200	150	-	-
56.	श्री जीतेन्द्र माथुर	-	-	-	-	75	-	-	-
57.	श्री आर. एस. कोली	-	-	-	-	50	-	-	350
58.	श्री रामलाल वर्मा	-	-	100	100	-	-	50	-
59.	श्री सवाई सिंह	-	-	100	-	50	-	-	150
60.	श्री मदन लाल गौड़	-	-	-	50	50	300	-	-
61.	श्री आनन्द राज व्यास	-	-	-	50	75	-	-	300
62.	श्री लोकेश चन्द्र शर्मा	-	-	-	-	-	-	100	-
63.	श्री राजेश कुमार व्यास	-	-	-	-	-	-	50	250
64.	श्री विजय कुमार तोतुका	-	-	-	-	-	-	100	-
65.	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़	-	-	-	-	-	100	150	-
66.	श्री रवि गोस्वामी	-	-	-	-	-	-	150	-
67.	श्री ओम प्रकाश चन्द्रोदय	-	-	-	-	-	150	475	-
68.	श्री शीतल वैष्णव	-	-	-	-	-	-	-	200
69.	श्री दीपक आचार्य	-	-	-	-	-	-	-	250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70.	श्रीमती कल्पना ढिंढोर	-	-	-	-	-	-	-	75
71.	श्री हरिश व्यास	-	-	-	-	-	-	-	500
72.	डा. आदर्श शर्मा	-	-	-	-	-	-	-	150
73.	श्रीमती केशवं गोयल	-	-	-	-	-	-	-	200
74.	श्री प्रदीप चौधरी	-	-	-	-	-	-	-	100
75.	श्री दिनेश सक्सैना	-	-	-	-	-	-	-	200
76.	श्री महेश चन्द्र शर्मा	-	-	-	-	-	-	-	250
77.	श्री सतीश सूद	-	-	-	-	-	-	-	200

परिशिष्ट 'ख'

विभिन्न वर्षों में सुजस के संपादक मंडल के सदस्यों एवं उनके परिवारजन लेखकों को पारिश्रमिक के रूप में दी गई राशि का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	संपादक मंडल के सदस्य का नाम	1991-92	92-93	93-94	94-95	95-96	96-97	97-98	98-2000
1.	डा. अमर सिंह राठौड़	1550	2900	2500	1350	2400	1350	1350	550
2.	डा. देवदत्त शर्मा	700	650	800	450	350	950	350	-
3.	श्री फारूख अफरीदी	750	150	150	150	-	-	-	-
4.	श्री किशन कुमार व्यास	1000	100	250	-	-	-	-	-
5.	श्री रमाकान्त शर्मा	200	50	100	-	300	50	175	200
6.	श्री विनोद शर्मा (साज-सज्जा का कार्य)	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	श्री एन. के. मिश्रा	600	200	600	600	550	1000	800	1050
8.	श्रीमती पुष्पा गोस्वामी	-	-	-	-	-	-	50	850

परिशिष्ट 23

(अतारांकित प्रश्न संख्या 127 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

जयपुर शहर मे संचालित विभागीय होमियोपैथिक औषधालयों की सूची एवं वर्ष 1999 2000 की उनकी रोग संख्या का विवरण

क्रम संख्या	स्थान औषधालय	वार्षिक रोगी संख्या
1.	बापू नगर, जयपुर	52447
2.	हीरापुरा, जयपुर	28367
3.	गांधीनगर, जयपुर	66296
4.	सोडाला, जयपुर	19611
5.	सांगानेर, जयपुर	52349
6.	सचिवालय, जयपुर	30767
7.	विद्याधर नगर, जयपुर	97327
8.	पुलिस लाइन, जयपुर	66696
9.	सेठी कालोनी, जयपुर	102553
10.	विधान सभा, जयपुर	202933
11.	थाना एयरपोर्ट सर्किल सांगानेर, जयपुर	141589

परिशिष्ट 24

(अतारांकित प्रश्न संख्या 128 का विवरण)

परिशिष्ट ''क''

विधान सभा क्षेत्र नावां में संचालित विभागीय आयुर्वेद औषधालयों के लिए वर्ष 2000-2001 की औषध सप्लाई सीमा व औषध सप्लाई राशि का विवरण

क्रम संख्या	स्थान औषधालय	औषध सप्लाई सीमा	औषध सप्लाई राशि
1.	अड़कसर	12010	4606.59
2.	चितावा	15080	4606.59
3.	चौसला	16006	4606.59
4.	दैपुर	10144	4606.59
5.	घाटवा	16784	4606.59
6.	जीजोट	8108	4606.59
7.	खारडिया	13772	4606.59
8.	लालास	5000	4606.59
9.	लिचाणा	17582	4606.59
10.	लूणवा	24210	4606.59
11.	भारोठ	18988	4606.59
12.	भीण्डा	22764	4606.59
13.	नगवाड़ा	13120	4606.59
14.	पांचौता	16858	4606.59
15.	शिव	18100	4606.59
16.	श्यामगढ़	18546	4606.59
17.	हुडील	13862	4606.59
18.	शिवदानपुरा	24492	4606.59
19.	कुचामन सिटी	58560	15934.11
20.	नावां	38988	4606.59